राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] नवम् विधान सभा के पंचम सत्र का नवाँ दिवस [संख्या : 7

बुधवार
18 सितम्बर, 1991

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

माननीय सदस्य के सदन से निष्कासन पर चर्चा

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आप आज की कार्यवाही शुरू करें उससे पहले मुझे कुछ निवेदन करना है। कल सदन के अन्दर जिस प्रकार से श्री रामस्वरूप मीणा को आपने सदन से निष्कासित किया तीन दिन के लिए, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है और मिनिट्स पढ़े हैं, मुझे कोई कारण नहीं दिखता जिसके कारण उसको तीन दिन के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने थोड़े दिनों पहले यहां पर प्रबोधन के लिए हम सबको आमन्त्रित किया था और उसमें आपने सहिष्णु होने की बात कही थी। काफी तारीफ की थी सदन की मुख्य मंत्रीजी ने कि हम बोलने का बहुत मौका देते हैं और हमने नयी परम्पराएं डाली हैं। मैं रिकार्ड को देखकर बतला रहा हूं आपको, इस श्री रामस्वरूप मीणा ने पांच बार प्रयत्न किये थे बोलने के, मगर उसके एक भी प्रश्न को आपने यहां पर उठाने नहीं दिया। क्या कारण था कि श्री रामस्वरूप मीणा को निष्कासित किया गया? आप सारे मीडियाज को देख लीजिए, कल का टी.वी. आपने सुना होगा। उस टी. वी. के अन्दर आपने देखा होगा कि क्या कमैण्ट्री थी सदन की। अखबारों के अन्दर एक अखबार तो राजस्थान के अन्दर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि बी. जे. पी. के और आपके अनुसार ही सारी रिपोर्टिंग करें, उसने भी कहा कि वह हाथ जोड़कर खड़ा रहा, आपने उसको सदन से निकाल दिया। 10-9-91, 11-9-91, 13-9-91, और 16-9-91, इतने दिनों तक अगर कोशिश करने के बाद भी स्पीकर की कृपा वह प्राप्त नहीं कर सकता है, हाथ जोड़ता है एक एम. एल. ए., इसके बावजूद भी आपकी कृपा उसके ऊपर नहीं होती है और एब्रप्टली आप उसको निकाल देते हैं सदन से तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती किसी सदस्य के साथ हो नहीं सकती कि अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात

(श्री हरिदेव जोशी)

पूरे सैशन भर में वह बोल नहीं सकें, कोई अवसर आप उसको दो नहीं। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर को कस्टोडियन कहा गया है डेमोक्रेसी का और विरोधी पक्ष का एक प्रकार से रक्षक है वह। अगर यही हमारी रक्षा है तो डेमोक्रेसी 51 और 49 ही है, जिसका बहुमत है वह जिस तरह से चाहे पीट ले, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। आज बहुत दर्द भरे शब्दों में मैं कहता हूं इतने बरसों के अपने अनुभव के अन्दर, इस विधान सभा के अन्दर मैं बैठता रहा हूं, मैंने एक उदाहरण ऐसा नहीं देखा है जिसमें सदस्यों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया हो। इसलिए मैं अपने मन की वेदना आपको बतलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आपने घोर अपमान किया है डेमोक्रेसी का। आपने यह स्थिति पैदा कर दी है कि हम जो आपके प्रति इज्जत रखते थे उसमें व्यवधान आया है और हमारे मन को यह लगने लगा है कि जितना गरीब आदमी होगा उसको दबाया जाएगा। अगर उस आदमी ने कोई गलती भी की थी तो उसने हाथ जोड़े थे आपको खूब सारे।

श्री अध्यक्ष : पहले मैंने जोड़े थे।

श्री हरिदेव जोशी : हाथ जोड़े थे आपके।

श्री अध्यक्ष : मैंने जोड़े थे।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं आया, मैं बता दूंगा आपको।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने जो हाथ जोड़े थे वह टी. वी. में भी आया है और मिनिट्स के अन्दर भी वह है। आप मिनट्स के किसी एक सैंटेंस से बतला दीजिए मुझे कि वह लाइबल था इस पनिशमैण्ट का। तो आखिर हमको बताइये कि हमारा कस्टोडियन कौन है। अगर हमको हमारे बल पर ही जीना है और आपकी कोई सहायता नहीं, तब फिर सिवाय अव्यवस्था के और कोई चीज नहीं होगी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने तो अपनी ओर से संयम बरता है और यह कोशिश की है कि सौहार्द्रतापूर्वक अधिवेशन चले। इसलिये मैं यह कहता हूं, कांग्रेस पार्टी रात को 11-11 बजे तक बैठी है और बिजनस को ट्रांजिक्ट करवाया है। हमने कभी कोई बिजनस को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद भी एक आदमी को एक मिनट के लिए भी आप सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? अगर वह जोर से बोलता है, जैसा मुझे किसी भाई ने कहा, मुझे माफ करना, उससे ज्यादा तो आप बोलते हैं जोर से। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको बहुत ही सीरियस मानती है, अपमान मानती है और श्री रामस्वरूप मीणा के बगैर वह इस सदन के अन्दर कार्यवाही नहीं करेगी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्री रामस्वरूप मीणा ने अनुरोध

(3)

(श्री नत्थी सिंह)

किया। ऊंची आवाज में किया, यह बात जरूर है, लेकिन हाथ जोड़कर किया कि उन्हें उनके इलाके में हुई हत्या के सम्बन्ध में यहां कुछ कहने दिया जाये। मैंने उस वक्त यह भी कहा था कि इधर से, केवल माननीय सदस्य ही नहीं, मंत्री धमकी दे रहे थे हाथ-पैर तुड़वाने की, अशोभनीय शब्द कह रहे थे····

अनेक माननीय सदस्य : असत्य, असत्य। गलत।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बताता है, सच को सुनने की सहनशक्ति नहीं है इनमें। यह बात बिलकुल सही है। और अगर आपने धमकी दी है तो फिर आप संकोच क्यों करते हो, डरते क्यों हो? कही, दी है हमने। या तो इतना साहस होना चाहिए नैतिक, नहीं तो दो मत। इशारा किया। मैं कह रहा हूं, आप जो इस आसन पर हैं उनसे हमारा यह निवेदन है कि आपको वैसे तो समदृष्टि नहीं बल्कि विपक्ष की ओर ज्यादा संरक्षणशील आपको होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है। एक को उठाकर टांगाटोली लगाकर बाहर फेंक दिया जाता है और दूसरे से उफ भी नहीं कहा जाता है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि श्री रामस्वरूप मीणा को जो सदन से बाहर किया है आप उसे निरस्त करके यहां बुलाइये और सदन की कार्यवाही आगे चलाइये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान में जो समस्याएं हैं, राजस्थान में जिस तरह की विकट स्थिति पैदा हुई है, उसके लिये जो सत्ता पक्ष है, उसके लिए जरूरी है कि हम जो समस्याएं यहां सदन में पेश करें, जो सवाल यहां उठाएं उनसे उनको लाभ मिले। निश्चित तौर से राजस्थान की जनता भी महसूस करती है कि ऐसे समय में जो सत्ता के लोग हैं वे उनकी तरफ देखें। विधान सभा एक ऐसा मंच है जिसमें उनकी समस्याओं पर चर्चा होकर उसका कुछ नतीजा निकल सकता है। ऐसे समय में जिस बात से यह गतिरोध पैदा हुआ है, मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य ने अपने इलाके की विशेष समस्या को उठाने की कोशिश की 3–4 बार। यह सही है कि कोशिश करते वक्त उन सदस्य ने तीसरी-चौथी बार ऊंची आवाज में बात कर दी, वे आपकी आज्ञा नहीं माने, यह बात सही है कि आपने उनको आज्ञा दी और उस आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। पर क्या एक बार कोई आज्ञा नहीं माने या एक बार ऊंची आवाज में कोई सदन में बोल ले, उसको इस तरह की स्थिति में ला दिया जाये कि वह सदस्य इस कार्यवाही से वंचित रहे और वह सारी पूरी की पूरी कांस्टीट्युएंसी के दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला, उनकी समस्याओं को यहां रखने वाला आदमी नहीं रहे?

मैं उचित समझता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप भी इसमें सहयोग करेंगे और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह भी इस बारे में सहयोग करेंगे कि सदन की कार्यवाही चले। इसका कोई मतलब नहीं है कि जो यहां बोले या अपनी बात को मजबूती से रखना चाहे या वह किसी तरह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से रखते वक्त अगर कहीं किसी जगह से ऊंची आवाज में बोल दे तो उसको उठाकर हाउस से बाहर फेंक दें, कोई अच्छी परम्परा नहीं है। और मैं समझता हूं कि अच्छी परम्परा लाने के लिए जो वास्तविक जनता की इच्छा है, जनतंत्र को लाने के लिए यह उचित होगा कि जिनको निकाला गया है उनको वापस हाउस में बुलाया जाये और हाउस को शुरू किया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता, जनता दल के नेता और कम्यूनिष्ट पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की है उस दृष्टि से इस सदन में सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कोई भी इस चीज को नहीं चाहेगा कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चले। जनता की समस्याओं को सदन में रखा जाये, सरकार उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करें उसके सम्बन्ध में अपना पक्ष रखेगी। इसीलिए तो विधान सभा और लोक सभा का गठन हुआ है। जनप्रतिनिधि जन-समस्याओं को लेकर के विधान सभा में चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। यह एक लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार है जिस अधिकार पर कोई भी अंकुश नहीं लग सकता। लेकिन विधान सभा में इन अधिकारों का उपयोग किस प्रकार से किया जाय, इस सम्बन्ध में नियम, प्रक्रिया और परम्पराएं हैं....

श्री हरिदेव जोशी : उन सब का आपने पालन किया है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने और मैंने, दोनों ने जो किया है बच्चा-बच्चा जानता है।

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता, अध्यक्ष महोदय, कि कोई न कोई विधान सभा अपना निश्चित कार्य समाप्त होने के पूर्व ही स्थगित नहीं हो जाये। कई विधान सभाओं में स्थिति ऐसी पैदा हुई है कि बजट एक ही दिन में पास हुआ है, डिमाण्ड्स पर चर्चा ही नहीं हुई, गुलोटिन एप्लाई कर दिया और जो कार्यवाही 20 दिन चलनी चाहिए वह एक ही दिन में समाप्त हो गई, कई विधान सभाएं समय के पूर्व स्थगित करनी पड़ी। इसको सारे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था में जिस प्रकार की आस्था बनी रहनी चाहिए उस आस्था का शनैः शनैः ह्रास होता जा रहा है। मैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं कह सकता और न उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी से अपने आपको मुक्त भी नहीं करता। इस विधान सभा में विपक्ष में रहकर और सत्ता पक्ष में रहकर जिस प्रकार की परम्पराएं हमने यहां पर चालू की थीं उनके सम्बन्ध में मैं बाहर भी और इस विधान सभा में भी कई बार कह चुका हूं कि राजस्थान विधान सभा में जिस प्रकार का स्वस्थ वातावरण रहा है, हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में नहीं रहा है और यह बात कहते हुए मुझे भी गर्व होता है और

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को भी इसके गर्व का निश्चित रूप से अनुभव होता होगा।

श्री हरिदेव जोशी : केवल ट्रेजरी बैंचेज के आधार पर....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने पहले ही कह दिया दोनों पर है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके मायने यह है कि हमने फुली को-ऑपरेट किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मैं आज की बात नहीं करता। मैं जोशी जी 40 वर्षों की बात कहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : हमने फुली को-ऑपरेट किया उसका बदला आपने यह दिया कि हमारे एक आदमी को आपने हाउस से निकाल दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बोल लेऊं।

श्री हरिदेव जोशी : आप बोल लेवें वह बात तो ठीक है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : बोल दीजिए। दूसरे दिन 11.00 बजे के लिए हाउस एडजोर्न किया आपने तो लीडर आफ दी हाउस की बगैर मंजूरी के हरगिज नहीं हो सकता था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं वही बोल रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपने कहा कि चलने नहीं देंगे हाउस।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठहर जाओ।

मैं वही बोल रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा था कि हमारे सामने इस सदन की स्वस्थ परम्पराएं हैं जिनके कारण से हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और कई बार बड़े-बड़े विधान सभाओं के अध्यक्षों और इनके सम्मेलनों की कार्यवाही के विवरण मैं देखता रहता हूं उनमें भी राजस्थान विधान सभा की जिन शब्दों में चर्चा की जाती है वह राजस्थान विधान सभा एक स्वस्थ परम्परा का प्रतीक बनकर आज हिन्दुस्तान की जनता के सामने है। इसमें कोई क्रेडिट मेरी नहीं है, इसमें कोई एक व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है लेकिन हम सब ने मिल कर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि सदन में माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो, जन-समस्याएं हम सही प्रकार से रख सकें और सरकार अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सके।

मैं जब विपक्ष में था उस समय भी यह स्थिति थी, आप सत्ता पक्ष में थे उस समय भी यह स्थिति थी और आज विपक्ष में हैं आप लोग तो भी मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करता, मंशा सब की उसी परम्परा से बन्धी हुई है और उसी परम्परा में हम चलना चाहते हैं।

अब प्रश्न यह आता है कि विधान-सभा में कल जिस प्रकार की गतिविधियां हुई और जिसके कारण से अध्यक्ष महोदय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को निर्णय लेना पड़ा । मैंने पहले ही निवेदन किया कि विधानसभा की कार्यवाही को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय की है और उस रेगुलेशन के सम्बन्ध में नियम, प्रक्रिया और परम्पराएं हैं, उन परम्पराओं का सब को पालन करना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं । यह सम्मान इस हाउस की परम्परा बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है । मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने अपने 40 वर्षों के जीवन में कभी तू-तड़ाक से बात नहीं की होगी, मैं नया था तो भी तू-तड़ाक से बात नहीं की और उसके बाद में भी कभी तू-तड़ाक से बात नहीं की । मेरे और आपके बीच में कई बार द्वंद्व हुए हैं लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहे, मैं अपनी मर्यादा में रहा और उस मर्यादा के कारण उस द्वंद्व के बाद भी 5 मिनट के बाद यदि हाउस के बाहर कोई देखे तो लोग यह आश्चर्य करते थे कि अभी तो हाउस में लड़ रहे थे और हाउस के बाहर आकर किस प्रकार से आपस में सद्भावना से, मित्रता से बात कर रहे हैं । आपस में कभी किसी प्रकार की कटुता पैदा नहीं हुई ।

मुझे मालूम है, एक बार माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई जब अध्यक्ष थे, मेरे और इनके बीच में एक विवाद हुआ । मैंने आग्रह किया कि मैं बोलूंगा और इनका आदेश था कि आपको बोलने नहीं दूंगा । इनको कहीं से यह खबर लग गई कि आज बोलने की मेरी तैयारी नहीं है और मैं जबर्दस्ती आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाय । मेरी इस वीकनैस का लाभ उठाते हुए आपने कहा कि अच्छा बोलिए । अब बोलने के लिए मैं तैयार नहीं था लेकिन इन्होंने कह दिया कि बोलिए । अब मेरे सामने समस्या खड़ी हुई कि इम्पोर्टेण्ट मसला है जिसके लिए मैं टाइम सीक करना चाहता था और इन्होंने एकदम परमिशन दे दी । उस परमिशन के बाद मामला बिलकुल शान्त हो गया । यह कई बार आकेजन आये हैं । आज ही कोई हाउस से एक सदस्य निकाला गया हो, ऐसी बात नहीं है । मुझे वह घटनाएं भी याद हैं जब पूर्व में सदस्यों को यहां से बलपूर्वक भी निकाला गया है । एक निकाला गया, 4 निकाले गए, 5 निकाले गए । मैं इस संख्या में नहीं जाता, लेकिन निकाले हैं । अब उस समय निकालने की स्थिति क्यों पैदा हुई, केवल एक कारण से पैदा होती है । अब, अध्यक्ष महोदय, सरकार से उलझने की बजाय जब कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष से उलझने की स्थिति में आते हैं, उस समय इस प्रकार की स्थिति बनती है । सरकार से हम उलझें या हमसे सरकार उलझे, या विपक्ष मेरे से उलझे या मैं विपक्ष से उलझूं, उसके कारण से सदन में वातावरण खराब नहीं होता है । वातावरण में उत्तेजना उस समय पैदा होती है जब सदन के माननीय सदस्य स्पीकर को टार्गेट बनाकर उनसे उलझने की कोशिश करते हैं ।

कोशिश हाउस की यह होनी चाहिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि हम दो टीमें हैं, एक टीम आपकी है और एक हमारी टीम है। मैच हमारे बीच में होना है। स्पीकर को केवल रैफरी का काम करना है। लेकिन हम लड़ते-लड़ते रैफरी के ऊपर यदि हमला शुरू कर देंगे तो रैफरी निश्चित रूप से अपने बचाव की चिन्ता करेगा। अब इस स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि कल जिस प्रकार की स्थिति हुई आपका तो श्री रामस्वरूप जी का संकट हो रहा है और हमारे एक मंत्री का दूसरा संकट हो रहा है। रात को वह टैलीफोन करने लगे कि मेरा तो घर में घुसना मुश्किल हो गया। मैंने कहा यह क्या स्थिति हुई, वह श्री रामस्वरूप जी हमारे रामकिशोर जी के साले हैं। जाते ही पत्नी ने डांट-डपट की होगी कि निकलना तो आपको चाहिए था और आप साले साहब को निकलवाकर आ गए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : श्री रामकिशोर जी मना कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री रामकिशोर जी अपनी कमजोरी हाउस में बताएंगे कि मैं डांट खाकर आया हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने तो बता दी ना कमजोरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो बता दी इसलिए कि मुझे मालूम हुई। अब ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप जी गए, रामस्वरूप जी से किसी का व्यक्तिगत द्वेष नहीं हो सकता। मेरा तो बिलकुल नहीं है। मैं उस आदमी को बचपन से जानता हूं, बचपन से उनको हर प्रकार से मैंने सहयोग किया है। राजनीति में, बी. जे. पी. के सदस्य थे, बाद में वह कांग्रेस में चले गए। उनके पिताजी से मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हम किससे दुश्मनी निकालें। और किसी से व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं भी हों, तो भी विधान सभा में विधायक से व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए हम नहीं आए। और सत्ता में रहने के बाद तो द्वेष निकालने की बात सोचना, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती होगी। अब कल जब प्रसंग आया तो वातावरण पहले से गर्म था। यह तो आपको शायद सूचना मिल गई होगी कि वातावरण कुछ सुबह से ही गर्म हो रहा था। वातावरण गर्म होते होते पहले विवाद खड़ा हुआ बिलवाड़ी काण्ड के सम्बन्ध में, फिर उसी बीच में सुमित्रा जी और देवी सिंह जी का विवाद खड़ा हो गया, उसके कारण से गर्मी आ गई। उस गर्मी के चक्कर में रामस्वरूप जी आ गए। अब आप कोई यह कहें कि रामस्वरूप जी को तो बोलने का मौका नहीं दिया, मैं ऐसा समझता हूं यदि आप विधान सभा की प्रोसीडिंग्स उठा कर देखें तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सदस्य हैं जो नहीं बोल पाए हैं लेकिन रामस्वरूप जी हमेशा किसी न किसी इश्यू पर बोलते रहे हैं, परसों बोले हैं, एक दिन, परसों या परले दिन की, मैं नहीं कह सकता, वो बोलना चाहते थे, और अध्यक्ष महोदय ने कहा, बोलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलना चाहता। हर इश्यू पर बोलते हैं, लेकिन इतना तो, जोशी जी, आप भी मानकर चलेंगे कि आखिर अध्यक्ष पद पर बैठा व्यक्ति गाली खाने के लिए नहीं है (व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं रामस्वरूप जी के लिए नहीं कह रहा हूं कि गाली दी है....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने टोका नहीं होता तो आप यह इम्प्रेशन देते कि हमने गाली दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने रामस्वरूप जी के लिए नहीं कहा कि उन्होंने गाली दी है, मैं जिस रेफरेन्स में कह रहा हूं उसको सुनें । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि स्पीकर पर किसी प्रकार का लांछन कोई लगाए, कोई लांछन स्पीकर के ऊपर पक्षपात का लगाए, किसी प्रकार का भी लांछन लगाए, तो स्पीकर को डिफेन्ड करने वाले, इस हाउस में अगर 200 सदस्य हैं, तो 199 सदस्य स्पीकर को डिफेन्ड करने के लिए तैयार हो जाएंगे । यह हम नहीं सोच सकते कि स्पीकर रेफरी के रूप में पक्षपात कर रहे हैं । लेकिन स्पीकर की आलोचना हो, आलोचना पक्ष विपक्ष के कोई भी माननीय सदस्य करें, उनकी आलोचना करे और स्पीकर कुर्सी पर मजबूरी से बैठा रहे कि मैं तो आलोचना सुनने के लिए आया हूं, उस स्पीकर की स्थिति क्या होगी उसका आप अनुमान लगा लें । इसी आधार पर मैं कहता हूं कि रामस्वरूप जी के सम्बन्ध में जब कल डिसीजन लिया तो चाहे आप आज कुछ भी कहें, आप उपस्थित नहीं थे । अध्यक्ष महोदय ने कहा आप बैठ जाइए, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा, कि मैं लेऊंगा । अब मैं वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि आप यह कहेंगे कि प्रोसीडिंग्स में नहीं आए लेकिन मैंने अपने कानों से सुने हैं बहुत डेरोग्रेटरी वर्ड्स । जोशी जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी बराबरी में मैं और आप आपस में अगर एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे, भावों को नहीं समझेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि वाणी से हम नहीं समझा पाएंगे । लेकिन अगर केवल वाणी के आधार पर ही एक व्यक्ति अपनी बात कहे और वाणी भी संयत नहीं हो कोई स्थिति ऐसी बन जाती है जिस स्थिति में आदमी इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए विवश हो जाता है । मैं एक और निवेदन कर दूं ...

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मंत्री जी, आप सारी चीजों को टिव्स्ट कर रहे हैं । देखिए, कल दो बजकर के पांच मिनट पर मैं यहां आ गया था । मुझे टेलीफोन मिला, मैं यहां आया । लिफ्ट में जाते हुए लोग मुझसे मिले और सम्पतराम जी ने कहा कि हाउस तो एडजार्न हो गया दो बजे तक के लिए । आज तक की यह परम्परा रही है कि अगर इस प्रकार का कोई क्राइसस आता है तो पार्टी बैठकर के बात करती है । मगर कल आपने कोई कोशिश नहीं की । आपने इसको एग्रेवेट किया । मैं स्पीकर की बात नहीं कहता, मैं आपकी बात कहता हूं और आपकी जिम्मेदारी की बात कहता हूं । लीडर आप हैं, बिजनस ट्रांजेक्ट करवाने की जिम्मेदारी आपकी है । स्पीकर को आप बाहर तो कुछ कहते रहते हैं, जिस समय यह प्रबोधन का कार्यक्रम था तब आपने भी श्री

(श्री हरिदेव जोशी)

अटल बिहारी जी वाजपेयी के सामने वहीं था अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी थोड़ा सा आप ह्यूमैर रखो और विट रखो तो बहुत अच्छा हो सकता है । तो आपने यह कहा श्री अटल बिहारी जी के सामने कि आपमें वो गुण हीं हैं, मैंने इसको पी लिया,। मैं कहना चाहता था वहां पर मगर मैं पी गया इसको । आप तो पब्लिक में स्पीकर के लिए यह कहें और हाउस में हम यह नहीं कह सकें कि हमको टाइम दो, हाथ जोड़कर कहें । यह न्याय आप ही कर सकते हो, दूसरा इसको करने में कोई सक्षम नहीं है, कारण कि दूसरा चीजों को इतना टिव्स्ट कर नहीं सकता । आप चाहते यह हो कि आप लम्बा बोलो और लम्बा बोलकर के, यह दो टूक बातें है आपने निकाला है श्री रामस्वरूप को, इसको हम अन्यायपूर्ण मानते हैं और हम यह समझते हैं कि हमारे साथ में ज्यादती हुई है, हमारा अपमान हुआ हैं, हमने प्रोसीडिंग्स देखी है । मैंने सैक्रेटरी असेम्बली से कहा था कि तुरन्त मुझे असेम्बली प्रोसीडिंग्स दीजिए, यह समझना जरूरी था कि कौन दोषी है । मेरे पास जैसे ही आई, मैंने इसके पन्ने पलटकर के देखा मुझे कोई एक शब्द ऐसा नहीं दीखता है कि जिसके कारण से श्री रामस्वरूप को हाउस से बाहर निकाला गया, सिवाय इसके कि वो यह आग्रह करता है कि मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, माननीय भैरोंसिंह जी आप उपदेश दे रहे हो, आप श्री रामस्वरूप की जगह पर मेरे को या अपने को ले लीजिए जिसने एक, दो, तीन, चार, पांच मसले उठाये और उस मसले पर उसको बोलने नहीं दिया गया पांच दिनों तक निरन्तर, क्या इम्प्रेशन लेगा एक आदमी .. क्या कारण है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, एक मिनट बिराजें । मैं चाहता हूं कि जिस वातावरण में आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ तथ्य, जो आपके ध्यान में नहीं हैं, उस वातावरण को ठीक करने के लिए मैं वो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं । आप जिस बात की रिपीट कर रहे हैं मैं वह तथ्य बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को कितने मौके दिए जा चुके हैं जो मेरे अभी ध्यान में हैं, 11 तारीख को माननीय सदस्य बोल चुके हैं, 13 तारीख को माननीय सदस्य ने अपना एक एडजार्नमेंट मोशन शाम को 6 बजे दिया, 14 और 15 की छुट्टी हो गई, 16 तारीख को वो एडजार्नमेंट मोशन सरकार को भेजा गया शाम को, कल 17 तारीख थी, मेरी घोषणा की हुई थी कि 24 घंटे तक का मैं सरकार को समय दूंगा उसके बाद भी यदि जवाब नहीं आया तो उसके बाद में मैं लगा दूंगा । 24 घंटे कल तक हुए नहीं थे, 16 तारीख को माननीय सदस्य को जितना वो चाहे उतना बोलने का मौका दिया है, वह बोले हैं और खूब बोले हैं । आपत्ति होने के बावजूद भी जितना वह चाहें, मैंने कहा इनको पूरा खुलकर बोलने दीजिए और वह बोले हैं । इसके अलावा एक दिन मैंने उनको फिर मौका दिया और वह उठकर चले गए और कहा कि मैं बायकाट कर रहा हूं । यह चार प्रसंग तो मुझे ध्यान हैं कि जिनमें मैंने उनको बोलने का मौका दिया है । इस-

(श्री अध्यक्ष)

लिए यह कहना कि उनको दस दिन में मौका ही नहीं दिया, यह तथ्य नहीं है।

दूसरा तथ्य जो आप बार-बार कह रहे हैं कि हाउस में कई बातें जेस्चर्स से होती हैं जो प्रवोकेशन करती हैं। कल जब मुझसे यह कहा गया कि सारी कार्यवाही एक्सपंज कर दी जाए, मैंने पूरी कार्यवाही पढ़ी। माननीय सुरेन्द्र व्यास के भाषण में मुझे एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं लगा, नोट ए सिंगल वर्ड, और जितनी कार्यवाही है उसमें जैसे कहीं पर ××× हो रहा है, ××× इस तरह के कुछ शब्द थे इसके सिवाय किसी किस्म के अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए और मैंने उसमें से कुछ एक्सपंज भी नहीं किया सिवाय उन शब्दों के की जो अनपार्लियामेंट्री की लिस्ट में है और जो हमारे यहां अनपार्लियामेंट्री माने गए हैं।

परन्तु उस कार्यवाही को पढ़ने के बाद आप यदि यह कहें कि सदन में कुछ हुआ ही नहीं, उस कार्यवाही को यदि आप पढ़ेंगे तो वह कार्यवाही इनोकुअस है, निर्दोष है। उससे पता नहीं चलता कि सदन में क्या हुआ। लेकिन बावजूद इन निर्दोष शब्दों को प्रयोग करने के भी हाऊस में जबरदस्त कमोशन हुआ था। यह आप सब जानते हैं। इस बात को, जब मैं आया, हाउस आर्डर में आ गया, मेरी बात मान ली गयी। माननीय घासीराम जी यादव बोल चुके थे। सवाल यह है कि माननीय सदस्य को मैं मौका देता रहा हूं, बोलने का सवाल नहीं है, वह पोलाइटली कहते तो मैं उनका जवाब देता। शून्य काल का समय भी समाप्त हो गया, he was obstructive.

जब मैंने माहिर आजाद साहब को बोलने के लिए खड़ा कर दिया, वह खड़े भी हो गये। जब कार्यवाही सदन की चल रही है, तो किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार हो सकता है, मगर कार्यवाही को आब्स्ट्रक्ट करने का नहीं हो सकता। और सदन का मूड भी जो पिछला था, जब शान्ति हो रही थी, उस समय जोश में आकर उसमें कमोशन पैदा करने का सवाल था, यह परिस्थितियां हैं जिसका आंकलन करिये आप, शब्दों में नहीं जा सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो कहा है, फैक्ट्स वह भी बता देता हूं उसमें भी यह कहने का अधिकार आप कैसे स्वीकार करेंगे, उन्होंने खुद ही कहा है, इस बात को मैं पूरी कर देता, मेरे कहने का मतलब है कि यह जो चार्ज है कि 10 दिन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसके बारे में मैंने इन्स्टांस देकर बता दिया है आपको।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, आपने जब हाउस एडजोर्न कर दिया, आपका उत्तरदायित्व जो था उसको मोमेंट आफ प्रोवोकेशन में आपने निभा दिया, सिगनल्स आपने दे दिये और उस वक्त हाउस के जो हमारे नेता हैं, दोस्ती के नाते मैं कह रहा हूं, उनका कर्ज था कि आपके चेम्बर में आकर के लीडर आफ अपोजीशन को बुला लेते। आज तो अनटुवर्ड हुआ है, हमें खेद व्यक्त करना पड़ रहा है। यह

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

अवाइड हो सकता था, अध्यक्ष जी। दूसरी बात, हमारे दल का कोई माननीय सदस्य अगर प्रोसीडिंग में कोई बाधा डाल रहे हैं, आब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे कण्ट्रोल करें। नम्बर तीन, मूमेन्ट आफ प्रोवोकेशन, अध्यक्ष जी, मैं गुस्से में आ जाऊं, अध्यक्ष तो चेयर है, बहुत बड़ी चेयर, उनको गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी और प्रो. केदार ने इस मामले का सारा दायित्व मेरे ऊपर डाल दिया लेकिन मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं जब कल हाउस एडजोर्न हुआ था, उसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय के पास गया और जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि रामस्वरूप जी को वापस ले लिया जाय। इन्होंने कहा कि हाउस में जब एडजोर्न की सैकिण्ड मीटिंग होती है उसके बाद आप मूव कर देना और उधर से कोई डिमाण्ड करें तो आप मूव कर देना, हम वापस ले लेंगे। उसमें थोड़ी मेरे से देरी यह हो गयी कि, यहां पहुँचने में मुझे आधा मिनट की देरी हो गयी, उसके पहले देवपुरा जी खड़े हो गये। मुझे, जोशीजी, कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। उनसे मैं पछ कर आया था, मैंने कहा वापस ले लीजिए। मैंने कहा बोलता है तो बोले, मैंने माननीय सदस्य को उसी समय तत्काल कह भी दिया था, हमने कहा था वापस लेने का है। देरी जरूर हो गयी यहां पहुँचते-पहुँचते और उससे पूर्व बोलना शुरू कर दिया। मैं इस आकवर्ड पोजीशन में आया था। अपनी तरफ से कह नहीं सकते। अब यह रहा कि लीडर के नाते मुझे पूछना चाहिए, लीडर के नाते अध्यक्ष महोदय के पास जाकर सारी सफाई दी कि इस व्यवस्था के अन्दर रामस्वरूप जी को वापस ले लें। एक बार हो गया, बात खत्म करो। मेम्बर यहां बैठे अपनी कार्यवाही में भाग लें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे क्षमा करना, स्पीकर साहब ने बात की होगी या आपने स्पीकर साहब से बात की। ऐसे मामले में आपको अपोजीशन के लीडर को बुलाना चाहिए और बातचीत के अन्दर शरीक करना चाहिए था, पार्टीसिपेट करवाना चाहिए था उसे पार्टी बनाना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कह सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इम्प्रेशन नहीं था कि जोशीजी यहां हैं, मुझे यह इम्प्रेशन नहीं था। आप यहां हो।

श्री चन्दनमल बैद : सदन के नेता मुझे माफ करें, अध्यक्ष महोदय, जब दुबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हम इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि आप कोई न कोई गुड मैचर दिखायेंगे। जब स्पीकर महोदय ने घासीराम जी का नाम लिया, उस समय आप यहां बिराज रहे थे, और जब हमने यह देखा कि सदन की कार्यवाही शुरू की जा रही है और हमारे घाव पर कोई मलहम नहीं लगाया जा रहा है, तब श्री देवपुरा जी खड़े हुये और तब उन्होंने यह बात कही है। यह रिकार्ड साफ करने के लिए कह रहे हैं, उस समय मैं यहां मौजूद था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय और मैं दोनों इस पक्ष में थे कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सदन में इस प्रकार का वातावरण बनाया जाय, सदन में जो तनाव पैदा हो गया, वह तनाव कम हो, रामस्वरूप जी को वापस ले लिया जाय, अब उसमें देवपुरा जी पहले बोले, मैं पहले बोला, घासीराम जी पहले बोले, लेकिन मैंने यह बात करीब-करीब अधिकांश सदस्यों को उस समय कही थी कि मैं आया था, पहुँचते-पहुँचते देरी हो गयी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। देरी भी, अध्यक्ष महोदय, अनअवोइडेबल कारण से हुई और मैं भागते-भागते यहां आधा मिनट पोन मिनट लेट हो गया और इस समय तक यह बात शुरू हो गयी। अब मामला यह है कि जिस प्रकार....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : देर आये दुरस्त आये, अब उनका निष्कासन रद्द करके वापस बुला लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जोशीजी बोल गये कि मैंने अध्यक्ष जी के खिलाफ प्रबोधन कार्यक्रम में कुछ बात कही।

श्री हरिदेव जोशी : जो आप बोले वही कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कही है, मैं तो अब भी मानता हूं। कहीं-कहीं तनाव की चीजों में यदि कोई ह्यूमर हो जाय तो तनाव खतम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे लोग हैं जो तनाव में ह्यूमर समझते नहीं। जोशी जी को मैंने कई बार देखा इनको कितना ही हंसाने की कोशिश करो, हंसते ही नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : जोकर की तरह उपयोग करना चाहो तो मैं तैयार नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली बार जोशी जी को हंसते हुये देखा है।

श्री केदारनाथ शर्मा : जब वहां आपकी जगह बैठते थे तब भी हंसते हुये देखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विपक्ष में तो आज ही देखा है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि मैंने जोशीजी को हंसते हुये ही देखा है। दिक्कत यह है कि आप से नहीं हंसते हैं। जहां जरूरत होती है पूरे दिन हंसते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं पण्डितजी को देखकर उन्हें हंसी आती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई कोई आब्जेक्ट होता है हंसी का जिसको देखते ही हंसी आये बिना नहीं रह सकती। अब जोशी जी को आपको देखते ही हंसी आती है, तो मैं समझता हूं आज ही पहला पाइंट मिला कि जिस समय भी नाराज होंगे आपको आगे कर दूंगा जिसके कारण सदन में हंसी-ही हंसी हो जाये। जोशीजी, मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कल अध्यक्ष जी एक बात कही और उनसे कहा कि आप वाली कुर्सी पर आप मुझे बैठने दो तो मैं भी यह देखूं कि इस हाऊस को नियन्त्रित कर सकता हूं या नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय तैयार हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : हम सर्व सम्मति से तैयार हैं लेकिन अध्यक्षजी को आपकी कुर्सी पर बिठा दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान के सारे झगड़े इसी बात के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह तो हो गया कि एज चीफ मिनिस्टर मैं आपके लिए अन्कन्विनियन्ट हूं। इसलिए आप यहां से रवाना करना चाहते हैं। आपने मुझे कहा कि आप कितने ठण्डे हो। मैं बिल्कुल मजाक ही कर रहा था आपकी कुर्सी पर बैठ कर देखूं कि हाउस कन्ट्रोल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मैं, कुर्सी पर शपथ ग्रहण करते हैं तभी ही ऊपर चढ़ा, कभी चढ़ा नहीं।

तो कहने लगे, एक बार चढ़कर देख लो। उस समय कई बार ऐसी हालत हो जायेगी। जब वैल में खड़े-खड़े यों करते हो, यों करते हो, तो मैं तो सहन भी कर जाता हूं, आप तो आपस में हाथापाई करने को तैयार हो जाओ। मैंने कहा, तब उस कुर्सी के पास में ही नहीं जाऊं। मैंने तय कर लिया कि जहां हाथापाई करने की नौबत आ जाए उस कुर्सी के नजदीक नहीं जाऊं। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को, विपक्ष के नेता को खास तौर से, इतना-सा कहना चाहूंगा कि सदन के अध्यक्ष का जितना भी हम सम्मान करेंगे वह इस सदन का सम्मान होगा।

श्री हरिदेव जोशी : यह दुतरफा मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हम 199 सदस्यों का कर्तव्य है, दुतरफा का सवाल नहीं है। जितना इनका सम्मान होगा उतना ही सदन का सम्मान होगा। जितना हम रेगुलेट कर सकें हाउस की कार्यवाही, उतनी ही रेगुलेट होगी, ज्यादा कार्य सम्पन्न होगा, ये सब बातें होंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह का वातावरण बना, अध्यक्ष महोदय, उस वातावरण को उसी रूप में छोड़कर, सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना है कि, रामस्वरूप जी का निलम्बन निरस्त किया जाय। और उसको सदन में आने की अनुमति दी जाय।

घोषणा

माननीय सदस्य के सदन से निस्कासन को निरस्त करना

श्री अध्यक्ष : जोशी जी ने प्रबोधन कार्यक्रम का उल्लेख किया। वह कार्यक्रम सफल हो, यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। इसलिए, जोशी जी ने जो कहा कि हमने हाउस को चलाने में कोआपरेशन अब तक दिया है, मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भी विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को इस सदन की सम्पूर्ण परम्पराओं को तोड़कर अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान किया है। आप इतने साल तक मुख्य मंत्री रहे हैं, कभी भी यहां 2 से ज्यादा कॉल अटेंशन नहीं लगे, मैंने 4-4, 5-5 लगाये हैं। मेरे पूर्व अध्यक्ष ने एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने की 2 मिनट की प्रक्रिया को डाइरेक्शन

(श्री अध्यक्ष)

देकर बन्द कर दिया था, मैंने फिर चालू किये 8-8, 10-10 एडजोर्नमैंट मोशन, 15 से 20 तक स्पेशल मेंशन, हाफ एन ऑवर, शॉर्ट नोटिस और 127 के जितने भी प्रावधान हैं। विशेष तौर से मेरी यह मान्यता है कि इस सदन में विरोध पक्ष को सार्वजनिक महत्व के कार्यों को उठाने का अवसर अधिक से अधिक मिलना चाहिए इसलिए कभी-कभी इस कास्ट पर भी सरकार को इनकन्वीनिएंस होती है। अब इस समय शॉर्ट सैशन था, था, मैं जानता हूं कि सरकार को बड़ी असुविधा हुई है लेकिन मैंने बहुत कठोरता से जो समय सरकार को दिया है यदि उसमें मुझे जवाब नहीं मिला तो भी मैंने आपको बोलने का मौका दिया है। यह जानते हुए भी कि सरकार को असुविधा हो रही है, इतने कम समय में जवाब आ नहीं सकता। केवल इसलिए कि माननीय सदस्यों को अपने विचार, जो लोक महत्व के हैं, उठाने का अवसर इस सदन में दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि सदन में अब तक जो बहस हुई उसमें अधिकतम सदस्यों ने भाग लिया।

लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन रूल्स में मेरे ऊपर एक अप्रिय दायित्व है कि इस हाउस में आर्डर मेंटेन हो, डिसऑर्डर नहीं हो। ऑब्स्ट्रक्शन किसी को करने का अधिकार नहीं दिया जाय। कल ही 2 मामले हो गये थे। एक मामले में मैं खून का घूंट पी गया था। माननीय रामस्वरूप मीणा के पहले मुझे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आपको क्या हक है मुझे बैठाने का ? यह काफी हो चुका था। मैं बोला नहीं, मैंने उसको जब्त किया। आखिर इस आसन की गरिमा की बात है। मैं तो मनुष्य हूं। मैं यह कुर्सी तो नहीं बन सकता। इस कुर्सी की महिमा है, आपको इसकी तो मर्यादा रखनी है। जोशी जी जो बराबर दुतरफा-दुतरफा की बात कर रहे हैं वह तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य के नाते तो आपका कहना ठीक है कि दुतरफा होना चाहिए, लेकिन इस कुर्सी के नाते दुतरफा नहीं हो सकता। इस कुर्सी की गरिमा रखनी है तो इसमें दुतरफा हो ही नहीं सकता। कोई क्वश्चन ही अराइज नहीं होता कि इसमें दुतरफा होगा। उसमें तो इकतरफा ही होगा। इस कुर्सी की मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं मनुष्य हूं। कम्मोशन होता है। जिस भाषा में, जिस कठोरता से मेरे ऊपर चार्ज किया जाता है, स्वाभाविक है कि मैं भी कमोशन में आ सकता हूं। यह आपको भी मानना चाहिए कि मैं कुर्सी नहीं हूं, निर्जीव नहीं हूं, आखिर मनुष्य हूं। इसलिए मनुष्य भी आप नहीं सब तैश में आयेंगे। जोशी जी ने कहा, आपकी आवाज हमसे भी जोरदार है। असल बात यह है कि मुझे जोर से उन सदस्यों के लिए बोलना पड़ता है जो पहले से ही जोर से बोलते हैं। अब मैं यदि उनसे ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा तो उनको समझाऊंगा कैसे ? इसलिए मुझे उनसे ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। लेकिन जो सदस्य जोर से नहीं बोलते उनसे मैं जोर से कभी नहीं बोलता। जो और जोर से

(श्री अध्यक्ष)

बोलते हैं तो फिर उनको दबाने के लिए मैं और भी ज्यादा, जोर से बोलता हूं यह बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन मेरे ऊपर कठिन दायित्व है, जो मुझे अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। देखिये, आप इसे मेरी गर्वोक्ति नहीं समझें लेकिन मैं प्रयास करता हूं आप मेरी स्तुति करें या निन्दा करें मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। मैं यहां बैठकर विंडिक्टिव भी नहीं हूं। देवपुराजी मेरे से मिले थे कि आप इनको मौका क्यों नहीं देते? तो उस समय मैंने उनसे कहा था कि मेरा कोई वो सवाल नहीं है। मैंने इनको, जब भी मौका आया है बराबर मौका दिया है। यह समझकर कि इनको बोलने नहीं देना, ऐसा कोई सवाल नहीं है। यह मेरे मन में किसी माननीय सदस्य के प्रति भावना नहीं है, आज भी नहीं है।

अब चूंकि दोनों पार्टियों के नेता इस बात पर सहमत हैं और हाउस सुचारू रूप से चले इसके लिए मैं भी चाहता हूं, ऐसी स्थिति में श्री रामस्वरूप मीणा का जो निलम्बन है उसको मैं रद्द करने की घोषणा करता हूं। उनको आप यहां ले आयें।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा। आपका सवाल है।

लूणी (जोधपुर) में आर. ई. सी. स्कीम के तहत विद्युतिकरण

120. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) [श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) की ओर से] : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लूणी (जोधपुर) में आर. ई. सी. स्कीम कब स्वीकृत हुई और इसमें अभी तक कितने गांवों का विद्युतिकरण होना शेष है ?

(2) क्या यह सही है कि यह स्कीम मात्र पांच वर्षों के लिए ही बनायी जाती है जबकि 10 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक समस्त गांवों का विद्युतिकरण नहीं किया जा सका है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन गांवों का विद्युतिकरण हुआ है वहां मौके पर कई गांवों में ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाये जा सके हैं ? ऐसे कितने गांव हैं जिनमें विद्युतिकरण किये जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगने तक एक भी घर में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब शेष रहे गांवों का कब तक विद्युतिकरण करने का विचार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके लिए कल तक के लिए समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने जवाब दिया है इसमें।

श्री रामनारायण विश्नोई : जवाब तो दिया हुआ है पर वो... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : हम विस्तार से इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी जवाब दिया हुआ है इसमें, वह तो पढ़ दो। आप जो जवाब दिया हुआ है वह पढ़ दीजिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय को मालूम ही नहीं है जवाब दिया या नहीं दिया। कमाल हो गया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, यह रामसिंह जी वाला प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : हां, रामसिंहजी वाला ही। रामसिंह जी ने लिखकर दिया है कि मेरी ओर से परसादीलाल जी पूछेंगे (व्यवधान) कोई बात नहीं आप पढ़ दीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : (1) पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर में प्रथम ग्रा. वि. नि योजना मार्च, 1979 में स्वीकृत हुई। दूसरी योजना ओ. बी. (कम्पोजिट) वर्ष 1980–81 में एवं तीसरी योजना एस.यू. (रिप्लेसमेंट) वर्ष 1987–88 में स्वीकृत हुई। इन योजना के अन्तर्गत 11 ग्रामों का विद्युतकिरण करना शेष है।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं का कार्यकाल श्रेणी/लक्ष्यानुसार भिन्न-भिन्न रहता है। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में उपलब्ध धन एवं ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आवंटित सीमित वित्त एवं लक्ष्यों के कारण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः प्रायः योजना कार्यकाल से अधिक समय लग जाता है। अधिकांश योजनाओं में राशि की कमी के कारण विलम्ब होता है।

(3) पंचायत समिति लूणी के 6 ग्राम ऐसे हैं जिन्हें विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है परन्तु इनमें ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं। इनमें से 5 ग्रामों में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। ग्रामों की सूची मय आवेदनों की संख्या के प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(4) शेष 11 अविद्युतिकृत गांवों में से 8 ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। शेष 3 ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी 3 वर्षों में योजना मद के लक्ष्यों एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल प्रश्न यह है कि ग्रामीण विद्युतिकरण की योजनाओं में, जो पांच वर्ष के लिए मंजूर की जाती हैं, ग्रामीण विद्युतिकरण की तरफ से धन बोर्ड को दिया जाता है। परन्तु जैसा कि मंत्रीजी ने बताया, एक-एक योजना में पांच वर्ष

(श्री परसादीलाल मीणा)

की बजाय दस-दस साल तक, जैसे 1980 और 1981 की योजनाओं में अब भी 11 गांव शेष हैं और अब भी उन में कनेक्शन्स नहीं दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप गांवों को विद्युतीकृत किस प्रकार मानते हैं, क्या लाईन खींच कर ट्रांसफार्मर रखना मानते हैं या वहां कनेक्शन देना मानते हैं? मेरा निवेदन यह है कि आज गांवों में हालत यह है कि वहां पर लाईनें खींच दी जाती हैं, पांच-पांच साल तक वहां कनेक्शन्स नहीं दिए जाते हैं, एप्लीकेशन्स ले ली जाती हैं। जिस गांव को जिस वर्ष में इलेक्ट्रिफाईड किया जाता है उसी वर्ष में वहां पर बोर्ड की नीति के मुताबिक दो कनेक्शन्स देने का प्रावधान है। क्या मंत्रीजी ऐसा नियम बनायेंगे कि जिस वर्ष में गांव को विद्युतीकृत किया जाये उसी वर्ष में वहां पर कनेक्शन्स दिए जाए? आज हालात यह है कि राजस्थान में हजारों गांव ऐसे पड़े हैं जिनमें विद्युत कनेक्शन पांच-पांच, तीन-तीन साल से नहीं मिल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी बतायें कि राजस्थान में ऐसे कितने गांव शेष हैं जहां पर अब भी विद्युत कनेक्शन्स किसानों को नहीं मिल रहे हैं और बोर्ड ने कागजों में दिखा रखे हैं कि उनको विद्युतीकृत कर दिया गया है। ऐसे गांवों के लिए सरकार ने जो नई नीति बनाई है उसमें भी यह कहा है कि जिन गांवों का इस साल विद्युतीकरण कर रहे हैं या पहले किया, दो-दो कनेक्शन्स हम जारी करेंगे। क्या माननीय मंत्रीजी बोर्ड को यह निर्देश देंगे कि इसी वर्ष, जो भी गांव बचे हैं, वहां कनेक्शन्स देने की कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। एक मिनट, जरा रामेश्वरदयालजी और पूछ लें। देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो सही दीजिए कि जिस गांव में आप नया-नया विद्युतीकरण करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि पांच-पांच साल तक वहां केवल ट्रांसफार्मर पर एक बल्ब लगा रहता है, एक भी कनेक्शन नहीं दिया जाता। **It is a fact.** आप बैठिए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, क्या यह सच है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के तहत आर. ई. सी. वालों से पैसा लिया जाता है, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उन गांवों में उन स्कीम्स के तहत तो कनेक्शन्स दिए जाते हैं और फिर आई. पी. एस., वन पोल, टू पोल में उपभोक्ताओं से अलहदा पैसा आप चार्ज करते हैं? तो यह जो दोहरी नीति है कि सारा पैसा आप ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लेते हैं और उपभोक्ताओं से वन पोल, टू पोल, और आई. पी. एस. में वसूल करते हैं, क्या यह जायज बात है?

श्री अध्यक्ष : माननीय परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, आपने 91-92 के लिए जिलेवार लोकेलिटीज को इलेक्ट्रिफाइड

(श्री परसराम मदेरणा)

करने के लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं, क्या यह सही है कि लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किये हैं, आपने जो गाइड लाइन दी है ऑफिसर्स को, उसमें लोकेलिटीज का नाम लिख दिया है ? क्या यह सही है कि उन लोकेलिटीज में जो नाम लिखा है, जोधपुर जिले के कुल रेवेन्यू विलेजेज और लोकेलिटीज में से कितनी लोकेलिटीज अभी इलेक्ट्रिफाइड हुई हैं और इस साल आपके कार्यक्रम में जो लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड होनी है, 87 की आर. ई सी. स्कीम अभी चल रही है उसमें लूणी क्षेत्र की कितनी लोकेलिटीज है जिनको आप 31 मार्च, 1992 तक इलेक्ट्रिफाइड करने जा रहे हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्रश्न तो लूणी का है, खाली जोधपुर जिले का थोड़े ही है।

श्री रामनारायण विश्नोई : हां, लूणी का ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक परसादीलाल जी के प्रश्न का सवाल है, उन्होंने यह कहा कि ऐसे बहुत से ग्राम हैं जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है परन्तु अभी कोई कनेक्शन उन गांवों में नहीं दिया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि पूर्व में जल्दी के अन्दर घोषणाएं करके यह वाह-वाही लूटी जाती थी कि हमने इतने ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया है और वास्तव में ग्रामों में जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ था। अभी मौजूदा हमने यह निर्णय लिया है कि जिस गांव के अन्दर एक-दो कनेक्शन लगने के बाद काम शुरू हो जायेगा उसी को विद्युतीकृत घोषित करेंगे वरना उस गांव को विद्युतीकृत घोषित नहीं करेंगे। यह हमने निर्णय लिया है।

जहां तक रामेश्वरदयाल जी का सवाल है, उन्होंने यह कहा कि ग्रामीण विकास निगम से पैसा लिया जाता है। वह पैसा लिया जाता है तो उस पैसे को लेकर जो काम किये जाते हैं वह धीरे-धीरे पैसा वहां से वसूल होता है और जिन गांवों के अन्दर पैसा खर्च होता है, आइन्दा दुबारा जब पैसा हो तो दूसरे गांवों के अन्दर भी काम में ले लिया जाता है।

भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य परसरामजी ने, निवेदन किया कि कितनी लोकेलिटीज लूणी के अन्दर बकाया रही हुई हैं। लूणी के अन्दर सिर्फ 6 ग्राम बकाया रहे हैं जो अविद्युतीकृत अभी तक हैं। अभी तक घोषित 6 गांव रहे हैं सिर्फ।

श्री परसराम मदेरणा : कितने ?

श्री रामनारायण विश्नोई : लूणी के अन्दर सिर्फ 6 ग्राम ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आठ गांव, आठ लोकेलिटीज के मैंने जोधपुर में एडीशनल चीफ इंजीनियर के यहां पर नाम देखे हैं और आठों भी लूणी की हैं। क्या बात कर रहे हैं आप ? किसको, क्या बात करने जा रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण विश्नोई : यह लोकेलिटीज....

श्री परसराम मदेरणा : लोकेलिटीज, गांव दिये हुए हैं। आपकी प्रिन्टेड बुक है उसमें लूणी का ही लिखा है। चूंकि मैं चाहता था कि दो और लोकेलिटीज को लिया जाए, उन्होंने कहा कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : आठ बता रहे हैं। आठ बता रहे हैं ना ?

श्री परसराम मदेरणा : आठ है और आठों ही लूणी की हैं और आप कह रहे हैं कि छः हैं।

श्री अध्यक्ष : आप छः बता रहे हैं, वह आठ बता रहे हैं। देख लीजिए, दो गांव कौन से हैं ? छः और आठ का है, आप देख लेना, दो गांव कौन से हैं ?

श्री रामनारायण विश्नोई : हां मान-नीय अध्यक्ष जी, लूणी पंचायत समिति में कुल 105 ग्राम हैं जिनमें से 94 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ...

श्री अध्यक्ष : 94।

श्री रामनारायण विश्नोई : 94 ग्रामों का और जो अभी ...

श्री अध्यक्ष : तो ग्यारह रह गये ना ? हां, ठीक है, तो ग्यारह रह गये।

श्री रामनारायण विश्नोई : आठ ग्राम और शेष हैं, यह स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : हां, ग्यारह रह गये। ठीक है। माननीय श्री अमृतलाल। अब यह मैंने जो नाम लिखे हैं, इतना ही टाइम है।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : इसी प्रकार माननीय मंत्रीजी, मैं पूछना चाहूंगा कि बाली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो गरासिया क्षेत्र हमारा है–नाणा, भीमा, गोहिया ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। बिराजिए।

श्री अमृतलाल परमार : हां, इसी से है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, यह लूणी का है। आप बैठिए। ताराजी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सिरोही जिला पूर्ण विद्युतीकृत घोषित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। यह लूणी से सम्बन्धित है। बिराजिए। श्री प्रकाश चन्द बैरवा। बिराजिए आप, पहले। पहले श्री प्रकाश बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि 89 से पूर्व सरकार द्वारा जिस गांव को भी इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया जाता था उस गांव में दो कुओं के कनेक्शन्स देना अनिवार्य रूप से था ...

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पूरा लूणी से सम्बन्धित है; फिर जवाब नहीं दे पायेंगे, तैयार नहीं है, बैठिए श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी सम्बन्धित तो सवाल पूछ सकते हैं, नीति सम्बन्धी सवाल तो पूछ ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, इस सवाल मे पंचायत समिति लूणी (जोधपुर) में आर. ई. सी. स्कीम कब स्वीकृत हुई और इसमें अभी तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है, क्या यह सही है कि यह स्कीम मात्र पांच वर्ष के लिए बनाई गई, क्या यह सही है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ, मौके पर उन गांवों में, यह इसी से सम्बन्धित है। क्या यह सही है कि लूणी में अब शेष रहे गांवों का कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा। यह सारा लूणी का सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्कोप के अन्दर क्वेश्चन पूछ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आपकी नहीं कह रहा हूं। आपने लूणी का पूछा है। नहीं, पहले इनको पूछने दें आप। आप लूणी का पूछ रहे हैं? नहीं-नहीं पहले इनका नाम हैं। श्री हीरालाल आर्य। लूणी के बारे में है?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : नहीं, मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, लूणी के बारे में है? फिर बिराजिए आप। श्री हरिसिंह, आप बिराजिए, बैठिए-बैठिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि जिन गांवों में ट्रांसफार्मर भी रखे नहीं है और जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया, यह तीन है, तीन नम्बर....

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं तो लूणी के बारे में ही पूछ रही हूं।

श्री हरिसिंह : जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है, क्या अब आप प्राथमिकता के आधार पर वहां ट्रांसफार्मर रखवा कर उन गांवों को असली रूप में वास्तव में कब तक विद्युतीकृत करेंगे?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, ठीक है। माननीय परसरामजी। आप बिराजिए, बिराजिए। लूणी के बारे में....

श्री परसराम मदेरणा : क्वेश्चन दो का जो स्कोप है, लूणी पचायत समिति में जहां आर. ई. सी. स्कीम चल रही है उसमें कितनी लोकेलिटीज अभी तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुई हैं? प्रश्न एक। दूसरी बात, जो आपने सूची दी है वह तो वह लोकेलिटीज हैं जो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं 6 लोकेलिटीज, लेकिन वहां ट्रांसफार्मर नहीं है, यह क्वेश्चन के भाग नम्बर तीन में आता है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि जो आप कह रहे हैं कि छः लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड होना बाकी हैं और इस साल के कार्यक्रम में छः लोकेलिटीज रखी गई हैं, यह आप तथ्यों के प्रतिकूल बात कह रहे हैं। छः लोकेलिटीज जो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं लास्ट में जो लिस्ट दी है आपने उनमें तो ट्रांसफार्मर नहीं हैं, वह कागजों में इलेक्ट्रिफाइड हुई हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आर. ई. स्कीम का पैसा कहां से जाता है और इसके निर्धारित 5 वर्ष के समय को पूरा करने के लिए क्या बाधायें बोर्ड के सामने या सरकार के सामने आती हैं ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जब तक पिछली सरकार ने भी इस लूणी क्षेत्र को विद्युतीकरण से क्यों वंचित रखा है। दूसरा सवाल मेरा यह हैं कि कई महिलायें लूणी क्षेत्र के गांवों की मेरे पास भी आती हैं और यह कहती हैं कि अधिकारी लोग यह कह रहे हैं कि आपके पास फैमिली प्लानिंग का कोई ग्रीनकार्ड हो तो हम जल्दी से जल्दी कनेक्शन्स देने में प्राथमिकता देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने लिए और महिलाओं की बात कह रही हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस लूणी के बारे में यह जानकारी चाहूंगी मंत्री महोदय से कि विद्युतीकरण पिछली सरकार ने और इस सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया। इसके बारे में जानकारी दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा सवाल तो मैं लूणी को जोड़कर पूछ लेता हूं

श्री अध्यक्ष : नहीं। लूणी से सम्बन्धित है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : लूणी से सम्बन्धित ही होगा। जवाब तो एक ही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर माननीय मंत्री जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : लूणी के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए माननीय सदस्य। आप विराजिये, प्रश्न का पहले जवाब आने दीजिए। जिन्होंने सवाल पूछा है उनको सन्तोष हो जाने दीजिए। आप बैठिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री परसराम जी मदेरणा ने फिर यह प्रश्न उठाया है कि लूणी पंचायत समिति के अन्तर्गत कुल कितनी लोकेलिटीज में, अगर लोकेलिटीज से उनका मतलब गांव के अन्दर अलग अलग लोकेलिटीज से है जैसे हरिजन बस्ती वगैरह तो यह प्रश्न में नहीं है। लोकेलिटीज का मतलब यदि गांवों से मानते हैं, तो लूणी पंचायत समिति के 105 ग्रामों में से 64 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है यह मैंने प्रश्न के मेरे जवाब में कह दिया है और 11 ग्राम जो बचे हुए हैं उनमें से 1991-92 की योजना के अन्दर 8 गांवों को प्रस्वावित योजना की स्वीकृति में ले लिया गया है। सिर्फ 3 गांव शेष बचे हैं।

श्री अध्यक्ष : दो सवाल हैं। एक तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के पैसे आते हैं केन्द्र से। वह यह कह रहे हैं कि यह पैसे आप उन गांवों में नहीं लगाते, और लगे भी नहीं हैं तो भी खम्बों के दाम लोगों से लेते हैं। दूसरा यह है कि जिनको गांवों को

(श्री अध्यक्ष)

इलेक्ट्रिफाई कर दिया है उसमें पहले आपके यहां ऐसा था कि मिनिमम 5 कनेक्शन तो देने ही चाहिए। अब वह स्थिति है या नहीं। उसमें ट्रांसफार्मर तो लग जाते हैं लेकिन प्राइवेट हाउसेस में एक भी कनेक्शन वर्षों तक नहीं लगता।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, यह बिलकुल सही बात है। मैंने निवेदन किया कि पहले इस तरह की योजना चल रही थी कि गांवों में लाइन खींच करके विद्युतिकृत घोषित कर दिया जाता था। हमने इस स्थिति को बदलकर यह कर दिया है कि अब जब तक गांवों के अन्दर सही तौर पर कनेक्शन नहीं लगेंगे तब तक गांवों को विद्युतिकृत घोषित नहीं किया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट नहीं की। मैं जानना चाहूंगा कि आपने गांवों में, चाहे कितने ही गांव हों ट्रांसफार्मर दिये, लाइनें खींच दी, जो पिछली गवर्नमेंट थी पिछले दो साल....

श्री अध्यक्ष : अब आपने यह घोषित कर दिये हैं, आप उनको इलेक्ट्रिफाइड घोषित नहीं करोगे लेकिन जहां पिछले घोषित हो चुके हैं उनका क्या होगा ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : आज तक जो गांव विद्युतिकृत घोषित कर दिये गये हैं उसमें सिर्फ पिछली साल से यह नीति बदल दी थी। अब 29–4–91 के बाद फिर यह नीति शुरू कर दी गयी है कि उन गांवों के अन्दर फर्स्ट टू एप्लीकेन्ट्स को कृषि का कनेक्शन दे दिया जायेगा और जहां तक घरेलू कनेक्शन का सवाल है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शुरूआत तो हुई। फिर गांव वाले एप्लीकेशन्स लगा देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया। आई. ई. के पैसों का कहां उपयोग किया जाता है ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक घरेलू कनेक्शन का सवाल है कोई लिमिट नहीं है। जो भी आदमी घरेलू कनेक्शन मांगेगा उसको दिया जायेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दिया जायेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। 6 गांव ऐसे हैं कि जहां ट्रान्सफर ही नहीं रखे गये हैं और उनको विद्युतिकृत घोषित कर दिया गया है। ट्रान्सफार्मर रखे नहीं, कनेक्शन देने वाली तो दूरी बात है। आप कोई निर्धारित समय दे सकते हैं कि कब तक उनमें ट्रान्सफार्मर लगाकर कनेक्शन जारी करवा देंगे ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय, अध्यक्ष जी, हम यहां पर बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि जिन गांवों का विद्युतीकृत आज से पहले घोषित कर दिया था। सरकार ने उन सब गांवों के अंदर जल्दी बिजली कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर से जासोता तथा बिसनपुरा के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन

201 **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) :— क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें जयपुर से ग्राम जासोता तथा बिसनपुरा (दौसा) के लिए संचालित की जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रूट से बसों को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा इसका क्या कारण है ? अब कब तक उक्त रूट पर पुनः बसें संचालित करदी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में स्थानीय जनता द्वारा सम्बन्धित विभाग को भी पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में जयपुर (घाटगेट) से जासोता तथा बिशनपुरा (दौसा) मार्ग पर निगम द्वारा निम्न समयानुसार दो परिचक्र संचालित किये जाते थे :—

(1) जयपुर (घाटगेट) वाया जासोता	बिशनपुरा
1545	1830
(2) बिशनपुरा	दौसा
0600	0730
दौसा	बिशनपुरा
0830	0930
बिशनपुरा	जयपुर (घाटगेट)
1000	1300

(2) जी हां, इस मार्ग पर बस संचालन दिनांक 21-22-90 से बंद किया गया है। जिसका मुख्य कारण मार्ग का कच्चा व उबड़-खाबड़ होना तथा ग्राम जासोता के पास जिस खेत में से वाहन गुजरती थी वहां पह खेत मालिक द्वारा चारों तरफ कच्ची बाउण्ड्री वाल बना देने के कारण बस का निकलना संभव नहीं था। इसके बाद खाडी युद्ध के कारण डीजल संकट को देखते हुये इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब पुनः इस मार्ग का सर्वे किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यदि मार्ग वाहन संचालन योग्य पाया गया तो शीघ्र इस मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(3) जी हां। स्थानीय जनता से प्राप्त पत्र पर वर्षा ऋतु के बाद इस मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।

उदयपुर शहर के आस-पास की बस्तियों व ग्रामों में यातायात सुविधा

202. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) :—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से नाहरमगरा कुराबड़, बम्बौरा, टी. डी.

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जावरमाइन्स जाने वाली बसों में सवारियां निर्धारित संख्या से अधिक जाती हैं और बसों के ऊपर तक बैठी रहती है ? यदि हां, तो बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

(2) उक्त मार्ग पर कितनी बसों को परमिट जारी किये गये हैं ? यात्रियों की बहुलता को देखते हुये अधिक बसों के परमिट जारी करने में क्या कठिनाई है ?

(3) उदयपुर शहर के आसपास की आवासीय बस्तियों के नागरिकों को शहर से आने-जाने हेतु यातायात सुविधा क्या है ? क्या हिरणमगरी, सवीना, प्रतापनगर, बड़ी, भुवाना, गोवर्धन विलास आदि कोलोनियों के लिए शहर में आने-जाने की यातायात सुविधा पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कोलोनियों हेतु सिटी बसों या मिनी बसों के संचालन हेतु वार्षिक परमिट जारी किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो इसके लिए प्रस्ताव कब तक मांगने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में मोटर-यान अधिनियम व इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माह जनवरी, 1991 से अगस्त, 1991 तक इन मार्गों पर क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने के 49 चालान बनाये गये हैं तथा 36,574/रु की राशि बतौर जुर्माने वसूल की गई है।

(2) उक्त मार्गों पर जारी परमिटों की संख्या अग्र प्रकार है :—

1. उदयपुर से नाहरमगरा	19
2. उदयपुर से कुराबड़	29
3. उदयपुर से बम्बोरा	15
4 उदयपुर से टीडी	
5. उदयपुर से जावरमाइन्स	

उदयपुर से टीडी तक के भाग पर उदयपुर-रतनपुर अहमदाबाद राष्ट्रीयकृत मार्ग की बसें संचालित हैं तथा टीडी से जावर माइन्स के लिये 4 परमिट हैं।

यात्रियों की बहुलता को देखते हुए इन मार्गों पर अधिक बसों को परमिट जारी करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मार्ग पर कितने ही परमिट जारी किये जा सकते हैं। अतः किसी व्यक्ति द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर उसे परमिट स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) उदयपुर नगर परिषद सीमा व इसके बाहर के क्षेत्रों के लिये टैम्पो के 97 परमिट जारी हैं। इसके अतिरिक्त नगर परिषद सीमा एवं 20 कि. मी. की परिधि के लिये 1300 ऑटो रिक्शाओं के परमिट भी जारी किए हुए हैं।

हिरणमगरी सवीना, प्रतापनगर, भुवाना, गोवर्धन विलास उदयपुर नगर परिषद सीमा से बाहर हैं। बड़ी के लिये उदयपुर से 4 बसों के अनुज्ञापत्र जारी हैं। प्रतापनगर व भुवाना के लिये क्रमश: 75 व 8 बसों को परमिट जारी किये हुए हैं।

उदयपुर शहर की कॉलोनियों हेतु

(यातायात मंत्री)

सिटी बसों या मिनी बसों के संचालन हेतु परमिट जारी करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है। नये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मिनी बसों या बड़ी बसों के लिये कोई व्यक्ति नियमों के अनुसार आवेदन करता है तो सामान्यतः उसे परमिट स्वीकृत कर दिया जाता है। वर्तमान में मिनी बस या बड़ी बसों के अनुज्ञापत्र हेतु कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ट्यूब्स के क्रय आदेश का निरस्तीकरण

203. **श्री सालिगराम** (बयाना): एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में 45 लाख रुपयों की ट्यूब खरीदने के आदेश हुये थे और उन आदेशों को सात दिवस में ही निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाडी बिल्डिंग में पिछले तीन वर्षों में कितनी पैनल्टी लगाई गई, क्या किसी की पैनल्टी माफ भी की गई ? यदि हां, तो विवरण मय कारणों के, सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि झुंझुनू व सीकर बस स्टैण्ड्स की बिल्डिंग निर्माण के भुगतान में मुख्य अभियन्ता द्वारा लोरिया जी जो निगम के सदस्य भी थे, उनके बार-बार रोक लगाने के बाद भी :0 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया गया ? यदि हां, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, यह इस अंश तक सही है कि क्रय मण्डल के निर्णय दिनांक 17-8-89 के अनुसार मैं. अग्रवाल रबड़ प्रा. लि. हैदराबाद को 10, 100 नम्बर ट्यूब क्रय करने के आदेश दिनांक 4-7-89 को दिये गये जिसका मूल्य (कर इत्यादि अलग करते हुये) 26, 26,000/-रुपये था। तदुपरान्त दिनांक 12-7-89 को क्रय मण्डल द्वारा ही उक्त आदेश निरस्त करने का निर्णय लिया। जिस प्रसंग में आदेश क्रमांक 2583 दिनांक 12-7-89 द्वारा उक्त आदेश निरस्त किये गये।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। किसी भी बस बाडी निर्माता को लगाई गई पैनल्टी की राशि गत तीन वर्षों में माफ नहीं की गई है।

(3) जी नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि सीकर बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु निगम मण्डल ने निर्णय संख्या 12/85 दिनांक 23-1-85 के द्वारा 19.50 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी थी। इस निर्णय के तहत बिल्डिंग कार्य के टेण्डर आमंत्रित कर श्री सुभाष चन्द्र, ठेकेदार को 14.70 लाख रुपये के कार्यादेश दिनांक 20-7-85 को जारी किये

(यातायात मंत्री)

गये । इस कार्य में ठेकेदार को 2.66 लाख रुपये अधिक भुगतान हुआ । इस प्रकरण में श्री ओ. पी. पुरोहित, अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निगम द्वारा पत्र क्रमांक 163 दिनांक 18–3–88 द्वारा राज्य सरकार को प्रारम्भ दोषारोपण पत्र भेजा गया। शासन उप सचिव, सा. नि. वि. ने अपने पत्र संख्या 158 दिनांक 13–8–91 द्वारा श्री पुरोहित के निमित्त निर्धारित प्रपत्र में प्रारम्भ दोषारोपण पत्र भेजने का प्रसंग किया जो पुनः राज्य शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है । इस प्रसंग में कतिपय वांछित सूचना और प्रेषित की जा रही है ।

झुंझुनू बस स्टैण्ड के कार्य पर कोई भी अधिक भुगतान नहीं हुआ है न ही श्री पी. के. लोरिया, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई टिप्पणी ही दी गई है । (सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राज्य पथ-परिवहन निगम की बसों के चैकिंग अधिकार

204. **श्री सांवरलाल** (मिनाय) :

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ–परिवहन निगम की या उसके द्वारा संचालित बसों की चैकिंग के अधिकार किन-किन को है ? आदेश की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या निगम की बसों के लिए उक्त अधिकार जन-प्रतिनिधियों को भी दिये हुए हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्या पूर्व में ऐसे अधिकार दिये हुए थे तथा अधिकार वापिस लेने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की चैकिंग के अधिकार निम्न श्रेणी के अधिकारियों को प्रदत्त हैं :—

1. अड्डा परिचालक ।

2. सहायक यातायात निरीक्षक/स्थान प्रभारी ।

3. यातायात निरीक्षक/सहायक आगार प्रबन्धक ।

4. आगार प्रबन्धक

5. सहायक संभाग प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक ।

6. संभाग प्रबंधक ।

7 उप महा प्रबन्धक ।

8. महा प्रबन्धक ।

9. सुरक्षा अधिकारी ।

10. सतर्कता अधिकारी ।

11 उप निरीक्षक (सुरक्षा) ।

इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रतियाँ सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जयपुर–अलवर मार्ग पर राज्य पथ–परिवहन निगम द्वारा संचालित डीलक्स बस

205. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से अलवर एवं अलवर से जयपुर निगम की डीलक्स बस चलती थी ? यदि हां, तो कब-कब तथा यह बस बन्द क्यों कर दी गई ?

(2) क्या निगम अब यह बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर से अलवर एवं अलवर से जयपुर मार्ग पर निगम द्वारा माह जुलाई, 86 से सितम्बर, 89 तक सुविधा वाहन सेवा संचालित की गई थी।

इस अवधि में इस बस को औसतन 48 प्रतिशत यात्री भार एवं 3.72 रुपये आय प्रति कि. मी. ही प्राप्त हुई थी। अतः संचालन लगातार अनार्थिक रहने के कारण इस सेवा को बन्द करना पड़ा।

(2) जी, निगम द्वारा दिनांक 12-7-91 से इस मार्ग पर पुनः सेमी-डीलक्स सेवा के रूप में एक सुविधा वाहन का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया।

वाहनों पर लाल लाइट लगाने के नियम

206. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या वाहनों में लाल लाइट लगाई जाने सम्बन्धी नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों या जन प्रतिनिधियों को वाहनों पर लाल लाइट लगाने का अधिकार प्राप्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने वाहनों पर अनियमित रूप से लाल लाइटें लगी हुई हैं ? क्या राज्य सरकार ऐसे वाहनों से अनधिकृत लाल लाइटें हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) अब तक सरकारी खर्चे पर कितने वाहनों में लाल लाइटें लगाई गई हैं ? क्या अनियमित लगाई गई लाल लाइटों ने आये खर्चे को राजकोष में वापिस जमा करवाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना क्रमांक प. 13(14) परिवहन/90 दिनांक

(यातायात मंत्री)

28–5–90 जारी की हुई जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जिन वाहनों में अनाधिकृत रूप से लाल लाइटें लगी हुई हैं उनकी संख्या बताया जाना संभव नहीं है तथापि जिन वाहनों में अनाधिकृत रूप से लाल लाइटें लगी हुई पाई जाती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प. 22(84) सा. प्र./1/85 दिनांक 13/3/90 द्वारा समस्त राजकीय वाहनों पर से लगी अनियमित लाल लाइटों को हटाने के निर्देश जारी किये हैं।

(3) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है एवं अनियमित रूप से लगी हुई लाल लाइटें हटवाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिएं कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

आवासन मण्डल उदयपुर द्वारा निर्मित भवन

207. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं मंत्री आवासन यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर नगर में राजस्थान आवासन मण्डल ने कुल कितने मकान अब तक निर्मित कर आवंटियों की को आवंटित किये हैं ? आवंटियों सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों के पंजीकरण के समय अदेय-प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में जनता की कठिनाइयां हो रही है ? अप्रेल, 1990 से अद्यतन कुल कितने प्रार्थना-पत्र उदयपुर आवासन मण्डल को प्राप्त हुये और उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण विभाग द्वारा किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर-प्रतापनगर योजना में सिन्धी समुदाय के अल्प वेतन भोगी एवं गरीब व्यक्तियों के लिए मकान निर्मित करने जा रहा है ? यदि हां, तो कितने मकान तथा कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर नगर में कुल निर्मित किये गये मकान जो आवंटियों को आवंटित कर दिये गये हैं। जिसकी सूची स्कीम वाइज परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) आवंटी द्वारा जमा राशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर उसकी जमा राशि का मंडल द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् अदेय-प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। अप्रेल 90, से अब तक उदयपुर मण्डल कार्यालय में 443 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनमें से 125 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विभाग द्वारा किया जा चुका है। शेष 318 प्रार्थना-पत्रों में से 101 आवेदकों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई एवं 217 आवंटियों ने प्रार्थना पत्रों के साथ चाहा गया जमा राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण उन्हें अदेय-प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा

(आवासन मंत्री)

सके। सूची परिशिष्ट क्रमशः "ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर प्रतापनगर योजना में सिंधी समुदाय के अल्प वेतन एवं गरीब व्यक्तियों के लिए अवाप्त भूमि पर 83 फ्लैट निर्मित किये जाने हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले की पेयजल योजनाएं

208. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

पाली जिला में नई पेयजल योजनाएं कौन-कौन सी स्वीकृत की गई? उक्त योजनाओं की क्रियान्वित कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

पाली जिले हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कुल 61 नई ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिनकी सूची संलग्न है। इन योजनाओं की क्रियान्विति चालू वित्तीय वर्ष में लक्षित है जो उपलब्ध राशि के अनुसार संभव होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

गांव 45 एल.एल. डब्ल्यू. (श्रीगंगानगर) में जल प्रदाय योजना

209. **श्री रामस्वरूप** (रायसिंहनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर, तहसील दमपुर के गांव 45 एल. एल. डब्ल्यू. में जल प्रदाय योजना (वारबक्स) तैयार करके गांव में पानी की सप्लाई चालू कर दी गई है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गांव मेंजूबास नरसिंहपुरा में जल प्रदाय योजना (वारबाक्स) को पानी देने वाली चैनल (खाला) को सम्पूर्ण बना दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गांव शिवपुरी तहसील श्री विजय नगर में बनी जल प्रदाय योजना का काम पूरा करके पानी की सप्लाई वाटर वर्क्स द्वारा चालू कर दी है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि चक आई. एन. जेड. एम. ए. तहसील विजय नगर में बनी जल प्रदाय योजना को संपूर्ण बना कर गांव में सप्लाई का कार्य चालू कर दिया है? यदि हां, तो कब से अगर नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर की जल प्रदाय योजना वर्ष 1965 में बनी थी उस समय रायसिंहनगर की जनसंख्या लगभग 8–10 हजार थी लेकिन वर्तमान में रायसिंहनगर की जनसंख्या लगभग 30–35 हजार हो चुकी है?

(श्री रामस्वरूप)

(6) क्या जनहित को देखते हुए वर्तमान सरकार एक और दूसरी जल प्रदाय योजना बनाने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम गोगामेडी तहसील विजय नगर में जल योजना को गांव शिवपुरी जलदाय योजना से पी. बी सी. द्वारा जोड़ा गया था ? यदि नहीं, जोड़ा, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जितनी भी जलदाय योजनाएं स्वीकृत की गई थीं वे योजनाएं पूरी की जाकर ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा चालू हो चुकी है यदि हां, तो कौन-कौन सी ? अगर नहीं, तो कौन-कौन सी बाकी है और सरकार स्वीकृत जल योजनाओं को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

(9) क्या यह सही है कि ग्राम अमरसर वारानी (रामजीवाला) रायसिहनगर की जल प्रदाय योजना चालू हो चुकी है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(10) क्या यह सही है कि ग्राम अमर सर वारानी (रामजीवाला) रायसिंह नगर की जल योजना में घटिया सामग्री लगाने कारण ग्राम-वासियों द्वारा पी एस. थाना रायसिंह नगर में मुकदमा भी दर्ज हुआ था ? क्या जल योजना में घटिया सामग्री लगाने वाले ठेकेदारों की तुरन्त जांच करने का व उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

उत्तर

1. सदर्भित ग्राम में अगस्त 1991 से आंशिक वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

2. ग्राम में जाबाम नरसिंहपुरा में पानी देने वाली चैनल को अप्रेल, 1991 में पूरा बना दिया गया था ।

3. योजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं परन्तु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से आउटलैट नहीं मिलने के कारण योजना चालू नहीं हो सकी है आउटलैट प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

4. जी हां । योजना जुलाई, 1990 से चालू है ।

5. जी हां । रायसिंहनगर की जलप्रदाय योजना वर्ष 1965 में बनी थी । उस समय रायसिंहनगर की जनसंख्या 10,000 थी तथा वर्तमान में यह लगभग 30,000 है ।

6. नगर की पेयजल मात्रा 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक होने के कारण संवर्धन योजना विचाराधीन नहीं है ।

7. ग्राम गोगामेडी को शिवपुरी से जोड़ा जा चुका हैं ।

8. स्वीकृत, संधारित एवं प्रगतिरत योजनाओं की सूचियां संलग्न है । योजनाओं को धन उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

9. संदर्भित योजना अप्रैल, 1989 में चालू कर दी गई थी परन्तु वर्तमान में इनलेट चैनल में आंधी के कारण रेत भरने

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

से जल प्रदाय योजना अगस्त, 90 से बन्द है। इसे पुनः चालू किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

10. थाना प्रभारी रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है, जिसके प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

मकराना नगरपालिका की आय

210 **श्री बिरदाराम चौधरी** (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले को मकराना नगरपालिका में वर्ष 1988 से अगस्त, 1991 तक कितनी आय चुंगी से, कितनी राज्य सरकार के अनुदान से एवं कितनी अन्य स्त्रोतों से हुई?

(2) उक्त नगरपालिका ने वर्ष 1988 से 31 अगस्त, 1991 तक किस-किस बोर्ड में क्या-क्या एवं कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य करवाये? विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्ष 1988 से अगस्त, 1991 तक नगरपालिका द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की गई?

(3) क्या नगरपालिका मकराना को आय का सही उपयोग नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) मकराना नगरपालिका में वर्ष 1988 से अगस्त, 1991 तक चुंगी से, राज्य सरकार के अनुदान से एवं अन्य स्त्रोतों से निम्नानुसार आय हुई।

1. चुंगी कर से 92,95,655.12

2. राज्य सरकार के अनुदान से 33,93,670.25

3. अन्य स्त्रोतों से 26,60,495.57

(2) नगरपालिका मकराना द्वारा वर्ष 1988 से 31 अगस्त, 1991 तक वार्ड वार कराये गये निर्माण कार्य तथा उन पर व्यय की गई राशि का विवरण (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्ष 1988 से अगस्त, 1991 तक जिस-जिस मद में जितनी राशि व्यय की गई उसका विवरण (परिशिष्ट "ख") संलग्न हैं।

(3) विभाग में इससे सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जयपुर विकास प्राधिकरण में जन प्रतिनिधियों का मनोनयन

211. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण में फेर-बदल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर संसद सदस्य, विधायकों, जिला प्रमुख व पंचायत प्रधानों को इसकी सदस्यता से हटा कर केवल सांसद तथा 5 स्थानीय विधायक सदस्यों को ही मनोनीत करने का प्रावधान किया था ?

(2) क्या नये प्रावधान के अनुसार प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण में उक्त स्तर के जन-प्रतिनिधियों को रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले सात से अधिक नहीं गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है।

(2) नये प्रावधान के अनुसार गठन है। केवल गैर सरकारी सात सदस्यों की नियुक्ति विचाराधीन है।

(3) प्राधिकरण में जन प्रतिनिधियों के रखने का वर्तमान अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

पाली नगर परिषद सीमा में अवैध निर्माण कार्य

212. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में पाली नगर परिषद् की सीमा में लगभग एक हजार मकानों और पांच सौ बालकनियों का अवैध निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चुंगी दर अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार नगर परिषद् पाली के अध्यक्ष को है ? यदि हां, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की किस धारा के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो नगर परिषद् अध्यक्ष द्वारा किए गए संशोधनों के विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली द्वारा दो वर्ष पूर्व स्वीकृत किए गए निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं कराए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार परिषद् द्वारा दो वर्ष पूर्व स्वीकृत किये निर्माण कार्यों को आरम्भ करवाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 292 के अन्तर्गत नगर परिषद् पाली को आदेश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद्, पाली की सीमा में 32 मामलें बगैर इजाजत निर्माण के तथा पाँच अवैध बालकनियों का निर्माण हुआ है। इनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1990 में जब भी अवैध निर्माण हुए हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चुंगी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है। नगरपरिषद् पाली के अध्यक्ष को ऐसे संशोधन का अधिकार नहीं है और न ही उन्होंने अपनी ओर से कोई संशोधन किया है।

(4) परिषद् की बैठक दिनांक 8–6–89 में स्वीकृत 249 कार्यों में आवश्यकता एवं बजट प्रावधानानुसार 200 कार्यों को पूर्ण करवा दिया गया है। शेष स्वीकृत कार्य भी शीघ्र चालू करा दिये जावेंगे।

(5) प्रश्न के भाग 4 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

मालवीय नगर (जयपुर) में सड़क निर्माण कार्य

213. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के मालवीय नगर के आवासीय सैक्टर 1 से 3 की मुख्य तथा कालोनियों की अन्दर की सड़कों का निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों का कार्य सम्पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि तेज गति से बढ़ते यातायात एवं जनसंख्या दबाव के कारण-सम्पूर्ण सड़कें मिट्टी में दब गई हैं तथा बहुत ज्यादा क्षति ग्रस्त हो गई हैं जिसके कारण पैदल चलना भी दूभर हो गया है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उपरोक्त वर्णित आवासीय कालोनी की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ माह पूर्व मालवीय नगर के सैक्टर ए बी तथा सी. में सड़कों की मरम्मत करवाई गई थी लेकिन आवासीय कालोनियों की जर्जर सड़कों की मरम्मत न किये जाने तथा एक ही नगर (कालोनी) में कार्य करने से जनता में आक्रोष पैदा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि मालवीय नगर की सड़कों की दुर्दशा के सन्दर्भ में मालवीय नगर जन सेवा समिति ने मंत्री महोदय का ध्यान ज्वलन्त समस्याओं की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ग्रोर ग्रार्कषित किया था तथा मंत्री महोमहोदय ने ग्रर्द्ध शासकीय पत्रांक/377/म./स्वा. शा. /91 दिनांक 12-4-91 के द्वारा उक्त पत्र को सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को ग्रावश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु भिजवाया था ? यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा ग्रादेशों पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो सड़कों की मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(2) वर्षा के समय सड़कों पर जो मिट्टी ग्राती है उसको समय-समय पर नगर परिषद् ग्रपने साधनों से हटवाती रहती है ।

(3) नगर परिषद् द्वारा 2 लाख 3 हजार रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किये जा चुके हैं । नगर परिषद् ग्रानुपातिक रूप से सड़कों के रख-रखाव पर व्यय करती है । भविष्य में भी ग्रानुपातिक रूप से इस क्षेत्र में नगर परिषद् द्वारा मरम्मत ग्रादि पर व्यय कर दिया जावेगा ।

(4) जनता की किसी प्रकार की ग्राक्रोश की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(5) जी हां । नगर परिषद् वित्तीय स्थिति के ग्रनुसार इसे सुधारने की व्यवस्था करेगी ।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विकास शुल्क दर

214. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास एवं ग्रावासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों द्वारा लिये जाने वाले विकास शुल्क को 45 रुपये प्रति गज से 25 रुपये प्रति गज करने का वायदा राज्य सरकार द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य में ग्रावासीय सहकारी समितियों द्वारा ग्रावंटित भू-खण्डों के मामलों में कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में ग्रब तक लिये गये निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया । यह बिन्दु राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

वन विहार, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर में प्रकरणों के समाधानार्थ शिविर की मांग

215. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या नगरीय विकास एवं ग्रावासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि वन विहार हाउसिंग बोर्ड योजना, जयपुर में आवंटित अधिकांश फ्लैट्सधारी विगत कई वर्षों से फ्लैट्स की किस्तें समय पर जमा नहीं करवा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किश्तें समय पर जमा नहीं करवाने के कारण लगभग सभी आवंटियों पर काफी ब्याज तथा पैनल्टी देय हो गई है ?

(3) वे आवंटी जो उन पर बकाया ब्याज तथा पैनल्टी चुकाना चाहते हैं तथा उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज व पैनल्टी की राशि की गणना करवाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए क्या राज्य सरकार कोई शिविर वन विहार योजना में लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस योजना में अब भी कुछ फ्लैट्स आवंटित किये जाने शेष हैं ? यदि हां, तो किस-किस वर्ग के तथा किस संख्या के ?

(5) इस योजना में कौन-कौन से फ्लैट्स पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है ? सूची फ्लैट्स की संख्या और कब्जाधारी का नाम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) कैम्प लगाया जाने पर विचार किया जा रहा है।

(4) जी हां, आवंटित किये जाने वाले फ्लेटों का वर्गानुसार विवरण निम्नानुसार हैं। फ्लेटों की संख्या की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

वर्ग	संख्या
ई डब्ल्यू. एस.	57
अल्प आय वर्ग	9

(5) इस योजना के जिन फ्लेटों पर कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में स्प्रिट युक्त औषधियों का निर्माण

216. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही नहीं है कि 20 डिग्री प्रूफ से अधिक स्प्रिट युक्त औषधियों के निर्माण के लिये नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो राजस्थान की फार्मेसीज को किस कारण से इस प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिये प्रतिबन्धित कर दिया गया ?

(2) क्या सरकार इन प्रतिबन्धों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? आई

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

एस. पी. नियमों के तहत कितने मेडिकल स्टोर्स को अब तक लाइसेन्स जारी किये गये हैं तथा कितने लाइसेन्स जारी नहीं किए गए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि आई. एस. पी. नियमों के तहत आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट टाइम बार्ड हो गये हैं ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? बिना किसी कारण/आपत्ति के इन आवेदनों को पेंडिंग रखने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के बाहर से आयातित 20 डिग्री प्रूफ से अधिक औषधियों का विक्रय आई. एस. पी. नियम के तहत प्रदेश में हो रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश में स्थित फार्मेसीज को 20 डिग्री प्रूफ औषधि निर्माण एवं विक्रय के लिए बेन किए जाने का क्या औचित्य है ? नियमों सहित तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 3 के अन्तर्गत 20 डिग्री प्रूफ स्प्रिट से अधिक की औषधी को मदिरा (लिकर) के रूप में घोषित किया गया है। इसी आधार पर राजस्थान में फार्मेसीज पर 20 डिग्री प्रूफ से अधिक स्प्रिट युक्त औषधी के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

(2) जी नहीं। 20 डिग्री प्रूफ से अधिक एल्कोहल युक्त केवल ऐसी औषधियों के निर्माण पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है जो सीधे ही उपभोग के लिये बेची जाती है। जो औषधियां अन्य औषधियों के निर्माण में रॉ-मैटेरियल (raw material) अथवा प्रिजेंवटिव (presevative) के रूप में काम आती है और जो औषधी निर्माताओं को डिग्री प्रूफ से अधिक एल्कोहल युक्त औषधियों को शराब के विकल्प के रूप में उपभोग की जा सकती है जिसके फलस्वरूप जन सामान्य के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा एवं ऐसी औषधियां दुर्घटना का कारण बन सकती है। राजस्थान मादक स्प्रिट युक्त निर्मितियां आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा विक्रय नियम 1989 (आई. एस पी रूल्स) के अन्तर्गत कुल 33 अनुज्ञा पत्र मेडिकल स्टोर्स को जारी किये गये। 9 आवेदन पत्रों पर अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये गये।

(3) जी हां। कुल 4 बैंक ड्राफ्ट टाइम बार्ड हुए (तीन जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर तथा एक जिला आबकारी अधिकारी, कोटा के कार्यालय में टाईम बार्ड हुए) जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने व 20 डिग्री प्रूफ से अधिक एल्कोहल युक्त औषधियों का मदिरा के रूप में विक्रय करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये गये। कोटा जिला आबकारी अधिकारी को प्राप्त एक आवेदन पत्र पर सम्बन्धित आवेदक के विरुद्ध पहले से ही अभियोग न्यायालय में लंबमान था तथा यह अभियोग न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उसके नाम पर अनुज्ञापत्र

(आबकारी मंत्री)

जारी नहीं किया गया। इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

(4) जी नहीं। राज्य में 20 डिग्री प्रूफ से अधिक एल्कोहल युक्त औषधियों के व्यापार को नियंत्रित करने हेतु राजस्थान मादक स्प्रिट युक्त निर्मित्तियां आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा एवं विक्रय नियम 1989 (आई. एस. पी. रूल्स) लागू किये गये तथा 2 डिग्री प्रूफ से अधिक स्प्रिट युक्त औषधियों व निर्मित्तियों को शराब के रूप में घोषित किया गया था। इन नियमों के अधीन 20 डिग्री प्रूफ से अधिक एल्कोहल युक्त औषधियों के आयात एवं विक्रय के लिये परमिट ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा जारी किये गये लाइसेन्स के आधार पर जारी किये जाते रहे है। 20 डिग्री से अधिक एल्कोहल युक्त केवल ऐसी औषधियों के निर्माण के लिये ही प्रतिबन्ध है जो सीधे उपभोग में लाई जाती है। रा-मैटेरियल (raw material) एवं प्रिजर्वेटिव (presevrative) के रूप में काम आने वाली औषधियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आंशिक प्रतिबन्ध केवल दुरुपयोग व दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिये किया गया है।

निदेशक, आयुर्वेद की राय अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों में सेल्फ जेनरेशन प्रक्रिया द्वारा केवल 11–12 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल नहीं होती है। औषधी निर्माता फार्मेसी औषधियों में यदि एल्कोहल की मात्रा 20% से अधिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक औषधियों के शराब के विकल्प के रूप में दुरुपयोग होता है। जिससे राजस्व आय की क्षति के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुये ही आबकारी विभाग द्वारा उपरोक्त प्रतिबन्ध लगाये गये तथा इसके लिये औषधियों एवं प्रसाधन निर्मितिया (आबकारी शुल्क) नियम, 1956 के नियम 142 के प्रावधान अनुसार आबकारी आयुक्त सक्षम है।

शराब व बीयर बार हेतु लाइसेन्स नियम

217. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में शराब व बीयर के कितने लाइसेंस शुदा बार है ?

(2) क्या सरकार नये बार के लाइसेंस के नियमों में परिवर्तन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) वर्तमान में बार का लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य में शराब व बीयर के कुल लाइसेंस शुदा 56 बार है, जिनकी सूची संलग्न है। (अनुलग्नक "क")

(2) जी हां, राज्य सरकार नये बार के अनुज्ञापत्र बाबत नियमों में परिवर्तन

(आबकारी मंत्री)

कर रही है जिसके अनुसार राज्य के किसी भी रेस्टोरेन्ट जिसका वार्षिक टर्नओवर रुपये 50 लाख या इससे अधिक है, को बीयर बार हेतु लाइसेंस दिया जा सकता है। नए नियमों के प्रारूप आबकारी आयुक्त, उदयपुर से प्राप्त होते ही राज्य सरकार इसे अन्तिम रूप देकर आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी।

(3) वर्तमान में होटल बार के अनुज्ञा-पत्र राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल/क्लब बार लाइसेंस) नियम 1973 के नियम 3 के उपबन्धों के आधार पर दिये जाते हैं। ऐसी होटल जो दो सितारा की श्रेणी का हो (या जो होटल दो सितारा के समकक्ष सुविधाए नहीं रखती हो उसे राज्य सरकार के निर्देश पर) अथवा पर्यटन विभाग द्वारा उस होटल को ऐसी मान्यता हो तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो तो ऐसे आवेदक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुज्ञा-शुल्क जमा करा प्रार्थना करने पर बार अनुज्ञापत्र दिये जा सकते हैं। संबंधित नियम की प्रतिलिपि संलग्न है। (अनुलग्नक "ख")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर में नकली कीटनाशक दवाइयों का बेचान

218. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान उप निदेशक, कृषि (विस्तार), सीकर द्वारा नकली डी. ए. पी. कीटनाशक दवाइयां विशेष रूप से किलपेस्ट की एल्ड्रीन प्राइवेट डीलरों से बिकवाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त अधिकारी को सीकर से हटाकर उक्त मामले की जांच कमेटी नियुक्त कर उसके विरुद्ध जाँच करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले कृषि आदान प्रदान कार्यक्रम में सीकर तहसील के किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति, पलसाना, तहसील दातारामगढ़ के माल लेने के लिए बाध्य किया गया, जबकि क्रय विक्रय सहकारी समिति, सीकर के पास किसानों के लिए माल उपलब्ध था। यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की अविलम्ब जांच करवाकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी समिति बेगूं की वार्षिक आय

219. **श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मंडी समिति, बेगूं की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक आय प्रतिवर्ष

(श्री चुन्नी लाल धाकड़)

क्या रही है और उसे कहां-कहां खर्च किया गया ?

(2) क्या मंडी से आस-पास के गांवों को जोड़ने के लिए कोई राशि खर्च की गई ? यदि हां, तो कहाँ-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? किन-किन सड़कों के निमाण की योजना विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, बेंगू की पिछले तीन वर्ष की वार्षिक आय निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आय (लाखों में)
1988-89	5.99
1989-90	8.77
1990-91	9.34

मण्डी समिति की आय की राशि संस्थापन कार्यालय व्यय, परियोजना ऋण की मूल किश्त एवं ब्याज की राशि चुकाने पर खर्च किया गया ।

(2) जी हां । सम्पर्क सड़क अवलहेरा से ठुकराई (वर्ष 1979-80) एवं बेगूं से मेघपुरा (वर्ष 1983-84) पर राशि खर्च की गई । मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण सड़कों के निमार्ण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

राज्य में कृषि उपज मंडी समितियों की स्थापना के मानदण्ड

220 **श्री दिलसुखराय चोधरी** (फतेहपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है की राज्य में कृषि उपज मण्डियों की स्थापना बडे-बड़े शहरों को ही इकाई मानकर की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर पृथक्-पृथक् कृषि उपज मण्डी समितियों की स्थापना कर किसानों को अपने ही क्षेत्र के विकास में भागीदार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पिछली सरकार में तत्कालीन कृषि उत्पादन सचिव राजस्थान सरकार ने मुख्य मण्डी प्रांगणों में सहकारी बाजार का निर्माण करवाकर किसानों को उनकी आवश्यक वस्तुएं वहीं पर उपलब्ध कराने की योजना सरकार को पेश की थी ? यदि हां, तो आज तक उसको लागू क्यों नहीं किया गया था अब कब तक लागू कर दिया जावेगा ।

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मण्डी प्रांगण, सीकर के पूर्व व पश्चिम के दरवाजों के बीच में मुख्य सड़क पर विशाल भूमि है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का आवश्यक वस्तुएं बीज, खाद, कृषि यन्त्र, कपड़ा इत्यादि उक्त स्थान पर सड़क की तरफ खुलती हुई दुकानें बना कर किसानों

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

को वहीं सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पृथक से कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित क्षेत्र से मण्डी शुल्क से 4 लाख रुपये की वार्षिक आय का मापदण्ड निर्धारित है। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप आय होने पर ही तहसील मुख्यालयों पर कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करना सम्भव होगा।

(2) जी हाँ। मण्डियों में सरकारी बाजार के निर्माण की योजना का सुझाव आया था। नया बाजार निर्माण करने के स्थान पर जहां दुकानें उपलब्ध थी वहां मांग के अनुसार सहकारी संस्थाओं को दुकानें आवंटन की गई।

(3) जी नहीं। वरिष्ठ नगर नियोजक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा तैयार किये गये मण्डी परियोजनों के प्लान के अनुसार चार दीवारी के पास खाली जगह हैं जिसका उपयोग प्लान के अनुसार ही भविष्य में कृषि मण्डी के विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के लिये किया जाना है।

जिला स्तर पर मंडी कोष का निर्माण

221. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला स्तरीय मण्डी कोष निर्माण की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या जिला स्तरीय मंडी कोष की स्थापना कर दी गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) जिला स्तरीय मंडी कोष की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। परीक्षण पूरा होते ही इस बारे में कार्यवाही कर ली जावेगी।

भरतपुर जिले में नवीन सड़कों के निर्माण कार्य

222. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कितनी नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति कितने कितने लागत की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है और उन पर निर्माण कार्य किस स्तर पर है ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर जिले में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कृषि उपज मंडीयों द्वारा निर्माण हेतु कौन-कौनसी सड़कें कितने-कितने लागत व्यय की स्वीकृति की गई है ? यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य किस स्तर पर है ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खंड-प्रथम भरतपुर के अधीन वर्ष 1990-91 में 11 नवीन सड़कें राशि 45.20 लाख की एवं वर्ष 1991-92 में 12 नवीन सड़कें राशि 77.25 लाख की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

भरतपुर खण्ड-प्रथम के अधीन वर्ष 1990-91 व 1991-92 में विधान सभा-वार नवीन सड़कों की स्थिति इस प्रकार है :—

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत सड़कें	लागत राशि लाखों में
1.	भरतपुर विधान सभा क्षेत्र	90-91	3	18.00
2.	बेर विधान सभा क्षेत्र	90-91	1	4.00
3.	रूपवास विधान सभा क्षेत्र	90-91	6	14.20
4.	बयाना विधान सभा क्षेत्र	90-91	1	9.00
5.	नदबई विधान सभा क्षेत्र	90-91	निल	निल
	1991–92			
1	भरतपुर विधान सभा क्षेत्र	91-92	3	24.00
2.	बेर विधान सभा क्षेत्र	91-92	निल	निल
3.	रूपवास विधान सभा क्षेत्र	91-92	4	12.25
4	बयाना विधान सभा क्षेत्र	91-92	3	37.00
5.	नदबई विधान सभा क्षेत्र	91-92	2	4.00

(2) भरतपुर जिले में 1990-91 व 1991-92 में कृषि उपज मण्डी समितियों में निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कें उनका लागत व्यय एवं निर्माण कार्य की स्थिति से संम्बंधित विधान सभा वार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी द्वारा निर्माण कार्य का ठेका

223. (1) **श्री मोती लाल मीणा** (सवाईमाधोपुर) **:**

एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) **:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

42

(श्री रामनारायण वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि श्री अब्दुल रहमान, ठेकेदार से कृषि उपज मण्डी समिति बून्दी में निर्माण कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि का ?

(2) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा अमानत बतौर दिनांक 19-1-74 को रसीद संख्या 638 से रुपये 1200/– तथा दिनांक 2–4–1976 के लगभग रसीद क्रमांक 7840 से 1500/– ठेकेदारी के रजिस्ट्रेशन हेतु जमा करवाये गये थे ? क्या उक्त राशि वापिस लौटाई जाने हेतु ठेकेदार द्वारा दिनांक 6–7–1985 एवं इसके पूर्व भी कई बार सचिव, कृषि उपज मंत्री समिति, बून्दी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये थे ?

(3) क्या यह सही है कि सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी द्वारा दिनांक 17–3–1978 को पत्र संख्या 2826 के जरिये अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को ठेकेदार की राशि रु 1500/- लौटाने हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो 13 वर्ष तक भी राशि नहीं लौटाने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु बनाये गये बिलों में से 10 प्रतिशत के लगभग राशि की कटौतियां की गई ? यदि हां, तो सभी बिलों में से कुल कितनी राशि रोकी गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) श्री अब्दुल रहमान द्वारा उपरोक्त प्रकार से जमा करवाई गई राशि में से एवं निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु बनाये गये बिल में से रोकी गई राशि आदि मिलाकर कुल कितनी रकम कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी एवं विभाग की तरफ बकाया निकलती है ?

(6) क्या उक्त ठेकेदार को उपरोक्त वर्णित एवं उसे वापिस मिलने योग्य राशि का भुगतान किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1974–79 तक कुल 0.73 लाख का निर्माण कार्य कराया गया।

(2) जी हां। ठेकेदार को दिनांक 25-3–74 एवं 17–4–74 को अमानत राशि का क्रमशः 900/- एवं 300/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(3) जी हां। मण्डी समिति द्वारा ठेकेदार से वसूल योग्य पानी आदि की राशि का समायोजन किया जाना था। अतः उससे पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता था। मण्डी समिति से सूचना प्राप्त होने पर विपणन बोर्ड ने जून 1991 में पंजीकरण राशि ठेकेदार को लौटाने की स्वीकृति जारी की।

(4) जी हां। समस्त बिलों से कुल राशि 6713.41 रुपये रोकी गई।

(कृषि मंत्री)

(5) एस डी. राशि 6713.41 रुपये में से 1800/– रुपये पानी का खर्चा काट कर शेष राशि 4913 41 रुपये मण्डी समिति द्वारा दिनांक 25-6-85 को ठेकेदार को लौटाई गई। ठेकेदार की 1500/– रुपये पंजीकरण राशि बकाया निकलती है।

(6) जी हां। बकाया राशि 1500/- रुपये का भुगतान ठेकेदार को किये जाने के लिए विपणन बोर्ड द्वारा राशि मण्डी समिति को भिजवा दी गई है।

कृषि उपज मण्डी, कुचामन

224. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कुचामन स्थित कृषि उपज मंडी के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम व कस्बे आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुचामन कृषि उपज मण्डी को जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1991 तक किस ग्राम व कस्बे से कृषि उपज मण्डी शुल्क से कितनी राशि प्राप्त हुई एवं उक्त राशि में से कितनी राशि विकास कार्य के लिये कहां-कहां पर खर्च की ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी शुल्क की चोरी व्यापारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से हो रही है तथा इसकी शिकायतें विभाग को मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या परबतसर के ग्राम गच्छीपुरा में कृषि मण्डी का यार्ड खोलने की सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है ? यदि हां, तो कृषि यार्ड का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम एवं कस्बों की सूची संलग्न है।

(2) मण्डी शुल्क वसूली की सूचना ग्राम एवं कस्बों के अनुसार संकलित नहीं की जाती है अपितु मुख्य मण्डी यार्ड तथा गौण मण्डी यार्ड में प्राप्त आय के आधार पर की जाती है। कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी को जनवरी, 1990 से अगस्त, 1991 तक 41,65,155.33 रुपये की आय प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से 26.80 लाख रुपये की राशि निम्नांकित विकास कार्यों पर खर्च की गई है–

क्र.सं.	कार्य का नाम	जनवरी, 90 से 31 अगस्त, 91 तक की व्यय राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क चौसाला से बुंनी	2.90
2.	सम्पर्क सड़क खुरन्डी से नाको के बालाजी	5.46

(कृषि मन्त्री)

क्र.सं.	कार्य का नाम	जनवरी, 90 से 31 अगस्त, 91 तक की व्यय राशि (लाखों में)
3.	सम्पर्क सड़क मिठरिया रेल्वे स्टेशन से उलाना	2.93
4.	सम्पर्क सड़क कुचामन रेल्वे स्टेशन से पलाडा	2.95
5.	सम्पर्क सड़क राठौड़ फर्म से औरड़िया	2.90
6.	सम्पर्क सड़क सुजानपुरा पानी की प्याऊ से मेहरानिया की ढाणी	0.:9
7.	निर्माण कार्य 10 नम्बर गोदाम, कुचामन	0 03
8.	निर्माण कार्य दुकान मय प्लेटफार्म के पीछे 10 नम्बर गोदाम, कुचामन	0.02
9.	निर्माण कार्य दुकान मय प्लेटफार्म के पीछे 14 नंबर गोदाम	0.02
10.	निर्माण कार्य 14 नम्बर गोदाम, कुचामन	0.01
11.	चतुर्थ टाइप क्वाटर, कुचामन	0.02
12.	ढका हुआ निलामी चबूतरा, कुचामन	7.63
13.	कार्यालय भवन, कुचामन	0.01
14.	बिजली मरम्मत कार्य, कुचामन	0.85
15.	पंचम टाइप स्टाफ क्वाटर, कुचामनसिटी	0.02
16.	बैंक भवन	0.02
17.	ढका हुआ निलामी चबूतरा, नग–2 कुचामन	0.44
	योग	26.80

(3) जी नहीं। इस तरह की कोई शिकायत विभाग को नहीं मिली है। एक शिकायत लिपिकों के विरुद्ध व्यापारियों से पैसे मांगने की मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है।

(4) जी हां। राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 16–3–74 के द्वारा गच्छीपुरा को कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी का गौण मण्डी यार्ड घोषित किया जा चुका है। नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु मंडी समिति द्वारा भूमि आवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने पर यार्ड का निर्माण कराया जाना संभव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट सं. 10 देखें)

सैनिक बोर्डों द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्तियां

225. **श्री प्रकाशचन्द बैरवा** (फागी) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

(1) क्या राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि कनिष्ठ लिपिक के पद पर लोक-सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थी को ही नियुक्ति दी जावेगी ? क्या उक्त आदेश राज्य/जिला सैनिक बोर्डों पर भी लागू है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य/जिला सैनिक बोर्डों में बिना लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की कनिष्ठ लिपिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किस-किस तिथि को एवं किन-किन व्यक्तियों की ?

(3) क्या यह भी सही है कि माह जून 1990 में सैनिक बोर्डों में नई नियुक्तियों पर राज्य सरकार का पूर्ण प्रतिबन्ध होते हुये भी च. श्रे. क. के पदों पर अनियमित नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? नियुक्त कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सैनिक विश्राम गृहों के कर्मचारी राज्य सरकार के नौकर नहीं हैं और इनका स्थानान्तरण जिला सैनिक बोर्डों में नहीं किया जा सकता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि सैनिक विश्राम गृह, जयपुर में चौकीदार के पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण जिला सैनिक बोर्ड, कोटा में किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार राज्य/जिला सैनिक बोर्डों में उक्त नियुक्तियां करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य/जिला सैनिक बोर्ड राज्य सरकार के कार्यालय होने से इन पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी समस्त आदेश लागू होते हैं।

(2) जी हां। नियुक्त कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। नियुक्त कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गयी है। कार्य की अधिकता एवं कार्य रुकावट को रोकने हेतु नियुक्तियां की गयी हैं।

(4) जी हां इनका स्थानान्तरण जिला सैनिक बोर्डों के कार्यालयों में नियमानुसार नहीं किया जा सकता है।

(5) जी हां। प्रशासनिक कारणों से।

(6) जी हां। क्योंकि नियुक्त अधिकारी संविदा पर नियुक्त थे और अब कार्य मुक्त हो चुके हैं उनके विरुद्ध क्या व किस प्रकार कार्यवाही की जा सकती है उसका परीक्षण कराया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

किशनगंज व शाहबाद की विकास योजनाएं

226. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद की विकास योजनाएं स्वीकृति हेतु भारत सरकार के यहां विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी व कितनी लागत की है तथा कब भेजी गई ?

(2) परामर्शदात्री समिति की गत बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई ?

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद की कौन-कौन सी योजनाएं कितनी-कितनी लागत की सम्मिलित की गई हैं ? योजनानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) परामर्शदात्री परिषद द्वारा दिनांक 17-8-91 में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को आगामी वार्षिक योजना वर्ष 92-93 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना [वर्ष 1992-97] के प्रारूप को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

(3) सहरिया क्षेत्र विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो कार्य प्रारम्भिक रूप में प्रस्तावित है उनका विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को भी कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माण्डा परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्य पर व्यय की गई धनराशि

227. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर क्षेत्र में माण्डा परियोजना के अन्तर्गत माण्डा क्षेत्र के गांवों में अब तक विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है ? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष माण्डा योजना के अन्तर्गत इस पंचायत समिति को किस-किस विकास कार्य के लिए कितना धन दिया गया है ?

उत्तर

कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर क्षेत्र में माण्डा परियोजना के अन्तर्गत

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

माण्डा ग्रामों में अब तक विकास के लिए 7,90,383/ रुपये धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों में व्यय की गई है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

(2) माण्डा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, सुल्तानपुर में विकास कार्यों हेतु इस वर्ष (1991-92) में अभी तक कोइ धन राशि आवंटित नहीं की गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सुजानगढ़ शहर की जलाशय योजना

228. **श्री भंवर लाल** (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ शहर की जलाशय योजना बनाते समय वहां की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए एक ही जलाशय बनाया गया था?

(2) यदि हां, तो क्या इस उच्च जलाशय से शहर की वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए जल सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान जनसंख्या को दृष्टि में रख कर एक और उच्च जलाशय बनाने की योजना विभाग के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार योजना बनाकर उक्त जलाशय का शीघ्र निर्माण कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ शहर के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता रहा है उसमें सफेद पाउडर का जमाव होता है जिससे पाइप लाइन अवरुद्ध हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में शहर में पूरे दबाव से पानी नहीं पहुच पाता है?

(4) क्या शहर की प्रायः अवरुद्ध हुई पाइप लाइनों को विभाग द्वारा बदला जा रहा है? यदि हां, तो कितनी पाइप लाइनें बदली जा चुकी हैं तथा शेष अवरुद्ध पाइप लाइनों को कब तक बदल दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अभिकल्पित जनसंख्या की मांग के अनुरूप एक उच्च जलाशय एवं एक भूतल जलाशय का निर्माण किया गया था।

(2) उच्च जलाशय से दूरी पर स्थित क्षेत्रों में कम दबाव की समस्या का निदान सीधे बूस्टिंग द्वारा किया गया है। वितरण व्यवस्था में इससे सुधार हुआ है। नये उच्च जलाशय का निर्माण अभी प्रस्तावित नहीं है।

(3) पाईप लाइनों के अन्दर सिलीकेट्स की परत जमा होने के फलस्वरूप जल प्रवाह की मात्रा में कमी हो जाती है जिससे वितरण व्यवस्था में दबाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(4) जी हां। लगभग 7.5 किलोमीटर पाइप लाइनें बदली जा चुकी अवरुद्ध पाइप लाइनों को धन उपलब्धता के अनुसार बदला जाना प्रस्तावित है।

ब्यावर में साम्प्रदायिक तनाव

229. **श्री रामानरायण वर्मा** (नैनवां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से अगस्त, 1991 तक ब्यावर कस्बे में साम्प्रदायिक सद्भावना भंग हुई है ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को, किन कारणों से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बाबत पुलिस में मुकदमे भी दर्ज हुये थे ? यदि हां, तो कितने तथा किस एक्ट एवं संहिता के तहत ?

(3) क्या दर्ज हुये समस्त मुकदमों के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन मुकदमों को चालान के योग्य नहीं माना हैं, उनमें दिये अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या बकाया मुकदमों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हैं ? यदि हां, तो कब तक पेश कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अगस्त 1991 की अवधि में केवल माह अक्टूबर, 9 में ब्यावर कस्बे में साम्प्रदायिक सद्भावना भंग हुई थी । दिनांक 23.10.90 को श्री लालकृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी के कारण भा.ज.पा. व विश्व हिन्दू परिषद द्वारा कस्बे के बन्द का आव्हान करने तथा बाजार में खुली दुकानों को बन्द कराने के प्रयास करने के कारण दिनांक 23.10.90 व 24.10.90 को ब्यावर कस्बे में साम्प्रदायिक सद्भावना भंग हुई ।

(2) ब्यावर कस्बे में माह अक्टूबर, 90 में साम्प्रदायिक सद्भावना भंग होने के सम्बन्ध में पुलिस ने 41 मुकदमें भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्ध किये थे ।

(3) पंजीबद्ध हुए 41 मुकदमों में से 2 मुकदमों में चालान पेश अदालत किए जा चुके हैं तथा 8 मुकदमों को चालान के योग्य नहीं माना गया है । जिनमें एफ. आर. दी जा चुकी है जिनकी प्रतियाँ संलग्न है । शेष 31 मुकदमों में अनुसन्धान जारी है ।

(4) शेष 31 मुकदमों में अनुसन्धान जारी है जिनमें शीघ्र ही अनुसन्धान पूर्ण कर नतीजा तफतीश दिया जाएगा ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मांग

230. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेडा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नये पद का सृजन करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या निम्बाहेड़ा में ग्रामीण थाना खोलने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। समय सीमा निर्धारण करना संभव नहीं है।

(2) यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। समय सीमा निर्धारण करना संभव नहीं है।

छूआछूत एवं अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा

231. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 3 अगस्त, 1990 को गांधीनगर, पुलिस स्टेशन जयपुर में छूआछूत एवं अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, रिजर्व बैंक में कार्यरत श्री भागीरथ सिंह, जो जाति से चमार है द्वारा श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के खिलाफ(एफ. आई. आर. नं. 221/90) रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी चालान क्यों नहीं पेश किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस मामले की तीन बार जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा है ?

( ) क्या यह सही है कि एक उच्चाधिकारी (आई. जी. पी) इस मामले में पूर्व में चालान के आदेश कर चुके हैं ? यदि हां, तो चालान पेश क्यों नहीं हुआ ?

(4) क्या यह भी सही है कि दो बार पुलिस उप अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच करने के बाद भी मामले की सी. आई. डी. द्वारा जांच कराने के आदेश किये गये ? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि यह छूआछूत का एवं अत्याचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन नहीं है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किये जाने के स्पष्ट निर्देश है ? यदि हां, तो समय पर चालान पेश नहीं करने का क्या कारण है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस अभियोग की तफ्तीश चल रही है इसलिए चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है कि मामले की जांच तीन बार हो चुकी है इस अभियोग में पूर्व में तफ्तीश स्थानीय पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। यह यह भी सही नहीं है कि महानिरीक्षक पुलिस ने जांच की हो। वर्तमान में श्री सुभाष चन्द्र की शिकायत पर गृह मंत्री,

(गृह मंत्री)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार तफ्तीश सी. आई. डी. द्वारा की जा रही है।

(5) यह सत्य नहीं है।

(6) नियमों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि अभियोग दर्ज होने के पश्चात उसका चालान ही पेश किया जावे। बल्कि तफ्तीश के पश्चात जैसी स्थिति हो उसके अनुरूप ही कार्यवाही की जाती है। यदि दोषी के विरुद्ध अपराध साबित होता है तो चालान किया जाता है अन्यथा जैसी भी स्थिति हो उसके अनुरूप नतीजा दिया जाता है। अभी तक अभियोग में अनुसंधान चालू है। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् ही यह स्पष्ट हो सकेगा।

जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज मुकदमे

232 **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेडा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले एक वर्ष में चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस मामले में कितने मुकदमें दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मुकदमों में कितने अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा व इनमें चोरी के मुकदमों में कितनी बरामदगी हुई ? थानाक्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त मुकदमों में कितनों के विरुद्ध अदालतों में चालान पेश किया गया एवं कितने मुकदमों में चालान पेश करना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले वर्ष 1990 में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न अपराधों के कुल 5911 मुकदमें दर्ज हुए। अपराधों के अनुसार सूची परिशिष्ट "क" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन मुकदमों में कुल 8650 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें से चोरी के मुकदमों में 2204375/-रु. की सम्पत्ति की बरामदगी की गई। बरामद की गई सम्पत्ति की थाना क्षेत्रवार सूचना परिशिष्ट "ख" में अंकित कर सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उपरोक्त मुकदमों में गिरफ्तार किये गये 8642 अभियुक्तों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 8 अभियुक्तों को धारा 169 जा. फो. के अन्तर्गत रिहाई दिलवाई गई। 14 अभियोग अन्वेषणाधीन है, जिनमें अन्वेषण के उपरान्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। सूची परिशिष्ट "ख" में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

कल्याणपुरा (श्री माधोपुर) की प्राथमिक शाला में बरामदा निर्माण कार्य

233. **श्री रामप्रसाद** (बैर) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास व विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राम प्रसाद)

(1) ग्राम कल्याणपुरा (ग्राम पंचायत कंचनपुर) पंचायत समिति श्री माधोपुर जिला सीकर की प्राथमिक शाला में बरामदे का निर्माण कार्य कब एवं किसके द्वारा करवाया गया तथा निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) उक्त निर्माण कार्य पर निर्माण सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात क्या होना चाहिये ? उक्त कार्य पर यह अनुपात क्या रहा है ?

(3) क्या उक्त निर्माण कार्य का पंचायत समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं क्या मूल्यांकन किया गया ?

(4) उक्त निर्माण कार्य का भुगतान किसको कितना किया गया एवं कितना भुगतान किसे करना शेष है व अब कब तक कर दिया जायेगा ?

(5) क्या उक्त निर्माण में भवन निर्माण सामग्री तथा मजदूरी के अनुपात में अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या मजदूरों को पूरा भुगतान नहीं किया गया और उनके पेटे राशि उठा ली गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम कल्याणपुरा ग्रा. पं.- कंचनपुर) पंचायत समिति श्री माधोपुर की प्राथमिक शाला में बरामदा का निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 16.2 91 से 31.3.91 तक की अवधि में कराया गया । उक्त कार्य सरपंच ग्राम पंचायत कंचनपुर श्री श्योप्रसाद द्वारा एक कमेटी 6 सदस्यों की गठित कर करवाया गया तथा उक्त कार्य पर श्रम पेटे 8692/– रु. एवं सामग्री पेटे 16,416/–रु. कुल 25,108/– रु. का व्यय का हिसाब उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

(2) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम पर 60% एवं सामग्री पर 40% राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है । जबकि उक्त बरामदा निर्माण कार्य पर यह अनुपात 35% एवं 65% रहा है ।

(3) जी हां, पंचायत समिति श्री माधोपुर में तत्कालीन पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 8.5.91 को कार्य का मूल्यांकन करवाया गया । मा. पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्यांकन 17,546 रुपये 52 पैसे किया गया है ।

(4) उक्त कार्य पर सामग्री एवं श्रम पेटे निम्न प्रकार राशि का भुगतान किया गया :—

सामग्री :–

1. श्री हजारी राम/चुन्नाराम दरोगा, कल्याणपुरा । 2500/–

2. मैसर्स गुप्ता ट्रेडिंग कं. श्रीमाधोपुर । 1940/–

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

3. मैसर्स-राजेन्द्रबिल्डिग, मेटेरियल सप्लायर्स, श्रीमाधोपुर। 627/–

4. श्री ठाकर सिंह, ड्राइवर। 1300/–

5. मैसर्स सुरेश कुमार मनोज कुमार, श्रीमाधोपुर। 8089.90

6. मैसर्स सुरेश कुमार मनोज कुमार, श्रीमाधोपुर 1959/–

योग 16415.90

2. श्रम पेटे :—

श्री बजरंगलाल शर्मा, वार्ड पंच, वार्ड नं. 8 को श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने हेतु अग्रिम राशि रु. 4000/-

कुल योग 20415.90

(5) जी हां निर्माण कार्य में सामग्री तथा मजदूरी का अनुपात विभाग के निर्देशानुसार नहीं किया गया है। किन्तु जहां तक अनियमितता का प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे समस्त विकास कार्यों का अनुपात श्रम एवं सामग्री पर क्रमशः 60 : 40 होना चाहिये यदि उक्त अनुपात ग्राम पंचायत का नहीं पाया गया तो सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी हां, राज्य सरकार जांच करायेगी।

पंचायत समिति सवाई माधोपुर में बुनकर शाला

234. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास व विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91 में पंचायत समिति सवाई माधोपुर में बुनकर शाला अनुदान हेतु कितने व्यक्तियों का चयन किया गया व किन-किन को भुगतान कर लाभान्वित किया गया ?

(2) उपरोक्त में किन-किन व्यक्तियों को किस कारण से भुगतान नहीं किया ? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 90–91 में पंचायत समिति सवाई माधोपुर में बुनकर शाला निर्माण हेतु 10 व्यक्तियों का चयन अस्थाई रूप से किया गया था। इनमें से विस्तृत जांच करने पर तीन व्यक्तियों को अपात्र पाया गया क्योंकि वे गरीबी की रेखा के नीचे नहीं थे। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री भैंरूलाल कोली, ग्राम भगवतगढ़।

2 श्री तेजाराम पुत्र श्री सुन्दरलाल कोली, ग्राम भगवतगढ़।

3. श्री घासीलाल पुत्र श्री गौरीलाल कोली, ग्राम भगवतगढ़।

इस प्रकार अंतिम रूप से चयनित

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

सात व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है जिनके नाम निम्न हैं :—

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोहनलाल कोली, ग्राम भगवतगढ़।

2. श्री गणेश पुत्र श्री तेमाराम कोली ग्राम भगवतगढ़।

(2) निम्न 5 व्यक्तियों ने निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है इसलिये उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया :—

1. श्री रामबल्लभ पुत्र श्री बिरधीचन्द कोली कण्डेरा।

2. श्री भंवरलाल पुत्र श्री धन्नालाल कोली, चौथका बरवाड़ा।

3. श्री खेमचन्द पुत्र श्री नोगदा कोली, चौथका बरवाड़ा।

4. श्री माधो पुत्र श्री छोटा कोली, चौथका बरवाड़ा।

5. श्री छोटू पुत्र श्री देवा कोली, चौथका बरवाड़ा।

कार्य प्रारम्भ हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ होने पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 235
(स्थगित)

बारां जिले को "अपना गांव अपना काम" योजना

236. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत बारां जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किन-किन कामों की तथा कुल कितनी धन राशि की स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के गांव जलोदा तेजाजी में विद्यालय भवन बनाने की स्वीकृत चाही गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उसकी स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत बारां जिले में किसी भी विधान सभा क्षेत्र में अब तक किसी भी काम की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) जी हां, दिनांक 11.7.91 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(3) जी नहीं। क्योंकि "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत 35 प्रतिशत धनराशि स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों से उप-

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

लब्ध करानी थी जो ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नहीं कराई।

सीकर में एम. जे. एम. कोर्ट खोलने का प्रस्ताव

237. **श्री विलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में एम. जे. एम. कोर्ट खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कोर्ट कब तक खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस वर्ष सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में एम. जे. एम. कोर्ट खोलने का प्रस्ताव है। अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है। यह कोर्ट इसी वर्ष खोला जाना सम्भावित है।

विभाग द्वारा पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में परियोजना का प्रारम्भ

238. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : महिला बाल विकास राज्य मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र में क्या कोई महिला एवं बाल विकास की परियोजनाएं चालू कर रखी है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में, ऐसी परियोजनाएं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है परन्तु अनुसूचित जाति का नहीं है। इस क्षेत्र में बाल विकास परियोजना चालू नहीं की गई है। परियोजना खोलने का कारण भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति भारत सरकार के मानदण्ड के अनुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित नहीं है और न ही 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या का क्षेत्र है।

(2) परियोजना खोलने का विषय भारत सरकार का है। भारत सरकार की स्वीकृति आने पर राज्य सरकार परियोजना खोलती है।

जल संसाधन विकास निगम द्वारा राज्य में ट्यूबवेल की खुदाई

239. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में जल संसाधन विकास निगम अपने स्थापना की तिथि से अब तक कितने ट्यूबवेल सिंचाई के लिये खोद चुका है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(2) क्या वर्तमान सरकार किसानों को ट्यूबवेल खोदने के लिये इस निगम से सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान जल संसाधन विकास निगम ने अपने स्थापना वर्ष 1984 से मार्च, 91 तक की कुल अवधि में 1570 सिंचाई कुपों में बोरिंग कर उनकी नलकूपों के अनुसार जल क्षमता बढ़ाई। इसके अतिरिक्त 122 नलकूप भू-जल सर्वेक्षण हेतु, पेयजल हेतु व अन्य विभागों एवं संस्थाओं के लिए खोदे गये। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषकों के समूह के लिए एक सामुदायिक नलकूप सिंचाई योजना चालू है। योजना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जहाजपुर में विचाराधीन कृषि विद्युत कनेक्शन

240. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनका निस्तारण कब तक किया जा सकेगा ?

(2) जहाजपुर तहसील के कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है एवं कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है। गांव के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या विद्युतीकृत गांवों के मजरों का भी विद्युतीकरण कर दिया गया है ? इन गांवों के कौन-कौनसे मजरे विद्युतीकृत होने से शेष रह गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें एवं शेष रहे मजरों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) दिनांक 1 अक्टूबर, 1990 से फरवरी, 1991 तक जहाजपुर क्षेत्र के किसानों को कितने-कितने घण्टे एवं कब से कब तक लाइट दी गई एवं उस अवधि में कितने समय बिजली बन्द रही ? ब्यौरा माहवार एवं घण्टेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में 31 मार्च, 1991 तक कुल 654 कृषि आवेदन वर्ष 1984 से लम्बित है। वर्षवार स्कीमवार ब्यौरा प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

वर्ष 1991–92 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 74 कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। शेष आवेदन पत्रों का निस्तारण आगामी वर्षों में उपलब्ध वित्तीय साधन तथा आवंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जा सकेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) पंचायत समिति, जहाजपुर में कुल 181 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 1991 तक 170 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है जो कुल गांवों का 93.92 प्रतिशत है। शेष बचे हुये 11 ग्रामों का विद्युतिकरण करना शेष है। उनमें से 5 ग्राम अस्वीकृत गैर आबाद व 6 स्वीकृत अविद्युतिकृत हैं। शेष ग्रामों की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई हैं। अविद्युतिकृत ग्रामों में से 4 ग्रामों का विद्युतिकरण वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित है। शेष बचे हुये ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में आवंटित लक्ष्य एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

मजरे सम्बन्धी जानकारी चूंकि जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं होती है अतः इसकी अलग से सूचना नहीं है। जिस ग्राम में मजरे हैं वे मजरे भी उसी ग्राम का भाग होते हैं तथा विद्युतिकृत ग्राम का मजरा भी विद्युतिकृत ही माना जाता है एवं उसमें प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आर्थिक एवं तकनीकी जांच के पश्चात् विद्युत सम्बन्ध देने की कार्यवाही की जाती है।

(3) अक्टूबर, 1990 से फरवरी, 1991 तक जहाजपुर क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई बिजली का विवरण प्रपत्र "स" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिना आई. एस. आई. मार्क सामान का क्रय

241. **श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल खरीद किये जाने वाले उपकरणों तथा सामग्रियों में आई. एस. आई. द्वारा प्रमाणित सामान ही क्रय किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या मंडल ने उक्त संदर्भित निर्देश दे रखे हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इसकी अवहेलना करने के संबंध में कोई मामले बनाये गये हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में मुख्य उपकरणों एवं बड़े सामान की खरीद के लिये (कोटा तापीय परियोजना जहां बहुत बड़ी मशीनरी का क्रय किया जाता है, के अलावा) एक मुख्य अभियन्ता (पदार्थ एवं प्रबन्ध) के अधीन अलग से विंग बनाई हुई है। इन विंग्स द्वारा उपकरणों एवं सामग्रियों की खरीद नियमानुसार निविदायें आमंत्रित करके की जाती हैं। इन निविदाओं में तकनीकी प्रावधानों का मापदण्ड आई.एस आई./बी. एस. एस./आई. ई. सी. आदि द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। यदि क्रय किया जाने वाला सामान तकनीकी मापदण्डों के अनुसार होता है तो सामग्री क्रय करते समय आई एस.आई. प्रमाणित सामान को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि कुछ उपकरण जो केवल विद्युत मण्डलों के उपभोग के लिये ही होते हैं, के लिये

(ऊर्जा मंत्री)

निविदाकर्त्ता आई. एस. आई. का प्रमाणिकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हालांकि ऐसे समस्त उपकरण पूर्णतया आई एस.आई. के प्रावधानों के अनुरूप स्वतन्त्र संस्थानों में परीक्षित किये जाते हैं तथा उनके परीक्षण प्रमाण पत्र निविदाओं के साथ उपलब्ध करवाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में एक पदार्थ परीक्षण वृत का गठन किया हुआ है जो क्रय वृतों द्वारा आदेशित समस्त उपकरणों को चाहे वे आई. एस. आई. द्वारा प्रमाणित हैं या नहीं, आई.एस.आई. द्वारा निर्धारित परीक्षण मापदण्डों के अनुसार स्वतन्त्र जांच करवाता है।

(2) टेण्डर स्पेशिफिकेशन्स में किस तरह का सामान/उपकरण चाहिये और किस इण्डियन ब्रिटिश या इन्टरनेशनल स्टेण्डर्ड या दूसरे टेकनीकल पैरामीटर्स के अनुसार चाहिये तो स्पेशिफिकेशन्स में अंकित कर दिया जाता है।

(3) जी नहीं।

भीनमाल में कृषि विद्युत कनेक्शन्स देने में विलम्ब

242. **श्री प्रेम सिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 1991 तक डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराने के उपरान्त भी भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के कृषि प्रयोजनार्थ विद्युत कनेक्शन्स काफी संख्या में बकाया है ? यदि हां, तो इन ग्रामों एवं कृषकों की सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त कनेक्शन्स न दिये जाने के क्या-क्या कारण हैं ? कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(2) क्या यह सही है कि भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में घरेलू उपयोग हेतु पत्रावलियां विभाग में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितनी पत्रावलियां कब से विचाराधीन हैं ? कितनों की डिमाण्ड राशि जमा कराई जा चुकी है ? डिमाण्ड नोटिस की जमा राशि शुदा पत्रावलियों की ग्राम एवं उपभोगता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में कई गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांवों को कब तक विद्युतिकृत कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि 33 के.वी.ए. का सब स्टेशन जुंजाणी व घूरबडिया वर्तमान लगे ट्रांसफार्मरों पर क्षमता से अधिक लोड है ? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशनों पर अतिरिक्त या अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग द्वारा उप-खण्ड स्तर पर ट्रांसफार्मर जल जाने व खराब हो जाने पर बदलने हेतु ट्रांसफार्मर स्पेयर रहते हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतिशत संख्या कितनी है ?

(6) क्या यह सही है कि भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में स्पेयर ट्रांसफार्मर न

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

होने से काश्तकारों को कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ता है ? वर्तमान में कितने ट्रांसफार्मर्स की कमी है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में दिनांक 31 मार्च, 1991 तक डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराने के उपरान्त भी कृषि प्रयोजनार्थ 153 कनेक्शन बकाया थे। इनमें से 20 कृषकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा 133 कनेक्शन जारी करना शेष है। सूची "अ" व "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है। 92 आवेदकों द्वारा "एल" फार्म देरी से देने (माह अप्रेल, 91) तथा 41 आवेदकों द्वारा "एल" फार्म नहीं देने के कारण कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके। 92 आवेदकों को जिनके "एल" फार्म समय से प्राप्त हो चुके हैं तथा शेष 41 आवेदकों में से जिनके "एल" फार्म समय से प्राप्त हो जावेंगे उनके कनेक्शन वर्ष 1991–92 में जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में घरेलू उपभोग हेतु माह अप्रेल, 1989 से अगस्त, 1991 तक कुल 806 पत्रावलियां विचाराधीन है। इनमें से 171 उपभोक्ताओं के मांग पत्र की राशि जमा है। सूची "स" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के सभी गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(4) 33 के.वी. सब स्टेशन जुंजाणी व धूम्बडिया पर क्रमशः 3.15 एम.वी.ए. व 2.5 एम.वी.ए. (1.5-1.0) क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं। वर्तमान में दो ब्लाक में सप्लाई दी जाती है, किसी भी एक ब्लाक का भार ट्रान्सफार्मर क्षमता से अधिक नहीं है। भविष्य में मांग बढ़ने पर ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जी नहीं। उपखण्ड स्तर पर जल जाने पर बदलने हेतु ट्रांसफार्मर स्पेयर नहीं रहते हैं। स्पेयर ट्रांसफार्मर साधारणतया वृत भण्डार/केन्द्रीय भण्डार में रखे जाते हैं।

(6) किसी भी ट्रान्सफार्मर के जलने की सूचना मिलने पर ट्रान्सफार्मर बदलने की शीघ्र कार्यवाही की जाती है। भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में अभी जले हुये ट्रान्सफार्मर को बदलने हेतु 8 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीपलखूंट से लाम्बाडाबरा (बांसवाड़ा) तक की विद्युत लाइन

243. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा की घाटोल तहसील के गांव पीपलखूंट से लाम्बाडाबरा तक कुछ वर्षों पूर्व विद्युत लाइन डाली गई थी ? यदि हां, तो उक्त गावों की

(श्री नवनीतलाल मीना)

लाइन में कितने विद्युत पोल लगाये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त लाइन के खम्भे लग जाने के बावजूद वन विभाग द्वारा रोक लगी है. यदि हां, तो विद्युत विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, लगभग 116 पोल खड़े किये थे।

(2) जी हां, पीपलखूंट से लाम्बाडाबरा तक 11 के.वी. लाइन का कार्य प्रस्तावित था, जिसके लगभग 116 पोल खड़े किये गये लेकिन वन विभाग की स्वीकृति नहीं होने के कारण कार्य रुक गया था। अब इसकी स्वीकृति वन विभाग द्वारा दे दी गई है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

कोटपूतली रूरल इलैक्ट्रीकल्स सोसाइटी का विलीनीकरण

244. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कोटपूतली रूरल इलेक्ट्रीकल्स सोसाइटी के विलय का प्रस्ताव मण्डल के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सोसायटी को कब तक खत्म कर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विलय कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां, प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र, जैतारण के काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन

245. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में कितने काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ? इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कितने कनेक्शन दिये गये ?

(2) विधान सभा क्षेत्र, जैतारण के सहायक अभियन्ता कार्यालय से कितने घरों के कनेक्शन हुए ? और कितने ऐसे प्रार्थनापत्र जिनकी सिक्यूरिटी राशि जमा है, पैण्डिंग पड़े हैं, ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जैतारण क्षेत्र में कुल कितने ट्रांसफार्मर कहां-कहां पर लगे हुए हैं ? कितने ट्रांसफार्मर चालू एवं कितने खराब पड़े हुए हैं ? खराब ट्रांसफार्मर कब तक बदल दिये जावेंगे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में क्रमशः 167 एवं 13 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। इनमें से वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में अनुसूचित जाति को क्रमशः 1 व 6

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन दिये गये हैं तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को कोई कनेक्शन नहीं दिये गये।

(2) सहायक अभियन्ता जैतारण के अन्तर्गत इस वर्ष 157 घरेलू कनेक्शन दिये गये। लगभग 950 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है। जिन आवेदकों की सिक्योरिटी राशि जमा हैं उनका ग्रामवार विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) सहायक अभियन्ता जैतारण के अन्तर्गत 550 ट्रांसफार्मर 92 ग्रामों में प्रतिस्थापित हैं। उनमें से 527 ट्रान्सफार्मर चालू है तथा 23 ट्रान्सफार्मर खराब हैं। खराब ट्रान्सफार्मरों को उपलब्धि के अनुसार शीघ्र बदल दिया जायेगा। ग्रामवार लगे हुये ट्रान्सफार्मरों को सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 पर देखें।)

विधानसभा क्षेत्र, रायसिंहनगर के हरिजनों को निःशुल्क कृषि कनेक्शन

246. **श्री रामस्वरूप** (रायसिंहनगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर में हरिजनों को निःशुल्क कृषि कुओं में कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों में व किस हरिजन काश्तकार के नाम दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार हरिजनों के कुओं पर ट्यूबवेल की निःशुल्क कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश संख्या 480, दिनांक 19-7-90 के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता अनुसार हरिजन काश्तकार को ट्यूबवैल के लिये कनेक्शन देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कौन से काश्तकारों को दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश की पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के विद्युतिकरण की स्वीकृति के लिए कितने गांव बकाया हैं, कितने गांवों का सर्वे किया गया व कितने गांवों का नहीं? उपरोक्त गांवों को विद्युतिकरण की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी?

(5) अधिशाषी अभियन्ता, हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गांव रायपुरा उर्फ रामसरा में विद्युत प्रकाश व्यवस्था की स्वीकृति कहां-कहां दी गई और कहां-कहां व्यवस्था की गई कहां-कहां व्यवस्था नहीं की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) गांव रायपुरा उर्फ रामसरा में हरिजन बस्ती में कितने घरों में बिजली लगाई गई और कितने घरों में नहीं? अब कब तक शेष घरों में बीजली की व्यवस्था करदी जायेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जिला गंगानगर में विद्युत

(ऊर्जा मंत्री)

मण्डल द्वारा हरिजनों के कुओं पर कोई निःशुल्क कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। विद्युत मण्डल निःशुल्क कनेक्शन नहीं देता। परन्तु लघु एवं सीमान्त हरिजन कृषकों के कुओं पर ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन (25 अश्व शक्ति तक) के लिये अधिकतम 3000 रु. तक का अनुदान देने का प्रावधान समाज कल्याण विभाग का है, जिसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग विद्युत विभाग को कनेक्शन के खर्चे के पैसे देता है।

(2) जी नहीं, मण्डल द्वारा आदेश संख्या 480 दिनांक 19-7-1990 के अनुसार हरिजन काश्तकारों को कृषि कनेक्शन देने हेतु उच्च प्राथमिकता देने को कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है।

(3) आदेश प्रसारित नहीं हैं, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

(4) रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के कुल 490 ग्रामों में से 253 ग्राम मार्च, 1991 तक विद्युतिकरण किये जा चुके हैं। 104 ग्राम क्षेत्र की चल रही विभिन्न ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजनाओं से विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत है। शेष 133 ग्राम किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। अस्वीकृत ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु कब तक स्वीकृति मिल जायेगी इसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

(5) ग्राम रायपुरा और रामसरा में 167 घरेलू कनेक्शन दिये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) घरेलू लाईट कनेक्शनों के प्रार्थना पत्र हरिजन बस्ती के नाम से नहीं लिये जाते और ना ही उपलब्ध आदेशों में अलग से वरीयता रहती है। सभी घरेलू आवेदकों का वरियतानुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार कनेक्शन जारी किये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

चिकित्सालय भवानी मण्डी में खराब पड़ी एक्सरे मशीन

247. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि झालावाड़ भवानी मण्डी चिकित्सालय में एक्सरे मशीन बहुत समय से खराब पड़ी हुई है? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार नई एक्सरे मशीन अलाट करने का विचार रखती है?

उत्तर

भवानी मण्डी चिकित्सालय की एक्सरे मशीन जो काफी समय से खराब पड़ी थी उसे गत माह अगस्त, 91 के अन्त में ठीक करा दिया गया है।

तहसील कोटपूतली के चिकित्सालयों में रिक्त पद

248. **श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामकरणसिंह)

(1) कोटपूतली तहसील में कौन-कौन मेल नर्स प्रथम ग्रेड, सैकिण्ड ग्रेड के कहां-कहां कितने-कितने समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो फीमेल और मेल नर्सों के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) मार्च, 1990 से आज तक किन-किन मेल और फीमेल नर्सेज को कोटपूतली तहसील में लगाया गया ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है, जो परिशिष्ट–"क" पर उपलब्ध है।

(2) जी सदन के पटल पर रख दी गई है, जो परिशिष्ट–"ख" पर उपलब्ध।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

विभाग द्वारा औषधियों के क्रय में अनियमितताएं

249. **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रदेश स्तर पर या कोटा जिले में सितम्बर, या अक्टूबर, 1990 में स्ट्रेप्टोपेनेसिलिन इन्जेक्शन खरीदे गये थे जिसकी अवधि पार तिथि 31-10-1990 तथा बेच नं. 0458 थी ? यदि हां, तो कितने इंजेक्शन किस-किस अस्पताल को भेजे गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि पार औषधियां क्रय की गई जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि का तथा किसके आदेश से ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, स्ट्रेप्टोपेनेसलिन के 7000 वायल भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्थान ऐन्टीवायोटिक्स लिमिटेड से कोटा में माह सितम्बर 1990 में खरीदे गये जिन्हें कोटा जिले के निम्न चिकित्सा संस्थानों पर वितरित किया गया :

1–रेफरल अस्पताल, कैथून	2000
2–प्रा. स्वा. के बालूहेड़ा	500
3–रैफरल अस्पताल, सांगोद	2000
4–सहायता चौकी, ब्यावर	500
5–डिस्पेन्सरी, कवाई	1000
6–रैफरल अस्पताल, अटरू	1000

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम नौरंगपुरा (जयपुर) में एडपोस्ट, डिस्पेंसरी

250. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम नौरंगपुरा पंचायत समिति विराट नगर में एडपोस्ट या डिस्पेंसरी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस पंचायत की कुल आबादी 7000 है।

(3) क्या यह सही है कि अन्य छोटे-छोटे ग्रामों में भी डिस्पेंसरीज खोली गई है ? यदि हां, तो डिस्पेंसरी खोलने का मानदण्ड क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि इस ग्राम नौरंगपुरा में 7000 की आबादी है तथा डिस्पेंसरी भवन भी तैयार है ? यदि हां, तो डिस्पेंसरी कब तक खोल दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं, इस गांव के पास में ही रेफरल अस्पताल, विराटनगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीलबाडी कार्यरत है।

(2) ग्राम नौरंगपुरा को आबादी वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 3832 हैं।

(3) जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेन्सरी खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल प्राथमिक वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्रों में 30 - की जनसंख एवं ज एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की जनसंख्या पर एक के हिसाब से खोले जाते हैं।

(4) इस भाग का उत्तर प्रश्न के भाग एक एवं तीन में दिया जा चुका है।

जिला पाली के चिकित्सालयों में रिक्त पद

251. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने राजकीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, रेफरल अस्पताल, एड पोस्ट, उप-स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ? स्वीकृति कब-कब, किस-किस स्थान की हुई तथा कितने पद किन-किन स्थानों के कब-कब से स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने स्थानों पर कौन-कौन से पद, कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किस-किस चिकित्सालय में कितनी-कितनी शैय्याएं स्वीकृत हैं ? स्वीकृत शैय्याओं के मानदण्ड के अनुसार कहां-कहां स्टाफ लगाया हुआ है ? किन-किन चिकित्सालयों में मानदण्ड के आधार पर स्टाफ नहीं हैं ? रिक्त स्थानों को एवं सृजित पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा गत दो वर्षों में जिले के किस-किस अस्पताल, डिस्पेंसरीज, उपस्वास्थ्य केन्द्रों को कौन-सी औषधियां, -किस कम्पनी की, बंडेज उपकरण कब-कब, कितनी-कितनी राशि के दिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 3 चिकित्सालय, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 48 एडपोस्ट (उच्चीकृत

(चिकित्सा मंत्री)

उपकेन्द्र) तथा 340 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

इन चिकित्सा संस्थाओं में पद/उनके खोलने/क्रमोन्नत/ किस वर्ष में सृजित किए गए। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है जो पिछले कुछ समय से रिक्त हैं।

(2) विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत शैय्याओं का व्यौरा प्रश्न के भाग एक के परिशिष्ट "क" पर अंकित हैं।

—स्वीकृत शैय्याओं पर स्टाफ उपलब्धि/ वित्तीय साधनों के अनुसार लगाया हुआ है, रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। (परिशिष्ट "ग")

(3) गत दो वर्षों में पाली जिले की चिकित्सा संस्थाओं में औषधियां, बैन्डेज, उपकरण क्रय कर वितरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला उदयपुर के चिकित्सालयों के भवन

252. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले और शहर में कितने चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी, रेफरल चिकित्सालय स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र आदि हैं, और कहां अवस्थित हैं? क्या ये सरकारी भवनों में चल रहे हैं अथवा किराये के भवनों में? यदि किराये के भवन हैं तो उनके मकान मालिक कौन हैं?

(2) उदयपुर शहर व जिले के चिकित्सा विभाग के कार्यालय, रेफरल अस्पताल, चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र आदि के निर्माण कार्य पर सत्र 1990–91 में कितना-कितना प्रावधान था और उससे कितना व्यय हुआ। यदि व्यय स्वीकृत प्रावधान से कम हुआ है तो इसके क्या कारण रहे और सत्र 1991–92 के लिए क्या प्रावधान व लक्ष्य रखे गये?

(3) क्या यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) उदयपुर का कार्यालय भवन 1991 में मुख्य डाक घर के पीछे अवस्थित कालोनी में बदला गया है? यदि हां, तो इसका मासिक किराया क्या निर्धारित किया गया है और इस भवन का मालिक कौन है? क्या इस भवन में पहले भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर का कार्यालय था? यदि हां, तो उसका मासिक किराया कितना था? यदि विभाग द्वारा पहले किराया कम दिया जा रहा था तो बढ़ोतरी के क्या कारण थे?

(4) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) उदयपुर के द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशि में से कितनी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कितनी वसूली होना 31 मार्च, 1991 को बकाया थी और इस अग्रिम में से विभागीय व्यक्तियों के नाम कितना बकाया कब से है और वसूली नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या उदयपुर जिले के कल्याण केन्द्रों पर भी अग्रिम बकाया है ? यदि हां, तो कितना और क्या इन केन्द्रों के हिसाब-किताब का आडिट होता है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा ?

(6) क्या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) उदयपुर के भण्डार में लाखों रुपयों का सामान अनुपयोगी पड़ा है और सड़ रहा है और उसका भौतिक सत्यापन कब किया गया ? इस स्टोर का इन्चार्ज कौन है और कब से है ? यदि 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति है तो क्या नीति विरुद्ध पद स्थापन का मामला नहीं है ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 90-91 में विभाग द्वारा चिकित्सा संस्थानों के लिए रू. 27.20 लाख सार्वजनिक निर्माण विभाग को उदयपुर जिले के लिए दिया गया एवं वर्ष 91-92 में 43.70 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। वर्ष 90-91 में स्वीकृत राशि का प्रशासनिक कारणों से पूरा व्यय नहीं किया जा सका। वर्ष 91-92 की स्वीकृत राशि का खर्चा वर्ष 91-92 के अन्त तक किया जायेगा।

(3) जी हां, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) उदयपुर का भवन पूर्व में 167 ओ रोड भूपालपुरा, उदयपुर में स्थापित था, जिसका मासिक किराया रुपये 1750-रु. था। इस भवन के मकान मालिक द्वारा खाली कराए जाने एवं भवन में कम जगह होने के कारण इस नये भवन जो मुख्य डाकघर के पीछे 55 वी मधुबन में स्थित है, दिनांक 8 अगस्त, 91 को स्थानातरित किया गया। इस मकान के मालिक श्रीमती सुशीला कुमारी जैन एवं इसका किराया 5000/- रु. प्रतिमाह है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। पूर्व में इस मकान को कम किराया होने के कारण मकान मालिक ने इसे खाली करा लिया था।

(4) अग्रिम राशि का ब्यौरा परिशिष्ट (ख) पर उपलब्ध है। अग्रिम राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर नोटिस जारी किए गए जिससे काफी राशि वसूल की जा सकी है। शेष बची राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(5) उदयपुर जिले के परिवार कल्याण केन्द्रों के नाम जो अग्रिम राशि बकाया है उसकी सूची उक्त प्रश्न चार में वर्णित कर दी गयी है। जिन केन्द्रों को अग्रिम राशि दी गयी है, उसका आडिट कार्य, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार

(चिकित्सा मंत्री)

कल्याण) राजस्थान, जयपुर के आन्तरिक जांच दल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवाएं (जॉन) उदयपुर द्वारा विभिन्न प्रा. स्वा. केन्द्रों के अंकेक्षण कार्य का कराया जा रहा है।

(6) परिवार कल्याण संस्थान में ऐसा कोई अनुपयोगी सामान नहीं है और न ही सड़ रहा है भण्डार का भौतिक सत्यापन दिनांक 23-7-90 को डा. मदन गोपाल तम्बोली, चिकित्सा अधिकारी, इम्युनाईजेशन द्वारा किया गया है। परिवार कल्याण के स्टोर कीपर श्री फकीर मोहम्मद शेख वरिष्ठ लिपिक हैं जो दिनांक 20-11-79 से भण्डार संधारण का कार्य संपादित कर रहे हैं। इन्हें इस पद पर कार्य करते हुए 15 वर्ष से अधिक की अवधि नहीं हुई है। नियमों में इस कार्य हेतु किसी कर्मचारी के कार्य करने की सीमा निर्धारित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हाड़ौती से कैला देवी सड़क का निर्माण

253. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाड़ौती से कैलादेवी तक कितनी सड़क बन चुकी है तथा कितनी बनना शेष है ?

(2) क्या सरकार इसे बनाने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों।

(3) कई वर्ष पूर्व स्वीकृत सपोटरा से अमरवाड़ रोड़ का निर्माण कार्य अधूरा क्यों है ? क्या सरकार इसे पूर्ण करना चाहेगी ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हाड़ौती से कैलादेवी तक 3 किमी. डामर सड़क बन चुकी है तथा 8.5 किमी. सड़क का कार्य चालू है। शेष 19.5 किमी. के लिये वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है।

(2) योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में यह निर्माण कार्य सम्भव नहीं होगा।

(3) सपोटरा से अमरवाड़ तक सड़क निर्माण कार्य भूमि अवाप्ति संबंधी विवाद के कारण अधूरा है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर वर्ष 1992-93 में कार्य पूर्ण किये जाने की आशा है।

सम्भागीय मुख्यालयों को सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

254. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 में राज्य के संभागीय मुख्यालयों की सड़कों के रख-रखाव हेतु विभाग ने कितनी-कितनी राशि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आवंटित की ? संभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालयों की सड़कों हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? संभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विभिन्न संभागीय मुख्यालयों की सड़कों हेतु आवंटित बजट में अन्तर के क्या कारण हैं ?

(4) उक्त सड़कों के रख-रखाव हेतु बजट प्रावधान करने का आधार क्या है ? क्या उक्त आधार की पालना की गई ? यदि हां, तो बीकानेर शहर को चालू वित्तीय वर्ष एवं वर्ष 1990-91 में कम राशि आवंटित करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 में राज्य संभागीय मुख्यालयों की सड़कों के रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई :—

नाम संभागीय मुख्यालय	आवंटित राशि (लाखों में)		
	सा.नि.वि. सड़कें	नगरपालिका सड़कें	कुल राशि
जयपुर	379.00	30	409.00
जोधपुर	146.00	25	171.00
कोटा	168.89	20	188.89
उदयपुर	121.00	20	141.00
बीकानेर	111.00	10	121.00
अजमेर	71.30	20	91.30

(2) वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालयों की सड़कों के रख-रखाव हेतु निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई है:—

नाम संभागीय मुख्यालय	आवंटित राशि (रू. लाखों में)		
	सा.नि.वि. सड़कें	नगरपालिका सड़कें	कुल राशि
जयपुर	475.00	30	505.00
जोधपुर	112.85	25	137.85
कोटा	160.00	20	180.00
उदयपुर	132.00	20	152.00
बीकानेर	151.00	20	171.00
अजमेर	66.00	20	86.00

(3) संभागीय मुख्यालयों की सड़कों हेतु बजट आवंटन शहर की श्रेणी, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, सड़कों की लम्बाई, दशा, श्रेणी, यातायात परिमार आदि के आधार पर किया जाता है। अतः आवंटन राशियों में अन्तर होना स्वाभाविक है।

(4) सड़कों के रख-रखाव हेतु बजट आवंटन शहर की श्रेणी, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, सड़कों की लम्बाई, दशा,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

श्रेणी यातायात परिभार आदि के आधार पर किया जाता है। बीकानेर शहर में सड़कों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1990-91 व 91-92 में आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की गई है।

आंधी से डांगरवाड़ा (जयपुर) सड़क का निर्माण

255. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आंधी से डांगरवाड़ा (जयपुर) रोड का कार्य कई वर्षों से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं आती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब तक इसके कार्य को पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। आंधी से डांगरवाड़ा सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 7,000 लाख रुपये की लागत से 6 कि. मी. की लम्बाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था।

तत्पश्चात् राज्य सरकार के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 2-3-89 को इस सड़क के रीगेटलिंग एवं डामर कार्य हेतु रुपये 12.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इसी बीच में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 20-3-89 द्वारा मनोहरपुर से दौसा वाया रायसर, आंधी, डांगरवाड़ा एवं सागरसेंथल को राष्ट्रीय राज मार्ग 11-ए घोषित किया गया। जिसके कारण राज्य सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई स्वीकृति निरस्त कर दी। सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग 11-ए के प्रस्तावित अलाइनमेंट का एक भाग है। सम्पूर्ण अलाइनमेंट की स्वीकृति भारत सरकार के विचाराधीन है। परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार ने आंधी कस्बे के निकट एक कारीडोर की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, आंधी के निकट पुनः सर्वेक्षण करवाना चाहा है। उक्त सर्वेक्षण के पश्चात ही आंधी डांगरवाड़ा सड़क का अलाइनमेंट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होगा, जिसके पश्चात् विस्तृत तकमीने आदि भारत सरकार को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। सर्वे कार्य शीघ्र ही करवाया जा रहा है।

(2) इस मेटल सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के तहत हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कें विभाग की संधारण सूची में सम्मिलित नहीं होती है। अतः यह सड़क विभाग की संधारण सूची में सम्मिलित नहीं है। अब यह कार्य भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिला पाली में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

256. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** :

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1990-91 व 1991-92 में पाली जिले में नई सड़कें बनाने के लिये कितना-कितना बजट आवंटित किया गया तथा कहां-कहां नई सड़कों का निर्माण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में पाली जिले में नई सड़कें बनाने हेतु विभिन्न मदों में बजट क्रमशः 102.80 लाख एवं 110.79 लाख आवंटित किया गया। मदवार आवंटित राशि संलग्न सूची "अ" एवं "ब" में अंकित है।

तथा वर्ष 1990-91 में तथा 1991-92 में बनाई गई नई सड़कों का विवरण सूची "स" व "द" में संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 के लिये भूमि की अवाप्ति

257. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपुतली तहसील के राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 में किन-किन ग्रामों की भूमि कितनी-कितनी कब-कब ली गई?

(2) किस-किस ग्राम के किन-किन व्यक्तियों को अभी तक मुआवजा किन कारणों से नहीं दिया गया?

(3) क्या जिन कारणों से नहीं दिया गया, उन कारणों की पुष्ठि सरपंचों द्वारा कर ली गई?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली के राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 के कि.मी. 144 से 161/0 तक सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1958 से वर्ष 1960 में निम्न ग्रामों की भूमि अवाप्त की गई :—

क्र.सं. ग्राम	कुल रकबा	
	बीघा	बिस्वा
1. अमाई	11	14
2. बड़ाबास	13	14
3. केशवाना राजपूत	05	01
4. मोलाहेड़ा	19	11
5. मोरघा	12	06
6. शेखपुरा	14	08
7. खेड़की मुक्कड़	32	03
8. खेड़की बीरभान	23	12
9. सागटेडा	36	16
10. पनियाला	50	18
11. बासड़ी	21	17
12. बूचाहेड़ा	25	12

(2) खातेदारों द्वारा अपने क्लेम की पुष्टि हेतु जमाबन्दी की नकल, नामान्तकरण सहमति एवं आवश्यक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर जांच करके मुआवजा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

भुगतान की व्यवस्था की जावेगी। (व्यक्तियों की सूची–1 भी संलग्न है)।

(3) स्वामित्व निर्धारण नहीं होने व सहमति पत्र अथवा बचनपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। इस हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी तथा सम्बन्धित तहसीलदार ही सक्षम हैं। अतः सरपंचों से कारणों की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राज मार्ग पर अतिक्रमण

258. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम कूकस से करीब एक किलोमीटर आगे स्थित पेट्रोल पम्प व उससे लगते हुये कृषि फार्म एवं रिहायशी मकान के चारों ओर पक्का डण्डा बना हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पक्का डण्डा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर छोडे जाने वाली निर्धारित सीमा के अन्दर बना हुआ है ? यदि हां, तो इसको हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जब इस स्थान पर यह डण्डा बनाया जा रहा था तब ग्रामीण जनता ने भारी विरोध किया था ? यदि हां, तो इस आधार पर विभाग ने त्वरित गति से कार्यवाही क्यों नहीं की ? इसके लिये कौन-कौन दोषी है व उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? अब कब तक इस अतिक्रमण को हटा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि उपरोक्त पक्का डण्डा राष्ट्रीय राज मार्ग के निर्धारित सीमा के अन्दर एक साईड पूर्व की तरफ बनाया गया है। इसे हटाने हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत कार्यवाही कर मुआवजा निर्धारित किया गया जिसको लेने हेतु पार्टी द्वारा मना किया गया तथा कृषक द्वारा न्यायालय में रेफरेन्स कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जो कि न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) जी हां, यह सही है कि जनता द्वारा डण्डा बनाने का विरोध किया गया था तथा विभाग द्वारा तुरन्त सम्बन्धित पार्टी को नोटिस दिये गये थे। चूंकि विभाग द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई थी अतः कोई दोषी नहीं है। तथा इसके विरोध में कृषक द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है एवं प्रकरण अब तक न्यायालय में विचाराधीन है। अतिक्रमण न्यायालय के फैसले के बाद ही हटाया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला झालावाड़ में सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

259 **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1980 से अब तक किन-किन सड़कों की मरम्मत हेतु कितना-कितना बजट कब-कब स्वीकृत हुआ व कितना खर्च हुआ ? कितना लेप्स हुआ ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डग विधान सभा क्षेत्र में पगारिया से आवर पिड़ावा सड़क का डामरीकरण होना अत्यावश्यक है ? पगारिया से वाया आवर-पिड़ावा सड़क की कितनी दूरी है। वर्तमान में इस सड़क की क्या हालत है। इसके डामरीकरण में कितना बजट लगने की सम्भावना है तथा कब तक इसका डामरीकरण कर दिया जावेगा। सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1980 से अब तक सड़कों की मरम्मत हेतु वर्षवार स्वीकृत बजट एवं उसके अन्तर्गत व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण (कम अधिक व्यय) (लाखों में)
80–81	38.00	38.00	
81–82	42.00	42.64	0.64 अधिक ,,
82–83	65 00	65 07	0 07 अधिक ,,
83–84	38.00	37.94	0.06 कम ,,
84–85	85.00	82.40	2.60 कम ,,
85–86	75.00	67.57	7.43 कम ,,
86–87	70.00	77.00	7.00 अधिक ,,
87–88	95.00	94 99	0.01 कम ,,
88–89	100 00	99.94	0.06 कम ,,
89–90	117.00	119.24	2 24 अधिक ,,
90–91	170.00	170.33	0 33 अधिक ,,
91–92	160.00	90.65	माह अगस्त, 91 तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विधान सभा क्षेत्रवार सड़कों की मरम्मत पर किये गये वर्षवार व्यय की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) पगारिया से आवर-पिड़ावा सडक का डामरीकरण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

पिडावा से पगारिया वाया आवर-पिडावा सड़क की कुल दूरी 19.2 किमी. है वर्तमान में यह सड़क 5 किमी. ग्रेवल की तथा 14.2 किमी. मेटल की बनी हुई है।

इस सड़क के डामरीकरण की अनुमानित लागत लगभग 54.00 लाख रुपये होगी। इस सड़क का डामरीकरण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान के पूर्व सदस्य श्री दलपतसिंह जी सिरियारी के निधन पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और उसके शोकसंतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले इसकी भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दलपतसिंह जी इस सदन के सदस्य रहे। दो बार राज्य सभा के भी सदस्य रहे। श्री दलपतसिंह जी में हर विषय पर अध्ययन करने का एक विशेष गुण था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक गतिविधियां कैसे बढ़ें, उस सम्बन्ध में बहुत ही अध्ययन के साथ इस विधान सभा में कई बार बोले हैं। साथ ही राजस्थान की जल समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाये इस सम्बन्ध में भी उनके अनुभव बहुत ही बढ़िया थे। अपने इस अनुभव के आधार पर विधान सभा में कई बार उन्होंने ऐसे सुझाव दिये हैं जिनके ऊपर सरकार ने विचार किया और कुछ कार्यवाही भी आरम्भ की। वे बहुत ही मिलनसार थे। मैंने कभी भी उनको आवेश में बोलते हुए नहीं देखा। अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे। वह व्यक्ति हमारे बीच से चला गया।

उनके बड़े भाई श्री विजयसिंह जी सिरियारी राजस्थान की राजनीति के आरम्भ में, और विशेष तौर से जब देशी रियासतों का बिलीनीकरण हुआ उस समय से, लगातार जब तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे राजस्थान के विषय में और राजस्थान की समस्याओं पर उनका गम्भीर चिन्तन था, और उस चिन्तन के आधार पर राज्य सभा में कई बार उन्होंने राजस्थान के सम्बन्ध में बातें रखीं। श्री विजयसिंह जी के छोटे भाई श्री दलपतसिंह जी थे। उसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद वह राज्य सभा के सदस्य बने. विधान सभा के सदस्य बने।

मैं श्री दलपत सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शान्ति मिले, शोक संतप्त परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो, इस दृष्टि से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत ही भारी दिल और शोक के साथ अपने और अपने दल की तरफ से अपने आप को शामिल करता हूं।

श्री दलपत सिंह जी और उनके बड़े भाई श्री विजय सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता ही नहीं था बल्कि वे दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। श्री विजय सिंह जी जब राज्य सभा के सदस्य थे और अचानक जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद श्री दलपत सिंहजी राज्य सभा के सदस्य बने और दुबारा फिर राज्य सभा के सदस्य बने और फिर इस विधान सभा के सदस्य के रूप में यहां आये।

श्री दलपत सिंह जी बहुत सौम्य, शिष्ट और अनुशासन प्रिय विधायक थे। विधान सभा में मैं बराबर उनको देखता था। जब भी उनको बोलना होता था तो हमेशा अपनी जगह पर अंगुली ऊंची उठा देते थे और जब तक अध्यक्ष महोदय उनको इजाजत नहीं देते थे, वे नहीं बोलते थे।

इस तरह के अनुशासन प्रिय, सौम्य और शिष्ट विधायक का जो राजस्थान की समस्याओं के बारे में बहुत गहन अध्ययन करते थे, बहुत अध्ययन के साथ बोलते थे, ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना सचमुच हम सब लोगों के लिये बहुत दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को चिर शान्ति प्राप्त हो तथा उनके दुखी परिवार को यह महान दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ सदन के नेता महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं मेरे दल और अपने आप को इसमें शामिल करता हूं।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री दलपतसिंह जी को अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मैं सदन के नेता महोदय द्वारा रखे गये शोकाभिव्यक्ति प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जैसा कि अभी कहा गया एक विधायक, ग्रामीण समस्याओं के प्रति जागरूक और हमेशा उनको उठाने वाले और अनुशासनप्रिय विधायक हमारे बीच में से चले गये। संसद में भी वे रहे। उनके चले जाने से जो रिक्तता हुई है, उसको पूरा करना कठिन है।

मैं ऐसे विधायक के हमारे बीच से चले जाने पर पूर्ण रूप से, हार्दिक रूप से अपने दल और अपनी ओर से उनको

(श्री नत्थीसिंह)

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस कष्ट को सहन करने की क्षमता दें।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने श्री दलपत सिंह जी के स्वर्गवास पर श्रद्धांजलि प्रस्ताव रखा है। विधान सभा में उन्होंने जो सवाल उठाये, हमारा प्रतिनिधित्व राजस्थान की ओर से राज्य सभा में किया और इस तरह के जिनका किसानों से बहुत बड़ा लगाव था, कृषि की समस्या और किसानों की समस्याएं वे उठाते रहे, उनका देहावसान हो जाना, हमारे बीच में से चले जाना निश्चित तौर से राजस्थान का नुकसान है, हमारी इस विधान सभा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं नेता महोदय के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को इस दुख के सहन करने की शक्ति मिले, यह उम्मीद करता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव रखा है और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार अपने इस शोक प्रस्ताव के ऊपर बताये हैं, उन सब में मेरे अपने विचार शामिल करता हुआ मैं श्री दलपत सिंह जी को अपने सहयोगियों और मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री लाल चन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय नेता ने अपने पूर्व सदस्य श्री दलपत सिंह जी के निधन पर जो शोक प्रस्ताव पेश किया है, उसमें अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके विचारों में शामिल करके उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति दें और उनके परिवार को यह शक्ति दें ताकि वे इस दुख को सहन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन में सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दलपत सिंह के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं।

श्री दलपत सिंह का जन्म पाली जिले के सिरियारी गांव में 22 नवम्बर, 1922 को हुआ। आपकी शिक्षा सर प्रताप हाई स्कूल एवं जसवंत कालेज, जोधपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। आपने एम. ए. तथा एल. एल. बी. की उपाधि प्राप्त की।

आप प्रारम्भ से ही समाज सेवा से जुड़े रहे। आप ग्राम पंचायत सिरियारी के सरपंच, तहसील पंचायत खारची के उप-सरपंच तथा पंचायत समिति खारची के उप-प्रधान भी रहे। सन् 1953 से आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे।

पंचम राजस्थान विधान सभा (1972—77) के लिए आप कांग्रेस के

(श्री अध्यक्ष)

उम्मीदवार के रूप में खारची विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप 1974–75 एवं 1976-77 में राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। सन् 1964 से 1966 तक तथा 1966 से 1972 तक दो बार आपने राज्य सभा सदस्य के रूप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया। संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में आपने 1970 में घाना, सेनेगल व गिनी तथा यूरोप में इंगलैण्ड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली और लेबनान की यात्रा की।

पशुपालन में आपकी विशेष रुचि थी। आप घुड़सवारी एवं राजस्थानी कविता के भी शौकीन थे। कृषि एवं भूमि सुधार के लिए आप सतत् प्रयत्नशील रहे।

लम्बी बीमारी के बाद सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1991 को आपका निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री दलपत सिंह को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को उनके बिछोह को सहन करने की शक्ति दें।

कृपया आधे मिनट के लिए मौन रखें।

(तत्पश्चात् माननीय सदस्यों ने आधे मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की।)

(श्री नत्थी सिंह के खड़े होने पर)

पहले मैं व्यवस्था सुना दूं।

विशेषाधिकार हनन का प्रश्न

श्री नत्थीसिंह : एक मिनट। मुझे एक मिनट सुन लें। अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ था, पशुपालन राज्य मंत्री माननीय श्री देवी सिंह भाटी ने जिस तरह से हमारी एक महिला सदस्या और दूसरे माननीय सदस्यों के लिए उत्तेजनापूर्ण शब्द कहे और सदन में जिस तरह का माहौल बना, उसके बारे में विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि उस पर आज ही चर्चा करा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का सिगनेटरी हूं। जिस प्रकार का व्यवहार कल सदन में हुआ, जेस्चर्स किये गये और टांग तोड़ने की बात कही गई, अभद्र और अपशब्दों का प्रयोग किया गया उसके बारे में जो हमारा प्रस्ताव है, उस पर आप चर्चा करायें यहां पर, तो आपकी बहुत कृपा होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं। नियम 158 में मुझे नोटिस मिला है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस में नहीं थे। मैं आपसे निवेदन करूं कि शब्दों की जहां तक बात है, शब्दों के साथ-साथ, जिस तरह से अपनी सीट से उठकर, अपनी बाहें चढ़ाकर और जिस तरह वह हमला करने को

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तैयारी में आये, निश्चित तौर से हमारे हाउस की कोई पिक्चर अगर जनता बाहर देखती टेलीवीजन पर, तो उनको महसूस होगा कि हम हाउस के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष : कह दिया आपने ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस समय माननीय गृह मंत्रीजी, जो अभी हाउस में नहीं है, वह अगर मौके पर नहीं होते, उन्होंने वहां से आकर उनको रोका, माननीय देवी सिंह जी अपनी सीट पर भी नहीं थे....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । ऐसा है, होली खेलने के बाद सब राम-राम कर देते हैं । होली में जिसकी जो समझ में आता है, वह कह देता है । और वह स्प्रिट नहीं है, तो नियम 158 का जो नोटिस मुझे मिला है, मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं । 158 का जो नोटिस मुझे मिला है, उसके बारे में मैं जांच कर रहा हूं ।

श्री नत्थी सिंह : कल तक आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज ।

श्री नत्थी सिंह : हाउस कल तक है । कल तक आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष ; मैं आज ही ... आप मिल लें मुझसे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आसन की व्यवस्था के विपरीत तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इतना प्रोटेक्शन में आपसे अवश्य चाहूंगी कि महिलाएं जब किसी विषय पर बोलें, और इस तरीके से व्यवहार, खास तौर से मन्त्रिमण्डल के सदस्य, करें और वह नियन्त्रण में नहीं रहें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करने चाहिए, यदि इन बातों के लिए अपने-आपको नियन्त्रित नहीं रखते हैं तो मैं समझती हूं कि हमारा तो यहां बैठना बेकार है । फिर हम लोग तो इस बात का बहिष्कार करेंगी और फिर मैं कुछ नहीं बोलूं और मुझे यह भी सोचना पड़ेगा कि फिर मैं इस विधान सभा में बैठकर के क्या करूं, क्या नहीं करूं । यद्यपि आप आसन पर नहीं थे फिर भी आपने इस बारे में सुना अवश्य होगा । तो मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करती थी कि आसन पर बैठने वाला व्यक्ति महिलाओं के मामले में इस तरह की अभद्रता के व्यवहार को उदारता बरत कर के और होली का उदाहरण देकर के डाइल्यूट करेंगे ऐसे बड़े इश्यू को । मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख किया है, मैं, जिस समय यह चर्चा हुई, सदन में उपस्थित था । जिस प्रकार की बातें हो रही थीं, मैंने उसको पसन्द नहीं किया । माननीय नत्थी सिंह जी ने खुद ने कहा कि गृहमंत्री जी ने जाकर उनको बैठाने की कोशिश की । कुछ उत्तेजना पैदा हुई लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, उत्तेजना में कोई सुमित्राजी के ऊपर, किसी प्रकार का

× × × शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आक्षेप लगाया हो, आलोचना की हो, इस प्रकार की बात नहीं थी .. (व्यवधान) सुनो तो सही। मुझे बोलने तो दो....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी कसर तो रखी नहीं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कसर तो रखी नहीं उन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, किसी तरह से सदन की माननीय सदस्या को और खास तौर से महिला सदस्या को इससे किसी प्रकार से कोई दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं कि इस मामले को यही समाप्त किया जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी, आपके खेद प्रकट करने के बाद वैसे भी कहने को कुछ नहीं रह गया है लेकिन मंत्रीजी जिस तरह का व्यवहार, चाहे सरकारी अधिकारियों के साथ करते हों, चाहे किसी महिला सदस्या के साथ करते हों, चाहे किसी और व्यक्ति के साथ करते हों, सहन करने के योग्य तो नहीं है, मुख्य मंत्री जी। लेकिन आपने खेद प्रकट कर दिया है तो कहने को मेरे पास भी कुछ नहीं रहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं कहता हूं। आपने तब यह कहा कि माननीय महिला सदस्या को इस सदन में बैठने से ही शर्म आती है, तो मैं समझता हूं कि आपकी उपस्थिति तो इस सदन में बहुत आवश्यक है। आप अगर इस सदन में नहीं होंगी तो निश्चित रूप से कई माननीय सदस्यों को इससे बहुत जबरदस्त वेदना होगी और खास तौर से (व्यवधान) मैं गम्भीरता से बोल रहा हूं। बोलने तो दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट मैं आपसे अर्ज करूं, आप तो इतनी गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, आपके दल के सदस्यों को इस बात का किंचित भी ना तो खेद है न उनको बुरा लगा है। अगर इस प्रकार की परम्परा रही तो उसका अंत कहां होगा ? आप खुद समझदार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रद्युम्न सिंह जी, किस-किस व्यक्ति को खेद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में खेद प्रकट करता हूं। इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती। अब मैंने तो केवल, उन्होंने जिस प्रकार की बात कही कि उनका सदन में बैठना भी उचित नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। आप सदन में रहें और सदन में रहकर हम लोग जिस प्रकार से बोलते हैं, आप तो × × हैं, × × की भी आपको छूट होगी पूरी।

एक माननीय सदस्य : और × × ×

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं, टांगें तो कहीं नहीं टूटती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मुझे और चन्द्रभानजी को एक-एक गनमैन दे दीजिए। दोनों को पूरा खतरा हो गया है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना इन्तजाम कर रहा हूं कि आपको और चन्द्रभान जी को पास-पास नहीं बैठने दूंगा। गनमैन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमको खतरा आपस में नहीं हुआ है ...हम दोनों की रक्षा के लिए आप....एक-एक गनमैन दे दीजिए, बस।

सूचना

बेरोजगार इंजीनियर्स का प्रदर्शन

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य के बेरोजगार इंजीनियर्स अभी विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आज राजस्थान में 2000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं और उनको दरदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पुलिस ने अभी बरबर्तापूर्वक लाठी चार्ज किया है। मैं चाहता हूं, सम्बन्धित मंत्री उनकी मांग को सुने और इसके बारे में आज ही स्टेटमेन्ट जारी किया जाए कि किन परिस्थितियों में इन बेरोजगार इंजीनियर्स को, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, विधान सभा के सामने अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से निर्ममतापूर्वक ढंग से अत्याचार किया गया है, इसकी जांच की जाए। और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। इसके साथ-साथ इस हाउस में आज ही इसके बारे में स्टेटमेन्ट आना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : सहकारी व्यवस्थापकों की हड़ताल लम्बे समय से चली आ रही हैं। वितरण व्यवस्था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं। पहले एक को बोलने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : वह ही बोल रहा हूं मैं।

डा. चन्द्रभान : सहकारी व्यवस्थापकों की हड़ताल लम्बे समय से चली आ रही है। वितरण व्यवस्था ठप्प है। आज उनका प्रदर्शन हो रहा है, रामनिवास बाग से उनका जुलूस चला उससे पहले उसको रोक लिया गया। कम-से-कम पांच हजार से ज्यादा व्यवस्थापक आज यहां पर प्रदर्शनी में आना चाहते हैं। उनको आने देना चाहिए और सहकारिता मंत्रीजी इस सम्बन्ध में बातचीत कर के कोई रास्ता निकालें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकना चाहिए। उनको वहीं रोक दिया गया। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। ज्ञापन ले लें, करना न करना आपके हाथ में है लेकिन आप प्रदर्शन को रोक रहे हैं ...

श्री नत्थी सिंह : मेरा एक कॉल अटेन्शन नोटिस है ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। पूरे राजस्थान भर से

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

यह लोग आये हुए हैं। इसका समाधान निकालना चाहिए।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय कल्ला साहब ने कहा कि 200-300 लाठी खाकर के उधर से इधर आये हुए हैं, तो उनकी एक मांग है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी दो मिनट उनको समय दे दें उनके डेप्युटेशन को ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्थापकों को ?

डा. हरिसिंह : नहीं, इंजीनियर्स को। व्यवस्थापकों को तो आप नजदीक ही नहीं आने दे रहे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मिल लिया हूं। उनको मैंने 20 तारीख को बुलाया भी है।

श्री हरिसिंह : उन्होंने एक बात और कही। पता नहीं वह बात आपसे हुई होगी....

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

एक माननीय सदस्य : व्यवस्थापक।

डा. हरिसिंह : मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, वह मैटर ऐसा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के वजह से एक वेक्यूम क्रियेट हो गया है। वेक्यूम होने से जो कुछ भी फंड्स सेण्ट्रल बैंक के, सोसाइटी के अपेक्स बैंक के. वह फंड्स तो क्रियेट हुए नहीं। सेन्ट्रल बैंक के पे स्केल्स 1989-90 में रिवाइज हो गये। सेण्ट्रल बैंक.... उनको सेलेरी देते रहे। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में ऐसा वेक्यूम हुआ कि आज उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। यह बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। तब हड़ताल पर हैं। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है. वह डिस ऐरे में आ गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई-न-कोई निर्णय मुख्य मंत्री जी, जल्दी लिया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि वह मुझ से मिल चुके हैं। जिस प्रकार की स्थिति है उसकी मुझे जानकारी दी है। समस्या बड़ी जटिल है। इसलिए मैंने उनको 20 तारीख का समय दिया है कि बैठकर के इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, आपस में बात कर लें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि एक तो स्नातक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, और कॉपरेटिव विभाग के जो व्यवस्थापक, सारे राजस्थान भर से इकट्ठे होकर सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए आये हैं, आप उनके प्रतिनिधियों को अपने कक्ष में बुलाकर और सम्बन्धित मंत्रियों से उनकी बात करवा कर इसका कोई-न-कोई रास्ता आज ही निकालने का कष्ट करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है, 10-15 मेम्बर्स के उस पर दस्तखत हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

20 तारीख को उनसे वार्ता करेंगे। हड़ताल काफी दिन से चली है और वार्ता उनसे अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि हाउस चल रहा है इसलिए हम से कह दिया। हम चाहते हैं कि इस सदन में आज उसका स्टेटमेण्ट तो लिया जाए। मुख्यमंत्री जी, उनकी काडर अवधि समाप्त कर दी गई है। हाई कोर्ट में पूर्व में इस तरह से जो फैसला दिया था कि जो लोन सुपरवाइजर हैं उनको बैंक का कर्मचारी मान लिया जाये यही वह है। जब फैसला हो गया हाई कोर्ट का तो उनको बैंक का कर्मचारी घोषित कर दें। आज आप इसमें स्टेटमेण्ट क्यों नहीं दे देते। 20 तारीख की आज बात कर रहे हो। 20 तारीख को असेम्बली नहीं है। हमको पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनको कई महीने हो गये हड़ताल पर होते हुए। हड़ताल बदस्तूर चल रही है और 10 दिन से सदन चल रहा है। उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। हमने 5-6 रोज पहले उसका स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। हमको आपने कोई रूलिंग नहीं दी। हम चाहते हैं आज विधान सभा में चार बजे बाद इसमें स्टेटमेण्ट आ जाए। जो भी सरकार सोचती है, उचित कदम लेना, हमको भी बता दें। हमको भी मालूम पड़ जाएगा। 20 तारीख बाद क्या निर्णय होगा? उस निर्णय से वह संतुष्ट नहीं हुए तो?

श्री अध्यक्ष : आपने अपना पाइण्ट रख दिया है। रिपीट मत कीजिए। और हैं बोलने वाले।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, उनका राइट है प्रदर्शन करने का प्रदर्शन करने की इजाजत तो दीजिए। क्यों रोका जा रहा है जुलूस को?

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि मैंने 12 तारीख को कॉल अटेन्शन नोटिस इस समस्या के सम्बन्ध में आपको दिया। आपने कहा भी था 6 दिन में जवाब नहीं आयेगा तो निश्चित रूप से इसको लगा देंगे। उसके बाद जब को-आपरेटिव डिपार्टमेंट की बहस हुई आर्डिनेन्स पर और बिल पर, तब भी मैंने इस सवाल को उठाया, माननीय मंत्रीजी एक शब्द इस बारे में बोले नहीं। आज पांच हजार की तादाद में वह लोग आये हुए हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि उनको रोका क्यों जा रहा है। उनका यह जनतांत्रिक अधिकार है, वह आयें और प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें। उनको वहीं रोक दिया गया है। पहले तो उनको आने दिया जाय, दूसरा आज चार बजे स्टेटमेंट दे दें, कोई बात नहीं, नहीं तो कल आप हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को जगाइये, उसमें सरकार क्या चाहती है? वह लोग चाहते हैं कि बैंक के कर्मचारी बनें या उनको राज्य का कर्मचारी माना जाये। उनकी व्यवस्था क्या हो? आज तो कह दिया गया है कि रूल्स 1977 के खतम हो गये। कौनसे रूल्स लागू हैं? सारी तनख्वाह देना बन्द हो गया, कोई बैंक उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है और सोसायटी में कोई फण्ड नहीं है। 1969 के रूल्स की बात कहते हैं ना, उसमें तो रुपये भी नहीं मिलते। आज बड़ी विषम परिस्थिति में वह लोग हैं। एक दो नहीं, चार-पांच हजार के बीच में यह कर्मचारी हैं। बिना उसके ग्राम सेवक सहकारी समि-

(श्री नत्थी सिंह)

तियों की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, वह चल नहीं सकती, जो सार्वजनिक ऋण प्रणाली का काम है वह भी नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या को लेकर आप सरकार को कहें या तो वक्तव्य दें, नहीं तो कल काल अटेंशन लगाइये। उन प्रदर्शनकारियों को यहां आने दीजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से जानना चाहता हूं, यह जो प्रदर्शन रोका गया है, किनके आदेशों से रोका गया है, क्या मंत्रिगण के आदेशों से रोका गया है या नीचे किसी अधिकारी के आदेशों से रोका गया है और किन नियमों के तहत रोका गया है? इसका स्पष्टीकरण सरकार दे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के बारे में कहा नहीं।

श्री अध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी जोर देकर बात कही और सरकार भी इस सम्बन्ध में सुन रही है। (व्यवधान) सुन तो लीजिये पहले आप। मेरी बात तो सुन लीजिये पहले। आपने एक सुझाव दिया, इन्जीनियर्स के प्रतिनिधि मेरे वहां मिलें। स्वागत है उनका, मिला दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मिल लूंगा।

सहकारी व्यवस्थापकों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया 20 तारीख को उनकी वार्ता हो रही है।

जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, सामान्यतया लोगों का विश्वास विधान सभा में है और इसलिये विधान सभा चल रही है तो जनता विधान सभा के सामने इस विश्वास के साथ आती है कि हमारी सुनवाई होगी। इसलिये उनको रोकने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, हो सकता है उसमें पुलिस की कोई व्यवस्था हो कि एक हो जाय, फिर दूसरा आये, कन्फ्रन्टेशन नहीं हो। I don't know, मैं एक प्रिजम्पशन करता हूं, यह देखने की बात है सरकार की। लेकिन सामान्यतया किसी के प्रदर्शन को रोकने का कोई सवाल नहीं है। रोका जाना नहीं चाहिये और मैं समझता हूं विधान सभा के सामने अपनी बात कहने का जनता को अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से और यह विश्वास जब तक जनता का विधान सभा में है, तब तक डेमोक्रेसी अक्षुण्ण है, मैं यह मानता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह लाठी-चार्ज हुआ है, उसके बारे में?

श्री अध्यक्ष : हां, वह बता देंगे सारी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज वक्तव्य दिलवा दें उस बारे में।

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं, आप सुन तो लीजिये। आज चार महत्वपूर्ण विषय आपके सामने हैं, महंगाई, अकाल, शांति और व्यवस्था और पेयजल। इसलिये आज मैं कोई एडजोर्नमेंट मोशन बोलने के लिये नहीं लगा रहा हूं, नियम 295 के प्रस्ताव भी नहीं लगा रहा हूं। आज के और कल के नियम 295 के प्रस्ताव सब पढ़े हुए माने जायेंगे, जिनके जवाब आपके पास में आयेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो कल आपने पुकार दिया था उस बीच में वह हो गया, मेरे को तो आज आप बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह आयेगा, आयेगा। तो कल जो बचे हैं...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह बहुत इम्पार्टेण्ट मसला है।

श्री अध्यक्ष : सारे ही इम्पार्टेण्ट हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अस्पतालों में लोगों की मृत्यु हो रही है, कोई चिकित्सा व्यवस्था है नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, मैं खड़ा बोल रहा हूं, यह बात मेरे बैठने के बाद भी कह सकते थे। जब मैं खड़ा हूं, आप खड़े होकर बोल रहे हैं। यह सामान्य शिष्टाचार की बात है माननीय सदस्यों के लिये। अब इसका भी पालन आप नहीं करें और फिर मुझे दोष दें कि आप तैश में हैं, क्या करूं मैं? तो मैं जब बोल रहा हूं, मेरे बैठने के बाद बोल लें। मैंने कोई रोका तो नहीं किसी को। आप पहले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन मेरे पास हैं, कल जितने लगाये जा सकते हैं, मैं कल लगाने की कोशिश करूंगा। आज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो मैं व्यवस्था यहां दे रहा हूं, कृपया उसमें मेरा सहयोग करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली उपखण्ड मुख्यालय पर ए. डी. जे. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के लिये उपलब्ध कालीसीज बांध व उसकी नहरों की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा गोविन्दगढ़, जिला अलवर में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलने से स्थानीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल मीणा व तीन अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका बूंदी के अधिशाषी अधिकारी श्री मूलचन्द शर्मा के विरुद्ध कथित अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के आरोप होने के संबंध में।

(5) श्री लक्ष्मीलाल व श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत क्षेत्र भोली पुलिस स्टेशन, सदर थाना, भीलवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत श्रीमती एजन की सुसराल वालों द्वारा कथित हत्या पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से मीणा समाज के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं उच्च श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूर्व विवाहित पत्नी को छोड़ कर दूसरी शिक्षित महिलाओं से दूसरा विवाह कर लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) व डॉ. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के पुलिस थाना बोर्ड के अन्तर्गत झाडली गांव में गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे को लेकर 26 अगस्त, 1991 को श्री भूदाराम की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से अरनोदा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. आर. सुखाड़िया की दिनांक 26 अगस्त, 1991 को वहां के मेडिकल स्टाफ द्वारा कथित हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले के वीरमीनी गांव में अगस्त, 1990 में सिंचाई विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के एक खडीन का कार्य शुरू करने के तीन माह बाद उस कार्य को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट टंगस्टन डवलपमेंट कारपोरेशन लि., डेगाना, जिला नागौर में कार्यरत 118 महिला श्रमिकों को नौकरी से निकाले सम्बन्ध में।

(2) श्री श्रीचन्द्र कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में चने के पत्थर की लीजेज देने एवं उन्हें चालू रखने में अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 व 1986 की खुली अवहेलना कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशवरायपाटन, बूंदी, कृषि उपज मंडी समिति में व्याप्त कथित गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में।

(4) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में सिंचाई हेतु बने मेजा प्रोजेक्ट तथा कोठारी प्रोजेक्ट के कैचमेंट एरिया में एनीकटों के निर्माण से सिंचाई में होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में।

(5) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर के ग्राम रामसीन में दिनांक 11-9-1991 की रात को श्रीमती ज्ञानकंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं (डिप्लोमाधारी) को 30 प्रतिशत से अधिक दी गई कार्यवाहक पदोन्नति को रद्द कर कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) को सहायक अभियन्ता पदों पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री डूंगरपुर शहर व उसके देहाती क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत प्रदाय करने हेतु श्री डूंगरगढ़ में 132 के. वी. का बिजलीघर निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

(0) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सलूम्बर को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के गांव विरोटी व डैयावाडा की काश्तकारों की जमीन लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर के नाम दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में वर्ष 1981 में भीषण वर्षा से आयी बाढ़ के कारण सात प्रमुख नालों में हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

आज की कार्य सूची में लगे महत्वपूर्ण विषयों एवं विस्तृत कार्य सूची होने के कारण समयाभाव की दृष्टि से यह सभी प्रस्ताव पढ़े हुए माने जायेंगे।

कल दिनांक 17 सितम्बर, 1991 के नियम 295 के प्रस्ताव भी पढ़े हुए माने जायेंगे।

(दिनांक 17 व 18 सितम्बर, 91 के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

डा. चन्द्रभान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष जी, अभी मुख्य मंत्री जी ने × × × किया। आपने जो स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था पढ़ी, ऐसा लगता है उनको राज्य सरकार के पास भेजने की तकलीफ नहीं करेंगे ऐसा मुख्य मंत्री साहब ने × × × कर दिया कि खोले जा चुके हैं, इस तरह आपसे × × × किया। वह खड़े होकर और कह दें तो इसको भेजने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से....

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामकरण सिंह)

श्री अध्यक्ष : अब आप × × समझ ही गये तो फिर क्या है, ठीक हैं।

श्री रामकरण सिंह : × × × तो समझ गया लेकिन अगर एक दफा अपनी बात मुखारविन्द से घोषणा कर दें तो बहुत ही उत्तम होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो असेम्बली सेकेट्री हैं उनकी जो रैंक है उसमें जो बुक्स हैं उनकी वजह से ओब्स्ट्रेक्शन हो रहा है मुख्यमंत्री के और मेरे आई केचिंग में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मुझे भी बहुत दुःख होता है।

श्री परसराम मदेरणा : इससे मैं चाहता हूं आप कहीं × × × करते हैं, कई दफे आंखों से करते हैं कई दफे हाथों से करते हैं। कई दफे सदन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका इरादा बोलने का, स्पष्टीकरण देने का है या नहीं, हम सदन के नेता को देख नहीं सकते। ऐसे स्थान से हम आपको देखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आपका ओब्स्ट्रेक्शन अलग करवा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी का चेहरा देख कर आधा क्रोध तो हमारा वैसे ही शान्त हो जाता है। इसलिए इसको हटवा दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है, मैं भी प्रद्युम्न सिंह जी का चेहरा देखने के लिए तड़फता रहता हूं। वह चेहरा दीखता नहीं, इसलिये इसको दूर हटवा दीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कल स्थगन प्रस्ताव था उस पर आपने दो मिनट बोलने की इजाजत दी थी। मुझे बुलवाएंगे ना ?

श्री अध्यक्ष : कल 19 तारीख को बुलवा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम, 119 के अन्तर्गत एक सब्स्टेंटिव मोशन रखा है, मैं आशा करता हूं आपको प्राप्त हुआ होगा। उसकी अर्जेन्सी, अध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं। रूलिंग पार्टी का कोयलेशन पार्टनर है जनता दल (दि.)। उस जनता दल (दि) के महासचिव हैं अशोक सिंह। गोपाल सिंह हाडा के वक्तव्य को अशोक सिंह के हस्ताक्षर युक्त मैंने स्टेटमेंट लगाया था। कल जो सदन में चर्चा हुई वह तो उसकी अंश मात्र झलक आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मान कर चलता हूं आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा और पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि इस स्टेटमेंट में जितने तथ्य अंकित हैं उनकी

××× शब्द/अभिव्यपित माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गई।

इन्फार्मेशन का सोर्स सिवाय गृह मंत्री के और कोई नहीं हो सकता। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे को आप अनुमति....

श्री अध्यक्ष : कब दिया है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी देख लेता हूं और देख कर आपको मूव करना है या नहीं उस की परमीशन दूंगा। आपने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया। आप मेरे चेम्बर में मिल लीजिए। मैं आपके सामने देख लूंगा। आपने अपनी बात कह दी, मेरा ध्यान आकर्षण कर दिया। यही तरीका है, यही नियम है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, नियम 127 के अन्तर्गत मैंने भी तिलम संघ की अनियमितताओं के बारे में नोटिस दिया था। कई दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में मिल लीजिए। 127 का नियम यह है कि एक सप्ताह में केवल दो लगाये जा सकते हैं, यह आपके रूल्स में प्रोवाइडेड है। इसलिए आप चैम्बर में आकर मेरे से मिल लीजिए। मैं आपको सारी स्थिति बता दूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक तो कल आपने मेरा नाम पुकार लिया। इसके अलावा मैंने नियम 131 में जयपुर और झुंझुनूं सहित विभिन्न नगरपालिकाओं, शहरों में सड़कों की खस्ता हालत के संबंध में स्थगन प्रस्ताव आपको परसों दिया था।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आज आप दो बजे मिल लीजिए।

डा. चन्द्रभान।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सैकेण्ड, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। हमने दो तीन मंत्रियों के खिलाफ सेन्सर मोशन दे रखे हैं और दिये हुए काफी लम्बा अर्सा हो गया है। उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं आई। कृपा करके व्यवस्था दें। एक आज जो व्यवस्था दी है, वह तो शिरोधार्य है, उसमें स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति नहीं दी, 295 की नहीं दी और बी. जे. पी. के पांच आदमियों को कालिंग अटेन्शन मोशन ...

श्री अध्यक्ष : वह तो कालिंग अटेन्शन लगे हैं, बी. जे. पी. से मतलब नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच कालिंग अटेन्शन मोशन एक ही पार्टी के हैं और विपक्ष को मौका नहीं मिला है, आप पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह इतने महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं थे। तिलम संघ का मामला इतना महत्वपूर्ण था। सरकार भी भ्रष्टाचार के मामले में काफी सजग है ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिराजिए। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं माननीय पारीक जी, आपकी बात मैंने सुन ली, आप मेरे से चेम्बर में मिलिए, मैं आपको सारी स्थिति समझा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके

(श्री अध्यक्ष)

बिराजिए, मैं चौथी बार कह रहा हूं, प्लीज बिराज जाइये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

देश प्रदेश में व्याप्त महंगाई

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, महंगाई जैसे मुद्दे पर आपने अलग समय के लिए चर्चा करने की इजाजत कल भेजी थी और आज फिर दी उसके लिए हम सब सदन के सदस्य आपके आभारी हैं। वैसे यह विषय लम्बी चर्चा का है । महंगाई एक ज्वलंत समस्या है, एक गम्भीर समस्या है । जब महंगाई की चर्चा की जाती है तो, अध्यक्ष महोदय, आज देश में इस तरह का वातावरण बना हुआ है, लोगों में एक निराशा का भाव आ गया है कि कोई भी सरकार आ जाय महंगाई को कम नहीं किया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता । जनता पार्टी हुकूमत आई थी, उस समय पहली बार लोगों को आभास लगा कि महंगाई कम हो सकती है मूल्य वृद्धि कम हो सकती है लेकिन आज हम आम आदमी इतने पर ही सब्र करने को तैयार है कि बाजार में जिन चीजों का मूल्य आज की तारीख में है वही यदि न बढ़े तो उनको सुकून होता है । मूल्य बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने को तो कोई उम्मीद नहीं करते हैं । पिछले दो तीन महीनों से महंगाई बढ़ रही है और उसका असर सभी वर्गों पर पड़ रहा है । आज का गरीब, निम्न तबका, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है, उसके साथ-साथ मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग तक महंगाई से प्रभावित हो रहा है । महंगाई बढ़ने की वजह क्या है ? महंगाई बढ़ने की वजह भी साफ है कि सबसे पहले तो चाहे केन्द्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी स्पष्ट दाम नीति नहीं है ।

यह बात ठीक है कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था खराब है लेकिन एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट है । और उस संकट के नाम पर खुले बाजार की जो अर्थ व्यवस्था है, जिसकी घोषणा भी सरकार ने कर दी कि मूल्यों पर किसी तरह का नियन्त्रण नहीं होगा, उससे जमाखोर और लूटने वाला जो तबका है उसको इस वातावरण का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है । जहां तक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का सवाल है, राजस्थान में तो यह सिस्टम खुला नहीं, और कुल मिलाकर देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिस तरह से मजबूत बननी चाहिए वह नहीं है । इसलिए गांव के साधारण, गरीब लोगों को परिवार को चलाने की जो जरूरी चीजें हैं वह न तो समय पर और न सही मूल्य पर उपलब्ध होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जहां बजट में घाटा होगा जहां विदेशी कर्जा 1.23 लाख करोड़ होगा, देशी कर्जा भी लाखों करोड़ में होगा, जहां विदेशी मुद्रा का संकट होगा, बैलेन्स ऑफ पेमेन्ट का संकट होगा, वहां इस तरह की स्थिति बनेगी । गैर योजना खर्च में भी बढ़ोतरी होती जा रही है । इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो पैरेलल इकानोमी चल रही है, काले धन को निकालने की सरकार की कोई मजबूत इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई देती है और न ही कोई इस

(डा. चन्द्रभान)

तरह की योजना की सरकार ने घोषणा की है जिसके चलते जरूरी चीजों के दाम न बढ़ें, मुद्रा स्फीति न बढ़े। पिछले हफ्तों में 15,30% तक पहुँच गई और आने वाले कुछ समय में, यदि यही स्थिति रही, तो 20% के आस पास पहुँच जाएगी, जबकि पिछली सरकार, केन्द्र में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी तो यह दर 7.6% थी। जहां थोक मूल्य सूचकांक का सवाल है, अगस्त महीने में 8.6% से ज्यादा हो गया जबकि पिछले महीने में दर 5.6% थी।

अप्रेल-जुलाई 1991 तक यह 6.5 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो रही है; मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या तो है नहीं, और जो थोड़ी बहुत राजस्थान में है, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, वहां राजस्थान प्रदेश में व्यवस्थापकों की हड़ताल चल रही है। इसके चलते हुए जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, वह भी चरमरा गई है। प्रदेश में अब एक अजीबो-गरीब स्थिति बनेगी कि एक तरफ जो जरूरी चीजें, जिनकी महंगाई के समय में विशेष रूप से यहां पर चर्चा होती है और ये सब चीजें ऐसी हैं उत्पादन खेती में

(समय 12.50 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

किसान करते हैं, वे चीजें महंगी हो गई हैं लेकिन किसान को महंगाई का लाभ नहीं मिल रहा है। आज आलू 5 रु. किलो है, प्याज 8 रुपये किलो है, टमाटर 16 रुपये किलो है और, इतना ही नहीं, आटा बाजार में 5.50 रुपये किलो है, चीनी का का दाम 10.50 रुपये किलो है, लेकिन किसान को क्या मिला! किसान को जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है या किसान को बाजार में जो गेहूं का मूल्य मिल रहा है या उसको प्याज या आलू का दाम मिल रहा है या गन्ने का दाम मिल रहा है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कारखानों में पैदा होने वाली चीजों के दामों पर कोई नियन्त्रण नहीं।

मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि ये जितनी मोटर गाड़ियां हैं, जितने ट्रक्स हैं, जितनी जीपें हैं, जितनी कारें हैं, इनके दामों में कितनी वृद्धि हुई है, उपाध्यक्ष महोदय। जो ट्रक आज से 10 साल पहले डेढ लाख रुपये में आता था, आज वह 4 50 लाख रुपये में आता है। मोटर कारों के दामों में बढ़ोतरी हो गई। पैट्रोल के दाम बढ़ गये। उसका असर आम आदमी पर पड़ता है। आज से चार महीने पहले जब हम आटो रिक्शा में बैठकर राजस्थान विधान सभा आते थे तो 10 रुपया आटो रिक्शा वाला विधायक नगर से लेता था, और आज हम 20 रुपये में आते हैं और रात के समय में तो और भी ज्यादा लगता है। यह राजस्थान सरकार बैठी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है, इनके लिए छोटी बात हो चूंकि रविवार को भी सरकारी गाड़ियां खूब दौड़ती हैं। मंत्री लोगों को आटो रिक्शा की जरूरत कभी पड़ती नहीं होगी। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इसकी चिन्ता ही नहीं

(डा. चन्द्रभान)

करती है। लूट हो रही है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और इस तरह से महंगाई का असर हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। केवल खाने पीने की चीज का सवाल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, रेल का किराया बढ़ा दिया गया, बस का किराया बढ़ा दिया गया, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है।

मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहूंगा, कि चूंकि राजस्थान में भारतीय जनतापार्टी की सरकार है, इसलिए यहां का व्यापारी वर्ग यह मानता है कि यह सरकार तो सरकार अपनी है, जो चाहें सो करें। आज से एक महीने पहले जौहरी बाजार में एक बड़े तेल के विक्रेता ने मिलावट की, दो लोगों की जानें गई, कई लोग बीमार हो गये, अस्पताल में पहुँच गये। फूड विभाग के इंसपैक्टर आए, वहां पर हड़तालें हो गई, उन्हें दुकानों को चैक नहीं करने दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मंत्रालय को इस बात की जानकारी है, इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने एक सवाल भी लगाया था, उसका कोई जवाब भी नहीं आया।

पिछले 8 महीने से झुन्झुनू जिले की जनता को गेहूं, जो राशन का होता है, वह पूरा नहीं मिल रहा है। जिलाधीश महोदय ने तीन बार खाद्य मंत्रालय को लिखा लेकिन गेहूं उनको नहीं मिला। चीनी, तेल, गेहूं, जो जरूरी चीजें हैं वह आम आदमी तक पहुँचती नहीं है, और जो वितरक लोग हैं, कोटे वाले या परमिट वाले लोग हैं, वे लोग उसको पहुँचाते नहीं। और क्यों पहुँचाएं?

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगा कि जिन दरों पर उनको दिया जा रहा है, उसे गांव तक पहुँचाने में में उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस विषय पर और भी कई लोग बोलेंगे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पिछले 2–3 महीनों से ऐसी स्थिति बनती जा रही है, और बड़े अफसोस और चिन्ता की बात है, कि लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो सरकार बनी हुई है, वह महँगाई को कम कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकार यदि केन्द्र को दोष दे तो इससे काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसे सुधारे, जो ब्लेक मार्केटियर्स हैं, जमाखोर हैं, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करे, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ किसान को उसकी फसल का कोई दाम नहीं मिलता है। कारखाने में पैदा होने वाली चीज के दाम आटोमैटिकली बढ़ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। क्या उनका थोक मूल्य, क्या उनका खुदरा मूल्य और जो बाजार में दुकानें हैं, उनके ऊपर भी जो रेट लिस्ट लगी होनी चाहिये, वह रेट लिस्ट भी नहीं

(डा. चन्द्रभान)

लगी रहती है। अब या तो यह हो सकता है कि खाद्य और रसद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग की इन व्यापारी लोगों से मिली भगत होगी या उन्होंने भी यह मान लिया कि इतना डिमोलाईजेशन आ गया है इस विभाग के कर्मचारियों में और अधिकारियों में कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये व्यापारी लोग हैं। जो मैंने एक उदाहरण दिया जौहरी बाजार का, इस तरह से सब जगह पर दुर्व्यवहार करते होंगे। इसलिए उन लोगों को चैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको मजबूत किया जाना चाहिये।

यह बात मानते हैं कि केन्द्र सरकार जो बजट रखा और जो नीति अपनाई है, उसमें भी नियंत्रण की नीति नहीं रहेगी। उसके चलते जो दामों में बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी में और ज्यादा बढ़ोतरी न हो जाए, इसके लिए राज्य सरकार को चैक करना चाहिये, अपनी प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना चाहिये और जो जरूरी चीजें हैं वे ग्राम जनता और गरीब उपभोक्ता को समय पर मिलनी चाहिये। और यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यह करने में सक्षम नहीं हो तो मेरा एक और सुझाव है। मुख्यमंत्री जी बार-बार अन्त्योदय परिवारों की चर्चा करते हैं। एक योजना भी बनाई थी, वह योजना पापुलर भी हुई थी परन्तु गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। जो गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, उनके लिए जरूरी चीजों के मूल्य अलग होने चाहिए और जो लोग साधन सम्पन्न हैं उनके लिए चीजों के दाम ज्यादा होने चाहिये। जो लोग एक-एक रात में 10-10 हजार रुपये खर्च करते हैं भोग और विलास के लिए, वे 50 रुपये किलो की चीनी भी खरीद सकते हैं लेकिन जिन लोगों को 20-22 रुपये रोज की मजदूरी भी नहीं मिलती है, उनके लिए चीनी के दाम। और डेढ़ रुपये किलो होना चाहिये। 10-10 पैसे की वृद्धि होती है तो भी उनके सुबह शाम की चाय पीने का इन्तजाम मुश्किल हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ग्राम पंचायत बनाए। जिन ग्रामों की जनसंख्या 1000 के आस-पास है, उन सभी गांवों के अन्दर सही और सस्ते मूल्य की दुकानें स्थापित करें और इस तरह की व्यवस्था करें कि चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, कपड़ा हो, चाहे चीनी हो, चाहे वह अनाज हो, परिवार को चलाने में जो भी जरूरी चीजें हो, वे सब उन लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलनी चाहिये। जो बड़े लोग हैं उन लोगों को उन दुकानों से सामान नहीं मिलना चाहिये। होता क्या है कि जितने भी सुपर बाजार हैं या दूसरी दुकानें हैं उनका लाभ भी बड़े लोग उठाते हैं, गरीब लोग तो वहां पहुँचते नहीं हैं। इसलिए शहर के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर वार्ड में, बड़े-बड़े गांवों में, ग्राम पंचायत केन्द्र पर, म्युनिसिपैलेटी टाउन में जगह-जगह इस तरह की दुकानें खुलें और उनके

(डा. चन्द्रभान)

लिए, जरूरी हो तो, सरकार सब्सिडी देने की भी व्यवस्था करे। इसी के साथ में इस तरह की मूल्य नीति बननी चाहिये कि किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिले और उपभोक्ताओं का भी शोषण बन्द हो और जो बिचोलिये लोग हैं, मिडिलमैन लोग हैं, जिस तरह से देश में लूट का माहौल बनता जा रहा है, लूट मचा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिये और केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिये कि कम से कम बाजारों में मूल्य की जो स्थिति है उस पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये और कारखानों में जो चीज पैदा होती है उनके मूल्य भी स्थिर रहने चाहियें। यह नहीं हो कि कारखानों को लाइसेंस दे दिया, अपने यहां से बाजारों में जो भी प्रोड्यूस भेजा, जो चाहा उसका रेट कर दिया। जूता हो, कपड़ा हो, साबुन हो, उसकी रेट के लिए कोई पूछने वाला नहीं। टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। चीजें महंगी हो रही हैं। इस साबुन से नहाने पर सौन्दर्य चमकता है और श्रीदेवी और हेमा मालिनी जैसी शक्ल हो जाती है, उस साबुन के दाम बढ़ जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कौनसा साबुन लगाया था ?

श्री चन्द्रभान : तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अन्त में इतना ही कहना है कि ये मीडिया के माध्यम से आज एक माहौल बनता जा रहा है, उसके चलते भी चीजों के मूल्य बढ़ जाते हैं, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिये। अन्त में मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि यह महंगाई का मुद्दा है, इस सदन को गम्भीरता से लेना चाहिये। मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी, मध्यम वर्ग, कर्मचारी वर्ग, और यहां तक कि अधिकारी वर्ग भी, जो ईमानदार अधिकारी हैं, और यहां तक कि जो विधायक है, उनका जीवन यापन और अपने परिवार का गुजारा चलाना भी मुश्किल काम हो गया है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथसिंह जी।

(1.00 म.प.)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई से जिस प्रकार से देश आज त्रस्त हैं, उस पर अध्यक्ष महोदय ने प्राथमिकता से चर्चा कराकर जो समय दिया, उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में माहौल बनता जा रहा है चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह पाश्चात्य सोच के अर्थशास्त्री हों, चाहे वह देश को दक्षिण पंथ की ओर ले जाने वाले लोग हों, सब इस देश में एक माहौल बना रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और देश को बहुत बड़े अनुशासन की आवश्यकता है।....

देश की जनता को कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके नाम पर रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया, उसके नाम पर ओपन इकोनोमी की गई कि कोई भी विदेश से आओ, इस देश को चरागाह समझो,

(श्री यदुनाथ सिंह)

50 प्रतिशत से ऊपर की इक्विटी रखो, मालिक इस देश के बन जाओ। यह आर्थिक गुलामी का रास्ता है और उसी पर चलते आज देश में भाव आसमान को छू रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, उससे एक कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का भी सोच है। भारतीय जनता पार्टी भी हामी है कि इस देश में खुली अर्थ व्यवस्था हो, देश दक्षिण पंथ की ओर जाये। मुझे कई बार शंका होती है कई बार कि आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंदरुनी समझौता हुआ है, उसका परिणाम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव देखने को भी मिला, एक इशारा भी हमें मिला और उसके चलते एक बुरे रास्ते पर ले जाने का षड्‌यन्त्र देश में किया जा रहा है। बेलेन्स ऑफ पेमेण्ट खराब हो गया। किसने किया, किसके लिए किया, किन सेक्टर्स में वह पैसा गया, आप कहां से उसको वसूल करना चाह रहे हो, यह सारी चीजें हैं जो हमारी कीमतों पर आज असर डाल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डैफीसिट फाइनैंसिंग की बुरी बीमारी इस देश में पैदा हो चुकी है और आज दस हजार करोड़ के करीब हमारा डैफिसिट है। जो 1948 में एक करोड़ था, यानि दस हजार गुना हमारा डैफिसिट बढ़ गया। इकोनोमी के लिए एक सीमा तक डैफिसिट बढ़ना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है लेकिन जब कैपिटल खाते से रेवेन्यू खाते में पैसा जाना शुरू हो जाये, जो परिपाटी, परम्परा खास तौर से 1984 शुरू हुई, उसका परिणाम यह निकला है कि विकास के लिए, प्रोडक्टिव एलीमेण्ट्स को मजबूत करने के लिए, उत्पादन के तत्वों को मजबूत करने के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए था, वह रेवेन्यू अकाउण्ट में कैपिटल से जा रहा है। तनख्वाहों पर, वेजेज पर, टी ए., डी.ए., एस्टेब्लिशमेंट पर, गवर्नमेंट खर्च पर वह सारा पैसा खर्च होने का काम शुरु हुआ है। यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है और मैं देश में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इसी को मानता हूं। जब उत्पादन के तत्वों को आप मजबूत नहीं करेंगे तो देश में उत्पादन कम होगा और महंगाई स्वत ही बढ़ेगी। डैफिसिट फाइनेंसिंग की परम्परा को आप तेज करते जाय, नोट छापते जाय, बाजार में पैसा ज्यादा आ जाय, उत्पादन आपका बढ़े ही नहीं तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि देश में बेलेन्स ऑफ पेमेण्ट की हालत खराब हो गई है। पिछले दस सालों में जिस प्रकार से इस स्थिति को बिगाड़ा गया है, उसका खामियाजा आज हमको और आगे जाने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।

जब 1979 में जनता पार्टी का राज था और जब जनता पार्टी ने राज संभाला था तब 27 हजार करोड़ का बेलेन्स था और 1979 में 58 हजार करोड़ हुआ और आज स्थिति यह हो गई है कि हमारे पास एक महीने के लिए भी, विदेशों से अत्याशी का सामान मंगाने के लिए पैसा नहीं है और देश में नहीं किसान की सब्सिडी कम करो, कहीं कोई चीज कम करो, प्रोडक्टिव एलीमेण्टस पर खर्चा कम करो और जो व्यर्थ में पैसा खर्च होता है, उस पर पैसा खर्च करते चले जाओ। आज डेढ़ लाख करोड़ का विदेशी और ढाई लाख करोड़ का देशी कर्जा हमारे

(श्री यदुनाथ सिंह)

ऊपर है। यानि 78% जी. डी. पी. का हमारे ऊपर कर्जा है। उस अर्थ व्यवस्था का आप अंदाज लगा सकते हैं। उद्योगपति कीमतें तय करते हैं। किसान के माल की इस देश में नीलामी होती है। नीलामी रद्दी माल की होती है, यहां उसके माल की नीलामी होती है। लेकिन उद्योगपति जो माल पैदा करता है, उसकी कीमत स्वयं तय करता है। वकील के मुकदमों से लगाकर होटलों में ऐशो-आराम और अपने मुनाफे को प्रोडेक्शन की लागत के साथ जोड़कर वह अपनी कीमत तय करता है। हर चीज पर गवर्नमेंट का कण्ट्रोल है लेकिन उद्योग की जो कीमतें हैं, उन पर लोकसभा विधान सभा का कोई कण्ट्रोल नहीं है। एक चार्टेड अकाउण्टेंट हिसाब बना देता है और उसी के आधार पर कीमतें तय हो जाती है। इसलिए कीमतों को तय करने में लोकसभा का और विधान सभाओं का नियन्त्रण होना चाहिए, उनको स्क्रूटनी का अधिकार होना चाहिए और जब लोकसभा और विधान सभाएं स्क्रूटनी करेंगी। तो निश्चित तौर पर नियंत्रण करने का काम करेंगी, सुझाव देने का काम करेंगी। राजस्थान में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नहीं।

राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। कीमतें बढ़ाने में जो कारण बने हैं, वह केन्द्र सरकार की पालिसी नीति के कारण हैं। लेकिन कीमतों पर नियन्त्रण रखना, मार्केट पर कण्ट्रोल करना राजस्थान सरकार का काम है और मुझे आज यह कहते हुए दुःख है कि राजस्थान में इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आपकी कोआपरेटिव संस्थाए डिफेक्ट पड़ी हैं, लम्बे समय से हड़ताल चल रही है, किसानों को खाद, बीज तक नहीं बंट रहा है, पैदावार समय पर नहीं होगी, उत्पाद गिरेगा और फिर कीमतें बढ़ेंगी। आपके मार्केट में कोई कुछ भी चीज किसी भी भाव पर बेचें, किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, अगर महंगाई पर नियन्त्रण लाना है तो सब लोगों को बहुत सोच समझ कर कोई एक निश्चित नीति देश भर के लिए बनानी पड़ेगी और राजस्थान को भी यहां पर अपना नियन्त्रण बढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यहां यही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह खंडेला। (अनुपस्थित)। श्रीमती मदन कौर। (अनुपस्थित) श्रीमती सुमित्रा सिंह। (अनुपस्थित) श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में महंगाई पर चर्चा हो रही है। असल में थोड़ा बहुत सम्बन्ध होते हुए भी मुख्य मुद्दा महंगाई का इस देश की सरकार से है। सरकार किसी भी तरह की हो, राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों का हम नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में पिछले 15–20 सालों से जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, समीक्षा के तौर पर लोगों ने चाहे कितने भी कारण गिनाये हों परन्तु इस देश के करोड़ों लोग महंगाई के विषय पर अपनी राय बदलते रहे हैं और यही कारण है कि पिछली बार

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इस देश में जो जनता दल की सरकार थी, उसके खिलाफ भी लोगों की राय को अपने पक्ष में बनाने के लिए जो आज हिन्दुस्तान की गद्दी पर बैठे हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाया था और यह कोशिश की थी कि महंगाई पर नियंत्रण करने में वह प्रयत्नशील होंगे। इस बात पर जनता ने पूरी तरह से विश्वास किया हो, यह बात तो नहीं है। परन्तु जनता को भ्रम जरूर हुआ था कि शायद इस देश के अन्दर महंगाई के इश्यू पर सरकार कारगर तरीके से सोचेगी, विचार करेगी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, उसको लुभाने के लिए सौ दिन का समय दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने 1990 के मूल्य पर लाने के लिये 100 दिन का समय इस देश की जनता को दिया था, उन्होंने पहले 50 दिनों में ही उससे दुगुना कर दिया 1990 में। मैं आपसे अर्ज करूं, उन्होंने इस देश की जनता के साथ सबसे बड़ा जो विश्वासघात किया है, वह यह है कि हमारे रुपये का अवमूल्यन और सिर्फ यही बात नहीं हमारा जो इम्पोर्ट है उसमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसमें घाटा बढ़ने के कारण से बहुत सारी देश की जो आम वस्तुएं हैं उनकी कीमतों पर असर पड़ता है। आज स्थिति यह है कि इस देश के अन्दर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो तरीका सरकार अपना रही है उससे कीमतें नियंत्रित नहीं होंगी बल्कि अनियंत्रित होंगी। उनके मस्तिष्क में जब यह है कि विदेशों से कर्जा लेकर, उस पैसे को लाकर हमारी फाइनेंसिंग को ठीक किया जाय। मैं आपसे अर्ज करूं जितना भी पैसा विदेशों से आयेगा उसका जहां नियोजन होगा वह स्थान ऐसे हैं, अनियंत्रित है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं हैं। जिस जगह पर नियोजन होगा उसकी प्राइस तो वे तय करेंगे, कीमतों को तय करेंगे। कारखाने में लगेगा, हमारे उद्योगों में लगेगा उन उद्योगों में जो चीज उत्पादित होंगी उन पर नियंत्रण किसी देश की सरकार का नहीं है। उन पर नियंत्रण सिर्फ मुनाफे का है, इच्छा शक्ति का है और इसी वजह से देश के अन्दर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है।

मैं आपसे अर्ज करूं, आज कुछ सदस्यों ने इस बात का सवाल उठाया, इस प्रस्ताव की चर्चा के लिये रखा कि कुछ चीजों की कीमतें कारों की बढ़ रही है। मैं इसको मानने वाला नहीं। मैं समझता हूं इस देश के अन्दर यह चीज ठीक है कारों की, फ्रीज की कुछ कीमतें बढ़ी होंगी पर असली जो चीजें इस देश के अन्दर है उनकी कीमत बढ़ रही है असेन्शियल कमोडीटीज की कीमतें। इस देश के अंदर सब से बड़ी जो दुर्दशा है वह इस वजह से हो रही है कि असेन्शियल कमोडीटीज है जिन पर जीवन चलता है उनकी सब से ज्यादा कीमतें बढ़ायी जाती हैं। सब से ज्यादा कीमतें बढ़ायी जाती है। सब से ज्यादा कीमतें बढ़ी है चाय की। आज अगर इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस देश के करोड़ों लोगों की वह चाय की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 5 साल पहले जो चाय 30 और 35

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रुपये किलो बिकती थी आज वह 90 रुपये किलो बाजार में बिकती है। आप यह मानेंगे नहीं, आज एक आम आदमी को रोटी भी नसीब नहीं होती, जो सड़क पर रिक्शा चला कर अपने जीवन का गुजारा करता है वह आज चाय की वजह से एक वक्त रोटी नहीं खाकर अपना गुजारा करता है। इस व्यक्ति पर सबसे बड़ा असर इस महंगाई का पड़ा है।

दूसरी अगर कोई सबसे बड़ी मार हुई है तो वह असेन्शियल कमोडीटीज में हुयी है। दालों पर इस देश के अन्दर कोई साधन नहीं है जिसको खाकर हम प्रोटीन अपने शरीर में पहुंचा सके। न मांस की, न मछली की, न घी की और न दूध की व्यवस्था है। सिर्फ एक दाल ही ऐसी वस्तु है जिससे हम प्रोटीन प्राप्त करके कुछ उर्जा शरीर में पहुंचा सकते हैं। सबसे ज्यादा इस देश के अन्दर अगर महंगाई बढ़ी है तो वह दालों की बढ़ी है या वेजीटेबल आयल की बढ़ी है जो आयल आज से पहले 15 और 20 रुपये किलो का था आज से आठ साल पहले वह आज 45 रुपये किलो है। सारे तेल जो इस देश में है वह कोई भी 30 रुपये किलो से कम नहीं है। मूंगफली का तेल 45 रुपये किलो। आज यह स्थिति पहुंच गयी है असेन्शियल कमोडीटीज में एक और एडीशन हुआ और वह एडीशन इस देश के अन्दर दवाइयों का हुआ है। सरकार का जो थोड़ा बहुत नियंत्रण था उसको अनियंत्रित करके आज दवाइयों की कीमतें बाजार में बेतहाशा बढ़ रही हैं कोई रोकने वाला नहीं है। कोई ड्रग एक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। दवाइयों की कीमतों में, जो औषधियां इन्टरनेशनल मार्केट में एक और डेढ़ रुपये की है वह हिन्दुस्तान के बाजारों में 100-100 और 150-150 रुपये में एक इंजेक्शन मिलता है, बेतहाशा लूट हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आज यह हाउस उन वस्तुओं पर जिन वस्तुओं से, आम जनता का जीवन चलता है उन वस्तुओं के बारे में एक नीति निर्धारित करें, उनकी एक लिस्ट बनायें और लिस्ट बना कर, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें कोई शक नहीं है, मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है पर एक बात जरूर राज्य सरकार कर सकती है कि जो जीवनपयोगी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की एक लिस्ट बनाये और अपने स्टोर्स, को-ऑपरेटिव स्टोर्स में और दुकानों में उन पर नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकार आगे आये, उन पर जो वाजिब मूल्य है वह लिया जाय। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाजार के अन्दर इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वस्तु पर मूल्य लिखा जाय और उसको उसी रूप में बेचा जाय।

कोई भी व्यापारी जो बाजार में देख लेता है कि वह वस्तु नहीं है तो उसके मुंह मांगे दाम वसूल करता है। यह नियंत्रण भी नहीं है कि कारखाने से उसका क्या मूल्य लिखा हुआ है। आज महंगाई इस रूप में बढ़ गयी हैं कि कारखाने से जो मूल्य उस पर लिख कर आया उसको भी जब मर्जी आये ठप्पा लगा कर बदल देते हैं। इस तरह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हम केन्द्रीय सरकार की चर्चा कर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सकते हैं, केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि वह नीति अपनाये। लेकिन यहां सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं उन लोगों का कर्तव्य जरूर बनता है कि इन आवश्यक वस्तुओं की सूची बना कर उन पर नियंत्रण करने के लिये अपने स्टोर में या जो बाजार है, उनमें उनका नियंत्रण रखने का कम से कम इतना तो करें कि जो कारखाने से उन पर मूल्य लिखा हुआ आता है, जो आम बाजारों में है उससे कम से कम राजस्थान का नागरिक नहीं लूटा जाय।

मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में इस महंगाई के इश्यू पर ध्यान देगी और मैं निवेदन करता हूं अंत में कि इस देश के अंदर अगर कोई परिवर्तन हुआ, मैं तो ऐसा मानने वाला हूं कि जितनी भी सरकारें बदली है वे महंगाई के नाम से बदली हैं। चाहे प्याज के नाम से बदली हो। आज की जो लगड़ी सरकार दिल्ली में बैठी है, चाहे डेढ़ टांग की है, वह डेढ़ टांग वाली कुर्सी पर इसलिये पहुंच गयी कि महंगाई का इश्यू उसने उठाया और हम बाकी के और इश्यू उठाते रहें तो बाजार में महंगाई पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार ध्यान देगी और अपनी ओर से जो प्रयत्न है वह प्रयत्न करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त जी शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह सही है कि वितरण प्रणाली हमारे देश के अन्दर दोषपूर्ण है और हम दसों सालों से इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं पर जहां तक महंगाई का प्रश्न है उसमें वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण कारण से ही यह महंगाई बढ़ रही है, मुश्किल से बहुत कम यह फैक्ट है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के कुछ कारण दूसरे हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया और जनता ने भी नहीं सोचा। मैं उन कारणों के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं और वह कारण है कि पिछले पूरे 10 वर्ष के अन्दर जिस प्रकार से भारत सरकार की यह नीतियां रही हैं वह दोषपूर्ण ही नहीं जानबूझ करके इस प्रकार की नीतियां अपनाई गयी हैं, इस प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण से आज महंगाई इस देश के अंदर बढ़ गयी है जो काबू में नहीं आ रही है। 100 दिन की बात तो दूर रही यदि उन नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो 100 वर्ष में भी नहीं बदल सकती है और यह महंगाई का भूत इस प्रकार से देश के अंदर बढ़ जायेगा कि देश और आगे विकास नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 40 वर्ष के अन्दर शहरों के अन्दर जो पूंजीपति हैं उन पूंजीपतियों का भारत सरकार के साथ सामंजस्य रहा, जो भारत सरकार के अन्दर लोग सरकार चलाते थे उन लोगों के साथ उनका एक प्रकार का सामन्जस्य रहा और विदेशी पूंजीपति हैं, देश के पूंजीपति हैं उनका आपस के अन्दर सामन्जस्य रहा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

और उस सामंजस्य के कारण से प्रशासन के अन्दर उनकी सारी बातें मानी जाने के कारण उन्होंने इस प्रकार की चीज पैदा कर दी कि देश का सारा का सारा जो धन है वह भिमट कर के शहरों के अन्दर जो पूंजीपति हैं उनके पास में आ गया और अब जब सारा धन उनके पास में आ गया तो जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर ट्रान्सपोर्ट की जो चीजें हैं उन पर ज्यादा व्यय होने लगा। यह एक कॉस्पिरेसी थी विदेशों की। उस कान्स्पिरेसी के तहत इस देश के अन्दर पेट्रोलियम का कन्जम्प्सन बढ़ाना चाहते थे इस कारण से पैट्रोलियम का कन्जम्प्शन बढ़ा सब चीजों पर चाहे उत्पादन हो और चाहे ट्रान्सपोर्ट हो। उसके साथ-साथ भारत सरकार की जो पेट्रोलियम की नीति रही वह बहुत ही दोषपूर्ण रही। इलेस्टेट वीकली के अन्दर 10 साल पहले एक लेख छपा था ओ एन. जी. सी. के अध्यक्ष का और उसने यह कहा था कि कुल मुझे 0 हजार करोड़ रुपये चाहिये और दे दिये जायें तो मैं इस देश को पैट्रोलियम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपने पांवों पर खड़ा कर दूंगा और हमको बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा।

विदेशी पूंजीपतियों को यह बात सूट नहीं करती थी इसलिए उन्होंने इस पैसे को नहीं देने दिया। पैट्रोलियम में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है वैसा डिफेन्स में भी नहीं होता है और किसी दूसरी चीज में भी नहीं होता है। जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उन लोगों को यह सूट नहीं करता था कि हम पैट्रोलियम के मामले के अन्दर आत्मनिर्भर बनें। यदि आधा प्रतिशत की भी गड़बड़ी होती है तो अरबों रुपये का मामला बनता है इसलिए वह इसको नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ उत्पादन के जितने काम हैं, ट्रान्सपोर्ट का काम है, दूसरे काम हैं उसके अन्दर पैट्रोलियम की खपत बढ़ती गयी। नतीजा यह हुआ कि जिन चीजों की हमको आवश्यकता है, जो इम्पोर्ट करते हैं, जैसे पैट्रोलियम के कारण से, जो कि इम्पोर्ट है, उसका भाव चार गुना, छः गुना और दस गुना तक बढ़ गये और उसके पैदा करने वाले देश, सारा मिडिल ईस्ट और जर्मनी, जापान, अमरीका, इंग्लैण्ड का इण्ट्रेस्ट है। उनके इण्ट्रेस्ट को सर्व करने के लिए पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ीं और वही आधार है देश में सब की कीमतें बढ़ने का।

दूसरी जो डिफेक्टिव पालिसी भारत सरकार की रही वह यह रही कि अचानक न जाने क्या सूझी 80 के दशक के अन्दर भारत सरकार को कि हमारा देश विकशित देशों का मुकाबला तब। कर सकेगा जैसी कि हाई कास्ट इकोनोमी वहां है वैसी हाई कास्ट इकोनोमी यहां पर करदी जाय। इसलिए वहां के अनुसार यहां पर भी हाई कास्ट इकोनोमी कर दी। चाय का प्याला वहां 25 रुपये में आता है तो यहां पर भी कम से कम 20 रुपये में तो आना चाहिए। फाइव स्टार होटलस के अन्दर जाते हैं तो वहां कीमत 100 रुपये होनी चाहिए। उसी हाई कास्ट इकोनामी करने के अन्दर, जिन लोगों की देश के सिविल सर्वेण्टे की हाइएस्ट सेलेरी 3 हजार थी वह 8 हजार कर दी। इसको करना था कि जिसकी सेलेरी दो सौ थी वह डेढ

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हजार कर दी गयी । सारे देश के अन्दर सेलेरी 80 से 84 में बढ़ी वह सारा अन-उत्पादक व्यय था । दूसरी तरफ हमारे देश के अन्दर दुर्भाग्य से जो कुछ भी एम्प्लाय-मेण्ट है वह 90 प्रतिशत गवर्नमेण्ट के अन्दर है और इसके अन्दर एक साथ तनख्वाह बढ़ा दी गयीं दूसरी तरफ के अन्दर उत्पादन वैसा का वैसा रहा तो नतीजा यह हुआ कि कीमतें बढ़ गयीं और हम हाई कास्ट इकोनोमी के चक्कर में फंस गए ।

तीसरी गलती यह रही भारत सरकार की कि बाहर से जो ऋण लाया जाता है वह किसी न किसी प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाता है । कोई स्पेसिफिक उत्पादक कार्य कभी बताया नहीं गया, भारत सरकार ने 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का ऋण हो गया भारत सरकार पर विदेशी कर्ज का 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये के विदेशी कर्ज के सम्बन्ध में भारत सरकार बता नहीं सकती है कि उसने 16 करोड़ रुपया भी किसी न किसी उत्पादक कार्य पर खर्च किया हो । किसी उद्योग के नाम पर खर्च किया हो, या ऐसा कोई शीघ्र उत्पादक कार्य होने वाला है, पर ऐसे कामों पर पैसा खर्च नहीं किया गया । बल्कि ऐशो-आराम के लिए बल्कि कभी-कभी तो नाच-गाने पर खर्च किया गया । अपने आपको बड़ा साबित करने के लिए कभी जापान में कभी फ्रांस में, कभी अमरीका में इस प्रकार से लिये गये 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये को खर्च किया गया है । यदि वह उत्पादक कार्यों पर खर्च किया गया होता तो उस उत्पादन से हम उस राशि को वापस दे सकते थे । आज वह पैसा सारी महंगाई को बढ़ाये हुए है ।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे देश की इकानोमी को डिस्टर्ब करने वाला और वह है पब्लिक सैक्टर । पब्लिक सैक्टर में 68 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है और उसके अन्दर जो वर्किंग कैपीटल है वह करीब 3 लाख से 6 लाख करोड़ खर्च होती है । देश का सारा-का सारा पैसा इन उद्योगों में चला जाता है । कभी डेढ प्रतिशत ढाई प्रतिशत कभी तीन प्रतिशत से ऊपर पहुँचे नहीं, लाभकारी हो नहीं सकते । साधारण व्यक्ति यदि रुपया लगाता है तो बैंक अपेक्षा करता है तो कम से कम 12 प्रतिशत से मिलेगा, फाइनेन्सियल कारपोरेशन से उद्योगपतियों को रुपया देते हैं तो उस पर 16 प्रतिशत ब्याज लगाते हैं, वह 16 प्रतिशत का तो उत्पादन करे । दूसरी तरफ पब्लिक सैक्टर कुल मिलाकर 3 प्रतिशत देते हैं और देश का सारा पैसा उनमें चला जाता है और वह पैसा अन्य उत्पादक कार्यों पर न लगकर अनुत्पादक कार्यों पर चला जाता है । मैं बहुत संक्षेप में सारी बातें कहने जा रहा हूं इसलिए सिर्फ पाइन्ट्स कह रहा हूं ।

अंग्रेजों के समय से ही और पिछले चालीस सालों से जो भारत सरकार में राज करते रहे उन्होंने इस चीज को समझा नहीं बल्कि उस चीज को बढ़ावा दिया । हमारे यहां जोनल प्रोडक्शन और जोनल कन्जम्पशन में सामंजस्य होना चाहिए ।

(श्री रमाकान्त शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय, बोम्बे का कपड़ा कानपुर में बिकता है और कानपुर का कपड़ा बोम्बे में बिकता है। जो चीज जहां पर बनती है, वह वहां पर बिके इसके लिए कानूनी प्रावधान की नहीं नीतियों की आवश्यकता है। अगर यह नीतियों में भारत सरकार ने किया होता तो अनावश्यक रूप से ट्रान्सपोर्टेशन पर जो खर्चा लग रहा है, अनावश्यक स्टोरेज पर जो खर्चा लग रहा उससे बचा जा सकता था और महंगाई कम होती। यह उन सामानों पर लागू होती है जो लोगों के दैनिक उपयोग की चीजें हैं। कई दफा यहां तक होता है कि जो चीज यहां पर पैदा होती है, राजस्थान से जैसे इसबगोल बोम्बे गयी और फिर बिकने के लिए राजस्थान में आ गयी। अगर जोनल प्रोडक्शन और जोनल कन्जम्पसन में सामंजस्य रखते तो महंगाई नहीं बढ़ती, यह स्थिति पैदा नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार यह कह रही है कि हम सारी की सारी इकोनोमी को सुधारना चाहते हैं, हम भावों को घटाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ इस वर्ष के बजट में 18 हजार करोड़ का नोन प्लान एक्सपैंडीचर के अन्दर बढ़ोतरी है। अगर 18 हजार की नोन प्लान एक्सपैंडीचर में एक साल में बढ़ोतरी हो जाय तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ेगी ? 7000 करोड़ का घाटे का बजट है और 18 हजार करोड़ की बढ़ोतरी नोन प्लान एक्सपैंडीचर में है तो देश में महंगाई तो बढ़ेगी ही दूसरी चीज नहीं हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारत सरकार की जो नीति रही है वह यह रही है कि हमने बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया है और छोटे उद्योगो को सहायता और लिप सिम्पैथी दी है, बढ़ावा नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े उद्योग में एक करोड़ रुपये पर एक आदमी को रोजगार मिलता है और छोटे उद्योग हों तो लाखों को रोजगार मिल सकता था। उत्पादन बढ़ाने में और रोजगार के अवसर बढ़ाने में छोटे उद्योग ज्यादा योगदान नहीं दे सके। यह जो बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति रही है, उसके सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर जो अभी स्किल डवलप हुई है, जो बड़े उद्योग के अन्दर इम्पोर्ट तकनीक आती है, उसके अन्दर हमारा काम करने का सांमजस्य नहीं बैठता है। इसलिए हमारे देश में वही चीज जो स्वीट्जरलैंड में पैदा हो रही है, जर्मनी में पैदा हो रही है उसी प्रकार की मशीनरी से यहां पैदा हो रही है लेकिन पूरी स्किल हमारे उद्योगों के अन्दर डवलप नहीं होने के कारण उस कीमत पर उसका उत्पादन नहीं हो पाती और लागत बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान यह होता है कि दूसरे देश में, जैसे जापान में कोई चीज डवलप होती है तो वही लोग उस चीज को बेच पाते हैं। हमारे बड़े उद्योगों से कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तो छोटे उद्योगों से बढ़ सकता है। हमारी जो चीजें दुनियां में एक्सपेक्टेड हैं—हैण्डीक्राफ्ट्स है, गलीचा है, चमड़े का सामान है, जो गांव में पैदा होती

(श्री रमाकान्त शर्मा)

है उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उनकी आर्ज भी कोई नहीं सुनता है। गलीचा उद्योग है उसमें छोटे-छोटे लोग लगे हैं, एस. सी. के लोग लगे हुए हैं लेकिन भारत सरकार ने उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार सिर्फ बड़े उद्योगों के बारे में ही चर्चा करती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय यदुनाथसिंहजी चले गये, वह कह रहे थे—भारतीय जनता पार्टी तो राइटिस्ट सोचती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने देखा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? नजदीक गये ही नहीं, पूछा ही नहीं, भाजपा क्या करती है? .... (व्यवधान) ध्यान से सुनिये अगर सुनेंगे नहीं तो।... (व्यवधान) बड़ी ज्ञान की बातें हैं ध्यान से सुनेंगे तब ही अन्दर जायेगी जब तक सुनेंगे नहीं भीतर जायेगी कैसे? भारतीय जनता पार्टी लायसेंस राज के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो गांधीवादी दृष्टिकोण से गांवों के विकास के ऊपर पूरी तरह से अपनी सारी इकानोमी को आधारित करना चाहती है। यह पार्टी गांव-गांव को अपने पांव पर खड़ा करना चाहती है। गांव-गांव के अन्दर छोटे उद्योग लगाना चाहती है उस पार्टी को यह राइटिस्ट पार्टी कहते हैं। इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं।

उन्होंने एक बात और कही थी घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए, उन्होंने कहा यह आवश्यकता है पर उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मैं बताना चाहता हूं कि डेफिडेसिट फाइनेंसिंग हमारी आर्थिक विकास की जो दर है अगर यह उसके साथ-साथ चलता रहेगा तो बजट पर धनराशि है वह प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी, उसी अनुपात में तब तो ठीक है परन्तु यदि हमने इसको एशो-आराम, मौज मस्ती में लगा दिया। और उसके साथ डैफिसिट फाइनेंस में नोट छाप दिए, यह कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने बढ़ते हुए भावों को रोक सकें। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं लास्ट बात कहकर।

रोजाना रोजाना हम अखबारों के अन्दर पढ़ते हैं कि इस मल्टीनेशनल ने, उस बड़े उद्योगपति ने लोगों से इक्विटी शेयर खरीदने के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट किया है और एक एक बड़ा उद्योग कोई 100 करोड़ रुपये के शेयर फ्लोट करता है कोई बीस करोड़ के शेयर फ्लोट करता है। वह यह नहीं बताता जनता को कि 100 करोड़ या 20 करोड़ में वह कौनसा उत्पादन कितने समय में कब कर देगा। यह जो रुपया सिमट-सिमट कर जा रहा है वह जा रहा है जो गरीब आदमी बचत कर रहा है। यदि भारत सरकार की नीति सही होती, छोटे-छोटे गांवों के अन्दर लोगों को अवसर प्रदान किया जाता तो वह उनके अन्दर चेनलाइज हो जाता और बड़े उद्योगों के अन्दर नहीं जाता। इस प्रकार तो मैं समझता हूं कि हम इस महंगाई पर थोड़ी रोक लगा सकते थे।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आपने घण्टी बजा दी है, मैं तो बड़ा अनुशासित व्यक्ति हूं, यही निवेदन आखिर में करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार यदि सोने को छुएगी तो सोना हमारी इकानामी नहीं है सोना हमारी भावनात्मक चीज है। इस प्रकार सोने के बारे में करेगी कि सोना बाहर भेजकर रुपया लाना चाहते हैं तो उसका एक ऐसा भावनात्मक असर होगा देश के ऊपर कि उससे हम अपनी महंगाई पर कण्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वह है इस देश की महंगाई की चर्चा। बड़े-बड़े इकानामिस्ट, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, जिनका, मैं जहां तक समझता हूं, वास्तव में उस महंगाई से व्यक्तिशः कोई नजदीक का रिश्ता नहीं होता, आज सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई की नीतिगत बातों के बारे में माननीय सदस्य ने जो अभी चर्चा की मल्टीनेशनल कम्पनियों के आने की, डेफिसिट बजट की। उन सबके बारे में चर्चा करने के बावजूद आपने स्वयं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महसूस किया होगा कि जब सरकार बजट में किसी वस्तु विशेष पर टैक्स काम करती है उसके बावजूद भी उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि बाजार में उसकी रेट बढ़कर वापस आती है। मैं समझता हूं इस मामले में आप स्वयं व्यक्तिशः इस बात का अनुभव भी करते होंगे। इसका क्या कारण है? किसी वस्तु विशेष पर आपने कर कम किये, उसकी कीमत में सरकार की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, उसके बावजूद मार्केट में उसकी कीमत फिर बढ़ जाती है। इसलिए आप यह निश्चित मानिये कि आज बाजार पर किसी भी सरकार का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं रह गया है। एक तरीका हुआ करता था किसी वस्तु की कीमत तय करने का कि फलां वस्तु में जिन चीजों का उपयोग होगा—रॉ मैटीरियल, उसकी मजदूरी, उसका प्राफिट, उन सबको जोड़ने के बाद उसकी जो कीमत तय होती थी वह बाजार भाव हुआ करता था। लेकिन आज हालत यह हो गयी कि कोई पूछने वाला नहीं कि जिस वस्तु का आपने उत्पादन किया है उसकी लागत क्या है, उसकी मजदूरी क्या है, उसका प्राफिट आपने क्या लिया और किस नियम से बाजार में इस वस्तु को इस भाव बेच रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इन सब बातों पर किसी का कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता है तो व्यापारी पूर्ण रूप से आजाद हो गया इस बात के लिए, कि भले उसकी वस्तु की कीमत एक रुपया है पर यदि उसको वस्तु विशेष की स्केयरसिटी नजर आ गयी, यदि उसको यह महसूस हुआ कि मैं इसकी कीमत दस रुपये कर दूंगा, तो भी कंज्यूमर को भख मारकर इस एक रुपये की वस्तु को दस रुपये में लेना पड़ेगा बाध्य होकर, तो वह उस को दस रुपये में, चाहे उसकी लागत एक रुपया ही है बेच देगा। अब इसमें कहां तो भारतीय सरकार आ जाएगी और कहां स्टेट की सरकार आ जाएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिनसे हम यह मान सकते हैं कि कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई होगी। लेकिन आम आदमी किस महंगाई की बात करता है ? मैं बड़े-बड़े आई. ए. एस. ऑफिसर्स की, बड़े-बड़े धन्ना सेठों की चर्चा नहीं करता, जिस महंगाई की चर्चा माननीय डा. चन्द्रभान जी और मेरे पूर्व साथियों ने की है उस महंगाई की बात करता हूं। आपके फ्रिज की कीमत क्या बढ़ती है इससे हमें कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आलू की कीमत बढ़ गयी, तेल की कीमत बढ़ गयी, चीनी की कीमत बढ़ गयी, साबुन की कीमत बढ़ गयी, चाय की कीमत बढ़ गयी, इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए जिम्मेदार, आप निश्चित मानिये ···

श्री कालीचरण सराफ : इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो प्याज खाते ही नहीं हो, आपको प्याज की कीमत का क्या पता ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आज हमें जरूरत इस बात की है कि सरकारें इस बात का भी ध्यान रखें ···

श्री कालीचरण सराफ : महंगाई के लिए जिम्मेदार कौनसी सरकार है, यह भी तो बताओ, पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य मंत्रीजी, मैं आपकी इस ओर विशेष तवज्जोह चाहूंगा कि महंगाई जितनी बड़ी समस्या है उससे बड़ी समस्या एडल्ट्रेशन की है। मास किलिंग का मामला हो जाता है। तेल की मिलावट की वजह से लोग अन्धे हो जाते हैं कहीं दवा की मिलावट की वजह से 2-5–10–20 लोग मर जाते हैं। किसी ने किसी को गोली मार दी तो एक व्यक्ति एक व्यक्ति का हत्यारा होता है, लेकिन यदि दवाइयों में, तेल में या किसी अन्य खाद्य सामग्री में एडल्ट्रेशन का मामला हो तो मास किलिंग का मामला हो जाता है। मैं यह समझता हूं कि यह सरकार इस बात का जवाब दे। माननीय खाद्य मन्त्री महोदय, कितने मामले आपने ऐसे पकड़े हैं जिसमें एडल्ट्रेशन के मामले में आपने किसी को सजा दी हो। आज हम इस मामले में वास्तव में पूरी तरह से उदासीन हैं। एडल्ट्रेशन का मामला इतना गम्भीर मुद्दा है कि हमने यदि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो हम कीमतों में कमी करने के बावजूद भी इस जघन्य अपराध में लिप्त हैं। एडल्ट्रेशन का मामला मैं एक जघन्य अपराध मानता हूं। कोई भी शख्स इसमें किसी भी तरह का सहयोग करता है वह मास किलिंग का जघन्य अपराधी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों पर कोई ध्यान देने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। वस्तुओं पर कीमतें लिखी जाती थीं, वस्तुओं पर उसकी डेट आफ प्रोडक्शन लिखी जाती थी। आज पूरी तरह से आजादी मिल गयी है, न तो कीमत लिखने की जरूरत है और एक्सपायर हो चुकी वस्तु को खुले आम बाजार में बेचा जाय, उस पर भी किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं। आखिर यह रुकेगा कैसे ? कोई तो इस बात की जिम्मेदारी ले।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय खाद्य मंत्री महोदय, मैं आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज आप स्वयं व्यक्तिशः इस बात की जानकारी लीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपका केरोसिन आइल है, आपका गेहूं है, आपकी चीनी है, जितने यूनिट्स का माल दिया जाना चाहिए उतना देने के बावजूद भी वितरण व्यवस्था सही नहीं होती है। यहां तक होता है कि ए वार्ड की दुकान बी वार्ड में खोल दी जाती है ताकि ए वार्ड का नागरिक बी वार्ड की दुकान पर नहीं जाय। और बी वार्ड के नागरिक को अपना सामान लेने के लिए ए वार्ड जाना पड़ता है। उसका फायदा उस दुकानदार को क्या होता है कि उसको उस वार्ड के लोग चैक नहीं कर पाते और वह सामान, जो उस कंजूमर को देना चाहिए था नहीं देकर, खुले मार्केट में ब्लेक मार्केटिंग कर देता। उस पर किसी तरह का कोई चैक नहीं होता। ये सब चीजें ऐसी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिन पर यदि सरकार तहे दिल से, अपनी अन्तर्रात्मा से तय कर लें कि हमें वास्तव में इन सब चीजों पर कण्ट्रोल करना है तो ही सम्भव है।

[समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी]

अन्यथा आज महंगाई का मुद्दा ऐसा है जिस पर बड़े आराम से अभी एक चुनाव और लड़ा जा सकता है। चुनाव लड़ने का मुद्दा ही यदि बनाया है तब तो मैं किसी बात का कुछ नहीं कहना चाहता, बाकी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाकर अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, यह सोचते हुए कि इस देश की जनता ने आपको मैण्डेट दिया है, इस देश की जनता ने आपको अधिकृत किया है, आप उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक होकर, संजीदगी से और जिम्मेदारी भरे निर्णय लेकर इन सब बातों पर गौर करेंगे, तो ही यह सम्भव है अन्यथा मैं उन पर दोष लगाता रहूंगा और वे मुझ पर दोष लगाते रहेंगे। इससे इस बात का कहीं कोई अन्त नहीं आने वाला है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इस देश के गरीब नागरिक को महंगाई से निजात मिले तो आपको तय करना होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पदार्थ, जिनको आपने तय कर रखा है कण्ट्रोल रेट्स पर, आपका नियन्त्रण होना चाहिए। आपके डी. एस. ओ आज किसी राजा से कम नहीं हैं। उनकी रोजमर्रा की आमदनी इतनी बड़ी है कि आप कल्पना भी वहां तक नहीं कर सकते। ये सब बातें तभी सम्भव हैं जब हम वास्तव में यह चाहें कि हमें इनको रोकना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन लालजी सैनी।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले वर्षों में जो कांग्रेस सरकार की गलत नीतियां रही हैं, वास्तव में महंगाई का कोई यदि कारण है तो कांग्रेस की गलत नीतियां है और गलत नीतियों को, एक-एक नीति के कारणों को यदि हम चर्चा करेंगे तो हमें लगेगा कि यहां पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लाकर

(श्री मदन लाल सैनी)

उनको पैसा लगाने की छूट दी, हमने जो विदेशी मशीनें मंगवाई, विदेशी सरकारों और विदेशी कम्पनियों के साथ जिस प्रकार के विश्वासघाती हमने समझौते किए। मशीनें जो हमने परचेज कीं उनको ठीक करने के लिए उस कम्पनी का और उसी देश का इंजीनियर आकर ठीक करेगा। यदि वह खराब हो गई तो हमारे इंजीनियर्स योग्य, प्रतिभावान होते हुए भी उसको खोल नहीं सकते। इस प्रकार के हमने एग्रीमेण्ट्स किए हैं। हमने इस प्रकार के एग्रीमेण्ट्स भी किए हैं कि यदि मशीन का एक छोटा सा पुर्जा भी हम इस देश में बना सकते हैं वह पुर्जा भी इस देश में उसी देश से आयेगा तभी जाकर के वह उस मशीन में लग सकता है। हमारे ऐसे उद्योगों की बड़ी लिस्ट है जहां पर यह मशीनें आइडल पड़ी रही, एक मशीनें, दो महीने नहीं दो-तीन वर्षों तक पड़ी रही हैं। ऐसी मशीनें पब्लिक अण्डर टेकिंग्स में और सेन्टर पब्लिक अण्डर टेकिंग्स में इस प्रकार के ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आज सवाल इस बात का है कि किस प्रकार के गर्भित कारणों से इस प्रकार की व्यवस्था की है। यह जो सवाल है, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी कि जिस मशीन को उत्पादन करना चाहिए वह मशीन आइडल पड़ी रहे तो महंगाई बढ़ेगी और जो सामान आज उत्पादन के काम में नहीं आ रहा है, शान-शौकत के लिए इस प्रकार से पैसा खर्च किया जायेगा तो उसके कारण से महंगाई बढ़ेगी ही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशों से हमने ऋण लिया। कई बार विदेशों से ऋण लेना हमारी आवश्यकता हो सकती है, देश में नई टैक्नोलोजी की भी आवश्यकता हो सकती है लेकिन सवाल यह है कि "पगड़ी बेचकर और घी खाना" हमको ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो। हम यहां देश में जो व्यवस्था कर सकते हैं जिस टैक्नोलोजी को हम हमारे देश में लाकर बढ़ाते, एक बार विदेशों से टैक्नोलोजी लाते जो आवश्यक है और उसको इसी देश में डवलप करते और एक दिन यह आता कि बाहर के टैक्नोक्रेट्स को इस देश में आने की परमिशन ही नहीं देते यह स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी और जो लूट खसोट चली उस लूट का कारण है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही एक कारण नहीं है और भी कारण हैं, रुपये का अवमूल्यन जो हुआ और शायद आज भी लोक सभा में अभी चर्चा चल रही है रुपये के अवमूल्यन पर कोई असम्भव नहीं है कि नई केन्द्रीय सरकार के बनने के बाद आज तीसरी बार रुपये के अवमूल्यन की घोषणा हो जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रुपये का अवमूल्यन कोई मुद्रा का अवमूल्यन नहीं है यह किसी देश के स्वाभिमान का अवमूल्यन है, उस देश के लोगों की विदेशों में इज्जत कम होती है इस अवमूल्यन के कारण आई. एम. एफ. से जो लोन लिया उसमें शर्तों पर शर्तें लगाते गए हम रुपये के लालच में रुपये शान-शौकत के लिए लेते चले गए और शर्तें मानते गए। क्या हमने भी कोई हमारी शर्त लगाई, कोई इस प्रकार की शर्त नहीं लगाई। नई सरकार के बजट के आने

(श्री मदन लाल सैनी)

के बाद 13 पर्सेन्ट जो महंगाई इस समय बढी है। कांग्रेस का केन्द्र में राज आने के बाद तो 13 पर्सेन्ट जो महंगाई बढने का कारण है, वह कारण है केन्द्रीय सरकार का बजट।

प्याज के नाम चुनाव लड़ने वाले लोगों ने आज चीनी और पैट्रोल के भाव क्या कर दिए हैं। पैट्रोल आज कोई लग्जरी की चीज नहीं है। पैट्रोल आज आम जरूरत की चीज बन गई है। चीनी और पैट्रोल के भाव बढ़ने से इनका सर्किल बनता है, एक साइकिल बनती है वह सब चीजों को प्रभावित करती है। वह भी महंगाई बढ़ने का एक कारण है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केन्द्रीय सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे कांग्रेस के भाई भूल गए गांधीजी के वह स्वदेशी का प्रयोग और हम भी भूल गए और लग गए विदेशी कपड़े पहनने में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि सुबह उठते ही जो हम दांतों में ब्रुश करते हैं, कौनसा ब्रुश कोलगेट का, उसका पैसा कहां जाता है, हमने कभी विचार नहीं किया। महंगाई कैसे रुकेगी? दूसरी बात, डनलप क गद्दों पर से सो कर उठते हैं और सीयेट के टायर की गाड़ी में जाते हैं, यह सारा पैसा कहां जाता है? यह ब्रिटेनिया का बिस्कुट का पैसा कहां जाता है? जिस पर हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया।

भारतीय जनता पार्टी विदेशी वस्तुओं के बहिकार का आन्दोलन चला रही है। मैं माननीय सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी यदि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करेंगे तो स्वदेशी का प्रयोग बढ़ेगा जिसके कारण से विदेशी कम्पनियों में निराशा पैदा होगी और हमारे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह भी एक रास्ता है इस समस्या के समाधान का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों की पार्टी है, पूंजिपतियों की पार्टी है। हमारे पास पूंजीपति हैं। देखिये, बिरला जी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो नहीं हैं, मोरारकाजी किस पार्टी के सदस्य हैं, जरा ध्यान रखिए। मोरारकाजी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। हमारे सदस्य जैसे वैद्य श्री गोविन्द सहायजी विधायक हैं। यह बैठे हैं। वह पूंजीपति हैं क्योंकि उनके दवाइयों की दुकान है। यदि इनको पूंजीपति मानना है तो वह हमारे पूंजीपति हैं। हमारे व्यापारी हैं, वह दुकानदार हैं जो चाय की दुकान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर हैं, वह कपड़े का छोटा दुकानदार वह यदि उद्योगपति है तो हम स्वीकार करते हैं कि चाय कीदुकान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर हैं, वह कपड़े की छोटी दुकान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर हैं वह उद्योगपति हैं तो भारतीय जनता पार्टी सेठों और धन्ना सेठों की पार्टी है।

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल वह लोग चर्चा कर रहे हैं जो आकंठ इस प्रकार की उद्योगपतियों के बारे में सुबह से लेकर शाम तक चिन्तित रहते हैं। उन लोगों से मेरा कहना है कि जरा यह

(श्री मदन लाल सैनी)

तो देखिए कि पिछले शासन के दौरान में स्थिति क्या बनी, देश में 1 करोड़ 80 लाख कोढ़ी किसने बनाए, वह किनके पास और गलत नीतियों का परिणाम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने ही लोग इस देश में अंधे हैं कुपोषण के कारण से 2 करोड 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपंग और अपाहिज भी हैं, जो इस देश में बसते हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी का राज तो नहीं था। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की रिजर्व बैंक के अनुसार 42 पर्सेन्ट लोग हैं और उसका क्राइटेरिया गलत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ने कहा है कि शहर में वह व्यक्ति जिसको 75 रुपये महीना मिलता है वह गरीब है यानी 76 रुपये वाला तो टाटा और बिरला की श्रेणी में आता है। यदि 80 और 90 रुपये वाले लोग हम लेंगे तो यह गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या और भी बढ़ जायेगी और गांव का आदमी जिसे 65 रुपये महिने मिलता है वह बिलो पावर्टी लाइन मैन माना गया है। इस प्रकार के आंकड़ों को भी मानते हुए 42 पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जिनको दो समय की रोटी नहीं मिलती है, जिनको सोने की जगह नहीं मिलती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कितने लोगों का चालान किया गया, कितने मुकदमे बने। मैं जानता हूं, हमारे झुन्झुनूं में अवैध वाहन चलते हैं। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद बैठे हुए हैं, उनकी भी जानकारी होगी और हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यगण हैं उनकी भी जानकारी में होगा कि वह वाहन किनके चलते हैं. इस प्रकार के अवैध वाहन चलाने से क्या सरकार के पैसे की चोरी नहीं होती है, और उनके कारण से सरकार की रेवेन्यू को हानि दी जा रही है? जब उनको पकड़ा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है तो कौन पहुँचते हैं? यह इस प्रकार के विषय हैं जो राज्य की आय को घटाते हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार आने के बाद पिछले वर्षों की तुलना में मिलावट करने वालों के खिलाफ मुकदमें बने हैं। यह अदालत का प्रोसीजर है कि एक साल में फैसला नहीं होता, दस दिन में फैसला नहीं होता। उसमें समय लगता है, परिणाम भी एक-डेढ़ साल आएगें तब यह भी पता लग जाएगा। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज तक कैरोसिन तेल के लाइसेंस लेकर लोग बैठे थे, राशन की दुकानों के परमिट लेकर लोग बैठे थे और उन पर आरोप है कि वह ब्लैक करते हैं, पानी मिलाते हैं। यह बात बिलकुल सही है। इसलिए अब यह देखना पड़ेगा कि किन लोगों की शह पर आज तक यह कैरोसीन तेल में पानी मिलाते रहे, किन लोगों की शह पर चीनी का कोटा ब्लैक करते रहे और ऊपर का ऊपर बेचते रहे। इस प्रकार के लाइसेंस जिनके पास सस्ते अनाज की, सस्ते राशन के वितरण की दुकानें हैं उन लोगों की जांच की जानी चाहिए। जो दोषी पाए जाएं उन लोगों के लाइसेंस जब्त किए

(श्री मदनलाल सैनी)

जाने चाहिए, महंगाई पर तो अंकुश आ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसराम जी मदेरणा।

श्री रामकिशन : एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम था, मैंने सूचना दी है। कल ही अध्यक्ष जी को सूचना दे दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप बोलना चाहेंगे तो अनुमति मिल जाएगी।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह इस देश के अन्दर स्टार्क रियलिटी है कि मुल्क के अन्दर इकानामिक क्राइसेस है। आज अर्थ-व्यवस्था के अन्दर जो डिस्टार्शन आया है इस डिस्टार्शन के कारण नई केन्द्र सरकार को मैं कुछ निर्णय लेने पड़े हैं। वह कड़वे निर्णय कुछ डिसटेस्टफुल भी हैं। उस सम्बंध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और विचार प्रकट करते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जैसे उनका नजरिया उनका परसपेक्टिव वे गैलबर्थ की तरह, इंटरनेशनल इकानामी के अन्दर उनका नजरिया हो। यहां पर यह बात भी कही गई कि बी.जे.पी. और कांग्रेस के बीच में कोई सीक्रेट पैक्ट हुआ और उस सीक्रेट पैक्ट की वजह से आज की जो वर्तमान सरकार है वह ड्रिफ्ट हो रही है राइट की तरफ। कोई सीक्रेट पैक्ट बी.जे.पी. और कांग्रेस के बीच में नहीं है। वह इसलिए लगता है आपको क्योंकि आप बीच में हो और आप जिम्मेदार हो। बेलेन्स आफ पेमेण्ट की पोजीशन को आपने धीरे-धीरे जनता पार्टी की सरकार थी तो सफाया कर 6 हजार करोड़ से एक हजार करोड़ पर आ गए हैं। मैं एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहता न मैं मूलभूत इकोनोमिक्स की थ्योरीज में जाना चाहता हूं। क्योंकि आज जो क्राइसेस आया है इसके कई कारण हैं। आज पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में जो प्रोफिट होना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है इसमें दो राय नहीं है। सिस्टम में जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट देश के अन्दर हुआ है इसका लाभ देश को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मिडिल ईस्ट का जो क्राइसेस आया इराक वार की वजह से और ओपेक कन्ट्रीज ने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ाए वह आपके नियंत्रण की बात नहीं है। उसका असर पूरे संसार भर के भावों के ऊपर पड़ा है। बेलेन्स आफ पेमेण्ट की पोजीशन डांवाडोल हुई है और हमारे एक्सपोर्टस कम हुए हैं। आज पोलिसीज में जो लिबरलाइजेशन किया गया है किसी देश की अर्थनीति, भारत जैसा लोकतन्त्र कभी भी किसी के सामने अपनी सोवरेन्टी को सरेन्डर करने वाला नहीं है। न कोई आई.एम.एफ. की वजह से हुआ है न वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में भारत की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया है। स्टार्क रियलिटी है, वस्तु परक जो स्थिति है देश की, इकानामी को उसको ध्यान में रखकर के जो निर्णय लिए गए हैं उस पर आक्षेप और प्रतिआक्षेप नहीं करना चाहता।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सदन

(श्री परसराम मदेरणा)

के माननीय सदस्यों से जो आपने आपको लेफ्टिस्ट कह रहे हैं। आप चाइना फोरेन को, कैपिटल को, इनवेस्टमेंट बहुत लार्ज स्केल पर क्यों कर रहा है ? रशिया के अन्दर जो इकानोमी में ओपननेस आई है वह तो एक रेजीमेंटेशन था, ओलिटेरेनियन की डिक्टेटरशिप थी। उसके बाद में उन्होंने लिबरलाइजेशन क्यों किया। आपको यह देखना चाहिए कि भारत में भी हमारी भी कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं जिनका हमको निश्चित तौर पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा अगर हमको टेरिटोरियल इन्टेग्रिटी रखने, जैसे डिफेन्स के जितने भी साजो सामान हैं, हाई टेक्नालाजी है। कोई भी मुल्क उसको किसी भी कास्ट पर चाहे उसमें हमको बेल्ट टाइट करना पड़ेगा लेकिन हमारी डिफेन्स फोर्सेज को वैल इक्विप्ड ग्रेटेस्ट टेक्नोलाजी से रखना पडेगा।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बुक्स हैं और हाई टेक्नालाजी के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इस देश की इकानोमी मिक्सड इकानोमी रही है और उसको कहां पर छोड़ दिया गया है ...

श्री यदुनाथसिंह : रैपर्ट।

श्री परसराम मदेरणा : आप अभी समझे ही नहीं हैं मिक्सड इकानोमी को। आप सब चीजों को मिक्स करना चाहते हैं और मेरे थोट्स के अन्दर आप वाली बात को इंडप्ट मत कीजिए। रैपर्ट-वैपर्ट कुछ नहीं है। रैपर्ट यह है कि आज राज्य सरकार के सामने जो प्रश्न है क्योंकि देश के दोनों ही हाउसेज में लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के अन्दर बजट से लेकर डिवैल्यूएसन पर इस बात की बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। परसों फाइनेंस बिल पर सभी तरह के विचार वहां पर आ गए हैं उन्हीं विचारों को आप यहां पर रख रहे हैं। नेहरूवियन इकानोमिक पोलिसी से कांग्रेस डिपार्चर नहीं कर रही है। मैं नदवई से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन आज आप इस सब मामले को डाइवर्ट मत कीजिए।

थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे कोई कीन्स बोल रहा था इकानोमिस्ट, मैं इकानोमिस्ट नहीं हूं। मैं तो यह बात अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, आपको यह कह रहा हूं जो कुछ भी बात भारत सरकार ने कही है, भारत के प्रधान मंत्री ने और भारत के वित्त मंत्री ने इस देश की जनता से छिपाई नहीं है। आज देश की तीन बड़ी समस्याएं हैं। देश की पहली सबसे बड़ी समस्या गरीबी, दूसरी बड़ी समस्या बेकारी और तीसरी देश की सबसे बड़ी समस्या आबादी का बढ़ना है और इसी के साथ में महंगाई। जब रुपये का डिवैल्यूएशन हो और डिवैल्यूएशन करना क्यों आवश्यक हुआ था, इस सम्बन्ध में भारत के वित्त मंत्रीजी ने एक दफा नहीं, दसों दफा दोनों ही सदनों के अन्दर अपने विचार निश्चित तौर पर व्यक्त कर दिए हैं। उससे बेहतरीन तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट एडवांस नहीं कर सकता और न कोई लोजिक आर्ग्यूमेंट कर सकता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं एक निवेदन करूंगा कि आज जो कुछ भी वितरण की प्रणाली है 1966 में रुपये का डिवल्यूएशन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त सचिन चौधरी भारत के वित्त मंत्री थे और सी. सुब्रह्मण्यम भारत के एग्रीकल्चर और को आपरेटिव मिनिस्टर थे मैं उनका राजस्थान में काउण्टर पार्ट हूं। इमिजिएटली डिवैल्यूएशन के बाद में चूंकि वहां पर आवश्यकता थी इन्टरनेशनल करेंसी के अन्दर बेलेन्स बैठाने के लिए। आप कह रहे हैं कि दबाव में कर दिया। उन्होंने बार-बार इस बात का प्रतिवाद भी वहां किया है और स्ट्रांगली कण्ट्राडिक्ट किया है प्रधान मंत्री ने खुद ने कि हमने कभी प्रेशर के अन्दर डिवैल्यूएशन नहीं किया है। आज डिवैल्यूएशन किया है हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और करेन्सी के अन्दर रुपये का बेलेन्स लाने के लिए किया है। वह रियलिटी थी और उस के अन्दर स्टार्क रियलिटी से हम आंख मूंदकर के नहीं चल सकते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1966 में डिवैल्यूएशन के बाद 36 पर्सेन्ट डिवैल्यूएशन हुआ था। इमिजिएटली सी.सुब्रह्मण्यम ने तमाम स्टेट के को आपरेशन मिनिस्टर्स को दिल्ली बुलाया और जो असेन्शियल कमोडिटीज को जो आज समाज का वलनरेबल सेक्शन है, गरीब तबका है, उसमें इस असेन्शियल कमोडिटीज को खाद्यान्न तेल, उसके साथ में केरोसीन, मोटा कपड़ा, साबुन, चाय, एक्स फैक्टरी प्राइस पर। आपका जो पब्लिक रिलेशन आफिस है एस. एम. एस. अस्पताल के सामने यहां पर सुपर मार्केट कायम हुआ, जोधपुर के डाक बंगले को रिक्विजीशन करके इमीजियेटली किया गया। दूसरे शहरों में किया गया और उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना हुई और एसेंशियल कमोडिटीज का वितरण इमीजियेटली हाथ में लिया गया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वह है, उसकी प्राविधाओं का इम्पली-मेन्टेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। इस सम्बन्ध में मेरे यह बात समझ में नहीं आती, जैसा मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि रेल फ्रेट के अन्दर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। पैसेन्जर किराये में बढ़ोतरी हुई है एसेन्शियल कमोडिटीज, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, खाद्यान्न वगैरह के अन्दर कोई फ्रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ चीजें, खास तौर से केरोसीन में एक्साइज ड्यूटी 15 प्रतिशत कम की गयी है और बल्ब आदि दूसरी-दूसरी चीजों के अन्दर एक्साइज ड्यूटी कम की गयी है या कम्पलीटली एग्जम्प्ट की गयी है।

इसलिए मेरा उपाध्यक्ष महोदय, सिविल सप्लाई फूड मिनिस्टर से यह निवेदन है कि आप राज्य में जो वितरण प्रणाली है, जयपुर के अन्दर आपने राशन कार्डस चैक किये हैं और चैक करने के बाद शायद आपको बहुत ज्यादा फर्जी कार्ड मिले होंगे। अब दूसरे शहरों में राशन कार्ड इमीजियेटली चैक करके, आज वितरण नहीं हो रहा है और वितरण नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो कुछ भी फेयर प्राइज शोप हैं गवर्नमेंट की, पुरानी सरकार की हमेशा नीति रही है, और शायद आपकी सरकार की भी यही नीति रहेगी कि को-आपरेटिव क्षेत्र से इसका

(श्री परसराम मदेरणा)

वितरण किया जाये। फेयर प्राइज शोप ज्यादा को-आपरेटिव में है। अब आप धीरे-धीरे डेबियट होते जा रहे हैं। आप डेबियट मत होइये, विभिन्न को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये। आज जो कोई भी एपेक्स बोडी है, क्रय-विक्रय संघ उन चीजों को खरीदता था। जिसमें प्लास्टिक के बर्तन थे, चाय थी, साबुन था और भी जो आवश्यकता की वस्तुयें थीं खास तौर से, इसलिए जो भी आज जरूरी है लोगों के लिये, खाद्यान्न आपको मिल रहा है, खाद्यान्न आपको वितरण करना है। एशेन्शियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रख कर इम्पलीमेन्टेशन स्ट्रोंगली करके फेयर प्राइज शोप्स के जरिये उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। इसके सम्बंध में राज्य सरकार को बहुत सचेत होना पड़ेगा और इफेक्टिवली इसको इम्पलीमेन्ट करना पड़ेगा। केरोसीन के भाव बढ़ने का कोई कारण नहीं हो सकता है। केरोसीन टेंकर्स में आता है तो डीजल के भाव बढ़े नहीं; केरोसीन में इटसेल्फ एक्साइज ड्यूटी 10 प्रतिशत कम कर दी है इसके बावजूद केरोसीन के भाव बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बीच में लोगों का शोषण कर रहा है और केरोसीन की मिलावट के मामले में भी जैसा अभी अखबारों में पढ़ रहे थे शिकायत भी की थी लोगों ने और यहां पर भी काल अटेंन्शन मोशन आये हैं जो आपकी पार्टी के लोगों ने दिये हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज आवश्यकता इस बात की है कि इकानोमिक क्राइसेज, समाज का जो आर्थिक तौर से गरीब तबका है और भारत सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेन्थन करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी और बहुत जल्दी मिनिस्टर्स की और सिविल सप्लाई मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है कल या परसों अखबारों में पढ़ा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रोंग बनाइये और कन्जूमर्स के ओर्गेनाइजेशन का जो अभी एक्ट बना हुआ है वह बहुत लचर एक्ट है। आम कन्जुमर्स की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, जब तक कन्जूमर मूमेण्ट स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक पोलिटिकल पार्टी, आपसी मतभेद को छोड़ दीजिए आप और मतभेद छोड़ कर कन्जूमर मूवमेंट को मजबूत बनना पड़ेगा ताकि वह वाच डोग की तरह काम कर सके और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक आप, आज जब मैं कह रहा था कि मैनेजर के सम्बन्ध में कोई न कोई निर्णय ले लीजिए वहां साढ़े पांच हजार जी. एस. एस. के अन्दर मेनेजर लगे हुये हैं, वह हड़ताल पर हैं।

फेयर प्राइज शोप्स ज्यादातर को-आपरेटिव सोसायटीज की हैं वह हड़ताल पर हैं तो फिर उसका वितरण कौन करेगा। वहां पर आपने दूसरा बैठा दिया है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के चुनाव करा दिये हैं तो आपने केश बुक मेन्टेन करने की, चीज खरीदने की सब जो है आपने सरटेन इन्सट्रक्शन्स दिये हुये हैं आपके बाईलाज में जो प्रावधान रख दिया और वह रख दिया है मेनेजर का और मेनेजर केडर आथोरिटी का मेम्बर है और केडर आथोरिटी कोई मान नहीं रहा है। केडर आथोरिटी की बात भूल गये थे, राजस्थान में किसी को पता नहीं था तो

(श्री परसराम मदेरणा)

थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको लिक्विडेट कर दिया जब यहां पर चेयरमेन की मीटिंग हुई थी तब मैंने यह बात कही थी कि केडर आथोरिटी के लोग हैं जो आर एस.आर. अप्लाई कर रखा है आपने और यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं है। जब मैंने देखा कि डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लिया जायेगा, सबसे पहले इस मामले को उठाने वाला व्यक्ति मैं हूं और जब उन्होंने लिक्विडेशन का रिजोल्यूशन पेश कर दिया उसमें 21 चेयरमेन थे बैंक के उन्होंने रिजोल्यूशन दिया और इस प्रकार का कोई भी रिजोल्यूशन राज्य सरकार नहीं मानें और यह निर्णय होना चाहिए कि अभी जो केडर आथोरिटी है आपने यहां पर उनका ग्रेड तो इन्क्रीज कर दिया, जिसका सीधा भार जी एस.एस. और सी.सी. बैंक पर पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मसला इमीजियेटली हल होना चाहिए जैसा कि 30 तारीख को मीटिंग रखी है मुख्य मंत्रीजी ने। आपके सामने कोई साफ्ट आप्शन नहीं है। आपको उनको या तो सी.सी. बैंक का कर्मचारी मानना पड़ेगा या अपेक्स बैंक का कर्मचारी मानना पड़ेगा। एक फण्ड क्रियेट था इस केडर आथोरिटी में, डेढ़ दो करोड़ का। उसका कुछ प्रतिशत उनको देना चाहिए जो कि केन्द्रीय सहकारी बैंक्स को दिया नहीं है।

हमने उनसे रिक्वेस्ट की और ऐसा मैं सोचता हूं कि बेलेन्स आफ पेमेण्ट की जो पोजीशन आई है इसके लिए आप कहते हैं कि बहुत गलत नीतियां कांग्रेस ने, 40-50 साल में ए.बी.सी.डी. का पता नहीं है। कौनसी चीज इम्पोर्ट हो रही है, कौनसी एक्सपोर्ट हो रही है, किस चीज में क्या डिफीकल्टीज है इसका सीधा सम्बन्ध एक्सपोर्ट पालिसी से है। लेकिन आपकी कामर्स की पालिसी क्या रहेगी, किन चीजों को आप यहां पर इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, कौनसी चीजों के एक्सपोर्ट के चान्सेज ज्यादा हैं, ग्रामोद्योग और छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए बड़े उद्योग नहीं आवे। जो आज इण्डस्ट्रीयल पालिसी बनी हुई है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, उद्योग मंत्रीजी इस बात को इण्डोर्स करेंगे कि ग्रामोद्योग और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को उतनी ही तरजीह दी गयी है जितनी बड़े उद्योगों को दी है। हालांकि बड़े उद्योग कुछ मामलों में आवश्यक है। इकानोमी कोई डिपार्चर नहीं है। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य आश्वस्त रहे इस बात पर। आप इसको लेकर ज्यादा चलाते रहे इसको पालिटिकली एंगल देते रहे तो जो अन्त्योदय की डींग मारने वालों की दुर्गति हुई वह आपकी होने वाली है। आप यहां गलत बयानी मत कीजिए हम सबको मिलकर पोलिटिकली डिफरेन्सेज छोड़ कर अगर हम समाज के पिछड़े तबके का वास्तव में, कमर तोड़ महंगाई से जो दबा हुआ है, और शोषण हो रहा है और वह दुखी है, उसका जीना दुर्भर हो गया। नीचे तबके के लोगों की पूरी जो आमदनी है उसका 70% बजट फूड आर्टिकल्स है। एसेंशल कमोडिटीज आज उसकी रीच से बाहर है। उसकी क्रय शक्ति से बाहर है और कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स का वितरण राज्य सरकार द्वारा जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह जिम्मेदारी, यह कर्त्तव्य,

(श्री परसराम मदेरणा)

यह रेसपान्सिबिलिटी राज्य सरकार की है। भारत सरकार कभी भी बैठ करके उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नहीं देखती है और इसलिए मैं चाहूंगा असेंशियल कमोडिटी एक्ट के जितने भी आर्डर्स हैं उनकी जो खिलाफत करता है चाहे वो ब्लेक मार्केटिंग करता है, चाहे स्मगलिंग करता है और चाहें वो होर्डिंग करता है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए डिफरेंन्ट आर्डर्स बने हैं उस एक्ट के अन्दर। उन प्रावधानों का बहुत सख्ती से अनुपालन होना चाहिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंज्यूमर मूवमेंट के साथ में गरीब लोगों को सहायता के लिए हमें एवेन्यू को इवोल्व करना चाहिए। we are too late in the day.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पं. रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई हिन्दुस्तान की आज की सबसे बड़ी समस्या है और महंगाई क्यों है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है इस पर हम राजनीतिक दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। माननीय परसराम जी चाहते हैं सरकार की जो पुरानी आर्थिक नीतियां हैं और वर्तमान आर्थिक नीतियां हैं उनका हम समर्थन भी करें और महंगाई के दोष को हम राज्य सरकार पर डाल दें और राज्य सरकार यह चाहती है, राज्य सरकार का यह चिन्तन है कि महंगाई पर सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय परसराम जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी मैं उनसे भिड़ना नहीं चाहता, कोई विवाद पर नहीं आना चाहता लेकिन मैं सबसे पहले उनसे एक बात कहना चाहता हूं उन्हें सबसे ज्यादा एतराज इस बात पर हुआ कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि कांग्रेस और बी. जे. पी. में कोई गुप्त समझौता है। इसका परसराम जी को बड़ा दर्द हुआ लेकिन....

श्री परसराम मदेरणा : आप असत्य हैं। आप 20 दफे रिपीट कीजिए। वो जानते हैं हमारा कोई सीक्रेट पैक्ट है? लोकल सेल्फ मंत्री जी क्या हमारा कोई सीक्रेट पैक्ट है?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : हमारी आपसे मित्रता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : यह आम जनता में चर्चा है। (व्यवधान)

श्री रामकिशन : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें इस बात पर एतराज है कि हममें कोई गुप्त समझौता है, मैं यह नहीं कहता आपमें कोई गुप्त समझौता है। आपने कांग्रेस ने खुले समझौते किए हैं। आपने केरल में मुस्लिम लीग से समझौता किया, पंजाब में अकालियों से समझौता किया, आपने डी. एम. के. से समझौता किया, आपने ए. डी. एम. के. से समझौता किया। मुझे इस देश में एक दल ऐसा बता दो जिससे आपने समझौता नहीं किया हो। मैं राजनीतिक तौर पर इस मामले में नहीं जाना चाहता मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं समझौते का झगड़ा नहीं है, यह सवाल है आर्थिक।

(श्री रामकिशन)

और जब आर्थिक सवाल है तो इस सवाल को आपको आर्थिक दृष्टि से ही सोचना चाहिए। आपकी सरकार ने वायदा किया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। यह फायदा हमने तो नहीं कराया था ? हमने तो नहीं कहा था कि आप यह वायदा करो कि आप 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अब इन 100 दिनों के भीतर.... (व्यवधान)

मैं माननीय परसराम जी से निवेदन करूंगा मुझे प्लान और अनप्लान्ड इकोनोमी वाले किसी भी देश में बता दें जितना इनफ्लेशन डेढ़ महीने में हमारे यहां हुआ है उतना संसार में कहीं और हुआ है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने महंगाई कम करने की बात कही, हमने कहा कि केरोसीन के भाव कम करायेंगे। केरोसीन 10 पर्सेन्ट एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद में, फ्रेट नहीं बढ़ने के बाद में, डीजल की प्राइस नहीं बढ़ने के बाद में उसके भाव क्यों बढ़ गए ? मुझे यह बात समझ में नहीं आई इसका जवाब आप दीजिए।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : आपने कुछ वस्तुओं की चर्चा की थी कुछ स्पेशल थिंग्स की।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने क्या चर्चा की है आप घोषणा-पत्र को पढ़ लेना।

श्री रामकिशन : आपने 100 दिन का वायदा किया था। यह वायदा हमने नहीं कराया था। अब 100 दिन में कीमतें कम नहीं हुई। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि 2 तरह की इकोनोमी संसार में है प्लान्ड और अनप्लान्ड। इन दिनों के अन्दर जितना इनफ्लेशन हिन्दुस्तान में हुआ है मुझे संसार के किसी देश में डेढ़ महीने क भीतर इतना इनफ्लेशन बता दें। जब बजट बना था उस समय मुद्रा प्रसार ...

श्री परसराम मदेरणा : चाइना में 19 पर्सेन्ट था एक साल में लास्ट ईयर।

श्री रामकिशन : मैं 100 दिन की बात कह रहा हूं वो ही तो आप फर्क नहीं समझ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप क्या बात कह रहे हैं, दुनिया-दुनिया कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस तरह का इनफ्लेशन जिस दिन बजट पेश हुआ था, आप आर्थिक समीक्षा उठा लीजिए, उस समय हमारी मुद्रा स्फीति की दर 8 पर्सेन्ट थी आज वो 18½ पर्सेन्ट और अभी जो समर्थन मूल्य लागू किया है खरीफ की फसल का उसको हम जोड़ेंगे तो हमारा इनफ्लेशन जायेगा 20 पर्सेन्ट।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार महगाई के लिए जिम्मेदार नहीं है यह कहकर आप संतोष कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता से आंख नहीं चुरा सकते। अब दूसरा सवाल रह जाता है राज्य सरकार का। जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है ...

श्री परसराम मदेरणा : आप सपोर्ट प्राइस के अलावा जो फूड ग्रेन्स की सब्सिडी है वो रखिए। उसको आप क्यों भूल जाते हैं ?

श्री रामकिशन : मुझे जानकारी है आप सुनेंगे तो सब आ जायेगा। अब जहां तक राज्य सरकार का सवाल है निश्चित तौर से वितरण व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार के हाथ में जब वितरण व्यवस्था है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें। चीनी का कोटा घटा नहीं, तेल का कोटा घटा नहीं, चावल का कोटा घटा नहीं बल्कि जो हमारे पिछले कोटे थे उनमें केन्द्रीय भण्डार से 10 और 12 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी की है तो फिर इन चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही है। आज अनाज का भण्डार हमारे देश में सबसे ज्यादा है। इसी साल 17.5 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ था। 18 करोड़ टन पैदा होने की संभावना है उसके बाद भी उपभोक्ता के लिए अगर यह चीज महंगी मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तो यह सवाल गाली-गलोच करने का नहीं है सवाल है समस्या का समाधान कैसे हो ? मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा एक तरफ यहां सारे आर्थिक सवालों पर बहस हो गई अगर उनको छेड़ूंगा तो दिक्कत खड़ी हो जायेगी लेकिन यहां मिक्स्ड इकोनोमी की बात भी हो गई, गांधीवादी दर्शन की बात भी हो गई, मिक्स्ड इकोनोमी की असफलता की बात भी हो गई और पूरब की यूरोपीय विफलताओं की चर्चा भी हो गई लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सही बात है कि पूरब में और रूस में प्लान्ड इकोनोमी फेल हुई है लेकिन संसार में केपिटलिज्म कहां सफल हुआ है इसको मुझे जरा बता दीजिए। अगर समाजवाद फेल हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूंजीवाद सफल हुआ है। आज 150 साल के पूंजीवाद का ही नतीजा है कि दुनिया के काले और रंगहीन लोग 75 पर्सेन्ट गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। अगर पूंजीवाद का लाभ मिला है, साम्यवाद का लाभ मिला है तो गोरी सभ्यता को मिला है परन्तु काले और गरीबों के भाग्य में युद्ध, गरीबी और बीमारी ही रही है। ये पूंजीवाद के समर्थक लोग सोच-समझकर बात किया करें और जब वो कहते हैं हम कण्ट्रोल हटा रहे हैं, परमिट हटा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं अविकसित इकोनोमी को जब तक आप सहारा नहीं देंगे तब तक वह इकोनोमी विकसित कैसे होगी। तो मैं आपके सवालों को नहीं छेड़कर केवल इतना-सा कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को संभाले और वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करे। माननीय रामकिशोर जी मंत्री भी हैं और उम्र में भी हमसे बहुत छोटे हैं वो जानते हैं कि आज कितनी दुकानें फंक्शन कर रही है ? चीनी जो आप देते हैं वो वहां शहर में ही बेच जाते हैं गांव में कोई जाता ही नहीं है। 6–6 महीने से चीनी नहीं मिली है और तो छोड़ो मेरा नाम है भरतपुर के राशन कार्ड में। आप जाकर जांच कर लो इस बात की मुझे ही चीनी नहीं दी है। जब मुझे ही कोई चीनी

(श्री रामकिशन)

नहीं देते हैं तो गांव में कौन चीनी देता होगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): आपका नाम लिखा हुआ है रजिस्टर में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : मैं गम्भीरता से बात कर रहा हूं। चीनी आप दो नहीं, तेल आपका मिले नहीं, चावल को यहीं बेच जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नहीं है क्या ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार इस महंगाई के मामले में अपने कर्तव्यों का पालन करे।

मुझे एक दूसरा निवेदन और करना है यह मुद्रास्फीति की दर बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है ? इसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है देश के अन्दर यह हवा चली है कि अब नियन्त्रण समाप्त किया जा रहा है, अब कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा तो मध्यम वर्ग के व्यापारियों के मन से डर खत्म हो गया है। इसलिए वह कीमतों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आज आप कोई चीज खरीदिये, कुछ कीमत मिलेगी। दूसरे दिन बाजार में जाइए तो उसकी कीमत उसी ढंग से मिल जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं, चावल का उत्पादन बढ़ा है, अब के हम साढ़े छः लाख टन चावल का निर्यात कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, अंडों का उत्पादन बढ़ा है, मांस का उत्पादन बढ़ा है, सब्जी का उत्पादन बढ़ा है, आम का उत्पादन बढ़ा है फिर इनकी कीमतें बढ़ने का कोई कारण भी तो होना चाहिए और अगर कोई कारण नहीं है तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन नहीं कर रही हैं। मुझे एक निवेदन और करना है, यहां बी. जे. पी. का जैसे ही नाम आता है, बी जे पी. के माननीय सदस्य एकदम से खड़े हो जाते हैं और वह यह समझते हैं....

श्रीमती तारा भण्डारी : सदस्या एक भी खड़ी नहीं होती।

श्री रामकिशन : सदस्या तो खड़ी नहीं होनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने मेरा नाम कैसे लिया ?

श्री रामकिशन : नहीं, आपको तो मैं सदस्या नहीं मानता, आप तो निराकार नारी है इसलिए आपको सदस्या नहीं, सदस्य ही मानता हूं मैं तो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इतना उछल क्यों पड़ते हैं और आप कहते हो कि हमारा दर्शन यह है। आपका दर्शन क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। कोई तय करके बताये कि आपका दर्शन क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : एकात्मवाद।

श्री रामकिशन : एक साल में गांधीवाद, दूसरे साल में समाजवाद, तीसरे बाद में एकात्मवाद, चौथे बाद में राम की बात, पांचवें साल में गाय का सवाल, जरा आप की नीति, कोई फैसला करके बता दो कि क्या है आपका फैसला ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : विश्व में जो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

घटनाचक्र चल रहा है और जैसा चला है, हम तो आप से जानना चाहते हैं कि आपका दर्शन क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो दर्शन से ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ : इनका दर्शन है अवसरवाद।

श्री रामकिशन : अगर जब समझना चाहेंगे तो देखो गुरु में तो होना चाहिए गर्म गुरु और शिष्य में होना चाहिए धीरज।

श्री मदन लाल सैनी : भासनवाद है।

श्री रामकिशन : आप आ जाइये, मैं बता दूंगा लेकिन मैं इतना सा कह सकता हूं कि मिक्स्ड इकोनोमी के अलावा तीसरी दुनिया के देशों के पास कोई रास्ता नहीं है। हम पूंजीवाद के रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर हम साम्यवाद के रास्ते पर नहीं चल सकते तो फिर हम पूंजीवाद के रास्ते पर भी नहीं चल सकते। बिना नियंत्रण के, बिना उपभोक्ताओं को संरक्षण दिए, बिना पूंजीपतियों पर लगाम लगाये हम गरीब का कल्याण नहीं कर सकते। अब वह लगाम कैसे लगेगी, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, कैसे दूर होगा, इस पर चर्चा की जा सकती है लेकिन मैं आखिर में इतना कहना चाहूंगा–फसल हुई है बढ़िया, केवल सन् 69 में इनफ्लेशन की दर इतनी गई थी, तब हमारे यहां तीन साल अनाज का उत्पादन कम हुआ था 69 में, 78-79 में, उस समय कीमतें बढ़ी थी। उसका मैं कारण मानता हूं, हमारी लगातार तीन फसलें खराब हुई थी। अब हमारी तीनों फसलें हुई है बढ़िया और अब हमारा अब का फोरकास्ट भी बहुत बढ़िया कहा है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इसकी दोषी है और अगर हम भी सरकार में थे तो हमारी सरकार ने भी कोई बहुत क्रांतिकारी काम इस मामले में नहीं किया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जनता दल की सरकार ने भी बड़ा क्रांतिकारी काम नहीं किया था लेकिन इतनी बात तब थी कि हमारे टाइम में मुद्रा स्फीति की दर आठ प्रतिशत थी और आज हो गई है बीस प्रतिशत। इसलिए हमने चाहे क्रांतिकारी काम नहीं किया हो लेकिन बड़े दोष के जिम्मेदार हम नहीं हैं। अब यहां विदेशी कर्जों की देशी कर्जों की कई तरह की बातें चली है, नई टेक्नोलोजी की, पुरानी टेक्नोलोजी की, उस पर मैं जब बजट पर चर्चा होगी, निवेदन करूंगा। मैं तो पोइन्टेडली केवल राज्य सरकार से चाहता हूं कि क्या वितरण व्यवस्था को दुरूस्त करने को तैयार है ? मैं मानता हूं कि यदि आप वितरण व्यवस्था को दुरूस्त कर दें, जितनी आपकी दुकानें हैं वह सौ प्रतिप्रतिशत तो ईमानदारी से काम नहीं करेगी लेकिन अगर आप उनका पचास प्रतिशत फंक्शन भी ठीक कर देते हैं तो आज करीब को बड़ी राहत मिलेगी। मैं ऐसी बात नहीं कह सकता जो व्यावहारिक न हो। आज समाज का जो पतन हुआ है, वह राजनीति का भी हुआ है, सरकारी सेवाओं का भी हुआ है, व्यापारियों का भी हुआ है, सब का हुआ है। इसलिए हम उनसे यह तो

(श्री रामकिशन)

आशा नहीं कर सकते कि हमें स्वर्ग में पहुंचा देंगे लेकिन अगर मन्त्री मण्डल मंत्री और सरकार सख्ती से पेश आये, जो वितरण व्यवस्था की मार्फत चीजें दी जाती हैं उनको हम उपभोक्ता को दिला देते हैं तो हम गरीब की बड़ी सेवा करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं अंत में, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक सवालों पर उपयुक्त समय पर चर्चा करें लेकिन इस तरह एक-दूसरे की जिम्मेदारी को टाले नहीं और जिम्मेदारी का टाल कर अगर आप उपभोक्ताओं का अनहित करना चाहते हैं तो यह हमारे देश के लिए बड़ी खतरनाक बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रक्रिया के नियम 127 के तहत चर्चा की है और उसमें यह अंकित किया है, बताया है कि गत दो-तीन माह के अन्दर राज्य में महंगाई में भारी वृद्धि हुई है और वर्तमान सरकार इस महंगाई पर प्रतिबंध लगाने में सर्वथा असफल रही है। प्रस्ताव में यह भी अंकित किया गया है कि नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं यथा–आटा, चीनी, घी, तेल, साग-सब्जी, दाल आदि की दरें भी आसमान छू रही हैं, इससे आज नागरिक को कठिनाई अनुभव होने लगी है। प्रस्ताव की व्याख्यात्मक टिप्पणी में यह भी अंकित किया गया है कि केन्द्रीय बजट के बाद महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है, रेल बजट से भी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है, केन्द्र सरकार द्वारा रुपये के किये गये अवमूल्यन के बाद महंगाई में वृद्धि हुई है। रुपये के अवमूल्यन, बजट घाटे और मुद्रा संकट के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ी है जिसका सीधा असर भी आम उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ा है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी में यह भी अंकित किया गया है कि गत दो-तीन माह में जरूरी चीजों के मूल्य में बीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जिसके कारण आम नागरिक का जीवन यापन करना महंगा हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा गई है तथा सरकार एवं प्रशासन की कमजोर पकड़ के कारण आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं जमाखोरी हो रही है जिसे सरकार रोकने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह सरकार महंगाई में हो रही वृद्धि को रोक पाने पूर्ण असफल है।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के औसत खुदरा भाव माह मार्च, 91 से अगस्त, 91 तक निम्न प्रकार है :-

गेहूं मार्च 29 को जहां 3.94 रुपये किलो थे वह 2 अगस्त, 91 को 3.78 रुपये किलो थे, चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। चना 7.79 रुपये प्रति किलो थी वह 2 अगस्त, 91 को भी 7.79 रुपये थी, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। चावल थैला 6.62 रुपये रुपये किलो था वह 6.60 रुपये प्रति किलो हो गया, इसमें 6 प्रतिशत की कमी हुई है। बाजरा 3.00 रुपये किलो

(श्री रामकिशोर मीणा)

था वह 3.34 रुपये हुआ, इसमें 11.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ज्वार 3.14 रुपये था वह 2 अगस्त, 91 को 3.59 रुपये था, मक्का 3.20 रुपये किलो था वह 2 अगस्त को 3.68 रुपये हुआ। मूंग की दाल 11.29 रुपये किलो थी वह 2 अगस्त को 11.86 रुपये थी। उड़द दाल 12.32 रुपये किलो थी वह 2 अगस्त को 14.07 रुपये किलो थी। चना दाल 8.89 रुपये थी वह 2 अगस्त को 9.93 रुपये प्रति किलो हो गई। मूंगफली तेल 39.57 रुपये था वह 2 अगस्त को 42.57 था। सरसों का तेल 31.11 रुपये था उसकी कीमत 2 अगस्त को 34.43 रुपये थी। तिल का तेल 30.50 रुपये था जबकि 2 अगस्त को 36.57 रुपये हो गया। वनस्पति घी 37.57 रुपये था और 2 अगस्त को 41.00 रुपये था। चीनी 8.51 रुपये प्रति किलो थी वह 2 अगस्त, 91 को 9.36 रुपये प्रति किलो थी। आलू 2.61 रुपये किलो थे वह 3.71 रुपये किलो हिसाब से थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री महोदय जो वक्तव्य दे रहे हैं, 2 अगस्त के प्रिवेलिंग प्राइसेज को यहां पर कोट कर रहे हैं और आज तारीख 18 सितम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष : मार्च में क्या कीमत थी और 2 अगस्त को क्या हुई, तो कीमतों का डिफरेन्स बता रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : Why second of August ?

आप एक सितम्बर कर देते, 2 सितम्बर कर देते, यह स्टेटमेंट आप 18 तारीख को दे रहे हैं। छमाही का भी क्या सवाल है इसमें।

श्री केदारनाथशर्मा : एक साल को चार हिस्सों में बांटा जाता है। जो इन्डेक्स तय होता है वह चार हिस्सों में होता है। एक साल को इन्डेक्स के लिहाज से चार हिस्सों में बांटा जाता है। फर्स्ट टु पार्ट्स में जैसे प्राइसेज बढ़ी, आपकी बात ठीक है। लेटर जो पार्ट टू में, उसमें प्राइसेज बढ़ने, की बात अभी नहीं आयेगी, आगे आयेगी वह बाद में आयेगी, बढ़ेगी नहीं कभी। यह ठीक चल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चार हिस्सों में बांटते हैं, दो अगस्त को, अगस्त तो आठवां महीना है ना।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ों के लिए तो ठीक है परन्तु जीवन यापन पर जो असर पड़ता वह थोक मूल्यों का नहीं पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष : वह सही है, विराजिये आप। विराजिये-विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सवाल यह है कि आप प्रिवेलिंग प्राइसेज के बारे कहिये ना।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

Why you have taken a cut-off date of Second of August?

आखिर इसका औचित्य क्या है? उसके बारे में बतायें आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है पहले ही, प्रथम चार महीने का जो इन्डेक्स बढ़ता है वह बताया जायेगा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रस्ताव यह था कि पिछले दो महीने में, दो और तीन महीनों के भीतर जरूरी चीजों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अब चर्चा 2 अगस्त की हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात भी सामने आ जायेगी।

डा. चन्द्रभान : दो अगस्त के बाद में डेढ़ महीने के बारे में कुछ

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा, आ जायेगा। बिराजिये आप। He has just started.

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सेन्टेन्स में भी कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इधर बोल रहा हूं। अभी जो आप वक्तव्य दे रहे हैं उसमें जो किसानों के उत्पादन के भाव हैं, यह सही है कि तीन-चार प्रतिशत बढ़े हैं, यह ज्यादा बढ़ने चाहिए थे परन्तु दुख यह है कि बाकी जो चीजें हैं, जो फैक्ट्रियों में पैदा होती हैं, पालियामेंट के अन्दर खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया कि वह 12 पर्सेन्ट बढ़ गई है और दिसम्बर तक 22 पर्सेन्ट बढ़ेगी, उनके ऊपर रोक की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। बिराजिये।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आलू की कीमत 2.61 रुपये थी। इसके बाद कपड़े धोने का साबुन 3.51 रुपये था, 3.57 रुपये कीमत हुई है। चाय की पत्ती 50 ग्राम की 3.35 रुपये की थी, वह 3.42 रुपये....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कितनी तारीख को?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरा कर लेने दीजिये। बाद में सवाल कर लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बहुत आदर से आपको निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय पहले बराबर डेट बोलते जा रहे थे लेकिन मेरे इण्टरप्शन के बाद डेट को बोलना बन्द कर दिया। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो डेट है, वह कहते जाइये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको।

श्री रामकिशोर मीणा : वो ही डेट है।

उपरोक्त विवरण को देखने से ज्ञात होगा कि यह कहना सही नहीं है कि सब आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह सही है कि

(श्री रामकिशोर मीणा)

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है परन्तु यह बढ़ोतरी राज्य सरकार एवं प्रशासन की कमजोर पकड़ के कारण नहीं है। राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करती है। अप्रेल, 1991 से जुलाई, 1991 तक प्रदेश में 182 छापे मारकर 31 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये गये हैं और 5,45,986 रुपये का मामला दर्ज किया है।

राज्य सरकार, खाद्य विभाग ने सब जिलों में विशेष रूप से नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रखे हैं और सभी जिला कलेक्टर्स और जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। खाद्य विभाग के मुख्यालय पर विशेष रूप से उड़नदस्तों का गठन किया गया है। यह सही नहीं है कि मूल्य की वृद्धि केवल मात्र राजस्थान में हुई है और राज्य के पड़ोसी राज्य अथवा देश के अन्य राज्य इस दृष्टि से अछूते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि एक अखिल भारतीय प्रश्न है। मूल्यों पर नियंत्रण रखने की बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की है क्योंकि मूल रूप में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 भारत सरकार का अधिनियम है और इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार ही मूल्यों पर कानूनी रूप से अंकुश लगा सकती है। राज्य सरकार बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करती है ताकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के परिणामस्वरूप बढ़ने वाले भावों पर रोक लग सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के भावों को बढ़ने से रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार को अधिक खाद्यान्न आवंटित करने के लिए राज्य सरकार ने बार-बार निवेदन किया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्य तेलों का आवंटन अप्रेल 1991 से नहीं किया जा रहा है जिसके बारे में भारत सरकार को बार बार निवेदन किया गया है कि आयातित खाद्य तेल राज्य में भेजा जावे। इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केवल मात्र 70,000 मैट्रिक टन गेहूं प्रति माह आवंटित किया जाता है जिसे राजस्थान की 1991 की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने के लिये भारत सरकार को बार-बार निवेदन किया जा रहा है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित है और वर्तमान में 15,029 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं जिनमें से 4,326 दुकानें शहरी क्षेत्र में तथा 10,694 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल रूप में भारत सरकार की योजना है जिसे राज्य सरकार क्रियान्वित करने में सहयोग देती है। इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को अधिक खाद्यान्न आवंटन करने के लिये निवेदन किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा जनोपयोगी तथा सुदृढ़ करने के लिये राज्य

(श्री रामकिशोर मीणा)

सरकार ने वर्तमान प्रणाली में जो खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को निवेदन किया है। केन्द्र सरकार भी बढ़ती हुई महंगाई से चिन्तित है जिसका मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी जिसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार को दिये हैं तथा इसी महीने के अन्तिम सप्ताह में पुनः केन्द्र सरकार बैठक कर रही है जिसमें बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने हेतु गम्भीरता से विचार विमर्श किया जायेगा।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसकी एक बैठक अभी 7-9-1991 को हो चुकी है तथा शीघ्र ही पुनः बैठक कर प्रभावी मूल्य नियंत्रण के उपायों पर विचार कर अमल करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के सम्बन्ध में दो प्रकार की यहां चर्चा हुई। एक तो महंगाई के कारण क्या हैं (व्यवधान)।

जवाब मैं दे दूंगा। पूछ लेना। अभी मुझे बोलने दो, बीच में मत खड़े हो।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जो बात आई, उसका उत्तर तो देने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी जा नहीं रहे हैं। मंत्रीजी चले गये तो मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं वे श्री रामस्वरूप मीणा से मिलने चले जाय। और तो कोई खास बात नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि सदन में दो प्रकार की चर्चा हुई। चर्चा का आधार एक यह था कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या हैं ? दूसरा, महंगाई को रोकने के लिये माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये और इसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के प्रावधानों को सख्ती के साथ लागू किया जाये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कोई अर्थ शास्त्री तो नहीं हूं, न ही मुझे अर्थ शास्त्र का इतना ज्ञान है।

श्री यदुनाथ सिंह : वित्त विभाग छोड़ो फिर।

श्री रामकिशन : छोड़ने के लिये तो खाचरियावास छोड़ने के लिये भी तैयार नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज महंगाई का प्रश्न मूल में महंगाई का प्रश्न नहीं है। मूल में प्रश्न यह है कि जनता की परकेपिटा इनकम किस गति से बढ़ रही है। पंडितजी ने तो विदेशों का खूब भ्रमण किया है

श्री केदारनाथ शर्मा : नक्शे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो यह नक्शे ही बनाते हैं। ये वास्तविकता बताते नहीं नक्शे ही बनाते हैं।

तो जिन माननीय सदस्यों ने विदेशों का भ्रमण किया है या विदेशों की अर्थ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यवस्था का अध्ययन किया है, वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि अपने देश में जिस प्रकार की महंगाई है, जो हमको बहुत असह्य हो रही है, दूसरे देशों की महंगाई बहुत ऊंची है, लेकिन वह महंगाई उनको इसलिये नहीं अखरती क्योंकि उनकी परकेपिटा इनकम भी उसी गति से बढ़ती है।

श्री केदारनाथ शर्मा : परचेंजिंग पावर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परचेंजिंग पावर कहिये, परकेपिटा इनकम कहिये, वह तेज गति से बढ़ रही है और वहां पर मूल्य वृद्धि की गति से ऊंची रहती है। इस कारण से महंगाई किसी को अखरती नहीं। हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे परचेंजिंग पावर की बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वह बहुत कम है और इस कारण कई बार मूल्य वृद्धि का प्रतिशत जब और बढ़ता है, तो उस समय लोगों को अखरता है।

अब प्रश्न आता है, और माननीय सदस्यों को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि परचेंजिंग पावर किस प्रकार से बढ़े और परकेपिटा इनकम किस प्रकार बढ़े। यह उसी आधार पर बढ़ेगा जब हम सारा इनवेस्टमेंट प्रोडक्शन की पाइंट आफ व्यु से करें। नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स पर इनवेस्टमेंट हम उस सीमा तक बाहर कर दें जिस सीमा तक वह आवश्यक नहीं हो। मैं ऐसा समझता हूं, और चाहे माननीय परसराम जी हों, चाहे पंडित रामकिशन जी हों, इस बात से भी सहमत होंगे कि हिन्दुस्तान में नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स के ऊपर, जिनका परचेंजिंग पावर बढ़ाने से कोई सम्बन्ध नहीं, ज्यादा व्यय करते हैं। हमने फारेन बोरोइंग्स की हैं, जिस काम के लिये उनका उपयोग होना चाहिये था, उन कामों पर उन बोरोइंग्स का उपयोग नहीं किया। डोमेस्टिक बोरोइंग्स जो हमने की है, उनका भी जिस काम के लिये उपयोग होना चाहिये, उसके लिये नहीं किया।

डोमेस्टिक बोरोइंग जो हमने की है, इसका भी जिस काम के लिये उपयोग किया जाना चाहिये था वह नहीं किया। हमने ऐसे आइटम्स के ऊपर खर्चा किया जिससे परचेंजिंग पावर बढ़ने का तो सवाल नहीं है लेकिन इसका जो इकोनोमिक इम्पेक्ट पड़ता है सारी इकानामी के ऊपर उसके कारण से लोगों की परचेंजिंग पावर कम हुई है। यह उदाहरण के तौर पर, बुरा नहीं मानें कांग्रेस के माननीय सदस्य, चौधरी चरणसिंह जी ने एक बार भाषण दिया था। मैंने खुद ने सुना। वह कहने लगे कि मुझे सारे आइटम्स तो याद नहीं हैं उसको नोट जरूर किया था कि कौन-कौन से आइटम्स के ऊपर भारत सरकार ने खर्चा किया और खर्चा करने के कारण से परचेंजिंग पावर घटी है बढ़ी नहीं है। उन्होंने एशियाड का उल्लेख किया। 1600 करोड़ रुपये खर्च हुए। ठीक है हिन्दुस्तान के अन्दर खेल होंगे, बाहर के खिलाड़ी जायें और हमने स्टेडियम बना लिये, आधुनिक स्टेडियम हमने बना लिये, सब कुछ किया लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि 1600 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट यदि कुओं पर बिजली लगाने के लिए हो जाता, 1600 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खेत में कुए बनाने के लिए कर दिया जाता, 1600 करोड़ रुपये के इनवेंस्टमेंट में से कुछ इनवेंस्टमेंट हम काटेज इन्डस्ट्रीज़ को मार्केट प्रोवाइड करने के लिए कर देते तो निश्चित रूप से लोगों की परचेंजिग पावर बढ़ती और उसके साथ ही महंगाई बढ़ती तो लोगों को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता और वही कारण है, हिन्दुस्तान की महंगाई का सबसे बड़ा ड्रबिक यही रहा कि हम अभी तक प्राडक्टिव और नॉन-प्राडक्टिव आइटम्स की छटनी नहीं कर पाये, इसका भेद नहीं कर पाये और कोई वह केन्द्र की सरकार ने कर लिया हो और राजस्थान की सरकार ने भी कर लिया हो ऐसी बात नहीं है। सरकार एक ऐसे विशिवस सर्किल में फंस गयी कि उसमें से निकलना चाहे आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो आसानी से उसमें से निकल नहीं सकती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप जितना उत्पादन बढ़ाते जायें उत्पादन बढ़ा लें। उत्पादन के लिए जितना इनवेंस्टमेंट करना चाहें इनवेंस्टमेंट कर दें लेकिन जैसा माननीय मदेरणा साहब कह रहे हैं वह पापुलेशन का एक्सप्लोजन इसी प्रकार से होता रहा तो चाहे कितना ही पर हैक्टेयर फील्ड आप बढ़ा लें, चाहे कितने ही कपड़े का उत्पादन कर लें, कितनी ही शक्कर का उत्पादन कर लें, कितना ही आप खाद्य तेल का उत्पादन कर लें जब तक पापुलेशन पर नियंत्रण नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बढ़े हुए प्रोडक्शन के कारण से आप महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टोटली नेशनल फैक्टर्स हैं। आज पापुलेशन पर कन्ट्रोल करना, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इसका विरोध कर रही हो लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में सब पार्टियां मिलकर इसका कार्यक्रम नहीं बना रही हैं। कुछ नेशनल इश्युज हैं और जिन इश्युज के आधार पर हम तय करके चलें कि हमें फिजूल खर्ची कहां रोकनी है, नॉन-प्राडक्टिव आइटम्स में कौन-कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें इनवेंस्टमेंट नहीं करना है। हम उनके बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाये। मैं ऐसा समझता हूं कि, माननीय परसराम जी ज्यादा जानते हैं कि लगभग 4411 हजार मेगावाट बिजली पैदा होने की योजनायें बरसों से भारत सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं। आज वह योजनायें बनें, उनसे बिजली पैदा हो, पानी खेत में पहुंचे—मैं कहता हूं निश्चित रूप से लोगों की परचेंजिग पावर बढ़ेगी। हमारी उस ओर चिन्ता नहीं है। आज कौन-कौन से उद्योग हिन्दुस्तान में पनप रहे हैं। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, आज से तीन महीने पहले एक अध्ययन किया था। अब वह अध्ययन कितना सही है, कितना नहीं है स्टेट लेबल पर भी किया और भारत सरकार के एक्सपर्ट्स से भी राय ली। आज राजस्थान के बारे में राजस्थान में जितना काटेज इन्डस्ट्री से पैदा हुए माल या स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का माल जितना एक्सपोर्ट होता है और उसके कारण से जितना फौरेन एक्सचेन्ज हम अर्न करते हैं उतना फौरेन एक्सचेन्ज हम उन उद्योगों से नहीं करते जिनमें रा-मेटेरियल इम्पोर्ट करके खर्च करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपेक्षा आज तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान में किसी की हुई है तो इस प्रकार की काटेज इन्डस्ट्री की और इस प्रकार की स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के माल की हुई है। मैं ऐसा समझता हूं कि उस दृष्टि से हिम्मत के साथ कोई न कोई सरकार को विचार करना पडेगा और जब तक इस प्रकार की हिम्मत के लिए नेशनल कान्शशनेंस नहीं बनेगी उस समय तक हिन्दुस्तान इस संकट से नहीं बच सकता।

दूसरा आस्पेक्ट है सरकार का कि पी.डी.एस. के सिस्टम को इम्प्रूव किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज के कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में, मैं भी था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का मुझे भी अनुभव है। अनुभव बड़ा कटु है। आज लोग यह कहें कि इसमें सुधार किया जाये लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जहां चीनी और अनाज यह दो चीजें और आजकल मिट्टी का तेल और चावल तो अपने यहां बिकता नहीं है—मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अब मैंने कई दुकानदारों से पूछा कि चीनी में तुम्हें मार्जिन क्या मिलता है। अब उनका हिसाब लगायें तो केवल बोरी बचती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस बोरी के लिए कौन आदमी ऐसा होगा कि मेनुफैक्चरर्स के पास पैसा जमा कराये, पैसा जमा कराके चीनी की बोरियां लाये और फिर उसको दुकान के ऊपर बेचे? किसी प्रकार की मेहनत उसको बचती है। किस प्रकार की मेहनत उस को बचती नहीं है, चोरी बचती है। अब बोरी के लिए कोई दुकान लगाकर बैठे यह सम्भव नहीं है। अब कई बार उपाध्यक्ष महोदय चीनी का बड़ा संकट आता है। (मैनुफैक्चरार्स मिल जायें), मैनुफैक्चरार्स इसलिए मिलते हैं कि उनको आखिरी महीने तक टहलाते रहते हैं कि चीनी तुम्हें दे देंगे, दे देंगे पर जब आखिरी महीने में दो तीन दिन होते हैं उस समय चीनी का अलाटमेंट करते हैं। अलाटमेंट को वह ट्रान्सपोर्ट करके उस दुकान पर नहीं ले जा सकता और वह दुकानदार लोगों को कहता है कि इस महीने की चीनी नहीं मिली और वह चीनी नहीं लाया और दूसरे महीने के नाम से चीनी बिक गयी। तो मैनुफैक्चरार्स पहले महीने की चीनी का कोटा लैप्स कर देता है। इस सम्बन्ध में मैंने भारत सरकार से निवेदन किया कि यदि आप इस प्राबलम को दो ढंग से विचार कर लें, मजबूर होकर राज्य सरकार चाहे राजस्थान की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे आंध्रप्रदेश की हो यह इन्डीपेन्डेन्टली पी. डी. एस. सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दुकानें इन्डीपेन्डेन्टली नहीं खोल सकतीं। किसी न किसी व्यापारी को वह काम देना पड़ता है ताकि वह अपनी अन्य वस्तुओं के साथ यह भी बेच दे।

अब आज इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया और जैसा एक माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि कौन-कौन से गरीबों के कन्जम्पशन के आइटम्स हैं। मैंने निवेदन किया कि एक बार भारत सरकार यह फैसला कर ले कि गरीब और मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कौन-कौन से आइटम्स आवश्यक हैं, उन आइटम्स को तय करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के बाद उनकी रेट फिक्स-अप कर दे और रेट्स फिक्सअप करने के बाद मैंने कहा था कि रेट इक्वेलाइजेशन का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस कर दे। आज हिन्दुस्तान में पैट्रोल चाहे बाड़मेर में बिकता हो, चाहे हिन्दुस्तान के अन्दर पैट्रोल हरियाणा में बिकता हो सेल-टैक्स और आक्ट्राय, इन दोनों चीजों को निकाल दें तो पैट्रोल की कीमत एक सी है। तो जो जो भी कन्जम्पशन के आइटम्स गरीब और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए आती हैं उन आइटम्स में रेट इक्वेलाइजेशन करके उनकी कीमतें एक साथ तय करदें और उस कीमत के ऊपर कोई ज्यादा कीमत ले तो एसेन्शल कमोडिटीज के आधार पर हम उसका प्रासीक्यूशन कर सकें। आज अगर ज्यादा तंग करेंगे तो वह दुकान बन्द करके चला जायेगा। मैं जो चीनी नहीं लाता, मैं गेहूं नहीं लाता, मैं तेल नहीं लाता—आज खुशामद करके दुकानें खोलने की बात चल रही है और इसलिए भारत सरकार से निवेदन किया और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक मार्जिन इस प्रकार का नहीं होगा कि आदमी कोई इन्डीपेन्डेन्टली चला सके और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में 25 हजार दुकानें खोलने की बात कही। 25 हजार लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। 25 हजार लोगों की दुकानें खुलेंगी और उसके लिए भारत सरकार स्टेट की गारन्टी के ऊपर इस प्रकार के नवयुवकों को जो बेकार बैठे हैं, जो ज्यादा पढ़े बैठे हैं उनको दुकानें खोलने की अनुमति दें और स्टेट गवर्नमेंट की गारन्टी के ऊपर उनको वर्किंग केपिटल दे दें। एक बार वर्किंग केपिटल दे देंगे तो रोटेशन के अन्दर उनका काम चलता रहेगा और मुझे खुशी है कि भारत सरकार शायद अब की दूसरी मीटिंग के अन्दर इस प्रकार की कोई कार्यवाही कर ले।

(3.00 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, अनाज का सवाल आता है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं और पहाड़िया जी भी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में हमेशा एक इश्यु विवाद का रहता है, कि एफ सी. आई. में जो पर टन एस्टेब्लिशमेन्ट की कास्ट आती है उसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाये।

लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मांग करते हैं वह कास्ट बढ़ती जाती है। हम वहां भी उसको नियन्त्रित नहीं कर पाते। जब वह वहां नियन्त्रण का सवाल आता है तो एफ. सी. आई. के चेयरमैन कहते हैं, मैं इस एस्टेब्लिशमेंट कास्ट को इसलिए कम नहीं कर सकता कि सारा जो भी स्टाफ है उसके वेजेज बढ़ते जा रहे हैं। उनको हमें बोनस देना पड़ता है, उनको मेडिकल-फेसिलिटी भी देनी पड़ती है और सारा खर्चा एक बेग के ऊपर आता है। वही अनाज जब वितरण प्रणाली में आता है तो निश्चित रूप से महंगा आयेगा। आज कोई यह कहे कि सरकार की प्रिक्योरमेंट की प्राइस निश्चित है, किसान से हम सस्ता लें, महंगा लें, उस प्रिक्योरमेंट की प्राइस के ऊपर यदि ज्यादा कीमत आती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है और किसी प्रकार बढ़ी हुई कीमत आती है तो लगता है बाजार के मूल्य में और उसके मूल्य में ज्यादा अन्तर रहने वाला नहीं है, यह समान चलता है।

एक प्रश्न और आता है कि आज पी. डी.एस. की दुकानें खोल दीजिये। मेरे पास दुकान में शक्कर भी, मेरे पास अनाज भी है लेकिन ग्राहक कौन होगा? ग्राहक कौन होगा, जिस समय मेरे पास दुकान में शक्कर और अनाज है उस समय जो खरीद करना चाहता है उसके पास खरीदने के लिए पैसे हैं। अब राजस्थान में अकाल के दिनों में आपने देखा होगा, राजस्थान में जहां पर केपिटा इनकम कम है, राजस्थान में जहां गरीबी का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में यदि दुकान में माल भी पड़ा है, चीनी भी पड़ी है, तेल भी पड़ा है, शक्कर भी पड़ी है, अनाज भी पड़ा है लेकिन जिस वक्त उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो दुकान पांच सात दिन माल बेचेगी और पांच सात दिन में उसके पास पैसा नहीं है तो गरीब उसका लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिये हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि एक बार राशनकार्ड में जिन व्यक्तियों का नाम लिख दिया, जो व्यक्ति राशनकार्ड से लेने वाले हैं, उधर आप वर्किंग केपीटल की व्यवस्था करो और उसके साथ यह भी व्यवस्था करो कि उन लोगों को सात दिन के लिये, आठ दिन के लिये, दस दिन के लिये कोआपरेटिव सिस्टम के माध्यम से जिस समय भी माल आता है उस माल को उधार दे दें और उसके बाद में यह रोटेशन चलता रहे तो किसी भी तरीके से गरीब उससे महरूम नहीं हो। यह कुछ बातें थी, प्रधान मंत्रीजी ने खुशी से यह कहा कि मैं तीन की जगह नौ आइटम करना चाहता हूं। नौ आइटम वह कर देंगे, चीजों के भाव तय कर देंगे, मार्जिन ऑफ प्राफिट कितना होगा यह तय कर देंगे उसके बाद दुकान चलाने के लिये काम्पीटिशन खड़ा होगा, लोग सामने आयेंगे कि मैं दुकान चलाना चाहता हूं, दुकान का लाइसेंस मुफ्त दिया जाय, सरकार तय करेगी कि किस मेरिट के आधार पर उनको दुकान चलाने का परमिट दिया जाय। जब इस प्रकार का काम्पीटिशन होगा उस काम्पीटिशन की स्टेज में कानून लागू कर उनको नियंत्रित किया जा सकेगा वरना सम्भव नहीं है।

अब तीसरी बात यह कही कि चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। माननीय मदेरणा साहब, आपने असेंशियल कमोडिटीज एक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हम करते क्या हैं? हमने लाइसेंस दे दिये, होल्डिंग की मात्रा तय कर दी। उसके साथ एक शर्त लगा दी कि प्राइस लिस्ट लगाओ। उस प्राइस लिस्ट में प्राइस लिखने वाला कौन है? न भारत सरकार है, न राजस्थान की सरकार है, न फूड डिपार्टमेंट है। वह अपनी मर्जी से प्राइस लिस्ट लिखता है। कौनसी चीजें हैं जिनकी प्राइसेज भारत सरकार ने तय कर रखी हैं और उससे ज्यादा में बेचते हैं तो हम उसका प्रोसीक्यूशन कर सकते हैं?

श्री रामकिशन : कुछ की तो हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ की हैं उनकी तो लिखो। मैं सबकी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अधिकांश चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राइस लिखी नहीं हैं। अब माननीय सदस्यों ने कहा कि मैन्यूफेक्चरर की कितनी कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है इसका असेसमेंट नहीं होता। मेरा अपना मानना है और माननीय सदस्यों से मैं सहमत हूं, जब तक कास्ट आफ प्रोडक्शन का ईमानदारी से वेल्यूएशन नहीं होगा, जब तक कोई परफेक्ट कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया जायेगा उस समय तक मैन्यूफेक्चरर की कास्ट कितनी होगी, इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनियां जानती है गन्ने का क्या भाव है और शक्कर का क्या भाव है, तिलहन का क्या भाव है और तेल का क्या भाव है, लाइम स्टोन किस भाव से आता है और सीमेंट किस भाव से बिकती है। रा मैटीरियल के बीच में और एण्ड प्रोडक्ट के बीच में कितना अन्तर होना चाहिये प्राइस का, अभी तक हिन्दुस्तान में 40 वर्षों में कोई फार्मूला तय नहीं हो पाया इसलिये जो भी कमाना चाहे वह अपनी मर्जी से खूब कमाता है। मैंने उस समय यह भी सुझाव दिया था कि इस दृष्टि से भारत सरकार को कुछ निर्णय लेने चाहिये जिस निर्णय के आधार पर यह बात कोई भी राज्य सरकार भारत सरकार के माध्यम से तय करवा सके कि यह फार्मूला भारत सरकार ने दिया है, इस फार्मूले के अनुसार कास्ट आफ प्रोडक्शन इतनी आती है और आप इस कीमत पर उसको सेल कर सकते हैं। यह कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं और उनका डिफेक्ट है।

अब महंगाई के कारण लोग परेशान हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। बहुत परेशान हैं, मैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं। सरकार की ओर से इस परेशानी को कैसे कम किया जाय उसकी चिन्ता भी करता हूं। सबसे बड़ी चिन्ता तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को होनी चाहिये, इन्होंने चुनाव में कह दिया कि हम सौ दिन में भाव एक साल पहले जितने भाव थे उस पर ले आयेंगे। यह तो मैं समझता हूं, आज आप भी, अब भी डटे हुए हैं कि हमने कहा था। लेकिन जिस समय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया उस समय जब उनसे पूछा गया कि आप सौ दिन में भाव कैसे कम करेंगे ? तो उनका जवाब था, कोई भी अर्थशास्त्री इस प्रकार की बात न तो कह सकता है और न कहा है और एक अर्थशास्त्री के नाते मैं सौ दिन में भाव कम नहीं ला सकता, नेता बोल सकते हैं। अब आप अन्दाज लगा लीजिए, नेता बोल गये और उसके कारण से भाव कम नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी क्या हमारे ऊपर है? अब आप यह कहें कि राजस्थान में कम नहीं हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में कम करवा लेओ, आन्ध्र प्रदेश में कम करवा लेओ, असम में भाव कम हो जाय मेरे समझ में आ सकती है, महाराष्ट्र में भाव कम हो जायं मेरे समझ में आ सकती है। मैं यह सोच सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बंगलौर में किस प्रकार से चीजों को नियन्त्रित किया है, आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस का राज है वहां पर किस तरह से चीजों को कम किया है, महाराष्ट्र में किस तरह से मूल्य वृद्धि को रोकने की कोशिश की है। लेकिन स्टेट का कम्पेरेटिव चार्ट बनाता हूं तो लगता है यह तो चारों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपस में ऐसी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि जितनी मूल्य वृद्धि को रोका जाय, किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि सामूहिक दृष्टि से इस महंगाई पर नियन्त्रण किया जाय इस आधार पर हमें विचार करना पड़ेगा और आज इसको कोई मना नहीं कर सकता। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, हिन्दुस्तान का कोई अर्थशास्त्री नहीं है, हिन्दुस्तान का कोई समाचार पत्र नहीं है जिस समाचार पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं आया है कि डिवेल्यूऐशन के कारण चीजों के भाव बढ़े हैं। किसी ने भी यह नहीं कहा डिवेल्यूऐशन के कारण से चीजों के भाव नहीं बढ़ेंगे। हिन्दुस्तान के हर अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि डिवेल्यूएशन के कारण से ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर स्टेट का कम्पेरेटिव चार्ट आप यहां बतायें तो हमारा मार्गदर्शन, ज्ञानवर्द्धन होगा, बड़ी कृपा होगी आपकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है मेरे पास। मुझे इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों को अपनी राज्य सरकारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नहीं पता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं पता है तो आप बोलो मत।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमें पता नहीं, बड़ी कृपा होगी आप बता दें तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पता लगा लेओ। आप पता लगा लेओ, आपको छूट है, आप पता लगा लेओ।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, बंगलौर के बाद जयपुर शहर सबसे महंगा शहर है हिन्दुस्तान के अन्दर। बंगलौर नम्बर वन, नम्बर टू जयपुर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर राजस्थान के मुकाबले सस्ताई ज्यादा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वहां बीच में पड़ गये।

डा. चन्द्रभान : बंगलौर कर्नाटक में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, हम तो अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं हैं, हमारा मार्गदर्शन हो जाय, कोई लाभ प्राप्त होगा, मुख्य मंत्रीजी के पास सरकारी मशीनरी है, यह बतायें तो बड़ी कृपा होगी। नहीं है तो किस्सा खतम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका ज्ञानवर्द्धन करूं लेकिन मुझे पात्र के आधार पर समय तय करना पड़ेगा। कौन पात्र है जिसे मेरे कहने मात्र से ज्ञान हो जाएगा और ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको बार-बार समझाना पड़ेगा और फिर भी नहीं समझे तो मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस आधार पर तय करना पड़ेगा कि आपको कितना समय दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जिस प्रकार की समस्या है उसका समाधान करने में आप भी चिन्तित हैं और हम भी चिन्तित हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

एक समस्या सबसे बड़ी पैदा हुई, माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि सोना बेच दिया और 47 टन सोना गिरवी रख दिया इसके कारण सोना महंगा हुआ। पांच हजार रुपये तक भाव बढ़ गये यह चिन्ता तो छोड़िये लेकिन दुनिया में एक स्केअरसिटी की भावना पैदा हुई। ज्यों ही सरकार ने सोना बेचा या गिरवी रखा, हिन्दुस्तान में लगा कि जितनी चीजों को होर्ड कर सकते हैं उतनी करो, अब सरकार ने सोना बेच दिया। सरकार बड़ी खस्ता हालत में आ गई इसलिए भगवान् जानें, चीजें मिलेंगी या नहीं। उनकी होर्डिंग शुरू कर दो। अब उसकी होर्डिंग शुरू हो गई और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो सोना मोरगेज किया या बेचा। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर. बी. आई. के पास 325 टन गोल्ड है। इसके कारण हमारा सोना जो हमने गारन्टी दे रखी है उसके अनुपात में कम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सवाल 325 और 350 टन का नहीं है। यह साइकलोजी का प्रश्न है कि जब भारत सरकार ने 47 टन सोना गिरवी रखा या बेचा तो हम सब राजस्थान के रहने वाले लोग, कोई भी परिवार सोना गिरवी रखता है चाहे शादी के लिए, मोसर के लिए या मकान बनाने के लिए यह प्रत्यक्ष रूप में दर्शा देता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और भारत सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो जन-मानस पर यही असर पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार की स्थिति खराब होती जा रही है। इसके साथ ही रुपये की कीमत गिर गई और मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि रुपये का डी-वैल्युएशन दो बार तो हो गया है, तीसरी बार और होने वाला है, शायद एक दो दिन में घोषणा होगी। मैं समझता हूं आपने परसराम जी, भारत सरकार ने चीजों के भाव तो कम नहीं किये लेकिन रुपये का भाव निश्चित रूप से घटा दिया इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो घटा दिया, उसे घटा दिया तो आपको ओफेन्सिव होना चाहिए जब कि आप टेक्टिस अपना रहे हैं। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं अभी वाजपेयी जी ने गोल्ड बोण्ड वाली बात कही इस संबंध में आपके क्या विचार हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनके पक्ष में हूं और यह व्यावहारिक है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उन्होंने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के संबंध में लखनऊ में भाषण दिया। भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया। वाजपेयी जी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? (व्यवधान)।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमंत्री जी, गोल्ड बोण्ड वाली बात पर वह कह रहे हैं कि हम मिले हुए हैं। क्या आप और हम

(130)

(श्री परसराम मदेरणा)

मिले हुए हैं? हम मिले हुए तो नहीं हैं लेकिन चूंकि अगर किसी भी स्कीम की प्रोप्राइटी में वजन है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो निवेदन करना चाहता था केवल एक बात कि उनको आपके और मेरे मिलने का दर्द नहीं है। उनको दर्द इस बात का है कि मिलना वह चाहते थे और कहीं यह लग रहा है कि हम पीछे नहीं रह जांय। मैं आपको यदुनाथसिंह जी, विश्वास देता हूं कि आप मिल जाइये, मैं बीच में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : हम बीच में खड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में न खड़े हों। आपका भरोसा भी नहीं है इधर आओगे या उधर जाओगे। इसलिए आप एक तरफ खड़े होते तो समझ में आता। आप तो ऐसे बीच में खड़े हो कि कहीं से भी हवा का टल्ला लग जाय उधर ही चले जाओगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हवा के हिलाने से चले जांय इतने हल्के नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हल्के तो आप भी नहीं हो। हल्के की वह बात नहीं है। एक मुझे बडी खुशी हुई कि प्रद्युम्नसिंह जी ने कहा कि वाजपेयी जी ने लखनऊ में भाषण देते हुए बात कही। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी को बी. जे. पी. के नेता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो गई। मुझे बहुत ही खुशी है। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कंट्राडिक्शन में आपको रेस्पाइट भी मिल जाएगा, सोचने का अवसर मिल जाएगा, मैं आपकी भावना के अनुकूल बोल रहा हूँ। प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है नेशनल लेवल पर उन्होंने यह बात कही है मैंने इसको दोहराया हैं अगर आप उनकी बात से सहमत हों तो कह दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यह नहीं हो सकता। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मन मोहनसिंह जी के पूरे कपड़े तो फाड़े नहीं और बाकी कुछ छोड़ा नहीं। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो डेमोक्रेटिक पार्टी है साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां तो, कपड़े फाड़ने में डेमोक्रेसी आ गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर अपनी बात कहना कपड़े फाड़ना है तो यह आपके सोचने का तरीका हो सकता है मुख्यमन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आपने अखबारों में देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने खाद नीति में क्या-क्या किस तरह से नहीं कहा, बहुत कुछ कहा है। आपके मन में भी बहुत दर्द है, हिम्मत नहीं है बाकी आप भी जानते हैं कि यह बहुत कुछ हमारे साथ अन्याय हो गया लेकिन खैर मैं इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितनी बातें आती हैं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगी कि महंगाई को नियंत्रित किया जाय और मैं इस सारे मामले में पूरे सदन का सहयोग चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 में, श्री जगजीतसिंह जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर के ध्यानाकर्षण के लिए रखा गया है यह नियम 131 के अन्तर्गत रखा गया है। नियम 131-ए में इसकी एडमिसिबिलिटी को डिफाइन किया गया है इसके पहले क्लाज में है इट रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक मैटर आफ रिसेन्ट आकरेन्स। अब रिसेन्ट आकरेन्स है 1989 और 90 की सड़कों को भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री बुलाकीदास कल्ला ने वर्ष 1988-89...

श्री कालीचरण सराफ : उनके किये गये कारनामों में आप क्यों शामिल होते हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक भी कारनामा किया हुआ मेरा नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सदन तो उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के तहत चलेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल चलेगा नियमों के तहत।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपकी अनुमति से पढ़ता हूं। भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री बुलाकीदास कल्ला ने वर्ष 1988-89, व 1989-90 में पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निर्वाचन-क्षेत्र बीकानेर में अपने पक्ष में मतदान कराने हेतु 3.50 करोड़ रूपये की सड़कों का निर्माण कराया और यह निर्माण कार्य बीकानेर के विभिन्न मोहल्लों, नगर परिषद एवं यू. आई. टी. क्षेत्र के अन्तर्गत बिना बजट के प्रावधान के बजट का दुरुपयोग करते हुए कराया। (व्यवधान)।

श्री हेमराज मीणा : क्या आप भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, उनको सामने क्यों नहीं आने दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : एक मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया उसको आप दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। बिराजिए। आप क्या कह रहे हैं रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान)।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं हैं। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इनको कहने दीजिए। ..(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है इसलिए कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चेलेन्ज कर रहे हैं, पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको कहने दीजिए, अंकित नहीं किया जाएगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कृपया शांत रहें। इसकी एडमिजिबिलिटी का प्रश्न पैदा हुआ है और यह पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं तो निर्णय हो जाएगा। आप एक-एक करके बात नहीं कहेंगे तो अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)।

श्री अनंगकुमार जैन : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप एक एक बात करें तो...आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। व्यास जी आप बोलिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको बैठाओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय आज की कार्य सूची में जो चीज आती है, वह व्यवस्था होती है। उसके बाद के अन्दर...यह चाल है इनकी। किसी न किसी प्रकार से + + + खड़ा हो जाय और कोई नियमों के हवाले की जरूरत नहीं है और व्यासजी इस प्रकार हाउस में हमेशा करते रहते हैं। (व्यवधान)।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सरकार की चाल नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पहले व्यासजी को अपनी बात पूरी करने दीजिये। आपको भी चांस दिया जायेगा उसके बाद में। आप बिराजिये। कृपया बिराजिये। हां कहिए आप।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ...(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : It is admited. यह एडमिट हो गया है। यह एडमिट है (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य हल्के से बोल रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया आपने। ये इतनी देर से व्यवधान कर रहे हैं। बाहर निकालो इनको।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।...(व्यवधान)।

कृपया बिराजिये। हां, व्यास जी बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने नियम 131(ए) पढ़कर सुनाया It relates to an incident of recent occurrence. (व्यवधान)।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये न आप। इनको बोलने का राइट है। इनको बोलने तो दीजिये। वे किसी बात को कह रहे हैं। नियमों के बारे में बोल रहे हैं न, नियमों के बाहर नहीं जा रहे हैं। इनको कहने का अधिकार है...(व्यवधान)।

श्री अनंग कुमार जैन ; ये प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा नहीं है। पाइंट आफ आर्डर किसी चर्चा के तहत उठाया जा सकता है। यह चर्चा नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इसी पाइंट का है। इनको कहने का अधिकार है। आप बिराजिये कृपया...(व्यवधान) आपको बोलने का बराबर अधिकार रहेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये पारीक साहब। एक बार इनको कहने दीजिये। हां, कहिए आप।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यनाकर्षण प्रस्ताव की ग्राह्यता

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 131(ए) में कोई भी कॉलिंग अटेंशन मोशन must relate to an incident of recent occurrence. हाल की घटना का होना चाहिये। 88–89 की घटना का इसमें उल्लेख करके उठाया गया है। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 11 जुलाई, 90 की प्रोसीडिंग्स की ओर दिलाना चाहता हूं। 11 जुलाई, 90 को यह मसला सदन में आ गया है और उसका अभी जो वर्तमान पी.डब्लू.डी. मंत्री महोदय हैं, उनके भाषण के जवाब के कुछ अंश उद्धृत करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उसी जिले से आने वाले लूनकरनसर के सदस्य भी हैं, कैसी विडम्बना है, कैसी विसंगति है कि 3 करोड़ रुपये मंजूर होता है चुनावों से पहले। पौने चार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। मंत्री महोदय तो हाथ झाड़कर बैठ गए। सात तो सस्पेण्ड हो गये। इसका आपको निश्चित रूप से प्रायश्चित करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, आप रूल्स की बात कीजिये। कंटेम्प्ट्स में मत जाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल्स का बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं वह कंटेम्प्ट्स का है। आप नियमों में आब्जेक्शन है, वह बताइये...(व्यवधान)।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, ये नियम कोट करें उसके बाद में प्रस्तुत करें कि किस आधार पर ये कह रहे हैं। यह विषय सूची में लिया जा चुका है कालिंग अटेंशन।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं। आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य वाचन के लिए ब्रीच ग्राफ प्रीविलेज का मोशन बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बी. डी. कल्ला जी ने माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ रखा, वह प्रस्ताव आज तक विचाराधीन है और उपाध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इट इज ऑन ए पाइंट आफ प्रोप्राइटी है उपाध्यक्ष महोदय। मैसर्स अजय सेल्स कारपोरेशन को 4800 रुपये पर टन की जगह 16890 रुपये पर टन डामर का...।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस बात पर कह रहे हैं ? नो नो, आप इस पर बोलिये। यह अलाउ नहीं होगा। माननीय व्यास जी। No, No please. I wouldn't allow. It is not to be allowed. (व्यवधान)।

माननीय व्यास जी। आप बिराजिये। थोड़ा मुझे बोलने दीजिये। माननीय चीफ व्हिप प्लीज। बिराजिये आप। बिराजिये पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप दीजिये व्यवस्था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)।

It is call attention. Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory authority, commission or court of enquiry.

यह मैटर अगर अध्यक्ष महोदय ने सेटिसफाई होकर इस बात को लगा दिया है तो अध्यक्ष महोदय इसको लिस्ट में लेने के अधिकारी हैं...(व्यवधान)। मैं समझ रहा हूं। That is a matter of enquiry.

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपनी व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य सुरेन्द्र व्यास जी को बैठाइये आप।...(व्यवधान)।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पी. डब्लू. डी. मंत्री के लड़के के खिलाफ मोशन रखा हुआ है... (व्यवधान)।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप कौन से नियम के तहत बात कर रहे हैं ? आप कौनसा ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 131(ए) में जनार्दनसिंह गहलोत और बी. डी. कल्ला ने...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप क्या कह रहे हैं मुख्य सचेतक जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं यह कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : व्यास जी। आप इनको सुनने दीजिये। No, No you have raised. (व्यवधान)।

आपके आब्जेक्शन पर ही चल रहा है...(व्यवधान)।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्र व्यास जी का 131(ए) में उल्लेख इस मोशन में किसी प्रकार से लागू नहीं होता है। इसमें बताया गया कि the discussion on a matter which has been decided at the same....131(बी) इज वेरी क्लियर। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये पारीक साहब। मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप कैसे बोल रहे हैं?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं इजाजत से बोल रहा हूं। The Speaker may before deciding.

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ये आसन की अनुमति से बोल रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपने जैसा फरमाया, 131(बी) में स्पीकर साहब का डिस्क्रिशन था कि इस मोशन को अलाऊ करते या और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते तो चाहते। उसके बाद उन्होंने विचार कर और इस मोशन को आज लगा दिया। 131 (बी) sub clause 2 is very clear. After the motion has been put on the list of the business immediately after the questions and before the list of..business is entered upon the Member who has given notice of the motion may, while calling the attention of the Minister, read his motion and the Minister shall make a statement.

इसलिए इस मोशन की अब आब्जेक्शन की स्टेज नहीं है। आब्जेक्शन होता तो अध्यक्ष महोदय के सामने चैम्बर में जाकर के किया जा सकता था, वे उस पर विचार करते।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस बात के लिए पूर्व मंत्री को बुलाया था? क्या उनके खिलाफ इस तरह का लिखा हुआ है? आप क्या कह रहे हैं इस बारे में?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज पारीक साहब।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : The rules are very clear. (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : राजेन्द्र जी कार्य सूची पढ़ लिया करो। (व्यवधान)।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : और जो आब्जेक्शन किया गया है वह सस्टेण्ट करने लायक नहीं है and it should be overrulated outrightly.

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बात कह रहे हैं कि माननीय बी. डी. कल्ला जी ने कोई

(श्री उपाध्यक्ष)

सवाल उठाया था, हमारे सदन के डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाकर कल्ला जी ने रेज किया था, उसके बारे में लिखकर दिया कि हम इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहते तो आप किस...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने नहीं लिखा।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल लिखा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दिखाइये मेरे दस्तखत। मैं कह रहा हूं मैंने नहीं लिखा है और न मैंने कहा कि। आप सदन में दिखा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह साफ लिखा हुआ है इसलिए आपने डिप्टी सेक्रेटरी को जाकर कहा। हमारे सेक्रेटरियेट की ओर से कोई गलत काम नहीं हो सकता। यह रिकार्ड पर है। It is on record.

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पहले कहते हैं फिर मना करते हैं।

एक माननीय सदस्य : कल्ला जी असत्य बोलने में माहिर हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दस्तखत हैं क्या? सिग्नेचर हैं क्या कल्ला जी के?

श्री उपाध्यक्ष : दस्तखत वाली बात नहीं है। नोटिस दिया हुआ है। हर बात दस्तखत वाली नहीं हुआ करती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें कोई कुछ लिख दे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कोई नहीं लिखता है। ऐसा नहीं है। माननीय सचेतक जी ऐसा नहीं है। (व्यवधान)।

यह जो व्यास जी ने रेज किया है, इसको डिसअलाउड किया जाता है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि वह अपना व्यक्तिगत जवाब दें। (व्यवधान)।

There is no point of propriety. It is under which rule?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Deputy Speaker, Sir, on a point of propriety. (व्यवधान)।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप मंत्रीजी जवाब नहीं देना चाहते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दनसिंह जी के भी दस्तखत थे। उनको इसको पेश नहीं करने के लिए, इसको नहीं उठाने के लिए...(व्यवधान)।

श्री सुरेन्द्र व्यास : On a point of propriety. (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं वह लिखकर दे दिया। उन्होंने लिखकर दे दिया। पेश नहीं करेंगे इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइण्ट आफ आर्डर नहीं पाइण्ट आफ प्रोपराइटी है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई नयी बात नहीं आती है। कृपया बिराजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज सिट डाउन। आसन पैरों पर है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन की गरिमा को बनाये रखें। किस प्रकार से यहां पर बिजनेस चल सकता है यह डिसाइड हो जाता है। डिसाइड होने के बाद बार बार उस पाइण्ट को रेज नहीं करना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइण्ट आफ प्रोपराइटी है।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं बाद में सुन लूंगा। बिराजिये। माननीय गुर्जर साहब आप सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरा दूसरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : वह क्या है? (व्यवधान)।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी बिजनस क्या है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह डिस्पोज ऑफ हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : गुर्जर साहब आपको मौका देंगे। हां, बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी बातों को सुन लें। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शांत रहिये। हां, कहिये आप।

व्यवस्था का प्रश्न
सदस्यों पर व्यवस्था का आरोप

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं आपका ध्यान नियम 273 की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं मेरे माननीय साथियों से कहना चाहता हूं कि पहले वाला पाइण्ट आफ आर्डर माननीय उपाध्यक्ष जी ने डिसपोज आफ कर दिया है। यह मेरा दूसरा पाइण्ट आफ आर्डर है और दूसरी बात के ऊपर है। नियम 273 में यह दिया हुआ है कि Procedure regarding allegation against a person. उसका क्या तरीका होगा। इस सम्बन्ध में इसमें एक तरीका दिया हुआ है और उसी तरीके में यह दिया हुआ है कि अगर कोई एलीगेशन, जैसे कि कल्ला साहब का नाम लेकर लगाये हैं कि उन्होंने अपने पद के दौरान इस पद का दुरूपयोग किया है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मौजूद हैं।

श्री कालीचरण सराफ : नियमों की आड़ लेकर बचाया नहीं जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह आपको कहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सदन का सदस्य है, जो सवालों का जवाब दे सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें पहली बात तो कोई आरोप ही नहीं है। अगर आरोप भी हैं...(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब। माननीय महावीर जी। आर्डर प्लीज।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप बिराजिये तो सही, वह कह रहे हैं। पारीक साहब बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपको संजीदगी की व्यवस्था लानी चाहिए। इतने सीनियर लीडर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह कह रहा हूं कि उनको रोकने की आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। गुर्जर साहब बोलिये। (व्यवधान)।

महावीर जी बिराजिये। आप बोलिये। आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह सदन की परम्परा है. इसका पालन होना चाहिए। 273 में यह प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी आदमी के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो तरीका है कि उस आदमी को, मंत्री महोदय को और जो भी आरोप वह लगाना चाहते हैं (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप ज्यादा जोर से बोलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं नियम की बात कर रहा हूं और ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी बिराजिये आप।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप यहां तीसरी दफा आये हो कम से कम सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : वह यह कह रहे हैं कि मैं उस काम को पूरा कर रहा हूं जिसके लिए आपने नियुक्त कर रखा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरीके का पालन इस देश में न किया जाये और स्पेसिफिक आरोप नाम लेकर लगाये जायें। इसलिए इस विषय के ऊपर तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि कल्ला साहब को उन आरोपों का नोटिस न दिया जावे। दूसरा, मैं आपका ध्यान इस प्रक्रिया के नियम 273 की ओर ले जाना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला साहब ऐसे नहीं बचोगे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया आपका।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं आपका ध्यान रूल 272 के सब रूल (2) की ओर ले जाना चाहता हूं। जिसमें बोलने के कुछ नियम दिये हुए हैं। उसमें लिखा है A member while speaking shall not make a personal charge against a Member. अगर इनके खिलाफ कोई चार्ज लगाया जाता है तो वह नहीं लगाया जा सकता है। यह नियम आपकी किताब में है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें माननीय गोविन्द सिंह जी साहब...। इनको पूरा करने दीजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : Let me finish. Let me finish Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं। इनको कम्पलीट तो करने दीजिए। आप भी बोल लेना।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। आप अपनी रख लेना। अब मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन, जो आपने हमें दिये हैं, उसके पेज 235 की ओर ले जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे ईयर की बुक है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नयी है। लेटेस्ट 1990 की।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे महीने की है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पेज 235 पर यह निर्णय दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय द्वारा 27/6/86 को दिया हुआ निर्णय है। इसमें लिखा है कि माननीय सदस्य इस प्रकार की व्यक्तिगत घटनाओं के सम्बन्ध में बोलें तो। (व्यवधान)।

बात सुन लीजिए। आप बोल लेना। आपको पूरा अधिकार है। आप अपनी बात खुद खड़े होकर कह लेना। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। मानना नहीं मानना उपाध्यक्ष जी के हाथ की बात है।

श्री कालीचरण सराफ : यह व्यक्तिगत घटना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप अपनी बात प्रारम्भ करिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इसमें यह दिया हुआ है कि अध्यक्ष जी को या माननीय सदस्य, जिन पर कि व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, उनको नोटिस दे दें। व्यक्तिगत आक्षेपों के बारे में लिखित में सूचना देनी चाहिए ताकि जानकारी करके सदन में तथ्य रखे जा सकें। आप पहले कल्ला साहब को नोटिस दे देते तो यह इसकी तैयारी करके आते और जो भी आज बात आती सदन में उसका यह जवाब दे सकते थे इसलिए मेरा कहना यह है कि इस विषय को नहीं लिया जा सकता जब तक आप नोटिस नहीं दे देते। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। कम्पलीट करने दीजिये, कम्पलीट करने दो. आप महावीर जी। Let him complete.

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : कर लिया उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : करने दो।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उतावली क्या हो रही है, ऐसी उतावली क्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन नियमों को देखते हुये, अध्यक्ष के निर्णय को देखते हुए इस विषय पर आज चर्चा नहीं हो सकती। आप इनको नोटिस दें उसके बाद आप चर्चा करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। महावीर जी बोलिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था में आप पेज नम्बर 256 देखिये जिसमें अध्यक्षीय व्यवस्था है, 255 पर लिखा हुआ है, सदन के वाद विवाद में सक्षम मंत्री अथवा अन्य सदस्य जो सदन में उपस्थित हों, पर आरोप लगाने से पूर्व श्री अध्यक्ष को नियम 273 के अन्तर्गत पूर्व से सूचना देना आवश्यक नहीं है। इसमें बीच में लिखा है, मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और कुछ माननीय सदस्यों ने भी। यह 256 पर फिर लिखा है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सदन के सदस्य हैं और जो उपस्थित हैं या मंत्री महोदय हैं उन पर इस तरह का आक्षेप लगाया जाय तो कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल सही है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अब क्यों नहीं है, अब सवाल यह उठता है कि उसके लिये क्यों आवश्यक नहीं है। उसके लिये इसलिये नहीं है कि जो विचारों की स्वतन्त्रता सदन में दी गयी है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर)। आप 254 का पैरा ही पढ़ दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप गलत पढ़ रहे हो, आप 254 से चालू करिये।

एक माननीय सदस्य : ठीक पढ़ रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई वन विभाग का मामला नहीं है। आप यह क्यों चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपके ऊपर भी आने वाले हैं। इसलिये आप चाहते हैं कि सदन में आरोप नहीं लगाये। लगेंगे।...(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें आप।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा। पहले इसका निपटारा होने दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इनको थोड़ा समझाने की बात है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : महावीर जी लगा देना और भी कितने लगाने हैं और आपके मंत्रियों के ऊपर कितने लगेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये महावीर जी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : इसलिये नहीं है कि जो विचारों की स्वतन्त्रता सदन में दी गयी है और सदन के माननीय सदस्यों को दी गयी है उसमें किसी तरह का बन्धन नहीं रखा गया है। बन्धन केवल यह रखा गया है कि या तो असंसदीय हो, या गाली गलोच हो, इस तरह का अंश हो तो उसको एक्सपंज किया जा सकता है। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि मान हानिकारक हैं लेकिन एक्सपंज नहीं हो सकते। तो उसके नियम 273, यह 273...(व्यवधान)।

तो यही मेरा कहना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रक्रिया के नियमों में भी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और पूर्व की अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में भी हमारे यहां पर किसी माननीय सदस्य को बोलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल वे लोग यह कोशिश करते हैं जो अपने आपको बचाने का प्रयास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यहां पूरी स्वतन्त्रता है।

श्री जुबेर खां (रामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बाहर के हैं उनके बारे में भी यह व्यवस्था है कि...(व्यवधान)।

जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनको तो कोई खतरा ही नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर तो एक चल रहा है।

श्री जुबेर खां : मेरा अलग से पाइंट आफ आर्डर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इसी पाइंट पर चल रहा है। अगला नहीं उठेगा।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरी आप बात तो सुन लीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पहले वाला पाइंट आफ आर्डर तो पूरा हो गया।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहले उनको बोलने दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पहले जो पाइंट आफ आर्डर था आपने उस पर व्यवस्था नहीं दी और महावीर जी को आपने पर्मिशन दे दी। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात कह रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले माननीय गोविन्दसिंह जी की बात...

श्री उपाध्यक्ष : वह नयी बात कह रहे हैं। मैं आपको समय दे दूंगा। आप बैठिये। पहले इसको पूरा करने दीजिये। इसको कम्पलीट करने दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। माननीय गोविन्दसिंहजी ने...

श्री उपाध्यक्ष : अभी हो रहा है, इसी पाइंट का निर्णय हो रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पहले व्यवस्था दीजिये।

(142)

श्री उपाध्यक्ष : हां, व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को 131 के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य ने रखा उसको विचारार्थ लिया जाय कि नहीं लिया जाय। तो विचारार्थ लेने के लिये तो अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी और आपने उसको अलाउ कर दिया। अब आपने यह जो प्रश्न उठाया है, यह आप कैसे एन्टिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें किसी को बदनाम किया जायेगा या किसी के खिलाफ बोला जायेगा। जब तक यह बात नहीं हो तब तक आप कैसे रोक सकते हैं किसी को बोलने के लिये then how do you anticipate to it ?

एक माननीय सदस्य : लिख कर दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, क्या लिख कर दिया। कोई लिख कर नहीं दिया। इसलिये जब 131 में अलाउ कर दिया गया तो How 273 is applicable ? जब 131 में अलाउ कर दिया तो फिर लगता नहीं है। How do you anticipate to it ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जो नोटिस दिया है उसमें लिखा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है.. (व्यवधान)। और अगर लिखा हुआ भी है तो.... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर लिखा हुआ भी है Let it be completed. अगर यह लिखा हुआ भी है तो माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि किस किस बात को अलाउ करेंगे, क्यों नहीं करें, किसको विचार करेंगे। अगर कोई लिखा हुआ है तो यह निर्णय के समय यह बात अध्यक्ष महोदय के सामने थी फिर तो मतलब यह हुआ कि माननीय अध्यक्ष ने जब निर्णय किया तो यह बात भी उनके सामने थी। इन सब पर विचार करके फिर भी निर्णय किया है तो उसको अब बदलने का कोई कारण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले पर माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया और जो महावीरजी ने इसी अध्यक्षीय आसन से तारीख 26-3-70 को एक व्यवस्था दी गयी है कि व्यक्तिगत आक्षेप का मतलब अलग तरह से है और 272 के सब क्लाज 3 में भी साफ लिखा है, सभा, संसद या किसी राज्य विधान मण्डल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक शब्दावली का उपयोग नहीं करेंगे अगर किसी हैसियत से कोई कार्य किया है और इस बात का उल्लेख यहां किया जाता है तो इस प्रकार का सदन में नहीं उठाया जा सकता, यह बात नहीं मानी जा सकती। इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आपने यह तो

(श्री जुबेर खां)

व्यवस्था दे दी पर मेरा दूसरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो पहले वाला पाइंट आफ आर्डर था।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर बार-बार नहीं होगा। किस बात का पाइंट आफ आर्डर है।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा क्या पाइंट आफ आर्डर है वह सुन लीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : वह पाइंट आफ आर्डर क्या है।

एक माननीय सदस्य : यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि रूल 131 में जो जो मेटर डिस्कस नहीं होंगे...

श्री उपाध्यक्ष : तय हो चुका है, अब बार-बार, यह डिमाइड हो चुका है।

श्री जुबेर खां : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिये...(व्यवधान)

It shall not raise the question of privilege. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 11-7-1990 को जब सदन चल रहा था, इसी विषय से सम्बन्धित माननीय सार्वजनिक मंत्रीजी ने कोई टिप्पणी की थी बी डी. कल्लाजी के खिलाफ...

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं आप।

श्री जुबेर खां : और मेरा आपसे निवेदन है कि वह मेटर प्रिविलेज कमेटी में पड़ा हुआ है माननीय सदस्य कल्लाजी के द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं।

श्री जुबेर खां : तो जो मामला प्रिविलेज कमेटी में आलरेडी पेंडिंग है उसके ऊपर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं है सदन में।

श्री जुबेर खां : कैसे नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिये आप, कैसे नहीं है। यह मेटर पहले से प्रिविलेज कमेटी में पड़ा हुआ है इसलिये इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा सकती...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, मैं थोड़ा व्यवस्था से अवगत करना चाहता हूं।

श्री जुबेर खां : व्यवस्था नहीं। प्रिविलेज कमेटी में पड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिये एक मिनट।

श्री जुबेर खां : The matter is pending with the privilege committee. पहले से ही है।

(१५५)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये The Deputy Speaker has the same powers as the Speaker when presiding over a sitting of the House and all references to the Speaker in the Rules are deemed to be references to the Deputy Speaker when he so presides. It has been consistently held that no appeal lies to the Speaker against a ruling given by the Deputy Speaker or any other person presiding over a sitting of the House in the absence of the Speaker. The ruling given from the Chair settles the matter then before the House and cannot be reopened by anyone. यह already settled मामला है इसलिये इस मामले को रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता ।

श्री जुबेर खां : Once the matter is pendinig with the privilege Committee the matter shall not be discussed in the House.

श्री उपाध्यक्ष : यह already settled हो चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता ।

श्री जुबेर खां : It is not a ruling.

श्री उपाध्यक्ष : जिन नियमों का ग्राप हवाला दे रहे हैं इस पर लागू नहीं होते, ये लागू नहीं होते हैं । माननीय जुबेर खां जी आपने रूल 131 का हवाला दिया वह लागू नहीं होता ।

श्री जुबेर खां : जहां प्रिविलेज कमेटी में पेंडिंग पड़ा हुआ हो उस पर इस हाउस में चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हाउस में चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा क्यों नहीं हो सकती ।

श्री जुबेर खां : जो मैटर प्रिविलेज कमेटी के ग्रधीन है वह मेटर डिस्कस नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में चर्चा नहीं होने का कोई कारण नहीं है । ऐसा कोई रीजन आपने नहीं बताया कि यह नहीं हो सकता, कोई रीजन नहीं है, कोई रूल्स भी नहीं है ।

श्री जुबेर खां : मेटर प्रिविलेज कमेटी में है तो कैसे चर्चा हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है । चर्चा को ग्राप किस प्रकार रोक रहे हैं ।...(व्यवधान) ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : नियम खुद ही कह रहा है । व्यवधान ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी । ग्रार्डर प्लीज ।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई मेटर जब प्रिविलेज कमेटी में हो तो आप कैसे चर्चा यहां कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ग्राप । यह मामला डिसाइड हो चुका है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्रान ए पाइंट ग्राफ प्रोपराइटी माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बोलिये मंत्रीजी। (व्यवधान)।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

माननीय सदस्य, बोलने दीजिए, इनको। ग्राप ग्रंकित मत कीजिए।

श्री जुबेर खां : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री प्रेमसिंह दहिया : ×××

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत,…(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री प्रेमसिंह दहिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज, कृपया ग्राप ग्रपने स्थान पर बिराजिए। प्लीज सिट डाउन… ग्रॉर्डर प्लीज…

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1988-89 एवं 89-90 में बिना बजट प्रावधान के तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी द्वारा ग्रपने पद का दुरुपयोग कर मतदाताग्रों को प्रभावित करने हेतु ग्रपने निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर में ग्रवैध रूप से सड़कों के निर्माण कराये जाने बाबत,। …व्यवधान।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री प्रद्युम्नसिंह : ×××

श्री जुबेर खां : ×××

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा शुरू हो गयी है। बिराजिए, माननीय रामेश्वरजी…(व्यवधान)।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : श्री जगजीतसिंह व ग्रन्य पन्द्रह सदस्यों के प्रस्तावों पर तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है :—

राज्य में शहरों की मुख्य सड़कों के रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करता रहा है। इसके ग्रतिरिक्त शहर की ग्रन्य सड़कों के निर्माण (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : ×××

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था हो चुकी है…

चर्चा शुरू हो गयी है….

इसके बाद इण्टरप्शन नहीं हो…(व्यवधान जारी)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रौर संधारण का कार्य या तो क्षेत्रानुसार नगर विकास न्यास ग्रथवा नगर परिषद द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सड़कों की देखभाल

××× माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का काम बीकानेर शहर में नगर खण्ड, (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : × × ×

श्री जुबेर खां : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्थान पर बिराजें (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बीकानेर करता रहा था। तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय एवं सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा तत्कालीन मुख्य अभियंता के मौखिक आदेशों से नगर खण्ड बीकानेर के अधीनस्थ नगर उपखण्ड-4, बीकानेर को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बीकानेर के अधीन दिनांक··· (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 28.4.89 को स्थानान्तरित किया जाकर बीकानेर नगर····(व्यवधान)।

श्री जुबेर खां : × × ×

श्री प्रद्युम्नसिंह : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × × (व्यवधान)।

(अनेक माननीय सदस्य वैल आफ दी हाउस में आकर खड़े हो गये और जोर-जोर से बोलने लगे)

(उपरोक्त निरन्तर व्यवधान के मध्य श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने अपना वक्तव्य निरन्तर जारी रखा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : की सड़कों के कार्य करवाये गये। उस समय बीकानेर में अधीक्षक अभियन्ता श्री के. पी. माथुर, नगर खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता श्री एम. सी. मेहता एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता श्री बच्छराज व्यास थे। (व्यवधान)।

(निरन्तर व्यवधान व नारे बाजी तथा अनेक माननीय सदस्यों के वैल आफ दी हाउस में खड़े होकर नारे लगाने के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं, विधान सभा की बैठक 15 मिनिट के लिए स्थगित करता हूँ।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 3·45 बजे म. प. 4·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(अपरान्ह 4.02 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मैंने यह सारी बहस सुन

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

ली है। असल में आप पहले जवाब सुन लीजिए मंत्रीजी का। यदि जवाब में कहीं आपको ऐसा लगे कि चार्ज वगैरह हो तो उस समय बोलने का मौका दूंगा और कोई चार्ज ही नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हां, मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : हो तो लगाना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हो तो लगाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। है ही नहीं उसमें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो चार्ज लगाना चाहिए इनको और अगर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप क्यों कल्लाजी के पीछे पड़े हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियमों के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में बिना बजट प्रावधान किए तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर में अवैध रूप से सड़कों का निर्माण कराये जाने बाबत श्री जगजीतसिंह एवं अन्य 15 सदस्यों के प्रस्ताव पर तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में शहरों की मुख्य सड़कों के रख रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करता रहा है। इसके अतिरिक्त शहरों की अन्य सड़कों के निर्माण और संधारण का कार्य या तो क्षेत्रानुसार नगर विकास न्यास अथवा नगर परिषद द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सड़कों की देख-भाल का काम बीकानेर शहर नगर खण्ड बीकानेर करता रहा था। तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के मौखिक आदेशों से नगर खण्ड बीकानेर के अधीनस्थ नगर उप खण्ड 4, बीकानेर को राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड बीकानेर के अधीन दिनांक 28-4-1989 को स्थानान्तरित किया जाकर बीकानेर नगर की सड़कों के कार्य करवाये गए। उस समय बीकानेर में अधीक्षण अभियन्ता, श्री के. पी. माथुर, नगर खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता श्री एम. सी. मेहता एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता श्री बच्छराज व्यास थे। नगर उप खण्ड-4, बीकानेर का कार्य श्री बच्छराज व्यास को देने के लिए यह परिवर्तन किया गया।

बीकानेर शहर की सड़कों पर वर्ष 1986-87 में 51.50 लाख रुपये, 1987-88 में 60 लाख रुपये, 1988-89 में 150 लाख रुपये और 1989-90 में 63.52 लाख रुपये के सड़क रख-रखाव के कार्य सम्पन्न करवाये गए।

श्री चन्दनमल बैद : विकास के काम ही तो किए हैं ना ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें मना किया, मैं तो वक्तव्य पढ़ रहा हूँ।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें तकलीफ क्या है, ईर्ष्या क्यों हो रही है ?

श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो कल्लाजी की बहादूरी के कार्य हैं जो अपने क्षेत्र में इन्होंने किए हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि और मंत्री भी इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने क्षेत्रों का ध्यान करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अगर अध्यक्ष महोदय ने अपने रतनगढ़ में कॉलेज खुलवा दिया तो कोई पाप नहीं किया अच्छा किया। और उन्होंने अपने इलाके में काम करवा दिया तो अच्छा ही किया, बुरा तो नहीं किया। आप मजा ले-ले कर क्यों कह रहे थे, मजा क्या है इसमें, (व्यवधान)।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो तथ्य बता रहा हूं केवल…

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अपने इलाके में नहर पास कराई एक सौ तीस करोड़ की, बुरा नहीं किया, (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक : बिना टैक्निकल सैंक्शन के गलत उद्घाटन तो नहीं किये। (व्यवधान)।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : माननीय बैदजी, आपने अपने इलाके में मशीनें ले गए, सरदार शहर को छोड़ दिया। मालूम है।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। वक्तव्य पूरा हो जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : योग्य व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है, बुरा नहीं हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वर्ष 1989-90 की रकम में अवलम्बित देनदारियां भी शामिल हैं। उस वर्ष राज्य का संधारण का बजट, जो 30 करोड़ रुपये का था, उसका 9 प्रतिशत भाग मात्र बीकानेर में खर्च किया गया है।

श्री रामकिशन : मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार का विवरण देकर इनकी सीट को पक्की कर रहे हैं। बीकानेर में यह हवा चलेगी कि इनको जिताओ और हमें बनाना है है अपना राज तो मेहरबानी करके ज्यादा तारीफ मत करो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा, मैंने अगर बीकानेर को गोद लिया है और पक्का हो रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है राजस्थान के संदर्भ में।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मंत्रीजी भी खुश हो रहे हैं कि बीकानेर मेरे गोद लिया हुआ है, इतना रुपया लग गया, और लग तो

(श्री अध्यक्ष)

अच्छा है। इनको भी खुश होने दें, बुराई क्या है इसमें ?

श्री चन्दनमल बैद : बीकानेर के मंत्री ने इतना काम किया और कोटा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989-90 में अन्तिम बजट प्रावधान 300 लाख रुपये ही था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-5-1988 द्वारा बीकानेर नगर की 32 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण हेतु स्थानान्तरित की गई। अन्य सम्भागीय मुख्यालय में भी नगर पालिका सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारणसूची में उस वर्ष निम्न प्रकार की गई :—

—जयपुर— निल लैंथ— निल

—जोधपुर सड़क क्रमांक 4 लैंक—8 किलोमीटर

— अजमेर — सड़क 2 लैंथ— 1.10 किलोमीटर

उदयपुर — 1 लैंथ — 2.90

बीकानेर — 32 लैंथ — 35.58

श्री अध्यक्ष : यह शेम का मामला नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लिए रास्ता अच्छा खुल रहा है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यह। दिनांक 10-6-988 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संभाग बीकानेर ने 6 नगरपालिका सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची पर लेने का प्रस्ताव फिर मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया। प्रस्ताव में उन्होंने अंकित किया कि उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में लेने का माननीय मंत्री महोदय ने मौखिक अनुमोदन कर दिया है। मुख्य अभियन्ता ने दिनांक 7-7-1988 को उक्त 6 सड़कों को इस विभाग की संधारण सूची में लेने का राज्य सरकार को और प्रस्ताव प्रेषित किया। इसके बाद भी माननीय तत्कालीन निर्माण मन्त्री जी ने 13 नगर विकास न्यास सड़कों और पांच नगर पालिका सड़कों को विभाग की संधारण सूची में लेना चाहा। मुख्य अभियन्ता ने जनवरी, 1990 में राज्य सरकार को यह सूचित किया कि इन सड़कों पर विभाग द्वारा माननीय मंत्रीजी के मौखिक आदेश से पहले ही संधारण कार्य कर दिया गया है और इसीलिए उन्हें भी संधारण सूची में शामिल करना उचित होगा। कार्य करवा लिया गया था इसलिए मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित किया गया कि इन 24 सड़कों को केवल वर्ष 1989-90 के लिए ही संधारण सूची में रखा जाए। किन्तु फिर भी इनके राज्यादेश जारी नहीं हो सके।

एक माननीय सदस्य : आप बहुत आनन्द ले रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप जो प्रशंसा माननीय सदस्य कल्ला जी की कर रहे हैं मगर आप

(श्री अध्यक्ष)

टोन ऐसी बता रहे हैं कि आप उनकी अप्रशंसा कर रहे हों।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह प्रशंसा किसकी है। राजस्थान के सन्दर्भ में वर्ष 1989-90 में तत्कालीन निर्माण मंत्री महोदय के आदेशानुसार नगर की कुछ अन्य सड़कों की मरम्मत एवं नालियों के निर्माण कार्य भी करवाए गए। इन कार्यों को करवाए जाने के फलस्वरूप वर्ष 1989-90 में अवलम्बित देनदारियों सहित कुल व्यय रुपए 363.52 लाख हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर 258.85 लाख नगर सुधार न्यास की सड़कों पर 54.01 लाख नगर पालिका की सड़कों पर 50.66 लाख कुल 363.52 लाख। इसके विरुद्ध सर्वप्रथम नगर खण्ड बीकानेर को रुपये 222.05 लाख वर्ष 1989-90 के लिए तथा रुपए 45 लाख वर्ष 1990-91 के लिए आवंटित किए गए। उसके बाद दिनांक 4.1.1990 द्वारा नगर खण्ड का रोड़ रिपेयर्स का आवंटन वर्ष 1989-90 के लिए बढ़ाकर 300 लाख कर दिया गया।

नगर सुधार न्यास की सड़कों पर 54.01 लाख रुपए के व्यय के मुकाबले रुपए 10.50 लाख जमा करवाए गए। इस प्रकार नगरपालिका की सड़कों पर 50.66 लाख रुपए के मुकाबले नगर परिषद द्वारा एक लाख रुपए जमा करवाए गए। इस प्रकार अब नगर सुधार न्यास के प्रति 43.51 लाख रुपए और नगरपरिषद के प्रति 49.66 लाख की बकाया बनती है जिसे प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अब आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यहां यह भी कहना समीचीन होगा कि नगर सुधार न्यास एवं नगरपालिकाओं की सड़कों पर संधारण कार्य करने से पूर्व उनके दायित्व के विषय में सहमति देर से ले ली गई थी किन्तु उनके द्वारा बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तत्कालीन मंत्री महोदय ने अपनी हस्ताक्षरित नोटशीट दिनांक 12-12-1989 द्वारा अपने द्वारा मौखिक आदेश से करवाए गए कार्यों को अनुमोदित करना स्वीकार किया। भूतपूर्व माननीय विधायक श्री मानिकचन्द सुराना की शिकायत पर विभागीय निर्देश के अनुसार दिनांक 6-3-90 को मुख्य अभियन्ता, पथ द्वारा बीकानेर जाकर समस्त प्रकरण की जांच करने को कहा गया। मुख्य अभियन्ता द्वारा सारी स्थिति का अध्ययन कर दिनांक 23 मार्च, 1990 को रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी गई। रिपोर्ट का अध्ययन कर दिनांक 6-2-1990 को निम्नलिखित निर्देश दिए गए :—

1. विभाग द्वारा दिनांक 7-7-88 एवं 16-1-90 को नगरपालिका एवं नगर सुधार न्यास की सड़कों को संधारण हेतु हस्तान्तरित किए जाने संबंधी विधिवत अनुमति के अभाव में ये सड़कें सार्वजनिक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

निर्माण विभाग की संधारण सूची में सम्मिलित न की जाय।

2. नगरपालिका एवं नगर सुधार न्यास क्षेत्र की जिन सड़कों की विभाग की संधारण सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु विधिवत स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है उन पर गत दो वर्षों में किए गए व्यय की राशि का लेखा-जोखा बनाया जाकर इन संस्थानों से यह राशियां राज्य कोष में जमा कराने हेतु कहा जाए।

3. वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में किए गए निर्माण कार्यों की तकनीकी चैकिंग करके उनके भुगतान किए जाने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की गई :—

अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि, बीकानेर।

अधिशाषी अभियन्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, बीकानेर।

अधिशाषी अभियन्ता, रा. रा. उ. खण्ड, बीकानेर।

उक्त समिति की अनुशंसानुसार सम्बन्धित कार्यों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि :—

1. बीकानेर शहर की सड़कों के संधारण का कार्य वर्ष 1988-89 में बड़े पैमाने पर करवाया गया तथा यह क्रम 1989-90 में जारी रहा।

2. नई सड़कों व नालियों के काम अनेक म्यूनिसिपल वार्डों व मौहल्लों में राज्य सरकार के खर्च पर करवाये गये जबकि ये कार्य नगर परिषद द्वारा करवाए जाने चाहिए थे।

3. राज्य सरकार की अनुमति के बिना बीकानेर शहर की 24 सड़कों के मरम्मत, सुधार कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में सम्मिलित मान कर करवाए गए। इन कार्यों पर कुल व्यय 104.67 लाख रुपये का अतिरिक्त किया गया जिसमें से केवल दस लाख रुपए नगर विकास न्यास तथा एक लाख रुपए नगर परिषद द्वारा जमा करवाए गए हैं। शेष राशि को अब प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

4. बीकानेर शहर में सड़कों के कार्यों के भुगतान की चैकिंग हेतु जो समिति बनाई गई है, कुल 117 कार्य थे जिनमें से अभी तक 49 कार्यों को अन्तिम भुगतान करना शेष है जिनके फाइनल बिल पेण्डिंग हैं। (व्यवधान)।

श्री चन्दनमल बैद : कमीशन का परसण्टेज क्या है (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची के पृष्ठ पांच पर आइटम 6-अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में है जिस पर सदन द्वारा अभी विचार ही प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसमें अपराह्न साढे चार बजे मुख बंद, हेतु नोट उल्लिखित है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

पूरी होने तक का बढ़ाया जाए एवं मुख बन्द के प्रयोग हेतु भी समय निर्धारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : मुख बन्द का साढ़े छः बजे का समय कर देते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 8 बजे का कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : साढ़े 6 बजे का मुख बन्द का समय है, अगर जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अनुमोदन करते हैं।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : मुख बंद का समय बढ़ाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी जो विवरण माननीय निर्माण मंत्रीजी ने दिया मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आप लोगों ने तालियां बजाई उस पर···(व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक : बिना टेक्नीकल सैंक्शन के इन्होंने सीकर में जाकर शिलान्यास कर दिया। आज तक उसकी टेक्नीकल सैंक्शन नहीं मिली है। आप क्या करेंगे, जिनमें दम था उन्होंने काम कर दिया। आप तो किसी काम के हैं ही नहीं, काम कर ही नहीं सकते···(व्यवधान)।

श्री रामप्रताप कासनियां : वकालत करते हो किसानों और मजदूरों की, पैसे खर्च करते हो बीकानेर में···(व्यवधान)।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी जो बात कह रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि...

श्री अध्यक्ष : अभी कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। हां, कालीचरणजी पूछिये, चलिये।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर पड़े हुये हैं। सड़कें बनाई सही काम किये। जयपुर शहर में... (व्यवधान)।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां-जहां आप रहोगे, वहां-वहां कूड़े के ढेर रहेंगे ही।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर में इन्होंने एक...

श्री अध्यक्ष : पारीक साहब, प्लीज। आपसे नम्र निवेदन है। मैं आपको आउट ऑफ वे जाकर आपको सपोर्ट कर रहा हूं यहां और आप बीच में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मेरे से ज्यादा आपके अधिकार हैं। प्लीज कीप क्वाइट। लैट मी हैण्डल दी हाउस।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि पूरे

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव के लिए कुल कितना बजट था, उसमें से कितना प्रतिशत बजट बीकानेर में खर्च किया गया।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया उसका 9 प्रतिशत। आप बोलते जाइये, मैं वही प्रश्न अलाऊ करूंगा जिसका जवाब नहीं आया। मैं सुन रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ : क्या यह भी सही है कि बीकानेर नगर खण्ड के एक्स. ई.एन. ने जब यह काम करने से मना कर दिया तो एक्स.ई.एन. नेशनल हाई वे से यह काम करवाया गया। क्या यह भी सही है है कि इन कार्यों का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया वह पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री का भाई है?

क्या यह भी सही है कि जो कमेटी सरकार ने जांच के लिए बनाई थी उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि अधिकांश कार्य निम्न स्तर का कराया गया है? क्या यह भी सही है कि कमेटी की सिफारिश पर एक्स.ई.एन. नेशनल हाई वे को निलम्बित कर दिया गया है, ठेकेदारों का पेमेण्ट रोक दिया गया?

क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण के मुख्य एवं दोषी पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, यदि हां तो ऐसा क्यों? और क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां : यह + + + कैसे कह रहे + + + हैं, का एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : सुन भी लीजिए। मैं अपने आप बोल दूंगा। आप ही तो कहते हैं बोलने के लिए रोकिये मत। अब वह बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, जो करना है मैं कर दूंगा। + + + शब्द की जगह आरोपी कहिये आप। हटा दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : अपने जवाब में मंत्रीजी ने यह कहा कि पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने पहले मौखिक आदेश दिया और उसके बाद 12/12/89 को लिखित में अनुमति दी तो मैं पूछना चाहता हूं कि सचिव, पी.डबल्यू.डी. के पास 12/12/89 के जो आदेश दिये, कब पहुँचे। एक मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जवाब में कहा है कि सरकार ने 6/3/90 को चीफ इंजीनियर, रोड के द्वारा बीकानेर जाकर समस्त प्रकरण की जांच करने को कहा। चीफ इंजीनियर ने 23 मार्च, 90 को रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। उस रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया है। यह भी सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है इसका जवाब तो दे दिया कि 30 करोड़ रुपया था और केवल बीकानेर शहरों पर 9 प्रतिशत आॅफ होल आॅफ स्टेट किया गया है।

जहां तक दूसरा सवाल उन्होंने कहा, नगर खण्ड से उप खण्ड 4 को हटा कर नेशनल कर हाई वे

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रलोपित किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में क्यों कर दिया गया, मेरी समझ में भी नहीं आयी यह बात। क्योंकि नगर खड, नगर का काम करता है और नेशनल हाई-वे का काम दूसरा है इसलिए नेशनल हाई-वे को इस उप खण्ड को क्यों ट्रान्सफर किया गया यह मेरी समझ के बूते से बाहर है और इसमें से कुछ बातें निकलती है जिसकी मैं जांच करवा रहा हूं, जिसका मैं अभ्यास कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि उप खण्ड चार को नगर खण्ड से हटा कर जो नेशनल हाई वे के एक्स.ई एन. के अन्तर्गत दिया गया है वह नेशनल हाई वे का एक्स. ई एन. सस्पेण्ड हो गया है। इस विषय पर तो नहीं हुआ, गोडसे सुथारवाला एक और सड़क है, और उस पर जांच चल रही है, उसने जो सब प्रकार का काम किया उसके बारे में, यह बात सच है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक उन्होंने पूछा है, भाई का सवाल, मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। उन्होंने किसी बात का जिक्र अभी किया है, मैं रिकार्ड देख कर इस बात की और जांच करवा लूंगा कि यह नेशनल हाई वे में करने के लिए क्या किया गया, क्यों किया गया, इस पर विचार कर लिया जायेगा···

श्री कालीचरण सराफ : उनका भाई है ठेकेदार।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो जांच कमेटी गयी थी उसने जो जांच की है उसके बारे में मैंने अपने मूल, इसमें पूरा बता दिया है, उन्होंने रिकमण्डेशन्स क्या दी है वह भी बता दिया है, कहीं-कहीं निम्न स्तर का काम हुआ है तो उसका अभी तक पेमेण्ट नहीं किया गया है, सबको देखा जा रहा है। इस विषय में अभी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक सवाल और।

श्री अध्यक्ष : हां, आप क्या बोलेंगे कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बोलूंगा। मेरे भाई का नाम लिया गया है। क्या बात करते हो आप। ऑन ए पाइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे तो पूरा कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : काहे का पर्सनल एक्सप्लेनेशन। Nothing has been said against you. किस बात का बोल रहे हैं। अभी सब चीजों की जांच चल रही है, जांच आयेगी तब आयेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो मिनट बोलने तो दें।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो लिखित आदेश माननीय मंत्री महोदय ने अपने मौखिक आदेशों को नियमित करने के लिए 12/12/89 को दिये, मैंने जब फाइल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

देखी तो वह 16 फरवरी, 90 को, दो महीने से ऊपर बाद आकर वो हमारे सचिव के पास इसी पर इस विषय को देखने की आवश्यकता है कि क्या आर्डर पैदल चल कर आया या उसमें डेट लेट लगायी या बैक डेट में अन्दर किया गया, यह जांच का विषय है। दूसरी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने कोई पद का दुरुपयोग नहीं किया और मतदाताओं को प्रभावित करने की बात आती है चुनाव में...

श्री अध्यक्ष : अब चुनाव की कहां से आई, आज तो आई नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चुनाव से पहले मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का मंत्री नहीं था।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, ये....

श्री अध्यक्ष : कालीचरण जी, प्लीज।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री...

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए। प्लीज बैठिये आप। हां, आप बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो-जो माननीय सदस्यों ने हो-हुल्लड़ में आरोप लगाये हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद हैं और मैंने एवं मेरी सात पीढ़ी में किसी ने कोई कांट्रेक्ट नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुलाबसिंह। (व्यवधान)।

और भी काल अटेंशन लेने है। (व्यवधान)।

सिंचाई मंत्री जी, आप जवाब पढ़िये। (व्यवधान)।

आपका दूसरे में नाम है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, मेरा सवाल तो पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बोलिए। (व्यवधान)।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, 89-90 के अन्दर तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर मतदाताओं को अपने क्षेत्र में प्रभावित करने के लिए और वोट बटोरने के लिए...

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन डिस अलाउड : चलिए, और पूछिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या ये स्वीकृतियां जो बिना बजट प्रावधान के टेक्नीकल सेंक्शन और प्रशासनिक सेंक्शन के आधार पर की गई हैं...

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब भी आ गया है। क्वेश्चन डिसअलाउड। और बोलिए। देखिए, मैंने पूरा वक्तव्य सुना है जो वक्तव्य में आ चुका है वो रिपीट नहीं नहीं करने दूंगा मैं। आप नया सवाल पूछिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो राजस्थान का मेंटिनेंस का बजट था उसका 76 प्रतिशत बजट नगर पालिका, बीकानेर और नगर सुधार न्यास के अन्दर तत्कालीन सार्वजनिक मंत्री ने वहां प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : वो भी जवाब आ गया। राजस्थान के बजट का कितना है वो भी जवाब आ गया। आप पूछिए। (व्यवधान)

आप बैठिये एक-एक पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं विधान सभा में पहली बार सदस्य बनकर आया हूं और विधान सभा में मैं जब कल्लाजी को लगातार बोलते हुए देखता हूं तो मैं इनको अपना आदर्श मानने लगा कि ये हर मामले में आगे रहकर बोलते हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जब इनके कारनामे देखे और सुने तो मुझे बहुत + + +आती है।

श्री अध्यक्ष : + + +आपको आ रही है। कारनामे कोई कर रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं 89–90 में जो सड़कें बनी हैं...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। बोलने दीजिए उनको। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आप खड़े मत रहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जो सड़कें और नालियां बनी हैं उसकी टेक्नीकल जांच किए बिना पेमेन्ट किया गया है। क्या बिना जाँच किए बिना ही पेमेन्ट कर दिया गया है? एक तो मेरा यह सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दिया है कि जो जांच कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट जैसे-जैसे आ रही है वैसे-वैसे पेमेन्ट हो रहा है। 117 कामों में से केवल 49 कामों का पेमेन्ट बाकी है। जैसे-जैसे जांच समिति की रिपोर्ट आ रही है, × × × पेमेन्ट हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नगर सुधार न्यास और नगरपालिका में जो बकाया पेमेन्ट है वो कब तक वसूल कर लिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : वो कब तक वसूल कर लिया जायेगा, यह नहीं बता सकते हैं। यह तो मांग करना कह सकते हैं, हम मांग रहे हैं। वह सुधार न्यास बतायेगा, कब तक दे देंगे। चलिए टीकमचन्द जी, आप पूछिए।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जिस काल में बीकानेर में सड़कें बन रही थी और आप जो लम्बाई बता रहे हैं 32.53 किलोमीटर, आज के समय में अगर नई सड़क बनाई जाती है तो प्रति किलोमीटर आप कितना व्यय

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

मानते हैं, ढाई लाख, तीन लाख या 4 लाख ? अगर 32 किलोमीटर पर नये के हिसाब से यह खर्च...

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए। आपका सवाल आ गया कि अभी कितना खर्च हो रहा है। हां, समझ गये। जवाब दे देंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : कितना नये में और कितना पुराने में...

श्री अध्यक्ष : दे देंगे नई का और पुरानी का दे देंगे। आ गया, अब आप दूसरा सवाल पूछिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : दूसरा सवाल। जो नालियाँ बनाई गई हैं, पी.डब्ल्यू.डी. ने नालियों का काम ऐसी कितनी जगह किया है और नालियों का काम किया है तो नालियों में प्रति गज या प्रति वर्ग गज जो भी मीटर गिने हैं उसमें कितना खर्चा आया और नालियों की क्या लम्बाई थी और उसके हिसाब से वो खर्चा आपके स्टेण्डर्ड के हिसाब से बैठता है या नहीं बैठता है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, बताइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 35.58 लाख किलोमीटर लेंथ है उसकी, आजकल 4 लाख रुपया कम से कम एक किलोमीटर पर आता है। इस सारे वक्तव्य में मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के बारे में जो उसकी सेंक्टिटी होती है उसका ध्यान नहीं रखा गया। यह बात भी सच है कि जिस प्रकार के नगर परिषद के, नगरपालिका के या नगर विकास न्यास के काम कराये गये, बिना आदेश के वह उचित नहीं है, मौखिक आदेश का कोई मतलब नहीं है। मैं मंत्री होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि मैं अगर इस प्रकार के काम करूंगा तो निश्चित रूप से पब्लिक एक्स-चेकर का दुरूपयोग करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। अब मुझे जोर से बोलने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं राजस्थान भर की नगर परिषद, नगर पालिका, नगर विकास न्यास का जो बजट है उसका कितना प्रतिशत बजट बीकानेर शहर में लगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। बताइये मंत्री जी। आपका विषय नहीं है, और कौन पूछ रहा है ? आपका नाम नहीं है इसमें। नाम है क्या ? आपका नाम नहीं है। अभी तो नाम वाले ही पूरे नहीं हो रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट यह है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यदि हमारे जयपुर के विधायक और मंत्री जयपुर प्रोपर के लिए रुपये मांगेंगे तो देंगे कि नहीं ? इसी तरह से, जिस तरह से बीकानेर में लग गया है ताकि हमारा भी विकास हो।

श्री अध्यक्ष : अब कोई नहीं है, चलिए नेक्स्ट। हां, मंत्री जी। आप बोल रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं प्रश्न नहीं करता लेकिन इस चर्चा में से एक सवाल खड़ा हुआ है वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यहां जो बजट पास होता है जनता से हम जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसको किस-किस काम में खर्च किया जाय, उसकी सेंक्शन मिलती है। अब जो मंत्री, जिसके पास जो विभाग है उसका उपयोग वह एक ट्रस्टी के नाते पूरे प्रदेश में ना करे, एजुकेशन मिनिस्टर के पास सारे फण्ड रहते हैं वो स्कूल...... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप उपदेश दे रहे हैं क्या हमें ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं

श्री भंवरलाल शर्मा : तो शिक्षा मंत्री क्या यह कर सकेगा कि पहले जितने स्कूल खोलने हैं। अपने इलाके में खोलें ? अगर मान लीजिए चिकित्सा मत्री है तो वह अपने इलाके में हास्पीटल खोल ले तो क्या किसी मत्री को......

श्री अध्यक्ष : मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि जो रेल्वे मंत्री बनता है जहां का, तो हिन्दुस्तान की सारी रेलें वहीं जाती हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही एक मार्ग दर्शन चाहिए कि जो मंत्री जिस विभाग के होते हैं तो क्या मंत्रियों द्वारा केवल वोट प्राप्त करने के लिए जन-धन का दुरुपयोग करने को वाजिब समझते हैं ? अगर यह वाजिब नहीं है......

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय मंत्री महोदय, आप सारी बात सुनकर भी अगर आप नहीं समझे तो यह हमारे जयपुर जिले का दुर्भाग्य है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका दुर्भाग्य होगा। तो क्या हाउस इस बात की इजाजत देगा कि भविष्य में जो मंत्री हैं पहले अपने इलाके में सारा धन खर्च कर दें, वहां स्कूल खोलें, औषधालय खोलें तो अपने यहां खोलें। यह जन-धन का दुरुपयोग है इसकी क्या सहमति दी जायेगी, क्या यह उचित है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। अब हो गया। बोलिए आप। क्या बोल रहे हैं ? जल्दी बोलिये आप।

जंवाई और हेमवास बांध का पानी काश्तकारों को न दिये जाने सम्बन्धी

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : जवाई बांध और हेमवास बांध का पानी काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री जीवराम कटारा (राज्य मंत्री सिंचाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय गुलाबसिंह जी, विधायक द्वारा प्रस्तुत

(श्री जीवराम कटारा)..

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित टिप्पणी निम्न प्रकार है।

इस वर्ष जवाई बांध में 4209 एम. सी. फीट, हेमावास बांध में 835 एम. सी. फीट पानी एवं सेई बांध में 1107 एम. सी. फीट जल उपलब्ध है जिसका योग 6151 एम. सी. फीट होता है। जवाई बांध का डेड स्टोरेज 495 एम. सी फीट, हेमावास का शून्य...

श्री अध्यक्ष : ऑडर प्लीज। कृपया आपस में बातचीत न करें। हां, बोलिये।

श्री जीवराम कटारा : सेई का 250 एम. सी. फीट एवं जवाई से सेई तक जल ले जाने में भी 350 एम. सी. फीट जल की छीजत होती है। इस प्रकार डेड स्टोरेज एवं छीजत का योग 1095 एम. सी. फीट हैं। अतः इस वर्ष उपयोगी जल की मात्रा 5056 एम. सी. फीट है। इन बांधों के संचित पानी का उपयोग पाली एवं जालौर जिले में सिंचाई के लिए एवं पाली एवं जोधपुर जिलों में पीने के लिए होता हैं। पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी हैं। पीने के पानी की आवश्यकता के बाद में जो पानी बच जाता है उसको सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांधों का पानी पीने हेतु दिया जा रहा है। पानी का आरक्षण राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा कराया जाता है और इसी आधार पर शेष सिंचाई हेतु दिया जाता है। मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य सरकार को जवाई एवं हेमावास से 2442 एम. सी. फीट के आरक्षण का प्रारम्भिक प्रस्ताव भेजा हैं जिसमें बांधों के पानी की छीजत शामिल नहीं है। वर्ष 90-91 में राज्य ने निम्न प्रकार आरक्षण किया था :

पीने के पानी की
आवश्यकता–2220 एम. सी. फीट
बांधों से पानी की
छीजत –2890 एम. सी. फीट

कुल आरक्षण –5110 एम. सी. फीट

जिला कलक्टर, पाली ने बताया है कि माह सितम्बर, 91 के अंतिम सप्ताह में जल वितरण हेतु मीटिंग का आयोजन कर विचार विमर्श करेंगे जिसमें राज्य सरकार को पीने के पानी के आरक्षण के बाद शेष पानी का सिंचाई हेतु वितरण कर विचार किया जायेगा। विगत दस वर्षों में जवाई बांध में चार वर्ष एवं हेमावास बांध में पांच वर्ष पानी की आवक कम हुई। परिणामस्वरूप सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। परन्तु इस वर्ष परिस्थितियों की मांग को देखते हुए एवं पी. एच. ई. डी. द्वारा पानी के आरक्षण करवाने के बाद कम पानी लेने की प्रवृत्ति को देखते हुए जवाई बांध से 1500 एम. सी. फीट छीजत सहित एवं हेमावास बांध से 350 एम. सी फीट पानी छीजत सहित कृषकों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना काश्तकारों के प्रतिनिधियों को दे दी गई है एवं कहा गया है कि वह उक्त जल के अनुसार सिंचाई के लिए जल

(श्री जीवराम कटारा)
विवरण करने की योजना बनायें। राज्य सरकार काश्तकारों द्वारा सिंचाई को उच्च प्राथमिकता देती है परन्तु पीने के पानी की समस्याओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः न केवल इस वर्ष के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी है अपितु अगले वर्ष के लिए भी कुछ प्रावधान रखना आवश्यक है ताकि यदि मानसून ठीक न हो तो स्थिति सम्भाली जा सके।

श्री अध्यक्ष : आप इस टोटल जवाब में दो बातें बता दीजिए। सिंचाई के लिए कितना पानी रखा है और पीने के लिए कितना रखा है। बस, वह बता दीजिए आप।

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिलाई के लिए जवाई बांध से 1500 एम. सी. फीट और हेमावास से 350 एम. सी. फीट पानी रखा है। चीफ इंजीनियर, पी. एच. ई. डी. ने जितना मांगा है उतना पानी पिलाई के लिए रखा है।

श्री अध्यक्ष : बाकी सिंचाई के लिए रखा है। अब आपका सवाल क्या है, पूछिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मात्रा तो बताते आप भी।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : सिंचाई मंत्रीजी ने यह नहीं बताया कि पी. एच. ई. डी. को इस साल हम कितना पानी देंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी तो बताया है, मैंने स्पेसिफिक भी पूछा है।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : नहीं, पी. एच. ई. डी. को नहीं बताया है, सिंचाई के लिए बताया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मात्रा नहीं बताई, यह कहा कि जितना मांगा है उतना दिया है। यह तो बतायें कि कितना पानी दे रहे हैं। मात्रा तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : फिर सुन लो आप, फिर सुन लीजिए। यही तो पूछा था मैंने।

श्री विजय सिंह झाला : 2442 मांगा है और उतना ही दिया है।

श्री अध्यक्ष : घन फीट।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री ने 2442 एम. सी. फीट पानी पी. एच. ई. डी. द्वारा मांगना बताया है और 1850 हेमावास और जवाई बांध से सिंचाई के लिए इन्होंने रिजर्व रखा है। मेरा निवेदन इतना ही है कि जब मंत्रीजी यह स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय 5056 एम. सी. फीट पानी दोनों बांधों में है, सेई, जवाई और हेमावास का मिला कर, तो क्या कारण है कि मात्र 1850 एम. सी. फीट पानी ही सिंचाई के लिए देना चाहते हैं जबकि मैं मंत्रीजी को अगर पुरानी डिटेल्स बताऊं कि कब-कब जवाई बांध में कितना पानी था और उसमें से काश्तकारों को कितना दिया सिंचाई के लिए और पी. एच. ई. डी. ने कितना

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

पानी लिया, 1975-76 में 6019·36 था जिसमें से पी. एच. ई. डी., जोधपुर को 1000 एम. सी. फीट दिया जबकि सिंचाई के लिए 2892·06 एम. सी. फीट पानी दिया गया। इसी तरह से 76-77 में 5427 में से 1000 एम. सी. फीट पी. एच. ई. डी. को और 4037·70 सिंचाई के लिए दिया गया। इसी तरह 77-78 में 3265 एम. सी. फीट पानी था, मात्र 3265 एम. सी. फीट, जिसमें से 800 एम. सी. पानी पी. एच. ई. डी. को दिया गया और 1992·50 एम. सी. फीट पानी इन्होंने सिंचाई के लिए दिया। इसी तरह सारे आंकड़ों को देखते हुए अन्त में जाकर इन्होंने 3561, 86-87 में, बीच में से बोल रहा हूं, लम्बा हो जायेगा, 86-87 में 3561·25 एम. सी. फीट पानी था उसमें से 1500 एम. सी. फीट पानी जोधपुर को दिया, 1772 एम. सी. फीट पानी सिंचाई के लिए दिया। 1988-89 में 4175·75 एम. सी. फीट पानी उपलब्ध था जिसमें से 2174 एम. सी. फीट पानी इन्होंने पी. एच. ई. डी. को दिया और 1997 एम. सी. फीट पानी सिंचाई के लिए दिया था। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितना पानी पी. एच. ई. डी. के लिए आरक्षित करते हैं उसमें से कितना पानी यह ले पाये? या तो सिंचाई मंत्री यह बता दें कि जितना पानी वह आरक्षित करते हैं कि हमारे विभाग को एक साल के लिए इतना पानी चाहिए और क्या कभी उन्होंने वह पानी पूरा लिया है? इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1960-61 में 1000 एम. सी. फीट पानी रिजर्व रखा था......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लेटर ईयर का, बाद के साल का बोलिए।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : बिल्कुल, मैं कई सालों की बता रहा हूं। 1990-91 में 3021 एम. सी. फीट पानी आरक्षित रखा था जबकि हमने ज्यादा पानी मांगा था। उसके बावजूद भी सिंचाई के लिए पानी नदेकर 3021 एम. सी. फीट पानी पी. एच. ई. डी. को दिया गया और उसके विरुद्ध 1658 एम. सी. फीट पानी ही पी. एच. ई. डी. ले पाया। आधा पानी वेस्ट चला गया। वह पानी अगर सिंचाई के काम आता तो उत्पादन बढ़ता और इस तरह से हमेशा जो डिमाण्ड रही है, पिछला ग्राफ उठाकर देखें, रिकार्ड, तो सारे रिकार्ड से यह प्रतीत होता है कि पर डे आठ एम. सी. फीट पानी से ज्यादा लेने की केपेसिटी पी. एच. ई. डी. की नहीं है। आठ एम. सी. फीट के हिसाब से एक महीने का 240 एम. सी. फीट होता है और साढ़े नौ महीने तक पानी दिया जाता है तो 2880 एम. सी. फीट पानी जाता है। अधिकतम 2880 एम. सी. फीट पानी दे दो, पांच हजार एम. सी. फीट में से तो बाकी का जो पानी रहता है वह सिंचाई के लिए आप दें। उससे निश्चित रुप से हमारे काश्तकारों को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मेरिट है

(श्री अध्यक्ष)

आपका, जवाब ठीक है। ठीक है जवाब। जवाब देंगे ?

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर पी. एच. ई. डी. ने 2220 आरक्षित कराया था जिसके विरुद्ध उन्होंने 2600 लिया था लेकिन तालाब की छीजत जो पी. एच. ई. डी. की मानी गई है वह 2890 थी। इस तरह से पी. एच. ई. डी. का गत गत वर्ष 5110 एम. सी. फीट पानी था। इस वर्ष टोटल पानी कुल 5056 है। उसमें से क्योंकि पी. एच. ई. डी. हर साल ज्यादा आरक्षित रखती है लेकिन कम लेती है, इस प्रवृत्ति को देखते हुए हमने 1500 जवाई से और 350 एम. सी. फीट हेमावास से दिया है। उसके बाद में यद्धि अगले साल बारिश नहीं होगी तो एक प्रश्न उठ जायेगा, जोधपुर को पीने का पानी देने के लिए, तो डेड स्टोरेज जो 500 फीट रहेगा उसका और थोड़ा सा डेड स्टोरेज जो सेई बांध का रहेगा, वह हमने रिजर्व रखा है, बाकी कोई रिजर्व नहीं रखा है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, एक तो सिंचाई मंत्रीजी ने यह बात बताई...

श्री अध्यक्ष : और दूसरे लोग पूछने वाले हैं, वह पूछ लेंगे। अचलारामजी पूछने वाले हैं, लक्ष्मीनारायणजी दवे पूछने वाले हैं।

श्री अचलाराम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, हेमावास और जवाई बांध का जो सिंचित क्षेत्र है, जवाई डेम का 43500 एकड़ है और हेमावास का 14350 एकड़ है। जवाई डेम के नीचे जो फसल पैदा होती है वह अधिकतम रायड़ा की होती है। अगर सिंचाई के लिए पानी नहीं रखा गया और सिंचाई नहीं हुई तो सारे के सारे किसान बेरोजगार हो जायेंगे और उसी के पीछे वहां पर जो आयल मिलें लगी हुई हैं, वहां के मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और खाने के लिए तेल नहीं मिलेगा।

दूसरी बात हेमावास के नीचे जो सिंचित क्षेत्र है उसमें लगभग गेहूं की खेती होती है। अगर सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया तो खाद्य सामग्री की भारी तकलीफ आ जायेगी और किसान बेरोजगार हो जायेंगे। अगर इस तरीके से यह पानी जो अधिक पानी रखा जाता है वह लिया भी नहीं जाता है और यह अन्तिम जो 1990-91 में 3021 एम. सी. एम. टी. पानी रिर्जव रखा गया है इसके अगेन्स्ट में 1658 एम. सी. एफ. टी. पानी का उपयोग किया गया तो यह बेकार पानी पड़े रखने से सरकार को क्या लाभ ? अतः किसानों को अधिक लाभ देने हेतु पानी दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय बिल्कुल अधिक पानी नहीं है। जो उपयोग पानी ला सकते हैं वह केवल 5056 है उसमें से 1800 सिंचाई के लिए रखा है। और 2220 फिलहाल इनके लिए रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप सिंचाई मंत्री हैं वह आपसे इतना ही जानना चाहते हैं कि हेमावास में जो गेहूँ की फसल होती है या उसमें

(श्री अध्यक्ष)
जो रायड़ा की फसल का एरिया है उसको पर्याप्त पानी देंगे आप ?

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, हेमावास के नीचे जो जमीन है वह पिलाई में पूरी हो सकती है और अच्छा रायड़ा हो सकता है। तो उसी को देखते हुए हेमावास तो···

श्री अध्यक्ष : हेमावास में तो वह गेहूँ बता रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : गेहूँ तो एक पानी से नहीं होगा। रायड़ा ही होगा···(व्यवधान)

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, जो सिंचित जमीन है उसके कितनी प्रतिशत भूमि को सिंचित करवा देंगे, आप यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष : कितनी पिलाई देंगे ? आप यह बता दीजिए। मालूम पड़ जायेगा सारा।

श्री विजयसिंह झाला : अब इस पानी में किसान अपने ढंग से किस तरह से उपयोग करेंगे यह जल वितरण कमेटी को अधिकार दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप कितनी पिलाई दे सकेंगे ?

श्री विजयसिंह झाला : हम 1500 एम. सी. एफ. टी. पानी जवाई बांध से और 350 एम. सी. एफ. टी. पानी हेमावास से दे सकेंगे। अब वो अपना एरिया···

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। सिंचाई मंत्री जी, इतना तो आपको ध्यान में होगा कि इसमें कितनी पिलाई हो सकती है जनरली।

श्री विजयसिंह झाला : कौनसी क्राप वह बोयेगा और कितनी बोयेगा, इस पर निर्भर करेगा।

श्री अमृतलाल परमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह बांध हमारे एरिया में है और हमारे किसानों की हालत खराब है ऐसी परिस्थिति में जो रायड़ा की फसल होती है उसको तीन पाण की आवश्यकता होती है और गेहूं के लिए चार पाण की आवश्यकता होती है। ऐसी हालत में मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा ? एक बात।

दूसरी बात यह है कि वहां पानी ज्यादा जोधपुर को जाता है, जोधपुर को पानी मिलना चाहिए हमें इसका एतराज नहीं है। बाकी जिस एरिया मे पानी गुजरता है उन किसानों को राहत नहीं मिले तो क्या हालत होगी और इसके लिए पहले भी आन्दोलन हो चुके हैं। पाली में हुआ आन्दोलन, सुमेरपुर में आन्दोलन हुआ है और पाली में भी इसके लिए धरना दिया हमने। जब हमको पाली एरिया और सुमेरपुर एरिया के अन्दर पीने के लिए पानी बराबर नहीं मिल सकता है तो दूसरों की बात कैसे आती है। तो हमारी यह मांग है कि वहां के किसान बहुत दुःखी हैं। इस बार भी उस एरिया में पानी कम हुआ हैं और आने वाली गर्मियों के अन्दर हमारी खराब हालत होने वाली है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर

(श्री अमृतलाल परमार)

हमारे पाली एरिया, सुमेरपुर एरिया और पाली एरिया को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए।

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, गेहूँ की फसल के लिए 4 से 5 पाण तक की आवश्यकता पड़ती है और इन्होंने यह बताया कि 350 एम. सी. एफ. टी. पानी देंगे उससे गेहूँ की फसल पैदा हो ही नहीं सकती। बीच में ही सूख जायेगी और फसल खराब हो जायेगी। अतः इसको अधिक पानी दिया जाये।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर सिंचाई के लिए हमने 4611 एम. सी. एफ. टी. पानी जवाई से दिया था जिसमें 4 पाण हुई थी और जितना भी कमाण्ड एरिया था उसमें रबी में फसल हुई थी। हेमावास में 1259 एम. सी. एफ. टी पानी हमने सिंचाई के लिए दिया था। जिसमें जितना भी दिया था वह कमाण्ड में था उसमें 4 पाण हुई थी। प्रश्न यह उठता है कि इस पानी की क्वान्टिटी को देखकर केवल 1/3 जमीन में ही फसल बोई जा सकती है जिसमें 3 पाण दी जा सकती है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी को यह पता नहीं है कि 1500 एम. सी. एफ. टी. पानी में 3 पाण हो ही नहीं सकती वहां पर अगर पर्सेन्टेज में बोये तो भी नहीं हो सकती...।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से बात करना आप।

श्री विजयसिंह झाला : गत वर्ष 4300 दिया था उस दृष्टि से 1500 वन थर्ड है...

श्री अध्यक्ष : चलिए, छोड़िये अब आप। नैक्स्ट श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई डेटाज पर निर्णय हुआ नहीं...

श्री अध्यक्ष : आपका काल अटेन्शन है। बाद की बात मंत्री जी से कर लेना। (व्यवधान)

मैं लक्ष्मीनारायण दवे का नाम पुकार रहा हूं, आप बैठ जाइये। मैं जिनका नाम पुकार रहा हूं वही खड़े होंगे बाकी बैठ जाइये। ...आप बिराजें। बाकी बात कर लेना। मुझे अभी बहुत काल अटेन्शन लेने हैं। ...बिराजिये आप,

नैक्स्ट, श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

(5.00 म. प.)

क्षतिग्रस्त चरपटिया बांध को अविलम्ब ठीक कराना

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मारवाड़ जंक्शन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्षतिग्रस्त चिरपटिया बांध को अविलम्ब ठीक कराने की आवश्यकता की ओर सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री जीवराम कटारा (राज्य मंत्री सिंचाई) माननीय अध्यक्ष महोदय तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार हैं :

चिरपटिया बांध तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली का प्रशासनिक तखमीना मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपये 36.94 लाख का राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 6006 दिनांक 20–1–79 के द्वारा स्वीकृत किया गया था, तथा तकनीकी स्वीकृति 23.852 लाख रुपये की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान के पत्रांक 1564 दिनांक 1–[illegible]–80 के द्वारा प्राप्त हुई थी तथा उक्त कार्य वर्ष 1979–80 में प्रारम्भ किया गया था तथा मार्च, 1982 में कार्य पूर्ण हो गया था, उक्त बांध की कुल भराव क्षमता 91,67 एम. सी. एफ. टी. एवं उपयोगी भराव क्षमता 89.52 एम. सी. एफटी. तथा सिंचाई 826 हैक्टेयर में करने का प्रावधान था।

यह बांध वर्ष 1982 की अतिवृष्टि से 18 अगस्त, 1982 को चैन 35 से 65 के बीच कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया। बांध के टूटने पर राज्य सरकार से गठित जांच कमेठी द्वारा जांच की जाकर प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया। इस बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से में पुनर्निर्माण एवं पूरे बांध में सुरक्षा हेतु रीमाडलिंग करने के कार्य का प्रस्ताव व तखमीना अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ–62 (ए. सी. ई.) जयपुर 1887 दिनांक 16–6–83 द्वारा रुपये 14.76 लाख की अनुमानित लागत का स्वीकृत किया। इसके रीमाडलिंग व रेस्टोरेशन के कार्य को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग चैन 35 से 65 का व दूसरा भाग चैन 98 से 123 का। दूसरे भाग चैन 98 से 123 का कार्य 26-12-83 को पूर्ण हो गया था। प्रथम भाग चैन 35 से 65 के कार्य के लिए भी ठेकेदार को आदेश दिया गया। इस अनुबन्ध के अनुसार इस कार्य को आरम्भ करने की तिथि 29–12–83 थी व कार्य पूर्ण करने की तिथि 28–6–84 थी। इस भाग में बांध कई जगह से टूट गया था, अतः गाँव वालों को यह भय था कि यदि बांध इस जगह वापिस मरम्मत किया गया तो बांध में कई जोइन्ट रह जायेंगे तथा बांध के टूटने का खतरा रहेगा। गाँव वालों ने इस निर्माण का विरोध किया तथा केन्द्रीय सिंचाई मंत्री को व राजस्थान राज्य के सिंचाई मंत्री को ज्ञापन देकर यह मांग की कि जगह-जगह टूटे हुए बांध की मरम्मत नहीं की जावे तथा इस हिस्से में नया बांध बनाया जावे।

उपरोक्त मांग को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की दुबारा जाँच की गयी तथा आर. डी. से 1950 मीटर तक बांध की नई पाल नये एलाइनेन्ट पर बनाने का प्रस्ताव बनाया।

इस प्रस्ताव से निम्न फायदे पाये गये :

1. नई पाल बनाने में पुरानी पाल की तरह कोई जोइण्ट नहीं पड़ेंगे।

2. बांध में 0.76 एम. सी. एफ. टी. अतिरिक्त पानी संग्रहित होगा।

3. गाँव वालों की नई पाल बनाने की मांग भी पूरी हो जायेगी।

(श्री जीवराम कटारा)

गांव वालों के एतराज के कारण एवं डी. आर. डी. ए. द्वारा इस कार्य हेतु बजट आवंटन न होने के कारण ठेकेदार ने कार्य शुरु नहीं किया। अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत, जोधपुर के पत्र क्रमांक लेखा 11/803–806 दिनांक 17–1–85 द्वारा मुख्य अभियन्ता सिंचाई राजस्थान, जयपुर को लिखे गये पत्र से स्पष्ट है कि इस कार्य हेतु बजट आवंटन जनवरी 1985 तक नहीं किया गया।

इस बदले हुए स्थान पर ठेकेदार को कार्य शुरु करने को कहा गया तो वह अपनी पुरानी दर पर ही कार्य को करने को तैयार हो गया। फिर उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–7) विभाग (विशिष्ट योजना–संगठन) के पत्रांक एफ–22 (7) कृषि/वियो/7/डीडीपी/84 दिनांक 17.1.85 के द्वारा आवंटित बजट राशि रुपये 19·31 लाख में यह नोट अंकित किया गया था कि चिरपटिया सिंचाई परियोजना पर व्यय आयुक्त मरु विकास, जोधपुर के निरीक्षण एवं स्वीकृति के बाद ही किया जावे। आयुक्त, मरु विकास द्वारा दिनांक 6.1.85 को साइट का निरीक्षण डी. आर. डी. ए. सिंचाई विभाग के अधिकारियों, स्थानीय सरपंच एवं ग्रामवासियों के साथ किया गया एवं उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 15-2-85 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं तदनुसार ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दिये गये एवं परियोजना निदेशक को अधिशाषी अधिकारी के पत्रांक 15862 दिनांक 20-3-85 द्वारा रूपये 19·75 लाख की राशि हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया गया परन्तु परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली ने अपने पत्रांक लेखा/डी. आर. डी. ए./पाली/1858 दिनांक 26-3-85 के द्वारा कार्य को रोकने हेतु लिखा गया तथा पत्र के साथ विशिष्ट योजना संगठन जयपुर द्वारा जिलाधीश को प्रेषित तार की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई जिसमें कार्य को तुरन्त बन्द करने के निर्देश दिये गये थे। उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-7) विभाग विशिष्ट योजना संगठन के पत्र क्रमांक प. 22 (2) कृषि वियो/7/83 दिनांक 7–5–85 में सूचित किया कि बांध का कार्य जब तक आवश्यक निर्णय उनके विभाग द्वारा नहीं ले लिया जाता है, पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जावे। तदनुसार कार्य तभी से बन्द पड़ा है।

उक्त कार्य का संशोधित तखमीना रुपये 79·40 लाख का मय लागत अनुपात 1·53 : 1 का बनाकर अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पाली के पत्रांक कैम्प जयपुर/स्पे-1 दिनांक 26-3-91 को अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता सिंचाई राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया है। इस कार्य पर अब तक 42·88 लाख रुपये का खर्चा कर दिया गया है।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक टी/डीडीपी/एफ-143/सप्तम/1215 दिनांक 15-2-91 द्वारा निर्देश दिये गये कि चिरपटिया के कार्य को 1991-92 के डी. डी. पी. प्लान में सम्मिलित किये जावे। इसकी पालना में इस कार्य को डी. डी. पी. को 1991-92 के वार्षिक प्लान में प्रस्ताव डी. आर. डी. ए. को प्रस्तुत किये गये परन्तु इस कार्य को डी. डी. पी. के 1991-92 के प्लान में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(श्री जीवराम कटारा)

अधूरे कार्यों की संख्या काफी अधिक होने के कारण इन्हें पूरा करने के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। साधनों की कमी को देखते हुए ज्यों-ज्यों राशि आवंटित होगी, त्यों-त्यों इन अधूरे कार्यों को पूरा किया जायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रीजी ने जानकारी दी है कि ग्राम चिरपटिया वालों के ऐतराज के कारण इस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया गया। यह जो जानकारी दी गई है, यह बिल्कुल असत्य है। बल्कि ग्राम चिरपटिया में 1982 में यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया था और इस बांध को बनाने वाले जो टेक्नीशियन थे उन टेक्नीशियनों की गलती के कारण, उनकी लापरवाही के कारण यह बांध क्षतिग्रस्त हुआ। उसके पश्चात् माननीय मंत्री महोदय, सिंचाई मंत्रीजी ने यह जानकारी दी थी समाचार पत्रों के द्वारा कि चिरपटिया बांध अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक जांच इन्क्वायरी बिठाई गई है और उस जांच इन्क्वायरी के बाद दोषी पाये जायेंगे उनको दण्डित किया जायेगा। ग्राम चिरपटिया के वासी 1982 से लगातार आज नियमित रुप से मांग करते आये हैं कि यह जो बांध है, यह उस क्षेत्र का प्रमुख बांध है। इसलिये जो मंत्री महोदय ने कहा कि गांव वालों ने यह लिखित इस प्रकार की जानकारी दी है, यह बिल्कुल असत्य है। अगर आपके पास गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह जानकारी दी गई तो सदन के पटल पर वह रखी जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह ग्राम चिरपटिया का जो बांध है, मंत्री महोदय ने यह बताया था कि वहां के मिट्टी और पानी का मिश्रण आपस में काम्बिनेशन नहीं होने के कारण यह बांध रोक दिया गया। जबकि इसी चिरपटिया के जस्ट ऊपर एक इंडिविजुअल कल्टिवेटर ने अपने स्वयं का वहां पर एनीकट बनाया है। गत वर्ष एक और इंडिविजुअल कल्टिवेटर ने एक एनीकट बनाया है जो बिल्कुल सफल है और वहां पर उसके आस-पास की जमीन भी इरिगेट होती है। इसलिये यह बात भी असत्य है।

तीसरा मेरा निवेदन है कि अनुसंधान निर्देशक (डिजाइन एवं अनुसंधान) सिंचाई राजस्थान जयपुर के द्वारा एक जांच की गई थी। क्या वह जांच पूर्ण हो चुकी है। पूर्व में मैंने गत विधान सभा में 295 के अन्तर्गत प्रश्न किया था। उसमें मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि डिजाइन के लिये यह मामला अटका पड़ा हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि यह जो डी. पी. पी. का, मरु विकास का मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का जो प्रमुख बांध है, इसको कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

चौथी जानकारी यह चाहूंगा कि यह जो बांध है, इसका पुनः जो तखमीना बनाया गया था और यह तखमीना बनने के पश्चात् कितने एकड़ कृषि भूमि इससे सिंचित होगी ? यह भी जानकारी मन्त्री महोदय से चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी. पी. पी.

(लक्ष्मीनारायण दवे)
योजना के तहत तखमीना बनाया जाकर राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्रीजी से और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि सन् 1982 के अन्दर अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया था और मात्र 36.52 लाख रुपये की स्वीकृति के पश्चात् यह बांध नगर हो जायेगा तो हजारों एकड कृषि भूमि इस क्षेत्र के अन्दर सिंचित होगी और काश्तकार इससे लाभान्वित होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

(5.10 सांय)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, यह बात सही है कि मार्च, 1982 में यह बांध पूर्ण हुआ था और 18 अगस्त, 1982 को ही टूट गया था। मिट्टी के बांध इस प्रकार के दूसरी जगहों पर भी टूटे हैं। सभापति महोदय, जहां इस प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें पानी का और मिट्टी का मिश्रण ठीक तरह से नहीं होता है, वह किस प्रकार से इफेक्टिव हो, मैं इसकी जांच करवा रहा हूं।

सन् 1982 में जो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, वह रिपेयरिंग का काम उस ढंग से नहीं हो, यह किसानों और गांव वालों ने ही रोका था। उसकी रिपेयरिंग नहीं होकर के उसके बाद में उसका डिजाइन नया बनाया और नई डिजाइन के अनुसार ही यह काम होना था। हमने अभी 1990-91 में इसके लिये राशि भी मांगी थी और इसको नये डी. डी. पी. कार्यों में सम्मिलित किया जाय, यह प्रस्ताव भी हमने भेजा था लेकिन वह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। डी. पी. पी. का धन हमको दे तभी हम काम प्रारम्भ कर सकते हैं। हम तो काम करने की एजेंसी है, धन का प्रावधान हमारे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह जानकारी माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहूंगा कि जिस जांच के बारे में आप कह रहे हैं वह जांच पूर्ण हो चुकी है, अधिकारियों को बहाल किया जा चुका है।

अब मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मेरे क्षेत्र का सबसे प्रमुख डैम है, बांध है, वह 1982 में अधिकारियों की लापरवाही के कारण टूटा था। इसकी स्वीकृति आप कब प्रदान करेंगे तथा कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, जहां तक मिट्टी का एनेलेसिस किस तरह की मिट्टी बांध में आनी चाहिए, यह इस प्रकार की थ्योरिटी हमारे पास में नहीं थी। तो जिस वक्त यह बांध का निर्माण होता था उस वक्त इंजीनियर्स इस बात को सही रूप में उसका एनेलेसिस नहीं कर पाते थे कि मिट्टी कौन-सी काम में लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए इसलिए इसके बारे में प्रश्न कई प्रकार के उठते हैं। लापरवाही थी या सही एनेलेसिस नहीं होने के वजह से वह काम नहीं हुआ। जहां तक काम करने का प्रश्न है, मैं पहले

(श्री विजयसिंह झाला)

ही कह चुका हूं कि यह डी. डी. पी. से हमको पैसा मिलते ही हम काम प्रारम्भ कर देंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, यह जांच पूरी हो चुकी है और अनुसंधान निदेशक डिजाइन और अनुसंधान सिंचाई राजस्थान, जयपुर ने इसकी जांच पूरी कर दी थी और पूरी करने के बाद यह रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। ऐसा विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मुझ को ज्ञात हुआ है और यह मिट्टी और पानी का मेल है और इसमें बांध वहां पर उसी स्थान पर बनाया जा सकता है। ऐसी जानकारी मुझ को उपलब्ध हुई है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि इस बांध को आप कब प्रारम्भ करेंगे? जब रिपोर्ट या आपको......

श्री विजयसिंह झाला : इसीलिए तो यह सही है और डिजाइन बन चुकी है। हम प्रपोजल भेज चुके हैं। पैसा हमको नहीं मिला है...(व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय.....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी सदन में विराजमान है। यह हमारा सौभाग्य है मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस डेम की स्वीकृति का मुझे आश्वासन दें और मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यह आश्वासन देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिना पैसे का आश्वासन दे सकते हैं आप।

एक माननीय सदस्य : यह तो बजट मिलने पर काम हो जाएगा, तो बजट कब मिले काम कब हुए, यह तो एक्सप्लेनेशन दे दीजिए।

पानी के तेज कटाव से पर्वत श्रृंखलाओं में जमीन का कटाव

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र मामूली बरसात से ही पर्वत श्रृंखलाओं के पानी के तेज बहाव होने के कारण जमीन के कटाव से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, अरावली पर्वत की श्रृंखला से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र और जमवा रामगढ़ तहसील और जयपुर तहसील के हजारों बीघे से भी ज्यादा.....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ध्यान आकर्षित कर दिया। वक्तव्य दे दो आप...

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमीन कट चुकी है। न खेती के योग्य है और बंधे फूट चुके हैं।

श्री सभापति : पहले वक्तव्य सुन लीजिए फिर उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सम्पतसिंह (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, राज्य सरकार के जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा भू-संरक्षण तथा बीहड़ सुधार कार्य विभिन्न केन्द्र प्रवसित योजनाएं जैसे राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम, कन्दरा विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम व सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार ने पृथक मापदण्ड रखे हुए हैं।

बीहड़ सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत टोंक व जयपुर जिले को शामिल नहीं किया गया है। अतः इन जिलों में बीहड़ सुधार का कार्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जयपुर जिला मरुस्थल विकास कार्यक्रम या सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत भी जयपुर जिला नहीं आता। अतः इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी भू-संरक्षण कार्य जयपुर जिले में नहीं किये जाते। पंचायत समिति, आमेर में सिंचित रकबा जोत रकबे के 30 प्रतिशत से अधिक है......

श्रीमती उजला अरोड़ा : आमेर नहीं, मैंने जमवा रामगढ़ कहा। मेरा प्रश्न जमवा रामगढ़ का था।

श्री सम्पतसिंह : जी, जमवा रामगढ़ और आमेर भी बराबर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों बताइये।

श्री सम्पतसिंह : दोनों ही बताऊंगा। राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम में भी पंचायत समिति, आमेर सम्मिलित नहीं होता है।

राज्य योजना में भू-संरक्षण कार्यों के लिये अलग से कोई प्रावधान नहीं होने के कारण जयपुर जिले में भू-संरक्षण के इन कार्यों को कराना संभव नहीं है। जयपुर, टौंक व दौसा जिलों में भू-संरक्षण कार्य के लिये लगभग 40 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनाकर भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिये भेजी गई है। यदि यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो जयपुर जिले में बीहड़ सुधार के कार्य करवाये जा सकेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, 1981 और उससे पहले भूमि में कटाव प्रारम्भ हुआ। अरावली की पर्वत श्रृंखला आपने भी देखी है, जहां से फोल टाइप पानी गिरता है वहां पर कटाव होता है। रेतीली जमीन है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम जयपुर, टौंक, दौसा में लागू करना चाहिए था। यह बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि जिलों में पूर्व से स्वीकृत है। अभी-अभी पिछले दिनों कोटा में कन्दरा सुधार कार्यक्रम के नाम से करोड़ों रुपये की स्वीकृति कर दी गयी थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी इसी प्रकार के कटाव हैं। जैसे कि कोटा में कन्दराएं बन गयी हैं। यह कोई हजारों बीघा जमीन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जयपुर ग्रामीण की और आस-पास की कट चुकी हैं। किसानों के पास, किसी के पास एक बीघा जमीन, किसी के पास डेढ़ बीघा जमीन बाकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी हालत बहुत खराब है अगर इस कार्य में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में गड़बड़ होगी और वह शहर की ओर भागेंगे। शहर में भी रोजगार कहीं मिलता नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिन बंधों का मैंने उल्लेख किया है वह सिंचाई के क्षेत्र में नहीं आते हैं। छोटे बंधे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक साथ तीन बंधे, डगरावाल, नीमडेवाल और खटीकोंवाल बांध, तीन बांध टूटकर और साइवाड़ के बंधे में गिरे और चारों बांध एक साथ बह गये। गांव की स्थिति यदि आप देखें, इतनी भयावह है, मुंडला का बांध, जिसको मैंने बराबर प्रयास किया है कि किसी तरीके से गवर्नमेण्ट ले ले। इस काम को करे। सड़क मुंडला के किनारे आकर रुक गयी जो पी. डब्ल्यू. डी. बना रही थी। उन्हें बांध का कार्य देने से मना कर दिया। रास्ता बांध पर होकर है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, गांव वाले कहां से जाय। 40 गांव उस सड़क से जुड़ने चाहिए थे और बांध के ऊपर से रास्ता है। कोई अन्य रास्ता जाने का नहीं है। करीब-करीब 80 फुट नीचे उतर कर और 80 फुट ऊपर चढ़ कर के गांव वाले न तो बीमारी की हालत में शहर आ सकते हैं, न दवा के लिए जा सकते हैं, न एक पीपा गेहूं लेकर चढ़ सकते हैं, तो इतनी भयावह स्थिति है।

आपने जो योजना बनाई है और मैं सरकार से कहना चाहूंगी पुरजोर शब्दों में कि यह योजना स्वीकृत करायें किसी भी तरह आप भू-संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आप इसमें पैसा लगायें अगर यह······

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहती हूं कि आपने, आपके विभाग ने पूर्व में मेरे ही इलाके का जो नरपतियावास का गांव दो टुकड़ों में फस गया और जो 15 किलोमीटर की आने-जाने के रास्ते में चढ़ने लायक इसीलिए हो गयी है। उसमें आपने भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से कार्य किया, वह किस योजना से किया? मैं निवेदन करना चाहूंगी, इसी प्रकार आपने इन्द्रगढ़ के बांध में कार्य किया। वह किस योजना के माध्यम से किया? उसी योजना के माध्यम से आप इन अन्य कार्यों को ले सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए। मेरा निवेदन है, गांव वाले बेहद परेशान हैं। रास्ते नहीं, बांध नहीं और तमाम कटाव-ही-कटाव···

श्री सभापति : आपने प्रश्न पूछ लिया। जवाब आने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट।

मेरा इन कन्दराओं से परिचय नहीं था। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं गयी तो इस तरह से, एकदम से शेर की तरह से नीचे उतर जाओ और फिर ऊपर चढ़ो। मैं सोचती कि मैंने बीमा क्यों नहीं कराया। मैं बीमा करा कर जाऊं। रोजाना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गांव वालों की क्या स्थिति होगी ? मंत्री महोदय उत्तर दें कि इन गांवों को आप किसी विविध खर्च के माध्यम से या अन्य खर्च के माध्यम से ले सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी······सभापति महोदय, आप इसका सर्वे करायें, अगर आप कन्दरा सुधार कार्यक्रम में माही में रुपया ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सवाल पूछ लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मुझे उत्तर दें, क्या आपके विभाग ने इसका हवाई सर्वे कराया है वह आपके पास है, आपने देखा है ? यदि नहीं कराया तो उसको और करा लें जिससे इस क्षेत्र की जो आप मदद कर सकें, करें। माननीय उत्तर दें।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : जयपुर जिले का मामला है।

श्री सभापति : आप भी पूछ लीजिये। एक मिनट बैठिये, मन्त्री जी। आप भी पूछ लीजिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि भू-संरक्षण योजना के तहत जयपुर और टौंक के साथ ही क्यों भेदभाव किया जा रहा है ? जबकि जयपुर और टौंक के अन्दर बहुत लम्बा चौड़ा अच्छा क्षेत्र है। कई तहसीलें हैं जहां मिट्टी के कटाव से खेत वह जाते हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं लेकिन भू-संरक्षण विभाग की ओर से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते। मेरा निवेदन है कि क्या जयपुर और टौंक को भी आप इस योजना में लेंगे और लेंगे तो कब तक लेंगे, कब तक इस योजना में जोड़ दिया जायगा ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सम्पतसिंह : माननीय सभापति महोदय, ऐसे तो जमवारामगढ़ के भाग्य नहीं कि माननीय सदस्या के किसी कन्दरा में या किसी सड़क से गिरने से प्राण पखेरू उड़ जायं। जो इन्होंने लांछन लगाया है पिछली सरकार पर और वर्तमान सरकार पर कि इनके यहां काम नहीं हुआ, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा काम जमवारामगढ़, में, आमेर में हुए। जहां तक इन्होंने नरपतियावास·····

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो बता दिये जो हुए। मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने तो जो कार्य हुए हैं उसमें आपकी प्रशंसा की है और यह कहा है उसी आधार पर बाकी कामों को ले लो, मेरे प्राण पखेरू बचाओ।

श्री सम्पतसिंह : ठीक बात है। यह इन्होंने बांध का नाम लिया, नरपतियावास में आर. एल. ई. जी. पी. और जे. आर. वाई. में अकेले वर्ष 1987-88 में 3·018 लाख रुपया खर्च हुआ। इसी तरह से 11 परियोजनाएं आपके यहां बनीं जो ब्यौरेवार मैं सुनाऊं, सभापतिजी, तो सदन का वक्त जाया होगा और आपकी आज्ञा हो तो सुना दूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बता दीजिये ना, पता तो पड़े कौन-कौनसी हैं।

श्री सम्पतसिंह : नम्बर वन…

श्री सभापति : आप बाद में बता दीजियेगा उनको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बता दें, आपको क्या दिक्कत है ?

श्री सभापति : समय का अभाव है, माननीय सदस्या, आप जानती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लम्बे-लम्बे प्रपत्र, उत्तर, प्रश्न हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोली। इसको घोलिए मत, मुझे 11 की 11 परियोजनाएं बता तो दीजिये। बताने दें।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : सभापतिजी, मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री सम्पतसिंह : नम्बर वन, लाखेर एनीकट, आमेर, अकाल राहत, आर. एलई. जी. पी. और जे. आर. वाई, 87-88 में 1.013 लाख, नम्बर दो बोडासर, आर एल. ई. जी. पी. जे. आर. वाई, 88-89, 3.526 लाख रुपया। नम्बर तीन, ढेकला, फेमिन, आर.एल.ई. जी. पी, जे. आर. वाई, 1.948. नरपतियावास बता ही दिया। जगमालपुरा, फेमिन, आर. एल .ई. जी. पी. जे.आर. वाई. 85-86 में 2.962, पाली में फेमिन, आर. एल. ई. जी. पी.जे. आर. वाई. 86-87 में 3.08, साऊ में आर. एल. ई. जी. पी. 87-88 में 3.308, बस्सी डकोना 85-86 में 1.40, महंगी 85-86 में 3.229, अनूपपुरा पी. डी. आमेर 0.063, साहिबरामपुरा पी. डी आमेर 0.580, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया, माननीय प्रकाश बैरवा साहब ने भी जिज्ञासा जाहिर की, अभी-अभी, सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तहत हमारे अनबन की बातें चल रही हैं। एक ही पखवाड़े पहले हमने जयपुर, टौंक, दौसा तीनों जिलों के लिये, जैसा माननीय सदस्या को विदित होगा कि वाटर शैड के प्रोग्राम वहीं लिये जा सकते हैं जहां 30 फीसदी वर्षों से कम वर्षा होती हो। तो इसमें निश्चित रूप से जयपुर नहीं आता, आमेर भी नहीं आता, जमवारामगढ़ भी नहीं आता। इसीलिये सरकार ने यह चिन्ता जाहिर की और अपनी कोशिश की है कि दूसरी संस्थाओं से, जो ऊपर मैंने निवेदन किया, उन सारे पांचों प्रोग्राम के तहत जयपुर जिला फिर भी नहीं सम्मिलित हो पाता तो भी विशेष योजना बनाने के बाद हम पूरी-पूरी उम्मीद करते हैं और चालीस करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता तीन जिलों के लिये, भू-संरक्षण के काम हम निश्चित रूप से पूरे करवायेंगे शुरू कर पायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं निवेदन करूंगी, जो वाटर शेड के बारे में आपने बात कहीं, यह बहुत पुराने आंकड़े आपके पास हैं, नये आंकड़े आपके पास नहीं हैं, नम्बर एक।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, उन्होंने आने वाली योजना की सारी बात

(श्री सभापति)

बता दी। अब इस चर्चा में कुछ शेष रहा नहीं।

श्री सम्पतसिंह : यह वह काम हैं जो उस वक्त स्वीकृत हुए थे और अब जारी हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नये आंकड़े मंगा लें उन आंकड़ों में जयपुर, दौसा, टौंक मैं समझती हूं, आ जाने चाहिये और जयपुर तो निश्चित आ जायेगा जैसा मैंने अनुमान लगाया है। मैं इंजीनियर तो हूं नहीं, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं मानती हूं कि अगर आप ताजा आंकड़े लेंगे तो इसमें आपको पायेंगे। मैं जब तक आपसे निवेदन करूंगी, मूण्डला में बांध की स्थिति बेहद खराब है जहां जा आ नहीं सकते किसी प्रकार भी। तीन किलोमीटर रेतीली नदी में जाना पड़ता है जहां फोर व्हील की गाड़ी भी नहीं चलती। एक दीवार उसकी टूटी है उसको आप किसी प्रकार भी मरम्मत कार्य में लें, ऐसा आश्वासन दें। बाकी योजना में कहीं मेरे को भी चलना पड़े, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं।

श्री सम्पतसिंह : मैं वचन देता हूं आपकी मरम्मत से पहले मूण्डला बांध की मरम्मत हो जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह मंत्रीजी मरम्मत करना चाहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं इनकी दादी की उम्र की हूं। दादी की उम्र की तो मैं हूं और यह मुझको अम्मा कहते हैं। मरम्मत तो मुझे करनी पड़ेगी इनकी, ऐसा लगता है।

श्री सम्पतसिंह : इसलिये कि भरतपुर जाये बीस-बीस साल हो जाते है आपको।

नील गायों से हो रही फसलों की क्षति

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अचला राम, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री टीकमचन्द कान्त, श्री अमृतलाल, श्री सुरेन्द्र गोयल, श्री गुलाब सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण दवे, श्री प्रभुराम रासिया, श्री जगजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा राज्य के अधिकांश जिलों में नील गायों से फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री अचलाराम : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : ध्यान आकर्षित कर दीजिये, फिर मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अचलाराम : हां, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : सभापति महोदय, उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इस बात में कहीं कोई असत्यता नहीं है कि नील गायों ने फसलों को तबाह करने में बडा भारी जो है वो किया है। बड़ी भारी नील गायें हैं।

एक माननीय सदस्य : रोजड़े हैं यह नील गायें नहीं हैं।

श्री लालचन्द डूडी : इनके लिये सरकार ने उनको रोकने के लिये शिकार की परमिशन दी है। पहले तो परमिट लेने के लिये जयपुर आना पड़ता था अब जिला लेवल पर जिला अधिकारी को इसके लिए पावर दे दिया कि वह परमिट दे दें।

(5.30 सांय)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप वन मंत्री हैं, जीवों की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो बहुत गलत हुआ। शिकार के लिए परमिट दे दिया फसल की रक्षा करने के और भी उपाय हो सकते हैं सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए आप : मंत्री जी का वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए फिर प्रश्न पूछ लीजिएगा। आपको मैं समय दूंगा, आप विराजें।

श्री सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहूंगी, सदन भी स्पष्ट होना चाहेगा कि आप वन मंत्री है, वन मंत्री का कर्तव्य जंगली जीवों की सुरक्षा करने का है, मरवाने का नहीं। इस विभाग को मारने का काम या तो मुख्य मंत्री को सौंपते या कृषि मंत्री को सौंपते आपका काम तो जीवों की सुरक्षा करने का है इसलिए आप कहां जबाव देने खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूरा होने दें, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि एक अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि में नील गाय का शिकार परमिट जारी करने का हमने आदेश दे दिया और जैसा माननीय सदस्या कह रही थी कि हमारा काम तो वन्य जीवों को बचाने का है उसके बावजूद भी मैं यूं समझता हूं कि वन्य जीवों की जिन्दगी को बचाना तो हमारा कर्तव्य है लेकिन उस किसान की फसल को बचाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम उस जानवर की कीमत मे ऊपर किसान को उजाड़ना नहीं चाहते इस वास्ते हमने परमीशन दी है और नील गाय की प्राब्लम केवल राजस्थान की नहीं है, थ्रू-आउट इंडिया यह प्रोब्लम है इसके बाद भी यदि माननीय सदस्या हमें बतला दें कि नील गाय के उत्पात से किसानों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप राय दे दें, हम वह काम कर देंगे।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति जी, नील गाय को मारने की बजाय एक निश्चित जंगल के एरिया में छोड़ दिया जाय। गाय को नहीं मार सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, मैं केवल उन्हीं को इजाजत दूंगा जिनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया विराजें। श्री अचलाराम जी।

श्री अचलाराम (देसूरी) : सभापति जी, नील गायों का आतंक जिस प्रकार से पाली जिले में फैला हुआ है, किसान रात भर नींद नहीं ले सकते ग्राम मानीगड़ा और राजपुरा में जन सम्पर्क के दौरान में गया तो एक युवा किसान ने यह बात कही कि हम नील गायों का सारा नुकसान बरदाश्त कर लेते हैं, इन रोजड़ों के सारे नुकसान को बरदास्त कर लेते हैं लेकिन एक बार मंत्री महोदय हमारे साथ आकर बैठ जायें और देखें तो 25-30 नील गायें झुण्ड के रूप में खेतों में घूमती है और अधपकी फसल को खा जाती है, बेकार और नष्ट ज्यादा करती है उसका क्या इलाज होगा। दूसरी बात, आप नाराज मत होना सभापति जी, मंत्री महोदय पर युवा वर्ग बहुत नाराज है उनमें भी वही वर्ग नाराज है जो नवविवाहित है। उनका कहना है कि हम रात भर खेत में बैठे रहते हैं और दिन भर खेत में काम करें लेकिन इन रोजड़ों के कारण.......

श्री सभापति : कृपया आप प्रश्न पूछिये भाषण मत दीजिए।

श्री अचलाराम : मेरा एक निवेदन है कि मैं वहां के डी. एफ. ओ. से मिला कुम्भलगढ़ में तो उन्होंने बताया कि हम पहला प्रयोग यह करने जा रहे हैं कि उस जंगल के, अरावली पर्वतों की घाटियों में जहां से जंगली जानवर निकलते हैं, वहां तारबन्दी करने जा रहे हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित करने जा रहे हैं सभापति महोदय, नील गाय एक बार बाहर निकलने के बाद मैदान में ही विचरण करती है, वापिस पहाड़ में नहीं आती।

श्री सभापति : उसके मारने के आदेश दे दिये हैं, अब प्रश्न कहां रह गया।

श्री अचलाराम : सभापति महोदय, मारने के आदेश देना इलाज नहीं है किस-किस जानवर को मारोगे ?

श्री सभापति : आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं। जंगल से निकल कर मैदान में आ गये तो इनकी टेरीटरी से बाहर निकल गये। (व्यवधान)

श्री अचलाराम : सभापति महोदय, मार्मिक प्रश्न है, इसके ऊपर थोड़ा बोलने दीजिए। इन नील गायों के आतंक के कारण किसान परेशान है इसलिए में निवेदन कर रहा हूं कि जो मैदानों में आ जाती हैं तो वापिस नहीं जाती और वहीं रहती हैं.....

श्री सभापति : विराजें, आपका आ गया। ध्यानाकर्षण हो गया। श्री अमृतलालजी।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 2-3 साल से हमारे एरिया की हालत ऐसी खराब है। गई बार फसल अच्छी हुई तो नील गायों ने चौपट कर दी उससे पहले

(श्री अमृत लाल)

अकाल पड़ा था। गई बार की विधान सभा में भी यह प्रश्न उठा था लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। रात भर किसान अपने खेतों में खड़ा होता है सर्दी मरता है। बिजली गायब होती है उसके बावजूद भी खड़ा होता है। ज्यों ही रात को दम भर को सोता है तो नीलगाय उसके खेतों में घुस जाती है और पूरा खेत साफ कर देती है। कई बार हमने यह प्रश्न उठाया था इतना करने के बाद भी सरकार ने इसका इलाज क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

आपको मालूम नहीं, वह रोजड़े हैं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आप लोग गाय मरवाने का आदेश दे रहे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया। मंत्री जी का वक्तव्य हो गया, कोई पाइंटेड प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।

श्री अमृतलाल : सभापति महोदय, किसान के खेत को कैसे बचाया जावे हमारा यही पाइंट है और इसका तुरन्त इलाज होना चाहिए, आपसे यही निवेदन करते हैं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, नील गायों की जो समस्या है वह काश्तकारों के लिए गम्भीर समस्या है। इनका नाम नील गाय जरूर है परन्तु उनको रोज कहते हैं। ये 4 महीने में दो बार बच्चे देती है और जहां गाय का प्रश्न है इसके दो थन माननीय सभापति महोदय

श्री सभापति : यह समस्या सारी आ गई। पाइन्टेड प्रश्न हो तो पूछ लीजिये जो माननीय मंत्री जी कर सके।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरी बात सुन लीजिये। माननीय सभापति महोदय यह पाली जिले

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चार माह में दो बार बछड़े देती है

श्री सभापति : रामेश्वर जी, बोलने दीजिये इनको। आपको ज्ञान बहुत है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : कम से कम इतनी बात तो कहें जो जिनाइन हो कि चार महीने में दो बार बछड़े देती है।

श्री सभापति : यह मंत्री जी जवाब दे देंगे। आप इसमें क्यों उलझते हैं?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, ये राम के पुजारी गो हत्या के आदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिलेवार गो हत्या के आदेश देती है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है।

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, काश्तकारों के लिए और विशेषकर पाली जिले के लिए यह समस्या गम्भीर है। खेतों के अन्दर काश्तकार को रात भर तो जागरण करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन है, जो हमारे पाली जिले में अरावली पहाड़ है, उस पहाड़ों।....

(5.41 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

...के अन्दर चारों तरफ तारवन्दी करवाकर इन नील गायों को वहां छुड़वा दिया जाय और चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाय ताकि काश्तकारों का नुकसान न हो। रात-दिन काश्तकार मेहनत करते हैं और जिस समय फसल तैयार होकर आती है उस समय ये जंगली जानवर और ये रोज उन फसलों को खा जाते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह काश्तकारों के लिए इतनी गम्भीर समस्या है और गम्भीर समस्या बनी हुई है इसका कोई न कोई निराकरण कराया जाय। मैं यह नहीं कहता कि नील गाय को मार दिया जाय या नील गाय को मारने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस दिया जाय परन्तु मेरा यह निवेदन है कि इन नील गायों की सुरक्षा के लिए, काश्तकारों की समस्या के लिए कोई न कोई निदान किया जाय। अरावली पहाड़ों में किसी प्रकार से बेरीकेडिंग किया जाय या भरतपुर या अलवर के अभ्यारण्य में छुड़ाने की कोई न कोई व्यवस्था की जाय ताकि काश्तकारों की जो भी पैदावार होती है, यह नील गाय खा जाती है। यह एक बड़ी समस्या राजस्थान के काश्तकारों के लिए बनी हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको गम्भीरता से लेते हुए कोई न कोई उपाय या उपचार की व्यवस्था करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाबसिंह जी। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : पहले इसमें जिसके सवाल है उनको अलाउ किया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये सारे सत्ता पक्ष के बैठे हुए हैं

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हां आप बोलिये गुलाब सिंह जी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : राजपुर क्षेत्र में भी इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है जिसको आप स्वयं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं विधायक नहीं था उस समय भी अखबारों के माध्यम या रेडियो के माध्यम से सुना और पढ़ा कि विधान सभा के सदन में यह चर्चा समय-समय पर उठती रही है और नील गाय का आतंक न केवल पाली जिले में बल्कि पाली, जालौर, सिरोही, अजमेर, सवाई माधो-

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

पुर उदयपुर हर जगह, राजस्थान के हर क्षेत्र में, हर कोने में नील गाय की समस्या बहुत विकट रूप में है। हम नहीं कहते कि इनको मारे क्योंकि गाय का शब्द इनके पीछे जुड़ा हुआ है हालांकि यह गाय नहीं है। गाय नौ महीने में एक बार बछड़ा देती है, यह चार महीने में दो बार बछड़े देती है लेकिन 2 और 3 बछड़े। यह 4 महीने में दो बार बछड़े देती है, यह हकीकत है। आपको मालूम नहीं है, हमको पता है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह चार महीने में बछड़ा देती है और 2 या 3 एक साथ देती है जब कि गाय एक बछड़ा ही देती है। इसके दो थन होते हैं। यह गाय दूध नहीं देती है।......

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और मेरा तो यह प्रस्ताव है कि इन सारी नील गायों को माननीय ऊर्जा मंत्री को दे दी जाय। चौपाया चार महीने में बछड़ा नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष : आजाद साहब, आप उनको बोलने दीजिये न (व्यवधान) बिराजिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह समस्या गम्भीर है काश्तकारों के लिए

एक माननीय सदस्य : यह गाय नहीं है तो बछड़ा कहां से आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ भी नहीं है कि राजस्थान विधान सभा के सर्वोच्च सदन में यह मामला उठे और सरकार खुद इसका कारगर हल ढूढ़े। काश्तकार अकाल से पीडित, कभी बाढ से पीडित, कभी ओलावृष्टि से पीड़ित, कभी दाब पड़ जाता है और इस तरह काश्तकार भी अगर थोड़ी बहुत फसल रह भी जाती है तो उस रोजड़े को, जो घोड़े हैं काश्तकार इनको न तो काबू में कर सकता है और करने का प्रयास करता है तो झुण्ड के झुण्ड, 25-25 या 50-50 नील गायों के झुण्ड उस काश्तकार को भी भगा देते हैं, उनके डर से खेतों से बाहर चला जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। हमारा निवेदन इतना है, इन पर तुरन्त काबू पाने के लिए अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में इनके लिए गैम सेंक्चुअरी बना दी जाय या जो अभ्यारण्य है उनमें इनको भेजा जाय, इनके लिए बाराबन्दी की जाय। जिस तरह भी सम्भव हो या ऊंची से ऊंची तारबन्दी की दीवार बनाई जाय। काश्तकारों को यह सुविधा सुलभ कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा जी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत गम्भीर है। मेरा सबसे पहले तो एतराज और विरोध है और पुरजोर शब्दों में विरोध है कि मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि शिकार इन रोजड़ों को मारने के लिए स्वीकृति और लाइसेंस दे रहे हैं। यह मेरा पुरजोर शब्दों में विरोध है कि किसी भी कार्य को करने के लिए संहार कोई जरूरी नहीं है। यह निश्चित बात है कि रोजड़ों की समस्या बहुत गम्भीर है। और तो और यह बहुत चटोरी है, यह मीठी-मीठी फलियां

(श्रीमती तारा भण्डारी)

खाती हैं, मूंगफली खाती है, अच्छी से अच्छी फसल खाती है। खाती है उसका भी कुछ नहीं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय रोज आपस में लडना शुरू कर देती है, एक घन्टे तक भी नहीं थकती और किसानों की फसल को बिना हल के एक घन्टे में जोत देती है उपाध्यक्ष महोदय जब ये रोज लडने लगती है। और तो और मेरे जिले में एक समस्या और भारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बिराजे हुए हैं। काश्तकारों की सारी को सारी टोपीदार बंदूके जिला प्रशासन ने जमा करवाकर रखी है। अब इन रोजडों को भगाने के लिए काश्तकार के पास कोई साधन नहीं है। आज वैज्ञानिक युग है उपाध्यक्ष महोदय, यह जानवरों के मारने का युग नहीं है। आज बहुत सारी बेहोशी की दवाइयां आती है। इन रोजडों को बेहोश करके गैम सैंक्चुअरी बनाया जाय या इन्हें अभ्यारण्य में छोड़ा जाय या इनके लिए अलग से बाड़े बनाये जायं परन्तु यह समस्या का निदान नहीं है। आज रोजडों को हिन्दी भाषा में नील गाय कहते हैं, इनको मरवाने का लाइसेंस दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, समस्या बहुत गम्भीर है, कायदे से ही इनका निदान किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जगजीत सिंह जी। आर्डर प्लीज। यह डिबेट नहीं है। जिनका काल अटेंशन मोशन नहीं है, उनको अलाउ नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पडता है, निवेदन करना पडता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप डिस्कशन करवा रहे हैं क्या ? इस पर डिबेट करवा रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना ली जायेगी बेनीवाल साहब। प्रश्न पूछ रहे हैं और वह उसी तरह से आ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने तो डिबेट शुरू करवा दी।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य कई लोग इसको नील गाय समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है यह एंटीलो फैमिली से सम्बन्धित है। यह गाय नहीं है। इसके दो थन होते हैं। यह गाय की तरह गोबर नहीं करती, ये मीगणें करती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री जगजीत सिंह : इसलिए अगर किसी माननीय सदस्य को

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये आप। यह प्रश्न ही है।

श्री जगजीतसिंह : यदि ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये रोज हैं या गाय है तो फिर मुझे बताना तो पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह इसी प्रकार आएगा।

श्री जगजीत सिंह : अब मैं मंत्री महोदय से सवाल पूछूंगा, मंत्री महोदय ने पर-

(श्री जगजीत सिंह)
मिट सिस्टम शुरू किया है। शूटिंग परमिट की राशि क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : गोविन्द सिंह जी। आप बोल रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में रोजडों की जो समस्या है, वह न केवल राजस्थान में बल्कि और भी बहुत सारे प्रान्तों में बहुत व्यापक हो गई है। इन रोजडों को जिस समय संरक्षित सूची में लिया गया था…

श्री उपाध्यक्ष : ये पूर्व वन मंत्री रहे हुए हैं। अपने अनुभव बता रहे हैं। सुनिए प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जिस समय संरक्षित सूची में लिया गया था, उस समय ये रोजड़े लुप्त प्रायः थे और यह मानकर कि इनकी नस्ल खत्म हो रही है, इस बात को सुरक्षित करने के लिए कि यह नस्ल खत्म न हो, इनको संरक्षित सूची में लेकर इनके मारने पर पाबन्दी लगाई गई लेकिन इस अन्तराल में, 72 के बाद जो सूची बनी और इनके मारने पर पाबन्दी लगी। जिस रफ्तार से इनकी संख्या बढ़ी है, मैं समझता हूं, जो शहर के लोग हैं वे इस बात को नहीं समझेंगे। कुछ लोग नील गाय का नाम लेंगे कुछ और लेंगे। यह एक हिरण की प्रजारित है न तो इसके गाय की तरह सींग होते हैं। न और कोई इसमें सिमलरिटी है। यह बिल्कुल तय बात है कि यह हिरण की एक प्रजारित है और यह इतनी बड़ी संख्या में बढ़ गई है। मैं अपने इलाके की बात कहता हूं। जैसे कि अभी अचलारामजी बता रहे थे…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका असर इतना होने लग गया कि आदमियों में भी रोज होने लग गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मदेरणा साहब क्या कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मुख्य मंत्रीजी से यह पूछता हूं कि यह जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके शैड्यूल वन में राज्य सरकार कोई भी अमेण्डमेण्ट नहीं कर सकती। शैड्यूल टू के अन्दर आप किसी भी जानवर को शैड्यूल एक में स्टेट गवर्नमेण्ट को डिसक्रेशन है। तो यह नील गाय की बात आ रही है, यह कौन से शैड्यूल में थी ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : टू में।

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहरिये। टू की ए में कैसे आ गई। फोरेस्ट मिनिस्टर आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं और यह उस वक्त आया, जब मैं मिनिस्टर था। मुझे मालूम है। क्योंकि चिकारा को मैंने रखा था। कई जानवरों को मैंने शैड्यूल (ए) में रखा था। इसलिए यह शैड्यूल एक में थी या शैड्यूल दो में है, एक बात और अगर शैड्यूल एक में है और आपने रखी है तो शैड्यूल एक से आपको बाई नोटिफिकेशन शिकार के लिए उसको निकालना पड़ेगा by notification under section 16 or 17 of the Act. मुझे यह मालूम नहीं है कि कौन सा एक्ट है और अगर इसकी डेफीनेशन के अन्दर इसका नामेनक्लेचर क्या है अगर शेड्यूल में नामनक्लेचर आपने गाय दिया है तो गाय, बछडा सांड को न तो एक्सपोर्ट कर सकते हो और

(श्री परसराम मदेरणा)
न मार सकते हो, न इनजर कर सकते हो। इनजरी भी करोगे तो उसमें ढ़ाई साल की सजा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में यह शेड्यूल तीन में है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, गोविन्दसिंह जी गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं निवेदन कर रहा था कि जब इनकी संख्या इतनी ही ज्यादा हो गई, तो यह प्रायः लुप्त जाति नहीं है। इस समय सवाल किसानों का है। मुख्य मंत्रीजी वास्तव में समस्या बहुत भयंकर है। इतनी मेहनत से लोग पैदा करते हैं और उस फसल को एक घन्टे में चौपट करके चली जाती है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये समस्य है। इसकी समाधान क्या है? समाधान बताइये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं वही बता रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इनको इस सूची से बिल्कुल निकाल दिया जाये।

श्री केदार नाथशर्मा : इसका अगर फैमिली प्लांनिग कर दिया जाये। आप मुझे बताइये कि इसकी लाइफ कितनी है। इसका रेट आफ ग्रोथ क्या है और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर देंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैमिली प्लानिग कराके कई आदमी बैठे हैं, उनका भरोसा नहीं है आज।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं निवेदन कर रहा था कि जितने भी उपाय हो सकते थे, इसको बाड़े में बन्द करके, इनको गोली लगाकर, बेहोश करके, इनको कम करने की संख्या, इनको अभ्यारण्य में ले जाने की बातें, वह सब की गई। यहां तक हुआ कि दिल्ली से कुछ लोगों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप इनको जाल में बाधकर ले जाकर कहीं छोड़ दीजिए। लेकिन यह उस जाल को तोडकर भी चली जाती हैं। दीवार आप नौफिट की भी बना लो, उस दीवार को जम्प करके भी यह चली जाती हैं। ऐसी हालत में मैं वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको इस कैटेगरी से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाये ताकि काश्तकार अपनी फसल की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो इनको मार सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय टीकम चन्द कांत।

श्री टीकम चन्द कांत : भारत और उसकी आत्मा हत्या तथा शिकार स्वीकार नहीं करती। यह बिल्कुल सही है कि एक वर्ग इससे खुश होगा। लेकिन एक वर्ग किसानों में भी ऐसा बैठा है जो इसकी हत्या और शिकार को स्वीकार नहीं करता। हम इस सम्पूर्ण देश का शासन चलाने वाले लोग हैं। हमने न मालूम कितनी सारी कमेटियां बनाई हैं। आज हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, जो हमको ऐसा हल बता देंगे कि इनको मारना भी नहीं पड़े और इनकी सुरक्षा भी हो जाये। विश्व वन्य जीव सुरक्षा संगठन वह भी आपके सामने आयेगा कि ऐसा मत करो और जो यहां अहिंसा

(श्री टीकम चन्द कांत)

परमो धर्म पर चलने वाले लोग हैं वह लोग भी आपको कहेंगे कि इकको मत मारो। सरकारी आदेश मारने का है, यह उचित नहीं है। लेकिन यह प्रयोग बचपन में भी हमने कई गांवों में देखा है। आप लोगों ने भी देखा है

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझाव आमंत्रित किये हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : उनको पाला जा सकता है और उसके बाद फैमिली प्लानिंग का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग जालौर जिले के सायला गांव में हो चुका है। इसी कारण से इनको खतरों से भी बचाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्दर उसको मारने की छूट देंगे। उसमें मारने की छूट नहीं देंगे। उसके किनारों पर आये हुए तलहटो के खेतों के अन्दर जब यह मारी जायेंगी, उस समय डी एस. ओ. क्या करेंगे। इससे किसानों के लिए समस्या हो जायेगी। इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय मदन कौर जी।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, नील गाय को मारने का लाइसैंस देने में इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। आप खुद जानते हैं कि नील गायों के झुण्ड के झुण्ड बनकर आते हैं और दो, चार किसानों के लिए उनको मार पाना सम्भव नहीं है। इनको नील गाय कहकर आप सहानुभूति भले ही अर्जित कर लें लेकिन यह एक मसकूलर जानवर है और हमारे यहां इसको रोज के नाम से ही पुकारते हैं। अब या तो वन विभाग इसकी बड़ी-बड़ी सेन्च्यूरी बनाये और 20-30 फीट कंटीले तारों की बाड़ बनायेंगे, तभी यह रुक सकेंगे अन्यथा इनकी तो जम्पिंग कैपिसिटी भी बहुत है। नहीं तो मेरा एक सुझाव है कि पाकिस्तान सीमा पर यह सरकार गायों की तस्करी तो रोक नहीं पा रही है, तो इन गायों की जगह नील गायों को विकल्प के रूप में आप क्यों नहीं प्रस्तुत कर देते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोपाल सिंह जी।

श्री गोपालसिंह (आहौर) : उपाध्यक्ष महोदय, वह क्या नुकसान करती है, यह तो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि सभी बता चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हां बोलिये।

श्री गोपालसिंह (आहौर) : इसके लिए में रेमेडी बताना चाहता हूं और उसकी दो रेमेडी हैं। एक तो यह है जिसके अन्दर फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के अलग से ग्रुप बनायें, पार्टी बनायें, एक अलग से डिपार्टमेण्ट बनायें। जो डॉट के रूप में इसमें एक गन आती है जिसके अन्दर जानवर को बेहोश किया जाता है। उनको स्टेलाइज किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह हास्यास्पद बात नहीं है। इनका स्टेलाइजेशन हो सकता है और यह एक फ्लोक के अन्दर दो, तीन मेल्स होते हैं, उनमें से अगर स्टेलाइज कर दिया जाये तो वह पार्टीज गांवों में जीप लेकर घूमे और छह, आठ महीने का कार्यक्रम कर

(२५)

(श्री गोपाल सिंह)

दिया जाये, तो उसमें ही यह सारा हो जायेगा। उसको बिल्कुल खत्म नहीं होने के लिये आप चाहें तो एक, दो मेल छोड दें, जिससे उसका कलिंग भी हो जायेगा और उसको मारना भी नहीं पड़ेगा। छह महीने के लिए आप यह कार्यक्रम कर देंगे तो स्टेलाइजेशन होना सम्भव है।

श्री उपाध्यक्ष : आप लास्ट वक्ता होंगे। आप बोलिये। बिराजिये आप।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : उपाध्यक्ष महोदय, समस्या पूरे गांव के अन्दर है और जाट और बिश्नोई तब के के लोग ऐसे हैं जो मारने से डरते हैं। इस समस्या का समाधान सिवाय मारने के और कोई नहीं है इसलिए वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में से जब तक इसको नहीं निकाला जायेगा, उससे पहले यह समस्या हल नहीं होगी। कहीं पर भी आप ले जाओगे तो उसको क्या खिलायेंगे, क्या करेंगे, गवर्नमेण्ट ऐसा खर्चा क्यों करेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न एक यह है कि वन मंत्री जी ने जैसा कहा कि इसको शिकार करने की छूट दी गई और लाइसैंस दिये गये, तो अब तक राजस्थान में कितने लोगों को लाइसैंस या परमिट जारी किये गये। नम्बर, 2, लाइसैंसधारियों ने अब तक कितने रोजड़ों का शिकार किया है? यह दो मेरे प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। वन मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया ही नहीं।

(600 सायं)

श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के बारे में मेरा सुझाव है कि जहां राज्य सरकार के फार्म हैं, मेरे क्षेत्र हनुमानगढ में एक कोला फार्म है जो काफी बड़ा है। इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं कि सैंकडों की तादाद में वहां रोजड़े हैं और जो आसपास के काश्तकार हैं उनकी फसलें चौपट कर देते हैं। तो मेरा सुझाव है कि कम से कम राज्य सरकार के जो फार्म हैं उसकी तारबन्दी कर दी जाय तो उनकी फसलें बच सकती हैं। इस पर राज्य सरकार ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, इस नील गाय के बारे में हाउस के अन्दर काफी चिन्ता दिखाई दी। दोनों तरफ की बातें, दो तरह की बातें आयी। एक तो बडी भारी चिन्ता है सब माननीय सदस्यों की कि इस रोग ने किसान को खेती को उजाड़ दिया। मुझे तो यहां तक कहा गया, कि न्यूली मेरिड लोग तो बहुत ही ज्यादा गालियां देते हैं क्योंकि सारी रात उनको वहां बैठे रहने पड़ता है नहीं तो उनकी फसलें खतम हो जाती है।

(श्री लालचन्द डूडी)
एक तो यही बात है। दूसरी बात, इसके इलाज की बात आ रही है तो अलग अलग की बातें आ रही है। कुछ लोग इस के पक्ष में थे, उन्हें वाकई इस बात का दुःख है कि उन्हें नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान पहुंचने के दुख दर्द से वे चिन्तित है। यह लोग तो साफ कह रहे हैं कि इसको मार देना चाहिये इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कुछ एक लोग जो अपनी भारतीय संस्कृति और अहिंसा के बारे में कहीं ज्यादा चिन्तित हैं वह इसको जोड़ते हैं गाय के साथ। जबकि गाय का इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गाय की प्रजाति का यह पशु है ही नहीं लेकिन फिर भी कुछ एक लोग अपनी उनकी सेन्टीमेण्ट्स के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करते कि इसको मार दिया जाय। मैंने इस बारे में ऐसा पहले हाउस में कहा कि हमें कुछ सुझाव दें, माननीय सदस्य जैसे सुझाव देंगे उस हिसाब से हम बात करेंगे। अभी एक सुझाव आया है कि जिस तरह से दूसरे जो जंगली जानवर हैं, उनको पकड़ने के लिए उनको गंध से बेहोश किया जाता है उसके बाद उनको काबू किया जाता है। उस तरह से भी इनको पकड़ कर अगर स्टरलाइज किया जाय तो यह भी एक तरीका हो सकता है। बाकी यह बात है कि कहीं किसी सेन्च्युरी में या कहीं बाड़े में इनको बन्द करके रखा जाय। यह कोई व्यवहारिक सुझाव नहीं है, यह कहीं पोसिबिल नहीं है। मैं हाउस के सामने यह निवेदन करता हूं कि समस्या अकेले राजस्थान की नहीं है। इसकी समस्या इतनी पंजाब में है, इतनी हरियाणा में है, इतनी यू. पी. में, इतनी गुजरात में है। हर जगह यह समस्या है। इस समस्या के जो कारण हुये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : पंजाब में नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : इसमें दर असल क्या हुआ है कि जब इकोलोजीकल बैलेंस खत्म हो जाता है उस वक्त कहीं कहीं गड़बड़ पैदा होती है। यह सियार, भेड़िये, गीदड़, इनका नम्बर जब खत्म हुआ, ये चूंकि इनके छोटे बच्चों को खा जाया करते थे और जब यह खा जाया करते थे तो इनकी बढ़ोतरी इस हिसाब से नहीं होती थी। और इसकी खाल की तस्करी के लालच में ज्यों ही लोगों ने सियार और भेड़िये को मार दिया और उनका नम्बर खत्म हो गया तो अब इनका नम्बर बढ़ने लगा और इनका नम्बर बढ़ने से यह ज्यादा नम्बर में फैल गये और फसल को नुकसान कर रहे हैं। अब इस स्थिति के अन्दर एक यह भी विचार आया कि सियार, गीदड़ का नम्बर बढा दिया जाये, कुछ एक लोगों की तरफ से आया है कि यह अगर ज्यादा हो जायेंगे तो इनके छोटे बच्चों को खा सकते हैं।

तो इस बारे में जहां तक आपने पूछा कि कितने परमिट दिये गये। वर्ष 1988–89 के अन्दर दो दिये गये थे, 1989–90 में 4 दिये गये थे। कितने जानवर मारे गये, मैं नहीं कह सकता लेकिन परमिट केवल 88–89 और 89–90 में छह दिये गये थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वर्ष 1990–91 में 91

श्री लालचन्द डूडी : इसमें भी दो परमिट दिये गये थे। तो इसमें कितने जानवर मारे गये। मेरे ख्याल से इन दो दो परमिटों से इनका नम्बर खत्म नहीं होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्रीजी कोई परमिट रिजेक्ट किया क्या?

श्री लालचन्द डूडी : कोई नहीं किया, सब को दे दिया। जो मांग रहे थे उन सबको दे दिया। तो ऐसी स्थिति के अन्दर अब इस बारे में काफी गम्भीर मसला बन गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमिट देने से भी केवल 1990-91 के अन्दर कुल दो परमिट लोग लेने के लिये आये हैं। तो इसका मतलब शिकार का परमिट देना भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हो रहा है। इस बारे में विचार करेंगे और एक्सपर्ट से बात करेंगे कि इसका क्या इलाज किया जा सकता है। उस तरह का सरकार इलाज करेगी और मैं माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करूंगा कि आप भी कोई सुझाव दें तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुख बन्द का समय साढ़े छह बजे तक का निर्धारित किया था। अगर चर्चा लम्बी चले तो समय बढ़ा दिया जायेगा। मेरा आपसे 8 बजे तक इसको बढ़ाने का निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में मुख्य सचेतकजी कर लेंगे।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

सवाई मानसिंह अस्पताल में हाइड्रोफोबिया से मृत्यु

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : नियम 50 के अन्तर्गत संगठित से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में बालक की हाइड्रोफोबिया से मृत्यु जो हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रतिवेदन का उपस्थापन करना था।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक में आयेगा। बाद में है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार है—

दिनांक 8-8-1991 को 24 घण्टे की अवधि के कुत्ते के काटे के 22 रोगी आये थे जिनमें से 8 को सर्जिकल ओ. पी. डी. में अटेण्ड किया गया एवं 14 को एक्सीडेन्टल एमरजेन्सी सेवा में उपचार किया गया। इनमें से तीन बालक क्रमशः सर्व श्री नीतिन गुप्ता 9 वर्ष, प्रतीक 6 वर्ष एवं जेतराम 5 वर्ष को प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में परीक्षण के पश्चात् भर्ती किया गया। इन्हें 3 बजकर 20 मिनट अपरान्ह भर्ती किया गया था। इनमें से श्री नीतिन गुप्ता के मुंह पर बांयी तरफ एवं बायें कान पर कुत्ते ने काटा था। श्री प्रतीक गुप्ता के चेहरे पर होटों के पास बांयी तरफ बांयें बाजू एवं बांयें पैर पर कुत्ते के काटे जाने के जख्म थे। श्री जेतराम को भी कुत्ते ने मुंह पर नाक के पास और ललाट पर काटा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

था। श्री प्रतीक के साथ आये अभिभावक के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कुत्ते ने प्रतीक को दिनांक 8-8-1991 को 2 बजकर 30 मिनट अपराह्न काटा था एवं इसी कुत्ते ने अन्य व्यक्तियों को भी काटा था। कुत्ता पकड़ा नहीं जा सका।

प्राथमिक परीक्षण के पश्चात् उक्त तीनों बालकों का ग्रेड थर्ड डाग बाइट अर्थात् अत्यन्त गम्भीर मामला था। चेहरे के होट नाक वाले क्षेत्र को डेनजर्स एरिया कहा जाता है क्योंकि यहां से रक्त दिमाग से आने वाले रक्त से घुल मिल जाता है। श्री प्रतीक गुप्ता को प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भर्ती होने के बाद वहां के रेजीडेण्ट डाक्टर ने उसी समय देखा और इंजेक्शन टेटग्लोब 250 एम. जी., इंजेक्शन रेबीपोर चिकिनबेस्ड और इंजेक्शन एम्पीसिलीन 250 एम. जी. तुरन्त दिये गये। इंजेक्शन टेटग्लोब टिटनेस से बचाव के लिये लगाया जाता है।

इंजेक्शन रेबीपोर से हाईड्रोफोबिया से बचाव होता है और इंजेक्शन एम्पीसिलिन लगाने से साधारण इंजेक्शन से बचाव होता है। घाव को सेवलोन से साफ किया गया तथा पोटेशियम परमेगनेट से ढक कर रखा गया। यही उपचार श्री नीतिन गुप्ता और जीतू को दिया गया। चेहरे पर हुए घाव तथा थर्ड डिग्री बाइट को देखते हुए चिकित्सकों ने अभिभावकों को इंजेक्शन बेरीरैब लाने को कहा गया था। यह इन्जेक्शन एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिलिन है, जो मानव कोशिकाओं पर निर्मित किया जाता है तथा रेबिज के वायरस को दिमाग की कोशिकाओं पर फिक्स होने में अवरोध उत्पन्न करता है किन्तु यदि रेबीज वायरस ने दिमाग के सेल्स पर प्रभार कर दिया है, तो यह पूरी तरह रोकथाम नहीं कर सकता।

श्री नीतिन गुप्ता एवं प्रतीक गुप्ता के अभिभावकों द्वारा बेरी रैब वैक्सीन दिनांक 9.8.91 को 4:30 अपराह्न पर लाकर दी गयी। एनेस्थीसिया के लिये रोगी को 6 घण्टे भूखा रहना होता है परिणामस्वरूप उक्त तीनों बालकों, सर्व श्री नीतिन, प्रतीक एवं जीतू को दिनांक 9.8.91 को रात्रि 10.45 पर आपरेशन के लिये ले जाया गया तथा डाक्टर ए. भटनागर, एम सी एच. सीनियर रेजीडेण्ट द्वारा इनका आपरेशन किया गया। श्री नीतिन गुप्ता का पहले, आपरेशन किया गया उसके बाद प्रतीक व उसके बाद जेतराम का। यह तीनों आपरेशन रात्रि 3.45 पर समाप्त हो गये। डाक्टर भटनागर जिसने तीनों बालकों का आपरेशन किया था उन्होंने बताया की बेरीग्लोब इम्यूनोग्लोबिलिन दो वायल्स में लाये गये थे तथा प्रत्येक वायल में 750 इन्टरनेशनल यूनिट थी इस प्रकार इम्यूनोग्लोबिलिन की मात्रा 1500 (इन्टरनेशनल यूनिट) आई. यू. हो गयी थी। इम्यूनोग्लोबिलिन आधा घाव पर लगाया जाता है और आधा शरीर के अन्य भाग पर। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार 20 आई. यू. प्रति किलो बोडी वेट लगाया जाना चाहिए। सबसे बड़े बच्चे का अनुमानित वजन 25 किलो था। दूसरे बालक का वजन भी लगभग 20 किलो था तथा तीसरे बालक का वजन लगभग 13 किलो था। इस प्रकार श्री नीतिन गुप्ता व श्री प्रतीक को 37 प्रत्येक को 500 आई. यू.

188

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

लगाया जाना था। इसमें से आधा तो उन्हें घाव पर और आधा उन्हें कूल्हे पर लगा दिया गया। इसका उल्लेख दोनों के बेड हैट टिकिट पर किया हुआ है।

श्री जीतू जो एक निर्धन बालक था और जिसके अभिभावक बेरीरेब खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसके लिये यह इन्जेक्शन नहीं लाया गया किन्तु 750 इण्टरनेशनल यूनिट (आई. यू.) की वायल्स में जो 250 इम्यूनोग्लोबिलिन प्रत्येक वायल से बची थीं उन्हें दो अलग-अलग इन्जेक्शनों में लेकर एक जीतू के घाव में व एक उसके कूल्हे पर लगा दी गयीं थी। उसमें गलती यही हुई कि डाक्टर भटनागर को दोनों अभिभावकों से पहले यह पूछ लेना चाहिए था कि वे बचे हुए इम्यूनोग्लोबिलिन को निर्धन रोगी को लगाने की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं। यदि वे नहीं भी देते तो भी दोनों वायल्स में दो दवा बची थी उसका कोई उपयोग नहीं होता और वह बेकार जाता। यह केवल दयाभाव से की गयी कार्यवाही है और इसमें श्री जीतू के अभिभावक द्वारा किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ हो, ऐसा नहीं लगता क्योंकि उनकी परिस्थिति इन्जेक्शन खरीदकर लाने की थी ही नहीं। उसके लिये तो रैबीपोर एवं टेटग्लोब इन्जेक्शन लगाने के लिए भी चन्दा करना पड़ा था और उसमें डाक्टर भटनागर, डाक्टर अनिल गर्ग, कन्हैयालाल जो कुष्ट रोग का रोगी था तथा एक अन्य कम्पाउण्डर ने प्रत्येक रु. 50/- का चन्दा दिया था। ओ टी. रजिस्टर में कुत्ते के काटे हुए केवल तीन रोगियों का आपरेशन होना पाया गया है। डिस्चार्ज टिकिट में केवल नीतिन गुप्ता के मामले में इन्जेक्शन बेरी ग्लोब लगाये जाने का उल्लेख है किन्तु बेड हैट टिकिट में कन्सलटेशन रिकार्ड में आपरेशन के समय की गयी कार्यवाही में बेरी ग्लोब घाव पर लगाये जाते और बाद में इन्ट्रामस्कूलर लगाये जाते तीनों का उल्लेख है। कुल मिलाकर इन मामलों में डाक्टस द्वारा कोई लापरवाही भी गई हो या उनके सामने कोई अण्डर कन्सीडरेशन रहा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

यह सही है कि डिसचार्ज टिकट पर केवल नीतिन गुप्ता के मामले में ही बेरीरेब लगाये जाने का उल्लेख है और जैतराम एवं प्रतीक गुप्ता के मामले में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसकी जांच कर ली गयी है। वस्तुतः जिसने डिसचार्ज टिकिट बनाया है वह एक नये प्रशिक्षित चिकित्सक सुश्री महेश्वरी हैं और उसने डिसचार्ज टिकिट बनाते समय बेड हैट टिकिट के आधार पर पूरा विवरण नहीं लिखा। यह अनुभव नहीं होने के कारण भूल है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें से दो बालकों की मृत्यु हो गई है और तीसरा भी अभी अण्डर डेन्जर में है। इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता आज भी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तीसरे बच्चे को भी इस प्रकार का रोग नहीं हो। इस बारे में और निवेदन करना चाहता हूं कि बेरी-रेब के निर्माताओं का यह मानना है कि यह दवा शत-प्रतिशत निरोधक नहीं है। 3 से 4 प्रतिशत मामलों में इम्यूनोग्लोबिलिन लग जाने के पश्चात् भी हाइड्रोफोबिया हो सकता है और रोगी की मृत्यु हो सकती

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी),

है। अगर यह इमिजेट लगा दिया जाए तो प्रतिरोधात्मक प्रगति जल्दी हो जाती है क्योंकि 24 घण्टे बाद यह इन्जेक्शन लगाया गया इसीलिए मृत्यु के चांसेज को पूरा इग्नोर नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल जी,

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो दो बच्चे मरे हैं, मैं उनके परिवार से नहीं, जो बच्चा बच गया है उसको मैं खुद देख कर आया हूं। नीतिन से मिलकर आया हूं। मैं आज सुबह नीतिन को विद्या निकेतन स्कूल, जो पास में है, हैड मास्टर के सामने देखकर आया हूं, किसी तरह का का कोई चांसेज नहीं है। डाक्टरों की कहानी बनाई हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो घटना हुई है उसमें मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर को बचाने के लिए, ठीक है डाक्टर ने कुछ नहीं, किया मैं कहना चाहूंगा जिस बच्चे प्रतीक को वहां भर्ती कराया गया उसको दो बजकर 25 मिनिट पर ले जाया गया उसके बाद रेबीपोर लगा दिया और उसके बाद टेटग्लोब लगा दिया और साढ़े आठ बजे यह कह दिया कि तुम यह इंजेक्शन लेने दिल्ली जाओ। वह दिल्ली से बेरीरेब लाने के लिए चल दिये। दूसरे दिन ढाई बजे दो इंजेक्शन ले आये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर वजह जो आज डाक्टर कहते हैं कि 24 घण्टे से पहले खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उन्होंने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? आते ही चाहिए था कि मसक्युलर पार्ट तो लगा देते, जो आपरेशन का पार्ट है वह बाद का है। मसक्यूलर पार्ट होता है तो खतरे की बात नहीं होती। उन्होंने आर्थटिक कहीं रेबीपोर पहले लग गया और बेरीरेब का इंजेक्शन उसके बाद लग जाय, तो इट ईज इम्पासिबल टू डाई। वह इंजेक्शन 1550 रुपये का है। हाइड्रोफोबिया हो नहीं सकता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि वह बच्चा जिस बच्चे को उन्होंने भर्ती कराया है वह बेहोश था। ताज्जुब की बात यह है कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने कहा है 6 घण्टे पहले तक भूखा रखना पड़ता है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, जिस समय बच्चे को कुत्ते ने काटा है उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया। अस्पताल में भर्ती हुआ दो बजे और आपरेशन हुआ दूसरे दिन बजे। आप समझते हैं कि उसको लाते हो तीन बजे आपरेशन कर देते तो उससे पहले तो कुछ खाया नहीं था अस्ताल में भर्ती थे। तीनों ने कुछ नहीं खाया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहानी घड़ी गयी यहां।

इस मजदूर के बच्चे को भी उन्होंने लगा दिया इंजेक्शन। ताज्जुब की बात है। मजदूर के बच्चे को इंजेक्शन अगर लगा दिया होता तो वह मजदूर जो चाकसू का बेलदार है, वार्डों में नहीं फिरता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1500 रुपये में इन्जेक्शन आता है, मैं वह इंजेक्शन लाऊंगा दिल्ली से जाकर। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जिसका बच्चा 6-7 साल का हो और उसको पता लग जाय कि खतरा है जिन्दगी को तो उस बाप की क्या हालत होती है, सोच नहीं सकते। जिसकी स्थिति पैदा होती है वही जानता है। जिसका बच्चा था, जिसका पोता था उस परिवार से मिलकर आया हूं मैं। जब आपरेशन किया गया तो उनको नर्स पूछने आती है कि कितने रुपये मैं आता है यह इंजेक्शन, इसके कितने रुपये लगते हैं। क्या मतलब था पूछने का? क्या बात थी पूछने की कि कीमत पूछी गयी? 22 आदमी वहां भर्ती थे, किसको रैबीपोर लगा है, किसको टैटग्लोब लगा है और किसको बैरीरैब लगा है, इसका कोई रिकार्ड नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, डाक्टरों के हाथ में रिकार्ड है, वे नोट्स में जो मर्जी आए लिख सकते हैं। जब तक वह मरीज डेड रहा उस रिकार्ड में उन्होंने लिख दिया। एक और तथ्य जो छुपाया गया हाउस से वह यह है कि किसी जूनियर डाक्टर ने यह डिस्चार्ज स्लिप बनायी है। यह बिल्कुल गलत है। जो डिस्चार्ज स्लिप बनी है वह सारे 22 लोगों की बनी है। 22 की डिस्चार्ज स्लिप में एक जगह भी गलती नहीं है, एक लाइन की भी। इसकी गलती किस तरह से हुई? अगर यह शिकायत उसी दिन कर देता, मुझे समझ में आता। शिकायत कब की? उस प्रतीक गुप्ता के फादर ने जो क्लर्क हैं, 26 तारीख को शिकायत की। 26 तारीख को उसको पता लगा, 15 दिन बाद। ये कहते हैं कि पांच दिन में दिमाग चढ़ जाता है क्योंकि जोन ऐसा है उस जोन से फौरन रैबी के कीटाणु चले जाते हैं और दिमाग में एक्टिव हो जाते हैं। निश्चित तौर से आपकी बात सही है, लेकिन अगर एक्टिव हो जाते हैं तो वह 3-4 दिन में मर जाना चाहिए। अगर एक्टिव होकर उसके दिमाग में चले जायं तो निश्चित तौर से नितिन, और वे जिनके टैटग्लोब लगा है। वे मर जाते। वे मरे 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद उनकी रक्षाबन्धन के दिन मृत्यु हुई है। दोनों उन्हीं की मृत्यु हुई है जिनको यह इंजेक्शन नहीं लगा। यह है बात। उनके टिकटों पर नहीं है। ये कहते हैं कि लगा दिया हमने लेकिन टिकटों पर नहीं है, तो क्या यह बात है कि दोनों के ही टिकटों पर नहीं लगे?

माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपने इस हाउस में अनाउंस किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एस. एम. एस. अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप करोड़ों रुपए की दवाइयां वहां मंगाते हैं। वह दवाई आप मंगाकर नहीं रख सकते जिससे इंसान बच सकता है? क्या ये घटनाएं होती नहीं? इस तरह की घटनाएं नहीं होतीं? उस गुप्ता ने तो वह 1500 रुपए खर्च करके मगा लिया लेकिन बेलदार रोता फिरा गली-गली 1500 रुपए के लिए। उसको 1500 रुपए नहीं मिले और उसका बच्चा मर गया। क्या इस तरह की व्यवस्था राजस्थान सरकार नहीं कर सकती? असल में बात यह है कि यह डाक्टर मनोहर के पास गया 26 तारीख को। गया इसलिए नहीं कि शिकायत करनी थी, इसलिए गया कि इसको किसी ने वहम डाल दिया कि तेरे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

र लगी है बच्चे को। बच्चा मर गया। बुखार चढ़ा 23 तारीख को, 24 को बुखार रहा और 25 को बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो डाक्टर तोमर ने कहा कि "इट इज इम्पासिबल"। जब जाकर देखा कि मर गया तब उन्हें महसूस हुआ कि वाकई इस इंजेक्शन के लगने के बाद भी मर सकता है। यह कहानी बनायी। मैं आपसे अर्ज करूं कि यह 26 तारीख को आया डाक्टर मनोहर के पास। डाक्टर मनोहर ने उसको कहा कि यह हो नहीं सकता ऐसी घटना हो नहीं सकती कि यह बच्चा मर जाय। वह लगाने आया था खुद के इंजेक्शन कि मेरे को इंजेक्शन लगाओ, शायद बच्चे की लार लग गयी है, मेरे खतरा नहीं हो। उसको इंजेक्शन लगाने की बजाय जब उसने कहानी बतायी कि यह बच्चा मर नहीं सकता तो वह भागकर गया नितिन के फादर के पास। नितिन को उसने राजी खुशी देखा, उसकी डिस्चार्ज स्लिप देखी। तब अपनी डिस्चार्ज स्लिप घर से लाया वह, उससे पहले डिस्चार्ज स्लिप नहीं लाया। डिस्चार्ज स्लिप पर जब उसने देखा कि उसकी डिस्चार्ज स्लिप पर यह इंजेक्शन लगा हुआ नहीं है, तब वह चीफ मिनिस्टर के पास गया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, 29 तारीख को चीफ मिनिस्टर के पास जाता है शिकायत करने के लिए। 8-10 दिन तक डाक्टरों को मौका मिल गया। उन्होंने लिखकर दिया कि सात दिन में इसकी इंक्वायरी हो जाएगी।

मैं समझता हूं कि अगर यह सवाल हाउस में नहीं उठता तो इसकी इंक्वायरी यह थी कि डाक्टरों ने लिख दिया और उन्होंने अपनी ओपिनिक राय दे दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में नितिन के फादर से मैं मिला हूं। नितिन के फादर इसके लिए दुबारा आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गये हैं। जो बच्चा अभी जिन्दा है उसका बाप आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंस में राय लेने के लिए गया है। इसके बारे में इंस्टीट्यूट के एण्टी रेबीज के हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने राय दी है कि इट इज इम्पासिबल, मर नहीं सकता। और मरे तो चार दिन में मरना चाहिए। उनका कहना यह है कि जब यह एक्टिव हो जाय, माइण्ड में पहुंच जाय, उसके बाद बचता नहीं कोई आदमी। क्या वजह है कि माइण्ड में पहुंच गया प्रतीक के, माइण्ड में पहुंचा रहा और 15 दिन बाद जिस दिन आया राखी का त्यौहार, उस दिन उसका दम निकल गया? 15 दिन के बाद।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम इस तरह की व्यवस्था अस्पतालों में रखेंगे और सबको छुट्टी दे देंगे, मेरा बिलकुल इल्जाम है कि इस मामले में डाक्टर्स ने गफलत ही नहीं की, इस मामले में डाक्टर्स ने यह समझा कि रेबीपोर वाला कोई मरीज नहीं मरता। डाक्टर्स की राय है कि 9 प्रतिशत केसेज में, जिसको रेबीपोर, जो 160 रुपये का आता है....

सदन की कार्यवाही

मुलतवी के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

कि अनुपूरक अनुदान की मांगों पर होने वाले मुख बन्द के प्रयोग हेतु जो समय साढ़े छः बजे का निर्धारित किया गया था उसको बढ़ाया जाय साढ़े आठ बजे तक।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का टाइम साढ़े आठ बजे तक तय किया जाय। क्या सदन की सहमति है कि मुखबन्द का समय साढ़े आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री परसराम मदेरणा : यह डिमाण्ड के पास होने का है, फिर बाद में एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, तब तो ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी न। इसलिए मुखबन्द तो रखिए साढ़े आठ बजे और समय बढ़ाइये नौ बजे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल भी तो पास करना है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह तो कार्य सूची तक बढ़ा दिया पहले।

शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : पूरा कीजिए आप। मेरी समझ में सारे तथ्य आ चुके हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही इस सिलसिले में निवेदन करना है माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से, कि जिन डाक्टर्स ने उनको आर्थण्टिक रिपोर्ट दी है कि उसके ऐसे जोन में लगा हुआ है कि दिमाग में पहुंच जाता है और उस वजह से वह मर जाता है, यह सारी की सारी रिपोर्ट डॉक्टर्स ने तैयार की है जिन डाक्टर्स ने उन्होंने अपने बचाव के लिए तैयारी की है। जांच जो करवायी है, ताज्जुब की बात है। मेरे पास इसकी आर्थण्टिक रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, कह चुके हैं आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : डाक्टर तोमर ने जांच की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, रिपीटीशन हो रहा है। आपने सारी बातें कह दी।

श्री हेतराम बेनीवाल : जांच किसने की, यह रिपीटीशन नहीं है। एण्टी रैबीज के हैड आफ दी डिपार्टमेण्ट ने, जो इस सारी चीज का जिम्मेदार है, इसकी जांच की। वही जांच करे अपने कारनामों की और वही सर्टिफिकेट दे दे कि मैं निर्दोष हूं ? इतने बड़े अस्पताल में जो घटनाएं हुई हैं, दो बच्चे जो मरे हैं उनकी आत्माएं हमसे सवाल पूछेंगी और हमने उनके परिवारों के साथ न्याय किया या नहीं किया ? हम यह देख लें कि मरने वाले मर गये और डाक्टर्स को क्यों बिगाड़ें, तो हमारी सलाह है, मैं चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी उन लोगों को…जो इसके लिए रेस्पोन्सिबिल हैं उनको सजा दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर जी, बाद में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक साथ ही जवाब आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सवाल कर रहे हैं आप ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इससे सम्बन्धित नयी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिए आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद। सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो यह है कि जयपुर जैसे बडे शहर में, जो प्रदेश की राजधानी है, बैरीरेब इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं होता। प्रतीक गुप्ता के पिता, डवलपमैण्ट डिपार्टमें यू. डी. सी. हैं, ये इंजेक्शन दिल्ली से लाये, बी. एल. कम्पनी, यूसुफ सराय, दिल्ली से। दो इंजेक्शन लाये। चिकित्सा मंत्रीजी ने बहुत हल्के उसमें यह कह दिया कि डिस्चार्ज टिकट में एण्ट्री होना भूल से रह गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो दो इंजेक्शन 3100 रुपये के प्रतीक गुप्ता और नितिन गुप्ता के पिताजी लाये, उसमें से एक इंजेक्शन केवल नितिन गुप्ता को लगाया गया।

इस विभाग के जो इन्चार्ज हैं डा. तोमर वह अपना वर्जन देते हैं। डा. तोमर इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक बार रैकलैब इन्जेक्शन और बैरीरेब इन्जेक्शन लग जाय तो हाइड्रोफोबिया हो नहीं सकता।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कहां से पढ़ रहे हैं आप, अखबार की खबर पढ़ रहे हैं ना ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : किसकी, उनकी रिपोर्ट है ये। आपने जो स्टेटमैण्ट दिया है वह है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, मैंने नहीं दिया स्टेटमैण्ट ये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जो जो आपने दिया है उसमें लिखा हुआ है कि बैरीरैब इन्जेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि रैबीज के वायरस को दिमाग की कोशिकाओं पर फिक्स होने का अवरोध उत्पन्न करता है

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, यह ठीक है। यह पहले क्या पढ़ गए ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह डा. तोमर का वर्जन पढ़ रहा हूं...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, यह ठीक है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नितिन गुप्ता के बैरीरैब इन्जेक्शन लगा दिया। 3100 रुपये के दो इन्जेक्शन, 1550 रुपये का एक दिल्ली जाकर उस लड़के के पिता लाये। दूसरे बच्चे के वह इन्जेक्शन लगाया नहीं गया। जहां तक माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह कहा कि इन दोनों इंजेक्शन्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी, इसलिए उस बचे हुए का उपयोग उस गरीब के, जो चाकसू का बेलदार था उसके

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

बच्चे के लिए किया गया। यह भी गलत है। यह दोनों बच्चे के अगर इन्जेक्शन लगा दिया जाता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। यह डिस्चार्ज टिकट, जब कोई भी मरीज अस्पताल में जाकर भर्ती होता है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उसका जो भी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग भर्ती दिया जाता है उसका डिस्चार्च टिकट में, जब वहां वह चाहे जिन्दा हालत में हो चाहे उसके मरने के बाद रिलीज किया जाए, डिस्चार्ज टिकट में मैंशन होता है। केवल नितिन गुप्ता के डिस्चार्ज टिकट में बैरीरैब इन्जैक्शन लगाये जाने का मैंशन किया गया है बाकी और दूसरे दो बच्चों के, प्रतीक गुप्ता और बेलदार के लड़के, इन दोनों के अन्दर इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कहा कि हास्पिटल में जो कार्ड रहता है उसमें मैंशन है, वह तो उनके पास रहता है। जैसे ही इन्क्वायरी होने के आदेश हुए, जब वह उनसे मिला और शिकायत की तो उसके अन्दर उन्होंने मैंशन बैक डेट के अन्दर कर लिया होगा। उसको कौन देखने जा रहा है। सवाल यह नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। अगर डाक्टर्स को बचाने की साजिस की जा रही है, जैसा स्टेटमैण्ट स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दिया। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस प्रकरण की जांच के लिए डा. तोमर को कोई जिम्मेदारी सौंपी थी, और उन्होंने जांच की क्या रिपोर्ट दी है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा श्री हेतरामजी ने कहा कि मुजरिम को ही उसकी जांच करने के लिए और खोज करने का काम सौंप दिया जाय तो उससे आप क्या इन्साफ की उम्मीद करते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से दो और निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो दो दिन पहले इस सदन में हम चर्चा कर रहे थे कि टी. बी. की 16·40 लाख रुपये की दवाइयां इस प्रकार की खरीद ली गई जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ और दूसरी तरफ राज्य में कुत्ते काटे के कैसेज में, आप एस. एम. एस. हास्पिटल का रेकार्ड उठाकर देख लें केवल जयपुर के हास्पिटल में ही 50-60 के बीच में कैसेज प्रतिदिन आते हैं और यह बैरीरैब इन्जेक्शन जयपुर में ही उपलब्ध नहीं है किसी भी दुकान में, हास्पिटल को छोड़कर, तो इसकी व्यवस्था करवायें।

दूसरा, दोषी डाक्टर्स को बचाने की कोशिश नहीं की जाय। वरना इस तरह के लोग मासूम बच्चों और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप एक तरफ तो उदयपुर में बयान दे रहे हैं कि मुझे कोई पोस्ट कार्ड पर भी शिकायत कर देगा तो उसके साथ न्याय होगा। यह इतने सारे तथ्य आपके सामने हैं, आपसे अब अपेक्षा की जाती है आप न्याय करेंगे और जो चिकित्सक दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

*श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, संगरिया से और झुन्झुनूं से आने वाले माननीय विधायकों ने इस केस के विषय में जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की है और जो उनके मन में कष्ट है उतना का उतना मन में कष्ट मुझे भी है। मैंने डा. तोमर को दो घण्टे बात-चीत के लिए बुलाया। मैंने अपने व्यक्तिगत सोर्सेज से नीतिन, प्रतीक और जैताराम के पिताजी, उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए व्यक्तियों को भेजा, उनसे रिपोर्ट मंगवाई। मैंने जो चर्चा की है (सुश्री) डा. महेश्वरी, रेजिडेण्ट डाक्टर को सुबह से लेकर अभी तक मेरे कक्ष में बैठा रखा है, चर्चा की है। डा. तोमर को भी मैंने बैठाया।

मैं एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के फैक्ट्स हैं और जो चर्चा यहां की है, यह उपचार किया गया प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमैण्ट में, जिसकी इन्चार्ज डा. मालती गुप्ता हैं ·

श्री हेतराम बेनीवाल : आप डेट बता दीजिए माननीय मंत्रीजी, यह गलत है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Let me complete.

श्री हेतराम बेनीवाल : कब, बता दीजिए? प्लास्टिक सर्जरी इसलिए की गई कि....

श्री उपाध्यक्ष : पहले कम्प्लीट होने दीजिए। फिर कह दीजिए ना। फिर मौका मिलेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्य तोड़-मरोड़ कर कह रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी इसलिए की गई कि मुंह फाड़ा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। पहले कहने दीजिए। सारे तथ्य तो गलत नहीं हो सकते। बिराजिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप और कह दीजिए जो कहना है। इनका मैं जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो सारी बात आप ही कर देंगे तो फिर आप ही करते जायं, यह क्या फिर जवाब देंगे आपको अगर आप ही कहते जायेंगे तो?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं फिर कहना चाहता हूं जिस कष्ट का अनुभव उन्होंने किया है और जितनी वेदना से उन्होंने बात रखी है उतनी ही प्रकार की संवेदनशीलता मेरी इस बारे में है। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक बात सुनूंगा और सुनने के बाद निश्चित रूप से मेरी बात कहूंगा और एक्शन भी लूंगा। आप इतनी जल्दी भी मत करिए।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपरेशन प्लास्टिक सर्जरी हैड के अन्तर्गत डा. मालती गुप्ता के रेजिडेण्ट डा. ए. भटनागर ने किया। डा. तोमर तो हैड आफ दी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के हैं। उन्होंने जांच की है, किन्तु यह कह देना

(१९६)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कि उसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने जांच की है, यह सत्य नहीं है। डा. तोमर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में जैसा झुन्झुनू से आने वाले माननीय विधायक दूसरा सेंटेंस बोले कि कोशिकाएं जमा नहीं हो जायं इस बात के लिए चिन्ता करें, पहला जो संटेंस कहा था, डा. तोमर ने नहीं कहा और डा. तोमर की फाइनल रिपोर्ट यह है कि इसहै डाक्टर्स का किसी प्रकार का दोष नहीं है, यह कान्क्ल्यूजन उनका है।

यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा कि बैड टिकट तो उनके पास होता है इसलिए चाहे जो लिख लें। यह बैड टिकट मेरे पास है। बैड टिकट छोटा नहीं होता है। बैड टिकट इतना होता है कि उसमें नक्शा भी बताया जाता है। एक के बाद एक 7 पेज का यह बैड टिकट है और एक के बाद एक कार्यवाही उसमें लिखी हुई है तीनों की, तीनों पेशेन्ट्स के बारे में, इन्हें पूरे इंजेक्शन लगाने के लिए, 3 इंजेक्शन पहले और एक इंजेक्शन बाद में, तीनों का अंकन किया हुआ है डिस्चार्ज टिकट में, उसके आधार पर बनाया जाना चाहिए। किन्तु डिस्चार्ज टिकट में सब बातें सब जगह लिखी जायं, ऐसा कभी नहीं होता है। निश्चित रूप से किया जाना चाहिए जब उसके आधार पर लिखा गया हो। और इसलिए उस रेजीडेण्ट डाक्टर को, जो बिलकुल नई हैं, सुश्री माहेश्वरी, जिसने तीनों का अंकन किया है, मैंने उसकी हैण्ड राईटिंग लिखवाई और हैण्ड राईटिंग लिखकर इस डिस्चार्ज टिकट को, उसका है या नहीं, इस बात का वेरीफिकेशन मैंने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात समझता हूं और जैसी मेरे पास यह रिपोर्ट है, यह कहना कि इसके लगने के पश्चात् डैथ नहीं होती है, असत्य नहीं है।

Journal of American Medical Association - Jan. 1988 and New England Journal of Medicine 1987. Fatal Rabies cases have been reported despite post-exposure prophylaxis (case report by Martin Stull, Roy D. Bates and Steven D Milter. This clearly indicates.

यह जनरल का है कि रैब लगने के पश्चात् डैथ नहीं हो, यह कह देना गलत है

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कब हुई है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह मैं जनरल की बात बता रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : Within four days I challenge it. I have read this decision.

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तथ्यों को....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जयपुर को छोड़कर आप जर्मन और जापान जा रहे हैं। आपने इन डाक्टर्स को मौत और यमदूत का काम सौंप रखा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं मानता हूं कि विदिन 4 डेज डैथ होती है, आफ्टर 15 डेज नहीं होती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी बात पूरी होने के पश्चात् निश्चित रूप से माननीय सदस्यों के मन में कोई बात हो तो जरूर कहें -

I will take the cognizance of i.

और कोई भी अपराधी व्यक्ति किसी भी कीमत पर नहीं बच पायेगा मैं यह भी कहना चाहता हूं। मैंने तय किया हुआ है कि 3 रिटायर्ड प्रिन्सिपल्स की इस कालेज के उनकी जांच कमेटी बनाकर इस पर दुबारा जांच करवा रहा हूं। यह मैंने तय किया है। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इस बात को, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि एक बार सारे फैक्टस आपके सामने आ जायं। यहां पर बात मेरी हो जाय, कृपया पूरी बात सुन लीजिए। प्लीज ऐसा मत करिए। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर न बच पाये। मैंने अपने आप निश्चय किया है कि 3 रिटायर्ड प्रिन्सिपल्स मेडिकल कालेजेज के जो इस बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमेटी बनाकर इस केस की दुबारा जांच करवा रहा हूं।

आज जो मेरे ध्यान में फैक्ट्स आए हैं उनको निश्चित रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसे एक जनरल की नहीं तीन जनरल की रिपोर्ट मेरे पास है और उसका कनक्लूजन भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। वैरीरेब के बारे में कि पागल कुत्ते के काटने से तीन चार घंटे के बीच में अगर यह वैक्सीन लगा दिया जाता है तो वह रोग प्रतिरोधक दवा के रूप में अत्यन्त प्रभावी होता है। जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे-वैसे इसकी प्रभाव क्षमता कम होती जाती है और सात दिन के बाद तो यह वैक्शीन लगाना निषिद्ध है। यह चार जनरल्स की रिपोर्ट के आधार पर मैं यहां कोट कर रहा हूं इसलिए यह कहना कि वैरीरेब मिल गया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, कुत्ते के काटे हुए का असर कोई एक दिन में हो जाय ऐसा नहीं है तीन महीने के बाद होने के फिर चान्सेज होते हैं, तीन साल बाद होने के चान्सेज होते हैं। I have seen so many cases.

इसलिए अब यह कहना कि एक मरता तो मुझे शंका होती किन्तु, दो की डैथ होने के पश्चात् तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि इनके जिन स्थानों पर काटा गया है वो स्थान मस्तिष्क के इतने नजदीक हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जानता हूं कि 1500 का इंजेक्शन है और राज्य सरकार ने यह विचार करना प्रारंभ किया है कि इस प्रकार दवाएं निश्चित रूप से अस्पताल में रखी जाएं और आटो फाइनेंस के माध्यम से जब कभी इस प्रकार की स्थिति हो तो इस प्रकार देने की व्यवस्था की जाए। न केवल यह दवा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बल्कि वाल्वस को बदलते हैं, मैंने तो इन वाल्वस का एक बैंक बनाने का सुझाव भी राज्य सरकार को भेजा है। अगर इसकी स्वीकृति हो गई तो वाल्वस, इस प्रकार की कुछ मंहगी दवाएं, उनके लिए बैंक बनाया जाए, स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग और लिया जाए। कुछ उनके माध्यम से इस प्रकार के बैंक बने ताकि अविलम्ब दवा आटो फाइनेंस के माध्यम से उनको मुहैया करा दी जाए, यह भी सरकार विचार कर रही है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स आपने मुझे दिए और मुझे देंगे प्रत्येक फैक्ट्स को उन तीन प्रिंसिपल्स की कमेटी को मैं निश्चित रूप से दूंगा ताकि उनका आधार लेकर इस सारे एंगल के आधार पर वह दुबारा जांच करके निर्णय करें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, इसमें मुझे दो सवाल करने हैं। एक सवाल तो यह कि माननीय चिकित्सा मन्त्री जी ने कहा है प्लास्टिक सर्जरी एण्टी रेब के लिए की गई ? एण्टी रेब का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी दो अलग काम हैं, उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। प्लास्टिक सर्जरी इसलिए की गई कि तीनों बच्चों के चेहरों पर बहुत बड़ा जख्म था इसलिए नहीं की गई कि उनको एण्टी रेब का इलाज करना है। एण्टी रेब का जो इलाज किया गया वो तो इमिजिएटली कर दिया गया। पहले दिन एण्टी पोर लगाया गया उसके लिए आपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एण्टी पोर लगाकर पहला इलाज किया गया उसका एण्टी रेब का। दूसरा इलाज, एण्टी रेब का जो है उसके बिना भी प्लास्टिक सर्जरी में घाव में उसको लगाया। माननीय चिकित्सा मन्त्री जी ने कहा कि आधा इन्जेक्शन लगता है बाई इन्ट्रा मस्क्यूलर…… (व्यवधान)।

माननीय मन्त्री जी इण्ट्रा मस्क्यूलर इन्जेक्शन आ गया दो बजे उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया, क्यों इन्तजार किया गया एक बजे रात को ? तो प्लास्टिक सर्जरी को और उसको जोड़ना बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक सर्जरी का उससे वास्ता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जांच करवा रहे हैं ना। सदन में आश्वासन दिया है कि तीन रिटायर्ड प्रिंसिपल से जांच करवा रहे हैं। मेरी समझ में टॉपिक और होना चाहिए। … (व्यवधान)।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिए। एक तो यह कहना, हाउस के सामने यह रखना कि यह तो प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट का काम था, यह गलत था। प्लास्टिक सर्जरी के बजाय यह एण्टी रेबीज डिपार्टमेंट का काम था उसी के यहां भर्ती हुए थे। उसने प्लास्टिक सर्जरी में इसलिए भेजा कि उसके चेहरे पर चीरा था। दूसरी बात यह है कि माननीय चिकित्सा मन्त्री जी ने यह कहा है कि तोमर ने यह स्टेटमेंट दिया है, जो अमेरिकन जनरल की बात करते हैं, अमेरिकन जनरल या जो लिटरेचर है एण्टी रेबीज के बारे में, उसके बारे में जो जर्मन का इन्जेक्शन है इसके बारे में यह है कि अगर यह दिमाग में चढ़

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जाए, चले जाए तो उसके बाद लगाने पर इनइफेक्टिव है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ...... (व्यवधान)।

श्री टीकमचन्द कांत : यह डाक्टरों की बात तो बाद में बताओ पहले तो इसमें कहां गड़बड़ी हुई है यह बताओ ना ... ... (व्यवधान) ... ..

इस इंजेक्शन के गुण और दोष में बाद में जाना ... ...(व्यवधान)।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक चोर को पकड़ने में मदद कर रहे हैं और आप ..... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने दो पूछने के लिए कहा था चार पूछली।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे एक समझ में नहीं आया कि उन दो बच्चों के लिए, यहां अस्पताल में जो मरीज आते हैं उसकी चिन्ता नहीं है, डाक्टरों की बड़ी चिन्ता है। सारे के सारे उन डाक्टरों के लिए चीख रहे हैं।

मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर उस इन्जेक्शन को नहीं लगाया गया दो बजे और उसको लगाया गया आपरेशन के वक्त, यह मुझको समझ में नहीं आता। उस एण्टी रेबीज का इलाज तो शुरू हो जाना चाहिए था जब इन्जेक्शन मिल गया। यह दोनों चीजें साबित करती हैं कि डाक्टर तोमर इसमें इनवाल्व हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है। मैं यह कहता हूं कि उन दोनों बच्चों के, प्रतीक गुप्ता के और तीसरे बच्चे के बेरीरेब इन्जेक्शन लगाया ही नहीं गया। इसके बारे में स्वास्थ्य मन्त्री जी आपका क्या कहना है? यह इन्जेक्शन एक सिर्फ नीतिन गुप्ता के लगाया गया, जो जिन्दा है, दोनों बच्चों के लगाया ही नहीं गया। इस सम्बन्ध में आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)।

हम एफेडेविट देंगे उसका जिसको डाक्टर ने बेचा है इन्जेक्शन .. (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह दो बच्चों की मौत का सवाल है और माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी ने भी अपने बयान में यह तो स्वीकार कर ही लिया है कि किसी न किसी स्तर पर अनियमितता हुई है या भूल हुई है या लापरवाही हुई है, इनकी मौत हुई। चूंकि माननीय मन्त्रीजी खुद अब यह कह रहे हैं कि मैं तीन रिटायर्ड प्रिंसिपल के माध्यम से इसकी इनक्वायरी कराने के लिए तैयार हूं। आपने पहले भी सीनीयर डाक्टर के माध्यम से इसकी जांच तो करवा ली अपने लेबल पर, यह भी आपने स्वीकार कर लिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि रिटायर्ड प्रिंसिपल भी तो डाक्टर ही होंगे ना कोई दूसरे लोग तो नहीं हैं .. (व्यवधान)।

मैं किसी की निष्ठा पर या उसकी नीयत पर शंका नहीं करता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनकी राय ली जा सकती है, उनका सहयोग लिया जा सकता है लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि आप हाउस की एक ज्वाइंट कमेटी

(डा. चन्द्रभान)

बनाइए और उसके माध्यम से आप जांच करवाइए यदि फैक्ट्स को सामने लाना चाहते हैं तो अन्यथा तो यही लगेगा कि मन्त्री महोदय आप इसमें क्यों उलझते हैं। माननीय सदस्यों की ज्वाइंट कमेटी होगी और तीन जो रिटायर्ड प्रिन्सिपल होंगे उनका वो सहयोग ले लेंगे और इसकी सही जांच हो जाएगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रोसीडिंग सारी उस जांच कमेटी के सामने रख दी जाएगी। आप और कोई मैमोरेण्डम देंगे, कुछ और फैक्ट्स देंगे वह भी इस जांच कमेटी के सामने रख दिए जाएंगे। तीन रिटायर्ड प्रिन्सिपल्स के बारे में जो शंका झुन्झुनू से आने वाले माननीय विधायक ने रखी है, अगर इतनी अविश्वास की भूमिका पर हम खड़े होंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हिन्दुस्तान भर के डाक्टरों को अगर डाक्टर चन्द्रभान इस केटेगरी में फेंकना चाहते हैं तो मैं तो इससे सहमति करने के लिए तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा तुरन्त आपरेशन कराने के लिए, मैंने सारे फैक्ट्स की जानकारी की पहले दिन वो बेहोश था, यह दोनों काम एक साथ आपरेशन के समय ही किए जाने हैं, इन्ट्रा मस्क्यूलर और घाव पर लगाने की, ऐसा डाक्टरी विधियों में करने का निश्चय है, ऐसा नहीं कि एकदम आधा तोरेब वहां लगा दें और आधा आपरेशन के तीन घण्टे बाद, यह नहीं है। फिर भी मेरा कहना है कि उनकी जो नालेज है डाक्टरी की दृष्टि से या साइन्टिफिक की दृष्टि से, वह अपना मेमोरेण्डम और दें। यहां की सारी प्रोसीडिंग्स, आपका रिप्रजेण्टेशन यह सारे के सारे हैंड ओवर किए जाएंगे उस कमेटी को और उस कमेटी को यह अधिकार दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इन फैक्ट्स के आधार पर निर्णय क के अपने विचार दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी जितने, डाक्टरों के शुभ चिन्तक हैं और सहानुभूति रखते हैं, मैं उनसे ज्यादा चिन्ता रखता हूं लेकिन दोषी लोग इस जांच को प्रभावित करेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हाउस की कमेटी बन जायेगी तो क्या आब्जेक्शन है। आप यदि तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं तो आपको हाउस की कमेटी बनानी चाहिए। क्यों नहीं आप इस मांग को स्वीकार करते है, हम कोई डाक्टर्स के खिलाफ नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह : डॉ. हरिसिंह और डॉ. जितेन्द्र सिंह को कमेटी का मेम्बर बना दीजिए। वह भी डाक्टर हैं। (व्यवधान) ··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ध्यान रखेंगे इसका। (व्यवधान)।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि साधारणतया यह सही है कि आपरेशन 6 घंटे भूखे रखने के बाद किया जाता है परन्तु क्या इमरजेन्सी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

केसेज में भी 6 घण्टे भूखे रखा जाता है ? आप इस बात का ध्यान रखना ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उससे काम्पलीकेशन्स नई और हो जाती है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि कल माननीय विद्युत मंत्रीजी ने यहां सदन में यह कहा था कि सदन की टेबिल पर जो विद्युत मण्डल के नीति निर्धारण वर्ष 1991-92 की पुस्तिका हैं उसको पुट अप कर रहे हैं । कल विद्युत मण्डल की चर्चा है और अभी तक उस पुस्तिका का वितरण इस सदन के माननीय सदस्यों को नहीं हुआ है । रात को 11-12 बजे तक सदन चलेगा फिर कल राजस्थान विद्युत मण्डल पर चर्चा होती है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह के वितरण में देरी क्यों होती है । इसकी व्यवस्था करवाइये ताकि जो चर्चा हो उसमें माननीय सदस्य भाग ले सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : वितरण की व्यवस्था की जा रही है ।

समिति के प्रतिवेदन

जनलेखा समिति के प्रतिवेदन

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन माननीय परसरामजी मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं, सभापति, जन लेखा समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में समाविष्ट विभिन्न अनुच्छेदों पर जुड़े हुये विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 14 प्रतिवेदन, प्रतिवेदन संख्या 33 से लेकर 46 वें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त ।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति के प्रतिवेदन

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

1. राज्य महिला सदन, शिशुगृह, राजकीय छात्रावास, बापू आश्रम एवं अनुदानित छात्रावास, जयपुर से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन, एवं

2. कोष एवं लेखा विभाग के सेवा वर्ग में लेखाकार की नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण विषयक् तृतीय प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन । श्री प्रेमसिंह दहिया ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रेमसिंह दाहिया, सदस्य, विधान सभा, जालौर जिले के उप खण्ड भीनमाल में सेशन न्यायालय तथा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय के कैम्प लगाने विषयक् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी ।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मदनलाल सैनी, सदस्य विधान सभा, झुन्झुनू जिले के उपखण्ड खेतड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन, अकाल राहत मंत्री, प्रदेश के कुछ हिस्सों में अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगी ।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में कम वर्षा से उत्पन्न अकाल की स्थिति

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की आभारी हूं कि जिन्होंने विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा अकाल की स्थिति पर चिन्ता प्रकट की । यद्यपि विभिन्न माननीय सदस्यों के प्रस्ताव किसी माध्यम से आये थे, उन्हें उत्तर भिजवा दिये गये हैं । सदन के माननीय सदस्यों ने इस वर्ष राजस्थान में वर्षा की कमी और उससे उत्पन्न स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की । विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत राज्य में अभाव की स्थिति की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया, मैं उनकी आभारी हूं ।

राज्य में इस वर्ष जहां सात जिलों, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तोड़गढ़, झुन्झुनू एवं भीलवाड़ा में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है वहीं चार जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है । बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर एवं धोलपुर । वर्ष 1991 के खरीफ में विभिन्न जिन्सों की बुवाई 96 लाख हेक्टेयर हुई है, खरीफ के लक्ष्यों की तुलना में यह बुवाई कुछ कम है । वर्ष 1990 की तुलना में खरीफ की बुवाई 30 लाख हेक्टेयर कम है । सिंचाई के तालाबों की स्थिति उदयपुर, बारां, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, बूंदी एवं बांसवाड़ा में सन्तोषप्रद है जबकि अलवर, भरतपुर, जयपुर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही सिंचाई के तालाबों में भराव की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है । इस वर्ष सामान्यतया अक्टूबर से शुरू होने वाली गिरदावरी का कार्य 15 सितम्बर से शुरू किये जाने और 30 सितम्बर तक पूरा किये जाने के आदेश दिनांक 10-9-91 को जारी कर दिये जा चुके हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगी कि 10 वर्षों में 15 सितम्बर से पूर्व गिरदावरी कभी भी नहीं करवायी गयी है सिवाय वर्ष 1987–88 में जब अकाल का बहुत ही भयंकर वर्ष था उसी में यह आदेश प्रसारित किये गये थे लेकिन इस वर्ष 15 सितम्बर से गिरदावरी के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं । गिरदावरी के परिणामों की जानकारी 30 सितम्बर को राज्य सरकार को प्राप्त होते ही राहत कार्यों के विषय में अविलम्ब कदम उठाये जायेंगे ।

पेयजल की सम्भावित समस्या को देखते हुए दिनांक 25 मई 91 को ही जिला कलक्टर को यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन ग्रामों में पांच कि. मी. की परिधी में

(सुश्री पुष्पा जैन)

कोई पेयजल स्रोत नहीं हो या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की कोई पेयजल योजना नहीं हो तो सहायता विभाग के टैन्कर्स व अन्य साधनों से पेयजल ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की योजनाओं से पेयजल की उपलब्धि नहीं हो वहां भी सहायता विभाग अपने साधनों से पेयजल उपलब्ध कराये। विभाग के पास इस समय 219 टैकर्स उपलब्ध है इन टैंकर्स की मरम्मत के लिए 29 मई, 91 को 6 लाख 71 हजार की राशि जिले को दी जा चुकी है। इसके अलावा पेयजल परिवहन के लिए 10 लाख 70 हजार रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस विषय पर माननीय सदस्यों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगी कि प्रदेश में पेयजल की कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुये बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर, कोलायत और बीकानेर तथा जैसलमेर जिले की तहसील पोकरण एवं जैसलमेर के प्रभावित गावों के पशुओं के लिए प्रति माह एक हजार टन व पांच सौ टन पशु आहार राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फैडरेशन के माध्यम से उरमूल डेयरी, बीकानेर एवं पश्चिम राजस्थान डेयरी जोधपुर के द्वारा एक रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर पर वितरित करने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 21-5-91 को निर्देश जारी कर दिये हैं। इस कार्य के लिए बीकानेर जिले को 10 लाख एवं जैसलमेर जिले को पांच लाख रुपये की राशि भी आवंटित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम को लगातार चालू रखने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में वन विभाग के घास की बीड़ों की नीलामी रोक दी गयी है और उन समस्त बीड़ों में उपलब्ध घास राजस्थान के अभाव के प्रभावित जिलों में पशुओं को उपलब्ध करवाई जायेगी। यही नहीं राजस्थान राज्य में चारे की निकासी पर आदेश दिनांक 12-9-91 द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। राज्य में गिरदावरी के तुरन्त पश्चात प्रभावित क्षेत्र में चारे की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि बीकानेर में चारे की कमी की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये वहां भी तुरन्त चारे की व्यवस्था हेतु विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में प्रोजेक्ट्स तैयार करवा लिये गये हैं। इस योजना में सर्वोपरी प्राथमिकता गत अभाव के दौरान अधूरे रहे निर्माण कार्यों को दी जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आने वाले समय में प्रभावित ग्रामीणों को अधिक से अधिक अकाल राहत कार्य करवाये जा सकें इसके लिए सरकार चिन्तित है।

अभाव की स्थिति के अनुसार अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज के वितरण के लिए अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है। माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि जिन इलाकों में अभाव की स्थिति है वहां पर राशन का गेहूं उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूं

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि गेहूं का अतिरिक्त आवंटन कर दिया गया है। उदयपुर में पांच सौ मैट्रिक टन, डूंगरपुर में पांच सौ मैट्रिक टन, बांसवाड़ा में पांच सौ मैट्रिक टन, बीकानेर में एक हजार मैट्रिक टन, बाड़मेर में पांच सौ मैट्रिक टन, नागौर में पांच सौ मैट्रिक टन, चूरू में पांच सौ, पाली में पांच सौ, चित्तौड़ में पांच सौ, जैसलमेर में पांच सौ मैट्रिक टन

श्री रामरतन चौधरी (रानीवाड़ा) : जालौर का नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें जोड़ दीजिए आ जायेगा। बिराजिए आप।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हर जिले से मंगवाई गई रिपोर्ट के अनुसार जहां-जहां पहले से गेहूं उपलब्ध है वहां पर कम गेहूं आवंटन किया गया या आवंटन नहीं किया गया क्योंकि पहले वाला ही समाप्त नहीं हो सका है। इसके अलावा जहां कमी पाई गई वहां यह गेहूं आवंटित कर दिया गया है। फिर भी माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो गेहूं की कमी नहीं है गेहूं और भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर माननीय अमीन खां।

(7·00 रात्रि)

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया उससे मुझे ऐसा लगा कि जैसलमैर जिले में बरसात हो गई है। मंत्री जी मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जैसलमेर जिले के 519 गांवों में से 117 गांव जो इसी रोड़ पर आते हैं पोकरण से जैसलमेर, आप खुद भी पधारी और स्वयं मुख्य मंत्री जी ने भी देखा, जहां गत साल भी किसानों ने फसल नहीं बोई उन्हीं गांवों में इस साल भी बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी और उससे पूर्व 4 साल वहां लगातार अकाल था। तो ऐसे गांवों में गिरदावरी कराने की कोई जरूरत नहीं है, गिरदावरी से तो फसल की जसवार का पता लगाया जाता है। पिछले साल भी ऐसे गांवों में एक नये पैसे का अकाल राहत कार्य नहीं चालू किया गया और इस वक्त बाड़मेर जिले की पोजीशन यह है कि तहसील शिव में 168 गांव हैं जिसमें से 70 गांव ऐसे हैं जहां लोग आज मरने की हालत में नहीं हैं कुछ बरसात हुई है और चारा है लेकिन कम से कम 102 गांव ऐसे हैं कि जिनमें हल भी नहीं चलाया है।

वो सीमावर्ती सर्किल है, सब तहसील गडरा रोड़ का जिसमें आधा सर्किल गडरा रोड़ आता है आधा सर्किल हरसामी आता है और यह इलाका ऐसा है जहां न तो नौकरी-पेशा लोग हैं, न कोई व्यापार करने वाले लोग हैं और न इस एरिये में कोई उद्योग वगैरह का कोई नामो-निशान है। इन लोंग का धन्धा मात्र भेड़-बकरी, गाय और ऊंट का है और दूसरा धन्धा है बरसाती खेती का। जहां पिछले जुलाई के लास्ट हफ्ते में बरसात हुई थी बहुत अच्छी बरसात हुई थी इस कारण से वहां से घास और पानी का इंतजाम हो गया इसलिए

(श्री अमीन खां)

लोगों ने एक साल बड़े आराम से बिताया मगर इस वर्ष उन्हीं गांवों में बरसात की एक बूंद भी नहीं है, वहां चारा नहीं है। इसके साथ मंत्री महोदया, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ जाति विशेष वर्ग ऐसे हैं जिनके पेशा घास को स्टॉक करने का है लेकिन यह मुसलमान हुआ, राजपूत हुआ इन लोगों का हमेशा वहां धन्धा रहा है मात्र पशुपालन का। ये घास इकट्ठा करने के आदी नहीं रहे हैं। ये तो अपनी खातेदारी की जमीन को भी पड़त रखना उचित समझते हैं जिसमें घूमकर मवेशी आराम से चरकर आवे और इस इलाके में इन लोगों के पास घास का स्टॉक कतई नहीं है और वहां मवेशी आज भी मरने की हालत में है और इसलिए वहां जानवरों के लिए चारे की इमरजेंसी योजना बनानी चाहिए और जैसे वह फोडर है इस फोडर के लिए आपको अभी से ही दुधारू गायों के लिए कम से कम राशन कार्ड तहसीलदारों द्वारा बनाना चाहिए उसके द्वारा यह मालूम करना चाहिए कि कितनी उस क्षेत्र में, अकाल पीड़ित क्षेत्र में दुधारू गाय हैं और उन दुधारू गायों को कम से कम उस गांव में कायम रखना चाहिए नहीं तो इस अकाल में लोग मजदूरी करने जायेंगे और यदि उनको खाने के लिए छाछ और दूध नहीं मिलेगा तो लोगों में तरह-तरह की बीमारियां फैलेंगी इसके लिए यह इंतजाम करना चाहिए।

इसी प्रकार इसी एरिये से लगती हुई जिले की चौहटन तहसील है। चौहटन तहसील में अभी हम पूरे एरिया में घूमकर आये हैं वह भी सारा अकालग्रस्त है और बाड़मेर तहसील के भी सर्किल बाड़मेर, बिसाला और रामसर जो सीमावर्ती ऐरिया है इसमें भी बरसात की बिल्कुल कमी है और वहां बरसात नहीं हुई है। वहां की हालत खराब है। बाड़मेर जिले के सब-डिवीजन बालोतरा में फिलहाल नाजुक हालत नहीं कह सकते। मेरी तो यह आदत है मंत्री जी, लोग होशियारी से, तरह-तरह के विकास करने की नीयत से, अपना प्रभाव जमाने की नीयत से, राजनीतिक भाषण और अकाल भी कराते हैं लेकिन अकाल वहां हैं जहां आज भी जमीन पर सफेद रेती के सिवाय कुछ नहीं दिखता है और हरा पत्ता आंख से नहीं दिखता है। वहां के लोगों का धन्धा मात्र पशुपालन का है जिसमें क्या हालत हो सकती है, यहां आपको फौरन इंतजाम करना चाहिए। आपने अभी गेहूं का ही बताया 8 और 9 तारीख को मैं जैसलमेर और बाड़मेर गया। वहां एफ. सी. आई. के गोदामों में अनाज की एक भी बोरी उस तारीख में नहीं थी और वहां पर डीलर हैं जो को-आपरेटिव सोसाइटी का है, चाहे प्राइवेट है उसे जिला प्रशासन एक ही बात कहते हैं 50 बोरी ले जावो। 50 बोरी पर कोई डीलर नहीं जा सकता क्योंकि हमको गाड़ी बहुत मंहगी मिलती है और 50 बोरी अगर एक गांव में जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को वहां आधा किलो भी नसीब नहीं होता है इसके लिए आपको वहां फौरन इंतजाम करना चाहिए। अकाल राहत के तहत हर इलाके की अलग-अलग मांग है, अलग-अलग सुझाव हैं।

बाड़मेर-जैसलमेर का काफी ऐसा ऐरिया है जहां आज तक जितनी भी बसें चलती हैं वहां जो रोड्स हैं वे कोई प्लान

(श्री ग्रमीन खां)

में नहीं बनी है न किसी दूसरे प्रोग्राम में बनी है। उस इलाके में सड़कें 2 ही माध्यम से बनी हैं या तो डिफेंस पाइंट ग्रॉफ व्यू से बनी है या ग्रकाल राहत कार्यों के तहत बनीं हैं। ग्रकाल राहत की सड़कों को ये पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट वाले कभी नहीं संभालते हैं ग्रौर सीमावर्ती जिला होने के नाते वहां फौज की एक्सरसाइज होता है ग्रौर वह सड़कें नष्ट हो चुकी हैं और उन्हीं सड़कों पर हवा से जो रेती चल रही है वह सड़कें भी बन्द हो गई हैं उन सड़कों की रिपेयर के लिए काम कराना चाहिए। इसमें मैटेरियल कम्पोनेंट भी वहां कम खर्च होता है क्योंकि काफी इलाका ऐसा है जहां उस इलाके में ग्रेवल बहुत बढ़िया निकलता है मजदूर लोग वहां फावड़े से खोद करके तगारी भर करके साइड में डाल सकते हैं इसलिए वहां बड़े पैमाने पर गांव-गांव में लोगों को राहत मिले इसके लिए ग्रापको इंतजाम करना चाहिए ग्रौर सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए।

पंचायत मुख्यावास जहां सड़कों का ग्रगर कहीं टुकड़ा है तो उसे जोड़ने का पी डब्ल्यू. डी की मार्फत इन सड़कों का काम चालू करना चाहिए नहीं तो यह जवाहर रोजगार योजना या ग्रन्य योजनाग्रों का काम ग्राप पंचायतों के ग्राम सेवकों को दे देंगे तो 10–15 ग्रादमी एक पंचायत में लगेंगे ग्रौर पक्के काम में मजदूर ग्रकाल राहत में हम नहीं दे सकते ग्रौर ये ग्रांकड़े बता करके लोगों के मरने की नौबत ग्रा गई है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गत साल भी ग्रकाल था और उस एरिये में बाढ़ भी काफी ग्रायीं। 9 वें वित्त ग्रायोग और केबिनेट कमीशन के तहत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं हैं।

आज तक ग्रकाल राहत के नाम से एक नया पैसा सरकार खर्च नहीं कर रही है ग्रौर ग्रभी तक ग्राप गिरदावरी करवा रहे हैं। मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूं जहां पर हल किसान ने नहीं चलाया वहां किस बात की गिरदावरी? गिरदावरी तो वहां की जाती है जहां हल चलता है उसमें फसल के पौधे उगते हैं फिर पौधे की जिसवार तैयार की जाती है। कितनी फसल पैदा हुई, ग्वार कितना पैदा हुआ, बाजरा कितना पैदा हुग्रा, तिल, मूंग मोठ कितना हुग्रा? वहां तो हल ही नहीं चला। जिस एरिया में हल नहीं चला है मंत्री महोदय जन कल्याणकारी सरकार का यह फर्ज है हम ग्रापसे दरख्वास्त करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर कलक्टर को वायरलैस दें कि जिस एरिया में फसल किसानों ने नहीं बोई है उस एरिया में तत्काल राहत कार्य चालू करने चाहिए ग्रौर जिन गांवों में पानी का संकट है वहां पानी के टैंकर चालू करने चाहिए। दूसरा, पानी की योजनाग्रों के बारे में ग्रर्ज करना चाहता हूं।

करीब-करीब इलाके में, यह ईमानदारी की बात है कि पेयजल की क्षेत्रीय जल योजनाएं बिल्कुल ठप्प हो चुकी हैं, फेल हो चुकी है। क्योंकि इनके सोस काफी फेल हो चुके हैं और कई-कई जगह बिजली के संकट ग्रौर झगड़े के कारण से तो जितने भी गांव हैं उनमें सुचारू रूप से पानी नहीं जा रहा है। ऐसी योजनाओं के लिए भी ग्राप कलक्टर्स को ग्रादेश दें कि पानी का इमरजेन्सी तौर पर इंतजाम किया जाय।

(श्री अमीन खां)

सरकार न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम में अभी तक एक टका भी नहीं दे रही है तो आप फेमिन के पैसे में जलदाय विभाग को, जहां जरूरत है, जिन योजनाओं का काम पूर्ण करने हेतु फेमिन के तहत पर्याप्त पैसा दें, एडवांस प्लान असिस्टेन्स के तहत दें। मंत्रीजी, अगर आप खुद बैठ कर दो-चार दिन में योजनाबद्ध तरीके से इंतजाम नहीं करेंगे तो वहां लोगों की हालत खराब हो जायेगी, लोगों के जानवर मर जायेंगे। लोग इधर-उधर भटक जायेंगे जो एक नींव पर खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कहीं मजदूरी का लोगों का पैसा है, कहीं किसान का वहां पर खेती का पैसा है। हमारे इस क्षेत्र में दो-तीन जातियों का मात्र पशुओं का ही धन्धा है, और कोई धन्धा नहीं है इन लोगों के पास, यह बिल्कुल भूखे, फकीर हो जायेंगे, भविष्य में सरकार की शरण में जायेंगे। अन्त में मेरा आपसे यही निवेदन है कि तत्काल वहां अनाज का, सड़कों का राहत कार्य शीघ्र चालू करने के आदेश दें, गिरदावरी का इन्तजार न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

सबका नम्बर आ रहा है, काफी नम्बर हैं। लेकिन इनका कॉल अटेन्शन मोशन है पहले।

श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जालौर, गंगानगर में तो जुलाई के महीने में ही अकाल पड़ चुका है।

श्री परसादीलाल मीणा : गंगानगर में थी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : बिल्कुल, असली अकाल तो गंगानगर में ही है।

श्रीमती मदन कौर : आज महीने, डेढ़ महीने के अन्तराल के बाद भी जिन क्षेत्रों में दुबारा बारिश नहीं हुई, वहां भी अकाल के हालत पैदा हो चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय ने गिरदावरी कराने की बात कही है, यह गिरदावरी कराने की परम्परा तो एक र्दे पर चली आ रही है। महीने भर में गिरदावरी होगी, अक्टूबर के अन्त तक राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद उस पर विचार करेंगे, जिला प्रशासन को निर्देश देंगे, यों करते-करते दिसम्बर, जनवरी का महीना निकल जायेगा। फिर कहीं जाकर अकाल की बात सोचेंगे। मेरा इस राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जिन जिलों का पूर्व में आप से निवेदन किया, वहां तो अकाल के हालात पैदा हो चुके, कहीं-कहीं जुलाई के महीने में मामूली वर्षा हुई थी, हमें उन क्षेत्रों के बारे में और अधिक चिन्ता है जिनके पास मामूली सा जो कुछ पैसा था वह इस बरसात की बूंदा-बांदी के बाद में जमीन की जुताई और फसल की बीजाई के अन्दर खर्च हो गया। आज वह लोग भी बिल्कुल साधन हीन होकर खड़े हैं। वहां पीने का पानी का भारी अभाव है, भूतल में हमारे यहां पानी है नहीं और पीने के पानी का स्रोत या तो तालाब है या लोगों के निजी टांके या सार्वजनिक टांके हैं। इसके अलावा हमारे यहां पीने के पानी का कोई पुख्ता सोर्स नहीं है। ऐसी स्थिति में,

(श्रीमती मदन कौर)

जहां मामूली सी बीजाई हुई भी थी वहां पानी का बहुत भारी अभाव है ।

माननीय मंत्री महोदया ने अभी टैंकर्स के बारे में इस सदन में कुछ बताया । मैं टैंकर्स का सारा इतिहास आपके सामने रखना चाहती हूं । बाड़मेर जिले में पानी के सोर्स इतने दूर-दूर हैं कि एक टैंकर एक दिन में एक गांव को पानी पहुँचा सकता है, आप कितने टैंकर उपलब्ध करा सकते हैं बाड़मेर जिले को ? उस पर भी आप ड्राइवर लगाते हैं डेली वेजेज के, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं और आपके आधे टैंकर मरम्मत के लिए पड़े रहते हैं । आपको इन टैंकर्स की व्यवस्था के लिए भी कुछ इमरजेन्सी प्लान बनाना पड़ेगा । अन्यथा वहां पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत पैदा होने वाली है । आज उन लोगों के सामने रोजगार का भारी अभाव है, रोजगार के लिए आप क्या करना चाहते हैं, किस काम पर लगायेंगे, कितने लोगों को लगायेंगे ? आपके सामने आज की तारीख में कोई दिशा-निर्देश नहीं है । यही स्थिति हमारे चारे की हैं । पूर्व में अकाल पड़े थे लेकिन उस समय हमारे वहां का पशुधन समाप्त हो चुका था लेकिन आज पशुधन भी लोगों के पास है, वह उसको भी बचाना चाहते हैं और लोगों के पास चारा है नहीं । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे राजस्थान में सहायता विभाग है स्थायी विभाग बना हुआ है, जब अच्छी वर्षा होती है, मानसून का अच्छा वर्ष होता है, सहायता विभाग या करता है ? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है । पिछले साल हमारे सारे राजस्थान में अच्छी बरसात हुई थी, चारा इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन मान्यवर, एक दिन का भी चारा इकट्ठा नहीं किया गया । इस साल हमारे यहां चारे का ऐसा अभाव होने वाला है कि दूसरे प्रदेशों से हम लाना चाहेंगे और लोग हमें देंगे नहीं और हमारा कीमती पशुधन, जिस पर लोग अकाल के समय में जिंदा रहना चाहते हैं, समाप्त होने की स्थिति में आ जायेगा ।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार हमेशा अकाल राहत के लिए केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराती है कि वहां की स्टडी टीम आयेगी, अमुक जिलों में जायेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, स्टडीटीम के ऊपर फिरस्टडी टीम आयेगी, फिर कहीं जाकर कुछ बात बनेगी । लेकिन अब केन्द्रीय सरकार ने नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार को पांच साल अवधि के लिए 600 करोड़ रुपये दे रखें हैं । उन 600 करोड़ रुपये में से इस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया होगा । मुझे अनुभव है पिछले साल का भी, इसी आशंका से लोग भयभीत हैं, मुझे कहते हैं बाड़मेर जिले के लोग, इतना बड़ा अकाल पड़ जायेगा, क्या होगा हमारा ? राज्य सरकार उदासीन, राज्य सरकार के प्रति लोगों में आशंका है, भयभीत है, उनके मन में दुःख है, राज्य सरकार इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के प्रति बहुत कठोर है । पिछले साल हमारे यहां अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, लोगों के मकान गिरे, कुए ढह गए, सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई लेकिन राज्य सरकार

(श्रीमती मदन कौर)

ने अपना मन लोहे की तरह कठोर बनाए रखा और उनको एक पैसा भी मदद के लिए नहीं दिया। आज इसी उदाहरण के नाम पर बाड़मेर जिले के लोग यह बात कहते हैं कि अकाल पड़ गया तो हमारा क्या होगा ? मान्यवर, मैं इस राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अकाल पीड़ितों के मन के साथ आप खिलवाड़ मत करिये, उनकी मजबूरियों के साथ आप खेलो मत. उन्हें आप पांव पर खड़ा करने का प्रयास कीजिए, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात कहिये। आज आपके सामने स्थाई सहायता विभाग के होते हुए भी कोई स्थाई प्लान है अकाल के सम्बन्ध में ? कोई अस्थाई योजना है आपके सामने ? जो आप तुरन्त लागू करने की स्थिति में हैं चारा आपके पास है नहीं और अनाज की ऐसी भयंकर स्थिति है, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितम्बर के महीने में जहां गांव की मार्केटिंग सोसाइटी, ग्राम सेवा सहकारी समितियां ढाई सौ-तीन सौ क्विंटल अनाज की मांग करती थीं वहां 40 क्विंटल अनाज उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। वह अनाज एक दिन में वहां जाता और लड़ाई झगड़े में जैसे-तैसे वितरित हो जाता।

आज अनाज की यह स्थिति है। बाजरी के भाव 340 रुपये क्विंटल के हो गए। बाजार में वह भी उपलब्ध नहीं, आखिर यह सरकार करना क्या चाहती है ? रोजगार के लिए इनके सामने कोई नक्शा नहीं, पीने के पानी की इनके सामने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं, अनाज यह उपलब्ध करा नहीं सकते, आखिर किस चीज के लिए सहायता विभाग बैठा है ? किस चीज के लिए इस नवें वित्त आयोग ने आपको 600 करोड़ रुपये दिए हैं ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा को लम्बा नहीं बढ़ाते हुए, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं, सहायता मंत्री महोदया भी यहां हैं, आप इस गिरदावरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना जिला प्रशासन को यह निर्देश दीजिए कि पीने के पानी की व्यवस्था युद्ध स्तर पर लागू करें और खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक इन जिलों को उपलब्ध कराया जाय। रोजगार का साधन हमारे यहां सड़कों के अलावा कुछ हो नहीं सकता

सुश्री पुष्पा जैन : क्या व्यवस्था चाहते हैं पानी की, जरा बतायें।

श्रीमती मदन कौर : पानी की व्यवस्था के लिए पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि पानी की जितनी जलदाय योजनाएं हैं चाहे वह ग्रामीण जलदाय योजना है, चाहे क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना है, सारी जल योजनाओं को पर्याप्त बिजली दिला कर पुख्ता व्यवस्था करके उनके टेल एण्ड तक पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था करें। जहां पानी पहुंचे नहीं, वहां आप बड़ी संख्या में टैंकर्स की व्यवस्था कीजिए। 19-20 टैंकर्स से काम चलने वाला नहीं है, आठ-दस तो खराब पड़े रहेंगे, दो-तीन आयेंगे, वह दिन भर में दो-तीन गांवों को कवर कर पायेंगे। इसलिए पानी के लिए आप यह व्यवस्था कीजिए। रोजगार के सम्बन्ध में सड़कों के अलावा

(श्रीमती मदन कौर)

हमारे जिले में दूसरा कोई काम नहीं हो सकता, आप वहां पक्का काम कराना चाहेंगे, पक्का काम कराने के अन्दर मुश्किल से कोई 15-20 आदमी लगेंगे, वह कोई राहत की बात नहीं है, पक्का काम तो आप सामान्य वर्षों में कराइये, हम उसके हामी हैं, लेकिन हमारे यहां तो सड़कों का भी बहुत अभाव है, आवागमन के हमारे यहां बहुत अपर्याप्त साधन हैं। जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं आप उनकी मरम्मत करवाइये। जो मिट्टी की सड़कें बनी हैं उनको ग्रेवल की सड़कें बनवाइए।

हमारे यहां एक तरफ तो आने जाने के साधन डवलप होंगे और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

अन्त में मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि अकालग्रस्त लोगों के प्रति आपके मन को मुख्य मंत्री जी खास तौर से नर्म बनाइये और उनको मुक्तहस्त से इस प्राकृतिक आपदा के लिए मदद देने का प्रयास कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के खास तौर से पश्चिमी जिलों में भयंकर अकाल है। इतना भयंकर अकाल होते हुए भी अभी तक मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार की कोई सहायता या रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है और यह ऐसे जिले हैं उपाध्यक्ष जी जहां इस साल गिरदावरी का जो प्रश्न है वह बिलकुल बेबुनियाद बात है। गिरदावरी वहां होती है जहां कुछ फसल या वर्षा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, हलोदिया काश्तकारों ने, हमारे यहां एक शकुन होता है कि जब हल पर हाथ घलते हैं तो हाथ के एक राकड़ी का धागा बांधते हैं। जिन जिलों में हालोदिया ही काश्तकारों ने नहीं किया और लगातार कई वर्षों से वहां किस बात की गिरदावरी होगी, किस बात का इन्तजार है।

दूसरी बात माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं जानकार होते हुए अगर गिरदावरी का बहाना लेकर पीड़ित लोगों को और पीड़ा में डालेंगे तो यह गिरदावरी किसी काम की नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय चाहे बाड़मेर हो, चाहे बीकानेर हो और चाहे गंगानगर हो हालत बहुत खराब है। बीकानेर जिले की खास तौर से दो भागों में स्थिति है। कुछ भी खराब है। हमारी जो कोलायत तहसील है उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत में तो सात बरसों से भी काश्तकार ने हलोदिया नहीं किया है। पिछली साल भी अकाल सहायता विभाग ने कोई मुहुर्त नहीं किया चारे का, पानी का, सड़क का, बेरोजगारों लोगों को रोजगार देने का किसी भी प्रकार का पिछले कई वर्षों से किसी तरह की कोई सहायता अकाल पीड़ितों को नहीं दी। अनाज की आज उपाध्यक्ष महोदय, बहुत हालत खराब है। कोई भी व्यवस्था अनाज की आज की तारीख में है नहीं। कोआपरेटिव आपकी बन्द पड़ी हैं, अनाज का एक परमिट भी जारी नहीं है और गांवों में हाहाकार मच रहा है। हम चाहेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि हम जिस सरकार के साझीदार हैं उस सरकार की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बदनामी नहीं हो, सरकार की वाहवाही हो, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और चारे की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सरकार की वाहवाही हो और हमारी भी आत्मा बहुत खुश होगी लेकिन हम यह नहीं चाहेंगे कि लोगों में हाहाकार हो, राज्य की चारों तरफ बुराई हो, राहत कार्य नहीं हों तो किस बात की सरकार है इसलिए मैं चाहूंगा कि आज तक मुख्य मन्त्री महोदय बीकानेर जिले में पिछले साल से लेकर एक पाव घास सरकारी सहायता से या सरकारी योजना से नहीं पहुंची। आप बहुत होशियार हैं, आपको सारा पता है। जब भी पहले अकाल पड़ता था सुखाड़िया जी के वक्त में आप रात को सोते नहीं थे और यहां किस तरह से खड़े होकर सरकार को नचाते थे और तथ्य रखते थे। आपने एक बार 900 आदमी बाड़मेर में मरे उनके तथ्य लाये। आज बाड़मेर की वही हालत है कुछ पार्ट को छोड़कर। बीकानेर जैसलमेर की वही हालत है। माननीय सदस्यों ने तो बहुत सभ्य भाषण दिये हैं। सीमा में रहे हैं, मैं कह रहा हूं पशु धड़ाधड़ मर रहे हैं। अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है तो मुख्य मंत्रीजी आप सर्वे कराइये। आपने कहा कि डेरी को पैसा दिया कि चारा खरीदो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आज तक चारे का एक ट्रक भी बीकानेर जिले में नहीं आया। न पश्चिमी राजस्थान में गया है। चारा कहां से लायें? चारे की आपकी कोई योजना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो चारे के प्रति, पशु के प्रति कोई जागरुक हो और सरकार में भी कोई नेक सहायतागार राजस्थान में होता तो निश्चित रूप से चारे का बैंक बनता और निश्चित रूप से राजस्थान कैनाल पर मुख्य मन्त्री जी हजारों बीघा भूमि पड़ी है फारेस्ट की और साइफन लगाकर आपने फव्वारे से घास क्यों नहीं लगाई लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पशुधन से किसी को प्यार नहीं। पशुधन से प्यार नहीं है तो न चारे का बैंक बनेगा और न चारे की व्यवस्था करेंगे और धड़ाधड़ पिछले साल से कोलायत की क्या हालत है। हमारे राज्य मन्त्री जी बैठे हैं लेकिन राज्य मन्त्री जी बहुत गम्भीर हैं। तकलीफों को पी रहे हैं लेकिन राज्य मन्त्री जी चाहे सीमा में मत बोलो लेकिन दर्द है उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कलेजे में तलमलाहट कर रहे हैं। हमारी कीमती गायें मर रही हैं चारे के अभाव में, पीने के पानी के अभाव में पशु मर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार गिरदावरी के आंकड़े तो देख रही है। गिरदावरी के आंकड़े तो तब देखें कि जहां बरसात हो तो गिरदावरी की बात समझ में आती है। मुख्य मन्त्री जी जब हलोदिया ही नहीं रखा तो आप तो समझदार आदमी हैं क्यों हमारे घावों पर इस तरह का नमक लगाते हो कि गिरदावरी होगी। किस बात की गिरदावरी होगी? जब वर्षा ही नहीं है तो किस की आप गिरदावरी करोगे? इसलिए मैं चाहूंगा कि हम ईमानदारी से चाहते हैं कि आपकी सरकार फले और सरकार फूले और सरकार जागरुक होकर काम नहीं करेगी तो निश्चित रूप से भूखे आदमी चिल्लायेंगे। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं देकर आपसे आशा करता हूं कि आप तुरन्त

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

इस काम को चालू करें। लीपापोती से काम नहीं चलेगा। लीपापोती एक दिन कर लो, दो दिन कर लो, दीवाली टिपा दोगे, फरवरी टिपा दोगे और मार्च टिपा दोगे। अब आप गर्मियों में घर चले जाओगे। यह काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने समय रहते काम नहीं किया तो हम जेलों के दरवाजे खटखटायेंगे, हम दबेंगे नहीं। मुख्य मन्त्री जी इसलिए समय रहते हुए जागरुक हों। आपकी जिम्मेदारी है कि हमको जेलों की तरफ भूखे लोगों को नहीं भेजें। हमको काम पर भेजें, रोजगार पर भेजें। हम काम करेंगे ईमानदारी से, बफादारी से।

मेरा दूसरा सुभाव है कि मोहनलाल जी सुखाड़िया के वक्त में मुख्य मन्त्री जी को पता है साढ़े बारह रुपये अकाल पीड़ित लोगों को दिया। जिसमें सवा 6 रुपया सहायता और सवा 6 रुपया कर्ज के रूप में। मेरा सुझाव है माननीय मुख्य मन्त्री जी मंहगाई को देखते हुए मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसलिए वह 25 रुपये उस तरीके से साढ़े 12 की सहायता और साढ़े 12 कर्ज के रूप में देंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। नहीं तो आप जो भी पैसा देंगे चाहे चारे के देना, चाहे पानी के देना, चाहे बेरोजगारी के देना उसमें 50 परसेन्ट तो आपके उठ जायेंगे। आपकी गाड़ियों का खर्चा, आपके ओवरसीयर और जे. ई. एन. और ए.ई.एन. का खर्चा, प्लान बनाने का खर्चा आधे से ऊपर का खर्चा तो आपका उठ जायेगा और अकाल पीड़ित लोगों के हाथ में कुछ नहीं जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 25 रुपये प्रतिमाह अकाल पीड़ित लोगों को दें। जिन लोगों की अच्छी हैल्थ है उनको आप रोजगार दें ताकि हम सड़कों पर जाकर काम करें, मेहनत करेंगे सड़कों पर। इससे हमारे गांव सड़कों से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से सड़कें भी पक्की होंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 25 रुपया दें ताकि ईमानदारी से काम करें। अगर आपके पास पूंजी कम है तो मुख्य मन्त्री जी आप कम से कम उन लोगों को देखिये जो आपके अन्त्योदय परिवार के हैं, गरीबी की रेखा से नीचे के आदमी हैं ऐसे लोगों को काम पर नहीं भेजकर 25 रुपये के हिसाब से मासिक दे दें तो 25 का गुणाभाग करके अनाज, करके अनाज कितना आया। उनको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और उनकी हैल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरा सुभाव है।

दूसरे पानी के लिए टैंकर्स हैं। अकाल सहायता मन्त्री जी, हमारी वह धोराधरती है कि आपके टैंकर्स वहां फंसे पड़े रहेंगे। इसलिए खाली टैंकर्स को क्यों भरते हैं। राजस्थान केनाल है जहां मीठे कुएं में पानी है वहां पाइप लाइन डालिए। पाइप लाइन से गांवों को जोड़ दीजिए 20 गांवों को एक लाइन में। 20 किलोमीटर होंगे, 25 किलोमीटर होंगे। चाहे रबर की पाइप डाल दीजिए चाहे लोहे की डाल दीजिए और वहां से पानी 20 गांवों को आप दे दीजिए। न तो आपका मिसयूज होगा बरना टैंकर चलाने वाले सोते रहेंगे, टैंकरों को खराब करके खड़े रहेंगे और गांवों में गायें तिसाई मरेंगी। उसका पाप लगेगा। इसलिए मेरा सुभाव है कि आप सर्वे करके

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जहां पी. एच. ई. डी. के मीठे पानी के कुए हैं वहां से पाइपलाइन से उसके गांव जोड़िये। क्या है यह, रोज रोज अकाल। जब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो पीने के पानी को आप खतम नहीं कर सकते। 45 साल हो गए इस समस्या को अकाल, अकाल। इस समस्या को खतम कीजिए और पीने के पानी की पूरी व्यवस्था करें, बेरोजगारी की व्यवस्था करें, लोगों को रोजगार दें जिससे हमारी सरकार की बुराई नहीं होगी नहीं तो आज गांव में यह है कि इस राज से तो कांग्रेस अच्छी थी। यह लोग कहने लग गये। इसलिए मुख्य मन्त्री जी अगर उनकी जबान बन्द करनी है तो तुरन्त राहत कार्य चालू करो, रोजगार दो और गिरदावरी का इन्तजार मत करो। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे कि इनके यहां अकाल कहां पड़ता है। सच बात है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां अकाल से कोई दूर का भी रिश्ता कायम करना नहीं चाहता। हमारे यहां तो हम अकाल को एक प्रकार से गाली समझते हैं। किसी को गाली देना है तो कहते हैं उसके यहां अकाल पड़ जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, सब का नम्बर आ रहा है। कृपया शान्त रहिये।

डा. चन्द्रभान : आप बोलें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिन लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : उसी के अनुसार लिया जायेगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि साधारणतया हमारे अलवर के अन्दर, खास तौर में थानागाजी के अन्दर जो कि सरिस्का के बहुत नजदीक पड़ता है, जंगलात काफी सारे हैं, हमारे यहां अकाल नहीं पड़ता और हम अकाल को अच्छा नहीं समझते। हम अकाल को गाली समझते हैं। परन्तु इस वर्ष वहां पर औसतन वर्षा थानागाजी के अन्दर 500 मिलीमीटर के ऊपर होती है, आपके ओफिशियल रिकार्ड के मुताबिक अब तक 206 मिलीमीटर हुई है। यह थानागाजी का जो आधा क्षेत्र है जो कि राजगढ़ की तरफ जाता है, जो जंगलात की तरफ जाता है, वहां कुछ बारिश हो गई है। परन्तु जो आधा क्षेत्र है जो कि बानसूर की तरफ जाता है, वह बिलकुल, कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति वहां पर हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि थानागाजी क्षेत्र बहुत ही गरीब है। वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुतायत में आबादी है और उसके साथ-साथ हम कुछ साल से राज्य सरकार की ओर से इतने भारी उपेक्षित रहे हैं कि वहां पर हमारे हैण्ड-पम्प तक सूखे पड़े हुए हैं। लाइन में देखते चले जाइये, 7-8 सूखे हैण्ड-पम्प होंगे तो उसके

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बाद कोई गांव चल रहा होगा। राज्य के अन्दर पिछले 40 साल से कोई बांध-गांध बना नहीं, कोई एनीकट बना नहीं है और इस बात का प्रमाण आपके सामने है कि थानागाजी क्षेत्र डार्क जोन के अन्दर है। तो वहां यदि बांध होते, इतनी बारिश बरसती है, वहां पर एनीकट बने हुए होते तो वह क्षेत्र डार्क जोन के अन्दर नहीं होता। परन्तु वह क्षेत्र जोन के अन्दर है। तो पीने के पानी की अकाल की वजह से तथा बारिश नहीं बरसने की वजह से बहुत भारी वहां पर समस्या बन गई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज के आवंटन की बात कही गई। मेरे यहां के क्षेत्र में इस समय ज्यों-ज्यों दुकान के अन्दर अनाज पहुँचता है, गेहूं पहुँचता है, आधा घंटा नहीं लगता और सारा का सारा बंट जाता है। मैं कई बार कलक्टर को कह चुका कि कुछ एडीशनल आवंटन होना चाहिये। परन्तु आवंटन नहीं होता है। मेरे यहां का इस समय जो जिला प्रशासन है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही इस मामले के अन्दर, क्षेत्र के मामले के अन्दर निष्क्रिय है। इस बात का उदाहरण देना चाहता हूं कि गांव का गांव जल गया। परन्तु कलक्टर साहब ने अभी तक मुख्य मंत्री कोष से पैसा नहीं दिलाया। एक घर के अन्दर अभी 10 दिन पहले पूरा मकान गिर गया। 5 आदमी घर के जितने भी थे, सब के सब मर गये। मेरे खयाल से ऊपर से ऊपर उन्होंने सूचना भी नहीं दी है। वहां पर इस समय यह व्यवस्था है कि पिछले 4 महीने से चीनी नहीं बंटी। परन्तु जिला प्रशासन सोच नहीं पा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे बहुत दुख के साथ इसके बारे में निवेदन करना पड़ता है।

मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेकर के केवल मात्र इतनी सी बात निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर चारे का भाव 80 रुपये से ऊपर पहुँच गया है, गेहूं उपलब्ध नहीं है, गिरदावरी का बड़ा इन्तजार कर रहे हैं, कामों के सिलसिले में आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे तो 2-3 काम कर दीजिएगा। आप चाहें डी. आर. डी. ए से या कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनवा दीजियेगा। बिहारीसर गांव के अन्दर 55 कुए हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं, कोई भी आदमी आप यहां से भिजवाइये, 55 के 55 कुओं के अन्दर एक मिलीमीटर पानी नहीं है। बिल्कुल कम्प्लीटली एकदम सूखे पड़े हुए हैं। यह मैं खुद जाकर के देखकर के आया हूं। शनिवार और इतिवार को वहां पर गया था। इन गांवों से आप देख सकते हैं कि सारी स्थिति क्या है? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुख्य मन्त्रीजी, जो बोरिंग की मशीन ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट की है, वह बहुत ही नोमिनल रेट पर जो किसान अपना कुआ गहरा कराना चाहें, करा सकें, तो कम से कम रबी की फसल हो जायगी अन्यथा वहां रबी की फसल की बहुत तकलीफ हो जायेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चन्दनमल जी बैद।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

-श्रीमती रमा पायलेट : अनुपस्थित।

श्री रतना राम चौधरी

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे पड़ौस में बाड़मेर, जैसलमेर के जो विधायकों ने उनके यहां भयंकर अकाल की स्थिति बताई, इसी तरह से हमारे जालौर जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति है। पहले एक बारिश हुई थी। उसमें किसानों के पास जो कुछ था अनाज, वह अपने खेतो में डाल दिया। जो कुछ पैसा था, वह ट्रैक्टर में उन्होंने खर्च कर दिया। अब काश्तकार से पास न तो अनाज है, न कुछ साधन है, घास बिल्कुल सूख गई है और आधा-आधा फीट फसल जमीन से बाहर आई। सिर्फ एक ही बारिश पहली बार हुई थी, उसके बाद मामूली बूंदाबांदी हुई और सारी फसल नष्ट हो गई। इसलिये आज जालौर जिले की स्थिति इतनी भयावह है जिसे देखकर हम अन्दाजा लगा सकते हैं। आप किसी अधिकारी द्वारा वहां रिपोर्ट मांग लीजिये। जालौर जिले में अभी से लोगों में बड़ा भारी भय उनके दिमाग में छाया हुआ है।

जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जिला जालौर में सड़कों का भी बहुत बड़ा अभाव है। इसलिये जो ग्रेवल सड़कें वहां अधूरी पड़ी है, जो वहां फेमिन के वक्त कार्य हुआ था, उन कामों को आप हाथ में लीजिये जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। (व्यवधान) ....

बूटा सिंह की बजाय सरकार आपकी अपनी है। यह भैरोंसिंहजी की सरकार है। बूटासिंह के भरोसे थोड़े ही जालौर जिला है। यह क्या बात करते हो? बूटा सिंहजी जब सरकार में थे, उस समय बहुत काम उन्होंने भी कराया। अब सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्य मंत्री जी की है, जो सदन के नेता हमारे सामने विराजमान हैं।

दूसरा, हमारे यहां पीने के पानी की भयंकर समस्या है। हमारे मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता महोदय ने यह भी कहा था कि गांव-गांव में तो हम पानी देंगे। परन्तु जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर ढाणियों में बसे गांव हैं। गांव में तो कोई छोटी-मोटी होदी बना दी परन्तु सारा गांव ढाणियों में बसा हुआ है, पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है इसलिये कृपा कर स्थायी साधन जुटायें। जैसे टैंकर जो एक दिन में सब गांवों को पानी सप्लाई नहीं कर सकता वह बजट आप जलदाय विभाग को दीजिये ताकि उन छोटी-मोटी ढाणियों में पाइप लाइन बिछाकर के पानी की स्थायी व्यवस्था हो जायेगी।

दूसरा, जो गत वर्ष अतिवृष्टि से करीब 5-6 बांध टूट गये थे, पहले मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था, यह हमारे जो सिंचाई मंत्रीजी, जो बहुत बुजुर्ग हैं, ने गत सत्र जब चला था, उसमें आश्वासन दिया था कि जो जो बांध टूटे हैं, उनका जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करा के पूरा कर देंगे। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में छह बांध पुराण, सांचरू, बांसवाड़ा और करवाड़ा, ये सारे के सारे बांध टूट गये थे, एक भी बांध की मरम्मत नहीं कराई गई। एक भी बांध का

(श्री रतना राम चौधरी)

पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। इस वक्त अकाल भी है।

(7.40 सायं)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

लोगों को मजदूरी भी देनी है इसलिये कृपा कर बांध का निर्माण कार्य कराया जाय। ये बांध क्यों टूटे? इसका भी एक मैन कारण है। सिंचाई विभाग के इंजीनियर लोगों ने पानी का निकास, गांव वाले कहते हैं, उस जगह नहीं रखकर अपनी मर्जी से निकास रखा है।

इसलिए जिस गांव में, जिस जगह पर वह बांध बना हुआ है, पानी का निकास उन गांव वालों को पूछकर के रखना चाहिए नहीं तो बांध भी टूटता है, पैसा भी बरबाद होता है और लोगों के खेत भी नष्ट होते हैं। मेरे भी नष्ट होते हैं। इसलिए कृपा कर फेमिन के काम अविलम्ब हाथ में लीजिए और पानी का प्रबन्ध अविलम्ब करिए। ढाणियों में पानी की व्यवस्था पाइप लाइन द्वारा दिलवाकर स्थाई प्रबन्ध कराने की कृपा करें। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता था। समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : सभापति महोदय.......

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : पंडित जी को भी बोलना है आपके बाद।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, अकाल एक मानवीय समस्या है और यह राजस्थान की नियति बन गयी है और यह हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अन्य प्रदेशों में और दिल्ली में राजस्थान को उस प्रदेश के नाम से जाना जाता है जहां प्रतिवर्ष या पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के बाद में अकाल जरूर पड़ेगा और वह प्रदेश है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के लोग तो कहते हैं कि वहां जायेंगे तो पीने के पानी का इन्तजाम नहीं होगा। जो लोग शासन में बैठे हैं या जो लोग पहले शासन में रहे हैं

श्री भंवर लाल शर्मा : कई लोगों की इस समय शादी नहीं होती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हवामहल से आने वाले सदस्य, इस तरह से हल्का मत बनाइये बात को आप।

डा. चन्द्रभान : हवामहल मत बनाओ इसको तो, सभापति महोदय, यह भंवरलालजी साहब बोलते हैं यह समय मेरा काउण्ट नहीं किया जाय।

श्री सभापति : इनको अकाल का कुछ पता नहीं है क्योंकि यह शहर में रहते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वैरी गुड चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : एक बात के लिए मैं आभारी हूं माननीय मंत्री महोदय का और इस सरकार का कि इस सरकार ने यह तो महसूस कर लिया है कि अकाल तो राजस्थान में पड़ गया है या पड़ेगा, नहीं तो 15 सितम्बर से गिरदावरी कराने की

(डा. चन्द्रभान)

जरुरत क्या थी ? मन्त्री महोदय ने कहा 1981-82 में 15 सितम्बर से एक बार गिरदावरी हुई थी और अब की बार फिर इसे शुरू किया जा रहा है। अन्य सदस्यों ने जैसे अपने विचार रखें, बहुत-बड़ा हिस्सा प्रदेश का ऐसा है जहां पर बुवाई नहीं हुई और हुई है तो इतनी लेट हुई है कि वहां पर फसल उगी ही नहीं है। वहां पर गिरदावरी की कोई जरुरत नहीं है। अभी मन्त्री महोदय ने उदयपुर डिवीजन और कोटा डिवीजन के बारे में बताया कि वहां बारिश की कोई कमी नहीं है। एवरेज से ज्यादा बारिश हुई। झुन्झुनू की भी गिनती उसमें करा दी है। मैं यह नहीं कहता कि एवरेज से ज्यादा बारिश यहां नहीं हुई लेकिन बारिश पैचेज में हुई है और अब की बार तो अकाल की दो वजह है। एक तो जो राजस्थान में खरफी की फसल है और खेतों का बड़ा भू-भाग, पश्चिम राजस्थान कहिये या उत्तरी राजस्थान कहिये, और दूसरे हिस्सों में भी मानसून की बारिश पर फसल निर्भर करती है और जहां रेतीली जमीन है उसमें अच्छी फसल के लिए कम-से कम चार बारिश की जरूरत पड़ती है। और समय पर बारिश होनी चाहिए। जून के अन्त में और जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में मानसून आता है और फसल की बुवाई होती है। उससे कुछ अच्छी फसल की संभावनाएं पैदा होती हैं। अब की बार तो बारिश 18 जुलाई के बाद भी हुई है और मेरे जिले और मेरे क्षेत्र मंडावा में 70 गांव ऐसे हैं अलिसर पंचायत समिति, के जहां 22 अगस्त को, 20 और 22 अगस्त को जो बारिश शुरू हुई थी, जो 10 दिन तक लगातार पूरे राजस्थान में हुई तब बुवाई शुरू हुई है और दो सितम्बर को बारिश राजथसान में होना बंद हो गयी। मानसून की सक्रियता समाप्त हो गयी और अब तो खैर 15 सितम्बर के बाद में कोई सम्भावना ही नहीं है। तो एक बारिश से या दो बारिश से कैसे फसल होगी और जिन जिलों की चर्चा की जा रही है, जैसे बीकानेर है, आपका चूरू का एक बड़ा हिस्सा है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर है, यहां तो कई जगह बुवाई नहीं हुई। वहां गिरदावरी की कोई जरुरत नहीं। वहां तो अकाल पड़ चुका है और सभापति महोदय, जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, यहां उदयपुर डिवीजन से आने वाले सदस्य भी हैं और हाड़ौती के बारे में भी यही खबर है कि वहां ज्यादा बारिश होने के कारण फसलें खराब हो गयी हैं।

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

डा. चन्द्रभान : एक ओर मैं कहना चाहूंगा कि अब इस सरकार का कृषि विभाग किस तरह से काम करता है, मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन झुन्झुनू, सीकर में जहां भी फसलें ठीक-ठाक हैं वहां फसलों के कीड़ा लग गया। बाजरे की जो फसल है उसके रूखड़ी लग गयी है और नागौर से आने वाले सदस्य ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि वहां ग्वार के कातरा लग गया, तो वे फसलें चौपट हो गयी।

कहीं बारिश ज्यादा, कहीं कम, बारिश समय पर नहीं और कही फसलों के बीमारी लगने से एकदम अकाल की स्थिति पैदा

(डा. चन्द्रभान)

हो गयी और ऐसे में

एक माननीय सदस्य : नागौर से आने वाले सदस्य।

डा. चन्द्रभान : सकराना से आने वाले सदस्य बता रहे थे। सभापति महोदय, इस गिरदावरी की रपट का तो इन्तजार नहीं किया जाए और अभी से अकाल से जो प्रदेश की जनता, किसान और गांव के लोग प्रभावित हैं उनको राहत प्रदान करने का काम शुरू कर दिया जाय। मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं :—

एक तो, सरकार को यह सोचना चाहिए एक दीर्घकालीन नीति बनाकि, अकाल पड़े नहीं। पहले, राज्य सरकार थोड़ी कम चिंतित होती थी क्योंकि केन्द्र से पैसा मिल जाता था। अब तो नेच्यूरल कलेमिटी के नाम पर 120 करोड़ रुपया मिलता है। हम सब लोग आज अकाल की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे जनता दल के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, हम सभी लोगों का इस मानवीय समस्या पर मानवता की दृष्टि से सोचना चाहिए और सर्व-सम्मति से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि राजस्थान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ज्यादा आर्थिक सहायता केन्द्र से इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए दी जानी चाहिए।

दूसरा, मेरा यह सुझाव था, जैसा कि महंगाई के मामले में चर्चा हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। लोग बेरोजगार तो पहले ही हैं, अकाल के कारण उनकी क्रय शक्ति और घट जाएगी। महंगाई का पहले ही ज्यादा भार पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरी चीजें जो हैं उनके लिए दुकानें खोली जायें और लोगों को जरूरी चीजें मुहैय्या कराई जाए। अकाल राज्य मंत्रीजी जी ने बताया कि गेहूँ का अतिरिक्त आबंटन करा दिया गया। अच्छी बात है लेकिन गेहूँ ही जीने के लिए सब-कुछ नहीं है। इसके लिए जो दूसरी जरूरी चीजें हैं वह भी सरकार को मुहैय्या करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो संकट आयेगा वह पीने के पानी का आयेगा और पशु के लिए चारे का आयेगा। चारे का बड़ा संकट आयेगा। माननीय भाटी साहब यहां पर बैठे हैं। हो सकता है यह सदन में कुछ नहीं बोलें लेकिन बाहर जरूर यह बात कहते हैं कि बीकानेर में तो पशु मरने लग गये हैं। बीकानेर में कोई चारे का इन्तजाम नहीं है। हमारे झुन्झुनूं, सीकर का सवाल ही नहीं है। 40 से 50-60 रुपए क्विंटल तक कुट्टी वहां पर बिकती है।

सभापति महोदय, पानी के बारे में, पानी का अभाव तो खैर पहले से ही बना रहता है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि तालाब पानी से भर गये हैं, बांध पानी से भर गये हैं। राजस्थान में ऐसे कितने तालाब हैं, ऐसे बांधों की संख्या है कितनी? कितनी-कितनी नदियां और नहरें हैं? कितनी जगह वो सिंचाई होती है? और कितने पीने के पानी का वहां इन्तजाम होता

(डॉ. चन्द्रभान)

है? आपके रामगढ़ के बांध की क्या स्थिति है? हमारे झुन्झुनू, सीकर, चूरू में तो न कोई नदी है, न नाले हैं, न बांध, न कोई तालाब। मेरे क्षेत्र में, अलसीसर पंचायत समिति में खारा पानी है, 52 गांवों में। वहां कुण्ड बने हुए हैं पुराने समय के लोगों ने अपने व्यक्तिगत कुण्ड बना रखे हैं। सब कुण्ड खाली पड़े हैं। कोई थोड़ा-बहुत पानी आ गया है। बताइये उसके लिए क्या व्यवस्था करेगी सरकार? पानी के लिए विशेष रूप से सरकार को सचेत रहना है। चारे का इन्तजाम करना है और जो जरूरी चीजें हैं गेहूं और दूसरी चीजें हैं उनकी व्यवस्था करनी है और अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य के लिए सरकार को सर्वे कराना है। गिरदावरी करानी है, कराये। लेकिन अभी से मानस बना लेना चाहिए कि अक्टूबर के महीने में हमें अकाल राहत कार्य शुरू कराना है तब तो जो लोग इससे पीड़ित और प्रभावित हैं उन लोगों को तो राहत मिल सकेगी अन्यथा तो यदि आप फॉरमल्टीज पूरी करेंगे तो जनवरी-फरवरी आ जायेगी और अकाल का असर खत्म हो जायेगा क्योंकि दूसरी फसल के आने की स्थिति बन जायेगी और एक मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार इस मामले में विचार कर ले। मंत्रिमण्डल काफी बड़ा है, कोई छोटा तो है नहीं। प्रत्येक जिले में एक-एक अकाल सहायता समिति बना दी जाए और एक-एक मंत्री को उसका प्रभारी बना दिया जाए। कलेक्टर भी उसके सचिव रहें, जितने जन प्रतिनिधि हैं वह उसके मैम्बर रहें और जिले के अन्दर जो लोग हैं, मैं दानदाताओं की बात करता हूं

(व्यवधान)

तो पूरे मंत्रियों को बना दें। यह फैसला तो इन्हीं को करना है। सभापति महोदय, जो लोग बहुत सारे प्रवासी राजस्थानी हैं, जो बाहर रहते हैं वह भी इस संकट की स्थिति में हमारी मदद और सहयोग कर सकते हैं। जिले में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं तो उदाहरण देना चाहूंगा, यहां पर जो पशुओं को बचाते हैं, कामरेड शोपतसिंहजी के पिताजी हरिराम जी पांच हजार गायों को बचाते हैं अकाल की स्थिति में, तो ऐसे तमाम लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिये और इस मानवीय समस्या से संवेदनशीलता के साथ में निबटा जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री बी० डी० कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अभी वर्तमान का जो मानसून है वह पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में नगण्य सा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिलों में खास तौर से बरसात का भारी अभाव रहा है जिसके कारण वहां बहुत विचित्र सी स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि बीकानेर की कोलायत तहसील में पिछले सात वर्षों से निरन्तर अकाल और अभाव की स्थिति है। वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाने को लिये अनाज नहीं है, वह कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। चारा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग नहीं सी लोग पलायन कर बीकानेर के बाहर और राजस्थान के बाहर जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि गत वर्ष भयंकर अकाल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पड़ा हुआ था लेकिन राज्य सरकार की दमनकारी नीति के कारण बीकानेर के, बाड़मेर के, जैसलमेर के इलाकों में किसानों, जो अकालग्रस्त और अभावग्रस्त थे, के लिये कोई व्यापक प्रबन्ध नहीं किये गये। यह बात सही है माननीय अकाल राहत मंत्री महोदया ने जो बात कही कि डेयरी के माध्यम से कुछ स्थानों पर उन्होंने मई के अन्दर चारे की व्यवस्था की।

श्री देवीसिंह भाटी : चारे की नहीं, कैटल फीड की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कैटल फीड की व्यवस्था की जो अपने आप में अपर्याप्त थी न कोई पशु सेवा शिविर खुले, न ही कोई रोजगार का कार्यक्रम वहां प्रारम्भ किया गया। मैं, सभापति महोदय, इसकी भूमिका में थोड़ा जाना चाहता हूं, बार-बार अकाल क्यों पड़ते हैं।

राजस्थान में सन् 1959 में प्रो. सी. एस. स्टाइन राजस्थान की धरती पर आये और उन्होंने राजस्थान के 16-17 जिलों का दौरा किया। वहां पर एक्सट्रीम एरिडिटी, एवरेज रेन फाला, एवरेज रेन फाला धूलोराफाउना और वहां की जियाग्राफिकल कंडीशन, इन सबको देखते हुए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, सिरोही, चूरू, गंगानगर इस प्रकार 12 जिलों को एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में विभक्त किया। इस एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में प्रकृति का ऐसा प्रकोप रहता आया है कि हर दो तीन साल बाद, चार साल बाद अकाल पड़ता था लेकिन अब धीरे-धीरे ऐसी परिस्थिति हो रही है कि हर साल अकाल पड़ रहा है और इस बार तो भयंकर प्रकोप है। कई कई जगह तो वास्तव में एक बूंद बरसात नहीं हुई। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि गिरदावरी किसकी करोगे आप। गिरदावरी तो आपने जैसा कहा 206 मिलीमीटर बरसात, हमारे यहां 206 मिलीमीटर बरसात हो जाय, सभापति महोदय, तो रेलमपेल हो जाय, ऐसा भारी रमाया हो कि उसका कोई मुकाबला नहो। लेकिन हमारे यहां तो एक बूंद बरसात भी नहीं हुई। खेत जोते नहीं गये और वहां आप गिरदावरी कराओगे तब तक लोग मर जायेंगे। आज दासूड़ी, गोलरी, दियातरा, कोडमदेसर, गजनेर, जयमलसर, जामसर, खारा, कानासर, मूडसर, राममर, रायसर, नौरंग, देसर, पिडाप, कोटड़ी, दरबारी, बासी, बरसिंहसर, देशनोक, नापासर किन-किन गांवों के नाम लूं, लगभग 300से ज्यादा गांवों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, अकाल और अभाव की स्थिति है। डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में आज सुबह आपने सुना, दो दो, तीन तीन महीने तक राशन नहीं मिलता, लोगों को चीनी नही मिलती।

एक माननीय सदस्य : आपके राज में क्या होता था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे राज में क्या क्या होता था आप बोल जाये आपका टर्न आये, तब, आप व्यवधान क्यों पैदा करते हैं ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें। आर्डर प्लीज। कृपया विराजें। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

कोई जरूरी है कि सभी लोग बोलें ही बोलें। क्या हो गया, कोई जरूरी है। मैंने उनको मना किया ना कि बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनको तो मना करिये, इनको डांटिये आप।

श्री सभापति : नहीं आपसे कहा, बढ़ते चले जायेंगे, यह फिर बोलेंगे, फिर यह बोलेंगे। उनको मना कर दिया। आप बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, यहां बोलने के लिये आते हैं और कोई…

श्री सभापति : हां, बोलिये ना तो आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोल रहे हैं। ऐसे व्यवधान करने वालों को मेहरबानी करके आर्डर में रखने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री सभापति : उनको रोका मैंने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हम बार-बार इतने वर्षों से अकाल का सामना कर रहे हैं। इसका पुख्ता इन्तजाम करने के लिए राजस्थान में कुछ कदम उठाये गये हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से सूखी धरती को शस्य श्यामलाल उर्वरा बनाने के लिये इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू की गई थी। स्वर्गीय कंवरसैनजी और भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता और नहर बोर्ड के चेयरमैन हरिसिंहजी और उनके साथ इरिगेशन के तीन विशेषज्ञों ने पांच लिफ्ट योजनाएं, जलोत्थान योजनाएं प्रारम्भ की। आज उन योजनाओं, जो अकाल का एक स्थायी समाधान है, को वेपकोस की रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। लेकिन अभी पिछले दिनों में, जो हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार वेपकोस ने और अण्डर ग्राउण्ड-वाटर बोर्ड, जिनका काम नहरें लाना नहीं है, ने कुछ ऐसी रिपोर्ट दी है जिनके आधार पर इन लिफ्ट योजनाओं को बन्द करने की योजना बनाई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है… (व्यवधान)

मैं बोल लूं उसके बाद बोल लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आपका प्रश्न था उसका जवाब आ गया आपके पास।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप कृपा करके मेरे बाद में बोल लें। मैं पता नहीं और क्या-क्या बातें कहूंगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो यह बेबुनियाद बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप एक साथ बोल लें।

सभापति महोदय, हमें यह खतरा है पश्चिमी राजस्थान के लोगों को कि कहीं इन नहरों को हाई थेन बता कर निरस्त नहीं कर दें। इन नहरों से कम से कम 1200 से अधिक गांवों को पीने का पानी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर के बांये किनारे की तरफ लेफ्ट बैंक स्कीम एक योजना है जहां पाश्चर लैण्ड डेवलपमेंट, चरागाहों का विकास किया जाएगा। पशुपालन जो हमारे राजस्थान की इकानामी का प्रमुख आधार रहा है, इस पशुपालन आधारित अर्थ व्यवस्था को मजबूत रखने के लिये, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिये जरूरी है कि हम इन जलोत्थान योजनाओं को जारी रखें। 20 फीट नीचे हार्ड पेन आ जाना और वह भी एक तरह से मुडिया कंकर जो पानी में भीग कर मिट्टी बन जाती है उसको यह बता कर कि यह तो हार्ड पेन आ गया 20 फीट नीचे और यहां पर दलदल हो जाएगा, ऐसी संस्था जिसका इरिगेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है उन संस्थाओं के माध्यम से या अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जो जालसाजी की जा रही है इसको हम कभी भी चलने नहीं देंगे। अकाल का समाधान करने के लिए कांग्रेस शासन ने जो स्थाई प्रबन्ध किये थे उनके साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका मजबूती से मुकाबला करेंगे और गलत कदम आपको नहीं उठाने देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज कृपया समाप्त करें।

(8:00 रात्रि)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इन लिफ्टों को कतई बन्द नहीं किया जाना चाहिए। अकाल का सामना करने के लिए, भविष्य में अकाल नहीं पड़े उसके लिए ट्री-प्लान्टेशन हो ताकि वहां का पर्यावरण सुधरे और ट्री-प्लान्टेशन होगा तो निश्चित रूप से बरसात होगी और अकाल का सामना बार-बार लोगों को नहीं करना पड़े। इसके लिए कैचमेंट स्कीम शुरू की। लायन कार्य लिफ्टों के निर्माण कार्य को बराबर जारी रखा जाय। वर्तमान में जो संकट आया है जिसके लिए जैसा अभी बाडमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया लगभग 625 करोड़ रुपये आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने नेचुरल कैलेमिटीज का सामना करने के लिए राज्य सरकार को देने की बात कही है। गत वर्ष 125 करोड़ रुपये आपको जरूर मिले हैं। 73 करोड़ की किश्त मिलने की बात अखबारों में छपी थी। मैं जानना चाहता हूँ इन पैसों पर कुण्डली मार कर क्यों बैठे हैं? यह स्टेट एक्स चैकर का पैसा है। इसको जन हित में संवेदनशील होकर लगाइये। मैं अकाल राहत मंत्री को कहना चाहूँगा, आप लोगों को राहत देना चाहते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी वित्त मंत्री हैं, उनके पास कोई प्रयोजल ले जाओ, चाहे हमारी सरकार का हो, चाहे आपकी सरकार का हो, प्रयोजल ले जाओ तो वित्त मंत्री अपनी कलम "ना" के रूप में करेगा। इसलिए आप सरकार के साथ संवेदनशील बन कर वित्त मंत्री जी के सामने राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता का केस ले जाएं और तीन काम प्रमुखता से कीजिए। एक तो बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, और गंगानगर खास तौर से नोहर, भादरा, टीबी, लूणकरणसर, कोलायत, नोखा, बीकानेर तहसील, गंगानगर के अन्य हिस्से, चूरू, जालौर, बाडमेर, और जैसलमेर के हिस्से में पीने के पानी के टैंकर पहुंचाये और जो राज्य की फेवर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आइस सॉफ है- उसमें अनाज वितरण करवाने का काम करिये। तीसरा काम फोडर बैंक की स्थापना आपको करनी चाहिए। अभी आपने एक आदेश निकाला जो है मैं समझता हूं उचित है, राज्य से चारा निकासी का आदेश निकाला है, यह अच्छा कदम है। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी देर आये दुरुस्त आये आप फोडर बैंक की स्थापना कीजिए। बीकानेर में गायों को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी पशु शिविर निश्चित रूप से खोलिए और चारा, बांट पशुओं के लिए अनुदानित तौर पर, सब सिडाईज रेट पर जल्दी से जल्दी विदिन 24 आवर्स शुरू कीजिए।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए रोजगार प्रारम्भ कीजिए। जहां एक बूंद वर्षा नहीं हुई, अकाल राहत मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं आप किसकी गिरदावरी कराना चाहते हैं आप स्वयं जाइये इस विधान सभा के तुरन्त बाद अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कीजिए। पिछली बार अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्य मंत्री जी एक बार भी नहीं गये। मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, अकाल राहत सचिव और आप स्वयं तीनों मिलकर अकाल राहत क्षेत्रों का दौरा कीजिए, संवेदनशील बनिये और जो अकाल पीड़ित, शोषित मजदूर हैं जिनको राहत की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को राहत दीजिए। जन कल्याणकारी राज्य का यह फर्ज है कि भूख, अकाल से पीड़ित जनता के लिए कुछ काम करे लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार की कुम्भकर्णी नींद अभी भी खुल नहीं रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधान सभा सत्र के बाद आप जाएंगे और लोगों को राहत प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्य-वीर।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का सुझाव देना है।

श्री सभापति : हां, आप बोलिये।

श्री किशनाराम नाई : मेरे चूरू जिले में सात तहसीलें हैं जिनमें से तीन तहसीलें भयंकर अकाल की चपेट में हैं। उनमें चारे के अभाव से पशु मर रहे हैं। मेरा सरकार से सुझाव है कि गिरदावरी जो करा रहे हैं वह इस महीने की 30 तारीख तक करवा ली जाय तो अच्छा होगा। पानी के लिए टैंकर से व्यवस्था करने के लिए अकाल राहत मंत्री जी ने फरमाया है इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि इन परमानेण्ट ड्राइवर तो हैं नहीं जो नहीं होने से टैंकर खराब हालत में रहते हैं। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि एक कमेटी जिला लेवल पर।

श्री सभापति : जो बात पहले कही जा चुकी है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करें, और लोगों का समय लग जाएगा। टैंकरों की बात तो बहुत लम्बी चौड़ी आ चुकी है।

श्री किशनाराम नाई : नहीं, चूरू या सभी जिलों के लिए एक समिति बना दी जाय तो टैंकर की व्यवस्था अच्छी रहेगी, डीजल का मिसयूज नहीं होगा और टैंकर खराब भी नहीं होंगे। ड्राइवर उनका ध्यान

(श्री किशनाराम नाई)
रखेंगे। इस बारे में यह दो सुझाव हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से वर्तमान में सारी फसलें चौपट हो चुकी हैं। वहां पर मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग व अन्य फसलें चौपट हो चुकी हैं इसलिए आगे के समय में घास की किल्लत आ सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किसानों को आगे और राहत दिलाने के लिए घास के डिपो खोले जाये और सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाय जिससे किसानों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। अतिवृष्टि होने से सारी फसलें चौपट हो चुकी हैं उनका सर्वे करवा कर किसानों को राहत दिलाई जाय, यही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मंत्री जी जब वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने उल्लेख किया, अलवर, भरतपुर और कुछ क्षेत्रों का भी नाम लिया कि वहां सिंचाई के सारे तालाब भरे हुए हैं।

श्री राम किशन : यह तो नहीं कहा।

श्री यदुनाथसिंह : मै तो कहता हूँ एक इंच पानी बता दो पूरे नहीं भरे हों तो। सभापति महोदय, कुछ क्षेत्रों का यह दुर्भाग्य है कि वहां को समस्याओं की ओर आज तक गम्भीरता से विचार ही नहीं किया गया। झालावाड़, कोटा, बून्दी, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू यह जो क्षेत्र हैं इन पर दृष्टि डालेंगे।

श्री सम्पत सिंह : ठीक-ठीक बताओ, अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : अब आपकी तरफ ही ध्यान जा रहा है, बस। सभापति महोदय, इन क्षेत्रों की उपेक्षा होती रही है। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में विकास नहीं किया जाय, राजस्थान कैनाल पूरी न हो, माही के लोगों को लाभ नहीं मिले या कडाना के पानी का लाभ नहीं मिले। निश्चित तौर से यह बहुत पीड़ित क्षेत्र हैं, इनको लाभ मिलना चाहिए लेकिन जिस प्रकार का ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में कर दिया गया और उसके बाद भी चाहे अकाल के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया गया हो चाहे वह सिंचाई के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया गया हो, चाहे और दूसरी स्पेशल स्कीम्स के नाम से इन्वेस्टमेंट किया गया हो। उन क्षेत्रों की अवहेलना कर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता रहा है। अब एक सुगबुगाहट हमारे क्षेत्रों में होने लगी है। यह पूरा जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है जिसकी ओर मैंने इशारा किया है, वह इस अवहेलना को कब तक बर्दाश्त करेगा। अब पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति प्रतिवर्ष बनती है, मैं इससे इन्कार नहीं करना चाहता लेकिन उन क्षेत्रों में की समस्याओं का और इस क्षेत्र की समस्याओं का कोई मेल नहीं है। वहां जनसंख्या का घनत्व इतना कम है, हमारे यहां 10-00 गांव बस जाते हैं, वहां एक-एक आदमी की होल्डिंग है। 5 वर्ष में अगर पानी की एक बूंद पड़ गई तो वहां लोगों का लालन-पालन, उस परिवार का लालन-पालन हो

(श्री यदुनाथ सिंह)

जायेगा। 2-2,3-3 एकड़ में हमारे यहां होल्डिंग है, रोजगार के साधन नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन में पानी समाप्त हो गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा अकाल राहत मंत्री जी कि सवाई माधोपुर और दौसा के नीचे चले जाइये, पूरे क्षेत्र में कुओं में पानी की एक बूंद आपको नजर नहीं आएगी। अब आप यह कहेंगी कि अकाल नहीं है, तो यह और क्या है ? बारिश हुई, आपके कहां रिकार्ड बारिश हुई, वाइड स्ट्रेटे बारिश नहीं हुई है। कई बार बारिश पड़ गई। चार गांवों में बारिश पड़ गई जहां बारिश रिकार्ड कर रहे हैं, वहां तो बारिस नजर आ रही है लेकिन बरसात का पूरा पानी इस क्षेत्र का बहकर उत्तर प्रदेश से निकल गया। आप योजनाओं की पूर्ति करते नहीं है। चम्बल की योजना बनाकर, चाहे वह झालावाड़ हो, कोटा हो, बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप आइये और देखियें कि वहां अकाल है या नहीं है···

सुश्री पुष्पा जैन : फिर आपने क्या कहा ? मै बता दूं।

श्री यदुनाथ सिंह : हां, बता दो।

सुश्री पुष्पा जैन : क्यों सदन में बुलवा रहे हो ?

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अकाल की पूरी व्यवस्था करनी है, चारा आपके पास कहां से आएगा, चारा तो दूसरे राज्यों में भी उपलब्ध ही नहीं रहा। 80 रुपये चारे के भाव भरतपुर जैसे क्षेत्र में हो जहां पर उत्तर प्रदेश के जमुना के एरिये से चारा आता हो तो और क्षेत्रों का अन्दाज लगा सकते हैं। पीने का पानी जमीन में खत्म हो गया, नीचे पानी कड़वा। इसलिए सभापति महोदय, जो परमानेंट असेट्स क्रिएट करने थे अकाल के नाम पर वह नहीं किये गये। उसका परिणाम यह है कि आज हर साल अकाल की स्थिति पैदा होती है तो उस क्षेत्र में राजकीय प्रतिनिधि चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों को अभाव में सदा-सदा के लिए रहना पड़ता है। उन क्षेत्रों में रेगिस्तान है, उनको हम रेगिस्तान से बाहर नहीं निकाल पाये और जहां क्षेत्र आबाद थे वे धीरे धीरे रेगिस्तान होते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इन जिलों में बहुत अभाव की स्थिति है, पीने का पानी नहीं है, चारा नहीं है, बारिश नहीं है और फसल सूखने लग गई है, इसलिए आप यह सोचें कि वहां कोई स्थिति अच्छी है। एक तरह से तो वहां स्थिति और इलाकों से ज्यादा खराब है क्योंकि वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, बहुत ज्यादा पशुधन रहता है, वहां की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए आप इन क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देकर वहां की समस्याओं का निदान करने का काम करेंगी।

श्री सभापति : श्री गोपाल सिंह खण्डेला। नहीं बोलना चाहते है। आप बोल लीजिये। इसमें खण्डेला का नाम लिखा हुआ है। ये वे लोग हैं जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं। अकाल पर भी स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न 295, सभी आए हैं। उनको प्राथमिकता दी जा रही है।

(श्री सभापति)
सब बोलेंगे। बोलते जाइये। मेरा क्या बिगड़ रहा है।

श्री गोपाल सिंह (आंहोर) : पश्चिमी राजस्थान अकाल पीड़ित है, यह तो सर्व विदित है। गिरदावरी जल्दी कराने की बात बताई जा रही है। यह मुझे थोड़ा मिस-लीडिंग लग रहा है। इसलिए जहां थोड़ी बहुत बारिश हो गई और इसमें थोड़ी बहुत फसल नाम करने के लिए खड़ी है अगर इस वक्त गिरदावरी करते हैं तो गिरदावरी मिस-लीडिंग होगी। इसलिए आज से 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में वह फसल जल जाएगी और जो फसल आज खड़ी है उस हिसाब से गिरदावरी हो गई, तो वह गिरदावरी आगे चलकर मिस लीडिंग हो जाएगी। इसलिए इसका माननीय मंत्री महोदय ध्यान रखें कि अगर इस तरह से गिरदावरी हो तो मैं तो इसका सुझाव यह दूंगा कि हर जिले में, कब कब, किस-किस तारीख को कितनी-कितनी बारिश हुई है। उस बारिश के आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कहां पर फसल होगी और कहां पर फसल नहीं होगी। अगर इसका बाद में रिकार्ड करवा सकें, वैसे मेरे ख्याल से रिकार्ड होता होगा तो सबसे आसान तरीका यहहै कि आप गिरदावरी का सिस्टम तो रखे लेकिन जल्दी करवाने में यह मिसालीडिंग नहीं हो जाय उसके साथ में कोआर्डिनेट करने के लिए साथ ही साथ आप यह भी पता लगा लें कि उस इलाके में किस-किस तारीख को बारिश हुई और कितनी-कितनी बारिश हुई है। उससे आपको पता लग जाएगा कि कहां पर बारिश होने से कितनी फसल हो सकती है या सिर्फ नाम के लिए बारिश हुई है और उससे फसल नहीं हो पाएगी।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारे इलाके में पश्चिमी राजस्थान में बहुत जबरदस्त बारिश हुई और वहां पर इस वक्त भी काफी ऐसे काम पड़े है जो काम करवाने चाहिये और नहीं हो पा रहे हैं फेमिन के रूप में या फ्लड रिलीफ के रूप में तो पिछले साल जो फ्लड की तकलीफ आई थी और जिस वजह से बहुत से गांव बह गये, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, वही पर इस साल तक फेमिन का फायदा उठाते हुए जो आपके पास अनाप-शनाप पैसा पड़ा हुआ है, उस फेमिन रिलीफ फण्ड के रूप में इसको आप इस समय यदि ले लें कि कम से कम वे सबसे पहिले देखें कि जिन-जिन गांवों में पानी घुस गया था, जिन-जिन गांवों में मकान गिर गये थे, जिन-गांवों में लोग मारे गये थे ज्यादा बारिश की वजह से, उन गांवों में तो कम से कम स्पर्श बनाकर के अगर नदी के किनारे हैं तो स्पर्श बनवा दीजिये। जहां पानी बहता-हुआ आ गया है और अगर उसको डाइवर्ट करना है तो उसको आप डाइवर्ट कर दें और डाइवर्ट करके ऐसा कर दें जिससे कि आइंदा गांवों में पानी नहीं आए। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ कई जगह ऐसी आई है जहां अतिवृष्टि तो नहीं हुई लेकिन ऐसे कई बांध बन गये थे, सही या गलत, पोलिटिकल प्रेशर से या और किसी वजह से, उनके फुटने से जबरदस्त फलड हो गया तो उनको अगर अब बनवाये तो आप यह जरूर ध्यान रखे कि वह बनने से आइंदा फिर आपको फलड नहीं दे और उनको

(श्री गोपाल सिंह)

किस तरह से बांधा जाए, टेक्नीकली उसमें क्या कमियां रह गई थी उसको ठीक किया जाय उसका ध्यान रखते हुए विशेष फ्लड रिलीफ करवा दें तो पिछले साल के नुकसान को इस बार आप मेकअप कर लेंगे इस बार के फ्लड रिलीफ फण्ड के द्वारा। पीने के पानी की तकलीफ आनी ही है। जब बारिश ही नहीं हुई है तो हमारे यहां तो पश्चिमी राजस्थान में तो यह हाल है कि बारिश हुई तो कुओं में पानी होता है, बारिश नहीं होती है तो कुओं में पानी नहीं होता है। दूसरा हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया कि बड़े-बड़े बांध ज्यादा बांधने लग गये हैं कम बारिश होने वाले इलाकों में। बड़े-बड़े बांधों का सिर्फ उन्हीं जगह पर बांधा जाय जहां पर 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। हम क्या करते हैं कि जो सीजनल रिवर्स हैं या बारिश के मौसम में बहने वाली नदियां है, उन नदियों पर बड़े-बड़े बांधे देते हैं। अगर उन नदियों को नहीं बांध देते हैं तो वे नदियां हजारों बीघे का वैसे ही इरिगेट कर देती है बगैर सरकार खर्चे के क्योंकि वे उन कुओं को रिचार्ज कर देती है जो उन नदियों के दोनों तरफ कुंए बने हुए होते हैं और पानी को अपने आप रिचार्ज कर देती है और जितना आप खर्चा करके और नीचे इरिगेशन करते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा तो बगैर खर्च के वैसे ही पिला रहे हैं काश्तकारों को। तो यह खर्चा मैं समझता हूँ पैनी वाइस पाउण्ड फुलिश इसका कहते हैं कि उसके नाम पर आएगा। इसलिए इसके लिए आप यह ध्यान रखें कि अगर बांध वैसे ही फूट गया है, माननीय सदस्य कुछ मांग रहे थे, उसके पहले एक जगह आप जरूर सर्वे करा दें कि उस बांध से जो फायदा हो रहा है और उस बांध से जो नुकसान हो रहा है नीचे के फार्मर्स का वह कम्परेटिवली कितना नुकसानदायक है या फायदेमन्द है? अगर वह फायदेमन्द लगता है तो आप गिरदावरी करके उसके बनने से नीचे फार्मर्स को ज्यादा नुकसान हो जाता है तो उसको आप एनीकट्स के रूप में बनवा दें। जहां पर पानी रुकेगा, फिर चलेगा, उसके बाद में फिर नीचे रुकेगा, फिर चलेगा तो आप जगहों जगह थोड़े-थोड़े बांध रोकिये और नियम के पानी का जाने दीजिये। आखिर जाकर के आपको यह महसूस हो कि यह पानी समुद्र में गिरने वाला है, सी में चला जाएगा, वह अब काम नहीं आएगा, वहां हर बांध बनाने की रचना कीजिए, जिससे कि उस इलाके के लोगों को पानी मिल जाए और उसके रुकने से किसी को नुकसान नहीं हो और वहां पर उसका इरिगेशन का फायदा हो जाय। खेती के मामले में तो अगर अतिवृष्टि होने के बाद में अकाल होकर अच्छी बारिश हो जाती है तो उसका मेकअप कर लेते हैं। बारिश इस बार नहीं हुई तो इस बार खेती नहीं हुई लेकिन अगली बार बारिश हो जाती है तो काश्तकारों का उसका नतीजा अगली बार मिल जाता है। लेकिन पशु पालकों के लिए यह बात लागू नहीं होती। पिछले साल इतनी ज्यादा वृष्टि होने की वजह से नुकसान हो गया है. उस नुकसान का मेकअप नहीं कर सकते। उनकी 100 भेड़ें मर गई हैं. उनकी 10 गायें मर गई हैं या उनका जो भी पशुधन था, उस पशुधन का नुकसान हुआ है, उस नुकसान का वह अगली साल अच्छी बारिश होने से मेकअप नहीं कर सकते। वह बछड़ा इतनी जल्दी पैदा होकर के गाय नहीं बन सकता, भेड़ इतनी जल्दी

(श्री गोपाल सिंह)

पैदा कर इतने नम्बर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इसके बारे में अपने को खास तौर से व्यवस्था रखनी पड़ेगी। पशुपालकों के लिये व्यवस्था बहुत कम रखते है जबकि पशुपालकों की तरह भी हमको उतना ही ध्यान रखना चाहिये क्योंकि वह भी एक एग्रिकल्चर का पार्ट है। तो इसके लिए आपको यह खास ध्यान रखना होगा कि वह कम जानवर रखकर उतना ही उत्पादन कर सके तो इस तरह की उन्नत नस्ल के जो जानवर है उसका दें ताकि वह उसका फायदा उठा सके।

इंदिरा गांधी केनाल एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है। हमारे राजस्थान के लिए। चाहे जालौर में आती हो, चाहे जोधपुर में पानी पहुंचता या नहीं पहुचता है लेकिन इसका प्रभाव पूरे राजस्थान पर होगा। वह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। कछुवे की चाल से चल रही है। कई सालों से चल रही है। मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर सबसे बड़ी चीज यह देखें कि आसाम में उल्फा को निकालने के लिए आर्मी का कॉल किया है तो आप आर्मी का कॉल क्यों नहीं करते हो। आर्मी में तो इंजीनियर बैठे हैं. उसने काम जल्दी होगा और कम खर्च में यह काम हो सकता है। आर्मी यह काम कर सकती है, उनके पास इंजीनियर है टेलेण्ट है। आप अगर फौज का फायदा उठा सकें। पीस टाइम में तो मैं समझता हूँ कि शायद राजस्थान कैनाल कभी की तैयार हो चुकी होती। अब भी ले लेंगे राजस्थान कैनाल को तैयार करने में जो समय आप सोच रहे हैं उससे आधे समय में पूरा कर लेंगे। ऐसी मेरी मान्यता है।

हमारे यहां जो पीने के पानी के पारम्परिक श्रोत हैं उनको हम ने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। अलग से नये श्रोत बनाये हैं उससे हम पानी पिला रहे हैं लेकिन जो पारम्परिक श्रोत थे जैसे शहरों के अन्दर बड़े-बड़े तालाब है या बावड़ियां हैं या सागर है उनकी कैनाल बड़ी हो गई हैं या कैनाल रुक गई हैं या उसमें एनक्रोचमेण्ट हो गये हैं उसमें पानी आने का रास्ता रुक गया है। आपको ऐसे समय के लिए इन पारम्परिक श्रोतों को भी बचाकर रखना होगा अकाल के समय यह बहुत काम आ सकता है। हैण्डपम्प की व्यवस्था हो गयी है लेकिन हैण्डपम्प का पानी भी नीचे चला जाता है और हैण्ड पम्प काम नहीं कर पाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पशुओं के लिए खास तौर मैं निवेदन करना चाहूँगा उनके लिए चारे की व्यवस्था हर हालत में की जानी चाहिए। जिस तरह से आप लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करते हैं उसी तरह से आपको पशु पालकों का ध्यान रखते हुए चारे के गोदाम बनाने होंगे। यह आप अच्छा जमाना हो जाय तब बना लीजिए ताकि जब जरूरत हो तब काम में ले लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे इरिगेशन के फण्ड्स कम मिल रहे हैं और इरिगेशन के बहुत से डेम, केनाल है जिनकी लाईनिंग करवानी । अगर है वह लाईनिंग आप रिलीफ फण्ड से करवा दें तो पानी का रिसने से नुकसान होता है उसको आप काश्तकार के खेत तक पहुंचा पायेंगे और जितना पानी बचेगा उससे आप 10-50 ज्यादा बीघा खेत को पानी पिला पायेंगे । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : कृपया आगे बोलने वाले हैं उनका भी ध्यान रखें।

सदन की कार्यवाही
मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में मुख बन्द के प्रयोग हेतु पूर्व में साढ़े आठ बजे का समय सदन द्वारा निर्धारित हुआ था। मेरा प्रस्ताव है कि यह समय अब रात्रि 10.00 बजे तक के लिए निर्धारित कर दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने प्रस्ताव रखा है साढ़े आठ बजे का टाइम था और अभी यह जो अकाल पर बहस है और मैं समझता हूँ कि एक घण्टा और चलेगी।

श्री सभापति : 20 माननीय सदस्य बोलने वाले है।

श्री चन्दनमल बैद : कम से कम एक घण्टा लगेगा। माननीय मंत्री महोदय, का जवाब होगा, फिर प्रश्न पूछे जायेंगे तो 10 बजे तक का समय बढ़ा रहे हैं आधे घण्टे में डिमाण्डस पास कैसे हो जायेगी ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : 10 बजे का रखा है। जरूरत होगी तो आगे और बढ़ा देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय बैद जी ने बहुत सही बात कही है बार-बार मुखबन्द का समय बढ़ाना उचित नहीं है। एक बार समय निश्चित करके उसकी पालना करिये।

श्री सभापति : जब 6.30 बजे रखा था तक तो 8.30 हो गया, अब जब 10 रखेंगे तो रात के दो बजेंगे। इसलिए अभी 10 बजे तक का बढ़ा दिया जाय फिर बाद में आवश्यकता होगी तो और बढ़ा दिया जायेगा।

क्या सदन की अनुमति है कि मुखबन्द का समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

मुखबन्द का समय रात्रि 10 बजे निर्धारित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश के कुछ हिस्सों में अकाल से उत्पन्न स्थिति

श्री हीरालाल इन्दोरा नहीं बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक नहीं बोल रहे हैं।

श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, अकाल पर चर्चा के लिए मैं बीकानेर जिले का विशेष रूप से जिक्र करूं क्योंकि 85-86 से लेकर आज तक लगातार अकाल रहा है और 1987-88 में इतना भयंकर रूप धारण कर लिया था कि पशुधन मर रहा था और सरकार ने व्यापक स्तर पर फोडर

(श्री मनीराम सियाग)

का प्रबन्ध किया था। उस समय जो पशु-पालकों की क्रय शक्ति कम हो गयी थी उसको बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने फोडर पर अनुदान दिया था परन्तु वह अनुदान उस समय कारगर नहीं हुआ था। मेरा अनुदान देने बाबत अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन है कि अबकी बार पशुपालकों की क्रय शक्ति को बरकरार रखने के लिए सरकार पशुपालकों को ही सीधा अनुदान, जितना दे सके वह प्रदान करें।

मैं सबसे पहले निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितनी इस बार वर्षा हुई है वह बहुत कम है। जो सामान्य वर्षा 158 मिलीमीटर से ऊपर होती है वह इस वर्ष केवल 38 मिलीमीटर हुई है। वह भी अगस्त के महीने में तो माननीय सभापति महोदय, जब वर्षा लेट होती है तो घास चारा बिल्कुल नहीं होती है। आज कितनी भी वर्षा हो जाय पशुओं के लिए तो अकाल इससे भयंकर नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप स्वयं वहां जाकर देखें तो सड़क के किनारे जगह-जगह हड्डियों के ढेर पड़े हैं। जिस सड़क से गुजरते हैं तो सिवाय लकड़ियों के ऊंट गाड़े जो किसान अपने रोजगार का साधन समझता है उनके और हड्डियों के ऊंट गाड़े भरे हुए मिलेंगे तो ऐसा भयंकर रूप सामने आया है कि इस प्रकार का रूप पिछले वर्षों में कभी नहीं देखा। इसका कारण यह भी है कि पिछले वर्ष से जो टीबी से लेकर हनुमानगढ़ होते हुए सूरतगढ़ को नाला आता है वह भी नहीं आया। नाला नहीं आने की वजह से सराली जो चावल की बनती है वह भी इस साल देखने को नहीं मिल रही है।

दूसरा, पिछले वर्षों में पंजाब, हरियाणा में तूड़ी का स्टॉक था उनको पहले पता नहीं था कि इसके भी पैसे उठते हैं। उन्होंने ऐसे ही स्टॉक कर लिया था और 1986-87 में मांगने पर दे देते थे और थोड़े से पैसे में दे देते थे आज हम देखते हैं कि बीकानेर में दो सौ रुपए प्रति क्विंटल पर भी तूड़ी नहीं मिल रही है और पंजाब में जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि हम नहीं देंगे। हम अब जान गये हैं कि आपके पशु हमारी इस तूड़ी पर निर्भर हैं। एक तूड़ी के उत्पादन में जो कमी आयी है वह कम्पेक्ट मशीन से आयी है जो बड़े काश्तकार काम में लेते हैं उससे तूड़ी नष्ट होती है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं पशुधन को बचाने के लिए जोर दे रहा हूं। इसका कारण यह है कि हमारा बीकानेर जिला - उरमूल डेयरी के माध्यम से पूरे देश को 3 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सप्लाई करता है। उसकी मात्रा आज घट रही है। मैं आपको एक केन्द्र लूणकरणसर के आंकड़े देना चाहता हूं। जो जमाने के समय में 150 हजार लीटर दूध की चीलिंग में परेशानी महसूस करती थी वह 20-21 हजार लीटर पर आज आ गयी है। तो इससे आपको आभास होगा कि वहां पर कितना भयंकर अकाल है, फोडर और चारे की कमी है। उसके भी भाव बढ़ गये हैं और दूध उत्पादक को इस चारे का लाभ नहीं मिल रहा है।

दूसरा, एक जो व्यवधान आया है वो यह आया है कि जो सहकारी समितियो

231

(श्री मनीराम सियाग)

के माध्यम से दूध मिल रहा था, वहां के एम. डी. ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जो समितियां दूध देती है उन्हीं के अध्यक्षों को यह सब्सिडाइज चाटा दिया जाय। तो मेरा इसमें यह निवेदन है, क्योंकि दूध उत्पादक जहां से ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिलेगा वह वहीं दूध देगा। तो निवेदन कर दूं मावे की भट्टियां, जो व्यापारी है वहीं ज्यादा कीमत मिलती है और वे वहीं दूध देते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। दुधारू पशुओं को ये चाटा नहीं देते हैं सूखी गायों को और ब्याने वाली गायों, को नहीं दे रहे हैं। तो वहां कैसे उपज हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि सूखी गायों को और दूसरी गायें हैं उनको चाटा मिलना चाहिये।

तीसरा, मेरा निवेदन है मान्यवर, अकाल पीड़ित क्षेत्र से में प्रतिनिधि हूं और बीकानेर जिले का...

श्री सभापति : यह सब बातें हो चुकी है।

श्री मनीराम सियाग : विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के बारे में निवेदन कर रहा हूं...... मन्त्रीजी का तो बाकी पड़ा है क्योंकि आप तो चुप बैठे हैं। मेरे को तो यह कह नहीं पाये। लेकिन मुझे पता है कि गायत की स्थिति खराब है। पिछले साल मन्त्रीजी ने घोषणा की थी...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। बहुत लम्बी लिस्ट है मेरे पास।

श्री मनीराम सियाग : चारों मुद्दों पर बोलूंगा। अभी तो घास, चारा ही चल रहा है। उसके बाद मान्यवर, मैं सस्ते अनाज के बारे में भी निवेदन करूंगा। सस्ते अनाज की वहां वितरण व्यवस्था है वह बिल्कुल दुरस्त नहीं है।

श्री सभापति : संक्षेप में जो बात कही जाती है उसका ज्यादा जोर होता है।

श्री मनीराम सियाग : माननीय सभापति महोदय, आप जोर देते हैं तो मैं फिर बैठ जाऊं......

श्री सभापति : नहीं, चर्चा जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री मनीराम सियाग : तो जो सस्ते अनाज की वितरण व्यवस्था है उसमें व्यवधान आ गया है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि वहां पर ज्यादातर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से यह वितरण प्रणाली चालू है और वहां का सचिव, व्यवस्थापक, ग्राम सेवक हड़ताल पर है। तो जो वितरण प्रणाली है वह अस्वस्थ हो गयी है और प्राइवेट डीलर को अगर दे भी दे तो करेप्शन का ज्यादा भय रहता है क्योंकि मार्केट में मारजिन ज्यादा है। 200-200, 150-150 रुपये क्विंटल का का मार्जिन है। तो आपको इसमें कोई कोई ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे

(श्री मनीराम सियाग)

कोई कमेटी बना कर डिपो होल्डर इस वितरण व्यवस्था को जारी रखें।

चौथा, मेरा निवेदन है कि पेयजल के ऊपर है। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है उसका कुछ एरिया नहरी क्षेत्र का है, कुछ कुओं से पानी दिया जा रहा है कुछ ऐसे गांव हैं जहां कुआं नहीं है, जोहड़ों में बरसात के समय पानी लिया करते थे। आज जोहड़ों में बरसात हुई नहीं तो पानी आया नहीं और जो व्यवस्था टेंकर वाली बतायी है वह हमें तो बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होती है। टेंकर से कहीं भी पानी आज सप्लाई नहीं हो रहा है। यह तो केवल जमा खर्च की एक प्रणाली है। आप चाहे इसको कितना ही चालू रखें। इससे तो अच्छा है कि आप ऊंट गाड़े लेकर दे दीजिये, वहीं के गांव की कमेटी बना कर उनको पैसे दे दीजिये।

पांचवा मेरा निवेदन है मजदूरी के लिये। यह तो आपको पता ही है 2-3 साल से आप पक्के निर्माण कार्य नारे लगा कर छोटे छोटे काम स्वीकृत कर दिये उनमें लेबर ही काम करती है वहां आम आदमी को कोई मजदूरी करने का मौका नहीं मिलता है। आज मान्यवर, एक गरीब आदमी को जो कारीगर नहीं है, जो बिल्डिंग में दक्ष नहीं है उस आदमी को भी रोजगार देने की जरूरत है तो इसमें आपसे निवेदन करूं और एक राय भी देउंगा सन् 1968-69 में भू-संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था अब क्योंकि बरसात नहीं हुई और बरसात नहीं होने से घास नहीं हुई, अनाज भी नहीं हुआ

श्री सभापति : यह सब आप कह चुके हैं दुबारा कह रहे हैं।

श्री मनीराम सियाग : मेरी सुनिये, इसमें मैं बता रहा हूँ कि भू- संरक्षण कार्य क्यों जरूरी है।

श्री सभापति : आप बहुत बोलते हैं, दो-तीन दफा तो घण्टी बजा दी है मैंने।

श्री मनीराम सियाग : रेतीली जमीन है, आंधिया चलने से और ज्यादा रेतीली जमीन हो जाती है, भूमि का कटाव होगा उससे आने वाले सालों में किसानों को दिक्कत होगी। तो अकाल कार्य शुरु करिये उसमें सड़क तो हो रही लेकिन भू-संरक्षण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाय। मैं लम्बा-चौड़ा क्योंकि आप दुःखी हो रहे हैं इसलिए मैं आपका समय नहीं लूंगा।...

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में ज्यादा प्रभावशाली होता है। आप लम्बा बोल चुके हैं धन्यवाद। कृपया बिराजे।

श्री मनीराम सियाग : मेरा निवेदन यह है कि लूणकरणसर, कोलायत और बीकानेर, बीकानेर शहर के नहीं देहात के गांवों को आप लीजिये और वहां की हालत देखिये और राहत पहुचाइये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, अकाल की चर्चा काफी हुई और हमारे नागौर जिले में

(श्री बिरदाराम चौधरी)

अकाल के नाम से लोगों में डर घुसा हुआ है उसके बावजूद भी बड़े दुःख की बात है कि यहां पर अकाल की चर्चा करनी पड़ रही है। जब कभी कोई आदमी दूर चला जाता है गांव से थोड़ी दूर के लिये और दूसरे दिन आता है, तो लोग यह कहावत कहते हैं कि कहां मालवे ही गयो भई। मालवे का मतलब है म० प्रदेश जाना और अकाल पर जाना। यह बहुत ही बुरी बात है। लेकिन यह तो विधि की विडम्बना है और बड़े दुःख की बात है। अभी जो चर्चा हुई है जालौर की, जोधपुर और गंगानगर की उसी तरह से नागौर जिला है उसमें दो-तीन तहसीलें ऐसी हैं जहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है।

सभापति महोदय, अकाल राहत मन्त्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है उसके अन्दर नागौर जिले को औसत से ज्यादा बरसात में गिना गया है। लेकिन जो सूचना मिली है राहत मन्त्रीजी को यह बात बिल्कुल गलत है। जो बरसात का रिकार्ड किया जाता है वह एक तहसील हैड क्वार्टर पर किया जाता है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना की बात आपको बताऊं ..

श्री सभापति : यह बात कह चुके हैं इसलिए कोई खास बात हो तो बतायें।

श्री बिरदाराम चौधरी : मैं विशेष बात बता रहा हूं कि पर्वतसर तहसील हैड क्वार्टर है और वहां से 70 किलोमीटर तक विधान सभा की पंचायत समिति का क्षेत्र है और बरसात का रेकार्ड किया जा रहा है वह एक तहसील हैड क्वार्टर पर किया जाता है।

श्री सभापति : इस प्रक्रिया के बारे में बहुत विस्तार से खोल चुके हैं।

श्री बिरदाराम चौधरी : मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा औसत बरसात बतायी है। इसलिए जो तहसील हैड क्वार्टर से दूरी के गांव हों उनमें जाने के बाद ही पता लग सकता है कि वहां बरसात हुई है या नहीं हुई है। मेरा मकराना विधान सभा क्षेत्र है। मकराना में 25 गांव ऐसे हैं जहां पर औसत से बहुत कम बरसात हुई है और बरसात नहीं हो यह एक अकाल का कारण नहीं है। अकाल के तीन कारण होते हैं। एक तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि से अकाल हो सकता है और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। सभापति महोदय, विशेष तौर से हमारे इलाके में जिनके डेयरी विकास मंत्री महोदय विराजमान है, काफी इलाका उनका है, काफी जायल तहसील का है, मकराना विधान सभा तहसील का और पर्वतसर का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर प्रकृति के प्रकोप से एक कीड़ा, कातरा ऐसा है कि वहां पर जो भी बुवाई हुई थी जिले के अन्दर वह सब साफ हो गई। वह कीड़ा राहत मन्त्रीजी एक ऐसा कीड़ा है जो फसल के ऊपर से निकल जाय और खाये नहीं तो भी फसल वहीं की वहीं रह जाती है। घास भी नहीं है। मैं आपको ऐसे गांवों के नाम गिना देता हूं। करीब 20-25 ऐसे गांव हैं जिनमें आज एक तोबा-जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं एक पौधा नहीं, घास नहीं, फसल नहीं। ऐसे गांव हैं जैसे रामसिया, मनाणी, लोबड़ीकलां ...

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : मुझे सूची दे दीजिये।

श्री सभापति : आप लिस्ट दे देना मंत्री महोदया को।

श्री बिरदाराम चौधरी : तो ऐसे 20-25 गांव हैं वहां पर एक पौधा भी नहीं है, और अकाल भी भयंकर स्थिति है। जो यह कीड़ा हुआ था इसके लिए मैंने 9 तारीख को जिला कलक्टर से बात की। उन्होंने हमको यह बताया कि इसके लिए कृषि विभाग ने दवाइयों के लिए पैसा भेजा। लेकिन 9 सितम्बर तक एक भी पैसे की दवाई गांवों में नहीं पहुंची। कहीं पर फसल का दाना नहीं है इसलिए भयंकर अकाल है। मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर अकाल है पशुओं के चारे की बहुत किल्लत है। चालीस किलो का 90 रुपये तक बाजरे की कुतर है, जो अनाज का एक भाग है। वहां पशुओं के लिए चारा नहीं है। मकराना विधान सभा क्षेत्र का जो पश्चिमी हिस्सा है वह पहले से ही बांका पट्टी कहलाता है। पानी की वहां कमी है, पानी का कोई सोर्स नहीं है। बरसात नहीं होने से आज वहां पानी की किल्लत हो रही है। इसलिए विशेष तौर से वहां चारे की व्यवस्था की जाय ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पानी की व्यवस्था की जाय। रोजगार का मामला है। वह एक फसली एरिया है, डबल क्राप है नहीं और रोजगार के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रोजगार की व्यवस्था भी की जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री जगजीत सिंह (अनुपस्थित) माननीय श्री चन्दनमल बैद (अनुपस्थित) माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान (अनुपस्थित) माननीय श्री शान्तिलाल (अनुपस्थित) माननीय श्री मदन लाल सैनी (अनुपस्थित) माननीय श्री टीकमचन्द कांत (अनुपस्थित) माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय सभापति महोदय, अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल को हम सब गम्भीर बताते हैं, अकाल के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हैं लेकिन वास्तव में इसके लिए क्या किया जाना चाहिए हम उसको गम्भीरता से नहीं लेते। चाहे पिछली सरकार का मामला हो, चाहे वर्तमान सरकार का सवाल हो। सभापति महोदय, अकाल से निपटने के लिए एक फेमिन कोड बनाया हुआ है। इस अकाल संहिता के अन्तर्गत जहां कहीं भी पर्याप्त वर्षा नहीं हो, लोगों के खाने और पशुओं के चारे का अभाव हो जाय तो फेमिन कोड के तहत सरकार को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जबकि प्रेक्टिकली होता यह है कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बजाय हम केवल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं। फेमिन कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत अगर हम अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

है कि वह लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध कराए, पशुओं के चारे का पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध किया जाय, उनको पेयजल सुलभ कराया जाय। लेकिन अमूमन सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बचती है। दूसरा, सभापति महोदय, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत केवल गायों के चारे की व्यवस्था की जाती है, जबकि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा पशु भाग है जिसमें भेड़, बकरी और ऊंट भी आते हैं। मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुरानी लीक से हटकर, जो परम्परा इन्होंने बना दी इसको समाप्त करें।

राजस्थान में जहां कहीं भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई उस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र अकाल संहिता के अन्तर्गत घोषित करें और वहां के लोगों को खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध कराएं, पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुलभ कराएं। गायें हों, चाहे ऊंट, भेड़, बकरी हों, यह बहुत बड़ी पशु सम्पदा है, इन सबके चारे की व्यवस्था का प्रबन्ध आप स्वयं अपने स्तर पर करें। इसके साथ ही अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम भी आपको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पलायन होगा और बड़ी तादाद में लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक के लिए तो अकाल है, माननीय सभापति महोदय, पर कइयों के लिए यह राहत भी मुहैया कराता है। लेकिन हमारी वर्तमान मंत्रीजी इस परम्परा से हटकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार, खाद्यान्न वस्तुएं, पेयजल और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : सभापति महोदय, अकाल के बारे में काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मन्त्रीजी से कुछ जानकारी चाहूंगा और मेरे कुछ सुझाव रखूंगा। सभापति महोदय, मन्त्रीजी हमारे जालौर जिले के पास के जिले पाली की है। या तो इनको हमारे जिले से नाराजगी है या इन्होंने यह सोच लिया कि पाली में बारिश हो गयी है इसलिए जालौर जिले में अकाल है नहीं। माननीय मंत्रीजी ने तीन कैटेगरी अकाल की बतायी हैं, दो ही कैटेगरी रखनी चाहिए, कहां तो अकाल है और कहां नहीं है। मंत्रीजी ने स्थान बताये, जहां कम बारिश हुई उसको दूसरी कैटेगरी में ले लिया। जालौर दूसरी कैटेगरी में आ गया। कम बारिश वाले तो जहां बारिश नहीं हुई उससे ज्यादा पीड़ित हो गये। जहां एक दफा बारिश हुई आपने उसको कम बारिश में ले लिया। किसान के पास जो कुछ था वह उसने लगा दिया। आप तो दो कैटेगरी रखें, मन्त्री महोदया, मेरा आपसे निवेदन है। हमारा जालौर जिला तो पिछले सात सालों से अकाल में रहा है। पिछली बार सरकार आयी तो बहुत अतिवृष्टि हुई। पहले बारिश खूब हुई। हमें खुश हुए। हमने कहा कि नयी सरकार आयी है बारिश भी लेकर आयी है।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

भैरोंसिंह जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आते ही, देख लो, आपके सब सरसब्ज हो गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : बूटासिंह जी के आते ही अकाल पड़ गया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आठों कांस्टीट्यूएंसी में अकाल पड़ा है इस बार आपके वोटों का, आठों जगह हारे हो आप। उसकी बात नहीं कह रहा, अकाल की बात कर रहा हूं मैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : आठों में बूटा सिंह जी-काल कर गये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सभापति महोदय, पिछली बार जो बारिश हुई उसमें अतिवृष्टि हुई हमारे यहां, बाढ़ आ गयी। फसल पहले जो होनी थी, हम समझ रहे थे कि बारिश होने से फसल होगी, बारिश आने से वह फसल खराब हो गयी। पिछले साल भी बारिश के कारण फसल नहीं हुई। उस समय से हमारे वहां तो अकाल चला आ रहा है। दैवी विपदाओं के अन्दर हर साल 124 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था है। बजट के अन्दर नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने पूरा पैसा दे दिया। 620 करोड़ का। इसी हैड के अन्दर आप काफी खर्च कर सकती हैं। हमारे पिछले वर्ष जो बाढ़ आयी, कुएं हमारे खराब हो गये, खेत खराब हो गये और नदियां चारों तरफ से अपनी सीमा लांघकर गांवों में घुस गयीं, गांवों के अन्दर उन्होंने तबाह कर दिये मकान वगैरह। आपने वहां कोई राहत नहीं पहुंचायी। अब आप अकाल राहत मंत्री हैं. दैवी विपदाओं के लिए कितना फण्ड आपके पास आता है। उसका भी आपके पास हिसाब है। आपने कहा तालाब भर गये। हमारे तो किसी तालाब में पानी नहीं है, आप सर्वे करवा लें। पीने के पानी के लिए जहां हैण्ड पम्प लगा रखे थे, हमारे एरिया के अन्दर हैण्ड पम्पस में बिल्कुल पानी नहीं है। ऊपर लगा रखे थे पानी उससे नीचे चला गया। ट्यूबवैल भी कई सारे सूख गये। चारे की जहां तक समस्या है आप कम से कम जिला स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था करवा दीजिए कि स्टोरेज कर दें या लोकेशन कर दें कि इस जिले को इतना चारा चाहिए और जितना हमारे पास है उस हिसाब से चारा वहां उपलब्ध हो जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अनाज की जहां तक समस्या है पिछले वर्ष हमारे यहां बाजरी हुई नहीं। एक सखिय गांव है जो एक फसली गांव है। वहां पिछले वर्ष अनाज नहीं हुआ और इस बार भी अनाज नहीं हुआ। आपने कहीं-कहीं पांच सौ मैट्रिक टन अनाज भेजा है, हमारे यहां भी अनाज की व्यवस्था करवा दीजिए।

सभापति महोदय, पिछले साल जो करवाये गये थे उन अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी हमारी सभी कच्ची सड़कें बाढ़ के अन्दर टूट गयीं। मुरम जो काम में लिया जाता है वह दो क्वालिटी का है। पिछले फेमिन के अन्दर जो मुरम काम में लिया गया, 10 साल से वे मुरम की सड़कें आज दिन तक स्थायी हैं और पिछले साल जो मुरम काम में लिया गया वह घटिया

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

स्तर का था। वह मुरम उड़ गया ऊपर से और कंकर रह गये। आप अच्छे मुरम से सड़कें बनावें। जहां तक इस बार खर्च करने का सवाल है, विकास कार्यों के लिए जालोर जिले में मैटीरियल की कोई कमी नहीं है। पक्की सड़क के लिए कंक्रीट वगैरह जो मैटीरियल चाहिए, आप उसकी व्यवस्था करावें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरे 2-3 सुझाव और देकर मैं समाप्त कर देता हूं।

श्री सभापति : आपने सारे दे दिये सुझाव तो।

श्री प्रेमसिंह दहिया : भुगतान में कुछ हिस्सा अनाज का भी रखिये। आधा अनाज दीजिए मजदूरी के लिए और आधा पैसा दीजिए और हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को फेमिन के काम में लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

(8.50 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अब सभापति जी जा रहे हैं और उपाध्यक्ष जी आ रहे हैं इसलिए दोनों को ही साथ सम्बोधित कर रही हूं।

उपाध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री महोदया को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने कुछ गेहूं का आवंटन किया है और साथ में यह भी कहूंगी कि इस प्रकार की सहायता जारी रखें, वरना जैसी पिछले साल मारा-मारी गेहूं की हुई थी वह स्थिति हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कभी किसी बालक का पिता भरोसा देकर बाजार जाने की कोशिश करता है कि बच्चे तू ठहर, मैं बहुत सारी टाफियां लेकर आता हूं तेरे लिए। ठीक उसी प्रकार से गत लोकसभा चुनावों में हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री बूटासिंह जी जहां भी जाते, लोगों से एक ही बात कहते थे कि मुझे वोट देओ। मैं बहुत सारे फेमिन वर्क्स लाऊंगा। उपाध्यक्षजी, हमें बड़ी पीड़ा होती थी लेकिन सिरोही और जालौर की भोली-भाली, अनपढ़ जनता हमारी भावनाओं को समझ नहीं सकी और न जाने किस घड़ी में हमारे क्षेत्रीय माननीय सांसद ने यह बात कही कि (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : श्री कैलाश मेघवाल की वजह से हुआ है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सच सुनो, सच सुनने में कोताई नहीं करनी चाहिए। वह जहां भी जाते यही बात कहते, कि मुझे वोट देओ, मैं आपके लिए बहुत सारे फेमिन वर्क्स लाऊंगा। हमें बड़ी पीड़ा होती थी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : फेमिन ही नहीं हुआ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उन्होंने आपकी सहायता की है। वोट उनके काम के मिले हैं। उन्होंने जो काम किए उसके वोट मिले हैं। आप काम करते तो आपको वोट मिलते। आपके सिरोही जिले में 3 एम. एल. ए. हैं, आपकी तीनों विधान सभा क्षेत्रों से कांग्रेस को 20 हजार से अधिक वोटों से जिताया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा है कि कांग्रेस के लोगों को अकाल बहुत पसन्द है और इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अकाल और कांग्रेस का गहरा सम्बन्ध चल रहा है। इन्हें अच्छा लग रहा है कि हमारे यहां अकाल हुआ। लेकिन, उपाध्यक्षी, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि ग्रामीण भोली-भाली जनता इस बात को समझ नहीं पाई। क्षेत्रीय सांसद महोदय पता नहीं किस घड़ी में बोले थे, किस समय में बोले थे कि हमारे यहां अकाल हो गया। बहुत समय तक बारिश नहीं हुई और जब बारिश आई तो कुछ लोगों ने हल चलाये और कुछ ने नहीं चलाये। काश्तकार के घर में, गरीब आदमी के घर में जो कुछ भी था अनाज या खाद वगैरह उपलब्ध था या चार पैसे थे वह सारी अपनी जमा पूंजी उसने खेत में लगा दी लेकिन पलट के दुबारा बारिश नहीं आई। छोटे-छोटे पौधे आज बारिश के बिना जल कर खाक हो गए।

उपाध्यक्षजी, आज हमारे काश्तकार दोनों तरफ से रो रहे हैं। अकाल तो उसके है ही लेकिन अपने बच्चे समान छोटे-छोटे भुट्टे उसके सामने ही जल गये, खेत खत्म हो गए, घर में जमा पूंजी खत्म हो गई और आज उसके सामने अपने बच्चों का, अपना भरण-पोषण करने की बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी है। मैं, माननीय मन्त्री महोदया को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि वे 2 या 3 कैटेगरी नहीं करें। कहीं पर थोड़ी बारिश है, कहीं बिलकुल नहीं है और कहीं पर बारिश है। जिसके यहां थोड़ी बारिश हुई है वह ज्यादा रोया है। क्योंकि उसका तो सब कुछ चला गया और उस वर्षा से उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए गिरदावरी को ज्यादा चिन्ता किए बगैर हमारे सभी इलाके में अकाल राहत कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवायें। और उन कार्यों में मेरा एक सुझाव है कि बहुत सारे कार्य तो फेमिन

(रात्रि 8·55)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

के ही अधूरे पड़े हैं। उन फेमिन के कार्यों को हाथ में लिया जाय और गांवों को सम्पर्क सड़कें पिछले वर्ष के बाद टूट-फूट गई है और फेमिन की थी या कच्ची मुरड़ की बनी हुई थी उन्हें हाथ में लिया जाय और जो जवाहर रोजगार योजना के अधूरे काम पड़े हैं उन्हें हाथ में लिया जाय तो गांव-गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा।

साथ ही पशुओं के लिए भी हमें आज ही सोचना होगा। हमारे राजस्थान से और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान से पशु निष्क्रमण करते हैं तो उन पशुओं का नि-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

क्रमश आज कुछ तो राजस्थान में जाते हैं और कुछ मध्य-प्रदेश में जाते हैं। वह ठीक प्रकार से जायं, वह सुरक्षित रहें और उनके पशुओं को चराने के लिए ठीक व्यवस्था हो। वह बात भी आज ही सोचनी पड़ेगी। वरना जहां भी हमारे पशुपालक पशु लेकर जाते हैं, भयंकर लड़ाई-झगड़े होते हैं, मार-पीट होती है और एक बार घर से पशु चराने के लिए निकले हुए पशु-पालक कई बार लौटकर वापस घर नहीं आते हैं। इसलिए पशुधन को बचाने की योजना भी हमें आज ही बनानी होगी।

जब अकाल पड़ गया है तो पेयजल की कमी होना स्वाभाविक है और थोड़ी देर बाद ही पेय-जल की डिमाण्ड है। माननीय मन्त्रीजी विराजे हुए हैं। हमारी शिवगंज तहसील में वर्षों से पानी की भारी कमी है और इस बार तो वर्षा ही नहीं हुई है तो पहले ही सोच लेना चाहिये कि पेयजल की भारी किल्लत होने वाली है। मैं पिछले डेढ़ वर्षों से लगातार इस विधान सभा में अपनी बात को उठा रही हूं कि हमारे यहां ग्रामीण पेयजल के संवर्द्धन के लिए 360 लाख रुपये की एक योजना 1989 में मंजूर हुई थी लेकिन बड़े खेद की बात है कि उस योजना के द्वारा अभी तक कोई कारगर कदम उठाया जाकर पेयजल संवर्द्धन नहीं किया गया है। माननीय मन्त्रीजी मेरी बात को समझेंगे और समय रहते, जब मई और जून आता है तब हैण्डपम्प खुलवाने की बात सोची जाती है तब उस समय न मशीनें उपलब्ध होती हैं और इतनी जल्दी काम हो पाता है और जो धन उसमें खर्च किया जाता है वह भी समय पर पेयजल नहीं देने के कारण व्यर्थ ही जाता है। इसलिए अगर आज इस बात की चिन्ता को कहां-कहां पानी की भारी कमी है तो मैं मानती हूं कि निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा।

आज ही मेरा सवाल था और सरकार से जो जबाब आया है उस जबाव के अनुसार सिरोही और शिवगंज के 80 गांवों में से 74 गांव में फ्लोराइड है तथा 6 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। इस 80 गांवों में फ्लोराइड और क्लोराइड की मात्रा....

श्री जुबेर खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या महावीरजी को आपने रिपोर्टर एपाइन्ट कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : वह अनफिट हैं उसके लिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : उस मात्रा के अधिक होने से सरकार का यह मानना है कि उस पानी को पीने से लोग कुबड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे सगालिया गांव में, पण्डोर गांव में जहां के लोग भरी जवानी में कुबड़े होकर चलते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और तो और, अध्यक्ष महोदय, उस गांव में कोई अपनी बेटी देना भी पसन्द नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : अब यह अकाल राहत में बोलने की बात है ? मन्त्रीजी के पास इतनी बेटियां हैं जो भेज देंगे गांव में क्या ?

श्रीमती तारा भण्डारी : साहब अभी पेय-जल आने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों बातें अपनी तरफ से उठा दी हैं। मुझे आपने मौका दिया उसके लिए बहुत-धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नवनीतलाल नीनामा आप दो मिनट बोलेंगे। आपके यहां अकाल तो है नहीं।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में इस वर्ष वैसे बारिश तो हुई लेकिन वर्षा दो बार हुई। 12 जून को जो वर्षा, हुई फसल तो कुछ पकने में आ गई लेकिन जो जुलाई में बरसात हुई दूसरी किस्त में फसल की बुवाई हुई है वह फसल आज सूख रही है और सूख गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के जिलाधिकारियों से यह जानकारी ली जाय कि जो बाद की फसल सूख गई है उनका सर्वे करवाया जाकर अकाल पर विचार किया जाय। यह मेरा सुझाव है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जब-जब अकाल के समय में हमारे दक्षिणी राजस्थान में कुओं का काम हाथ में लिया जाता है गत वर्षों में, वर्ष 1986-87 और 1987-88 में सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में अकाल की जो रिपोर्ट मेरे पास है वह मैं जानकारी देना चाहता हूं, 7 हजार 218 कुएं इन दो वर्षों में अकाल राहत में लिये जिनमें से 1536 कुएं आज दिन तक अधूरे पड़े हैं। अतः मेरा यह सुझाव है सरकार को कि तालाब और कुआं अधूरा रह जाता है तो उसकी कोई वक्त नहीं है। सरकार का धन नाजायज बरबाद हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि अभी भी इन वर्षों में वह सर्वे कराया जाए। जिन-जिन गांवों में जो कुएं अधूरे पड़े हैं चाहे उस गांव में अकाल है या नहीं है लेकिन वह कुआं सरकारी धन से खोदा गया है वह अधूरा पड़ा है उसको पूर्ण कराया जाए ताकि सरकार का जो धन नाजायज खर्च हुआ है उसका उपयोग हो। यही मैं दो सूचनाएं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों की यह मांग थी कि कल बिजली पर बहस होगी और रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। पहले हमारे पास 1987-88 की रिपोर्ट आई थी लेकिन आज 1988-89 की रिपोर्ट आ गई है। वह रिपोर्ट मैं अभी सदन की मेज पर रखवा देता हूं और अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जो बचेगी उनको कल सुबह दे देंगे ताकि आप 1988-89 पर तैयार होकर आ जाएं। माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि विद्युत सम्बन्धी नई नीति पर भी हमने एक पुस्तिका

श्री अध्यक्ष : वह बात तो हो जाएगी आप करेंगी तो

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह भी नहीं मिली है, हमें वह मिले तब ही तो हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे। वह हमें नहीं प्राप्त हुई है तो वह भी दिलवाइए आप।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बाबूलाल खांडा (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह नई नीति की कापी भी साइक्लोस्टाइल हो गई हो तो आज ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए । श्री जुबेर खां।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश में कुछ हिस्सों में अकाल से उत्पन्न स्थिति

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि वहां तो अकाल पड़ता ही नहीं है । लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अलवर और भरतपुर के लोगों के लिए कि इस साल वहां भी अकाल जैसी स्थिति बन गई है । दो सौ रुपये क्विंटल तक चारा इस बार अलवर और भतरपुर में बिका है । बारिस बहुत लास्ट में तीन-चार दिन हुई थी और अब अगर बारिश नहीं हुई तो जो फसल बोई गई थी वह सूखने को है । जितने भी बांध हैं चाहे सिलिसेड का हो, चाहे जयसमंद बांध हो चाहे विजय मंदिर का, आज स्थिति यह है वह हर बार भर जाते थे पर इस बार चार-चार, पांच-पांच फीट ही पानी आया है । तो मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि पिछली बार भी आपके सरक्यूलर्स हमने देखे थे । उसमें मेन पावर के लिए लिखा था कि अकाल राहत में जो मजदूरी दी जाएगी, उसमें अलवर भरतपुर के लिए निल लिखा आता था । मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि वहां की इस धारणा को हटाते हुए, इस बार की परिस्थितियां देखते हुए आप अलवर और भरतपुर के लिए खास तौर से ध्यान रखें । अगर आप चाहें तो अपनी टीम भिजवाकर सर्वे करवा लें कि अलवर में अकाल पड़ा है या नहीं पड़ा है इस बात के लिए जरूर कराएं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नेचूरल कलेमिटी फण्ड है सरकार के पास जो पांच साल से होगा, 125 करोड़ के लगभग हर साल आते हैं । मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं सरकार केऊपर कि पिछली बार जो विपदाएं आई, बाढ़ आई या कुछ भी आई, सरकार इसलिए इस पर खर्च नहीं करना चाहती कि वह इस राशि का राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहती है । जब भारत सरकार ने आपको इतनी राशि दे दी और यह आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि उस राशि को किसी भी ढंग से खर्च कर सकते हैं तो आप उसको खर्च करने में कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अकाल राहत के माध्यम से जो भी कार्य कराएं यह मैं मानता हूं कि काम इस आधार पर कराये जायेंगे कि लोगों को रोजगार मिले लेकिन उसमें यह देखा जाए कि इस तरह के काम कराये जाएं कि आगे विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें । चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे तालाब बनाने का काम हो और भी कोई काम हो ।

(श्री जुबेर खां)

मंत्री महोदया, आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक दो गांव हैं जो नदी के किनारे पर हैं। पिछले वर्षों में कुछ ज्यादा वर्षा होने की वजह से इतना कटाव आ गया है कि आज स्थिति यह हो गई है कि एक-दो गांवों में तो घरों के पास जो कटाव आ गया है उनके गिरने की सम्भावना है। जब हम कलक्टर के पास जाते हैं या इरिगेशन के इंजीनियर्स के पास जाते हैं तो इरिगेशन वाले तो यह कह देते हैं कि हम तो वही कार्य करवाते हैं जिससे सिचाई का उपयोग हो सके अब गांव के प्रोटेक्शन के लिए सिंचाई तो हो नहीं सकती। कलक्टर साहब कहते है कि हमारे पास कम फन्ड है लेकिन चूंकि यह विपदा का काम है। अगर पानी ज्यादा बरसेगा तो गांव के मकान बहने का खतरा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो बाढ़ नियन्त्रण विभाग है वहां इस आधार पर अगर कहीं जरूरत है तो उससे चक द्वार बनवाएं। मैं यही सब कहना चाहता था कि आप अपने रिप्लाई में अलवर के बारे में अवश्य ध्यान दें कि अलवर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्षजी, अब से पहले जो चर्चा चली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, बीकानेर इन क्षेत्रों को ही अकाल ग्रस्त माना गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज यह स्थिति बनी हुई है कि कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में अकाल है लेकिन विशेष तौर से जयपुर जिले के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर जिला भी इस अकाल से ग्रस्त है। जिसके अन्दर फागी, चाक्सू, दूदू जो कि अण्डर ग्राउन्ड वाटर के मामले में बिल्कुल ड्राई एरिये हैं। जयपुर जिले के अन्दर नीचे दो-दो सौ फीट तक पानी नहीं है। जलदाय विभाग की ओर से तीन तीन सौ फीट तक हैण्ड पम्प लगे हुए हैं लेकिन बिल्कुल सूखा है। पानी एक बूंद भी नहीं है। उस क्षेत्र में जो बांध बने हुए हैं चाहे वह इरिगेशन के हैं चाहे निजी तालाब, उन बांधों की स्थिति यह है कि एक-एक, दो-दो फुट से ज्यादा पानी नहीं आया। सारा तालाब और बांध खाली पडे हैं, फसलें बो दी इसके बाद में दस दिन का जो पीरियड बरसात का हुआ है इसके अन्दर बरसात हुई तब फसल बोई और वह फसल उगकर के एक-डेढ़ फीट ऊंची हो गयी है सारी की सारी फसलें वापिस जल रही हैं। मेरी यह मांग है कि जयपुर जिले के अन्दर जो ड्राई एरिया है, फागी, चाक्सू, दूदू इसके साथ में लगता हुआ जो एरिया है वह भी अकाल में माना जाए। जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्र में अकाल राहत के काम चले हैं उसी तरह से युद्ध स्तर पर हमारे यहां अकाल राहत के काम चलने चाहिए।

गत वर्षों के अन्दर अकाल राहत के तहत वहां पर कई काम हुए थे। जिनके अन्दर नदियों पर एनिकट, नालों पर एनिकट, तालाब, बांध आदि बने थे लेकिन वह सारे के सारे अधूरे पड़े हैं। मेरे एरिया के अन्दर सात एनिकट ऐसे हैं जहां पर करीब एक करोड़ रुपया लगा है लेकिन

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

कुछ पैसे की कमी की वजह से चार एनिकट अधूरे रह गए जिनकी मैंने गत सत्र में भी आपसे मांग की थी। सिंचाई विभाग से भी और आपके अकाल राहत विभाग से भी मांग थी कि इन एनिकट्स को पूरा कराया जाए। अकाल राहत में जो बांध बने हैं जिन पर 15-15, 20-20 लाख रुपया लगाया है वह अधूरे रह गए हैं उन कामों को पूरा कराया जाए लेकिन आपके विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जबकि आपके पास अकाल राहत के नाम पर करोड़ों रुपया है। पंचवर्षीय योजना के तहत भी फाइनेंस कमीशन ने आपको 6 0 करोड़ रुपया दिया है। उसमें से भी आपने आज तक एक पैसा खर्च नहीं किया। आप उस पैसे को कभी भी खर्च कर सकते हैं लेकिन आपने इन अधूरे कामों को पूरा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल जुबेरखां जी ने रख दिया है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपने उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया अतः मेरा निवेदन है आपसे कि जो अकाल राहत के अधूरे काम थे उन को अकाल राहत के तहत पूरा कराने की व्यवस्था करायें और अकाल राहत के काम युद्ध स्तर पर चालू करायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये और मेरा मार्गदर्शन किया। सभी माननीय सदस्यों ने खासतौर से तीन बातों पर जोर दिया पानी, चारा और अनाज की, बात माननीय सदस्यों ने मुझे कही कि गिरदावरी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहती हूं कि जिस तरह की चर्चा आज सदन में हुई है, क्या आप नहीं समझते कि कोई न कोई हमारे पास मापदण्ड होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सकें कि इस जगह पर हमने इतना काम किया इसलिए कि यहां निरन्तर अकाल था और यहां पर कम था। अगर कोई मापदण्ड हमारे पास नहीं होगा तो मैं ऐसा समझती हूं कि हम न्याय नहीं कर पायेंगे इसलिए गिरदावरी में ज्यादा वक्त भी नहीं दिया 15 सितम्बर से चालू हो गयी और बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। मैं विश्वास दिलाती हूं माननीय सदस्य को कि गिरदावरी की रिपोर्ट आने के बाद जहां तक आवश्यकता है निश्चित तौर पर काम खुलवाये जायेंगे। आपने केन्द्र सरकार के पैसे का बार-बार हवाला दिया मुझे। मैं जानती हूं कि यह कुछ अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए है मेरे आपके काम के लिए नहीं है कोई व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए है लेकिन टैक्स पेयर का पैसा बिना किसी मापदण्ड के बिना किस आधार के इस तरह से अन्धा धुन्ध मैं खर्च कर दूंगी तो इसी सदन में मैं पाप की भागी बनूंगी और आपके आरोपों की बौछार मुझ पर होगी। आपने पानी के सम्बन्ध में कहा। मैंने पहले ही कहा कि जिलों में टैंकर्स खराब हैं। कलक्टर्स को इसकी रिपोर्ट लेने के बाद टैंकर्स को सुधारने के लिए उन्हें उपलब्ध करा दिया गया था और टैंकर्स से पानी मुहैया कराने के लिए मई माह में

(सुश्री पुष्पा जैन)

हमने आदेश प्रसारित कर दिये हैं। इस समय कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कि टैंकर्स नहीं है, हैं तो टूटे फूटे हैं। मैं बताना चाहूंगी की इस समय अजमेर में 10 टैंकर्स हैं जिनमें से 6 ही काम में लिये जा रहे हैं, बाड़मेर में 52 टैंकर्स हैं जिनमें 26 काम में लिये जा रहे है। बीकानेर में पांच टैंकर्स हैं उनमें से एक टैंकर और 23 ऊंट गाड़ियां काम में ली जा रही हैं। चूरू में 16 टैंकर्स हैं जिनमें से 8 टैंकर्स ही केवल काम में लिये जा रहे हैं। जैसलमेर में 55 टैंकर्स हैं उसमें से 6 टैंकर्स ही काम में लिये जा रहे हैं, जालौर में 17 टैंकर्स में से 4 काम में लिये जा रहे हैं, नागौर में 11 टैंकर्स में से 11 ही काम में लिये जा रहे हैं। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, जहां भी जिला कलक्टर्स ने टैंकर्स की आवश्यकता बताई है वहां-वहां टैंकर्स हमने भेजे हैं। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इसके बावजूद भी कोई कमी है तो उनके सुझाव और विचारों के अनुसार, अगर वह मुझे बतायेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर व्यवस्था की जायेगी। आपने अनाज वितरण के लिए कहा, मैंने अभी बताया था उस पर भी कुछ माननीय सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की कि उनके क्षेत्र में अनाज का वितरण क्यों नहीं किया गया।

मैंने उसी समय तत्काल माननीय खाद्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम अनाज की व्यवस्था राजस्थान के सभी जिलों में करवा दी जाये ताकि कोई ऐसी आवश्यकता उन्हें पड़े तो भाग कर यहां नहीं आना पड़े वहीं का वहीं अनाज, पीड़ित लोगों को मुहैया हो जाये और अनाज की कमी अगर रहेगी तो उसको भी पूरा किया जायेगा। जैसा माननीय सदस्या मदन कौर ने कहा कि पिछली बार बाढ़ आई सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय सदस्या आप उस समय हमारे साथ मंत्री मण्डल में बिराजती थीं मुझे पूरी तरह याद है कि जिस समय बाढ़ आई माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं स्वयं और आप हम सब ने हेलीकोप्टर के द्वारा उस सारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां आज तक बाढ़ में जितनी सहायता उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी उससे कई गुना ज्यादा सहायता तत्काल उपलब्ध करवायी गयी।

श्रीमती मदन कौर : जाने मात्र से सहायता नहीं मिल जाती, गांठ से पैसा निकाल कर देना पड़ता है।

सुश्री पुष्पा जैन : पैसा भी पिछले सभी सालों की अपेक्षा दुगुना, तिगुना दिया गया। माननीय सदस्या आप अच्छी तरह से जानती हैं क्योंकि आप मंत्री मण्डल की सदस्या भी थी।

श्रीमती मदन कौर : कितने कुओं की मरम्मत के लिए पैसे दिये बताइये आप, आपने कितने मकानों के लिए पैसे दिये अतिवृष्टि से जो मकान गिरे कितने मकान गिरे कितने मकान के लिए पैसे दिये आपने।

सुश्री पुष्पा जैन : उस समय यह रोष जाहिर क्यों नहीं किया आपने।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर के सर्किट

(श्रीमती मदन कौर)

हाउस में मैंने तो आपसे बहुत कुछ कहा था।

सुश्री पुष्पा जैन : आप उधर है, आप कुछ भी कह सकती हैं।

श्रीमती मदन कौर : आपने वह याद क्यों दिलायी, मैं तो कहती ही नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वित्त मंत्री के सामने अपने आपको कमजोर नहीं समझूं मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं कमजोर नहीं हूं, जिसके साथ पूरे सदन का सहयोग-हो, वह कभी अपने आपको कमजोर महसूस कर ही नहीं सकता। मैं वित्त मंत्रीजी के समक्ष यूं भी कमजोर नहीं हूं कि वित्त मंत्री जी स्वयं भी बहुत जागरुक हैं और मुख्य मंत्री हैं, सारे राजस्थान का भार उन पर है, वह अच्छी तरह उनकी संवेदनाओं को समझते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जागरुक तो बहुत है लेकिन पैसे नहीं देते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आप मुझ से ज्यादा जानती हैं। आपने चारे के विषय में बड़ी पीड़ा जाहिर की लेकिन एप्रीसियेट नहीं किया। हमने वक्त रहते चारे की वापसी पर रोक लगायी। हमने जितने भी वन विभाग के चारे की बीड़े थे उनको सुरक्षित रखवा दिया, हमने वक्त रहते बीकानेर में पशु आहार की व्यवस्था करवाई, जितना कुछ हो सकता था उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गयी। इसके अलावा आपने सुझाव दिये हैं मैं उन पर गौर करूंगी और बहुत जल्दी गिरदावरी की रिपोर्ट आते ही चारे की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ ही साथ अकाल राहत कार्य करने की व्यवस्था की जायेगी। बहुत से माननीय सदस्यों ने कई तरह के सुझाव दिये हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम करवाये जाये। एक तरफ आप कहते हैं कि इस अकाल का राजनीतिकरण नहीं किया जाय इस राजनीतिकरण को रोकने के लिए ही हमने गिरदावरी की रिपोर्ट मांगी हैं और आपने तो इस बात पर भी रोष प्रकट कर दिया कि मैंने बंधे जो बताये उनको भरा हुआ क्यों बताया। मेरे परिवार वालों ने तो मुझे यह रिपोर्ट नहीं दी। बधों की जो रिपोर्ट सिंचाई विभाग से उपलब्ध हुई है मैंने वही आपके समक्ष पेश की है और उसमें कोई गलती है तो सिंचाई मंत्रीजी काग्नीजेन्स लेंगे।

मैं ऐसा समझती हूं कि पूरे सदन को विश्वास में लेकर, पूरे सदन के सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहना चाहूंगी कि आपका सहयोग यदि रहा तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि राजस्थान में जितनी जैसी स्थिति है उस स्थिति से पूरी तरह निपटा जायेगा और कोशिश की जायेगी, कि कहीं भी कोई चारे, पानी और अकाल पीड़ित लोगों के लिए कोई कमी नहीं रहे। धन्यवाद।

श्रीमती मदन कौर : मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया।

(246)

श्रीमती मदन कौर : आप मुझे एश्योरेंस दे दें। मैं पूछना चाहती हूँ कि फोडर बैंक को बनाने के लिए कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं क्या।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपने आपको पूछिये कि जब आप मंत्री थीं आपने कोई प्रस्ताव रखा था क्या।

श्री चन्दनमल बैद : प्रस्ताव नहीं रखा तो आप काम नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पूछते तो जवाब दे देता।

श्रीमती मदन कौर : मैंने तो पश्चिम राजस्थान की फोडर बैंक स्कीम बनाकर दी थी लेकिन आपने उसको इम्पलीमेन्ट नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्यमंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है वह स्वाभाविक है। जहां-जहां भी वर्षा का अभाव है, फसल नहीं हुई, चारा नहीं हुआ या पानी का संकट है इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को भी चिन्ता है। जिस समय वर्षा प्रारम्भ नहीं हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि सारे देश में इस बार जिस प्रकार का भयंकर अकाल होगा और उससे जिस प्रकार की तबाही होगी उससे केन्द्रीय सरकार भी चिन्तित थी और सब राज्य सरकारें भी चिन्तित थी। राजस्थान में मानसून आया उसके साथ ही हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वर्षा हुई। स्थिति में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के कारण लोगों को कुछ इस बात का विश्वास हुआ कि जिस प्रकार की भयंकर स्थिति का हम अनुमान लगा रहे थे उस प्रकार की स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सन् 1981-82 से लेकर अब तक अकाल राहत कार्यों में अकाल के सम्बन्ध में व्यवस्था करने पर 15 सौ करोड़ रुपये राजस्थान की सरकारों ने खर्च किये हैं। इन दस वर्षों में 15 सौ करोड़ रुपये खर्च करना और दो वर्षों में 1987-88, 1988-89 में एक हजार करोड़ रुपये खर्च करना और उससे पश्चात भी आज हम यह बात करें कि राजस्थान में इस बार मानसून जा चुका है, फेल हो गया, पानी का संकट हो गया, चारे का संकट हो गया, अनाज का संकट हो गया।

इससे एक बात तो निश्चित रूप से प्रकट होती है कि पिछले वर्षों में अकाल के सम्बन्ध में जिस प्रकार का खर्च किया गया उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ और यह मैं नहीं कहता, एक माननीय सदस्य ने कहा कि अकाल राहत कार्यों में जितना भी धन खर्च होता है उसका 50 प्रतिशत अपव्यय होता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है और इसलिए कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि आज के 10 वर्ष पहले जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 12 रुपये दिए गए 6 रुपये कर्ज में और 6 रुपये अनुदान के रूप में दिए गए उस प्रकार की व्यवस्था की जाय ताकि धन का दुरुपयोग नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें अकाल के ऊपर कितना रुपया खर्च हो उसकी चिन्ता नहीं हो। राज्य सरकार के पास धन होगा, भारत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार से लेंगे लेकिन अकाल का कोई स्थायी समाधान हो सके इस सम्बन्ध में मैं चाहता था कि माननीय सदस्य यहां सदन में किसी प्रकार के सुझाव रखें। आज सुझाव नहीं रखे कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन मैं सारे सदन का आह्वान करना चाहूंगा कि इस अकाल का स्थायी समाधान किस प्रकार से हो सके उस दृष्टि से आज नहीं एक सप्ताह में 15 दिन में जब भी उनको लगे कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान इस प्रकार की व्यवस्था से हो सकता है राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और विचार करने के बाद में स्थायी समाधान की ऐसी एक रूप-रेखा बनायेगी जिसका श्रीगणेश हम इस वर्ष कर लें और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति और उत्पन्न हो तो हम उस काम को उसी रूप में चालू रखें ताकि कुछ वर्षों में राजस्थान की अकाल की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, 40 वर्ष के बाद राजस्थान में पीने के पानी के लिए कितना रुपया खर्च हुआ है। मोटे रूप से मैं कह सकता हूं लगभग दो-ढाई हजार करोड़ रुपया पीने के पानी की व्यवस्था पर हमने खर्च किया। हमने हैण्ड पम्पस लगाये, रीजनल पाइप लाइन्स स्कीम हमने चालू की, कई जगह हमने ट्यूब वैल्स खुदवाये और कई स्थानों पर हमने ट्रैडिशनल सोर्स हैं उस प्रकार की व्यवस्था की लेकिन आज राजस्थान में पीने के पानी की कमी हैं और इस कमी के कारण लोग बड़े संकट में हैं।

मैं ऐसा समझता हूं कि पानी के संबंध में कई प्रकार की व्यवस्थायें की गई थीं। एक टेक्नीकल मिशन भी आया था उसने भी कुछ योजनायें बनाई थी, भारत सरकार के कुछ विशेषज्ञों ने भी राजस्थान के सम्बन्ध में कई प्रकार के सुझाव दिये थे लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि जो भी माननीय सदस्य बोले, सबने पीने के पानी का संकट बताया उस दृष्टि से भी, और कुछ दिये कि सारे जिले की इस प्रकार की रीजनल पाइप लाइन स्कीम्स बने उनमें बिजली के कारण से कोई बन्द पड़ी हो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कुछ दिनों में ही इस प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे। मैं तो समझता हूं कि कोई बची हुई है नहीं लेकिन यदि कोई बची हुई है जिसके पावर का कनेक्शन नहीं मिला तो निश्चित रूप से सरकार कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी उनको पावर का कनेक्शन दे दिया जाय। लेकिन समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि पानी का लेबल नीचे चला गया। आज जितने भी हैण्ड पम्प बन गये थे वो हैण्ड पम्प ऊपर रह गये और पानी नीचे चला गया जो रीजनल पाइप लाइन बनी हुई थी उन रीजनल स्कीम्स के बारे में मैं कह सकता हूं कोई बिरली स्कीम ही ऐसी राजस्थान में होगी जिसमें टेल एण्ड पर पानी पहुँचा हो किसी पर भी टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुँचा है।

उसके कारण अनेक हैं डिफेक्टिव स्कीम्स भी हो सकती है, डिफेक्टिव प्लानिंग भी हो सकती है या जिस समय हमने एस्टीमेट किया उस समय एस्टीमेट के आधार पर जितने गावों को हमने रीजनल पाइप लाइन स्कीम में शामिल किया उन

248

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गांवों को ज्यादा शामिल कर लिया जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई या उस दूरी तक हम पानी नहीं ले जा सके। लेकिन आज चाहे रीजनल पाइप लाइन का अवेश्चन हो, चाहे हैण्ड पम्पस का क्वेश्चन हो राजस्थान में जैसे बैक टू स्क्वायर वन उस प्रकार की स्थिति है जब भी अकाल पड़ता है सब लोग यही कहते हैं कि पानी का संकट है पानी की कमी आ गई। अब उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं बिना किसी रिजर्वेशन और बिना किसी पोलिटिक्स पर गम्भीरता से इस बात का चिन्तन करें कि इस पानी की समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाय और यदि उस व्यवस्था के आधार पर हम खर्चा करेंगे तो हो सकता है एक वर्ष में पूरे राजस्थान के पीने के पानी का स्थायी समाधान हम नहीं कर सकें लेकिन एक योजना इस प्रकार की बन जाय जिस योजना के आधार पर जितना काम इस वर्ष हो जाय वो इस वर्ष हो जाय और बाकी का काम आगे कर लें लेकिन एक योजना इस प्रकार की बने और उस योजना की दृष्टि से भी मैं आपका निश्चित रूप से सहयोग चाहूंगा।

तीसरा सवाल आता है चारे का। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिन इलाकों में वर्षा नहीं हुई उन इलाकों में चारे का अभाव है खासतौर से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष भी वर्षा नहीं हुई थी चारे का संकट था और इस बार वह संकट और गहरा हो गया और यह पशुपालकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इस दृष्टि से हमने विचार किया कि एक तो जितने पशुपालक हैं उनको कैटल फीड के हिसाब से अनुदान देना शुरू करें ताकि उससे थोड़ा उन्हें बचत हो सके और जानवरों को वे बचाकर चल सकें। जानवरों को चारे का प्रबन्ध करने का सवाल है मैं ऐसा समझता हूं जिस समय बरसात नहीं आई थी मैंने हरियाणा के मुख्यमन्त्री जी से बात की कि अबकी बार राजस्थान में वर्षा नहीं है और हमें चारे की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी।

हम चाहेंगे राज्य सरकार चारा उपलब्ध कराने में हमारी सहायता करें। उस समय उनका जवाब यह था कि हरियाणा से राजस्थान में चारा भेज देऊं तो मेरे पशुओं के लिए चारे का कौन इंतजाम करायेगा मैं आज स्थिति में नहीं हूं कि चारा दे सकूं लेकिन बरसात हुई और दुबारा मेरी उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद में उन्होंने कहा कि दोनों सरकार मिलकर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें जिस व्यवस्था के आधार पर हम चारा ला सकें। यही बात मेरी मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री जी से हुई, यही बात मैंने यू. पी. के मुख्यमन्त्री जी से की कि मैं आपका यहां चारा तो नहीं ला सकता लेकिन हमारे मवेशी वहां चले जांय। मैंने तो उनको यहां तक पत्र लिखा है कि राजस्थान के मवेशी जितने भी मध्यप्रदेश में चराई के लिए जांय उन मवेशियों का जो मध्यप्रदेश सरकार शुल्क लेती है वो शुल्क राजस्थान दे देगी लेकिन उन मवेशियों को वहां पर चरने की इजाजत दी जाय। कोशिश कर रहा हूं लेकिन मध्यप्रदेश में पशुपालकों के लिए या पशुओं के लिए इस प्रकार का वाता-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वरण बना हुआ है कि जिस वातावरण के कारण वहां पर ..

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : वहां पर भैंस है, गाय हैं, ऊंट हैं ऐसे मोटे पशु वहां पर थोड़े ही ले जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं भैंस भी, गायें भी, गधे भी वहां नहीं पहुँच पा रहे हैं यह बिल्कुल सही है।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : आपका अर्थ यह है कि लोग राजस्थान छोड़कर मध्य प्रदेश और यू. पी. में चले जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्द्रभान जी साहब, शायद आपको जानकारी नही है। राजस्थान से आज नहीं हमेशा के लिए मालवे का नाम चलता है। ये लोग मालवा गये वो नाम इसी कारण से चलता है। राजस्थान में जब भी चारे और पानी का अभाव रहा है और चारे-पानी का अभाव नहीं भी रहा तो हमारे यहां के पशु मालवा में निश्चित रूप से जाते हैं। आज यह स्थिति नहीं है अकाल के कारण से जाते हैं यह रतना राम जी जानते हैं अच्छी तरह से उस क्षेत्र के लोग बाड़मेर के लोग, जैसलमेर के लोग, नागौर के लोग वे चाहे वर्षा हो या नहीं चराई के लिए मालवे में जाते थे और वहां पर जिस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ है उस संकट के कारण मैं राज्य सरकार से बातचीत कर रहा हूं यह सारी व्यवस्था हो।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा और खासतौर से रामगढ़ (अलवर) से आने वाले माननीय सदस्य तो बड़े जोश से बोले कि राज्य सरकार के पास पैसा है वह खर्च क्यों नहीं करती ? राज्य सरकार के पास पैसा है वह मेरा व्यक्तिगत पैसा नहीं है वह हम सबका है वह पूरे राजस्थान की जनता का है अगर पैसा बच गया तो भैरोंसिंह का पैसा नहीं बचेगा वह संकट के लिए उस पैसे का उपयोग किया जायेगा। इस दृष्टि से वह पैसा बचा है तो उसके लिए किसी को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें 124 करोड़ रुपया मिलता है एक वर्ष का 124 करोड़ रुपये में से मेरे अन्दाज से लगभग 43 करोड़ रुपया पिछले वर्ष खर्च हुआ है। मदन कौर जी कह रही थी कि पैसा खर्च नहीं हुआ। 43 करोड़ में अधिकांश पैसा बाढ़ राहत के कार्यों में खर्च हुआ है इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा बचा है वह मेरा व्यक्तिगत रूप से पैसा नहीं बचा वह राजस्थान की जनता का पैसा बचा है। वह पैसा और इस वर्ष का पैसा यह दोनों मिलकर इस राजस्थान की समस्या का समाधान करने की यदि हम व्यवस्था करेंगे तो भारत सरकार से अन्य बातों में हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में जहां हमें 124 करोड़ रुपये दिया है उस सारे रुपए में यदि काम नहीं चले तो राजस्थान सरकार को अपने राजस्व खाते से खर्च करना पड़ेगा और राजस्व खाते से खर्च करना पड़ेगा तो यह मानकर चलिए कि विकास के काम बन्द होंगे। विकास के काम जो योजनाबद्ध तरीके से हम करना चाहते हैं वह विकास पर नहीं कर पाये। आज मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता लेकिन जैसा मैंने कहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि लगभग 2500 करोड़ रुपया अकाल में हमने खर्च किया है।

राजस्थान का दुर्भाग्य है कि अकाल के कारण हम 2500 करोड़ रुपया अकाल पर खर्च कर पाये और यदि अकाल नहीं होता तो इन 2500 करोड़ से राजस्थान के कई विकास के काम होते। कल्ला साहब, आप जानते हैं कि आखिर इन अकाल कामों के लिए धन निकालने के लिए दूसरी योजनाओं से पैसा निकाला जाता है, राजस्व एकत्रित किया जाता है और पैसा खर्च करते हैं। अब उस दृष्टि से अगर बच गया तो मुख्य मन्त्री कंजूस हैं, वित्त मन्त्री कंजूस हैं, यदि कंजूसी की है मैंने, तो आपको एप्रीसियेट करना चाहिए कि उस कंजूसी के कारण धन बचा तो आज इस संकट के मौके पर उस धन का सही प्रकार उपयोग हो सकेगा। यह कजूसी नहीं है, इसको कंजूसी के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि संकट के दिनों में ज्यादा उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, उस दृष्टि से पैसे को बचाया है। अब यदि आप कंजूस ही मानते हैं और मुझे कंजूस भी कहते हैं तो कोई भी वित्त मन्त्री को और कोई सर्टिफिकेट दें या नहीं दें, यदि उसको कंजूस होने का सर्टिफिकेट देते हैं तो वास्तव में उस वित्त मन्त्री की आप प्रशंसा करते हैं, उसकी आप बुराई नहीं करते। मैं समझता हूं कि चन्दनमलजी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपकी और मेरी, दोनों की एक सी आदत बताते हैं लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस दृष्टि से कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राहत कार्य खोलने का सवाल है, एक माननीय सदस्य कहने लगे कि अभावग्रस्त और अकालग्रस्त इन दोनों का अन्तर क्यों रखा जा रहा है मैं ऐसा समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी होती है कि अभावग्रस्त और अकालग्रस्त के पीछे कारण एक है कि जहां अकालग्रस्त है वहां लैण्ड रेवेन्यू में रेमीनेशन देना पड़ता है लेकिन अब लैण्ड रेवेन्यू का प्रश्न ही नहीं है, न किसी से एक पैसे की वसूली होगी और न उसको पोस्टपोण्ड करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ इसमें केसेज हैं उन केसेज के बारे में व्यवस्था करनी पड़ती है कि उन केसेज में कोई डिक्री हो जाय तो उसकी वसूली नहीं हो, उसके लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। उसमें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा है कि इस अकाल का स्थाई समाधान करें, सरकार की यह इच्छा है कि स्थाई समाधान के लिए सब माननीय सदस्य कोई ऐसा सुझाव दें जिस सुझाव के आधार पर हम स्थाई समाधान के लिए कोई योजना बना सकें और योजनापूर्वक यदि हमने धन खर्च किया तो एक साल में जितना धन हमारे हिस्से में है उससे ज्यादा भी खर्च करना पड़ा तो खर्च किया जायेगा। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से यदि हम अकाल राहत का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों को विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस आधार पर तो काम करूंगा नहीं जैसे कल्ला साहब ने सड़कें बना दीं। आखिर मेरे सामने पूरा राजस्थान है। पूरा राजस्थान होने के नाते ...

(251)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरे राजस्थान को सामने रख कर ही बनाई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सामने रख कर तो बनाई। आपने जो सड़कें बनाई वह सड़कें अगर बनी हुई रह जाती है तो मुझे खुशी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बनी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब मैं बीकानेर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप तो आये ही नहीं बीकानेर।

श्री चन्दनमल बैद : आप तांगे में बैठ कर गये हैं लोगों से कहा है कि कल्लाजी को वोट दोगे तो ऐसा ही होगा। यही बात है ना? यही कहना चाहिते है ना आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि जल्दी के अन्दर जो काम होता है कल्ला साहब, वह सही नहीं होता। यह आप मानें।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनके लिए तो सही हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह इनके लिए तो सही हो गया लेकिन अब बीकानेर की जो सड़कें टूटी हुई हैं, लोग कहते हैं कि तीन करोड़ रुपये का खर्चा हो गया और सड़कों में खड्डे हैं, मैंने कहा कि भाई, कल्ला साहब को याद करो, मैं तो क्या कहूं इस बारे में ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो आप ऐसे ही हंसी में कह रहे हैं, एक भी खड्डा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप हंसी में माने या मजाक में माने, लेकिन यह जरूर है कि जल्दी में काम करने से पुख्ता काम नहीं होता। यह तो आप भी मानते होंगे। पुख्ता काम नहीं होता है तो कई प्रकार की ऐसी गलतियां रह जाती हैं उसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उन सुझावों को ध्यान में रखकर इस अकाल के समय में किस प्रकार की सहायता राज्य सरकार लोगों को पहुँचा सके, उसकी निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कई माननीय सदस्य यहां कहने लगे कि गांवों में डर पैदा हो गया है, मेरी समझ में नहीं आता, काहे का डर पैदा हो गया। अकाल के कारण से डर पैदा हो जाए, चालीस वर्ष से, मैं तो जन्मा, उसके पहले से वहां अकाल पड़ते आये है। अकाल से यदि डर पैदा हो जाए और डर के कारण से लोग गांव छोड़ जाए 87-88 में ही लोगों ने इससे बड़ा भयंकर अकाल राजस्थान में देखा है, इससे भयंकर अकाल राजस्थान में पड़ नहीं सकता कि पूरे छत्तीस हजार या बत्तीस हजार, उस समय कितने गांव थे, पूरे के पूरे गांवों में अकाल पड़ा। उस समय भी डर पैदा नहीं हुआ। अब झुन्झुनूं में ही डर पैदा हो गया, और कहीं भी डर पैदा हो गया, यह डर किस बात का पैदा हो गया? एक बात का ध्यान अवश्य रख कर चलें कि डर पैदा क्यों कर रहे हैं? डर पैदा क्यों हो रहा है? हम जिस प्रकार से इस सदन में बोलते हैं, हमारी एक संस्कृति बन गई कि अगर अपने क्षेत्र का विकास का काम कराना हो, सड़कें बनानी हो, पीने के पानी का प्रबन्ध करना हो या और कोई काम कराने हो, तो जोर से बोलो कि हमारे क्षेत्र में सबसे भयंकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अकाल पड़ा हुआ है, हमारे यहां सबसे ज्यादा लोगों के सामने भुखमरी पैदा हो गई हमारे यहां सबसे ज्यादा पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। मन में सब जानते हैं कि उतना संकट नहीं है लेकिन अकाल के काम खुल गये तो सड़कें बन जायेंगी।

आज मैं देखता हूं कि अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, सड़कें हमने बनाई, सड़कें कहीं मिट्टी की बनी, उन मिट्टी की सड़कों पर गाड़ी नहीं चल पाती, मिट्टी की सड़कों पर हमने ग्रेवेल डाला, वहां गाड़ियां नहीं चल पाती। आखिर सड़कें बने और लोगों को रोजगार मिले, इस में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन दृष्टिकोण कम-से-कम यह तो होना चाहिए कि अकाल विकास का माध्यम नहीं है। अकाल लोगों को सहायता देने का माध्यम है। अकाल विकास के लिए नहीं है, अकाल लोगों को राहत पहुंचाने के लिए है। उस राहत के काम से अगर विकास के काम होते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन राहत को विकास के नाम पर आप कन्वर्ट करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें तो मैं कहना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपया दो वर्ष में खर्च करने के बाद भी आज हम सड़कों की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, चारे की बात करते हैं। यह सब कुछ बातें हैं। आज जहां लोगों के कुएं हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान की आप लोगों को जितनी जानकारी है, थोड़ी बहुत मेरी भी जानकारी है, आज जहां-जहां भी कुएं हैं, कोई कुआ आज के दिन राजस्थान में नहीं होगा जिसने खेती के साथ-साथ चारा नहीं बोया हो। कोई कुआ नहीं हो सकता। चाहे सर्दी में रबी की फसल करें, चाहे खरीफ की फसल करें, चारा निश्चित रूप से करते हैं। राजस्थान में जितने कुएं हैं उन कुओं का यदि आप हिसाब लगायें तो कोई भी पशुपालक पशु तब तक नहीं रखता जब तक कि चारे की व्यवस्था वह नहीं कर पाता. चारे की व्यवस्था सबने की है। भेड़-बकरी के लिए चारा, मैंने तो चालीस वर्षों में, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, किसी भी सरकार ने भेड़-बकरी के लिए चारे की व्यवस्था की है, न हुई और न सम्भव है। वहां लोग कह रहे थे कि भेड़-बकरी के लिए चारा लाओ, मुझे बतायें कि भेड़-बकरी के लिए कौन सा चारा है। भेड़-बकरी के लिए चारा कहां से आयेगा, भेड़-बकरी के चरने की व्यवस्था करनी है और चरने की व्यवस्था करने की दृष्टि से फोरेस्ट विभाग की हम जितनी चराई की व्यवस्था कर पाते हैं, कर रहे हैं। लेकिन यहां भी अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि जिस-जिस पहाड़ी क्षेत्र में भेड़ें जाती हैं वहां की जनता उसका विरोध करने लगती है कि हमारे यहां भेड़ें मत भेजो, हमारे यहां गायें नहीं आनी चाहिए, हमारे यहां भैंसें नहीं आनी चाहिए, हमारे यहां किसी भी प्रकार के दूसरी जगह के जानवर नहीं आने चाहिए।

एक तरफ विरोध बढ़ता है, दूसरी तरफ मैं यह समझता हूं कि भेड़ हो या बकरी हो, यह नेशनल प्रोपर्टी है, यह कोई सरकार के लिए सिर पर या भेड़ पालक के सिर पर नहीं रहते। उनकी चराई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस सदन के माध्यम से मैं उन क्षेत्रों के बन्धुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, कि जहां भेड पालक या पशु पालक पहुंचते हैं और वहां से आम तौर पर उनका विरोध किया जाता है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। संकट के समय वह जा रहे हैं उनके स्वागत की आवश्यकता है, उन लोगों को जिस प्रकार की भी सहायता दी जा सके, उस प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता है। अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों पर तो सरकार चिन्ता करेगी लेकिन आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अकाल के कारण से जो एक स्वाभाविक पीड़ा है वह पीड़ा तो मैं मिटा नहीं सकता लेकिन राहत कार्यों से जितनी पीड़ा को मिटाया जा सकता है, उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयत्न करेगी।

अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 1991-92 पर विचार एवं मतदान

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल,

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 करोड़ 63 लाख 43 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री भंवरलाल शर्मा (मन्त्री, जल प्रदाय)। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 करोड़ तक की राशि और प्रदान की जाये।

मुख बन्द के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वर्ष 1991-92 की अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विचार होगा। माननीय सदस्य विचारार्थ लिए जाने वाली अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 27 पेयजल योजना के ऊपर एक साथ अपने विचार व्यक्त करेंगे। 10 बजे का समय था उसको बढ़ाकर 11 बजे का कर देता हूं। 11 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर शेष मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

श्री चन्दनमल बैद,

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विचार

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय अभी सदन में दो मांगें प्रस्तुत हुई हैं गृह विभाग तथा जलप्रदाय योजनाओं के सिलसिले में ..

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यदि बैद जी स्वीकार करें तो मांगों को अलग-अलग न लेकर एप्रोपियेशन बिल पेश कर दें उसके ऊपर वह बोल लें।

श्री अध्यक्ष : मांगें पास करवा दूं मैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : या आप मांगें पेश कर दीजिए फिर वह बोल लें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर तो सारी मांगें होंगी लेकिन हम जलप्रदाय योजनाओं पर बोलना चाहते हैं तो जलप्रदाय योजना पर काफी बोल गये हैं और यह बात मैं भी समझता हूं ..

श्री अध्यक्ष : पूरा समय उसमें मिल जायेगा। समय की बात है। आप उसी पर बोलिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस पर बोलना है तो पुलिस पर बोलिये कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे कोई एतराज नहीं है।

मांगों का पारण

मांग संख्या-16-पुलिस

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,63,43,000 (चार करोड़ तिरेसठ लाख तियालीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 4,00,00,000 (चार करोड़) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,00,00,000 (बीस करोड़) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाओं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,06,000 (एक करोड़ तिरानवें लाख 6 हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय से निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,50,000 (दो लाख पचास हजार)

(श्री अध्यक्ष)

रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ? (स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7–निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,99,00,000 (सोलह करोड़ निन्यानवें लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–9 वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,50,000 (बारह लाख पचास हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–19 लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,60,06,000 (चार करोड़ साठ लाख छः हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–20 आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,00,000 (पिचहत्तर लाख) रुपये की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 22—क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22—क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,16,10,000 (तीन करोड़ सोलह लाख दस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग सं. 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त

(श्री अध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,64,79,000 (एक करोड़ चौसठ लाख उन्यासी हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 26—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,00,000 (पचास लाख) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 28 – ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 – ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,71,75,000 (दो करोड़ इकहत्तर लाख पिंचत्तर हजार) रुपए तक की राशि और प्रदान की जायें ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29—नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,15,00,000 (चार करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,99,99,000 (दो करोड़ निन्यानवें लाख निन्यानवें हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,60,000

(श्री अध्यक्ष)

(पचपन लाख छियासठ हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या—35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 (दो हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या—36 सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,00,00,000 (दो करोड़) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या—37 कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,06,000 (पांच लाख छः हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या—38—लघु सिंचाई एवं भूमि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38—लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,00,000 (तीस लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 39—पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 39—पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,00,000 (पचास लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 42—उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,01,000 (पांच लाख एक हजार) रुपये तक राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 45—राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45—राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,00,00,000 (इक्कीस करोड) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 48– विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48—विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,61,63,000 (सात अरब इकसठ करोड़ तरेसठ लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1991 पुरःस्थापन

प्रभारी मन्त्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री शान्ति लाल चपलोत (राज्य मंत्री वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शान्ति लाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने विधेयक।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ति लाल चपलोत (राज्य मंत्री वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1991 को विचारार्थ किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दन मल बैद।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जिस तरह के विचार-विमर्श और बहस होनी चाहिए, मुझे अफसोस है कि मांगें और विनियोग विधेयक को एक साथ मिला देने के कारण से उस तरह की बहस तो नहीं की जा सकती क्योंकि समय इतना कम है और मुझे दुःख इस बात का है कि हम इस सदन में बैठकर के बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन जब काम करने का समय होता है तो हमारी मंशा यह होती है कि चार दिन का काम एक दिन में निपटा दें। यह हो भी रहा है। (व्यवधान)

हमने क्या किया और क्या नहीं किया, वह आप भी करना चाहते हैं ?

श्री सम्पत सिंह : अभी-अभी भले-मानस में हां करली, अब क्या फायदा।

श्री चन्दन मल बैद : भले-मानस, हां, इस बात की नहीं कि रात के 12 बजे बैठकर के हम काम करेंगे। लेकिन हमारे पर यह चार्ज लगता है कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करते तो हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम सहयोग करें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत परम्परा है जो हम डाल रहे हैं। हमको हमेशा ज्यादा बैठकर, ज्यादा दिन तक बैठकर अच्छी तरह से विचार-विमर्श करके हर काम को अंजाम देना चाहिये। वह हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों, हम दोनों अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। यह केवल प्रासंगिक रूप से ही बात कह रहा हूं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अकाल के बारे में बात करते हुए यह कहा कि हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद अकाल की समस्या नहीं मिटी, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद पीने के पानी की समस्या नहीं मिटी और ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसी पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह सही है, मैं एक बात, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि क्या विकास का काम कभी बन्द होने वाला काम है ? यह तो अनवरत चलने वाला काम है। हमेशा चलने वाला काम है। जब राजस्थान बना था, कितने कुओं में बिजली थी ? आज लाखों कुओं में बिजली होने के बाद भी हमारे ऊर्जा मन्त्री उस दिन बता रहे थे कि कई लाख दरख्वास्त कुओं पर बिजली देने की आज उनके पास पेंडिंग हैं। उन कई लाख कुओं को बिजली देने के बाद भी कई लाख दरखास्तें आपके पास और आ जायेंगी। यह अनवरत विकास का काम है। इसी तरीके से पीने के पानी का सवाल। जब पीने के पानी की कोई योजना इस प्रदेश में नहीं बनी हुई थी उस समय लोग भले ही लोग अपने गांव के कुओं से पानी निकालकर, चाहे बैलों द्वारा निकालें, चाहे ऊंटों द्वारा निकालें, कैसे भी निकालें, अपना काम चलाते थे। उस समय उनकी जरूरत भी वैसी ही थी लेकिन आज ज्यों-ज्यों विकास की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी जरूरत भी बढ़ रही है।

मुझे याद है जब गंधेरी साहवा योजना बनी थी तो 40 लीटर के हिसाब से योजना बनाई गई थी और उसके बाद जब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि पशुओं को

(श्री चन्दनमल बैद)

भी इसमें शामिल कर लिया जाय, उसी योजना को 70 लीटर के हिसाब से बना दिया गया। फिर भी उससे काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ज्यों-ज्यों सुविधा मिलती है, लोग आगे विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि हमको ज्यादा पानी मिले। और यह बुरी बात भी नहीं है। इसमें नुकसान की क्या बात है? अगर जयपुर शहर में 200 लीटर पानी खर्च होता है एक आदमी के पीछे, तो गांव वालों को भी हक है कि वह अपना पानी का प्राब्लम हल करें, ज्यादा खर्च करें। और जिन गांवों में ठीक पानी आ रहा है उन गांवों के लोग मांग करते हैं कि हम शहर में जाते हैं तो घर-घर में नल लगा हुआ है, हमारे घरों में नल क्यों नहीं? यह सही बात भी है। तो ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं, ज्यों-ज्यों विकास की ओर बढ़ते जायेंगे, त्यों-त्यों लोगों की मांग भी बढ़ती जायेगी। इसलिये यह कहना कि 2500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, उसके बाद भी पानी की समस्या हल नहीं हुई, मैं समझता हूं समझदार आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है ऐसा कहना।

जहां तक विकास की बात है, विकास होता जाता है, चलता जाता है। दूसरी बात और भी है कई रीजनल योजनाएं इस बात के कारण भी फेल हुई है कि हमारी आबादी बढ़ी है, पानी का खर्चा बढ़ा है, और नीचे का जितना पानी हम निकालते हैं, वहां पानी खारा होता जाता है और कम होता जाता है और इसके कारण परेशानी बढ़ती जाती है। जहां आबादी बढ़ी है, पानी का खर्चा बढ़ा है, लोगों की आदतों में फर्क आया है और वहां सारी चीजों की कमी आई है देहात के लोग, जब पानी नहीं मिलता था, तब रोज नहीं नहाते थे और आज जब पानी मिलने लग गया है तो सभी नहाते हैं और रोज भी नहाते है कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हमको उनके लिये इन्तजाम करना है तो करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जल प्रदाय योजनाओं के लिये जरूरी है कि हम अण्डर ग्राउण्ड वाटर की ओर ही न देखकर सरफेस वाटर की तरफ भी देखें। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। अगर हम अन्डर ग्राउन्ड वाटर की तरफ देखेंगे, तो ज्यों-ज्यों हम पानी को निकालेंगे, पानी की कमी होगी, नीचे का पानी खारा होगा और अनुपयोगी होगा और उससे लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मेरे इलाके में और दूसरे इलाकों में भी, कि जहां-जहां ग्राउण्ड वाटर टैप किया है, पानी खारा होता गया है और कम होता गया है। आज जयपुर की ही हालत ले लीजिये। पानी के लिहाज से जयपुर और उदयपुर सब से अच्छे स्थान है। यहां पर भी पहले जो कुआं 30 फुट गहरा था और पानी आ रहा था, वह आज 50 फुट गहरा हो गया और उस में पानी भी कम हो गया। आप कहीं का भी मिसाल ले लीजिये पानी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और पानी नीचे भी चला जाता है। इसलिये जरूरी है कि जहां-जहां हमें सरफेस वाटर मिले, हमें सरफेस वाटर का उपयोग करना चाहिये। अण्डर ग्राउण्ड वाटर

(श्री चन्दनमल बैद)

पर जो हमारा जोर है, जो निर्भरता है, उस निर्भरता को कम करना चाहिये। इस के लिये जहां-जहां भी हमारे पास सरफेस वाटर हो, चाहे माही में हो, चाहे बनास में हो, चाहे चम्बल में हो और चाहे इन्दिरा गांधी नहर में हो, हर जगह हमको सरफेस वाटर का उपयोग करना चाहिए। सरफेस वाटर का उपयोग करने के लिये मंत्री मण्डल का भी निर्णय हो चुका है कि इंदिरा गांधी नहर का 500 क्यूसेक्स पानी रिजर्व रखा जाये।

मैं किसी को ओलमा नहीं देना चाहता, न किसी की शिकायत करना चाहता, और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि हमने यह किया और आपने यह किया या नहीं किया। यह तो एक कन्टीन्युइंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कभी माननीय भंवर लाल जी शर्मा आते हैं तो कभी चन्दनमल बैद भी आते हैं। अब न इसमें भंवर लाल जी शर्मा का कोई कसूर या श्रेय है और न ही चन्दनमल बैद का कोई कसूर या श्रेय है। अगर कोई कसूर है या श्रेय है, तो वह है हमारे काम करने वाले इन्जीनियर्स का, मजदूरों का और कर्मचारियों का। मेरा अनुभव है कि जल प्रदाय योजना के जो कर्मचारी हैं, जो इन्जीनियर्स हैं, जो मजदूर हैं, वह योग्य हैं, सक्षम हैं और काम करना जानते हैं, उनके अन्दर सेवा भावना है। मैं केवल उनकी प्रशंसा करने के लिये यह नहीं कह रहा। आप किसी भी विभाग को देख लीजिये, सब से कम अगर कहीं हड़ताल होती है, तो वह पी. एच. डी. में होती है। आज सवाई मानसिंह हास्पीटल में हर तीसरे दिन हड़ताल होती है। क्या वहां सेवा का काम नहीं है? लेकिन उनके अन्दर वह सेवा की भावना नहीं है जो हमारे जल प्रदाय योजनाओं के कर्मचारियों में इन्जीनियर्स में और मजदूरों में है। सब से कम हड़ताल वहां होती है। आज बीमा विभाग में और दूसरे विभागों में कितनी हड़तालें होती हैं अध्यापकों की कितनी हड़तालें होती हैं। लेकिन जल प्रदाय योजनाओं के कर्मचारियों की हड़तालें सब से कम हैं। कारण यह है कि उनके अन्दर सेवा की भावना है, वह समझते हैं कि हम किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं, हमारी सेवाओं की प्रदेश को जरूरत है। यह मैं केवल प्रशंसा करने के लिये नहीं कह रहा, न ही इसके लिये कह रहा हूं कि उनकी कोई प्रशंसा करूंगा तो वह मेरा कोई काम कर देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनमें योग्यता है, क्षमता है काम करने की। मैं अपने इलाके की बात करता हूं, जहां पर पानी में चावल नहीं सीजता था, जहां के पानी से दूध फट जाता था और जहां के पानी में दाल नहीं पकती थी। वहां आज मीठा पानी आ रहा है।

वह किस के कारण से? मेरे कारण से नहीं। वह इन्जीनियर्स के, कर्मचारियों के, मजदूरों के कारण से। उन्होंने मेहनत से, लगन से काम किया और हमने जो उनको योजनाएं दी उन योजनाओं को उन्होंने पूरा किया। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो योजनायें पूरी की हैं उसमें कोई कमी नहीं थी या उसमें कोई खामियां नहीं थीं। लेकिन मैं उस गिलास को जो आधी भरी हुई है उसको इस हिसाब से देखता हूं

(श्री चन्दनमल बैद)

कि गिलास आधी भरी हुई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आधी गिलास खाली है। मेरी मंशा यह है कि जो आधी गिलास भरी हुई है वह पूरी भरी जाए। मैं यह कहना नहीं चाहता कि आधी गिलास खाली है इस वास्ते उनको दोष दो। आधी गिलास भरी हुई है और यदि उन्होंने भरी है तो मैं उनसे यह उम्मीद कर के चलता हूं कि इस आधी भरी हुई को पूरी गिलास में भरें। आज जो योजनायें चल रही हैं, ठीक कहा है मुख्यमंत्रीजी ने कि टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने, जैसे मैं गंधेली-साहवा योजना की बात करूं। 87 गांवों के लिए फर्स्ट फेज की स्कीम बनाई। चूंकि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। हमको वोटों के लिए जनता के पास जाना पड़ता है और वोटों के लिए नहीं भी जाएं तो हम उनके बीच में जाते हैं तो वह हमारे भाई हैं, वह हम से सम्बन्धित हैं, उनमें हम फिरते हैं, घूमते हैं तो हम से जो मांगते हैं वही मांग मांगनी पड़ती है हमें। एक गांव को हम पानी देते हैं तो पास के गांव वाले कहते हैं, क्यों साहब, इस गांव में आपने पानी दिया हमारे गांव में क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वह 87 गांवों की जो स्कीम थी वह फर्स्ट फेज की स्कीम 136 गांवों की हो गयी और साथ में तारा नगर कस्बा भी जुड़ गया। जब तारा नगर कस्बा जुड़

(रात्रि 10 – 02 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गया, 87 गांव थे जो 136 हो गये। जब उसके अन्दर पशुओं के लिए भी पानी रिजर्व कर दिया गया और उसके बाद आबादी बढ़ गयी, लोगों को सुविधा मिली तो उनको सुविधा ज्यादा लेने की आदत पड़ गयी तो नतीजा साफ था कि पानी कम आया। पानी कम पड़ गया तो जो टेल एण्ड के गांव थे उनमें पानी नहीं पहुँचा और जो बीच के गांव थे उनमें पानी कम पहुँचने लग गया। तो हमारा फर्ज यह है कि इस कन्टीन्यूइंग प्रोसेस में जब विकास की गंगा बराबर बह रही है तो हम सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे आज आप बैठे हुए हैं, कल कोई दूसरा बैठे, चाहे कोई तीसरा बैठा हुआ हो, हमारा और आपका फर्ज यह है कि उन स्कीम को हम रिवाइज करें। बराबर उनको देखें कि इन स्कीम से जो पानी पहुँच रहा था, सुविधा बढ़ने के कारण से, आबादी बढ़ने के कारण से, आबादी बढ़ने के कारण, ज्यादा जोर देने के कारण से लोगों की आदतें सुधर जाने के कारण से अगर आज पानी की कमी हो गयी है तो स्कीम को रिवाइज कर के ज्यादा लोगों को पानी पहुँचाने की कोशिश करें और इसी वास्ते आज से दो साल पहले इसको सैकिण्ड फेज की मन्जूरी दी गयी और उस सैकिण्ड फेज में मन्जूरी देकर 335 गांव को शामिल किया गया। उस स्कीम के बहुत से काम पूरे हो गये लेकिन कई चीजें अधूरी पड़ी हुई हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि वह अधूरी पड़ी रहने में इन्जीनियरों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा है। चाहे भंवरलालजी हों, चाहे चन्दनमलजी हों, कसूर हमारा है क्योंकि उनकी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को वह पूरी नहीं कर रहे हैं। आज साढ़े चार किलोमीटर के लिये, चार सौ एम. एम.

(श्री चन्दनमल बैद)

के पाइप नहीं मिल रहे हैं, पांच सौ मिलीमीटर के। वह कहां से लायेंगे? उसका इन्तजाम तो हम को, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनको करना चाहिए। आज जो नहर को 31 किलोमीटर की जो नहर थी, उसको रेज करने के टेण्डर दिये गये उसमें पांच किलोमीटर की नहर अभी तक रेज नहीं की गयी। किसका कसूर है? कसूर हमारा है कि हम जयपुर में बैठे हुए लोग इस चीज का इन्तजाम नहीं करते हैं। हम यह देखते नहीं हैं कि इस में जो बोटल नेक हैं, उन बोटल नेक को हम दूर नहीं करें और हम यह उम्मीद कर के चलें कि हमारे इन्जीनियर्स, ए.ई.एन. या एक्स.ई.एन. उन बोटल नेक को दूर कर देंगे, यह सम्भव नहीं है। यह, वास्तव में मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। यह समझ के नहीं चलना चाहिए हमको कि यह स्कीम तो चरू जिले की स्कीम है, यह स्कीम तो राजगढ़, तारानगर और सरदारशहर की स्कीम हैं। इस वास्ते इसमें मेहनत नहीं करें, इसकी तरफ ध्यान नहीं दें, बल्कि हम को यह देखना चाहिए समष्टी के रूप में देखना चाहिए कि पानी की योजना आपकी तारानगर, चूरू और राजगढ़ की हो सकती है। सरदार शहर की हो सकती हैं कल यह स्कीम सारे चूरू जिले की हो सकती है इसमें तारानगर भी शामिल हो सकता है, सुजानगढ़ भी शामिल हो सकता है, इसमें डूंगरगढ़ भी शामिल हो सकता है और यही स्कीम आगे बढ़कर कभी सीकर भी आ सकता है, झुन्झुनू भी आ सकती है, नागौर भी आ सकती है, बीकानेर भी आ सकती है।

श्री किशनाराम नाई : डूंगरगढ़ नै कोई शामिल कोनी करै। नै थे करो न ये करै।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : कर दी-कर दी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह ही निवेदन कर रहा था कि हमको सरफेस वाटर की तरफ ध्यान देना चाहिए और सरफेस वाटर 15 सौ क्यूसेक इंदिरा गांधी नगर से हमने रिजर्व किया हुआ है और आज जो स्कीम हमारी चल रही है उसमें हम 20 क्यूसेक पानी कुल यूज कर रहे हैं और 14 सौ 80 क्यूसेक पानी अभी तक हमारा उपयोग करने से बाकी रह रहा है। उसको उपयोग करने के बाद हमको सोचना चाहिए और उस सोचने में, अगर हम कोशिश करेंगे तो वह सरफेस वाटर, जो आज केवल तीन तहसीलों में आ रहा है, चूरू जिले की, वह सारे चूरू जिले में आ सकता है वह सरफेस वाटर अगर हम कोशिश करें तो सीकर में आ सकता है, झुन्झुनू जिले में आ सकता है, नागौर जिले में आ सकता है, सब जगह आ सकता है और इसके लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमारे मन में इस भावना के आने की जरूरत है कि हमको काम करना है। पैसे की जरूरत, पैसे की कमी नहीं है। भारत सरकार काफी पैसा देना चाहती है। जर्मनी भी हमसे अनुबंधन करना चाहती है और वह 12 महीने से लटकता पड़ा है। हमने उससे अभी तक समझौता नहीं किया और दूसरी जगह से भी पैसे आ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे सकता है। भारत सरकार दे सकती है। हमारे पास पैसे हैं। जर्मनी पैसा

(श्री चन्दनमल बैद)

देना चाहता है, वर्ल्ड बैंक पैसा देना चाहता है। हमारे सामने केवल इसमें अच्छी तरह से जुट जाने की जरूरत है। हम इसमें जुट जाएं और इस काम को पूरा करें।

आपने पानी के बारे में बात तो कही लेकिन आपने इस बात को नहीं सोचा कि आज जो पानी की जरूरत है वह, वह पानी की जरूरत नहीं है जो आज से 40 साल पहले पानी की जरूरत थी। 40 साल पहले एक आदमी एक घड़े से काम चला सकता था। 20 लीटर से काम चला सकता था लेकिन आज जमाना इतना बदल गया, उस 20 लीटर से उसकी संतुष्टी नहीं हो सकती है। इस वास्ते पानी की जरूरत बढ़ गयी है और इस बार जो पैसा हमने खर्च किया है वह बरबाद नहीं हुआ है उसमें कमी आई है। उसको सुधारने की जरूरत है।

कोई भी योजना दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती है, एक बार आप उसको बना दें और हमेशा-हमेशा के लिए वह चलती रहे। उसमें खराबी नहीं आये। हैंडपम्प भी जब आप बनायेंगे, खराब होगा तो उसको ठीक करना पड़ता है। आज इस सरफेस वाटर की जगह-जगह मांग हो रही है। अभी मैंने एक कट मोशन देखा था, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सीकर जिले में वह पानी आना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य बताते हैं कि वह पानी झुन्झुनूं में आ सकता है, नहीं आ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी बात-बातचीत हुई थी। वह भी इस बात के लिए लालायित है कि वह पानी रतनगढ़ के, उनके निर्वाचन क्षेत्र में आना चाहिए। अभी भाई किशनाराम भी कह रहे थे कि डूंगरगढ़ में नहीं आयेगा। नहीं क्यों आयेगा? जरूर आयेगा। कोशिश करनी चाहिए आपको। हम भी कोशिश करेंगे। हमारी डूंगरगढ़ से कोई दुश्मनी नहीं है। इस बार आप जीतकर आये हैं लेकिन बार-बार तो कांग्रेसी ही वहां से जीत के आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फिर कांग्रेसी जीत कर नहीं आयेंगे। दिलावर साहब, आप यों-यों हाथ हिला रहे हैं लेकिन आपके चुनने के बारे में है यह बात। लोकसभा के जो चुनाव हुए उसने यह साबित कर दिया कि आप कितने अनपापुलर होते चले जा रहे हैं। इस वास्ते इस चीज को आप सोचिये मत।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बड़ा अच्छा प्रवाह था। कहां बह गये आप?

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, मेरा प्रभाव कम हो गया लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो खुशी मिलनी चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रवाह, प्रवाह। जिस प्रकार आप पहले इस पर बोल रहे थे, जिस प्रभाव से और जिस भावना से बोल रहे थे उससे आप अलग कहां जा रहे हो। आप उसी पर आओ। यह कह रहा था मैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं अलग इसलिए जा रहा हूं कि आपके माननीय सदस्य जो बीच में व्यवधान डालते हैं उनका जवाब देना भी राजनीतिक रूप से जरूरी होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री चन्दनमल बैद : तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज हमको पानी की स्कीमों के बारे में नये तरीके से सोचने की जरूरत है। राजस्थान के हालात में समझने की जरूरत है। अगर हम इस तरह की रिजनल स्कीम, इस तरह के कुओं से रिजनल स्कीम की तरफ चलते हैं, अगर हम इसी के से खाली, ट्यूबवेलों पर चलेंगे तो जनता की जो पानी के प्रति बढ़ती हुई मांग है उस मांग को पूरी नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते जितने भी सरफेस वाटर वह सरफेस वाटर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आज 18 हजार क्यूसेक पानी, जो इन्दिरा गांधी नहर से हमको लेना चाहिए, वह सिंचाई और पीने के दिनों के काम में हम नहीं ले पा रहे हैं और 15 सौ क्यूसेक पानी जो हमने रिजर्व किया था उसमें से केवल 20 क्यूसेक पानी हम खाली पीने के लिए काम में ले रहे हैं।

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, केवल आपके और हमारे मेहनत करने की जरूरत है। आपके नीचे कर्मचारी, इन्जीनियर्स और जो मजदूर हैं, इस काम को करना चाहते हैं, केवल आपके सहयोग की जरूरत है और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी वेदना के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय मेरे मित्र हैं लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। क्यों कमी है? मैं नहीं कह सकता। किस कारण से कमी है? मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अभी सुबह जब कोई डिबेट चल रही थी तो मैंने कहा था श्री कल्लाजी ने अपने क्षेत्र में सड़कें बना दी तो आप एतराज करने के लिए खड़े हुए तो मैंने कहा, उन्होंने सड़कें ही बनाई हैं, कम-से-कम, आप इतना काम तो कीजिए कि आप स्वायत्त शासन मंत्री हैं,

एडमिनिस्ट्रेटर आपके नीचे है, आप खुद ढूंढ करके एडमिनिस्ट्रेटर लाये हैं फिर भी जगह-जगह जयपुर में कूड़े के ढेर क्यों पड़े हैं? इतना काम तो कीजिये आप कम-से-कम इन कूड़े के ढेरों को तो उठवाइये। जवाब क्या मिला? मुझे जवाब यह मिला कि चन्दनमल जी, आप जहां होंगे वहां तो कूड़े का ढेर होगा ही। अच्छी बात है। अगर मेरे चले जाने से कूड़े का ढेर समाप्त हो जाये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप कूड़े का ढेर हटवा दीजिए मैं जयपुर छोड़ दूंगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने आपके लिए नहीं कहा यह।

श्री चन्दनमल बैद : अगर हम कूड़े के ढेर भी नहीं हटा सकते, और तो जाने दीजिये सिविल लाइन्स में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सिविल लाइन्स में । सी स्कीम को जाने दीजिये, बनीपार्क को जाने दीजिये, जौहरी बाजार और दूसरी जो गलियां हैं, गोपालजी का रास्ता है, कुंदीगरों भैरोंजी का रास्ता है उनकी तो क्या हालत है, वह सड़ रहे हैं। और जाने दीजिये आप, आप चले जाइये सवाई मानसिंह अस्पताल में। सवाई मानसिंह अस्पताल में चले जाइये और काटेज वार्ड के पीछे जाकर देखिये, मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

(श्री चन्दनमल बेद)

इसलिये मजबूरी है कि हमारे में इच्छा शक्ति नहीं हैं, काम करने की जो ताकत होनी चाहिये वह ताकत नहीं है । इस वास्ते मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पानी की समस्या का जो हल है वह दूर नहीं है । सब चीजें मौजूद हैं, पानी मौजूद हैं, पैसा मौजूद है, काम करने वाले इंजीनियर, मजदूर, कर्मचारी मौजूद हैं । केवल कमी इस बात की है कि काम कराने वालों में इच्छा शक्ति की कमी है राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी है उस शक्ति को प्राप्त कीजिये जो निश्चित रूप से यह समस्या हल होगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बेदजी कोई कमी नहीं है । जितना काम एक साल भर में हुआ है उसको आप देखें तो कहीं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा ।

(खड़े नहीं हुए)

माननीय श्री प्रो. केदार ।

(खड़े नहीं हुए)

माननीय श्रीमती रमा पायलेट ।

(अनुपस्थित)

कौन बोलना चाह रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मैं बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मुझे इतनी सी बात कहनी है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : अब नेता लोगों के बोलने के बाद कहीं पर कुछ रहना नहीं है । टाइम भी ज्यादा हो गया है ।
(व्यवधान)

आप विराजिये । बुला देंगे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनसे कुछ बात करनी है ।

श्री रामकिशन : जो हमारे बजट बदलने का तरीका है, उस तरीके को हमें दुबारा सोचना चाहिये । आज स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि छह महीने पहले हमने बजट पारित किया था और बजट पारित करते समय हमें अपने आमदनी और खर्चे का ठीक-ठीक अन्दाज लगा लेना चाहिये । लेकिन छह महीने बाद जब हम सदन में अनुपूरक मांगों को लेकर आते हैं तो इसका मतलब हमारे अनुमान कहीं न कहीं गलत हैं । और गलत हैं तो इसका एक कारण मैं और भी समझता हूं कि आम बजट के समय हमें बजट का घाटा दिखाना पड़ता है, बजट की दूसरी चीजों को साफ करना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुपूरक मांगों के मार्फत उस समय के वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रीजी ने ताली पिटवा ली, मैंने घाटे को कम कर दिया और उस घाटे को छिपाने के लिये अब इस तरह की मांग रख दी गई है जिससे घाटा दिखाई देगा नहीं और मुख्य

(श्री रामकिशन)

मंत्रीजी को शाबासी मिल जायेगी कि उन्होंने बजट को बहुत ढंग से पेश किया।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। हमारा बजट पेश हुआ। इस वर्तमान सरकार ने दो बजट पेश किये। और दोनों ही बजट करीब-करीब कर रहित बजट हैं। कर रहित। पहले बजट में एक करोड़ रुपये के करीब टैक्स लगे थे और इस बजट में कोई टैक्स लगा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे विकास की जो संभावनाएं हैं, हमारे विकास की जो जरूरियात हैं उनके लिये साधनों के लिये सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। आज जरूरत में इस बात की है कि हमारे समाज की समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, हमारे ज्ञान की वजह से, चेतना की वजह से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं तो हम ज्यादा साधन जुटायें और ज्यादा साधन जुटा कर जैसे भी सम्भव हो सके हम अपने क्षेत्र के विकास को अन्य राज्यों के मुकाबले में लाने की कोशिश करें, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने दोनों बजट पेश किये और दोनों बजट में उन्होंने प्रशंसा प्राप्त की कि उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अब वह क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने नेशनल सेविंग्स योजना चालू की है, राष्ट्रीय सेविंग योजनाएं। एक में रख दिया मकान, एक में रख दी कार और अब रख दिया एक किलो सोना। एक किलो सोना, कार और मकान के लोभ में सारे राजस्थान को आपने जुआरी बना दिया, सब जुआ खेल रहे हैं, लगातार भाग ले रहे हैं मुझे भी एक किलो सोना मिलेगा, मुझे भी नई कार मिलेगी, मुझे भी नया मकान मिलेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो कार के चक्कर में तो आये नहीं, सोने के चक्कर में आये हो।

श्री रामकिशन : आपने देखा, चक्कर में तो मैं आपके भी नहीं आया हूं, आप जानते हो लेकिन खैर, मैं चर्चा कर रहा हूं दूसरी बात की। इस तरह से, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप सात सौ, आठ सौ करोड़ रुपया इकट्ठा करने जा रहे हो। इन योजनाओं के मार्फत, नेशनल सेविंग्स के मार्फत आपका पैसा इकट्ठा होगा। और यह पैसा जायगा केन्द्र में। और केन्द्र से आप लोगे उधार। तो टैक्स तो आप भी लगा रहे हैं लेकिन राजस्थान को कर्ज में डुबो कर जा रहे हैं आप, कर्ज में। जब केन्द्र सरकार कर्ज लेती है तो हम भी विरोध करते हैं आपका दल भी विरोध करता है लेकिन राज्य सरकार इस तरह से कर्ज लेकर भावी सन्तति को गिरवी रखती चली जा रही है, मैं समझता हूं यह रास्ता उचित है क्या और शायद आपने यह सोचा है ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में पहले आप अर्थशास्त्री होंगे जिन्होंने नेशनल सेविंग्स का विरोध किया है।

श्री रामकिशन : नेशनल सेविंग्स का विरोध नहीं किया, मैं जिसका विरोध कर रहा हूं पहले वह सुनिये आप। मैं कर रहा

(श्री राम किशन)

हूं कर्ज का विरोध। और कर्ज आप क्यों ले रहे हैं कि अगले चुनाव में आपको तो आना नहीं है और इनका पूरा हो गया है समय, आना है हमें और हमारे ऊपर कर्ज का वजन छोड़ कर जा रहे हैं आप। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप तो यह गाय की पूंछ पकड़ कर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। आप तो आल्टरनेटिव टर्म में आते हो। अबके आ गये तो अगले साल जीतोगे नहीं। इन से हारोगे फिर जीतोगे। आल्टरनेटिव टर्म में आते हो।

श्री रामकिशन : मैं दल की बात कर रहा हूं। आप एक बार 30 सीट, गाय की पूंछ पकड़ कर लाये। अबके 110 ले आये राम का नाम लेकर। इन्होंने जो नयी औद्योगिक नीति चालू की है और विश्व बैंक की दासता स्वीकार करके जो आर्थिक नीतियां शुरू की हैं, इनका सफाया होगा और आप आने वाले हैं नहीं इसलिये आप कर्ज लेते चले जा रहे हो। सोच रहे हैं यह वजन हम पर पड़ेगा, उस कर्ज को हम कैसे चुकायेगें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे (व्यवधान)......

सुनिये भाई इन चीजों को आप नहीं समझोगे।

श्री चन्दनमल बैद : पंडितजी, अभी से चिन्तित हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बेफिक्र रहो जब तक नत्थीसिंह जी हैं, आपको आगे आने ही नहीं देंगे।

श्री रामकिशन : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप कर्जा लेते चले जा रहे हैं। फिर कांग्रेस के माननीय सदस्य बड़े अनुभवी भी हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपना सारा जोर जलदाय योजनाओं पर लगाया और उचित भी है लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम वित्त मंत्री को पकड़ें, मुख्य मंत्रीजी को पकड़ें। जिन रास्तों से निकल जाते है, कर नहीं लगाया, ताली पिटवाली, कर्ज का पता लगेगा नहीं बजट का घाटा दिखा दिया कम, ले ली वाहवाही और सारे देश में। मैं हैदराबाद जा रहा था, मुझसे एक आदमी ने कहा, आपका मुख्य मंत्री बड़ा होशियार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जलन हो गयी होगी उसमें।

श्री रामकिशन : मुझे कष्ट तो नहीं हुआ लेकिन मैंने कहा कि होशियार और चालाक में फर्क होता है। मैंने समझाने की कोशिश की, मुसलमान है वह। मैंने कहा कि होशियार अलग होते हैं, चालाक अलग होते हैं। तो हमारे मुख्य मंत्री जी होशियार हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन होशियारी से ज्यादा उनमें चालाकी का अंश है और इसीलिये वह इस तरह के खेल करते रहते है और खेल करके इस तरह की चीजों को करते रहते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने एक कमेटी बनायी थी कि राज्य में मितव्ययता लायेंगे। ललित किशोर जी को बना दिया उसका अध्यक्ष। आठ महीने से उसकी कोई मीटिंग हुई है? राजेन्द्र जैन को बना दिया आपने उसका सचिव। अब जैन साहब के खिलाफ कुछ मामले है वह

(269)

(श्री रामकिशन)

कुछ सुझाव देने की स्थिति में नहीं हैं और ललित जी को मौका नहीं है । कमेटी ने कौनसे सुझाव दिये और उस कमेटी के सुझाव के अनुसार आप क्या करने जा रहे हैं ?

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज हम पर विदेशी मुद्रा का संकट है । तो संकट इसलिए है कि हमारे देश में पैट्रोल की खपत बढ़ रही है, पैट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह पैट्रोलियम पदार्थों की खपत सारे देश में सरकारी माध्यम से 60 प्रतिशत के करीब है । आप उस खपत को कम करने जा रहे हैं । आप यह तो कहते हैं विदेशी मुद्रा का संकट है, मैं भी कहता हूं, मैं भी केन्द्रीय सरकार को गाली देता हूं, मैं भी उसको बुरा कहता हूं, लेकिन उसको कम करने के जो उपाय हैं उनको आप करने को तैयार नहीं है । आपने अपने अफसरों को सौ-सौ रुपये महीने में गाड़ी दे रखी है । सौ रुपया देओ सैक्रेटेरियेट से घर आ जाओ और घर से सैक्रेटेरियेट चले जाओ । आप समझिये, आप कहां करने जा रहे हैं । यह सौ रुपया नहीं है, एक गाड़ी की मैन्टीनेन्स पर दस-दस हजार रुपया खर्चा आता है । मैं सुबह जब आ रहा था सदन में तो मैं जिस जगह रहता हूं, मैं अफसरों की गाड़ी खड़ी देखकर आया था । हरेक के घर में एक-एक, दो-दो गाड़ी खड़ी हुई है । आपकी नजर बहुत तेज है । मैं नहीं जानता कि आपमें कोई कमजोरी हो, आपको जानकारी नहीं हो इन चीजों की, यह तो स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है ।

लेकिन अब आपकी पकड़ कम हो गई और मैं जहां जाता हूं, आपके विरोधी, प्रशंसक और समर्थक एक बात कहते हैं अक्सर, कि अब 77 वाले भैरोंसिंह जी नहीं रहे । मुझसे कहते रहते हैं, आपसे पता नहीं कहते हैं या नहीं तो बहुत बार तो मैं कह देता हूं कि उम्र बढ़ रही है लेकिन उम्र का सवाल नहीं है, संगत के लिए आपने बढ़िया टीम नहीं बनाई । सत्तर साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती और राजा कभी बूढ़ा होता ही नहीं और राजपूत के तो बूढ़ा होने का सवाल उठता ही नहीं है । तो मैं उम्र की सफाई तो दे देता हूं लेकिन आपने जो टीम बनाई है अपने सलाहकारों की जो दिन में 15 पान खिलावें और आपके भाषणों की तारीफ करें ऐसे सलाहकार रखते हैं तो हम जैसे सलाहकार रखने को तो तैयार हैं नहीं, जो बता दें कि मामला गड़बड़ कहां है । तो आपको....(व्यवधान)

पकड़ जो प्रशासन से कम हुई है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जानी है, मनुष्य दबाव ज्यादा महसूस करता है और यह सरकारी अधिकारी जिस तरह से पैट्रोल फूंक रहे हैं और विदेशी मुद्रा का संकट पैदा कर रहे हैं । एक बार आपने एलान किया था शायद कि मंत्री एक-एक गाड़ी ही रखें । अब जरा बताइये, उनको दो-दो गाड़ी की क्या जरूरत है । मैं कोई मंत्री के प्रशासन के खिलाफ नहीं हूं । मैं पूरी प्रतिष्ठा और पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जब देश संकट में है तो हमें अपना व्यवहार भी संकट वाला ही करना चाहिए । चीनी कम हो गई इंगलैण्ड में तो चर्चिल ने अपनी चाय में चीनी डालनी बन्द कर दी ।

(श्री रामकिशन)

इसका यह मतलब तो नहीं था कि कोई एक चम्मच चीनी से इंगलैण्ड का संकट दूर हो रहा था लेकिन प्रतीक होता है और इस संकट के समय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मंत्री दो-दो गाड़ी का क्या कर रहे हैं उनकी गाड़ी वापिस लें। सारे अफसरों ने एस. टी. डी. लगा रखी है। शेयर्स खरीदते हैं। पैसा खर्च करते हैं आपने उनके दफ्तरों में किस बात के कम्प्यूटर लगवा दिये हैं मेरी खुद की समझ में नहीं आता। क्यों आपकी नोटिस में यह चीज नहीं आती। क्यों पैसा बरबाद हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारी बचत बढ़े और खर्चा कम हो। साधन जुटाये जांय जिससे विकास को गति दें और देश में अपने राज्य को सबसे आगे नहीं ले जा सकें तो जो सम्पन्न राज्य हैं उनके मुकाबले तो अपने राज्य को लाने की कोशिश कर सकें।

जो कमेटी आपने बनाई थी, शायद ललित जी को समय नहीं है उनका विभाग बड़ा है। राज्य में दौरा भी करते हैं इसलिए कमेटी में और योग्य लोग रख दीजिए। सतीशजी हैं वह भूतपूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। माणक जी सुराणा हैं इस कमेटी को जरा एक्टिव करें। मेरा सुझाव यह नहीं कि उनको अध्यक्ष बनावें क्योंकि मैंने सुझाव दिया था, आप कहेंगे उनकी खुशामद कर रहे हैं मेरा तो कोई उनसे मतलब है नहीं लेकिन उनको समय है नहीं। जैन साहब टाइम दे नहीं सकते। आप वास्तव में मेहरबानी करके वास्तव में खर्चा कम करने के लिए आपको इसे एक्टिव करना चाहिए और सुझाव लेने चाहिए जिससे राज की वित्त व्यवस्था सुधर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है आपने भ्रष्टाचार मिटाने का वायदा किया मैं उसका आज भी स्वागत करता हूं मेरे मन में आज भी इस बात का पूरा विश्वास है कि आप भ्रष्टाचार को कम से कम बरदाश्त करने वाले लोगों में से हैं। यों तो मनुष्य की, हर मनुष्य की कुछ कमजोरी होती है। वह पूर्ण नहीं होता है इसलिए मैं दावा तो नहीं सकता कि आप शतप्रतिशत दबाव को बरदाश्त करते हैं लेकिन आपने बेरी की कमेटी बनाई। मैं और आप हर दिन मिलते रहते हैं लेकिन मैं आपसे प्राइवेट बात कभी करता नहीं। मैं सदन में पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे और जिनकी जांच पूरी हो गई है उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं और अगर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है आप कहीं न कहीं किसी प्रकार के दबाव में हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके अपने विभाग में ऐसे-ऐसे केस देखने को मिले हैं जैसे जैन साहब कभी बायोगैस के सेक्रेटरी रहे होंगे उनके यहां एक चपरासी लगा हुआ है साढ़े 6 वर्ष से। नीचे एकाउण्टस आफीसर लगातार लिख रहा है कि यह हाजिरी माफी लेता है इसकी तनख्वाह कैसे दें और उस तनख्वाह की वजह से, मैं उस चपरासी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, एक छोटे केस का जिक्र नहीं कर रहा हूं। आपकी नजर पैनी हो तो हर विभाग में धन का दुरुपयोग हो रहा है उसे [illegible]ने के सम्बन्ध में मैंने जिक्र किया है

(श्री रामकिशन)

और निवेदन करना चाहता हूं आज भ्रष्टाचार की हालत यह हो गई है इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, ऊपर और नीचे का सवाल नहीं है जिसको रोकना, मैं समझता हूं अगर आप सख्ती बरतेंगे तभी सम्भव होगा। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ वातावरण तो बनाया लेकिन उसके खिलाफ काम नहीं हुआ।"

इसलिए भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को धीरे-धीरे दुबारा साहस हो रहा है और वह समझते हैं राजनेता आते हैं और चले जाते हैं उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए तुम जिस लाइन पर चल रहे हो उसी लाइन पर चलो। मान लीलिए, जलदाय विभाग के मंत्रीजी बैठे हैं उनका बहुत बड़ा बजट है उन्होंने कभी देखा है कि आपके यहां कैसी-कैसी मशीनें खरीदी गई हैं? लीकेज को टैस्ट करने के लिए जर्मनी से मशीन आई। आप जरा देखते उन मशीनों को कभी काम लिया क्या? ड्रिलिंग के काम के लिए साढ़े तीन करोड़ की मशीन खरीदी गई आप जरा देखना उनका टैस्ट करने के बाद क्या स्टेण्डर्ड के अनुसार आई थी क्या? और एक-एक मन्त्री अगर अपने विभाग का इतना समझा दे, एक बात का तो मैं स्वागत करता हूं, एक हर महीने या दो महीने में एक-एक विभाग की समीक्षा आप करते हैं यह अच्छी शुरूआत है लेकिन शुरूआत का मतलब जब है जबकि आपका मन्त्री भी अपने विभाग पर कब्जा रखें और मेहरबानी करके कम से कम मैं उनको अयोग्य तो नहीं कहता कम से कम मुझसे तो ज्यादा योग्य हैं और मेरी हिम्मत भी नहीं हैं कि मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दूं लेकिन इतनी चीज कहना चाहूंगा कि यह सब अपने-अपने विभाग के बजट को तो समझें कि उनका बजट कितना है उसमें से वेतन कितना देना है पर्चेज कितना करना है और दूसरे किस तरह के खर्चे हैं, या मंत्रियों के पास जैसे रामनाथ का गुटका होता है उसी प्रकार से उनके पास हिसाब-किताब अपनी टेबल पर होना चाहिए लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई विभाग का कोई मंत्री आज यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है कि उनके यहां पर्चेज किस प्रकार से किया गया, कितना किया गया और उसका कितना दुरुपयोग हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट बनाते समय आपको जो अनुपूरक मागें आप लाये हैं और अनुपूरक मांगें लाते वक्त मैं चाहूंगा कि एक संकल्प और करें कि जब अनुपूरक मांग हो उस समय परफारमेंस की भी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। छः महीने पहले बजट पेश हुआ था। आप देख लीजिए आपके किसी विभाग का खर्चा 30% से ज्यादा नहीं हुआ है। मुश्किल से 30% और तीन महीने बाद ज्यादा से ज्यादा 50%, अब वही मार्च में? यह बात सही है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार्च में भगदड़ मचेगी और पैसे का दुरुपयोग होगा। इसलिए अनुपूरक मांगों के समय, अनुपूरक मांगें लाते वक्त मेरा एक सुझाव है, मैं नहीं समझता आपको क्या कठिनाई है या क्या हो सकता है क्योंकि मैं कभी प्रशासन में रहा नहीं हूं लेकिन अगर सम्भव हो तो फिर हमारे पास रिपोर्ट भी होनी चाहिए परफारमेंस की कि इस विभाग का यह बजट था उसमें से

(272)

(श्री रामकिशन)

यह खर्चा हुआ है और इसका यह बजट है जिससे हम उसकी अनुपूरक मांगों को स्वीकार करने के लिए के लिए तैयार हो जांय। अब आपने एक लाइन लिख दी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि खर्च की जरूरत पड़ गई। अब क्या परिस्थितियां पैदा हो गई, आप जानें और आपके विभाग के लोग जानें। आपने एक हेलिकाप्टर खरीदने के लिए पैसा मांगा है, खरीद लिया है।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज से 30 साल पहले हमें और आपको कोई बैलगाड़ी में नहीं बैठने देता था। मैं तो अपनी बात कहता हूं हो सकता है आप बड़े घर के हों कोई बैठ जाने देता हो। अगर हम साल दो साल यह हेलिकाप्टर नहीं भी खरीदते तो इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि इनका दुरुपयोग ज्यादा होता है, सदुपयोग कम से कम होता है। तो मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमें रिसोर्सेज पैदा करने हैं और रिसोर्सेज पैदा करने का राज्य में सबसे बड़ा साधन है बिक्री कर का। मैंने बहुत से बिक्री कर के मामले पिछली सदन में भी उठाये। आपकी नजर में आये होंगे तो आपने समीक्षा की होगी। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप हों, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन एक बात कहना चाहता हूं बिक्री अधिनियम की धारा 17 (ए) में कमिश्नर को कुछ चीजों को माफ करने का अधिकार है जिसमें पैनल्टी और ब्याज, आप जरा एक बात खिए कि यह जो वित्त विभाग और सैल्स टैक्स विभाग के आंकड़े हैं उनमें हर में पैसों का जिक्र होता है। इतना इकट्ठा हुआ, इतना खर्च हुआ लेकिन मैं जब केसेज को देखता हूं जो माफी दी गई, तो उसमें रकम नहीं दिखाई गई है केवल संख्या ही ही है। तो मुझे लगता है कि माफी बहुत ज्यादा दी गई है।

कुछ बड़े बाजार में बड़ी छूट दी गई और छूट दी गई है इसलिए उस रकम को छिपाया गया है, हम जो साधन जुटाना चाहते थे उन साधनों में कमी की गई है और इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1986-87 में 1311 मामलों में छूट दी गई उनका ब्याज और पैनल्टी वगैरा माफ किया गया और वर्ष 1987-88 में मामले 2964 हो गये और वर्ष 1988-89 में 4342 हो गये और 1989-90 में घट कर 511 रह गये तो इसका मतलब या है कोई कमिश्नर इन दिनों में ऐसा रहा है जिसने बड़े व्यापारियों को भारी लाभ पहुँचाया है क्योंकि एकदम छूट में इतनी कमी आई है तो या तो पहला मामला गड़बड़ था या इस मामले में कोई गड़बड़ है। तो आपकी नजर से कोई चीज बच कर तो नहीं निकल सकती और नहीं निकल सकती तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रावधान को देखिए कि इसमें छूट देने के लिए कोई रीजन्स बताने होते हैं कोई कारण बताने होते हैं कमिश्नर की कृपा पर तो यह हो नहीं सकता कि मन में आये जिस बड़े से बड़े आदमी को छूट दे दी तो हम रिसोर्सेज कहां से पैदा करेंगे। टैक्स हम लगावें नहीं, लगे हुए टैक्स का लाभ उठावें नहीं, [illegible] बढ़ाते जाते हैं तरह-तरह के खर्चों पर

(श्री रामकिशन)

नियन्त्रण कर नहीं पाते. प्रशासन इस तरह का कर नहीं पाते तो फिर हमारे विकास की दर कैसे बढ़ेगी हम पूंजी का नियोजन कैसे कर पायेंगे ।

मैंने आपसे बजट के सम्बन्ध में जो बातें कही, जिक्र किया अब मैं और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल पड़ता है । आपकी चिन्ता भी हि ाज सही है । माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मन्त्री महोदया ने जवाब दिया वह बात भी सही हैं लेकिन -राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि राज के राजस्व में सबसे ज्यादा देते हैं वे घन, और सबसे ज्यादा घाटे में रहते हैं । मैं कोई राजस्थान के खिलाफ नहीं हूं आप जरा इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आप इसको स्पष्ट करेंगे । मैं उस तरह का नहीं हूं लेकिन कम से कम जो इलाके ज्यादा धन देते हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट का तो ख्याल रखना चाहिए ।

अब आप देखिए आपकी जलदाय योजनाओं को । आपने जितना पैसा रखा है उसमें से कुछ चला जायेगा बीसलपुर में, कुछ चला जायेगा आपका इन्दिरा गांधी नहर में तो फिर अलवर, भरतपुर के लिए क्या बच जायेगा । कुछ नहीं बचता है । मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी हालत यह है कि भरतपुर जैसे जिले में पीने को पानी नहीं है । माननीय चन्दनमल जी कह रहे थे कि हम पहले ऐसा पानी पीते थे कि दूध फट जाता था, दाल खराब हो जाती थी अब इनको मीठा पानी मिलने लग गया है लेकिन श्रीमान हमारे यहां तो ऐसा खारा पानी हो गया है कि हमारे दिल फटने लग गये हैं आपके तो दूध ही फटा था हमारे तो दिल ही फट रहे हैं आजकल । हम जब क्षेत्र में जाते है तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके होते हुए हमारे यहां पानी का प्रबंध नहीं । मैं माननीय मन्त्रीजी आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर शहर की योजना स्वीकार थी, पी. सी. सी. से उसको आपने निकाल दिया । आपके विभाग के अधिकारी छह महीने से उसकी टेक्निकल सेंक्शन नहीं दे पा रहे हैं । मैंने आपको पत्र लिखे, आपके विभाग के अधिकारियों से पूछ लीजिए दिन में मैं दो टेलीफोन निश्चित करता हूं और टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि इसको भैरोंसिंह जी के पास भेजने वाला हूं ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आपने यदि घर से टेलीफोन किया हो तो सौगन्ध खा कर कह दो ।

श्री रामकिशन : हां, तो सौगन्ध किसको खिलाना चाहते हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सौगन्ध खाओ सुमित्रा जी की ।

श्री रामकिशन : सौगन्ध के लिए संसार में दो चीज होती हैं । सुनिये, श्रीमान, सौगन्ध के लिए संसार में दो चीज होती है । एक तो होता है ईश्वर और एक होती है स्त्री । तो देखो ईश्वर तो मुझे मिला नहीं और स्त्री तो मुझे इतनी आनन्ददायी मिली है कि उसकी तो सौगंध खाने को तैयार नहीं हूं । तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना

(श्री रामकिशन)

चाहता हूं कि यह पी. सी. सी. से निकल गयी ग्राज उसकी टेक्निकल सैंक्शन क्यों नहीं जा रही है। दो लाख तक की सैंक्शन ग्रापने दे रखी है एडीशनल इंजीनियर को। यह ग्राप एस. ईज. को क्यों नहीं देते? ग्राखिर वह भी तो उतने ही पढ़े लिखे लोग हैं। उनका फील्ड का अनुभव है। मैंने तो यह देखा है कि कोई भी योजना ग्रा नहीं सकती, मन्जूर हो नहीं सकती। जब वह फील्ड में लग जाते हैं तब वे ग्रयोग्य हो जाते हैं ग्रौर हैड ग्राफिस में ग्राकर बैठ जाते हैं तो योग्य हो जाते हैं। ग्राप जरा देखिए भरतपुर के मामलों में, एक-एक फाइल को 15-15 बार लौटाया है। एक बार, एतराज करते नहीं। एतराज अबके कुछ कर दिया।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

ग्रभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूं कुछ मामलों पर। तो मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता था कि हालत इतनी खराब है कि ग्राप ग्रपने विभाग पर कैसे नियन्त्रण करें। यह विभाग टेक्निकल विभाग है, इनमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ग्रौर समय ग्रभाव में शायद ग्राप देख नहीं पाते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रलवर, भरतपुर की योजना है, जो योजनाएं स्वीकृत हो गयी हैं, मेहरबानी करके उनको तो ग्राप शुरू करवा दीजिये। एक निवेदन ग्रौर ग्रापसे करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी कि हत्यायें भी होती हैं लोग मारे भी जाते हैं लेकिन भरतपुर नगर में, माननीय सम्पतसिंह जी, कृषि मन्त्री बैठे हैं उस क्षेत्र के। एक इस प्रकार की हत्या हुई है जिसकी कल्पना मैं कभी कर नहीं सकता।

श्री सम्पतसिंह (कृषि मन्त्री) : ग्राप तो नाम ही ले लिया करो।

श्री रामकिशन : मंत्री की हैसियत से, नहीं तो बाहर तो सम्पतसिंह ही हो मेरे लिये। लेकिन सदन के ग्रन्दर माननीय मंत्री। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी हत्या मैंने को कभी देखी नहीं। सम्पतसिंह जी देखकर ग्राये ग्रौर मैं भी गया हूं। एक आदमी को मार दिया हो ग्रौर मारने के बाद ट्रैक्टर उस पर चला दिया हो ग्रौर उसके बाद लाश को नचाग्रो। इससे ज्यादा ग्रपराध हो नहीं सकता। मैं पुलिस की बात नहीं कह रहा हूं। गिरफ्तार हो गये, मुल्जिमों को कानून के ग्रनुसार जो होगा वह हो जायेगा।

लेकिन ग्राखिर में यह स्थिति पैदा क्यों हुई। वह स्थिति इसलिये पैदा हुई। वहां एक थानेदार को चार या पांच वर्ष बाद उसको हटाते ही पता नहीं वह कैसे मैनेज कर लेता है ग्रौर मैंने सुना था वह इसलिये जाता है वहां बार-बार कि वहां जो इल्लीगल ट्रान्सपोर्ट है उसके 50 हजार रुपये हर माह ग्राते हैं उस थाने में इल्लीगल ट्रान्सपोर्ट के। इसलिये हर थानेदार को लोभ रहता है कि इसी जगह पोस्टिंग कराग्रो। तो हत्या से उसका कोई संबंध नहीं लेकिन उसके बाद जो ग्रागजनी हुई, उस थानेदार को जलाने की कोशिश की गई, कई लोगों की जान को खतरा हो गया था, ग्रापका मालखाना जला दिया था, मैंने सब कुछ देखा था। तो ऐसे मामलों पर भी ग्रापको थोड़ी जांच करनी चाहिये। ग्राज हमारा पुलिश का प्रशासन, ग्राज हमारे दूसरे प्रशासन, सारे मामलों में

(श्री रामकिशन)

जितनी गिरावट आयी है उसका मैं आपको अन्दाज नहीं बता सकता।

एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्रीजी कि हमारे राज में, मैं इस बात की, आपकी प्रशंसा करूंगा कि जब 1975 में आप मुख्य मंत्री थे तब आपने शराब बंदी की, कांग्रेस के लोगों ने उस बन्दी को समाप्त कर दिया, उनको दुबारा चालू कर दिया। तो सवाल यह उठता है, आज मैं आपसे कहने की स्थिति में नहीं हूं कि आप दुबारा शराब बन्दी शुरू करो लेकिन आपने कर क्या दिया है कि कुछ ड्राई डेज थे, नो ड्राई डेज। उनमें दो को तो आपने खत्म कर दिया और खत्म ही किस-किस को किया, गुरुनानक के जन्म दिन को और बारावफात को। आप जरा सोचिये इसका क्या असर पड़ेगा समाज पर।

मैं यह नहीं कहना चाहता, मोहम्मद साहब का जन्म दिवस था, इस्लाम अलग चीज है और आक्रमणकारी बादशाह मुसलमान अलग चीज है। पता नहीं आपने किस तरह से इस दिन को खत्म कर दिया। जन्माष्टमी के दिन ड्राई डे है, महात्मा गांधी के जन्म दिन पर ड्राई डे है लेकिन मोहम्मद साहब के जन्म दिन को समाप्त कर और गुरु नानक के जन्म दिन को समाप्त करके आपने पता नहीं समाज में एक दूसरे ढंग की भावना पैदा कर दी। और यह पाप भी शायद आपने आबकारी मंत्रीजी से कराया है। मैंने पहले ही एक संकेत दिया था कि आप एक तीर से चार-चार शिकार करने के आदी हैं और नतीजा यह हुआ कि यश लेंगे आप और बदनामी होगी मंत्रीजी की तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दिनों को बन्द करने के पीछे क्या फायदा होगा, इसका कितना राजस्व बढ़ेगा।

आप जांच करिये कि सारे देश में शराब की दुकानें 7 बजे खुलती है लेकिन जब माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी सरिस्का आये थे उस समय 7 की बजाय दुकानों का समय 11 बजे कर दिया। तो इन दोनों के पीछे जो गड़बड़ियां हुई हैं मैं समझता हूं उनको आप समझने की कोशिश करें और कुछ जांच करने की कोशिश करें। माननीय आबकारी मंत्रीजी से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जयपुर में अफीम खाने वाले किसी ने कोई परमिट ले नहीं रखा है। आपके दुकान की 50 हजार की अफीम बिक कैसे जाती है यहां से। यह सारे सवाल कुछ इस तरह के हैं जो समाज में शंकाएं पैदा करते हैं। तो इन सारे सवालों को जब तक हम हल नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, इस तरह के विधेयक हम पास करते रहेंगे, हम ग्रांट मांगते रहेंगे और उसका कोई नतीजा होने वाला है नहीं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी की आपके होते हुये आपको कोई धोखा दे जाय यह थोड़ा मुझे कठिन सा लगता है।

लेकिन राजस्थान में हुआ क्या है, यहां एक कम्पनी जिसको आप बड़ा भारी कहते है जेम्स पार्क बना रहे हैं, ज्वेलर्स का पार्क बना रहे हैं। इस कम्पनी ने रीको से एक जमीन मांगी थी और जमीन मांगी थी 35 एकड़। यह जो कम्पनी थी सरकारी कम्पनी और सरकारी कम्पनी के

(श्री रामकिशन)

नाम से जमीन मांग कर उसी आदमी ने अपनी एक प्राइवेट कम्पनी बना ली। तो उसने जमीन तो मांगी 35 एकड़ और आपने, आपसे मतलब रीको ने, उसको दे दी 105 एकड़।

आज उस कम्पनी के मालिक ने साढ़े छह करोड़ रुपये मुनाफा कमाया है। इससे बड़ा धोखा, यह राज्य सभा में सवाल आया था और सी. बी. आई. में भी इसकी जांच हो रही है, मुरारकाजी ने इस सवाल को पूछा था। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी नजर में से यह बात निकल कैसे जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं मेरे काल में उसको जमीन नहीं दी।

श्री रामकिशन : नहीं आपके काल में नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर मेरी नजर से क्या मतलब है। और मेरी नजर में आया तभी सी. बी. आई. की इन्क्वायरी करायी। मेरी नजर में आया, तो अभी भी चिदम्बरम आने वाले थे, मैंने उनको टेलीफोन किया कि जिस मामले को देखने के लिये आना चाहते हो, कृपापूर्वक, वह नहीं है।

श्री रामकिशन : आपके लिए नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ही तो कह रहे हो।

श्री रामकिशन : नहीं, नजर कही है। श्रीमान आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे वह नजर में जैम पार्क भी है और आप भी है।

श्री रामकिशन : हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी हैं मेरी नजर में।

श्री रामकिशन : उम्र के साथ आ[illegible] तो गयी पर कान में भी थोड़ी गड़बड़ हो गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा कि आपकी नजर में यह क्यों नहीं है।

श्री रामकिशन : नजर में आये वगैर रह नहीं सकती मैं यह कहना....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आ तो गयी ना।

श्री रामकिशन : अगर आपने सी. बी. आई. की इन्क्वायरी करायी है तो मैं इसका धन्यवाद देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं आपको कि आप जो कह रहे हो वह तथ्य सही है। मैं भी ऐसा समझ रहा था कि यह बहुत बढ़िया जैम पार्क बन रहा है। जैम पार्क के मालिक डायमण्ड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के चैयरमैन हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मैं यहां जैम पार्क बनाना चाहता हूं, जैम की कटिंग वगैरह की ट्रेनिंग देना चाहता हूं और यहां पर हाउसेज भी उनके लिये बनाना चाहता हूं। जिस समय मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मंत्री नहीं बना था न तो मैंने उस समय देखी लेकिन मुख्य मंत्री बनने के बाद एक बार श्री मेनन जो मंत्री थे केन्द्र सरकार में वह आये थे तब वह और मैं दोनों देखने गये थे। देखने में बड़ी सुन्दर थी। लेकिन उसके बाद में मैंने कागज मंगाये कि यह क्या। उस समय मुझे पता लगा कि डायमण्ड पार्क के नाम से एप्लीकेशन दी और जमीन ली, ..

और बाद में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना करके उस जमीन के नाम ट्रांसफर कर दिया लेकिन मैं आया उसके पहले ही इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने इसके ऊपर आपत्ति कर दी कि जो जमीन हमने डायमण्ड पार्क को दी है, डायमण्ड पार्क उस जमीन को, जैम पार्क को, सबलेट नहीं कर सकता। उस मामले में उस समय से विवाद चल रहा है। आज उसकी कानूनी पोजीशन है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, और इसलिए यह पार्क केवल राजस्थान में बना हो ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार का पार्क गुजरात में बना है और 2-3 अन्य राज्यों में भी बना है। सी. बी. आई. सब जगह यह जांच कर रही है कि डायमण्ड कार्पोरेशन के नाम से बिजनिस शुरू किया था। या ओरिजनली को-आपरेटिव सोसाइटी बनाकर के इस प्रकार का काम शुरू किया था। यह पहले इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की नजर में आ गया, अब हमारी नजर में है अब आपकी नजर में आ गया है तो मुझे बहुत खुशी है।

श्री रामकिशन : खैर, मैं इस बात को धन्यवाद देता हूं कि नजर में आने के बाद आपने इसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। मैंने आपके खिलाफ आरोप नहीं लगाया था। थोड़ा आप सुनने की कोशिश करें। मैं यह कह रहा था कि नजर में आना चाहिये था। अब उसके सम्बन्ध में निवेदन और करना है कि ये सारे घपले राज्य में होते रहते हैं और बहुत से मामले आपकी नजर में भी आते रहते हैं और एक आदमी के लिए यह सम्भव नहीं है कि सारी व्यवस्था को सुधार दे। मैं इस बात का कायल हूं, मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि भैरोंसिंह जी सारे राज्य की सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब जरूरत इस बात की है कि आप दूसरे लोगों को डवलप होने दें, विकसित होने दें लेकिन आपकी हालत तो यह है आप तो वट वृक्ष बन गए हैं। जब कोई विभाग की बहस होगी तो उसका जवाब श्री भैरोंसिंह जी शेखावत देंगे। तो मेहरबानी करके ये सब आपके साथी हैं, ये आपके दल के लोग हैं। आप इनको डवलप होने दीजिये। हरेक को आप दबा देते हैं। आप खुद बयान दे देते हैं। नतीजा यह होता है कि बेचारे अपने आप में स्माल फील करते हैं और वे आपको सलाह नहीं दे पाते हैं। नतीजा यह होता है कि घपले जो हो रहे हैं ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घपलों की बात नहीं है। आप जो बोलने में घपले कर रहे हैं, उनको अभी तक, मैं समझता हूं आप कहीं-कहीं घपले कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं और कोई मतलब नहीं है।

श्री रामकिशन : खैर, यह आपको

(श्री रामकिशन वर्मा)

मेहरबानी है लेकिन मैं तो आपको वट वृक्ष कह रहा हूं और वट वृक्ष बनने की कोशिश मत कीजिये। आप आम पेड़ बनने की कोशिश कीजिये जो फल भी दें और जिसमें छोटे-छोटे पौधे भी पनप सकें। इन सब मंत्रियों को आपने बना क्या रखा है? एक खड़े हुए, अकाल का जवाब भी आप दे रहे हैं, क्या पुष्पा जी का जवाब प्रामाणिक नहीं था जो आपने जवाब दे दिया। सुबह दूसरे मंत्री खड़े हुए उनका जवाब भी आप दे रहे हैं। केवल ललित किशोर जी का जवाब आप नहीं देते, यह मुझे जरूर जंच रही है तो शायद आप यह मानते हैं कि मंत्री केवल ललित किशोर जी हैं बाकी सब लोग तो चट्टे-बट्टे लोग हैं आपकी नजर में। खैर, मैं मंत्रियों की प्रतिष्ठा के खिलाफ इस बात को समझता हूं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के हित में यह जरूरी है कि नई लीडरशिप को डेवलप होने दें और वे आपके सहायक होंगे, कमजोर नहीं होंगे।

एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं कि ट्रांसफर्स की आपने जो नीति बनाई, उससे इस साल घपले हुए हैं। आप जरा अंदाजा तो लगाइये। यह आपके नीचे ही विभाग है एकाउन्ट्स सर्विसेज की, कितने ट्रांसफर्स हुए? वहां पत्थर फेंके गये, वहां ईंट फेंकी गई, इस तरह से स्थानान्तरण किये गये कि 2 महीने में किसी का, 4 महीने में किसी का और 9 महीने में किसी का। मैं पूरी लिस्ट लाया हूं। आप चाहे तो ये लिस्ट ले लीजिये। आप कहते हैं, मैं फाइल रखने का आदी तो नहीं हूं। इतने ट्रांसफर्स हुए हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आयुर्वेद में 6–6 महीने में ट्रांसफर, 4–4 महीने में ट्रांसफर, 2–2 महीने में ट्रांसफर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करें। मैं कोई आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं।

हम तो आपके जैब-विसर हैं, अपोजिशन की सरकार है। आह चाहे हमारी दोस्ती भूल गये हैं क्योंकि हमारी मदद से ही तो राज बना था। बेटा कपूत हो सकता है लेकिन मां तो कभी कपूत नहीं हो सकती, कुमाता नहीं हो सकती, तो आपके मोह ने आपके प्रति जो ऐसा बना हुआ है, हम आपको मां की तरह अब आगे लाए हैं। अपने आचरण से इस सिस्टम को बदलना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सवाल मैंने उठाये हैं। मेरी आदत है, छोटे और क्षेत्रीय सवाल भी कभी नहीं उठाता, आपसे चर्चा करके इन चीजों को दूर कर लूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही है, आप उस पर गम्भीरता से विचार करें और खर्चों के जाल से निकालने के लिए, रिसोर्सेज के लिए आप चर्चा कीजिये और यह जो फिजूलखर्ची हो रही है चाहे टेलीफोन का खर्चा हो चाहे कार का खर्चा हो, दूसरी तरह के खर्चे हों, इन खर्चों को कम करके ही राजस्थान को नई दिशा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने विचार समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जिस भावना से मैंने इन चीजों को रखा है, मुख्य मंत्री जी उसी भावना से इन चीजों को लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनलाल सैनी (व्यवधान)

10.45 बज रहे हैं...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

मेरी समझ में विचार तो बहुत सारे आ चुके हैं।

श्री बलाकी दास कल्ला : कुछ भी आए, हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। उसको सहयोग कर चलाइए। बोलने का अधिकार हमारा कैसे छीना जायेगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के अधिकार पर कोई अंकुश नहीं है। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया है और मैं बोलने के लिए तैयार हूं और मैं बोल रहा हूं ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा हो रही है, उस चर्चा में अकाल की चर्चा के समय पानी की समस्या के बारे में विचार किया जा रहा है मैं आपके सामने कुछ बातें ऐसी रखना चाहता हूं अपने क्षेत्र की। मैं झुन्झुनू जिले के उन पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, माननीय जलदाय विभाग के मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह इस प्रकार का क्षेत्र है जो डार्क जोन से प्रभावित है। उदयपुरवाटी का क्षेत्र है, खेतड़ी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में यह जो डार्क जोन से प्रभावी क्षेत्र है ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय जलदाय विभाग के मन्त्री जी आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर नदी और नाले है जिनका पानी बहकर बेकार हो जाता है। इस प्रकार से नदी नालों का पानी रोककर वहां पर पीने के पानी के उपयोग के रूप में उस पानी को लिया जा सके। इसी प्रकार से योजना बनाई जानी चाहिये। मैंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान उन्होंने इस पर काम करना तय किया, कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया लेकिन इस प्रकार के नदी और नालों को देखने के बाद कार्यवाही शायद बहुत धीमी चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो भी नए राजस्व ग्राम बने, वहां पर एस. टी. और एस. सी की बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है, वहां पर टी. एस. एस. की और 57 राजस्व ग्रामों की आज भी योजनाएं पड़ी हैं जो स्वीकृति के अभाव में लटकी हुई हैं। यहां जो डार्क जोन से प्रभावित क्षेत्र है यहां कुओं में पानी नहीं मिला लेकिन इस एरिये की स्थिति तो यह है कि पानी बहुत नीचे है, पानी मिलता ही नहीं है और नीचे पहाड़ आ जाते हैं, रॉक्स आ जाती हैं। साधारण किसान कुओं को खोद नहीं सकता। पीने के पानी की यह स्थिति बन गई हैं, जलदाय विभाग के मन्त्री यहां बिराज रहे हैं। जिले की जो योजना है उन नए राजस्व ग्रामों को टी. एस. एस. योजना से जोड़ने वाली स्कीम है, उसको जल्दी ही चालू करना चाहिए। वहां पर हैण्ड पम्पों का काम भी बकाया पड़ा है। वहां मशीन नहीं पहुँच रही है। रॉकी एरिये में मशीन पहुँच जाती है तो सेण्डी एरिया के हैण्ड पम्प रह जाते हैं। सेण्डी एरिया में पहुँच गई तो रॉकी एरिया में

(280)

(श्री मदनलाल सैनी)

रह जाते हैं। यह जिला इस प्रकार का जिला है जो सेण्डी एरिया भी है और रॉकी एरिया भी है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो योजना, झुन्झनू जिले में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बनी है, वहां पर जो वाटर सप्लाई स्कीम है, वह अपर्याप्त है वहां एक तरफ उच्च जलाशय बनना चाहिए और वहां की जो पाइप लाइन है वह पाइप लाइन भी इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज वह जगह जगह से लीक होती है। छोटी पाइप लाइन है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती इसलिए उसको भी नई डालने के बारे में विचार करना चाहिये। इसी प्रकार से उदयपुरवाटी में भी और खेतड़िया नाला पर बांध बनाकर उसके पानी को सिंचाई के लिए और पीने के पानी के उपयोग के बारे में योजना दी थी, उस योजना पर माननीय मन्त्रीजी विचार करेंगे।

पुलिस के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज पुलिस थाने इस प्रकार के हैं कि चोर चोरी करके निकल जाता है और थानेदार जब उठता है तो कहता है, अरे देखो, बस स्टेण्ड पर कोई जीप है क्या ? लेकिन जीप मिलती नहीं। थाने में जीप नहीं होती। ऐसे अधिकांश थाने हैं, राजस्थान में आज भी कई ऐसे थाने हैं, जहां थानों में जीप नहीं है। रात को चोरी हो गई, दिन में तफतीश के लिए जाता है तो जिसका केस है वह थानेदार जी को जीप उपलब्ध करा देगा लेकिन रात को चोरी की न्यूज गई, उसमें जीप कहां से आएगी और जब तक जीप आएगी तब तक चोर चला जाएगा। इस प्रकार की जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने के लिए मैं आवश्यक समझता हूं कि जीप की व्यवस्था की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की कई जगह से जुर्म की कहानियां आ रही हैं। वे भी इस प्रकार की हैं। पुलिस से आदमी सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। हो सकता है किसी केस में आप भी इन्वाल्व हो, किसी पर कोई आरोप भी हो लेकिन मात्र आरोप होना ज्यादती की हद तक पहुँच जाना पुलिस का, पुलिस को इतनी परमीशन तो नहीं मिलनी चाहिए।

गुड़ा थाने में एक मुस्लिम के साथ 4 अगस्त को एक हत्या का मामला हुआ। हत्या नहीं होनी चाहिए लेकिन पुलिस ने और बाहर के लोगों द्वारा पुलिस कस्टडी में, आदमी मारा गया।

चार-पांच दिन तक लगातार उसे मारा गया, पुलिस थानेदार उसके साथ गये उसके घर में और उसकी पेटी के ताले तोड़े गये और उससे पैसे बरामद किये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और पैसे उससे लिये गये। इस हद तक पुलिस को नहीं जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुरवाटी में कोई मुंसिफ न्यायालय नहीं है उसके लिए चाहूंगा कि वहां पर मुंसिफ न्यायालय खोला जाय। उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(श्री मदनलाल सैनी)

पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा उदयपुरवाटी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होना चाहिए वह भी नहीं हुआ है और बस स्टेन्ड जिस प्रकार की स्थिति में है उसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय वहां पर पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा या नगर परिषद द्वारा बस स्टेण्ड की सड़क बनानी चाहिए। यह मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोपर प्रोजेक्ट को जो पानी जाता है उसके कारण चवरा और आसपास के क्षेत्र में सूखा पड़ता जा रहा है। इसके लिए वहां हत्या कर दी गयी, 21 लोगों को घायल कर दिया गया क्योंकि वहां पर सूखा पड़ता जा रहा है, पानी की समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए चवरा के लिए पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा कोपर प्रोजेक्ट को दिया जाने वाला पानी बन्द किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि मजदूरों की समस्याएं खड़ी होती हैं लेकिन श्रम विभाग से जिस प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा है वह पूरी नहीं होती है। चार वर्ष हो गये श्रम कल्याण सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई, यहां पर जो-जो कमेटियां बनानी चाहिए उन कमेटियों की जो घोषणा होनी चाहिए वह कमेटियां नहीं बनी और जो कमेटियां बन गयीं हैं उनकी बैठकें नहीं हो रहीं हैं। माननीय श्रम राज्य मन्त्रीजी वहां पर बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यहां विचार-विमर्श करके श्रम संगठनों की समस्याओं के लिए आन्दोलन नहीं हो, उसके लिए श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक बुलायी जाय और मजदूर नेताओं से वार्ता करके समाधान निकाले जायं। जो कमेटियां बनी हुई हैं उनको रेगुलराइज करें।

अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यातायात मन्त्री जी आग्रह करना चाहूंगा कि प्रदेश में जो अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है। उनके पास परमिट नहीं हैं, लाइसेंस नहीं है, रूट की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में चल रहे हैं, उसके कारण राजस्व हानि हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब बन्द कीजिए काफी समय हो गया है।

श्री मदनलाल सैनी : झुन्झुनू जिले में कोशिश की गयी, उसके कारण अवैध वाहन को रोका गया उसके कारण तीस हजार रुपये रोडवेज को अतिरिक्त आय हुई। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके सामने जो जल की समस्या है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में ज्यादातर जगह पानी की समस्या पैदा हो गई है। जिन गांवों में पहले बहुत ज्यादा पानी था, कुओं में पानी था, रात दिन मोटरें चलती थीं आज वहां पर सूखा पड़ा है। सरकार ने हैण्ड पम्प लगाये, रिकार्ड में बहुत सारे हैण्ड पम्प लग गये लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आज 75 प्रतिशत हैण्ड पम्प

(श्री रामस्वरूप मीणा)

खराब पड़े हैं। उसके पीछे कारण विभाग और प्रकृति दोनों का है।

एक माननीय सदस्य : जोर से बोलिए

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह डर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : कल आपने इनको बाहर निकाल दिया इसलिए उनकी आवाज नहीं निकल रही है आप इनको अभयदान दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : राम स्वरूपजी आप थोड़ा मुस्कराकर बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय की ज्यादा चिन्ता है क्योंकि समय जा रहा है, 11 बजने को जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सबसे पहले मन्त्री महोदय जो विराजमान हैं उनसे निवेदन है कि आप जो नल योजनाएं आपके पास विचाराधीन हैं, आपके पास पड़ी हुई हैं चार-पांच वर्षों से, तीन वर्ष से, दो वर्ष से, सबसे पहले उन योजनाओं को पास करें क्योंकि पानी की भयंकर समस्या गांवों में पैदा हो रही है। तो ऐसी समस्या टाइम पर, आप यह तो ध्यान रखें कि जो विचाराधीन योजनाएं हैं उनको स्वीकृत करें। बड़ी मुश्किल से तो योजना बनती है। माननीय अधिकारीगण बिराजमान हैं, कितने प्रयास के बाद, कितना नेताओं के दवाब के बाद, बड़ी मुश्किल से कोई योजना बन पाती है और उसके बाद वह योजना पास नहीं होती है तो इसमें दोष किसका है? इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो योजनाएं आपके पास विचाराधीन हैं सबसे पहले उनको पास करें ताकि गांव के लोगों के लिए जो भयंकर जल की समस्या पैदा हो गई है उसका लाभ मिल सके।

दूसरा निवेदन है कि जो हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं कृपया उनकी जगह दूसरे लगायें। दूसरा कार्य जो हैण्ड पम्प बिल्कुल खराब हो गये हैं, जल स्तर जिनका नीचे चला गया है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है, जिनके अन्दर मिट्टी कंकर डाल दिये गये हैं, ऐसे हैण्ड पम्प को जल्द से जल्द दूसरा लगाकर ठीक करें क्योंकि पानी की समस्या के लिए हैण्ड पम्प लगाये गये थे और वह खराब पड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। तीसरा मेरा सुझाव है कि आप हैण्ड पम्प लगायें तो कम से कम यह अवश्य जांच करिये, क्या उसमें जितना पाइप डालना चाहिए था उतना डाला गया या नहीं।

श्री सम्पत सिंह : मीणा जी कंकर-पत्थर कौनसी पार्टी ने डाले?

एक माननीय सदस्य : माननीय दिग्विजय सिंह जी ने।

एक माननीय सदस्य : टाइम बढ़ाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसकी चिन्ता आपको नहीं करनी चाहिए, टाइम बढ़ा हुआ है। आप बोलिए मीणा साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : हाथ ऊंचे करके मन्त्रीजी ने मुझे रोका है। मैं निवे-

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दन कर रहा था आप जो नये हैण्ड पम्प बनायें उसमें ध्यान रखें कि उसमें कितना पाइप डाला गया हैं या नहीं डाला गया है। पाइप को ऊपर छोड़ दिया जाता है और जल स्तर नीचा होता है और मुश्किल से एक दो महीने पानी चलता है फिर बन्द हो जाता है। इसलिए आप विशेष जांच दल बनायें जो जांचें पाइप डाले गये या नहीं डाले गये। पिछली बार जो घोटाले पाइप में हुए हैं। इस प्रकार की शिकायतें पहले मिली हैं, आज तक उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर कार्यवाही हुई तो क्या कार्यवाही की है। आपको उसमें कितनी सफलता मिली है, कितने घोटाले निकले है ? इसकी जानकारी दें। मेरा निवेदन है कि जो पैसा लगाया है वास्तव में उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप योजनाएं कम बनायें जो योजनायें चल रही हैं उसको सही रूप में लायें यह ज्यादा जरूरी है। जो हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं उनको ठीक करें।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो नल योजनाएं नयी बनायी जायं वह कम से स्थायी जल स्रोत से बनायी जानी चाहिए। जहां पानी का पूरा भण्डार हो। चाहे पानी का भण्डार पांच मील दूरी पर हो लेकिन भण्डार की जगह पर ही बोरिंग करायें। यह नहीं, कहीं गांव में बोरिंग करा दिया, गांव में नाम हो गया, बोरिंग करा दिया, गांव को पानी दे दिया लेकिन वास्तव में जो जल योजनाएं चालू हैं वह नल योजनाएं 6 महीने के लिए बन्द हो जाती हैं। आपके कर्मचारी तनख्वाह उठाते रहे हैं लेकिन गांव वालों को पानी नहीं मिलता है। कई बार आपने क्या किया है कुओं से डायरेक्ट पाइप लाइन दे देते हैं। ऐसी जगह पर पैसे लोग उठा रहे हैं, बिजली खर्च भी आ रहा है लेकिन गांव के अन्दर पांच-छः महीने से वह योजना बन्द पड़ी है। एक जो कुएं से किराये पर पानी लेते हैं, ऐसी कुछ योजनाएं हैं लेकिन आज तक एक-दो महीने की बात तो छोड़ दें वह बन्द पड़ी हैं। इसलिए मन्त्री महोदय आप इन योजनाओं की जांच करायें। जो डायरेक्ट चला रखी हैं, आप तो सोच रहे है चलो पैसे का फायदा हो गया, गांवों को पानी मिल रहा है। लेकिन न गांव को पानी मिल रहा है न पैसे की बचत हो रही है जो पैसा लगाया वह भी बेकार जा रहा है।

एक मेरा निवेदन है कि आप किसी गांव में पाइप लाइन नहीं दे सकते हैं तो आप कम से कम एक काम करें जहां भी बोरिंग खोदे हैं; बिजली की मोटर डाली हैं, पानी नहीं देना चाहते, उस जगह कम से कम एक कुआ बना दो। सीमेंट का बना दीजिए, पाइप लाइन हो सकता है आपके पास नहीं हो। साल छः महीने पाइप देने में लग लग जाये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और सुझाव है कि आप कम से कम गांव के पास एक कुआ बना दो और कुए से पानी निकालकर उसमें डलवा दो।

श्री यदुनाथ सिंह : कुएं से पानी निकाल कर कुएं में डलवा दें ?

(11.00 रात्रि)

श्री रामस्वरूप मीणा : हां। होद बना दो। जिससे रात को भी पानी मिल

(284)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सकता है, मर्जी चाहे तब पानी मिल सकता है। आपकी योजनाएं बिजली के अभाव में बन्द पड़ी रहती हैं।

ऐसा है हमारे, साहब। हां, कुआं है। अगर आप कुआं बना दें सीमेंट का और पाइप लाइन को बजाय उसमें पानी डलवा दें। हौद और कुआं एक ही बात है। हमारे यहां नादौती तहसील में आपने हौद नहीं बनाया, कुओं में ही पानी डाल रखा है। मैं सही कह रहा हूं आप से। नादौती तहसील के अन्दर आपने हौद नहीं बनाये हैं। वहां पर पानी दूर से आता है और उसको लाकर सार्वजनिक कुओं में डाल दिया जाता है। ऐसा वहां चल रहा है, वह व्यवस्था बहुत अच्छी है। उससे लाभ है गांव वालों को। रात में भी पानी खींचते हैं और सुबह पनिहारिन आती हैं सब मिल कर पानी खींचती हैं। पानी दिन भर मिलता है उनको, मैं सही कहता हूं। निवेदन करता हूं मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आपकी जो योजनाएं बिजली के आधार पर चलती हैं, जब बिजली आती है तब आप का बोरिंग चलता है। उसकी बजाय तो यह बहुत अच्छा है। बिजली नहीं आती है तो तीन-तीन, चार-चार दिन तक बन्द पड़े रहते हैं। उसकी बजाय तो अच्छा है, गांव में पानी तो मिलेगा। एक दिन-दो दिन का स्टोर रहेगा गांव में और पानी मिलता रहेगा। इसलिए जहां पाइप लाइन नहीं दे सकें वहां कृपया इस बात को प्राथमिकता दें यह मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ एक और निवेदन मेरा पानी के मामले के ऊपर है। आप कई गांवों को मिलाकर एक बहुत बड़ी पाताल तोड़ कुएं की योजना बनावें। योजना स्थायी हो। पाताल तोड़ कुएं, जिनमें पानी का अभाव नहीं आये। जहां पानी के भयंकर भण्डार हों उन जगह पाताल तोड़ कुएं बनवाकर आप एक ही जगह से कई जगह पानी दिलवावें बजाय अलग-अलग योजनाएं बनाने के। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ-साथ दूसरी जो मांग है वह है पुलिस के बारे में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है पुलिस के बारे में।

श्री सम्पत सिंह : गम्भीर तो है, सुबह जब पनिहारिन आये पानी भरने तो हेलमेट पहनकर जाना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप भरतपुर की बात कर रहे हो, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। आप जारी रखिये, क्या कह रहे हैं आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है पुलिस प्रशासन के बारे में। पुलिस प्रशासन के अत्याचार गांवों और शहरों के अन्दर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पसले मैं आपको उदाहरण दूं, जयपुर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

शहर के अन्दर ही दिन दहाड़े एक आई. ए. एस. अफसर की हत्या कर दी गयी। आज तक मुल्जिमों का पता नहीं लगा। कहां चली गयी वह कार मारुती? कहां गये वे लोग? चारों तरफ आपने वायरलैस सैट लगा रखे हैं, नाकाबन्दी चारों तरफ कर रखी है। यह हालत राजधानी की है जहां पुलिस की व्यवस्था पूरी कर रखी है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी पुलिस कितनी निकम्मी हो चुकी है या आपका प्रभाव निकम्मा हो चुका है कि पुलिस आपकी बात की ओर ध्यान नहीं देती है। यूनिवर्सिटी में आई. ए. एस. अफसर की हत्या कर दी गयी लेकिन आज तक मुल्जिम का, उस गाड़ी का पता तक नहीं लगा सके आप। बहुत बड़े दुःख की बात है। यह जयपुर का मामला नहीं है, लेकिन ऐसे मसलों से कमजोरी आती है। ऐसी बातें हम पंजाब में सुनते हैं या कहीं और सुनते हैं, लेकिन आज राजस्थान में भी इस तरह के काण्ड होने लग गये। ठीक है काण्ड तो होते आये हैं बहुत, लेकिन इतना गम्भीर मामला हुआ है।

इसके साथ-साथ दूसरी बात निवेदन करूं। यह बात राजधानी की नहीं है। यह मसला मैं पहले उठाना चाहता था, आज भी मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करूंगा। जिस मसले को मैं उठाना चाहता था वह मसला है हमारे हिण्डौन का। माननीय गृह मन्त्रीजी तो यहां बिराजमान नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : शार्ट में कहिये आप।

श्री सम्पत सिंह : तभी बोल रहे हो जब नहीं हैं गृह मन्त्री जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन दूसरे माननीय प्रभारी हैं मौजूद। (व्यवधान) मेरे मसले को आप मजाक में नहीं लें कृपया। बहुत ही गम्भीर मामला है। आप सभी सुखी हैं, माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : अमूल्य समय जो आपको दिया जा रहा है वह इसलिए नहीं दिया रहा है

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब, आप जारी रखिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था हमारे हिण्डौन के मसले के बारे में। माननीय मन्त्री जी, हिण्डौन के अन्दर 100 दिन पहले एक काण्ड हुआ। एक जे.ई.एन. भालचन्द्र कोली की हत्या हुई हिण्डौन के अन्दर। हत्या होने के बाद उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो गयी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी कार्यवाही हुई। एफ.आई.आर. दर्ज हुई नामजद। माननीय गृह मन्त्री जी वहां पधारे। हड़ताल हुई, भूख हड़ताल हुई। अनशन पर बैठे। शहर भी बन्द रहा, उसके बावजूद भी आज तक किसी हत्यारे को पकड़ नहीं सकी है पुलिस आपकी। लगातार 100 दिन से नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सारा शहर सड़ रहा है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी बिराजमान हैं, हिण्डौन नगरपालिका सड़ रही है हत्या होने के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कारण। न तो हत्यारों का ही आज तक पता लगा है न आपके नगरपालिका की हड़ताल बन्द हुई है। जो कर्मचारी हड़ताल पर थे आज तक उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिण्डौन के अन्दर जो हत्या हुई है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उसके बारे में मैंने आपको यहां पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसके बारे में मुझे अभी व्यवस्था नहीं दी गयी है। मुझे आशा है कि व्यवस्था दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : वह आ चुका है।

श्री परसादीलाल मीणा : पुलिस डिमाण्ड के लिए टाइम दिया हुआ है मान-नीय अध्यक्ष ने कि अपनी बात को इस पुलिस डिमाण्ड पर रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह रखिए न बात।

श्री रामस्वरूप मीणा : एफ.आई.आर. की नकल में आपके सामने पेश कर रहा हूं और पढ़कर भी सुना देता हूं। जिस व्यक्ति का इसमें नाम भी है ..

श्री उपाध्यक्ष : एफ. आई आर. तो थाने में दर्ज है, कोई नयी बात थोड़े ही बता रहे हो आप। उसकी जांच भी हो रही होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान) पिता की तरफ से दर्ज कराई गयी है. उसके पिता ने जो एफ आई आर दर्ज करायी है वह है यह। उसके लड़के की लाश दीवार के सामने जो दिनांक इतने को नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा पता लगाने के बाद ..

श्री उपाध्यक्ष : इन कण्टेण्ट्स की कहां जरूरत है, मीणा साहब ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे सूचना दी गयी और मैं वहां गया तो मेरे लड़के की लाश कुएं पर मिली।

श्री उपाध्यक्ष : आलरेडी है यह तो रिकार्ड की फाइल में। कोई नया फैक्ट हो आपके पास तो बताइये। इंवेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कहने की कहां जरूरत है।

श्री रामस्वरूप मीणा : वही मुझे बता दें कि क्या इंवेस्टिगेशन हो रही है। नामजद रिपोर्ट जब इसमें है उसके बावजूद छः बार तफ्तीश आपने उसकी बदली है। छः बार तफ्तीश बदली जा चुकी है। जो भी निर्णय पर कोई भी अधिकारी पहुँचता है, उसको पकड़ने की तैयारी करता है उसके पहले ही फिर तफ्तीश आप बदल देते हो। छः बार इसकी तफ्तीश बदली गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़वायें। और कर्मचारियों की जो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हड़ताल है, माननीय मन्त्री महोदय, उस हड़ताल को आप तुड़ावें, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, मीणा साहब, बिराजिये । आप कम्प्लीट कर चुके हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कर चुका हूं । इसके अन्दर जो नाम दिया गया है, उसके बाप ने जो रिपोर्ट दर्ज करायी है उसमें नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन ओमप्रकाश मित्तल का नाम भी दिया गया है । उसने कहा कि दिन में उससे झगड़ा हुआ है और उसी व्यक्ति के खिलाफ एफ. आई. आर. में नाम है । आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? कम से कम यह तो बताइये क्या कार्यवाही की ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, बैठिये आप ।

श्री रामस्वरुप मीणा : आपको दुःख क्या हो रहा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे पाइण्ट आफ आर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइण्ट आफ आर्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि जो इस सदन का मैम्बर नहीं है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइण्ट आफ आर्डर किस नियम में है, पहले यह बताया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पर किसी प्रकार का आरोप लगाना, किसी रिपोर्ट में, एफ. आई. आर. में नाम होने से कोई मुजिरम नहीं होता ।

एक माननीय सदस्य : मुजरिम है वह ।

श्री परसादीलाल मीणा : नोटिस दिया हुआ है पहले से ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या नोटिस दिया है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : सरकार उसको बचा रही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी-अभी आप लोग मांग कर रहे थे (व्यवधान) सदन के सदस्य के लिए मांग कर रहे थे कि यहां नहीं कह सकते....

श्री राजेन्द्र पारीक : वे बी. जे. पी. के हैं चेयरमैन महोदय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो क्या हुआ ?

श्री डूंगरराम पंवार : आप जानबूझकर इनको आगे रखकर समय बर्बाद करते हो । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बस, इतना ही आता है ?

श्री डूंगरराम पंवार : इनको जान-बूझकर आगे रखकर समय बर्बाद कर रहे हो हाउस का ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री होकर आप व्यवधान नहीं करें, मंत्री जी ।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब, बिराजिये आप । इसके बारे में और क्या कह रहे हैं आप ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जो नाम दर्ज है वह मैंने आपको बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह आ गया रिकार्ड पर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उस पर आप मुलाहिजा फर्मा लें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है बात ये बोलेंगे । आप बिराजिये । बिराजें आप ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जोधपुर शहर की पेयजल समस्या की ओर दिलाना चाहूंगी । जोधपुर शहर में काफी वर्षों से पानी की इतनी विकट समस्या है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है । जोधपुर शहर के अन्दर पानी की समस्या के सम्बन्ध में कई दफा माननीय मंत्री महोदय से और अधिकारियों से बार बार कहने के बावजूद भी जोधपुर की पेयजल समस्या का कोई निदान नहीं किया गया । जोधपुर शहर की पेयजल पानी की समस्या को लेकर आज एक ऐसी अव्यवस्था है और मेरा ऐसा मानना है कि सभी अधिकारियों की वजह से जोधपुर की जनता को आज पानी की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर पानी की सप्लाई करने का न तो कोई इनका निश्चित समय है कि किस समय पानी सप्लाई करना है जिसके कारण से महिलाओं को दर-दर भटकना पड़ता है । कभी रात के 2 बजे और कभी रात के 4 बजे पानी सप्लाई किया जाता है, कोई इनका निश्चित समय नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक महिला हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि इनके द्वारा पानी की सप्लाई करने का निश्चित समय नहीं होने के कारण से महिलाओं और पशुओं को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है । ... (व्यवधान) मुझे आप बोलने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलती रहिए ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी सप्लाई करने के लिए गंगलाव के ऊपर एक ही टैंक बना हुआ है, उससे पूरे जोधपुर शहर को पानी सप्लाई होता है । मगर आज जोधपुर शहर की जनसंख्या को देखते हुए वह पानी का टैंक बहुत कम पड़ रहा है । मैं 18 जनवरी, 1991 से यह मांग कर रही हूं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कि जोधपुर शहर के अन्दर तीन जलाशय बनाये जायं। उसका एस्टिमेट भी बन गया, यहां पर आ भी गया, मगर वह फाइल आफिसर्स के पास दबी हुई है और उस पर इल का दम घुट रहा है। यहां के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार-बार मेरे स्वयं के जाने के बावजूद भी एक भी अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई सही उत्तर मुझे नहीं दिया। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कोई टेक्निकल कमेटी होती है, उसके अन्दर वह फाइल रुकी हुई है और टेक्निकल सैंक्शन निकलने के बाद ही उनका कार्य शुरू होगा। मगर अधिकारी वर्ग....

श्री हेतराम बेनीवाल : वह इस राज में कभी निकलेगी ही नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मुझे बोलने दीजिए। मैं जो बात कह रही हूं जो गलत हो या सही हो ...

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान पैदा मत कीजिए। बोलने दीजिए आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास . मैं जो बात कह रही हूं उस बात को आप जरा ध्यान से सुनलें। गलत हो या सही हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर की पानी की समस्या के बारे में मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यही हाल जोधपुर शहर के कुओं और बावड़ियों का है। उनकी भी यही अव्यवस्था है। गटर का पानी आज उनके अन्दर जा रहा है। उनकी भी कोई देख-भाल करने वाला नहीं है।

दूसरी बात, मैं लीकेज की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर ही सब जगहों पर ऐसी समस्या होगी। लाखों रुपये खर्च कर के दो इंजीनियर्स को इंगलैण्ड भेजा गया था, वहां से उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई, वहां से मशीनें मंगवाई गई पर उनका आज कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आज वह इंजीनियर्स कहां काम कर रहे हैं, कोई रेवेन्यू में काम कर रहे हैं और कोई कहां काम कर रहे हैं, परन्तु उन इंजीनियर्स से ऐसा कोई काम नहीं करवाया गया जिससे कि पानी की बचत हो सके या लीकेज को रोका जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि नहरों की जो सफाई होती है वह उस समय होती है जब पानी की किल्लत बढ़ जाती है। उस समय नहरों की सफाई करने की शुरूआत अधिकारी लोग करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर फिल्टर हाउस के बाहर पानी की बड़ी पाइप लाइन है। वह पाइप लाइन हर दूसरे-तीसरे महीने फूट जाती है और उसके कारण से जोधपुर शहर की पानी की समस्या 15 दिन के लिए विकट हो जाती है, लोग त्राहि-त्राहि करने लग जाते हैं। तो इस सम्बन्ध में पुख्ता कदम उठाये जायं। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि थू कूं कौन चेपे, उस तरीके से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

काम नहीं होने चाहिए, परमानेंट काम करने चाहिए। पैसे भी सरकार के लगते हैं और काम कुछ भी नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा बोलती हूं और कभी कभी बोलती हूं इसलिए मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

मेरी इन बातों के सम्बन्ध में आज मंत्री महोदय यह बतायें कि इन तीन जलाशयों का काम कब शुरू हो जायेगा, कब तक इनकी सेंक्शन निकल जायेगी और कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? इसके साथ-साथ मेरे दो मुद्दे और हैं। वह भी मैं बताना चाहूंगी।

मैं जब भी गांवों के अन्दर जाती हूं तो मुझे मालूम पड़ा कि पी.एच.ई.डी. की तरफ से कोई पनघट योजना निकली हुई है। मगर उस योजना का भी कोई पता नहीं है, वह पनघट योजना कहां पर है। औरतें गांवों की सिर पर पानी के घड़े लिए हुए 2-2 किलोमीटर चलती है। आज कोई बड़े अधिकारी के घर से कोई पानी लेने जाय तो उनको पता चल जाय। मगर कहां गई वह पनघट योजना ? उसका भी कोई पता नहीं है। जोधपुर के अन्दर एक फिल्टर प्लान्ट बनाने की योजना है। उसकी क्या स्थिति है ? मेरे ख्याल से मंत्री महोदय आज इस सम्बन्ध में मुझे बतायेंगे। झालामण्ड के ऊपर बनाने का है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में दो मिनट आपके लूंगी। जयपुर शहर में अभी कुछ अरसे पहले दिन दहाड़े हत्या कर दी गई मि. सिंघवी की। मैं यह पूछना चाहती हूं पुलिस अधिकारियों से कि उसको किसने लाइसेंस दिया और कैसे इस प्रकार के लोगों को लाइसेंस दे दिए जाते हैं और इनके लाइसेंस देने का क्या मापदण्ड है ?

मैं एक बात और पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के अन्दर कम से कम 4-5 थाने आते हैं। मैं इस सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगी कि आज तक इनको क्रमोन्नत नहीं किया। पुलिस चौकियां जहां है वहां की वहां है, थाने जहां हैं वहां के वहां हैं। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यह भी बात सही है कि इनके पास स्टाफ भी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इन थानों को क्रमोन्नत करने के लिए, पुलिस स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें। क्योंकि जब इनसे यह कहा जाता है कि यहां पर चौकी लगनी चाहिए, यहां पर यह व्यवस्था होनी चाहिए तो वह कह देते हैं कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। और यह बात भी सत्य है, क्योंकि मैं भी एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं इसलिए मुझे इस बात का अहसास है कि वास्तव में इनके पास स्टाफ नहीं होगा तो यह क्या व्यवस्था करेंगे ?

जोधपुर शहर के अन्दर एक बहुत बड़ा सन्त अजनेश्वर जी का धार्मिक स्थान है। वहां पर ज्यादातर महिलाएं दर्शन करने के लिए जाती हैं। मेरे बार-बार

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पुलिश अधिकारियों से कहने के बावजूद भी आज तक भी वहां पर पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं की है। बाईजी महाराज का आश्रम जो पहाड़ी पर स्थित है, वहां प्रतिदिन 1000-500 महिलाएं दर्शन करने के लिए जाती हैं। अभी 15 दिन पहले एक महिला को आंखों में मिर्च डालकर 4 तोले सोने की चैन गले से खेंच कर ले गया। परन्तु मुल्जिम आज तक नहीं पकड़ा गया। सही बात है कि वहां पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस चौकी की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि ...

श्री सम्पतसिंह (कृषि मंत्री) : श्री नत्थीसिंह जी ना हैं, खूब बोल लेओ।

श्री चन्दनमल बैद : आप भी इधर आ जाओ, खूब बोल लेना।

श्री यदुनाथसिंह : अब वह बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं।

श्री सम्पतसिंह : दिन में तीन बार बोल लेओ।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिन बिन्दुओं को उठा रहा हूं अच्छा होता मुख्य मंत्रीजी यहां होते, क्योंकि उनका उत्तर देने में वही सक्षम हैं क्योंकि वह विभाग ही नहीं है किसी के पास।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की बहबूदी हो, राजस्थान में लोगों के पास रोजगार हो, राजस्थान की खेती में पैदावार हो, राजस्थान में बिजली हो, राजस्थान में उद्योग धन्धे पनपें, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति राजस्थान की है वह बहुत विपरीत है। हम देश के 10 प्रतिशत भूमि के मालिक है लेकिन हमारे पास कुल पानी 1 प्रतिशत देश का है। पानी के मामले में राजस्थान एक दुर्भाग्यशाली राज्य है और हम चाहे रावी, व्यास के पूरे पानी का उपयोग कर लें, माही के पूरे पानी का उपयोग कर लें, हम नर्मदा के पानी को भी ले लें और चम्बल का पानी जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं उसका भी उपयोग कर लें तो राजस्थान की 6 मिलियन एकड़ फीट जमीन की सिंचाई हम कर पायेंगे। यानी राजस्थान की 27.2 मिलियन एकड़ फीट जो जमीन है खेती योग्य, उस भूमि में से 20 मिलियन एकड़ जमीन के लगभग भूमि शुष्क रह जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था की जाए। राजस्थान के पानी के मैनेजमेंट को सुधारा जाए। राजस्थान में भूमिगत पानी का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसमें भी और सरफेस वाटर में कोई तालमेल बैठाया जाए। आज स्थिति यह बनी है, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र की बात कर लें। गंगानगर में भी आज अकाल है यह स्थिति

(श्री यदुनाथ सिंह)

बनी है। इतना भारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, राजस्थान के रिसोर्सेज को लगाने के बाद, जनता की गाढ़ी कमाई को लगाने के बाद यदि गंगानगर में भी अकाल की स्थिति है, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ पानी हमारे पास उपलब्ध है उसका ढंग से उपयोग करें। स्थिति तो यह बन रही है कि जो हम कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं उस कैपेसिटी का भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। यानि जितना पैसा लगाकर हमने कोई व्यवस्था कर दी, वह क्रिएटेड कैपेसिटी भी हम उपयोग नहीं करें, यह राज्य के धन का बहुत अपव्यय है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम इस पानी का, जो हमारे सामने दिख रहा है, उपयोग कर भी लें तो भी राजस्थान की हम 6 मिलियन एकड़ फीट भूमि की सिंचाई कर पाएंगे। तो यह बीस मिलियन एकड़ जो जमीन है राजस्थान की, उस जमीन के बारे में हमारा सोच क्या है, दृष्टि क्या है, दृष्टिकोण क्या है? क्या हम इतनी भारी भूमि को बंजर रखने रखने के लिए अपना सोच बना चुके हैं या फिर हमारी कोई दृष्टि है कि हम यह बची हुई भूमि के लिए कोई व्यवस्था करने का काम करें? जब हम ऐसा करने की सोचते हैं तो हमारी दृष्टि जाती है यह जो चम्बल में व्यर्थ पानी बहकर जाता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर, सदन को आश्चर्य होगा जानकर कि चम्बल में दस मिलियन एकड़ फीट पानी प्रतिवर्ष व्यर्थ बहकर जाकर यमुना में मिल जाता है। यानि एक करोड़ मिलियन एकड़ फीट पानी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वह पानी व्यर्थ बहकर राजस्थान से बाहर चला जाए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति ऐसे राज्य के लिए नहीं हो सकती जहां पानी की एक-एक बूंद के लिए हम तरसते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के नेता के रूप में भैरोंसिंह जी यहां बैठा करते थे, कई बार यहां चर्चा हुई कि राजस्थान में जब तक एक दूसरे जो पानी के स्रोत उपलब्ध हैं जिन पर हमारा लेजिटिमेंट अधिकार है उस पानी को हम प्राप्त करने के अथक प्रयास नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में खुशहाली और बहबूदी नहीं आ सकती। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शेखावत साहब कहा करते थे कई बार मुझे अच्छी तरह स्मरण है, चर्चा हो रही थी रावी और व्यास के पानी पर, उन्होंने कहा था कि यह सरकार चूहा बनकर बिल में घुस जाएगी लेकिन मुझे दुःख है कि चूहे की तो चूं चूं की आवाज तो सुनाई देती थी लेकिन यह सरकार तो घुग्घु बनकर रेत में घुसी हुई है। कोई आवाज तो दूर कहीं पता ही नहीं लग रहा है कि इन मामलों में किसी प्रकार का प्रयास भी किया जा रहा है।

इराडी कमीशन ने अवार्ड दिया। जब जब पंजाब और हरियाणा के झगड़े हुए राजस्थान को नाहक हमेशा घसीटने का काम किया गया। हमारा कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होते हुए भी बंटवारा पानी का होना था, असेट्स का होना था पंजाब हरियाणा के बीच में होना

(श्री यदुनाथ सिंह)

था, झगड़े उनके चल रहे थे लेकिन जिस प्रकार से प्रजातन्त्र का ह्रास हुआ यहां नोमिनेटेड मुख्यमंत्री बनने लगे नतीजा यह निकला कि दिल्ली के दबाव में आकर राजस्थान की सरकार घुटने टेक कर अपने हितों की बली चढ़ाती रही। 1981 में समझौता हुआ, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से 1981 के समझौते में 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो पंजाब के उपयोग के लिए छोड दिया गया था उस पानी को वापस लेने के लिए इस सरकार ने क्या कदम उठाए ? मैं पूछना चाहूंगा हैड वर्क्स का जो मसला था 1981 के समझौते में, उन हैड वर्क्स को वापस लेने के लिए डी. बी. एम. बी. पर हैड वर्क्स का कण्ट्रोल हो ताकि राजस्थान को, हरियाणा को पानी पूरी तरह निर्बाध रूप से मिलता रहे जो उनका हिस्सा है उनके कन्ट्रोल से डी. बी. एम. बी. को मिले उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया ?

मैं पूछना चाहूंगा कि इराडी कमीशन ने जो अवार्ड दिया और देते टाइम राजस्थान के साथ घोर अन्याय जो किया 1.11 एकड़ मिलियन फीट अधिक पानी रिम के नीचे माना उस पानी को पंजाब और हरियाणा के बीच में बांट दिया, राजस्थान को अछूता छोड़ दिया। राजस्थान का जब पानी का हिस्सा पहले ही तय हो गया था 1955 में कि प्रोरेटा पानी बढ़ेगा तो क्या हक था इराडी कमीशन को ? राजीव लोंगोवाल समझौते में राजस्थान को घसेड़कर हमारे इस पानी का विवाद आज तक लम्बित पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या प्रयास किए ? 1984 में समझौता हुआ। समझौते में रोपड़ थर्मल को पानी देना था रोपड़ थर्मल के विषय में उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला एतराज तो मेरा यह ही है, 600 क्यूसेक्स पानी रोपड़ थर्मल के पुलिंग सिस्टम को देते समय हमारा हिस्सा उसमें तय होना चाहिए था। यह कहा जाता है कि वह तो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं, आपका पानी कोई हाइडल प्रोजेक्ट होता तो आपका हिस्सा होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कामनसैंस की बात है, 600 क्यूसेक्स पानी नांगल हाइडल चैनल से राजस्थान जिसमें हिस्सेदार है, उसमें से 600 क्यूसेक्स पानी नहीं मिले तो रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन क्या फंक्शन कर सकता है, क्या चल सकता है ? जब हमारे कामन कैरियर में से पानी का उपयोग करके कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए उसमें राजस्थान हिस्सेदार है उसमें हिस्सा मांगना चाहिए। आनन्दपुर साहब, शाहपुर कांडी, मुकेरिया यह सारे पावर स्टेशन पंजाब बनाता जा रहा है। कई तो कमीशन हो गए, कइयों के एडवरटाइजमेंट बड़े-बड़े आ रहे हैं लेकिन उनमें हमारी हिस्सेदारी का मसला, नोटिफिकेशन जारी होने का मसला केन्द्र सरकार ने आज तक वह मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपा है। इस सरकार ने क्या किया, यह प्रश्न करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति बनी है, आज हमें गम्भीर प्रयास करने होंगे और गम्भीर सोच पैदा करना होगा कि नर्मदा के पानी गुजरात,

(श्री यदुनाथ सिंह)

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तीनों राज्यों की योजनाओं के पोर्शन पर विश्व बैंक उनको सहायता देगा लेकिन राजस्थान के पोर्शन को विश्व बैंक की सहायता में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ? यह सरकार क्या प्रयास कर रही है ? जब पूरे नर्मदा के पानी के लिए योजना बन रही हो, उस पानी के उपयोग में और राज्यों को विश्व बैंक की सहायता के प्रयास किए गए हों राजस्थान पोर्शन में विश्व बैंक की सहायता का प्रयास नहीं करना यह कौनसी समझदारी की बात है ? कहां लेप्सेज हुई ? इस सरकार ने क्या काम किए ?

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, में अगर बहबूदी लानी है तो आपको गंगा और यमुना के पानी के लिए युद्ध करना होगा, लड़ना होगा, लड़ाई लड़नी होगी–बिगुल बजाना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, नागौर और जालौर तक गंगा का पानी जाता है। हम मांग कर रहे हैं कि अधिकाय पानी में से राजस्थान का हिस्सा मिलना चाहिए 12 मिलीयन एकड़ फीट लेकिन उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। और स्थिति यह बनी है कि उत्तरप्रदेश लगातार चाहे वह टिहरी डेम हो चाहे और कितने भी डेम हो लगातार गंगा के पानी को सोखने का काम कर रहा है बाबजूद इसके कि विभिन्न मीटिंगों में यह तय हो चुका कि जब तक इन नदियों के पानी पर विभिन्न राज्यों के बीच फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी राज्य इसमे डवलपमेंट नहीं करेगा। लेकिन अभी मेरी जानकारी में आया कि अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल और वेस्टर्न गंगा कैनाल चार बड़ी-बड़ी कैनाल जिसमें विश्व बैंक भी सहायता दे रहा है, उत्तर प्रदेश निर्माण कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश हमेशा कहता रहता है कि गंगा में पानी नहीं है पानी नहीं है तो इन योजनाओं को कैसे बना रहे हैं ? राजस्थान सरकार क्या कर रही है ? उत्तर प्रदेश सरकार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कदम उठाए ?

उपाध्यक्ष महोदय, गंगा का तो हम अधिकाय जल मांग रहे हैं, यमुना में से हम फ्लो वाटर मांग रहे हैं. लिफ्ट वाटर मांग रहे हैं लेकिन मुझे दुख है, सन् 1985 में और घटनाओं को तो छोड़िए, सन् 1985 में जब 0.1 मिलियन एकड़ फीट पानी चूरू और झुन्झुनू के पीने के लिए जो ईयर मार्क हो गया उस पानी के उपयोग के लिए भी आज तक कोई योजना राज्य सरकार ने नहीं बनाई है।

इन जिलों में, जैसा मैंने कहा, इन जिलों में पानी का और कोई साधन नहीं है। आज एक गुड़गावां कैनाल योजना यमुना पर बन रही है भरतपुर जिले में जब से हमने होश सम्भाला है। सन् 1966 से वही योजना चालू है। छोटी-सी योजना है, ज्यादा बड़ी योजना नहीं है परन्तु उस योजना की पूरी होने की उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही है और यह छोटी सी योजना, जिन नदियों का पानी लेने से हमारे राज्यों का हक पैदा होगा उनके पानी के लिए भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

हम डवलपमेंट नहीं करें अच्छी बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जब अपना उत्तर दें तो इन बातों का उत्तर दें। मैं चाहूंगा कि जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, जैसा मैंने कहा चम्बल का 10 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, उस पानी के उपयोग के लिए आप कोई योजना बनाने का काम करें और बतायें कि राजस्थान सरकार ने इन विषयों में क्या प्रयास किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री इन्द्रसिंह पूनियां ।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इंजीनियर्स को प्रमाणपत्र दिया, उसके बारे में मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस प्रमाण पत्र से सहमत हैं ? जो माननीय वैदजी ने इंजीनियर्स को प्रमाण पत्र दिया कि यह बड़ी निष्ठा और लगन से काम कर रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं क्या ? क्योंकि मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था कि माननीय वैदजी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने अपने समय में इंजीनियर्स से काम लिया है इन्होंने देखा है, ये काम करने के लायक है इसीलिए इन्होंने प्रमाण पत्र दिया। लेकिन मैं साथ में यह भी सोच रहा था कि माननीय पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी भी बहुत भले आदमी हैं, बहुत अनुभवी भी हैं, हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते। तो जो बीस का गेप है, हम किस पर डालें ? अधिकारियों को तो प्रमाण पत्र दे दिया हम डाल नहीं सकते। आपके बारे में हम कह सकते तो आप मुझको सन्तुष्ट करें कि किसकी कमी से कमियां है ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले बजट भाषण में जो गन्धेली साहबा योजना का जिक्र किया। आपको ध्यान में हैं, मुझे ध्यान है कि आज से दो तीन माह पूर्व चूरू पधारे थे और गन्धेली साहबा योजना के महत्व को माननीय मुख्य मंत्रीजी भी मानते हैं, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आप वहां पधारे तो इस योजना के बारे में आपने अपने विभाग के अधिकारियों से जरूर विचार विमर्श किया होगा और अगर विचार विमर्श किया तो आपने उसकी प्रगति के बारे में भी जानकारी जरूर ली होगी। जैसे कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व में आपसे निवेदन किया और मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी 20 रोज पहले गन्धेली साहबा योजना पर जाकर आया हूं मैंने वहां देखा कि जो नहर ऊंची उठानी थी, उसमें 12 महीने से अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। उसी में ललानिया से छोराणी तक 400 एम. एम. की डेढ़ कि. मी. पाइप लाइन आज तक वहां नहीं पड़ी है।

माननीय मन्त्री जी, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपके विभाग के सबसे बड़े दो अधिकारी चीफ इन्जीनियर (पी. एच. ई. डी.) एण्ड सेक्रेटरी (पी. एच. ई. डी.) जब साहबा पधारे, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया था कि

(296)

(श्री इन्द्रसिंह पूनियां)

इसकी बलाउ तक 500 एम. एम. पाइप लाइन हम 31 जून तक पूरी करवा देंगे। उन्होंने आश्वासन लिया था वहां के अधिशाषी अभियन्ता से कि इसको 31 जून तक पूरा करवा देंगे कि नहीं, मैं इसका कमिटमेंट कर रहा हूं। उन्होंने कमिटमेंट किया था, मैं वहां था, कि इसको अवश्य पूरा करवा देंगे।

लेकिन माननीय मन्त्री जी मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है, यह तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही प्रमाण-पत्र दिया है, उन इन्जीनियर्स का क्या दोष जिनको आज तक आपने पाइप लाइन नहीं दी। साढ़े चार कि. मी. पाइप लाइन के अभाव में 106 गांव पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अशोभनीय बात है लेकिन माफ करना, आप मेरे बहुत सीनियर है, बहुत संजीदा हैं, मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचना कि किन को हम ओलमा दें। एक वरिष्ठ सदस्य से प्रमाण-पत्र जारी कर दिया, दूसरे मेरे से बहुत सीनियर हैं, उनको मैं कह नहीं सकता। तो यह आप आत्म चिन्तन करना। मुख्य मन्त्री जी ने इस योजना के महत्व को स्वीकारा है तो आप कम से कम यह बताइये कि आप जब वहां गये तो इसकी क्या स्टेडी करके आये, आपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया, आपने क्यों नहीं निर्देश दिये कि ये काम हैं इतने समय में पूर्ण होना चाहिए। इसलिए माननीय मन्त्री मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है।

माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपकी कार्यकुशलता से बड़ा प्रभावी हूं। आप बड़े नम्र स्वभाव के हैं। तो मैंने बैठे-बैठे, माफ करना, एक ही बात सोची कि या तो आप चन्दनमल जी से प्रोज्यूडिस हो सकते हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूं मेरे से तो आप प्रीज्यूडिश हो नहीं सकते लेकिन यह जो गन्धेली साहबा का जो सेकिन्ड फेज है इसमें हमारे दोनों का ही विधान सभा क्षेत्र आता है। तो जनता से क्या नाराजगी है? अगर मुझ से है तो मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, माननीय बैदजी के बारे में कह नहीं सकता आपके समवक्ष है। लेकिन आप इस योजना पर कहार मत ढाइये क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चूरू जिले में ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, 1981 की जनगणना के हिसाब से चूरू जिले में 1987-88 में 131 गांव अलाभान्वित रहे थे और 1988-89 में 106 गांव अलाभान्वित रहे और 1988-8 में 62, अब आपने अपने पीरियड में कितने गांवों को और लाभान्वित किया ये जरा आप अपने रिकार्ड से देख लें। एक साल की पीरियड में आपको पता लग जायेगा कि आपने कितना काम किया है।

मैं दूसरा निवेदन माननीय मन्त्रीजी से और करना चाहता हूं और जब आप जवाब दें, कृपया इसका उत्तर अवश्य दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेकिण्ड फेज की मन्जूरी में 106

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

गांव सम्मिलित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 31-1-91 को भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इस योजना के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये दिये जिसमें चार पैकेज हैं। पहला, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भमीरपाय श्योपुरा, इसमें लगभग 160.78 लाख रुपये मन्जूर हैं, इसी प्रकार से ददरेवा ढिगारनी योजना 243.99 लाख की है, इसी प्रकार से तीसरी ददरेवा ठोडी पावीसी 195.10 लाख की और चौथी ददरेवा खोटी कलाल कोठडा 86 54 लाख रुपये की, भारत सरकार से 31-1-91 को यह स्वीकृतियां जारी हुई। माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने और आपके अधिकारियों ने इसमें से एक नया पैसा खर्च किया हो तो कृपया आप अपने जवाब में मुझे इसकी सूचना दें। मैं आपको विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि इसमें अभी तक रकम का एक नया पैसा भी नहीं लगाया। इसी प्रकार से भारत सरकार ने आपको 14-6-89 को लगभग एक करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में टेक्नीकल किशन में दिये लेकिन उसमें से आज तक एक पैसा नहीं लगा। इसीलिए माननीय मंत्री जी और क्या कारण हो सकता है। इन्जीनियर्स कुशल हैं, आप योग्य है तो हमसे कोई प्रीज्यूडिस हैं, यह बता दीजिए।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन योजनाओं को शीघ्र चालू करवाइये और गति प्रदान करें ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

मेरा एक निवेदन और है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्धेली साहवा योजना में एफ. आर. जी. में गवर्नमेंट इसको लेने की सोच रही है लेकिन हो सकता है मुझे पूरा ध्यान नहीं हो लेकिन जैसी मेरे पास सूचना है। इसलिए डूंगरगढ़ तहसील को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो कृपया आप एफ. आर. जी. में डूंगरगढ़ क्षेत्र को भी शामिल करके चूरू जिले को पानी देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पेयजल का संकट सबसे गम्भीर संकट है। मैं अपने सोजत विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोजत विधान सभा क्षेत्र सबसे अविकसित क्षेत्र, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लगातार 7 वर्षों से वहां अकाल की स्थिति बनी हुई थी। गत वर्ष कुछ बारिश हुई, सोजत विधान सभा का पश्चिमी इलाका, वहां की कृषि भूमि क्षारीय भूमि है, कुओं के अन्दर खारा पानी है और पानी की पेयजल की जो योजना है, जो टी. एस. एस. की राज्य सरकार की योजना है उनमें फ्लोराइड की मात्रा 4 पर्सेन्ट से भी अधिक है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सोजत विधान सभा क्षेत्र में जनता को लगातार 40 साल से खारा पानी पीना पड़ रहा है। सोजत

(291)

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

नगर का जहां तक प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा जो 1 करोड़ 20 लाख की जो योजना प्रस्तुत हुई थी उस योजना का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है और सोजत नगर की 45 हजार जनता को खारा पानी पड़ रहा है, उसके लिए सोजत नगर के लिए फिल्टर हाउस की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सोजत नगर की जनता लगातार मीठे पानी के लिए संघर्ष करती आई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जो योजना स्वीकृत की जा चुकी है, जवाई बांध के द्वारा पाली से सोजत तक पाइप लाइन डल चुकी है, मात्र फिल्टर हाउस का कार्य होना बाकी है। इसलिए सोजत विधान सभा क्षेत्र की जनता और सोजत शहर की जनता खारा पानी लगातार पीती आ रही है, उनको मीठे पानी के लिए तत्काल फिल्टर हाउस की व्यवस्था करके मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

दूसरा सोजत विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी इलाके में जो क्षारयुक्त जमीन है और फ्लोराइड का पानी जो 4 पर्सेन्ट से ज्यादा मात्रा में पीना पड़ रहा है. मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा धीतड़ा से राजस्थान सरकार की तरफ आपके विचाराधीन मुख्य अभियन्ता, जोधपुर के पास एक योजना 3 करोड़ 53 लाख की विचाराधीन है। यह योजना अगर जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो गई तो सोजत विधान सभा क्षेत्र के 27 गांव जो फ्लोराइडयुक्त पानी पीते हैं, अगर चाय बनाई जाय तो वह चाय फट जाती है ऐसा पानी लगातार सोजत विधान सभा क्षेत्र की जनता को पीना पड़ रहा है। मैं

(रात्रि 11.02)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पीठासीन)

माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजना आपके यहां विचाराधीन है और उस योजना को तत्काल स्वीकृत प्रदान कर सोजत विधान सभा के इन 27 गांवों को मीठा पानी उपलब्ध करावें। मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का गांव मांडा जहां पर 2 ट्यूब वैल लगे हुए हैं उन ट्यूब वैल्स में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उस पानी के कारण गांव के लोगों को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। एक वहां पर ट्यूब वैल है जो वहां पर बिना काम आये ऐसे ही पड़ा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस ट्यूब वैल को प्रारंभ किया जाय और उसे इलेक्ट्रीफाइड करके उसको कनेक्शन से जोड़ा जाय और मांडा गांव की जनता को मीठा पानी उपलब्ध कराया जाय।

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो हैण्ड पम्पस की स्कीम लागू की गई है और जो पेयजल विभाग के अन्दर है इसका एक अलग सब डिवीजन कायम किया जाय ताकि पी. एच. ई. डी. के जो अधिकारी हैं वे अलग सब डिवीजन होने के कारण उन हैण्डपम्पों की देखरेख, रख-रखाव की व्यवस्था कर सके। अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

से पुनः आग्रह करूंगा कि, यह जो स्कीम जो जीतड़ा से है, 27 गांवों को मीठा पानी उपलब्ध हो सके।

मैं पुलिस की मांग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आज थानों में बलात्कार की घटनायें या आम तौर पर जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं उसके बारे में भी पुलिस विभाग को बड़ी संजीदगी से सोचना पड़ेगा। आज पुलिस विभाग के जो अधिकारी, कर्मचारी कांस्टेबल हैं आप जिस वक्त थाने में जाते हैं तो उनमें से कई आपको शराब पीए हुए मिलते हैं, इसलिए माननीय गृह राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्थिति पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने के बारे में, अनुशासन कायम करने के बारे में आप किसी प्रकार का विचार-विमर्श करके सोचें। मैं सोजत विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि ग्राम संटालिया जो पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है आप वहां वायरलैस सेट की व्यवस्था कराई जाय और ग्राम सोंपड़ा जो सोजत विधान सभा क्षेत्र का पश्चिमी इलाका है वहां पुलिस चौकी कायम की जाय कानून व्यवस्था रखने के लिए क्योंकि वहां आस-पास में कोई पुलिस चौकी या थाना नहीं है, इसलिए माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर आप पुलिस चौकी कायम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर। (व्यवधान) ....

श्री रतनाराम जी आप बोलेंगे ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की मांग के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : अब आप थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे तो सबको बोलने का मौका मिल जायेगा, नहीं तो और रह जायेंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : मेरे विधान सभा क्षेत्र जो जालौर में आता है उसमें दिनांक 11-8-91 को एक महिला जो स्कूल में चपरासन थी, उसकी अपने घर में रात को असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या की गई और उसकी लाश नग्न अवस्था में मिली। दिनांक 11-8-91 को हत्या हुई, पूरा रामसिंह बंद रहा और नामजद लोगों के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज हो गया परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज इतना समय हो जाने के बाद में भी अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गये हैं। आज, उस मुद्दे को लेकर रामसिंह में जो बड़ा भारी आक्रोश है, पुलिस से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इसलिए कृपा कर उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाय। एक महिला की हत्या, एक अबला की हत्या की गई है, उसके छोटे-छोटे 3-4 बच्चे हैं, उनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। ऐसी हत्या हो जाय और पुलिस नामजद अपराधियों को नहीं पकड़ पाई तो इससे दुःखद घटना कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाये, यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए 2 मिनट में कहें ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): मैं 2 मिनट में नहीं बोलूंगा । आप इन्टरप्शन न कीजिए । मैं टू दी पाइन्ट बोलता हूं (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : आप 2 मिनट तो, इसी बोलेंगे क्या आप ? Let him speak. बोलने दीजिए उनको ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आसन की तरफ से यह हिदायत दी जाती है कि आप बोलिए और वहां जो इन्टरप्ट कर रहे हैं, आप उन्हें ऐसी व्यवस्था दीजिए ताकि शांत रहे ।

श्री अध्यक्ष : आप 2 मिनट बहस में लगा देंगे । बोलिए माहिर जी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : (झुन्झुनु) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से राजस्थान के विभिन्न जेलों में करीब 176 निरपराधी लोगों को टाडा एक्ट के अन्दर बंद करके रखा हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं अपराधी लोगों का पक्ष ले रहा हूं, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को और गृह राज्य मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि जो 176 लोग गिरफ्तार थे, 2 साल के करीब होने को आये, इनमें से अब कुछ लोग मरने भी लगे हैं । पिछले दिनों अब्दुल वहीद नाम के एक व्यक्ति की, जो अजमेर में टाडा एक्ट में बन्द था, इलाज कराने के लिए कोटा के भीमराव अस्पताल में भर्ती कराया गया । उसकी चिकित्सकों की असावधानी के कारण मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में राज्य सभा में चर्चा हुई । माननीय अध्यक्षजी और केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे संतुष्ट नहीं हैं, वह तथ्यों से परे है । इतना ही कह सकता हूं, उनमें से तीन आदमी पागल हो गये हैं, आठ व्यक्तियों के टी. बी. हो गई है और तीन के मिरगी हो गई । डॉक्टरों का कहना है कि ये व्यक्ति प्रोपर उपचार नहीं होने के कारण मृत्यु शैयया के करीब पहुँच गए ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका पिछला इतिहास भी मौजूद है । गिरफ्तार किये जाने पर इनके खिलाफ कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, किसी तरह की कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, ना ही इनके खिलाफ इससे पहले किसी भी तरह का कोई अपराधी मामला था । इस डेढ़ वर्ष के पीरियड में राजस्थान सरकार और होम डिपार्टमेंट इन 176 आदमियों में से एक के विरुद्ध भी किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं कर पाया । उसके बावजूद भी उनको बेकसूर जेलों में बंद किया हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम लोकतन्त्र की दुहाई दें और दूसरी तरफ

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

निरपराधी लोगों को इस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। इनके परिवारों की हालत यह हो गई कि वह भूखे मरने को मजबूर हो गये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से बहुत आशा की जाती थी, हम यह सोचते थे कि इनसे न्याय की उम्मीद होगी। मैं एक बार पुनः बड़े विनम्र शब्दों में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इनकी पूरी जांच पड़ताल करा लें। इनमें कोई ठेला चलाने वाला है, कोई साईकिल का पंक्चर जोड़ने वाला है, कोई दूसरी मेहनत-मजदूरी करने वाला है, इसमें एक भी इस तरीके का आदमी नहीं है जो साधन सम्पन्न हो या किन्हीं अपराध के अन्तर्गत लिप्त हो।

आज स्थिति यह हो गई, यहां पर अपराधों की बात करते हैं, सवाई माधोपुर के अन्दर भरी अदालत में, एम. जे. एम. कोर्ट से एक लड़की को, सत्तर पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन डी. वाई. एस. पी. ने पच्चीस हजार रुपया उस से लिया और भरी अदालत से वह लड़की को उठा ले गए। आपने आज तक उस डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, आज तक हमने यह तो होते देखा था कि कोई पीड़ित पक्षकार न्याय की मांग करते हुए मुकदमे को सी. आई. डी. या सी. बी. आई. में तब्दील कराने की बात करता था, अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुन्झुनू में एक शिवदयाल जी ठेकेदार की हत्या हुई, नामजद मुलजिम की रिपोर्ट लिखाई गई। शिवलाल जी ठेकेदार की और वहां के सी आई., जो ईमानदारी से जांच-पड़ताल कर रहे थे, पहले तो उसका फाइल डिले करने के लिए डी. आई. जी. (मुख्यालय) ने मंगवा ली। जब गृह मंत्रीजी को हमने कहा कि वहां के थानेवाले को सारे तथ्य, पता है, उसी से जांच कराइए ताकि दोषियों को सजा मिल सके, उन्होंने फाइल वापिस भिजवाई। पन्द्रह दिन बाद ही अब आई. जी. (सी. आई. डी.) ने वह फाइल अपने पास मंगा ली है, मुलजिम आजादी के साथ घूम रहे हैं। यह फाइल किस आधार पर मंगाई? जो नामजद मुलजिम हैं उन्होंने दरख्वास्त दी कि इस फाइल को वहां से मंगा लिया जाए ताकि हम बच जाएं। आज मुलजिमों के कहने से केस ट्रांसफर हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको सुन कर बड़ा ताज्जुब होगा, आज स्थिति यह हो गई, यहां केकड़ी, के माननीय सदस्य शम्भूदयाल जी बैठे हैं, एक हंसराज पुत्र श्री छोगा जयपुर में किसी काम से आया, किसी ने टक्कर मार दी, वह गिर कर बेहोश हो गया। उसको नौ तारीख को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ले गए, कहा कि इसका कोई संभालने वाला नहीं है, इसका इलाज कीजिए। मेरे पास दो आदमी आए, माननीय सदस्य मिले नहीं, मैंने अस्पताल की इमरजेंसी में फोन किया। मुझे कहा गया कि पहले पुलिस आयेगी तब हम इसकी देखभाल करेंगे। मैंने 43663 पर मोती डूंगरी थाने फोन किया।

मैंने कहा इन्चार्ज साहब यादव जी से बात कराइए, मुझे जवाब मिला कि वह

(302).

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

गणेश जी के मन्दिर की व्यवस्था देखने गए हैं, आप 563036 पर एस. एम. एस की पुलिस चौकी पर फोन करिए। मैंने चौकी पर फोन किया, चौकी से जवाब मिला कि आप 560291 पर एस.एम.एस. में इमरजेंसी में बात करिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां फोन किया, डॉक्टर गोयल साहब से मेरी बात हुई, कहने लगे कि आप आपरेशन थियेटर का नम्बर मांगिए---1270 और वहां डॉक्टर दत्ता से बात कीजिए। मैंने डॉक्टर दत्ता से बात की, डॉक्टर दत्ता कहने लगे कि आप अधीक्षक साहब से बात कीजिए यहां तो पुलिस आयेगी तब इसका इलाज होगा। साढ़े नौ बजे उसे अस्पताल ले गए, एक बज कर दस मिनट पर उनकी डेथ हो गई। यह आज स्थिति है। उसकी लाश को वापस मांगने के लिए उन्होंने लिख कर दरख्वास्त दी, कि हमको लाश दे दो। अध्यक्ष महोदय नौ तारीख को दरख्वास्त दी, ग्यारह तारीख को उसके परिजनों को यह लाश लौटाई गई और पोस्टमार्टम करने के नाम पर डेढ़ सौ रुपया और डाक्टर ने उससे रिश्वत ली। यह हालत है आज सरकार की। अध्यक्ष महोदय, आज भी स्थिति यह है कि राजस्थान के अन्दर, आज ही चिकित्सा मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है, सैकड़ों डॉक्टर ऐसे हैं जिनको पिछले साल भर से, डेढ़ साल से, किसी को जुलाई, 90 से और किसी को, 91 से तनख्वाह नहीं मिली है। जिन डॉक्टरों को एक भी पैसा साल-साल, डेढ़ साल तनख्वाह नहीं मिलेगी वह मरीजों से नाजायज रूप से पैसा वसूल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल का सवाल है, यहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी बैठे हैं, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, मेरे झुन्झुनू निर्वाचन क्षेत्र और झुन्झुनू जिले के अन्दर आज भी सैकड़ों लोगों के पास जलदाय विभाग की मोटर है, अपने निजी कुओं पर काम ले रहे हैं, कई ने अपने घरों पर पटकी हुई है, पाइपों को छप्पर और छान डालने के लिए लगा रखा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे हम पेयजल सुलभ करायें। हमने जिले के विधायकगण ने विजिलेंस कमेटी की मीटिंग के अन्दर यह बात की, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को मैंने लिखित में कहा कि फलां-फलां गांवो के अन्दर इतनी मोटरें और पाइप पड़े हैं, आप जांच करवा कर उनको बरामद करवाइए और जहां उसकी जरूरत है, वहां उसका वितरण करवाइए। उसकी जांच का क्या हुआ, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मैं माननीय भंवरजी का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है, आज तक इन्होंने मेरी चिट्ठी की पहुँच तक की सूचना भी मुझे नहीं दी। यह तक भी नहीं बताया कि इन्होंने उसको एन्डोर्स भी किया है या नहीं किया है। आज कैसे आप इस शासन को चलाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोगों के जीवन-मरण का सवाल है, अकेले जयपुर शहर के अन्दर कम से कम तीन सौ ऐसे प्राइवेट क्लिनिक खोल रखें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक आदमी गंगापुर सिटी के अन्दर सब्जी बेचा करता था उसकी दुकान नगरपालिका ने छीन ली।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उसने जयपुर में आकर मीणा बस्ती में दवाखाना खोल लिया। ऐसे-ऐसे डाक्टर, जो नीम हकीम खतरा ए जान बन रहे हैं। चिकित्सा मंत्रीजी, यहां पर राज्य मंत्रीजी भी नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कृपया इसकी तो जांच कराएं कि बिना पंजीयन के, बिना निर्धारित योग्यता के, आर.एम.पी. भी रजिस्ट्रेशन नहीं, बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. भी नहीं, जो लोग बी.ए.एम.एस. या बी.यू.एम.एस. में दाखिला ले लेते हैं जिस दिन दाखिला लिया उसी दिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया और दवाखाना खोल लिया। जयपुर के सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। मलाकुल मौत कहते हैं यमदूत को, आज चिकित्सा मंत्रीजी ने इन डॉक्टरों को मलाकुल मौत का काम संभला दिया है। एक शायर ने सही कहा है– "फरिश्ते अजल को भी क्या अजीब काम सौंपा है मसीहत ने, चमन से फूल तोड़ना और वीराने में रख देना।"

आज अच्छे-भले लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है लेकिन इनके पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, मैंने आपको सवाई माधोपुर और झुन्झुनू का जिक्र किया, आज प्रदेश में कई जगह और राजधानी जयपुर की स्थिति यह है कि दिन में लोग ठगी करके लोगों का घर लूट कर ले जा रहे हैं। चोरी, डकैती और हत्याओं की वारदातें बढ़ रही हैं लेकिन सरकार का इस पर कोई सिकंजा नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, अपनी बात मनवाने के तीन तरीके होते हैं– कर्म वाणी और आचरण। जो मुंह से निकली हुई बात को उस पर अमल करें। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा, आश्वासन कार्यक्रम में जब विधायकों के ... कॉल का मामला उठा था तो हमारे माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा था कि सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है वह सात दिन के अन्दर सारे सदस्यों के पास भेज दिया जायेगा। आज इस बात को भी पन्द्रह दिन हो गए, आज तक हमको प्रति नहीं मिली। अगर सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से निकले हुए शब्दों पर अमल नहीं किया जायेगा, कथनी और करनी में अन्तर रहेगा, किस तरह से हम शासन चलायेंगे?

मैं अन्त में आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आज सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की यह स्थिति है कि पैट्रोल के दाम बढे, अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट बाद ही उन्होंने बढ़ी हुई दर पर पैट्रोल देना शुरू कर दिया। एक दिन पहले पैट्रोल देना बंद कर देते हैं, उनको मालूम है कि इसके ऊपर कीमत बढ़ेगी। इन्होंने एक भी जगह पैट्रोल पम्प को सीज नहीं किया, उससे स्टॉक नहीं लिया कि कितना तेल है जो आपको पुरानी दर पर बेचना पड़ेगा। आज एक महीना, डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी खाद्यान्न वस्तुएं– तेल, दाल और दूसरी चीजें उन्हीं दामों पर मिल रही हैं जिन पर छूट दी। कहते हैं कि

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

इसको सस्ता किया है तो सस्ता दो, कहते हैं कि हमारे पास महंगा आया हुआ है तब तक तो महंगा ही देंगे, सस्ता लेना है तो और कहीं से ले लो। यह सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था है। माननीय खाद्य मंत्रीजी यह तो आपका रसद विभाग कर सकता था, आप उसके स्टॉक ले सकते थे, जो पुरानी दर पर आया हुआ था, पुरानी दर पर मिल सकता था। जिस चीज के दाम बढ़े वह तो महंगी रेट पर मिले और जिसमें सस्ताई हो उसमें सस्ताई की ग्राहक को, उपभोक्ता को राहत मिले नहीं। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस शिकंजे को मजबूत बनाइए। जनता को बहुत आशा थी, उनको जितनी अपेक्षा थी उतनी ही उपेक्षा आप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ? श्री राजेन्द्र गहलोत।

(12.00 मध्य रात्रि)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जोधपुर की पेयजल की स्थाई समस्या के लिए, जोधपुर के लिए जोधपुर लिफ्ट कैनाल जो 1984 से बन रही है, 1984 से लेकर आज तक लिफ्ट कैनाल के कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या प्रगति होनी चाहिए थी वह क्यों नहीं हुई है ? माननीय अध्यक्ष जी, 1984 में जोधपुर लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास हुआ। पिछली सरकार ने एक बार नहीं, दो बार नहीं तीन बार शिलान्यास किया और उस योजना को पूरे ढंग से स्वीकृत नहीं किया और जिसके कारण जो योजना 38 करोड़ की थी वह योजना बढ़ते-बढ़ते 143 करोड़ की हो चुकी है।

माननीय अध्यक्षजी मैं आपका ध्यान इस वर्ष लिफ्ट कैनाल का जो निर्माण का कार्य है उसे तो गति मिली है और लिफ्ट कैनाल के अन्दर जो बाधायें आने वाली थी, किसानों की भूमि का जो मुआवजा देना था माननीय मंत्रीजी ने वह दिया। परन्तु मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि नहर का निर्माण हो जायेगा। नहर के निर्माण होने के बाद नहर के अन्दर जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन उपकरणों की आवश्यकतायें हैं पम्पसेट और पाइप की उसकी व्यवस्था के बारे में आज तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। विभाग के मामले में 15 महीनों से लगातार मैं इस बात की चर्चा करता जा रहा हूं माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया, अधिकारियों से निवेदन किया कि पम्प का जो मामला 1984 से लेकर आज 1991 आ गया है आज सात सालों में विभाग यह बात तय नहीं कर सका कि पम्पसेट लगेंगे या नहीं लगेंगे और लगेंगे तो उनकी खरीद का निर्णय कब करेंगे। 16 महीने से इस बात की चर्चा होने के बाद भी विभाग नहीं कर रहा है जिसके कारण मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जिस योजना की लागत जितनी थी उससे दुगुनी और चौगुनी होती जा रही है। जोधपुर के साथ इस

(श्री राजेन्द्र गहलोत) प्रकार का अधिकारीगण जो मजाक कर रहे हैं वह एक शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि पम्प हाउस का सवाल था। पम्प हाउस के लिए आज से अक्टूबर 1990 के अन्दर निर्णय लिया गया था कि टेन्डर आमंत्रित किये जायें। टेन्डर्स को आमंत्रित किया गया और बाद में जून, 1991 के अन्दर यह तय किया गया कि जो टेन्डर आमंत्रित किये गये इनसे काम नहीं कराया जाये और ब्रिज कार्पोरेशन से काम कराया जाये। मैं यह पूछना चाहता हूं विभाग के मंत्री जी से कि क्या जरूरत थी कि अक्टूबर, 1990 में जो टेन्डर आमंत्रित करवाये उसको 9 महीने तक क्यों लटका रखा और उसके बाद में कहा कि पम्प हाउस के लिए ब्रिज कार्पोरेशन का काम करवाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आज जोधपुर की पेयजल की समस्या गम्भीर हो चुकी है। जोधपुर के अन्दर पीने के पानी के लिए, बूंद-बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं और उसके बाद हमारे सामने योजना है, उसका बजट स्वीकृत हो चुका है, टेक्नीकल स्वीकृति हो चुकी है लेकिन निर्णय लेने की शक्ति आज की सरकार के अन्दर, आज के हमारे मंत्री, दिखा नहीं रहे हैं। इसलिए निर्णय लिया जा रहा है। पम्प का सवाल है, पाइप का सवाल है। पाइप और पम्प का जब तक निर्णय नहीं लिया जायेगा, नहर बनने के बाद भी बेकार हो जायेगी और मिट्टी उसके अन्दर भर जायेगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कब यह निर्णय ले लेंगे और जो लिफ्ट कैनाल का निर्माण है वह कब पूरा हो जायेगा?

मैं आज आपको बड़ी आश्चर्य की बात कहूंगा कि मैं जब विधान सभा का सदस्य बनकर आया था तो प्रथम सत्र के अन्दर मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जोधपुर में पेयजल कब उपलब्ध करा दिया जायेगा। उस प्रश्न का उत्तर यह मिला था कि 1992 की जून तक दे दिया जायेगा। आज मेरा प्रश्न था उस प्रश्न का भी मैंने उत्तर मांगा कि कब पेयजल दिया जायेगा तो उन्होंने कहा कि 1993 दिसम्बर तक दिया जायेगा...

श्री अध्यक्ष : एक साल बढ़ा दिया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां। एक साल बढ़ा दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जोधपुर के साथ 1984 से लेकर यह आशा बांधी गयी थी कि हिमालय की गंगा का पानी जोधपुर को मिलेगा। उसकी प्यास बुझाई जायेगी। उसके बाद कोई भी निर्णय समयबद्ध नहीं लिया जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकारीगण सचिवालय में बैठकर इस प्रकार का षड़यंत्र कर रहे हैं कि एप्रूव हो जाने के बाद भी उस योजना को लागू करना नहीं चाहते हैं उन अधि-

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

कारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। इस षड़यंत्र में कौन दोषी है इसकी जांच की जाये। यदि आपने यह जांच नहीं की तो जोधपुर के लिए बड़ा अनर्थ होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको निवेदन जलदाय विभाग के बाद राजस्थान नहर के साथ जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें लगती हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा सीमान्त प्रांत है और सीमांत प्रान्त के चार जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगने के कारण आज लम्बे समय से भारत-पाक विभाजन के समय से तस्करी का जोर चल रहा है।

इस प्रकार की तस्करी के साथ-साथ आज जो गंगानगर और बीकानेर का क्षेत्र है वहां आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। वहां से हथियारों का आना, सोने का आना और जिस प्रकार के नशीले पदार्थ आ रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी सीमाओं पर जो पिलर्स बने हुए हैं उनका अन्तर एक पिलर से दूसरे पिलर का वह 30 किलोमीटर का अन्तर है जिसके कारण सीमा की पूरी निगरानी नहीं हो सकती। सीमा सुरक्षा पट्टी का जो हमारा कानून हमने पास किया था, उसको स्वीकृत किया था वह भी लागू नहीं किया गया जिसके कारण आपको पता होगा कि हमारे जैसलमेर क्षेत्र में एक रायगढ़ क्षेत्र है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां आज तक भारत पाक विवाद के समय से आज तक न तो उस क्षेत्र में सेना गयी है और न सुरक्षा बल ही गया है। आपको जानकारी होगी कि 1971 में जब पाकिस्तान का हमला हमारे देश पर हुआ था उस समय उसी क्षेत्र की सीमा से पाकिस्तान की सेना हमारे लोंगेवाला तक पहुँच गयी थी। उसके बाद भी हम इस बात पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो सीमा की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए सीमा की ओर ध्यान देना जरूरी है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार की तस्करी हो रही है और तस्करी के कारण एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय मुद्रा है 100 रु. का नोट, 500 रु. का नोट पाकिस्तान जा रहा है और वह आतंकवादियों के काम के लिए आ रहा है और सीमा पर जिस प्रकार के तस्कर हैं उनकी जानकारी सरकार के पास हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संकेत मिला हमको कि अकाल की समस्या को कैसे कम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पानी एक ऐसी चीज है कि पानी चाहे खेती के काम आओ, चाहे पीने के काम आओ गंगानगर जिले से जो घग्घर फ्लट

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का जो पानी है वह अनूपगढ़ के पास जाकर एक भेड़वाला ताल है खूब लम्बा चौड़ा ताल हैं, हम लम्बे अरसे से इसकी चेष्टा कर रहे हैं कि उस पानी पर बंध बांधकर यदि खेतों के उपयोग में ले तो निश्चित रूप से हमारा अकाल जो रोजाना पड़ रहा है उसको कमजोर किया जा सकता है----

परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि लम्बे अर्से के प्रयास करने बाद जहां पाकिस्तान की सीमा है, वहां पाकिस्तान ने मिट्टी का पक्का डोला बांधकर के फाटक लगा रखे हैं।

जितने पानी की जरूरत होती है पाकिस्तान को, उस पानी को ले लिया जाता है और फिर वह गेट बन्द कर दिया जाता है। तो भारत का हमारा पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने उस पानी के उपयोग के लिये कोई योजना नहीं बनाई। बार-बार हम लम्बे अर्से से इस बात को सदन में निवेदन कर रहे हैं कि अगर अकाल को खत्म करना है तो इस तरह से फालतू पानी जो देश के बाहर जा रहा है, उसको रोक कर के जहां समतल जमीन पर बिना लिफ्ट के लगा सकते हो, उसका उपयोग किया जाना चाहिये और जहां लिफ्ट की जरूरत है, उस पानी को उठाकर ग्रन-कमाण्ड एरिया में दें, और उसको पानी दिया जाय। श्री चन्दनमलजी को पता है कि बहुत बड़ा अच्छा उपयोग पानी का हो सकता है। इससे अकाल को निश्चित रूप से हम कमजोर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज भयंकर अकाल है। हमारा इंदिरा गांधी नहर एरिया बहुत लम्बा चौड़ा है। आज जमीन की कोई कमी नहीं है। मेरे सामने ये वन मंत्रीजी बैठे हैं। सिर्फ तीन तहसीलों में इनके पास फोरेस्ट की करीब ढाई लाख एकड़ भूमि पड़ी है। यदि राजस्थान इंदिरा गांधी नहर से फव्वारों से घास लगाकर के बैंक बनाकर पशुओं के लिये अकाल के समय बैंक से चारा दिया जाय तो न तो कोई दूसरे प्रांत में पशुओं के ले जाने की जरूरत है। जरूरत इस खोपड़ी की है। लेकिन आज तक राजस्थान सरकार बनने के बाद में उस भूमि का कोई उपयोग नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, फालतू पानी जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि फालतू पड़ी हुई ढाई लाख एकड़ जमीन है राजस्थान कैनाल के नीचे और पानी खूब पड़ा है वहां लेकिन घास लगाने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। न कोई प्लान है, और न कोई अकाल को समाप्त करने का इनका इरादा है। अध्यक्ष महोदय, यदि उस पानी का ढंग से उपयोग किया जाय तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारे घास की जो कमी है, वह दूर होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, आज मुख्य मन्त्री जो एक इशारा किया। मुख्य मन्त्री कह रहे हैं कि सुझाव दो कि अकाल

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

को कैसे खत्म किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के गांव से हमने अकाल के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, शुरूआत की है।

अध्यक्ष महोदय, दो साल हुए हमको, धरती के नीचे जो मीठा पानी है, उस पानी को कुआ खोदकर के ऊपर लाकर के हमने 15 कुओं में खेती का काम शुरू किया है। 30 कुओं में और पानी आया है। 100 से अधिक कुएं चल रहे हैं। आज 8 नोखा तहसील में, ढाई हजार से अधिक कुएं खोद दिए हैं और हम कामयाबी में हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक कुएं पर करीब दो लाख मूंगफली हुई है बारानी इलाकों में अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने इशारा किया अकाल को समाप्त करने के लिए मुझे कोई सुझाव दीजिए। यह सुझाव अगर राज्य सरकार के दिमाग में है, इस अकाल को हमेशा के लिये खत्म करना है तो जिस धरती के नीचे मीठा पानी है, उन काश्तकारों को सहयोग दीजिये, बिजली का कनक्शन का सहयोग दीजिये। कुआ बनाने के लिए भारत सरकार से धनराशि लाकर काश्तकारों को दीजिये ताकि हम लोग अकाल को खत्म कर सकें।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि दिल्ली में चाहे किसी की सरकार हो, नाचघर बनाने के लिए कई अरब रुपये जयपुर के एक होटल मालिक को बिना ब्याज के दे सकते हैं, सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं लेकिन गांव के काश्तकार को अकाल खत्म करने के लिए कुएं की योजना बनाने के लिए कोई धनराशि उनके पास नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अकाल को खत्म यदि करना है तो राजस्थान के

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में सब जगह धरती के नीचे पानी है, बहुत मेहनती हमारे काश्तकार हैं, उनको सहयोग दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सिर्फ एक मिनट पुलिस के बारे में।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिला में हम बोर्डर पर बैठे हैं और खास तौर से हमारा जो इलाका है इन्दिरा गांधी नगर, जो पिलरों के पास बैठा है और खेती कर रहे हैं, आज वहां सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा की व्यवस्था होते हुए भी, अध्यक्ष महोदय, हमारे काश्तकार को इस बात का दर्द है कि हमारे पास न तो लाइसेंस की बन्दूक है और न कोई लाइसेंस का हथियार रखने देते हैं और न राज्य सरकार उस लाइसेंस को जारी करती है। अगर काश्तकारों पर आप शक करोगे इनको लाइसेंस देने से कोई बगावत होगी, यह बात गलत है। हम ही एक ऐसे हैं जो आपकी सीमा के प्रहरी हैं और हमारे काश्तकार ने चाहे हेरोइन पकड़ी हो, चाहे आपके जो तस्करों के हथियार हैं, वे पकड़े हो, आपकी हमेशा हमारे खाजूवाले के किसानों ने मदद की है।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

दूसरी बात पुलिस के बारे में हमारे बीकानेर जिले की पुलिस इन दिनों भयभीत है और वह ऊपर के इशारों से भयभीत है। हमारे 3:4 अकाल पड़ गये। एक अकाल पड़ गया, बलात्कार के झूठे मुकदमें, दूसरा और छुआछूत के झूठे मुकदमें; तीसरा। इन तीनों से हमारा जिला बड़ा भयभीत है। दरख्वास्त ले गये धीरे से कि छुआछूत का बर्ताव। क्या कहा, ढेढ़ कह दिया। करे दो बन्द इनको वे आगे दौड़ते हैं और पुलिस पीछे। हमारे भाई-चारे को अगर कोई खत्म कर रहा है तो आपकी भयभीत हुई पुलिस कर रही है। अध्यक्ष महोदय, कोई बलात्कार का मुकदमा नहीं होता है और सरासर झूठे होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, हमारी मजबूरी है, बलात्कार हो गया। कहां हो गया दावा राजीनामा कर लिया। बहुत से मुकदमों में, हमने राजीनामा किया। छुआछूत के मुकदमे में राजीनामा कराते हैं हम। हमारा भाईचारा (व्यवधान)

नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह हंसने का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मतलब की बात कर रहे हैं, सही। यह हंसने की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक मिनट मुझे मौका दीजिये।

इन दिनों में एक नई शुरूआत हुई। एक नई फैक्टरी खोली है पुलिस वालों ने और तो कोई रहा नहीं कुछ, कराइये झूठे मुकदमे बलात्कार के, कराइये छुआछूत के। अध्यक्ष महोदय, एक नौजवान छोरा कोई हरिजन सेवक संघ लिये फिरे जेब में और कह रहा हैं, लेटर पैड पर ले जाकर पेश किया कि छुआछूत किया। किसको कि मरे को इस रास्ते से नहीं जाने दिया। तो इस तरह के कितने ही मुकदमें हो गये और वहां का पुलिस प्रशासन भयभीत है। यदि हरिजनों का नाम ले लिया तो वर्दी उतर जायेगी। मैं कहता हूं, गृह मन्त्री जी आपको भयभीत नहीं होना है, आपको सच्चाई से दूर नहीं जाना है। आप सच्चे मुकदमें ठोककर और एफ. आर. लगाइये और झूठे लोगों को मुकदमा करने की जो आदत पड़ी है उनको बन्द कीजिये।

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

ताकि राजस्थान का किसान, पश्चिमी राजस्थान का हरिजन, वहां का रहने वाला, सवर्ण आपस में भाई-भाई की तरह रहे वरना आप ऐसी दरार डाल दोगे। हिन्दू-मुस्लिम को आपस में लड़ाने की चेष्टा, हरिजन और सवर्ण के नाम पर लड़ाने की जो शुरूआत की है। इससे हमको बड़ा भारी घाटा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह। (अनुपस्थित) श्री भंवर लालजी। (अनुपस्थित) श्री रामप्रसाद लढ्ढा। (अनुपस्थित)। श्री घासी राम चौपड़ा। (अनुपस्थित)।

आपका नम्बर दे रहा हूं। जो नहीं हैं, उनके नाम काट कर रख रहा हूं। श्री प्रभू लाल पटेल (अनुपस्थित)।

श्री परसादी लालजी आपने जो लिस्ट दो है, आपका नाम ऊपर आ रहा है।

(श्री अध्यक्ष)

उसको काटकर राजेन्द्र पारीक को बुला रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री चन्दन मल बैद : इसके बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। यह लिस्ट जल प्रदाय विभाग के महकमे के लिए है, यह एप्रोप्रियेशन बिल के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं उनके लिये कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, एप्रोप्रियेशन बिल की लिस्ट नहीं है। मेरे से पूछ कर के दी गई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं औरों के लिए नहीं कह रहा हूं। जो मौजूद हैं, उनके नाम बोले नहीं हैं। श्री राजेन्द्र पारीक बोल रहे हैं। (व्यवधान)

देखिए जो लिस्ट दी है, उसी सिस्टम से पुकार रहा हूं।

क्योंकि इसमें भी श्री परसादी लालजी का नाम लिखा है, इसलिए इसको काटकर सैकण्ड नाम इनका आ रहा है।

श्री हीरालाल इन्दोरा : मेरा नाम है या नहीं है लिस्ट में ?

श्री अध्यक्ष : बोलिए। राजेन्द्र पारीक बोलेंगे।

श्री मदन दिलावर : वह तो 18 तारीख को है। 18 तारीख को बोलना था। यह तो 19 तारीख हो गई।

श्री अध्यक्ष : आप जब तक हाउस से उठोगे, आपकी तारीख बदलेगी नहीं। यही रहेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जन-स्वास्थ्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस मन मन्त्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा "रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये ना उबरे मोती मानस चून।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़े अर्से के बाद मेरे पर कृपा की और उनको यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो थोड़ा सा उन्हें व्यवस्थित करें ताकि मैं कुछ.....

श्री अध्यक्ष : आपने बिना पानी सब को सूना कर दिया। तो बोलेंगे ही।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आज तारीख बदल गई है।

मैं तो संक्षेप में माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान सीकर की पेयजल योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। और यह कहते हुए आकर्षित करना चाहूंगा कि अच्छा रहता आप केवल राजनैतिक स्तर पर से बिना स्वीकृति के जो शिलान्यास करने जाते हैं वह नहीं करके हकीकत में यदि आप एक लाख रुपये के बजाय दस हजार रुपये का काम नहीं करेंगे तो काम हुआ है, यह लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाऊं, 23 फरवरी 1991 को सीकर में इन्होंने राजनैतिक आधार पर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के दो जगह शिलान्यास किये। एक तो जल प्रदाय

(श्री राजेन्द्र पारीक)

योजना का दूसरा वहां पर बुचियानी नाम की एक जगह है जहां आये दिन पानी भरता है और उस पानी वजह से पिछले दिनों एक आदमी की मृत्यु हो गयी क्योंकि बरसात की वजह से पानी भरता है. उसमें बिजली का करंट आया उसमें एक आदमी की रात में डेथ हो गयी। यह सूचना मैंने पत्र में भी यहां पर दी थी। इन दोनों जगहों पर जाकर मन्त्री महोदय ने शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास किया, बड़ी खुशी हुई इस बात की कि माननीय मन्त्री महोदय ने 2.60 करोड़ की योजना का शिलान्यास कर दिया। 23 फरवरी 1991 को आज यह तारीख हो गयी। उसके बावजूद भी इन्होंने बिना किसी स्वीकृति के जो किया सो तो किया, उस वक्त में मुझे यह लगा कि शायद यह स्वीकृति वहां जाकर भिजवायेंगे। आज क्या कारण है कि उस वक्त जो आपने शिलान्यास किया था इतने दिनों के बावजूद भी .

श्री अध्यक्ष : आप यह क्यों मानते हैं कि बिना स्वीकृति के, आप उसको चालू कराओ जल्दी।

श्री राजेन्द्र पारीक : बिना स्वीकृति के किया वह सारा का सारा राजनैतिक दांवपेच यह खेलते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहूंगा, क्या आपने शिलान्यास किया उस दिन आपके पास किसी तरह की स्वीकृति थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की इसलिये हुई कि यदि यह स्वीकृत योजना को उस वक्त लागू कर देते, सीकर में पुराने पाइपों को हटा कर नये पाइप बदल देते तो सीकर शहर में दस लोगों की हत्या का कारण जल प्रदाय योजना नहीं बनती। जल प्रदाय योजना जो सीकर में 1959 में लागू हुई उस वक्त मात्र 18 लाख रुपये लगे थे उसके बाद साढ़े चार लाख 1970 में उस पर खर्च हुए। पाइप बड़े पुराने हो चुके थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका एक और डिपार्टमेंट वहां पर नगर परिषद भी है। उस नगर परिषद का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी में से जल प्रदाय योजना के पाइप भी इन्होंने पास कर रखे हैं। उन पाइपों से लोगों के घरों में प्रदूषित जल आया जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां फैलीं और उस बीमारी की वजह से 10 आदमियों की वहां डेथ हो गयी। जिस समय आपके डिवीजनल कमिश्नर सीकर में पधारे थे और माननीय मन्त्री महोदय को भी इसकी व्यक्तिशः जानकारी है।

कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सीकर नगर पानी के मामले में आज भी काफी पीछे है। वहां आप किसी तरह की राजनैतिक बात न करके हकीकत में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो 2.60 करोड़ की योजना लागू की है उसमें कुछ पैसा आप दिलवाने की व्यवस्था करें। जब आपने वहां पर शिलान्यास किया है, मैं तो सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा कर दूंगा कि आपके +++ ने यह सारा का सारा कार्य कराया है सारा श्रेय आप उनको दीजिए, लेकिन पानी तो हमें पिलाइये।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पानी की व्यवस्था करने के नाम पर आपके पास है कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय की नजर में इसलिये लाना ज्यादा जरूरी समझता हूं कि वहां नगर परिषद और जल प्रदाय योजना दोनों माननीय मन्त्री महोदय के पास हैं, उसकी वजह से दस आदमियों की डैथ हो गयी तो कम से कम कुछ तो मानवीय आधार पर सोचें कि यह जो घटना घटी है इस तरह की घटना दुबारा न हो। इसके लिए जरूरी है कि यह जो 2.00 करोड़ की योजना आपके पी. पी. सी. के पास पेण्डिंग हैं, यह यहां शीघ्र आप लागू करवाइयें।

इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग की ओर से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपका पुलिस ट्रेनिंग स्कुल, किशनगढ़ जो है, बड़े-बड़े अधिकारी तक वहां मौजूद हैं, वह स्कूल काफी पुराना है। उसकी भूमि से किन्हीं व्यक्तियों ने नाजायज कब्जे के बतौर कालोनियां काट ली। जबकि उस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के चारों ओर तारबदी की हुई है, उसके बावजूद भी नगरपालिका प्रशासन से मिलकर लोगों को फर्जी पट्टे जारी करवा दिये। एक पिटीशन लगवा दी कि साहब हमारे तो वह जमीन जो है वह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ने दबा ली। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गेट के ठीक सामने उन्हीं कुछ लोगों ने मिल मिला कर गेट का सारा सत्यानाश कर दिया। वहीं पर प्राइवेट प्रोपर्टी की दुकानें बनवा दीं। पुलिस-ट्रेनिंग स्कूल का जो गेट है उसके ठीक सामने उन्होंने दुकानें बनवा दीं। यह ऐसी संस्था है जहां से पुलिस के नौजवान निकलते हैं और सारी कानून व्यवस्था सुचारु रूप से चलती है। एक तरफ जब हम इस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कहते हैं तो हमें साथ में यह सोचना होगा कि जिन ट्रेनिंग स्कूलों के माध्यम से आगे आने वाले पुलिस प्रशासन जिसमें एस. एच. ओ. रैंक तक के अधिकारी निकलते हैं वह कम से कम सुसंस्कृत होकर तो वहां से निकलें। लेकिन जिस तरह का माहौल वहां बनाया जा रहा है उससे यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निश्चित मानिये कि समाज में एक बड़ी दूषित भावना फैलेगी, इस पर कहीं न नहीं रुकावट आनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर की अति ज्वलंत समस्या है जिससे मैं समझता हूं जितने एम. एल. ए साहबान यहां बैठे हैं, मिनिस्टर्स को छोड़कर या जिनके पास अपने कोई व्यक्तिगत व्हीकल्स हैं उनको छोड़ कर, सारे व्यक्तिशः उस समस्या से रुबरू होते हैं। वह समस्या है आटो टैक्सी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें थोड़ी सी दूर भी जाना है तो उसके लिये हमारे श्री व्हीलर, आटो टैक्सी वाले बीस रुपये से कम की बात नहीं करते। माननीय मन्त्री महोदय यहां विराजमान नहीं हैं तो कम से कम गृह मंत्री महोदय की जानकारी में लाऊं कि आप आखिर कब तक इनकी मनमानी चलने देंगे। इस पर कोई न कोई रुकावट आनी चाहिये। सारी जगहों पर चाहे दिल्ली जायं, चाहे बम्बई जायं, चाहे आप और कहीं जायं, सब जगह टैक्सी के फेयर फिक्स किये हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : जयपुर में इस तरह की व्यवस्था ·····

श्री अध्यक्ष : महावीर प्रसादजी, आपका लगा हुआ है इसलिये आप बैठिये। उजलाजी बोलेंगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात आपकी जानकारी में और लाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। व्हीकल्स के बारे में हैं, यह टीक है। श्रीमती उजला परोड़ा बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : रोडवेज के एक कर्मचारी मिस्टर प्रेमसिंह हैं वह आमरण अनशन किये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट हो गया। हो गया आपका।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट की बात और है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट ?

श्री राजेन्द्र पारीक : दो ही मिनट। एक मिनट ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप सात मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतनी देर में मैं मेरी बात बोल देता।

रोडवेज का एक कर्मचारी प्रांतीय अध्यक्ष है, आज 15 दिन से अनशन पर है। प्रशासन को चाहिये कि जाकर के बात करे। आखिर आमरण अनशन कोई व्यक्ति मरने के लिये तो कर नहीं रहा है। उसने अपना एक प्रोटेस्ट जाहिर किया है। इसलिये प्रशासन को चाहिये सरकार को चाहिये कि उसी व्यक्ति से जाकर बात करे, उसकी जायज मांगों के बारे में संजीदगी से अपने दिल में थोड़ी सी संवेदना रखते हुए उसकी समस्या निपटाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : असम की जो समस्या है, आज राजस्थानियों पर जिस तरह से वहां पर कहर ढाया जा रहा है, वह बड़ी विकट समस्या है। मैं इस सदन के मार्फत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय को इस मामले में कहीं पहले करके जिस तरह से कलकत्ता में जाकर व्यापारियों को इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप राजस्थान आइये, वहां हम आपके व्यापार की अच्छी व्यवस्था करेंगे·······

श्री अध्यक्ष : दिल्ली में जाकर कह कर आये हैं कि हमारे यहां पर आओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में जब तक पूरा नहीं हो सकता

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। हो गया, सब हो गया। अब श्रीमती उजला अरोड़ा।

(श्री अध्यक्ष)

अब आप विराजें। आपका पॉइन्ट हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक कहावत है कि एक घोडी को 20 किलो घी पिलाने का कह दिया जाय कि मोटी नहीं हो रही है, मोटी वह तब होगी जब आप वास्तव में उसको घी पिलाने की व्यवस्था करेंगे। तो इन असम के व्यापारियों को वहां पर बुला कर इनकी कुछ व्यवस्था करेंगे।

आपने समय दिया उसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत पुनः धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। हमारे राजस्थान के सीमा क्षेत्र में हमने पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में एक दीवार बनाने की बात कही थी जिससे कि आतंकवादी न आवें, न घुसपैठ हो और न तस्करी हो। हम शायद उस बात में पता नहीं कहां ढील दे रहे हैं, लगातार उस क्षेत्र से घुसपैठ भी चल रही है, तस्करी भी हो रही है और मेरा यह मानना है कि आतंकवादी कुछ नहीं, बहीं से आये हुए लोग हैं, न तो हमारे देश से उनको ममता है, न कोई लगाव है। वह आते है, मार कर चले जाते हैं। हमारे देश में एक वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार देखे इस क्षेत्र में उसे बहुत बड़ा काम करना है जिससे राजस्थान में सुरक्षा रहे और शान्ति भी रहे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी सबसे मैं हमें इन्तजाम के रूप में देखना है। हमारे यहां थानों पर जो पुलिस बल है, मैं उसको देखती हूं कि बराबर कम है। जयपुर नगर में देखती हूं, जरा सा झगड़ा हुआ, पिछले दिनों, थानों पर ठीक बलहोता तो आर. ए. सी. नहीं बुलानी पड़ती। इन थानों की आत्मनिर्भरता बढ़े, इसलिए हमें इन थानों पर पुलिस बल बढ़ाना चाहिये। ट्रैफिक में भी पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता मानती हूं। इसके अतिरिक्त जो एक नया प्रयोग किया गया है जयपुर में, महिला पुलिस थाना का, तो वहां पर भी पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करती हूं। मुझे खेद है कि हमारे थानों पर पिछले दिनों एक बार तय कर लिया गया था कि इनकी प्रवीणता बढ़ाने के लिये हम इनको जीपें देंगे। जब जीप ही नहीं होगी तो 40–50 कि. मी. का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो थाने लगते हैं वहां पहुंच कर किस प्रकार अपराध का अन्वेषण करेंगे या देखेंगे। उन ढाई सौ, तीन सौ थानों पर जीपों की कमी है जो पुलिस को उपलब्ध करानी चाहिए और दिल्ली की तरह ही बड़े शहरों में आई. जी. रैंक का काश्तकार यहां पर लगाना चाहिए पुलिस के हिसाब से, यह कहना चाहूंगी।

एक और बताना चाहूंगी कि जितनी चोरियां बढ़ी है उनको देखने की आवश्यकता है। मेरे यहां से जैन मूर्ति चोरी चली गई थाना बड़ा समर्थ माना जाता है। लेकिन यह अपराध नहीं पकड़ा गया। भानपुर कलां में लगभग 25–30 चोरियां हर छठे, तीसरे महीने होती है पुलिस चौकी ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमने चुंगी चौकी जयसिंहपुरा खोर के निकट लगा दी हैं और जो ट्रकों में आते वह गांव

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वालों को लूटकर ट्रक में बैठ कर चले जाते हैं। जब तक रिपोर्ट कहीं होती है तब तक तो पता नहीं कहीं चले जाते हैं, तलवार घुमाते हैं, मोटर साइकिल छीन कर ले जाते हैं, घरों में घुस कर मुंह पर हाथ लगा कर या कपड़ा ठुंस कर जेवर लूट कर चले जाते हैं। बार-बार आगाह किया गया। एक थाना 'ब्रह्मपुरी लगता है यहां इतने माहिर हैं ब्रह्मपुरी वाले, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने अपराध लोगों को अपराधी घोषित किया, टाडा एक्ट में बन्द किया और अन्य एक्ट में अभी तक मुकदमा जारी है और जब यह बताया गया कि निरपराध लोग पकड़े गये तो भी उस थाने में कोई कार्यवाही नहीं की गई। थाना आदर्श नगर में पिछला दफा एक थानेदार थे उन्होंने एक परीक्षण के लिए.......मान्यवर महोदय, मुझे सुनें, आपके ऊपर ही भरोसा है और क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, एक आदर्श नगर थाने में रामजस नाम का व्यक्ति हुआ करते थे उन्होंने एक तेली के करीब 20 साल के बच्चे को जिसकी नई-नई शादी हुई जिसको पकड़ा और बजाय पूछताछ करने के उसको थाने में जान से मार दिया और जीप से लटका कर उसको ले गये इतनी बुरी हालत की। उसको कोई सजा नहीं मिली और मैं कहूं कि वह आदमी पालिटिक्स में भाग लेता है। एक मन्त्रीजी की शरण में होने के कारण उसके जैसे अपराधी का प्रमोशन होता है। मुझे बहुत दुख है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को पुलिस थाने वाले अधिकारीगण बार-बार बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह घटना कब हुई ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह घटना पिछली सरकार के समय में हुई।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह मन्त्री कौन जिन्होंने शरण दे रखी है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह भी बतला दूंगी, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, इनको पूछिये, यह बिल्कुल मनगढ़न्त बात कर रही हैं बतायें तो सही कौन था वह ? रामजस तो अभी था थोड़े दिन पहले। और अभी उसका ट्रांसफर हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामजस विश्नोई जिसकी मैं बात कर रही हूं आपको अपनी जाति के नाम से चिढ़ना नहीं चाहिए जो गलत आदमी होता है वह गलत होता है, आप काहे को बहस कर रहे हो।

एक माननीय सदस्य : बहनजी, इस मामले की जांच हो गई है इसमें कोई निर्दोष पाया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे टोकाटाकी से बचाइये। मेरा निवेदन है कि वह आदमी जमीन खरीदता बेचता है आये दिन सस्पेण्ड होता है फिर जमीन खरीदता बेचता है, किसी की शरण लेता है फिर आगे बढ़ता है यहां के पुलिस अधिकारियों ने उसकी जांच की, अपराधी पाया गया, पता नहीं किस प्रकार उसको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पदोन्नति दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगी हमारे शहर में जो शराब की खुली बिक्री होती है उससे अपराध बढ़े हैं मेरा निवेदन है कि शीप एक्ट के तहत इन दुकानों को नियमित किया जाना चाहिए सात बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए किसी को पीना है तो वह घर जाकर पीए, अपने बीवी बच्चों को, मेहमानों को साथ पिलाए मगर ज्यादा बिक्री करनी है तो इस रूप में बिक्री करनी चाहिए। ट्रक वाले शराब पीकर ट्रक चलाते हैं दिल्ली, आगरा रोड पर इतने एक्सीडेंट होते हैं कि मैं क्या बताऊं, आंकड़े आपकेसामने हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की स्थिति को कन्ट्रोल में रखा जाना चाहिए। असामाजिकता उत्पन्न होती है, प्रवृत्तियां खराब होती है और समाज आर्थिक रूप से भी खराब होता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसलिए किसी को जहर पिलाना कदापि उचित नहीं। इसलिए मैं शराब को जहर की संज्ञा देती हूं और मैं समझती हूं मैं गलत नहीं कहती हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अपील की है लेकिन इस अपील को कायम रखिये और आगे बोलेंगी तो अपील चली जाएगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे पेयजल पर कुछ बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष : 8 मिनट हो गये। आपको कल और सुन लेंगे। डा. चन्द्रभान।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं थोड़ी बात कहूंगी। मैं वैसे बहुत कम बोलती हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में?

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट में।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल पर मत टालिए। क्वेश्चन आवर निपटा दीजिए अभी।

श्रीमती उजला अरोड़ा ; अध्यक्ष महोदय हमने घोषणा की थी कि पिछली सरकार ने और इस सरकार ने कहा था कि पानी की कोई दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जयपुर और जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में सारे जिले में इतनी बुरी हालत है। बीसलपुर योजना के बारे में कि मैं निवेदन करना चाहूंगी जितनी देर से आयेगी और जब तक वह योजना नहीं आएगी तब तक अजमेर, जयपुर और टोंक का कोई भला नहीं हो सकता। तो इस योजना को तात्कालिक रूप से लाने का प्रयास करें। मुख्यमन्त्री जी ने यहां पर मुझे आश्वासन दिया था कि रामगढ़ कैचमेंट एरिया में जो भी एनीकट बनाये गये हैं वह पहले बन्धा भरेगा जमुआ रामगढ़ का और बाकी को तोड़ दिया जाएगा। वह तोड़े तो नहीं गये उनमें दरवाजे लगाने की बात कही गई। दरवाजे का उपयोग तो क्या? पानी ओवर फ्लो होगा तभी दरवाजे का कोई उपयोग होगा लेकिन यह बंधा भरेगा नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि कोई भी योजना लावें जयपुर नगर और जिले को पानी दें। मुझे कहा गया है एक पत्र के उत्तर में। मैं अपनी बात थोड़ी सीमित कर रही हूं। मैंने निवेदन किया था कि जयपुर में पानी की व्यवस्था करें तो जिले के लिए बोले कि 2611 गांवों में से 2605स

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में नल योजनाएं जारी हैं। मैं सोच नहीं सकती कि मेरे इलाके में एक पानी की योजना नहीं। अगर कोई पानी की योजना होती तो लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि क्यों करते। यह उत्तर बिलकुल गलत है। इसको सुधारना चाहिए और अगर आप गांवों में और कोई योजना नहीं ला सकते तो ...

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम दो मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : टंकियों को काम में लें, उनसे पानी दें, यही व्यवस्था करें और सारे जिले के गांवों में हैण्डपम्प लगाने की योजना बनावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय; इस सदन को कन्टीन्यू रखकर गिनीज बुक में नाम लिखवाने का प्रयत्न कीजिए।

श्री अध्यक्ष : जिनके नाम आए हैं वो तो सब बोल लेंगे। उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप सब लोग बड़े जोश के साथ भाग ले रहे हैं। इसकी मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। आप भाग लीजिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बैठे रहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह सब प्रबोधन कार्यक्रम का असर है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की चरमराती हुई कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाये आज जब पुलिस के संबंध में चर्चा हो रही है तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान पुलिस प्रशासन पर से प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है, इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। इसके बारे में राज्य सरकार को नये सिरे से विचार करना चाहिये। कि प्रदेश में पुलिस के ढांचे में किस तरह परिवर्तन करना है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा चाहे वह पंकज सिघवी हत्याकाण्ड हो, चाहे वह हरमाड़ा में बूढ़ी महिला के कड़े निकाल कर चोरी करने का मामला हो, चाहे वह बांसवाड़ा में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हो, चाहे जयपुर की चोरियां हो या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ में अत्याचार के मामले हो। लोगों को पुलिस पर कोई यकीन नहीं और रोज आपके पास इस तरह के मामले आते होंगे और हमारे पास भी आते हैं। कोई भी मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज होता है। लोगों को कतई विश्वास नहीं होता कि यहां उन्हें न्याय मिलेगा या सच्ची जांच होगी। लोग विधायक के पास आते हैं, नेताओं के पास आते हैं और ऐसी मांग करते हैं कि हमारे मुकदमों की जांच सी. आई. डी. से जांच करवा दीजिए यह फाइल को जयपुर मंगवा लीजिए। जो कोई भी किसी भी तरह के जघन्य हत्याकांड की चर्चा नहीं करता।

साधारण कोई घटना घटती है तो एक मांग आती है कि सी. बी. आई. से जांच कराई जावे। कहने का मतलब प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका

(डा. चन्द्रभान)

आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये। इस पर कई बार चर्चा होती है। उनके सेवा नियमों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये उनकी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करनी चाहिये। मैं बड़े अधिकारियों की बात नहीं करता लेकिन पुलिस का सिपाही जो 24 घन्टे काम करते हैं, उसकी सेवा और उसके वेतनमान और उसकी सुविधाएं क्या है, उसकी किस तरह से ट्रेनिंग हैं, नेचर आफ दी क्राइम बदल गया है।

आज मुझे बताइये, पुलिस के डंडे से नए किस्म के अपराधी और टेरोरिस्ट पनपते हैं। आप टेरोरिस्ट और दूसरी तरह के लोग जो अपराध करते हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही कैसे करेंगे? ये 12 बोर की बंदूक लिए घूमते हैं, वे ए. के. 47 लिये घूमते हैं। पुलिस को सुसज्जित किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन में जो भी कमजोरियां है उसमें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। क्राइम की संख्या भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। उस अनुपात में पुलिस में नये रिक्रूटमेंट होने चाहिये। लेकिन रिक्रूटमेंट करने के लिए भी एक स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए। अभी आर. ए. सी. की भर्ती हुई थी। क्या चर्चा है उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में यदि सुधार लाना है तो सबसे पहले पुलिस के ढांचे में परिवर्तन करना होगा। पुलिस के लोगों की जो समस्या है उनका सरकार को निदान करना चाहिये। लेकिन पुलिस पर जनता का विश्वास बने इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए उसमें हम सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

जहां तक जलदाय विभाग की चर्चा करें, जब अकाल के ऊपर चर्चा हो रही थी तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि झुन्झुनू में भी पानी की समस्या और अकाल की इतनी विकराल समस्या है। झुन्झुनू के लोग या झुन्झुनू के जन प्रतिनिधि हैं वो ऊंची आवाज में बोलते हैं। यह नई संस्कृति विधान सभा में पनप रही है जिससे कि क्षेत्र में विकास हो सके। विकास होगा यहां बोलने से, यह गलत फहमी हमें नहीं है अध्यक्ष महोदय। ऊंची आवाज में तो हम इसलिए बोलते हैं कि जनता से हम वायदा करके आए हैं कि तुम्हारी आवाज को हम सदन में दबने नहीं देंगे इसलिए हम बोलेंगे। बोलने का हमारा अधिकार है। इसमें मुख्य मन्त्री जी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हम तो विधायक लोग हैं, यहां पर जनता की आवाज को कहते हैं, उठाते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ही विकास का काम कर लें। यह 37 मन्त्रियों की लम्बी-चौड़ी फौज है। ये खुद ही विकास के मामलों में दुःखी हैं। ये अपने-अपने क्षेत्रों में विकास के काम को कर लें। विकास कैसे होगा?

(व्यवधान) आप खनिज विभाग का ही विकास कर लीजिये। आप औरों की बात तो छोड़िये। मैं यह कहना चाहूंगा विकास होगा कैसे, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) किसने खान ले ली, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री जी डेढ़ साल से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे।

(डा. चन्द्रभान)

भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वातावरण तो वे बनाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं, न कार्यवाही कर पाते हैं। जो कोई उनसे मिलने जाता है। हमसे कहते हैं कि बताओ। अब हम कोई इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर तो है नहीं। भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं, कौन लोग भ्रष्टाचार करने वाले हैं; बड़े लोग हैं, व्यापारी हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हो सकते हैं, ये ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिये। पहले इस सवाल को उठाया है तो सरकार को इसका निराकरण करना चाहिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नए रिसोर्सेज मोबिलाइज करने चाहिये। जो लीकेज हो रही है। राजस्थान में कितनी खनिज सम्पदा है लेकिन उस क्षेत्र में भी विशेष कार्य नहीं हो रहा है, उसका सही दोहन नहीं हो रहा है, कई कमजोरियां हैं, इन सब बातों को सरकार को पूरा करना चाहिये। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पहले तो केन्द्र सरकार से मदद मिल जाती थी लेकिन अब देश की वो अर्थ व्यवस्था नहीं हैं, केन्द्र की सरकार की स्थिति नहीं है और आप भी ध्यान करना, अब कोई वी. पी. सिंह और चन्द्रशेखर की सरकार नहीं है कि आप जैसा कहो, आसानी से वहां से हो जाएगा और यहां पर आप सरकार का काम चलाते रहोगे। आपको फिजूलखर्ची को रोकना चाहिये। अपने साधनों को बढ़ाना चाहिये, जो लीकेज हो रहा है उसको रोकना चाहिये और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये।

मैं परिवहन विभाग के बारे में एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि अध्यक्ष महो-

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

दय, जब पुलिस की चर्चा हो रही थी जयपुर में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। यह क्या कर रहे हैं आप ?

डा. चन्द्रभान : और बताइये आप। आपको ज्यादा रात तक रहना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : यदि आप बजायेंगे तो आपकी तरफ से किसी को नहीं बुलाऊंगा। फिर जल्दी-जल्दी सलटाना भी है, इसलिए इतनी जल्दी हो रही है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, ये तो बोलना ही नहीं चाहते हैं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बिराजिये। हां बोलिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सब इस मूड में है कि अगर समय हो जाय तो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर साथ-साथ ले लें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय एक मिनट। उजला जी को दो मिनट, हमको एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(320)

डा. चन्द्रभान : मैं यह कहना चाहूंगा चाहूंगा कि अभी परिवहन विभाग में एक व्यवस्था हुई है कि आगार को स्वतन्त्र कर दिया। व्यवस्था तो अच्छी है और लाभ में आनी चाहिये लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कि पूछना चाहूंगा मन्त्री जी से, यहां वो उपस्थित नहीं है। आगार को आपने स्वतन्त्र कर दिया, उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि आप इसको लाभ में लाइये और कलेंडेस्टाइन आपरेशन बढ़ा दिया। 70 करोड़ का साल भर में सरकार को चूना लगा रहे हैं ये अवैध वाहन चलाने वाले। ये रोड़वेज को चूना लगा रहे है और सरकार चुपचाप बैठी है। तो इनको रोकने का काम कीजिए तब तो आप विकास के काम करेंगे अन्यथा न हमारे विकास के काम होने वाले हैं और न आपके विकास के काम होने वाले हैं। यह मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बी. डी. कल्ला। आपका तीन लिस्ट में नाम है। (व्यवधान) अब मैं क्रम से ले रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पहले कुछ सुझाव रखना चाहूंगा जो एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में हैं। राज्य सरकार कई बार यह बात कहती है कि राज्य प्रशासन में हम फिजूलखर्ची को रोकेंगे। बकाया करों की बेहतर वसूली करेंगे। मैं चाहता हूं कि पिछले डेढ वर्षों में बिक्री कर, खनन, विद्युत बोर्ड, जलदाय विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ऐसे अनेक विभागों से आपने बकाया करों की वसूली जिस प्रकार से की। एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 250 करोड़ रुपये की वसूलियां बकाया सरकार के विभिन्न महकमों की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन वसूलियों के बारे में आपने क्या कदम उठाये और इससे सरकार में पिछले डेढ़ वर्ष में आपने कितनी रेवेन्यू प्राप्त की। अध्यक्ष महोदय, कई बार यह हो जाता है कि हम प्रशासनिक व्यय में कटौती करेंगे। आज की जो स्थिति है, उसके बारे में मैं चित्रण करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान का आप्टीमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर लगभग 65 पर्सेन्ट से ऊपर है, नहीं, जो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर लगभग 65 से 70 पर्सेन्ट है और आप्टीमम एक्सपेंडिचर लगभग 10 पर्सेन्ट होना चाहिए। इसमें इतना भारी अन्तर है, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ? इसी तरीके से मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो राजेन्द्र जैन कमेटी बनी, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिये। मैं 2-3 सुझाव राज्य सरकार को देना चाहता हूं....

एक तो हमारी जितनी भी पेट्रोल की गाड़ियां हैं उन सब की डीजल में कन्वर्ट कर दें। डीजल और पेट्रोल के भाव में तीन गुणा फर्क है उससे ही आपकी 2/3 बचत हो जायेगी।

इसी तरीके से सरकार को स्थानान्तरण बहुत कम करने चाहिए। अकेले शिक्षा विभाग में 23 हजार स्थानान्तरण कर दिये और कार्मिक विभाग ने तो रिकार्ड तोड़ दिया, हर छह महीने में कलक्टर बदल दिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : आप यह गलत कह रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आप मंत्री हो, मेरे समय में स्थानान्तरण हुए हैं और आपके समय में स्थानान्तरण हुए उनको आप अध्यक्ष महोदय को बता देना।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 23 हजार तो, यह कौन-सा पत्र है, बिल्कुल गलत है। आपको, यह मैं चेलेन्ज करता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप चेलेन्ज ही करते रहो, मैं कहता हूं आज मेरे वक्त में जितने स्थानान्तरण हुए और आपके जितने स्थानान्तरण हुए हैं उनकी सूची अध्यक्ष महोदय को दे दीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : चलो इस बात पर यह चेलेन्ज। मेरे टाइम में हुये उससे आपने डेढ गुणे नहीं किये हो तो आप जो कहे कर दूं। जितना मैने किये हैं उससे डेढ गुणा आपने किये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैने आपके मुकाबले आठवां हिस्सा ही नहीं किया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैने एक ट्रान्सफर नहीं किया, आपने हजारों ट्रान्सफर किये हैं। सारा डिपार्टमेण्ट यह कहता है कि कल्ला साहब के टाइम में सेक्रेटरिएट में केवल ट्रांसफर होते थे और कुछ नहीं होता। इस बात को डिपार्टमेण्ट के आफिसर कहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मिनिस्टर लोग, मैने तो एक आंकड़ा दिया है कि लगभग 23 हजार ट्रान्सफर किये। आप बता दीजिये मेरे समय में कितने ट्रान्सफर हुये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं कह रहा हूं 25 हजार आपके टाइम में हुये, मेरे टाइम में नहीं हुये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे वक्त में 25 हजार ट्रान्सफर हुये तो आप सदन की मेज पर लाकर रख दें फिर पता लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, सारे विभागों में जो ट्रान्सफर हुये हैं उससे स्टेट एक्सचेकर के उपर लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुयी है जो निश्चित रूप से

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह आंकड़े आप कहां से लाये हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं अन्तर्राज्यीय विवाद के बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप गाल बजाते है लेकिन डेढ वर्ष में कितना अतिरिक्त पानी और कितनी बिजली जो मुद्दे उन्होंने उठाये डेढ वर्ष में उन्होंने कितना अतिरिक्त पानी और बिजली राजस्थान को दी और मैं यह चेलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं डेढ वर्ष में डेढ मेगावाट बिजली राजस्थान में नई जनरेट नहीं हुई।

कांग्रेस के शासन में 1985 से, और 1990 के बीच लगभग 1 हजार मेगावाट बिजली राजस्थान के ग्रिड में जुड़ी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

थी और प्रत्येक वर्ष में 50 हजार हैक्टेयर में नया इरिगेशन का पोटेन्शिल क्रियेट हुआ था। हमारी योजनाओं में जरूर 10–15 हजार इरिगेशन का पोटेन्शिल क्रियेट हो गया होगा लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई नया इरिगेशन को पोटेन्शिल क्रियेट नहीं किया।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि हमने यह कराया है और भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। कितने भ्रष्टाचार के मामले जो उन्होंने उठाये थे उनके बारे में ही नहीं बेरी आयोग को जो मुद्दे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में अब तक उठाये हैं उनको बेरी आयोग को देकर उनकी जांच करा लें और उनकी रिपोर्ट आने वाले समय में सदन में प्रस्तुत कर दें। माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब पब्लिक सेक्टर के बारे में कहा करते थे, पी. यु. सी. के जब चेयरमैन थे उस समय यह कहा करते थे कि पब्लिक सेक्टर जो हैं वे घाटे का सौदा हैं और अधिकांश पब्लिक सेक्टर घाटे में चलते हैं। उन घाटे के पब्लिक सेक्टर को आपने बन्द करने के बारे में क्या कार्यवाही की। क्यों स्टेट एक्सचेकर को चुना लगाया जा रहा है।

इसी तरह से अन्य अनेक मामले हैं, मैं दो तीन बातें सम अप के रूप में कह कर फिर पानी और उसके बारे में कहूंगा। पिछले डेढ वर्षों में हरिजनों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। प्रदेश में अधिकांश दंगे हुये उनकी न्यायिक जांच नहीं हुयी, उसकी कोई रिपोर्ट यहां पर अभी तक नहीं आयी है। अध्यक्ष महोदय, साहवा गंधेली जिस पेयजल योजना के बारे में हमारे नेता महोदय ने जिक्र किया उस योजना को जानबूझ करके यह सरकार पुरा नहीं कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर का बीछवाल का जो जलाशय है उसको जानबूझ कर डेढ साल से रोके हुये हैं। बीकानेर में जो योजना 75 लाख से बन कर तैयार होने वाली थी आज उसकी राशि लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपये हो गयी। जो लोग इसको जानबूझ कर रोक रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं करते। आपकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिये। या आप जानबूझकर यह कह रहे हैं। आप इन योजनाओं को जानबूझकर देरी से क्रियान्वित करने के लिये जिम्मेदार होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। इसी तरह से मानसी वाकल योजना, बीसलपुर परियोजना और जोधपुर की जो इन्दिरागांधी नहर परियोजना है उसके माध्यम से पेयजल योजनाओं को आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्त में माननीय मुख्य मन्त्रीजी सब को कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, आप हमें मामला लाकर दीजिये। एक मामला भारतीय जनता पार्टी के महावीर कौशिक ने जो राजनगर के रहने वाले हैं उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी को दिया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कार्यवाही की होगी और नहीं की है तो वह मैं सदन की टेबल पर रखता हूं । यह माननीय खनन मन्त्रीजी के बारे में है । माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस सदन की टेबल पर रखने वाले पत्र पर मुझे आशा है उचित कार्यवाही करेंगे । ऐसे अनेक मामले हैं जो हम बाद में रखेंगे । यह टेस्ट एक तरह से हो जायेगा कि राज्य सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है या नहीं चाहती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल । (अनुपस्थित) श्री रामकिशोर सैनी (अनुपस्थित) श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थित) ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आन एं पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये । श्री शिवकिशोर सनाढ्य । (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन एं पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन । वह यह है, यह जो सदन की टेबल पर अभी कागज रखा गया है । यह कागज जो कल्ला साहब ने रखा है इसमें पर्वतीय न्यू तहसील आमेर में, जो मार्बल के प्लाट स्वीकृत किये उनकी सूची है । यह लिखा है, 28 वर्ष हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, कमाल है, यह क्या बात हुई ।

श्री अध्यक्ष : देखिये आप समझदारी कर रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कोई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई ।

श्री अध्यक्ष : न तो मैंने सदन की मेज पर रखने के लिये आपको परमिशन दी है और न मैं दे रहा हूं इसलिये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में ...

श्री अध्यक्ष : उनको जो कहना था कह दिया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं सिर्फ, अध्यक्ष महोदय, सुनो तो सही ।

श्री अध्यक्ष : वकील साहब सदन में जब माननीय सदस्य स्वयं बोल रहे थे तो उनकी वकालत अब आपको करने की जरूरत नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं वकालत नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : उनको बोलना था, बोल दिया । श्री फूलचन्दजी गुर्जर ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा, आप बात तो सुनें । यह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

क्या बात है । अध्यक्ष महोदय, सुनिये (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय, प्लाज नम्बर-28, फाइल नम्बर 324 ......

श्री अध्यक्ष : देखिये, आगे और लोग बोलने वाले हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कालू लाल गुर्जर, 11-3-91, 5-7-91........

श्री अध्यक्ष : और लोग बोलने वाले हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन लिया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात ।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन लिया । आप मंत्रीजी को दे दीजिये । आपकी जो एप्लीकेशन है वह गृह मंत्रीजी को दे दीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आरोप नहीं जांच के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं जांच भी नहीं कराना चाहता । मैं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : साहब, यह गलत रख रहे है, साहब, मेरा नाम आपने पुकार लिया है और इनको अलाउ कैसे कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज एक मिनट बैठिये, वह कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं । हां। बोलिये क्या है । (व्यवधान) ......

प्लीज । एक मिनट । इनका स्पष्टीकरण सुन लेने दीजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह आमेर के अन्दर प्लाट नम्बर 28, फाइल नम्बर 324 ......

श्री फूलचन्द : साहब, यह गलत कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कालूलाल गुर्जर मंत्री, 14-3-91, 5-7-91 (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री फूलचन्द : यह बिल्कुल गलत कह रहे है । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सुनिये आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुये है । अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ।

एक माननीय सदस्य : क्या जानकारी, कौन सी जानकारी लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे है कि यह पत्र मिला कि नहीं मिला ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : श्री कालूलाल गुर्जर को स्वयं खान अलाट हुई सवाल यह नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है, सवाल यह है कि 14-5-91, 5-7-91, को जो स्वीकृति निकली है यह कोई मंत्रीजी खुद है क्या। इनको खान अलोट हुई है। यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। हां, बोलिये फूलचन्द जी।

श्री कालूलाल गुर्जर (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदस्य ने जो यह सूची दी है उसमें वह कालू लाल गुर्जर वहीं का निवासी है, खातेदार है और अगर मेरा हो तो वह कहे, जितना चैलेन्ज करना चाहे मैं चैलेन्ज स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। यह नई पर्वती का निवासी कालूलाल गुर्जर है। कालूलाल गुर्जर हजारों हो सकते हैं। इसका मतलब यह किस तरह से आरोप लगा रहे हैं।... (व्यवधान)।

यह पता तो करते नहीं। वहीं का खातेदार, वहीं का मूल निवासी, जिसका कोई लेना देना नहीं। और झूठे आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)।

(1.00 मध्य-रात्रि)

डा. चन्द्रभान : मंत्री महोदय ने यह कहा कालूलाल गुर्जर दूसरा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं एप्रोप्रिएशन बिल पास करा रहा हूं। देखिए, अब मैं आपको डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा। बिराजिए आप।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल समस्या के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारा सीकर जिला ऐसा जिला है जो किसी नहर से नहीं जुड़ा हुआ है, वहां पर पानी के स्त्रोत हैण्ड पम्प हैं या पानी की टंकियां हैं। मंत्री महोदय को दो तीन बात कहूंगा। हैण्ड पम्प योजना गांव की अच्छी योजना है लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार के विकार हैं जिससे उसका जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। मरम्मत की योजना पंचायत समितियों को सौंप रखी है, इससे हैण्ड पम्प की मरम्मत ठीक ढंग से नहीं हो पाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : मैं दो तीन बातें मंत्री महोदय के सामने रखता हूं। आज नीचे के अधिकारियों के कारण काफी योजनाओं में इस प्रकार की विकृतियां आ गयी हैं, काम में रुकावट आ गयी। मंत्री महोदय की काबलियत और ईमानदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है लेकिन आज एक अधिशाषी अभियन्ता लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है। मैं नीमका थाना के बारे में दो तीन बातें कहूंगा वह नोट करें और उनकी जांच करायें और अगर यह गलती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए। हमारे यहां पर पाइप की कोई कमी नहीं है लेकिन आज भी जो पानी की योजनाएं हैं वहां पाइप का अभाव बताकर उन्होंने

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

बंद कर रखी है इससे बहुत बड़ी परेशानी जनता को हो रही है।

इसके साथ-साथ मैंने उनके कुछ मामले प्रश्न के माध्यम से उठाये थे। समरसैट मोटर होती है वह रिपेयर करने के लिए हमारे यहां से सीकर जाती है उसके टेण्डर हुए है। 90-91 में जो टेण्डर हुए थे और अब जो टेण्डर हुए है लेकिन आप एक सबसे बड़ा उदाहरण देखें उन्होंने ऊंची रेट पर 91-92 के टेण्डर एस. ई. को स्वीकृति के लिए भेजे हैं जबकि उससे कम रेट वाले को स्वीकृति नहीं दी है। यह जांच का मुद्दा है। मैंने प्रश्न लगाया था उसके बाद इसको रोक दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने 12.9.91 को कुछ कामों के लिए टेण्डर तय किये थे। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह हो रही है कि वहां कोई ठेकेदार काम नहीं करना चाहता है।

श्री अध्यक्ष : हालत कहेंगे तो दो मिनिट तो हो चुकी है, तीन मिनिट बाकी हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक, आप देखिए 12-9-91 को जो टेण्डर रखा उसमें एक भी ठेकेदार ने टेण्डर नहीं लिया। इसके साथ-साथ उन्होंने छाता, सैल, बिजली का सामान ऐसा घटिया सीकर से खरीदा जिसका सब कर्मचारियों ने बहिष्कार किया। जो छाता 50 रुपये में आता है उसको 100 रुपए का खरीदा है यह भी जांच का विषय है। इसके साथ-साथ उन्होंने बिजली फिटिंग के रूप में 10-10 हजार में सारा बजट खत्म कर दिया और उसमें भयंकर शिकायतें आयी हैं। इस लिए ऐसे आदमियों ने जो लूट मचा रखी है उससे कामों में रुकावट आ रही है। काम भी ठप्प पड़ा है। कोई सरकारी ठेकेदार, प्रायवेट ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। इसकी जांच करें। एक मेरा और निवेदन है कि कण्टीजेन्सी का जो हैण्ड पम्प है जो जून में लग जाना चाहिए था वह आज तक नहीं लगा है, अधूरा पड़ा है। गर्मियों में हैण्ड पम्प आज तक नहीं लगे, क्यों नहीं लगे ?

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। हो गयी आपकी बात।

श्री हीरालाल इन्दोरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुरा): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में पेयजल की समस्या है कहीं व्यवस्था की वजह से समस्या है, कहीं पर पानी की शोर्टेज की वजह से समस्या है। मैं जिस क्षेत्र में आता हूं वहां अव्यवस्था की वजह से जल समस्या बनी हुई है। बहुत से रीजन हैं इसके।

राजस्थान में सबसे पुरानी गंग कैनाल आयी तो तब कोलोनाइजेशन हुआ था वहां पर डिग्गियों से पानी दिया जाता था लेकिन जबसे सरकार ने अच्छा पानी मुहैय्या करने की कोशिश की है, तब से समस्या बन गयी। समस्या क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में दो तरह से पानी दिया जाता है या तो हैण्ड पम्प हैं या वाटर वर्क्स है। वाटर वर्क्स की पानी की डिग्गियां हैं। पानी कैनाल से दिया जाता है और कई जगह तो वाटर वर्क्स की डिग्गियों का जो तला है, कच्चा छोड़ दिया

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

गया है उसमें पानी रूकता ही नहीं या फिर डिग्गयों के चैनल को इस तरह घुमाकर दिया गया है कि एक तरफ तो ए माइनर है दूसरी तरफ बी माइनर है। ए माइनर दो किलोमीटर है और बी माइनर तीन किलोमीटर पर है। पैसा कमाने के कारण चैनल बड़ी की है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बहुत सी बात जो गंगनहर, गंगानगर के बारे में नहीं जानते हैं, उसको समझाइये।

श्री हीरालाल इन्दोरा : यह कहीं दो किलोमीटर है कहीं तीन किलोमीटर है। एक केनाल 'ए' केनाल है, दूसरी केनाल 'बी' केनाल है अब डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वह इस बात से कोशिश करते हैं कि जितनी बड़ी, लम्बी चेनल बने उतना ही कमीशन ज्यादा बनेगा। जब दो किलोमीटर पर एक केनाल है तो तीन किलोमीटर से चेनल बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? तीन किलोमीटर चेनल का रखरखाव करने के लिए ज्यादा मुश्किल होती है गंगानगर में जितनी भी चेनल हैं वह टूटी हुई है। एक बार टूट गयी तो दुबारा नहीं बन रही है। दूसरी समस्या, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की यह है कि पानी नहर से निकलता है हैण्ड पम्प का पानी खारा है और जब योजना बनाकर भेजते हैं तो हैड आफिस से जवाब मिलता है कि इरिगेशन से बात कीजिए कि वह पानी दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे। जब पेपर ऊपर आते हैं तो, एस्टीमेंट बनाकर भेजते हैं तो यहां से वापस उसको गंगानगर में लौटा देते हैं और पूछते हैं कि इरिगेशन वालों से पूछो पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इरिगेशन वाले कहते हैं हम पानी नहीं देंगे। पीने के लिए पानी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां जमीन के नीचे पानी मीठा नहीं है, हैण्ड पम्प खारे हैं, कुवे नहीं है। एक मात्र सोर्स है गंग केनाल का है उसके अन्दर भी इरिगेशन वाले पानी वाटर वर्कस को नहीं दें, यह अच्छी बात नहीं है मैं पूछता हूं खुद संयुक्त जिम्मेदारी है, सरकार एक है तो इरिगेशन और पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर को आपस में अण्डरस्टेण्डिग करके यह तय करना चाहिए कि पीने के पानी की आवश्यक बड़ी है और इसमें प्रायोरिटी बेसिस पर पानी मिलना चाहिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा इश्यू है डोमेस्टिक कनेक्शन का। आवश्यकताओं का कभी अन्त नहीं होता है एक के बाद दूसरी उत्पन्न हो जाती गंगानगर में पीने का पानी उपलब्ध है लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं देते हैं तो गंगानगर का नागरिक यह महसूस करता है कि सरकार की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला।

जब कोलोनाइजेशन हुआ था तो डिग्गियों से पानी पीते थे और उसमें ही पाइप डालकर घरों में पाइप ले जाकर उससे पानी लेते थे। सरकार ने गारण्टी दी हम आपको स्वच्छ पानी देंगे और आपके घरों तक पहुँचायेंगे तो हमारी इच्छाएं बढ़ गयीं। इसलिए हम चाहते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन गंगानगर में अलाउ कराये जांय जितनी जल प्रदाय योजनाएं हैं उसके लिए पैसा आयेगा वह उससे मेनटेन होंगी और खर्चा भी सरकार को वहन नहीं करना पड़ेगा।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तीसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से आर. एस. ई. बी ने तय कर रखा है कि जिस गांव से होकर बिजली जायेगी वहां पर हरिजन बस्ती को पहला कनेक्शन मिलेगा, हरिजन बस्ती में पहला खम्भा लगेगा। इसलिए मैं पी. एच. ई डी. मिनिस्टर से निवेदन करूंगा आप भी नीति निर्धारित करें जिस गांव की पेयजल योजना मंजूर होगी वहां पहला हैण्ड पम्प या कनेक्शन हरिजन बस्ती में लगेगा।

दूसरी बात मंत्री महोदय आप फिल्टर इक्विपमेंट देते हैं। आपने बहुत से इश्यू भी किये हैं।

आपने कभी यह देखा है कि आपके कितने फिल्टर इक्विपमेण्ट काम कर रहे हैं मेरी जानकारी में जहां तक है आपके 80 प्रतिशत फिल्टर इक्यिपमेण्ट काम नहीं कर रहे हैं आप दूसरे की परमिशन बार बार देते हैं। आप देखिये, उनकी जांच कीजिए तो आपको पता लगेगा कि कितने फिल्टर इक्विपमैण्ट डैड पड़े हैं, वे काम नहीं कर रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिग्गियों के बारे में बात करना जानता हूं।

(व्यवधान)

ठहरिये, मैं तो कभी कभी बोलता हूं। गांवों में डिग्गियां पहले सार्वजनिक हुआ करती थीं। एक मुरब्बे की आबादी है, दो मुरब्बे की आबादी है, चार मुरब्बे की आबादी है, उसके हिसाब से डिग्गियां हुआ करती थी। गांव के लोग अपने आप साफ कर लेते थे। जब से पी. एच. ई. डी की स्कीम बनी, डिग्गियों में पानी की सफाई बिल्कुल नहीं होती। गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं, पानी पीकर देखिए बदबू आ रही है। मेण्टिनेन्स का काम पी. एच. ई. डी. के लोग करेंगे, सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस बहुत है। इनके अधिकारी हम लोग बताएं उसके बाद जाते हैं। कहीं चैनल टूटा हुआ है तो कहीं पाइप लाइन टूटी हुई है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है, कहीं मोटर जली हुई है। जहां सारी चीजें अवेलेबल हैं, पानी अवेलेबल है उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्था है, उसको दूर करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट और है मेरा गंग कैनाल के सम्बन्ध में, इरिगेशन सिस्टम के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का सबसे पुराना इरिगेशन सिस्टम गंग कैनाल टूट गयी जगह-जगह से। 2700 क्यूसेक्स पानी गंगनगर में आये उसके लिए 1982 में लिंक चैनल योजना बनायी गयी थी। लिंक चैनल योजना की लाइनिंग का काम 1989 में पूरा हो चुका 76 किलोमीटर। पुल बन गये, उन पुलों पर सड़कें बन गयीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल, पौने दो साल के अन्दर यह सरकार एक काम नहीं कर पायी। सरहिन्द फीडर पर क्लोजर लेकर साइफन बना सके, राजस्थान कैनाल पर क्लोजर लेकर हैड बना सके, यह सारे काम यह सरकार नहीं कर पायी पौने दो साल में।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इरिगेशन मिनिस्टर महोदय से आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरहिन्द फीडर पर क्लोजर लेकर साइफन बनाने का काम शुरू कीजिए, राजस्थान कैनाल पर क्लोजर लेकर हैड बनाने का काम कीजिए।

(व्याधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यह दोष किसका है ? इससे पहले तो आपकी सरकार थी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मन्त्री महोदय जाते हैं, भाषण देते हैं, पर एक भी काम नहीं हुआ। रोजाना भाषण देते हैं लिंक चैनल बन गयी। कैनाल बन गयी। 1989 में मन्त्री होकर मैंने काम शुरू किया था एक नवम्बर को। तब से काम वैसा का वैसा पड़ा है।

श्री डूंगरराम पंवार : इससे पहले तो आपकी सरकार थी, क्या करते रहे आप ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सात तहसीलों की जीवनदायिनी गंग कैनाल का जीर्णोद्धार करने के लिए रेगुलर हैड बनाना चाहिए, साइफन बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री प्रकाश बैरवा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

क्या आप या सैक्रेटरी साहब आज हमको यह सर्टिफिकेट देंगे कि विधान सभा दो बजे तक चली थी ? नहीं तो हमारा तो घर पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या जवाब देंगे कि दो बजे तक कहां थे ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपसे सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं कि कोई बोलने वाला नहीं बचा। और कोई सर्टिफिकेट मिले या नहीं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह बिजली वाली डिबेट को तो लगातार करा लो सर्कुलेट भी हो गया और वेवेश्चन आकर सुबह हो जाएगा 11.00 बजे।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जयपुर जिले से संबंधित होने के कारण पेयजल के बारे में जयपुर की बात बताना चाहता हूं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जलदाय मंत्रीजी जयपुर के हैं और जयपुर के अन्दर पांच विधायक बी. जे. पी. के हैं, लेकिन एक भी विधायक ने जयपुर की पानी की समस्या के बारे में कोई विचार नहीं किया, कोई प्लान नहीं बनाया, कोई बात नहीं रखी। इसलिए मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम आप जयपुर के बारे में तो सोचें। दूसरों को पानी पिलाने की बात करते हैं और स्वयं प्यासे मर रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : किताबें बिना कुंजी के मिल रही है कि नहीं ?

श्री सम्पतसिंह : आप तो यह बोलो कि किताबें किस भाव से मिल रही हैं।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : किताबें आपको सही तरीके से उपलब्ध होने लग गया, चिन्ता मत करो।

गत विधान सभा सत्र के दौरान मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था, सरकार से निवेदन किया गया था कि जयपुर के बारे में कोई स्कीम बनावें। जयपुर को छोड़कर सभी बड़े-बड़े शहरों में, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर में पानी की बड़ी-बड़ी स्कीम बनी हुई हैं जिनसे उन शहरों का स्थायी समाधान होता है। लेकिन जयपुर के लिए आज तक पानी की समस्या के समाधान के लिए किसी स्थायी योजना की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, वे आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। पांच शहरों में वे आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बड़े शहरों में बना दी।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की अगले 20 साल की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए या तो चम्बल नदी से या फिर जो कह रहे हैं कि राजस्थान कैनाल का पानी फालतू जा रहा है उस राजस्थान नहर के पानी को बीच में जितने भी शहर पड़ते हैं, जैसे सीकर, जयपुर की तरफ डाइवर्ट करके जयपुर जिले को... (व्यवधान)....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। फागी और चाकसू के अन्दर दो जलदाय योजनायें बनी हुई हैं। दोनों 1978 में बनी थीं। लेकिन दोनों ही योजनाओं में फ्लोराइड युक्त पानी है, इसलिए दोनों योजनाओं की जगह नयी स्कीम बनायी जाय और सारे गांवों को उस स्कीम से जोड़ा जाय।

मेरा दूसरा निवेदन है कि बीसलपुर योजना से जयपुर को पानी देने की चर्चाएं चल रही हैं। जब भी बीसलपुर की योजना जयपुर के लिए लागू की जाय तो फागी, चाकसू और सम्बन्धित क्षेत्र के जो गांव पड़ते हैं उनको इस योजना से जोड़ने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हेतराम।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : एक बात और कहना चाहता हूं। पुलिस से सम्बन्धित बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलो तो अच्छा है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : चाकसू में एक डकैती काण्ड हुआ था गत वर्ष। उस डकैती काण्ड के अन्दर रफीक नाम का लड़का डाकुओं से संघर्ष करता हुआ मारा गया था। विधान सभा में गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि या तो उसको इनाम देंगे या उसके परिवारजन को सरकारी सेवा या कहीं लगाएंगे, लेकिन सरकार ने आज तक न तो जो व्यक्ति घायल हुए उनको कोई राहत राशि दी और न उसके परिवारजन को कोई सहायता दी। इसके अलावा चाकसू में एक बम काण्ड और हुआ था, फर्जी बम काण्ड। उसमें तीन व्यक्तियों को टाडा के अन्दर

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

बन्द कर रखा है । मेरा निवेदन है कि उन लोगों को टाडा....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री हेतराम जी, बोलिए ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, विशेष तौर से माननीय भैरोंसिंह जी ने एक तस्वीर हमारे सामने पेश की थी और यह कोशिश की थी कि राजस्थान में आज तक जो राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपता रहा है उसके खिलाफ वे अपनी टीम को लेकर संघर्ष करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि राजस्थान की नयी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (दिग्विजय) की सरकार में मंत्रियों के खिलाफ, मंत्रियों की ट्रांसफर नीति के कारण, उनके पक्षपात और जातिवाद के कारण जो वातावरण बन रहा है, निश्चित तौर से यह स्थिति आ गई है कि आज पुलिस में ट्रांसफर के कारण जो असन्तोष हाइएस्ट लेवल, डी. जी. लेवल तक फैल चुका है । एक डी. जी. के खिलाफ एक डी. जी. होमगार्ड्स को लगाया जाता है । कभी एक एस. पी. के खिलाफ दूसरे एस. पी को लगाया जाता है । जातिवाद का पूरा बोलबाला है । एक पक्ष से लेकर दूसरे पक्ष तक ट्रांसफर एक ही शर्त पर होते हैं । ट्रांसफर के लिए पूरी तरह पक्षपात । एक-एक जगह सी. ओ., मैं गगानगर और बीकानेर की बात कह सकता हूं कि एक-एक सी. ओ. के ट्रांसफर के लिए, आम चर्चा है कि एक-एक लाख रुपये....

एक माननीय सदस्य : पी. एच. ई. डी. के बारे में क्या चर्चा है, 90 से पहले स्कीम बनी थी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से किसी मंत्री का साला, किसी मंत्री का जंवाई, किसी मंत्री का बेटा सारे ट्रांसफर्स की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। वह वातावरण क्या बना रखा है राजस्थान की राजधानी में । पिछले दो महीनों तक जब तक ट्रांसफर की नीति खुली रही तो एक ही काम सारा का सारा । आज मैं मानता हूं कि कुछ मंत्री हैं जो अड़े हुए हैं ट्रांसफर ना हों पर क्या यह सही नहीं है कि इरिगेशन विभाग में ट्रांसफर के लिए मंत्री जूते लेकर सैक्रेटरिएट में आपस में लड़े, लड़ाई हुई लिस्ट पर और लड़ाई के बाद फैसला हुआ कि दो महीने इसको रोक दिया जाय... (व्यवधान)

मैं मंत्री जी, उदाहरण दूंगा, मैं उन मंत्रियों के नाम बताऊंगा जो जूतों से लड़े । माननीय अध्यक्ष जी, क्या ट्रांसफर्स, सारे विभागों में ट्रांसफर्स हुए, इरिगेशन में ट्रासफर्स रोके गए, क्या वजह थी ? लिखा यह गया कि इरिगेशन में फ्लड है, कौनसे राजस्थान के हिस्से में फ्लड था ? कौनसी नहरों में फ्लड था ? किसी नहर में फ्लड नहीं । यह फ्लड था पैसों का, लड़ाई का, आपस के बंटवारे का ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ । बिल्कुल गलत है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिल्कुल गलत है। हां, नहीं हुआ बिल्कुल। पैसों में लड़ाई हो गई नहीं हुआ। मैं भी कह रहा हूं...

श्री विजयसिंह झाला : आप एक भी बताइए।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय हेतराम जी, बरसात हो रही थी, बरसात के कारण अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया, कुछ दिमाग से भी काम लो...

श्री हेतराम बेनीवाल : ये कौन बोल रहे हैं?

श्री जगतसिंह दायमा : जो आप कह रहे हैं...

श्री विजयसिंह झाला : यह तो बरसात के कारण रोका था।

श्री हेतराम बेनीवाल : हां, हां, वह तो ठीक है। बरसात आ गई थी।

श्री जगतसिंह दायमा : बरसात हो गई थी इसलिए रोका था।

श्री हेतराम बेनीवाल : बरसात में ट्रांसफर बह गए....

एक माननीय सदस्य : कुछ सुनने की क्षमता रखो भाई।

श्री जगतसिंह दायमा : मेरे डिपार्टमेंट में बताओ एक भी ट्रांसफर हुआ हो तो ?

एक माननीय सदस्य : नहीं हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : ठीक बात है। आपके हाथ में कुछ है नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं मानता हूं कि कुछ आदमी सच्चे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, आज ट्रांसफर्स में राजस्थान में मैं आपसे निवेदन करूं इसी शहर के अन्दर जयपुर शहर में, राजधानी में जिस जगह 200 विधान सभा सदस्य बैठते हैं, आज कानून की हालत यह है, आज पुलिस की की व्यवस्था इस तरह की बना रखी है इस ट्रांसफर की नीति में एक वर्ग के लोग जिस तरह से मर्जी आये उस तरह का नियंत्रण शहर पर रखते हैं। आप देखें कि जो प्राइवेट बसें चलन करती हैं, यह पुलिस के संरक्षण में करती है, एक-एक बूथ पर 70 रुपये डेली पेमेण्ट होता है डेली का डेली। मेरे पास उन लोगों के नाम हैं जो पेमेण्ट करते है। वह प्राइवेट बूथ्स के अन्दर वही पेमेण्ट नहीं करते हैं। एक होस्टल है इन बूथ्स के पास में राजहंस होटल के सामने। उस होस्टल के लड़के भी जाते हैं और उनसे 50-50 रुपये लेते हैं। इस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है। इसका कारण यह है कि यह बोल-बाला हो गया है जातिवाद का, पूरी तरह से राजस्थान की राजनीति में, सारे पुलिस विभाग में छाया हुआ है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन एक मंत्री जी से, अभी गुर्जर साहब ने कहा कि उनका कोई नहीं है, मैं मानता हूं कि उनका कोई नहीं होगा। तो क्या गुर्जर ही गुर्जर हैं जिनको खान दी जाय और कोई है ही नहीं ? मारबल की खान

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अगर यह इन्कार कर दें। मेरे पास 30 नाम हैं— उनमें धर्मचन्द जी गुर्जर....

श्री जगतसिंह दायमा : वह धर्मचन्द जी हैं इसलिए है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसमें शंकरलाल जी गुर्जर .

जगतसिंह दायमा : शंकर भगवान हैं इसलिए है

श्री हेतराम बेनीवाल : उसमें महेन्द्र कुमार जी गुर्जर, उसमें अरविन्द कुमार जी गुर्जर, गोपीलाल जी गुर्जर और फिर कालूलाल जी, हो सकता है कि वे कालूलालजी नहीं हो और कोई कालूलालजी हो पर ये बिजोलिया माइन्स में 25 लोगों को ठेके दिए गए जिसमें से 18 सिर्फ.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (उप मंत्री) : अपने गंगानगर पी. एच. ई. डी. पर बोलो ना 1990 से पहले जो स्कीम बनी हुई हैं वह सारी ध्वस्त हुई पड़ी हैं, उन पर नहीं बोल रहे हैं और इस पर जा रहे हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : आप बता दो एक लिस्ट में....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह कहना चाहूंगा....

श्री जगतसिंह दायमा : आप बता दो कि गुर्जर आई.ए.एस. और आई. पी. एस. कितने हैं, जातिवाद किस में और किस में नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं....

श्री जगतसिंह दायमा : क्या बात कर-दी आपने ? आप एक जाति का नाम ले रहे हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं....

श्री जगतसिंह दायमा : यह बताओ ना कि आपने कितनों का किया है। 4 नाम ले दिए और यहां पर खड़े हो गए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप बिराजिए।

श्री जगतसिंह दायमा : यह आपकी जानकारी में नहीं है....

श्री शान्तिलाल चपलोत (गृह राज्य मंत्री) : राजस्थान में कितने माइन्स के प्लाण्ट्स हैं यह भी बताइए।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय श्री हेतराम जी चैनल बने हुए अधूरे पड़े हैं, पी एच. ई. डी. पर बोलिए 1990 से पहले।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर में 200 माइन्स हैं और वह सारी मालियों की हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-दो माननीय सदस्य बोल रहे हैं इन दोनों वक्ताओं में जातिवाद की बू आ रही है...

एक माननीय सदस्य : ये खुद जातिवाद के गुलाम हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाने वाले ये लोग है....

एक माननीय सदस्य : माननीय श्री बेनीवाल जी के लोगों को रखें ....

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : माननीय श्री हेतराम जी यह बतायेंगे कि बिजौलिया किस तरह का गांव है। बिजौलिया में कौनसी कौम के लोग बसते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें समाप्त करने दीजिए ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : बिजौलिया गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है......

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें समाप्त करने दीजिए। आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान)।

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर क्यों इन्कार करते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें समाप्त करने दीजिए ना। बाद में बोल लेना।

श्री जगमाल सिंह यादव : वहां के लोगों को पहले देंगे बाहर के लोगों को कैसे देंगे ?

श्री जगतसिंह दायमा : उसमें लेंगे कौन ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आप गलत कह रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की बात आप नहीं कर रहे हैं बिजौलिया के एम. एल. ए. से पूछिए।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां। आप विराजिए श्री जुबेर खां जी बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सारी बातें मनगढ़न्त नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया, आप बिराजिए।

श्री जगतसिंह दायमा : यह गुर्जर है, +++ गाय को। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। (व्यवधान)। यह क्या हो रहा है ? विराजिए ना, आप बैठिए।

श्री जगतसिंह दायमा : गुर्जर है इसको मार लो।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक शब्द क्या है ? बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मैंने प्रश्न खड़ा किया है राजस्थान की जनता के सामने वह मैंने इसीलिए खड़ा किया है कि आज जिस तरह से सरकार की छवि गिरी है जनता में उसने राजस्थान के लोक सभा चुनावों में उसका असर जाहिर किया है। और मेरी समझ में (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : भाई इनका जवाब श्री हरिसिंह जी दे देंगे।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई

(श्री अध्यक्ष)

आप श्री जुबेरखां जी से बोलिए। वह श्री हरिसिंह जी दे देंगे उसका जवाब। आप बोलने वाले हैं ना?

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : एक सीट गलती से आ गई। ऐसे संकुचित विचार वालों को आगे आने वाले चुनावों में (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब श्री हरिसिंह जी बोलने वाले हैं। (व्यवधान)।

आप काहे को उतावले हो रहे हैं श्री हरिसिंह जी बोलने वाले हैं। वह गुर्जर हैं अपनी जाति के ...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : ऐसे संकुचित विचार वालों के लिए एक भी सीट नहीं आयेगी।

श्री जगतसिंह दायमा : ऐसी विचार-धारा आपकी नहीं हो सकती वह कागज तो व्यास जी देकर गए हैं। आपके व्यास जी ने रोका वह व्यासजी ने इनको लिस्ट दी है। और कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। आप कई बात और क्यों छोड़ रहे हैं? ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : लोक सभा में क्या स्थिति रही?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा तो सम्भाल लो। आप क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री हेतराम जी ने गुर्जरों की जो लिस्ट दी है लीजेज के बारे में। इसमें नियम यह है कि खातेदार जो खुद हैं और खातेदार खुद की जमीन में खुद लीज लेना चाहे तो उसको लीज प्राथमिकता से मिलती है। और यह एक ही परिवार के आदमी हैं इसकी जांच करवा ली जाय और किसी का लेना देना नहीं है, एक परिवार के आदमी हैं और उनके खुद के खाते की जमीन में लीज ली गई है और वे वहां से लिस्ट ले आये और केवल गलत प्रचार करने के लिए यह लिस्ट लाये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप अब बैठिये।

श्री जुबेर खां। (व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप शुरू करिये। आपकी आवाज तो सबसे ऊपर है।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर चर्चा सदन में हो रही है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शायद मुख्य मन्त्रीजी भी कहीं न कहीं मेरी बात माइक्रोफोन पर बैठकर सुन रहे होंगे कि जिस तरह से पिछले डेढ़ साल से राजस्थान प्रान्त में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, पार्टी के कार्यकर्ता, मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तरह-तरह की यातनाएं दी जा रही हैं पीड़ित किया जा रहा है। मैं उस

(श्री जुबेर खां)

सम्बन्ध में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप प्रोवोकेटिव भाषा मत बोलिए। आप अपनी बात कहिए, शालीनता से कहिए।

श्री जुबेर खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दंगे भड़काने की कोशिश की है। मैं टाडा के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : यह राजस्थान के अमन-चैन को खतम करना चाहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : हां कहिए।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, यह कहां का न्याय है, इस सदन में बैठा हुआ व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति यह कह दे कि वह आतंकवादियों की गतिविधि कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि 12 लोग ऐसे हैं जो 65 साल से अधिक उम्र के हैं और टाडा में बन्द है। दो लड़के ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं और टाडा में बन्द हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना जारी रखें।

श्री जुबेर खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति ही दंगा फसाद करता है चाहे 89 में दंगा हो या रथ यात्रा के बाद हुआ हो, वह लोग ही बन्द हैं। सरकार यह स्पष्ट कर दे कौन बहुसंख्यक समुदाय का व्यक्ति टाडा में बन्द है सिर्फ अल्पसंख्यक लोग बन्द हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, कोटा में एक हजार बम पकड़े गये थे वह अल्पसंख्यकों के घरों में पकड़े गये थे ...

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति कश्मीर के आतंकवादियों को, पंजाब के आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है उसको पकड़ा जाता परन्तु जो मजदूरी करता है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है उसको सरकार ने टाडा में बन्द कर दिया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक हजार बम पकड़े गये थे। उनके घरों से पकड़े गये थे। क्या उनके घर फैक्ट्री लगी हुई थी? वह सब टाडा में बन्द हैं।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, बजरंग दल के सदस्य (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए। फिर आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्रीज रघुवीरसिंह जी कौशल।

श्री जुबेर खां : यदि बमों के साथ पकड़े जाते हैं उनको टाडा में बन्द नहीं किया जाता है पर एक मजदूर रात को दस बजे अपने काम से घर जाता है तो भी उसको टाडा में बन्द किया जाता है। अलवर जिले के रामगढ़ में भारतीय जनता

(श्री जुबेर खां)

पार्टी के लोग अगर बम बनाते हुए बम एक्सप्लोड हो जाता है उनको टाडा में बन्द नहीं किया जाता। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : बनाने वाले लोग, जो सबूत के साथ पकड़े गये हैं अगर उनको बन्द नहीं किया जायेगा तो दंगे बन्द नहीं होंगे (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय··· (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, कोटा में एक हजार बम पकड़े जाते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए आप बाद में बोलेंगे।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, आई वाण्ट योअर प्रोटेक्शन।

श्री अध्यक्ष : रघुवीरसिंह जी आप बाद में बोलेंगे। लेट हिम कम्पलीट। हां आप बोलिए।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, 27 जुलाई का वकया है··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनको सुन लें पहले।

श्री जुबेर खां : आज राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं। यह इस प्रकार के लोग हैं। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय यह कोई मुद्दा नहीं है··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, 27 जुलाई का वाकया है इसी वर्ष 1991 का।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देंगे इनका बैठिए आप। (व्यवधान)
हां बोलिए आप।

श्री जुबेर खां : 27 जुलाई, 91 का मामला है 18 वर्ष से असलम कैदी नाम का व्यक्ति विधान सभा के सामने मीर हाऊस के नाम से बुजुर्गों का मकान है पुस्तैनी का मकान है। 8 साल से दुबई के अन्दर काम करता है। 27 जुलाई की रात को उसके घरवाले सिंधी कैम्प पर बस में बैठाकर आते हैं वह दुबई जाने के लिए दिल्ली जा कर फ्लाइट पकड़ लेगा उस व्यक्ति को दुबई से तीन दिन बाद फोन आता है कि वह व्यक्ति तो इस फ्लाइट से पहुंचा नहीं। घरवाले धौलाकुआ पर रिपोर्ट करते हैं कि उसको धौलाकुआ पर उतरना था। वहां पर पता चला इस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। यहां पर आकर पुलिस में जांच करते हैं। मिस्टर भण्डारी हैं पुलिस महानिरीक्षक, वह कहते हैं हमारे यहां पर इस नाम का व्यक्ति कोई नहीं पकड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री के यहां पर जाते है, मुख्यमन्त्री जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है, उससे पहले वह उस

(श्री जुबेर खां)

कण्डक्टर और ड्राइवर से पता लगा कर जाते हैं तो वह कहते हैं कुण्डा के पास एक पुलिस चौकी की जीप आयी उन्होंने असलम जैदी नाम के व्यक्ति को उतारा और कहा हमको आप से पूछताछ करनी है आप हमारे साथ वापस चलिए सामान लेकर। वह वापस आ गया। मुख्यमन्त्रीजी ने मालूम किया तो पता लगा कि उसको पुलिस ने पकड़ रखा है और पकड़ किस संदर्भ में रखा है कि सी. बी. आई. में इनके खिलाफ एक केस चल रहा है उसकी जांच के लिए इनको पकड़ रखा है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : अब समय हो गया आप बैठिए।

श्री हरिसिंह।

श्री जुबेर खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : टाइम हो गया।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जाकर मालूम करने पर सी. बी. आई. में मालूम चलता है इस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की यातनाएं उस व्यक्ति को दी गई और सरकार कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष शासन देंगे। अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम हो गया, हरिसिंह जी बोलेंगे।

श्री जुबेर खां : मेरा निवेदन है कि आज उस व्यक्ति को जिसने पकड़ा है उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आखरी वक्ता श्री हरिसिंहजी बोलें। इन तीनों सूचियों के अन्तिम वक्ता हैं।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, अगर टाडा में बंद करना है तो इस हाउस में भी कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो इस लायक हैं कि उनको टाडा में बंद किया जाना चाहिए क्योंकि वह भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं ......

श्री अध्यक्ष : बिराजें हो गया आपका। श्री हरिसिंहजी आप बोलें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : हम को पाकिस्तानी होने का संदेह है। .... (व्यवधान)।

श्री जुबेर खां : कोई मुसलमान नहीं मिला होगा अगर कोई मिला होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे कोई एक उदाहरण बता दो की पाकिस्तान के लिए किसी मुसलमान ने आज तक जासूसी की है। मैं नाम बताता हूं कि आज तक किस किस जाति के लोगों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। यहां के सीक्रेट बेचे हैं। आप एक उदाहरण बता दो। आप देश भक्ति की बात करते हो, हमें देशभक्ति की बात सिखाते हो। पहले अपने गिरेहबान में झांककर देखो। रिकार्ड निकालकर

(श्री जुबेर खां)

देखो कि कौन-कौन जासूस आजादी के बाद से आज तक पकड़े गये हैं, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

हरिसिंह जी बोलिए आप।

डा. चन्द्रभान : किसी भी मुसलमान को टाडा में बन्द कर देना यह कहां का न्याय है ? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं ? यह क्या उपस्थित कर रहे है। क्यों वातावरण दूषित कर रहे है आप (व्यवधान)।

बैठिए आप। बिराजें। अमीन खां जी आप विराजें। (व्यवधान)।

श्री अमीन खां : एक मिनट (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बोलिए आप। फालतू यहां साम्प्रदायिकता फैलायी जा रही है। आप बैठिए। दोनों तरफ से, क्या बात है यह। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : एक सारे समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। (व्यवधान)।

मंत्री महोदय, बोलिए। ऐसा लगता है आप थक गये हो मैं पास करा देता हूं (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आज की मांगों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप। आपके मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि प्रत्येक भारतीय मुसलमान साम्प्रदायिक नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी बोलिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रिएशन बिल पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बोल लिये अब छोड़ो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बस पांच मिनट। आप आ गये बहुत बढ़िया बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलोगे मुझे कल बता देना मैं यों ही कर दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं मेरा निवेदन है। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं। एक मुख्य सचिव का आदेश है 24-10-89 का, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं उसमें

(श्री हरिसिंह)

उन्होंने हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया है और उस हाई कोर्ट के निर्णय में यह तय किया गया था कि वर्किंग अरेन्जमेंट्स पर किसी को प्रमोशन नहीं किया जायेगा और यह हाई कोर्ट का 10.7.89 का निर्णय है। उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है।

"No ad-hoc or stop-gap working arrangement made so far, shall be continued after four months. Such ad-hoc appointments made shall automatically come to an end and the State Government is directed to make appointment as per rules with in a period of four months by determining the vacancies; and further also, no appointments should be made on stop-gap working arrangements or ad-hoc arrangements."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि 250 सहायक अभियन्ता आपके यहां पर वर्किंग अरेन्जमेण्ट्स पर काम कर रहे हैं और इसकी जो निश्चित तारीख दी गयी थी वह थी 7.10.89 कि अगर इस तरह के प्रमोशन्स को गवर्नमेण्ट रेगुलराइज करती है तो ठीक है नहीं तो यह आटोमेटीकली कैंसिल हो जायेंगे। उसके बाद भी कैंसिल नहीं हुए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अवमानना करने के दोषी है और आपने अपने ही शासनकाल में 28.12.90 को एक आदेश निकाला है जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के श्री ओ. पी. गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, के पद पर पदस्थापित हैं जो कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर क्षेत्र में पद स्थापित किया जाता है। आपने फिर वर्किंग अरेन्जमेण्ट्स किया है। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए ज्यूडीशियरी का इतना बड़ा अपमान राजस्थान के चालीस वर्ष के इतिहास में आपने किया है और किसी ने नहीं किया।

श्री भंवरलाल (हवामहल) : नो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बिल्कुल किया। मैं दूसरा आपको अनुरोध कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके विभाग का। मेरे यहां एक गांव है पावटा। उसके करीब आठ सौ नौ सौ आदमी बीमार पड़ गये और उसके लिए आपका विभाग जिम्मेदार है। करीब नौ आदमी मर गये और आश्चर्य की बात तो यह है कि मैंने माननीय मंत्रीजी को तार दिये कि जयपुर से व्यवस्था करिए। बीमारी का पता नहीं चल रहा है। उसमें टायफाइड का ट्रीटमेंट दिया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। मलेरिया की जांच करायी कुल 5 पोजेटिव केस निकले और जब जयपुर के मेडिकल एक्सपर्ट की टीम गयी तो उन्होंने कहा पानी में कहीं गड़बड़ है। टंकी को जब साफ करवाया तो डेढ़ फुट मिट्टी निकली। मरे हुए कबूतर निकले और मरे हुए मेंढ़क निकले। आपका विभाग महामारी के लिए जिम्मेदार है। नौ आदमी उस गांव में मर गये। मेहरबानी करके जो नौ व्यक्ति मरे हैं उनके परिवारों को मुआवजा दीजिए। आपके विभाग की इससे बड़ी

(341)

(श्री हरिसिंह)

अकर्मण्यता और कोई नहीं हो सकती है। जहां एक ओर आपका नाम दिया हुआ है जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वह लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार है। अभी की बात कर रहा हूं। मैंने 27.8 को कलक्टर को कहा है।

श्री अध्यक्ष : अब समय समाप्त हो गया है। विराजिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जिन माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लिया है मैं उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। विनियोग विधेयक की चर्चा तारा नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने की और पेयजल योजना, विशेष तौर से गंदेली साहवा योजना का उन्होंने उल्लेख किया। मैं उनके सुझावों के अनुसार इतना ही कहना चाहता हूं कि गंदेली साहवा योजना के लिए हमने एक विशेष परियोजना बनाकर जैसी, उनको जानकारी है, 270 करोड़ की योजना हमने भारत सरकार को दी है और भारत सरकार इस सम्बन्ध में जर्मनी से सहायता लेने की कोशिश कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगले 6 माह से पहले-पहले यह परियोजना स्वीकार हो जाएगी और जिस समस्या का आप जिक्र करना चाहते हैं। उसका इससे समाधान होगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा भाषण माननीय रामकिशनजी ने दिया मैं समझ नहीं पाया या तो रामकिशनजी ने कागज नहीं देखे हैं या देखे हैं तो उनकी समझ में नहीं आये और समझ में आ गये तो जानबूझ कर ऐसी बात कही कि जो सही नहीं है।

आपने कहा कि मुख्यमन्त्रीजी ने बजट पेश किया उस समय कोई टैक्स नहीं लगाये, खर्च को बेलेंस करने के लिए खर्चा नहीं दिखाया और आज एप्रोप्रिएशन बिल और ग्राण्ट्स के माध्यम से वह इतने करोड़ रुपये की मन्जूरी चाहते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बजट जिस तरह से पेश किया गया था उस समय और बजट अधिवेशन के समय इस सदन में कई प्रकार की घोषणाएं की गयी थी उन घोषणाओं पर जो खर्च होगा उनको सप्लीमेण्ट्री ग्राउण्ट के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमने 761 करोड़ रुपया इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को इक्विटी पार्टीसिपेशन में दिया है। इसकी घोषणा मैंने उस समय की थी और आज यह दावे से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है जिसने इक्विटी पार्टिसिपेशन किया है तथा इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को होने वाले घाटे से उसको उबारने की चेष्टा की है। मैं आशा तो यह करता था कि पंडित जी मेरी इस बात की प्रशंसा करते। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि शायद प्रशंसा करना वह जानते ही नहीं हैं। वह प्रशंसा करते हैं तो केवल अपनी पत्नी की और बाकी किसी की प्रशंसा उनके मुंह से निकलती नहीं। वह भी शायद डरते हुए करते हैं कि कहीं कोई कह नहीं दे और कह दे कि आपकी तारीफ तो विधान सभा के प्रांगण में भी करते हैं तो इसका पण्डित जी क्या लाभ उठाना चाहते हैं मैं तो कह नहीं सकता परन्तु। निश्चित रूप से उनके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मन में केवल एक ही भय है और उसी की प्रशंसा करते हैं किन्तु मैं यह तो आशा करता था कि जो सारे हिन्दुस्तान में नहीं हुआ वह राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार की नीति के अनुसार नहीं लेकिन बार-बार यह चर्चा आती है कि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड घाटे में है और उसका एक कारण यह है कि बोर्ड में लगी हुई सारी पूंजी सरकार की है और उसकी इण्ट्रेस्ट लायबिलिटी इतनी हो जाती है कि उसको चुकाने में इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के सामने बड़ी परेशानी रहती है इसलिए राजस्थान की सरकार ने फैसला किया कि इक्विटी पार्टिसिपेशन किया जाय और 761 करोड़ रुपया उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन में शामिल किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी रकम जो बतायी वह लगभग 761 करोड़ में 148 या 149 करोड़ का इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के ऊपर राजस्थान सरकार की इण्ट्रेस्ट लायबिलिटी थी। हम यह मानते हैं कि जो बोर्ड घाटे में चल रहा है उस घाटे वाले बोर्ड से 148 करोड़ रुपया चार्ज करना सम्भव नहीं है और न कभी होगा इसलिए आज से 10-15 दिन पहले केबिनेट का फैसला कर 148 रुपए जो इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के जिम्मे थे वह हमने राइट आफ कर दिये। अब उसके कारण से मैं आपको कह सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आपने ताली क्यों बजायी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको परेशानी क्यों हो रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : नासमझी पर परेशानी हो रही है। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का घाटा हो या राजस्थान सरकार का घाटा हो, इससे वित्तीय स्थिति पर क्या फर्क पड़ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत फर्क पड़ गया।

श्री चन्दनमल बैद : कोई फर्क नहीं पड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो घाटे नफे में कोई हिसाब ही नहीं लगाते इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चहता हूं कि आज इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट में एक बात का प्रोवीजन है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट के अनुसार जब तक 3 पर्सेंट का फायदा नहीं हो तब तक इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को काम नहीं करना चाहिए। उनसे अपेक्षा यह की जाती है कि 3 पर्सेन्ट का फायदा हो। अब वो 3 पर्सेन्ट का फायदा कैसे हो ? उस 3 पर्सेन्ट के फायदे में जितनी भी लायबिलिटीज हो रही हैं ऐसी लाइबिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसे भुगतान नहीं कर सकता। यदि इक्विटी पार्टिसिपेशन किया है या इन्टरेस्ट को राइट ऑफ किया है तो सही दिशा में काम किया है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पण्डितजी को इसके बारे में बड़ी चिन्ता हो रही थी कि 761 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है। यह अतिरिक्त खर्चा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सुधार के संबंध में और कल जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में विस्तार से चर्चा होगी तब आपको बता दिया जायेगा।

श्री रामकिशन : ऐसा मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं मैंने जिक्र भी नहीं किया है पर चूंकि आपको अपनी बात कहनी है मेरे माध्यम से उसके लिए धन्यवाद है पर मैंने नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पंडित जी से यह कहा है कि इतने करोड़ रुपये का ।

सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लाकर ...

श्री रामकिशन : हां, इतने करोड़ कहा है । आपने अरब बता दिया । यह तो आपने बता दिया 700 करोड़ रुपया मैंने वह कहा ही नहीं है चूंकि आपको मेरे माध्यम से कहना था इसलिए कह दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं थी । आपने कहा है कि इतने करोड़ रुपए सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में इसलिए ला रहे हैं कि उस समय बजट के अन्दर बैलेंस करने की इच्छा थी और यह तो आपने कहा ही है, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने खर्चा बताया 21 करोड़ रुपये का । आपको मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में आज जबर्दस्त हाउसिंग प्रोब्लम्स है । हाउसिंग प्रोब्लम की पहले भी स्कीम थी और साथ-साथ उनको फूड ग्रेन का अलाउन्स भी देना था ताकि सरकारी कर्मचारी महंगाई से परेशान नहीं हो इसलिए फूड ग्रेन एलाउंस हमने बढ़ा दिया । यह अलाउन्स नहीं है कर्जा बढ़ा दिया और उस कर्जे के कारण 21 करोड़ रुपए की लायबिलिटी तो मैं इसे नहीं मानता वह रुपया तो वापस आयेगा अगर इसमें आपको परेशानी हो तो मैं कह नहीं सकता कि मैंने सरकारी कर्मचारियों को 21 करोड़ रुपए क्यों दे दिए ? यदि आपकी उनसे नाराजगी है तो कम से कम हाउस में तो आपको प्रकट नहीं करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि चुनाव हुए हैं । इस चुनाव का उस समय कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था जब बजट पेश हुआ । इस चुनाव का लगभग 16–17 करोड़ रुपए का खर्च हुआ । यह सही है कि उस खर्चे को भारत सरकार रिएम्बर्स करेगी लेकिन आज तो हमें खर्च करना पड़ा है उस खर्चे को हमें एड्जस्ट करना पड़ेगा । इसी आधार पर कुछ पुलिस में खर्च हुआ है और कुछ बाकी के विभागों में खर्च हुआ है इसलिए आप इस बात की चिन्ता नहीं करें कि पिछले बार जब बजट पेश किया था उस वक्त बजट को बैलेंस करने के लिए आपके सामने गलत फीगर्स रखे गये । मुझे खेद है कि आपको वो फीगर्स सारी की सारी गलत नजर आई बल्कि जो काम किए हैं उनको आपको अप्रिसिएट करना चाहिए था लेकिन आपने अप्रिसिएट नहीं किया ।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यहां पर पण्डित जी ने जिक्र किया और जिक्र करते-करते यहां तक कह गये कि जो कुछ हम उम्मीद करते थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, जो आशा करते थे वो पूरी नहीं हुई । और इस लाइन में आप यह भी कह गये कि जो स्माल सेविंग्स का अभियान चलाया है और मैं कह सकता हूं हमारे इस विभाग के मन्त्री श्री जगतसिंह दायमा, इन्होंने हर जिले का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दौरा किया, लोगों को किस प्रकार मोटिवेट किया और मोटिवेट करके यदि स्माल सेविंग्स इकट्ठी करने के लिए यदि उन्होंने व्यवस्था कर ली तो यह तो एक इस प्रकार का साधन है कि कोई भी व्यक्ति जितनी भी ज्यादा स्माल सेविंग्स होंगी उसके दो तरीके हैं। एक तो जनता के पास जो धन है वो अपव्यय नहीं हो, वह सही जगह पर इन्वेस्ट हो जाय। उस इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया और प्रेरित करने के बाद में जो भारत सरकार को जमा कराया उसमें हमारा पर्सेन्टेज विकास के कामों के लिए हमको मिल गया इसमें भी आपको आपत्ति हुई, यह सुनकर मुझे बहुत ही वेदना हुई। अध्यक्ष महोदय, आपने और भी कई बातें कही हैं।

डा. चन्द्रभान : अब आप पण्डित जी के ही पीछे क्यों पड़े हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कल से हम भी टोपी लगाकर आयें क्या ? आपको चन्दनमल जी और पण्डित जी की बात सुनाई पड़ती हैं, हम भी क्या टोपी लगाकर आयें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लिए भी आ रहा हूं। मैं केवल यह बात इसलिए कहना चाहता हूं. आपने यह भी कहा कि आय के साधन बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है हमारे ऊपर कर्जा लादा जा रहा है। मैं, पण्डित जी, आपसे पूछूं कि आय के साधन बढ़ाऊंगा और टैक्स लगाकर बढ़ाऊंगा तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे ?

श्री रामकिशन : हमने तो किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि आज सदन में माननीय सदस्य, अगर मैं किसी प्रकार का टैक्स लगाऊंगा, या किसी प्रकार की टेरिफ बढ़ाऊंगा या किसी प्रकार का किराया बढ़ाऊंगा तो आप लोगों का मुझे निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद : आप लोगों का मत कहिए, पण्डित जी का नाम लीजिए। आप गलत टैक्स लगाओगे तो विरोध करेंगे सही बात करेंगे तो समर्थन करेंगे।

श्री रामकिशन : आप क्यों मामले को उलझा रहे हो ? शुरू से मैंने यह कहा है कि जो देने लायक हैं, धनवान हैं, मैंने पिछले बजट पर भी कहा था जो कैटेगरी मैंने बताई थी उनको नहीं लिया।

डा. चन्द्रभान : हमने कहा कि अमीर लोगों पर टेक्स लगाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पण्डित जी तो अमीरों की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले बजट की नहीं मैं आज की बात कर रहा हूं। आज तो इन्होंने कहा कि टैक्स तो नहीं लगाये जा रहे हैं और कर्जा बढ़ाये जा रहे हैं। मुझे आपसे प्रेरणा मिली है और मैं समझता हूं चन्दनमलजी तो विरोध करेंगे लेकिन आपकी पार्टी का तो मुझे समर्थन मिलेगा इस विश्वास के साथ मैं आगे बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई कि राजस्थान में, मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, कई पेय-जल योजनाओं का जिक्र किया गया और यह शिकायत की गई कि पानी गन्दा आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कई जगह सीवरेज लाइन और पीने के पानी की लाइन ये दोनों आसपास में होने के कारण से लीकेज होता है। उस लीकेज को रोकने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन आज एक अन्दाज लगाकर चलिए कि आज से 40–50 वर्ष पहले जहां सीवरेज लाइन डाली हो और जहां पीने के पानी की पाइप लाइन डाली हो उन पाइप लाइन्स की किस प्रकार की स्थिति रहेगी ? एक साल में ही इस प्रकार की स्थिति बन गई कि सारी पाइप लाइन टूट गई और सबमें लीकेज होने लग गया इस प्रकार की स्थिति नहीं हो।

मैं मानता हूं यह समस्या विकट है लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी आप इसका अनुभव लगा लें और इसी दृष्टि से हमने कुछ योजनायें बनाकर भारत सरकार के सामने रखी है। भारत सरकार ने वर्ल्ड की फंडिंग एजेंसीज को वे योजनायें भेजी हैं और मुझे लगता है कि एक योजना स्वीकृत हो गई है और बाकी की योजना के लिए हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाय। बाकी इसके ऊपर करोड़ों रुपया इस समय कोई कहीं से निकाल ले इस समय ऐसी स्थिति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि इन योजनाओं में जितनी धनराशि की आवश्यकता है उस धनराशि की पूर्ति हम अपने साधनों से करेंगे ही लेकिन बाहर से हमें निश्चित रूप से सहायता लेनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यहां पुलिस का लिया गया और पुलिस पर माननीय हेतराम जी बड़े जोर से बोल रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आंकड़ों के आधार पर आप वेस्ट बंगाल की स्थिति देखें तो आज हिन्दुस्तान में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिहार और बंगाल में जितनी खराब है हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : चुनाव करवा लो आपको पता चल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनावों में तो मैं भी जीता हुआ हूं।

डा. चन्द्रभान : बिहार में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब बताता हूं। देखिए, आपके चुनाव हुए हैं, चुनाव से यदि शांति और व्यवस्था का मापदण्ड आपका है तो फिर मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह से गिनती कर रहे थे और जिस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे, मैं आज आपको निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वहां पर किसी प्रकार की कानून और शांति व्यवस्था का नाम नहीं है। कोई पोलिटिकल मर्डर्स वहां हो रहे हैं, सब हो रहे है।

डा. चन्द्रभान : तो राजस्थान को भी बिहार बनाना चाहते है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब माननीय सदस्य जो बोल रहे थे कि बिहार में कुछ नहीं होता है, मैं बिहार के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। बिहार की सरकार के समर्थन में बोलने वाले (व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने कहा क्या हुआ, क्या नहीं। अब अखबार का जिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन बिहार में जितने किडनेपिंग फार रेन्सम हो रहे हैं उतने किडनेपिंग इन 3–4 राज्यों को छोड़ कर कहीं भी नहीं हो रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : उत्तर प्रदेश के जितने किडनेपिंग बिहार में नहीं हो रहे हैं। कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

(2.00 मध्य रात्रि)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज क्यों हो रहे हैं ? उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो। अब आज आसाम की सरकार के बारे में कोई कहे और आसाम के अन्दर अभी देखें तो आज वहां फोर्स लगा दी गई, सब लोग जानते हैं कि आसाम के अन्दर किस प्रकार से किडनेपिंग हो रही हैं, किस प्रकार से हत्यायें हो रही हैं। और उन हत्याओ में गैर आसामियों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा था, आज बच्चा-बच्चा इस बात का अनुमान लेकर चलता है कि आसाम में कानून-व्यवस्था की स्थिति किस प्रकार थी। यदि कांग्रेस के लोग यह कहें कि हरिजनों के साथ बहुत बड़े अत्याचार हुए तो आन्ध्र प्रदेश का अत्याचार, जो हरिजनों के साथ हुआ है, वह हिन्दुस्तान में आज तक किसी भी राज्य में नहीं हुआ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप दूसरे स्टेट का कम्पीटिशन क्यों कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की और आप दूसरे स्टेट की कह रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आप आन्ध्र के मुकाबले में नहीं जाना चाहते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब क्या मैं बता रहा हूं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : परेशान इस बात से हो गये हम कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जो हमने आपको सौंपी थी उससे बदतर हुई है। इस बात से हम परेशान हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : चैलेंज है आपको

एक माननीय सदस्य : काहे का चैलेंज हैं ?

श्री शांतिलाल चपलोत : गिना दो आप। डकैतियां, हत्यायें पहले के मुकाबले कम हुई है। मेरे पास तो आंकड़े हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विधायक की चौड़े रास्ते में पिटाई हो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गई और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : कौन सा कांग्रेस का ऐसा प्रदेश है जहां हत्यायें नहीं हुई है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां गृह मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें यह स्वीकारा गया।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं आपको गिनाता हूं। आन्ध्र प्रदेश में गत वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों में तिरेसठ लोग मारे गये। उसके मुकाबले में राजस्थान में कुछ भी नहीं हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कि प्रवर्तन अधिकारी के सामने माननीय विधायक के साथ मारपीट हुई और उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कागज वगैरह या पत्र यहां पेश करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन माननीय चन्दनमलजी ने कहा है, इसलिए मैं एक पत्र कह रहा हूं। कांग्रेस के विधायकों ने इस सरकार के खिलाफ राजीव गांधी जी को एक पत्र लिखा।

श्री यदुनाथ सिंह : किस सरकार के ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा है–

"that the law and order situation in the State is deteriorating alarmingly. The poor and downtrodcen, our vote banks, are feeling highly insecure."

यह लिखने वाले कांग्रेस के लोग हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कब लिखा, कौन सी डेट को लिखा था ? उससे बदतर हुई है, उस समय जो थी उससे बदतर हुई है। एक्सेज हुआ है इसमें।

श्री चन्दनमल बैद : It has further deteriorated.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मतलब आप की सिचुएशन तो बहुत डेटीरियोटेट हो गई थी ना। कांग्रेस के जमाने में।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह दो साल पहले की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस समय तो आप मानते हो ना कि बड़ा अलामिंग पोजीशन।

श्री हीरालाल इन्दौरा : लेकिन आज तो उससे ज्यादा बढ़ी है ना।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो नहीं मानता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो कांग्रेस के लोगों ने चिट्ठी लिखी है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पुराने डाटाज देखिये, आप यह कह रहे है कि आज ज्यादा क्राइम बढ़े हैं, हम देख लें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपका एडमिशन है, मैं नहीं कह रहा हूं। वह तो

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आपने कही, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के सदस्यों ने।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हम यह चाहते हैं कि राजस्थान की बात आप कहिए। आंध्र प्रदेश की बात पर तो इतना ध्यान देते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं उसकी बात चाहते हैं कि यहां हरिजन एट्रोसिटीज में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : यह बांग्ला देश की हो रही है क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं-नहीं, देंगे तो आपके राज में भी बहुत सारे हुए हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस पत्र का मैं दोबारा उल्लेख नहीं करूं, इसलिए एक दूसरे विषय का भी (व्यवधान)।

अब आप सुनिए तो, हमने तो बहुत शांति से सुनी है। कल्ला साहब, जरा सुनिए।

श्री अध्यक्ष : नाऊ आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इस विषय पर वापस आऊंगा, लेकिन बीच में इस पत्र का दोबारा उल्लेख नहीं करना पड़े, यह इसी पत्र में लिखा है कि ...

"Minister do not afford time to see and listen to us. On the other hand, they are busy transferring officers and Government Employees even of the level of Fourth Class," and forcing those who have assured them to let us and let down in every political activity.

श्री जुबेर खां : यह फर्जी भी तो हो सकता है। यह लैटर फर्जी भी हो सकता है। क्या पता, यह किसने लिखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, यह हो सकता है। (व्यवधान)।

यह सब हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पर आरोप लगाने से पहले आपने क्या किया है, उनका अन्दाज लगा लें। अब पुलिस के बारे में आप कहें तो मैं आज मानता हूं। मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं करता कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है और जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में है उस मुकाबले में पुलिस की स्ट्रेन्थ कम है। हमने पिछले तीन-चार महीने में फैसला किया कि दो आर. ई. सी. की बटालियन और खड़ी की जाय, पुलिस का रि-आर्गेनाइजेशन किया जाय। अब उसमें रुपया खर्च होगा लेकिन आवश्यक है इसलिए हमें खर्च करना पड़ेगा। कोई भी हिसाब लगा ले कि पन्द्रह वर्ष पहले तक राजस्थान में किसी भी प्रकार की बटालियन्स खड़ी नहीं की गई और न इस प्रकार से रि-आर्गेनाइजेशन किया गया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज एक थाने में पन्द्रह आदमी हैं और क्राइम की संख्या ज्यादा हो तो नेचुरली वह पन्द्रह आदमी उस सिचुएशन को मीट नहीं कर सकते। लेकिन हमने इस बात का फैसला किया है कि चाहे खर्चा हो, पुलिस को इक्यूपमेंट भी दिए जाएं, पुलिस को गाड़िया भी दी जाए, पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जाए, पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जाए और साथ-साथ एक कमाण्डो फोर्स किस प्रकार से गठित की जाए, इस सम्बन्ध में भी हमने भारत सरकार की भी राय ली है, यहां भी जो इस सम्बन्ध में एक्टपर्ट हैं उनकी राय ली है। उसी से इस समस्या का समाधान, मैं समझता हूं, कुछ कर पायेंगे। यहां पर यह जिक्र किया गया, टाडा के मामले में, बड़े जोर-शोर से दो माननीय सदस्य बोले। यह सही है कि लोक सभा और राज्य सभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद मैंने गृह मंत्री को जो पत्र लिखा है उस पत्र के दो पेज, हैं तो अंग्रेजी में, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन मैं पढ़ कर सुना देता हूं जिससे आपको यह अन्दाज हो जायेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। पत्र तो लम्बा है लेकिन दो पेज मैं इस सदन को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

"I am pained to read the press reports regarding allegations levelled against the Government of Rajasthan in the Lok Sabha about the action taken by the State Government in arresting persons under TADA Act. I am aware that thousands of persons have been arrested under TADA Act in the States like Gujarat, Punjab, Assam .."

दस-दस हजार के करीब लोग टाडा एक्ट में वहां गिरफ्तार किए गए।

"... and Andhra Pradesh. Persons arrested under TADA Act in Rajasthan whos number is less than 300, have received judicial scrutiny from time to time. Most of the arrested persons applied to the Designated Court for bail but their applications were rejected except in 3 cases in which interim bail was granted. I understand that in one of the cases, Supreme Court was approached as a 'test case' for release. But the petition was dismissed in limne by the Supreme Court. Moreover, as you will see from the letter: police identified Pak hand in 3 time bomb cases registered at Jaipur. In this letter, I shall be covering the points raised both in the Lok Sabha and out side on the use of TADA Act by the State Government. In this context, a couple of letters have been received from the Union Ministry of Home Affairs forwarding a few representative letters and seeking reports/

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

comments of the State Government.

Let me at the outset refresh your memory that TADA Act is a creature of the Central Government and came into force during the Congress regime. Let me also inform you that the provisions of the TADA Act had been involved in Rajasthan for the first time during the Congress regime. Prior to my taking over as the Chief Minister of Rajasthan on 4.3.90, the Congress Government had arrested 72 persons under TADA Act for involvement in communal violence."

आज आप यह कहें कि मैंने कम्युनल वाइलेन्स में गिरफ्तार किये हैं, 72 आदमियों को तो मेरे चार्ज लेने के पहले पहले भूतपूर्व सरकार ने टाडा एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। (व्यवधान)

मैं बताता हूं, आप चिन्ता मत करिये।

"On the other hand, during my tenure as Chief Minister only 34 persons have been arrested under TADA Act for involvement in communal violence. In the course of this letter I shall be giving further details about it. I wish it is realised that the activities of some foreign agents have acquired very grave dimensions lotely. The hue and cry raised about the abuse of TADA is aimed at halting the efforts being made by the State Government to curve these activities. The Rajasthan Government strongly feel that any let up in the effort may only encourage rabid communalism and enable them to further indulge in grave criminal and anti-national activities. However, to set the matter in clear perspective, I am giving below an account of the use of TADA Act in Rajasthan, in particular pertaining to the cases under that Act. In Rajasthan, TADA Act had been invoked for internal security purposes with utmost care and caution. Only after the grave communal riots in Kota in October, 1989 and the sensational detection of bombs at Jaipur in March, 1990, the provisions of TADA Act had to be invoked for maintaining communal harmony and enforcing law and order."

अब एक जजमेंट में कोट करके इस बात को समाप्त करता हूं :

"At Jaipur, time bombs planted at congested and sensitive places like Purohitji Ka Katla and

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Ramganj in the main markets of Jaipur were aimed at large scale killings during the ensuing mammoth processions of Gangaur, Chetichand and Ramanawmi. Police identi:icd Pak hand in the traininiog, preparations and planting cf time bombs at Jaipur. The two Pak Agents were : Mumtajudin and Sujauddin.

The Designated Court in its judgement regarding applicability of TADA Act in granting of bail to she accused in the aforesaid time bomb cases bas observed ...

अब कोर्ट ने जो लिखा है उसको पढ़कर सुनाता हूं :

...."they had prepared bombs. One was put at Katla. Two bombs were recovered from the bouses of Hafiz Khan and Mohammed and also were recovered from the drain of Jal Mahal and preparing false casing. The bombs which were found at the instance of Va-ir Ahmed, the person who put the bombs at Katla had done all they could do or they could possibly do.

आगे लिखते हैं :

It was only providence which saved the lives of several persons and prevented destrnction of property. It was God's mercy which saved the situation."

अब आप इस स्थिति से अन्दाज लगा लीजिये ।

श्री जुबेर खां : गणगौरी बाजार में जो बम काण्ड हुआ उसमें किसी को अरेस्ट किया ? वह क्या टाटा के अन्दर नहीं आयेंगे ? आम इन दो काण्ड में 200 आदमियों को छिपाना चाहते हैं ।....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं अब ।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय दो से आप जनरेलाइज कर देंगे ? गणगोरी बाजार में बम काण्ड हुआ उसमें क्या किया आपने ? रामगढ़ (अलवर) में जो अखबारों में छपा ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो अपनी बात कही वह रेकार्ड में आ चुकी है ।

श्री जुबेर खां : जो बम बनाते हुए एक्सप्लोजिवस में घायल हुए उनके लिए आपने कौनसा टाडा एक्ट लगाया ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री जुबेर खां : अब आप 70 साल के लोगों के लिए''' (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये''' विराजिये आप''' प्लीज बैठिये''' प्लीज सिट डाउन '''

(052)

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे....(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : फिर मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आप मान नहीं रहे हैं और बोले जा रहे हैं : बैठिये अब आप। (व्यवधान)

अगेन ही हैज सैड इट....(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : ....(अश्रव्य)...आरोप पत्र पेश करो फांसी पर लटकाइये हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन इसमें कुछ निर्दोष भी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सारे ऐसे नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए। निर्दोष कोई है आप मुझे बता दीजिए मैं उसकी रेस्पान्सीबिलिटी लूंगा और उसको छुड़वाऊंगा।

श्री जुबेर खां : उनके हाथ ही नहीं है वह दो आदमी क्या करेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक आदमी है उसके दोनों हाथ ही नहीं है वह कांहे से बम बनायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मामला शुरू हो गया है इसलिए मैं बता दूं

श्री जुबेर खां : आपसे, नेता महोदय, हाथ जोड़कर एक निवेदन है। देख लीजिए व्यक्तिगत जिसमें लगे कि यह निर्दोष हो सकता है उसको छोड़ दीजिए और जो लगे कि दोषी हैं उसको मत छोड़िये। आपके ही विवेक पर छोड़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि पुलिस ने जितने बम बरामद किये। कोटा सिटी में 12-3-90 को 8 बम बरामद किये, 21-4-90 को 3 बम बरामद किये, 6-5-90 को 4 बम बरामद किये, 8-5-90 को 1 सूतली बम बरामद किया, 9-5-90 को 12 बम बरामद किये, 11-5-90 को 4 बम बरामद किये, 13-5-90 को 87 बम बरामद किये, 14-5-90 को 7 बम बरामद किये, 12 से लेकर 15 तक 5 बम जप्त किये, 18-5-90 को 1 कन्ट्रीमेड बम बरामद किया, 24-5-90 को 3 बम बरामद किये, 26-5-90 को 3 बम, 27-5-90 को 1, 30-5-90 को 5, 31-5-90 को 3, 1-6-90 को 1, 2-9-90 को 4, 5-10-90 को 1, 11-10-90 को 2, 29-3-90 को 1, 28-3-90 को 1, 2-11-90 को 1 बम, 26-11-90 को 1 पैट्रोल बम और 10-11-90 को 28 बम बरामद किये।

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्री जी एक सवाल है कि टाडा में कुल कितने लोग गिरफ्तार हैं ?

श्री जुबेर खां : ....(अश्रव्य) गणगौरी बाजार में कितने बम बरामद किये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मैंने जानकारी दे दी। इसके अलावा जानकारी लेनी है तो मेरे पास आ जाना मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्री जी टाडा में कुल कितने लोग गिरफ्तार हैं और उनमें से हिन्दु कितने और मुसलमान कितने है और यह जो बम बरामद हुए हैं (व्यवधान)....यह जो बम बरामद हुए हैं क्या यह सभी मुसलमानों के यहां से बम बरामद हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....आर्डर प्लीज माननीय सदस्य बिराजिए.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपके पास तो रैकार्ड में है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस टाडा के मामले में हिन्दु मुसलमान का सवाल यहां मत उठाइये। आपको जो इन्फोर्मेशन चाहिए आप ले लेना। मैं यह अलाऊ नहीं करूंगा यहां। देखिए गवर्नमेण्ट जब एक्शन लेती है तो दोषी मानकर लेती है। अब उसमें हिन्दू हो या मुसलमान हो यह कन्सीड्रेशन नहीं है। जो भी दोषी है। अगर वह निर्दोष है तो उसकी वकालत करिये। उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि आप उनको बताइये। अगर निर्दोष है तो विचार कर लेंगे। मगर इस समय यह सवाल मत उठाइये।

श्री जुबेर खां : माननोय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : फिर आप खड़े हुए अंगन जुबेर खां जी अब आप बैठ जाइये प्लीज ...

श्री जुबेर खां : आप अपने हाथों से दबाना चाहते हैं (व्यवधान) जो बम बरामद हुए या नहीं जयपुर में ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं अब आप बैठ जाइये वरना 25 बातें उधर से आयेंगी फिर आप हजार बात बोलेंगे। इस हाउस को बता देंगे आप ?

श्री जुबेर खां : यहां नहीं उठायें तो कहां उठायें अपनी बात ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें....(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : आपको कोई कुश्ती लड़नी हो तो बाहर लड़ लेना।

I am talking to the Speaker. I am not talking to you personally.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीमा सुरक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की और उन्होंने बताया कि सीमा पर तस्कर व्यापार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में काफी सावधान हूं। भारत सरकार से बराबर में सम्पर्क किये हुए हूं। मैं यह मानता हूं कि पंजाब में सीमा के ऊपर जिस प्रकार की पैरामिलिट्री सैनिकों की फोर्स बढ़ाई है और सीमा पर जिस प्रकार का वायर फेन्सिंग किया है और सीमा पर स्थान-स्थान पर जिस प्रकार के आदमी डेप्लाय किये वहां पंजाब के टेरेरिस्ट अब एक तरफ यू. पी. की तराई क्षेत्र में जाने लग गये हैं और दूसरी तरफ कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि राजस्थान की जो अनप्राटेक्टेड बार्डर हैं उसके थ्रू हमारा पाकिस्तान से आना जाना हो जाये। इसको रोकने के लिए भारत सरकार से कई बार बातचीत की। एक बार भारत सरकार ने आज के तीन वर्ष पहले लगभग साढ़े 9 करोड़ रुपये का पंजाब प्लान में राजस्थान का हिस्सा रखा था।

उसमें राजस्थान को केवल अभी तक

(554)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

50 लाख रुपया दिये हैं। कोशिश इस बात की हो रही है कि इस सारे बार्डर का वायर फेंसिंग हो जाये और जो माननीय सदस्य जोधपुर से आये हैं वह कह रहे थे कि पिलर-पिलर के बीच में डिस्टेन्स ज्यादा है। पिलर-पिलर के बीच में डिस्टेन्स ज्यादा नहीं है। बी. ग्रो. पीज. जो बनी हुई हैं उनमें डिस्टेन्स ज्यादा है और वह डिस्टेन्स जब तक कम नहीं होगा तो बी. ग्रो. पी. पर जितनी स्ट्रेन्थ है उस सारे एरिया को कवर नहीं कर सकती। फ्लेश लाइट्स वहां नहीं होंगी तो उसके कारण से काम नहीं चलेगा, ग्रच्छे इक्विपमेन्ट्स नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। ग्राज हमारी मुश्किल यह है कि जो टेरेरिस्ट्स ग्राते हैं उनके पास ए.के.-47 या ए.के.-48 होती हैं ग्रौर हमारे जवानों से पास एस. एल. ग्रार. या थ्री नाट थ्री होती हैं जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह बातें भारत सरकार को कई बार बताई हैं भारत सरकार स्वयं भी चिन्तित है लेकिन जब हम मांग करते हैं तो कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की इतनी कम्पनियां हमने पंजाब में भेज दीं, इतनी कम्पनियां हमने जम्मू कश्मीर में हमने भेज दीं. इतनी कम्पनियां हमने ग्रासाम में भेज दी ग्रौर हम राजस्थान के बार्डर के लिए ग्रधिक कम्पनीज स्पेयर नहीं कर सकते। कोशिश कर रहे हैं किसी कारण से हमको मिले ग्रौर यहां पर हमको पूरी की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें।

ग्रध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हिन्दुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने प्रत्यक्ष में उनके साथ जाकर सारी स्थिति की जानकारी दी ग्रौर यह बताया कि इस प्रकार मीगर फोर्स से हम इतनी बड़ी ग्रौर इस डिफिकल्ट टेरेन में जिस प्रकार से इन्तजाम कर सकते हैं। साहगढ़ बल्ज में यह बात सही है, मैं ग्राज नहीं कहता हूं पिछली विधान सभा में कहा था ग्रौर जब मैं विरोध पक्ष का नेता था उस समय भारत सरकार से कहा था, राजस्थान सरकार से कहा था ग्रौर समय के डिफेन्स मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी कि साहगढ़ में जहां हमारी चौकियां लगी हुई हैं उस चौकी से लेकर पिलर जो एक्चुअल बोर्डर पर हैं उसमें 33 किलो मीटर का डिफरेन्स है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जो क्षेत्र ग्रनकवर्ड है, जहां पर कोई आदमी गया नहीं।

मुझे इस बात खुशी है कि जब यह जानकारी मैंने उस समय डिफेन्स मिनिस्टर को दी उन्होंने इसके ऊपर कुछ कार्यवाही शुरू की है। जो जानकारी मुझे है मैं उससे ग्रागे नहीं जाना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार की कार्यवाही ग्रारम्भ की है। लेकिन यहां पर यह चार्ज लगाना कि तस्कर व्यापार बहुत बढ़ रहा है, जो कुछ भी हमारी फोर्स है उस फोर्स का जिस प्रकार का एचीवमेन्ट हैं, ग्रध्यक्ष महोदय, पुलिस को गाली देना यह तो बहुत ग्रासान है लेकिन पुलिस ने किन डिफिकल्ट टाइम में ग्रौर किस प्रकार के एचीवमेन्टस् किये हैं। मैं समझता हूं कि यदि उसकी जानकारी सदन को दूंगा नहीं तो सदन के साथ भी ग्रच्छा नहीं करूंगा ग्रौर पुलिस फोर्स के साथ ही मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा।

मैं इसलिये जानकारी देना चाहता हूं कि पुलिस ने, बी. एस. एफ. ने सबने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलकर 18 तो ए. के.-47 राइफल्स जब्त की, मैगजीन ए. के.-47 की 40, कारतूस जब्त किये 12, 572 और ए. के. 47 की 18, ए. के. 56 राइफल्स की हैं 55 और इस तरह से मैगजीन, वगैरह, पिस्टल मैगजीन, पिस्टल राउण्ड्स कार्बाइन राइफल जितनी भी ले जा सकते थे, ले जा रहे थे, उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद कई जखीरे पकड़े। मैं इस समय सारी लिस्ट को पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत लम्बा समय लगेगा। मैं इसलिये इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस, बी. एस. एफ. और इण्टेलीजेन्स, सबने मिलकर इस सीमा पर जिस प्रकार की चौकसी की है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने अपने प्राण जोखिम में डालकर इस प्रकार तस्कर व्यापारियों का मुकाबला किया हैं, उन लोगों को पकड़ा है लेकिन आज सदन को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर जो लोग इस प्रकार टैरेन में काम कर रहे हैं, जिस मुसीबत में काम कर रहे हैं, उनको इन्करेज करने की आवश्यकता है, उनको डिस्करेज करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस सदन के माध्यम से जनता को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे पास फोर्स है, भारत सरकार जिस प्रकार से और व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्था के आधार पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर यदि किसी ने पार करने की की कोशिश की तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जिन्दा उधर से पार नहीं हो पायेगा। इस प्रकार की हम व्यवस्था कर रहे हैं। अब उस व्यवस्था के बाद भी यदि माननीय सदस्य कोई यह कहे कि सीमा पर तस्करी हो रही है, सीमा पर अमुक प्रकार के काम हो रहे हैं, माननीय अमीन खां इस बात को जानते होंगे, मुझे भी इस बात की चिन्ता है कि आज कई मुसीबतों के कारण से लोग तस्करों के चक्कर में आ जाते हैं। जैसलमेर से 160 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला व्यक्ति जहां कोई खाने पीने का सामान नहीं है। खाने पीने का सामान वह अगर जैसलमेर से लाये। रामगढ़ से लाये या मोहनगढ़ से खरीदे तो न तो कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा। 10 रुपये का सामान खरीदने में उसको इतनी समस्या होती है जैसे उसने एक हजार रुपये खरीदने में लगाये।

आज उस दृष्टि से हमने विचार किया है कि रिमोटेस्ट कार्नर के जितने भी इस प्रकार के गांव हैं, उन गांवों में पी. डी. एस. की दुकानें खोली जाय ताकि लोग पाकिस्तान नहीं जायं। आज कोई कहे कि पाकिस्तान नहीं जाते हैं तो मैं उनको एक ही बात कह सकता हूं कि जो सीमा पर बसे हुए गांव हैं, जिनसे जैसलमेर दूर, जिनसे बाड़मेर दूर, जिनसे चौहटन दूर, जिनसे रामगढ़ दूर, जिनसे मोहनगढ़ दूर, जहां ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं हैं, जहां से पाकिस्तान नजदीक पड़ता है, वे चाहे हिन्दुस्तान के नागरिक हों, हिन्दुस्तान के प्रति राष्ट्रीयता में उनकी कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी पेट भरने के लिये जब वे पाकिस्तान जाते हैं तो कई बार इस प्रकार के व्यक्ति हिन्दु हो या मुसलमान हों, मैं यह नहीं कहता कि अकेले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुसलमान ही जाते हैं, हिन्दू भी पाकिस्तान में जाकर खाने पीने का सामान खरीदकर के लाते हैं कपड़े भी लाते हैं लेकिन वे धीरे-धीरे ऐसे लोगों की संगत में पहुँच जाते हैं जो गरीब के सिर पर एक हेराईन की थैली रखकर कहते हैं कि तुम जैसलमेर पहुँचा दो और एक थैली की कीमत 5,000 रुपये दी जायेगी। आज उनकी गरीबी का शोषण हो रहा है। उस शोषण रोकने की राजस्थान सरकार पूरी कोशिश को कर रही है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जो कुछ हमने अपनी समस्याएं भारत के सामने रखी, उन समस्याओं पर न केवल सहानुभूति से बल्कि गम्भीरता से उन्होंने चिन्तन भी किया है और कार्यवाही भी आरम्भ की है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि सीमा के ऊपर कोई विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस में जिस प्रकार की स्थिति आपने बताई, यहां जो पुलिस के बारे में कहने लगे कि जयपुर शहर में डकैती हो गई, जयपुर शहर में हत्यायें हो गई। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन कांग्रेस के शासन काल में दिन दहाड़े जयपुर में बैंक लूटे गये, कोई मना नहीं कर सकता, दिनदहाड़े कई लोगों की हत्या की गई। आज कोई हत्या करने वाला और बैंक लूटने वाला, ये किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। इनका कोई धर्म नहीं हैं, इनकी कोई जाति नहीं है। मैं समझता हूं कि अपराधी का धर्म, अपराधी की जाति और अपराधी की कोई पार्टी कुछ नहीं है। अपराधी-अपराधी है। लेकिन सारे देश में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, उससे राजस्थान बच नहीं सकता लेकिन आंकड़ों के आधार पर यदि आप चाहें तो मैं आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध कर दूं कि आज लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन हिन्दुस्तान में किसी राज्य में सबसे बढ़िया है तो राजस्थान की बढ़िया है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि स्ट्रे केसेज हुए हैं, मैं उसको मना नहीं करता। कत्ल भी हुए हैं, डकैती भी हुई है, सब कुछ हुई है, मैं उसको मना नहीं करता। कि डकैती नहीं हुई, कत्ल नहीं हुए, सब कुछ हुआ लेकिन इसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में हैं उतनी चिन्तनीय नहीं है। आज आप पंजाब में जाओ, किडनैपिंग का काम शुरू हो जाय। बिहार में जाओ, किडनैपिंग का काम शुरू हो जाय। आप जाने दीजिये, हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी आदमी का अपहरण नहीं होता हो।

आज आप हम पर इल्जाम लगायें लेकिन दिल्ली का तो प्रबन्ध करवा दें। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता। यदि इसी प्रकार की अपहरण की घटनाएं दिल्ली में होती रहीं तो मैं समझता हूं कि हम पहले कई बार कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में पापूलेशन को कम किया जाय, दिल्ली में उद्योगों को डिसेंट्रलाइज किया जाय, दिल्ली ट्रेड और कोमर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाय, भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें तो इसमें सफल नहीं हुई लेकिन यदि इसी प्रकार किडनैपिंग और एब्डक्शन की घटनाएं होती रही तो निश्चित रूप से दिल्ली का डिसइण्ट्रीग्रेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करा देंगे। इसमें कोई प्रकार का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास बेड़े की कमी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। थाने में स्ट्रेंथ कम है, थाने में इक्वीपमेंट की कमी है। महावीरजी कह रहे थे कि जीप नहीं है, यहां अन्य माननीय सदस्य कह रहे थे कि जीपें नहीं हैं। वास्तव में जीपें नहीं हैं। लेकिन जीपें लेने के लिए पैसा तो चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने तय किया है कि इस बार सारी पुलिस का इस प्रकार रिओर्गनाइजेशन किया जाय, जिस रिओर्गनाइजेशन पर कितना रुपया खर्च होता हो, इसकी चिन्ता नहीं लेकिन रिओर्गनाइजेशन के कारण से लोगों में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं रहे, हम इस बात की व्यवस्था करके चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे पुलिस का काम हो, चाहे फाइनेंस का काम हो, चाहे पी एच. ई. डी. का काम हो, यहां पर आरोप लगाये गये कालूलाल जी गुर्जर पर कि इन्होंने गुर्जरों को खानें दे दी। हेतरामजी, मैं तो आपसे प्रशंसा सुनना चाहता था कि यह पहली सरकार है हिन्दुस्तान में जिस सरकार ने फैसला कर दिया कि जिस काश्तकार की जमीन में कोई खान है, वह उस काश्तकार को लीज पर दी जायेगी। दूसरे को लीज पर नहीं दी जायेगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह आदेश पहले से है। यह आदेश पहले मिल चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहर जाओ। बीच में मत टोको। आप ठहर जाइये। यह गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करूंगा कि बिजौलिया धाकड़ हैं, बिजौलिया में गुर्जर है और कई जगह दूसरी कौम के आदमी हैं। आप यदि गुर्जर के खेतों में जायेंगे तो गुर्जर की लीज मिलेगी। अगर धाकड़ के खेतों में जायेंगे और वहां माइन्स हैं तो धाकड़ को मिलेगी। आज आपने कालूलालजी का नाम ले लिया। मैं आपको धाकड़ की लिस्ट दूं उसमें चतुर्भुज जी का नाम ले देना। वहां पर अगर दूसरी कौम के लोग काश्तकार हैं, जिनको अपने खेतों के अन्दर, अपने खेतों की जमीन के अन्दर किसी प्रकार की माइन्स या लाइमस्टोन हो तो उनके नाम से लीज मिलेगी। इस जातीयता के आधार पर आप किसी मन्त्री के ऊपर आरोप लगाये, यह आपका प्रिविलेज है लेकिन आप जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि जातियों के आधार पर आप किसी सदस्य के ऊपर या मन्त्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगायें।

आपने आरोप यह भी लगाया कि पुलिस जातियता के आधार पर बन्दी हुई है। मैं समझता हूं कि मेरी जाति का तो कोई सिनियर पुलिस आफिसर नहीं है। एक ही डी. आई. जी हैं और कोई नहीं। (व्यवधान)

अब मैं जाति कहां से ले आया? अगर आप सैक्रेटेरिएट में देखें तो राजपूत आई. ए. एस. और आई. पी. एस.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आफिसर बहुत कम हैं। आर. ए. एस. और आर. पी. एस. देखो तो बहुत कम हैं। अब जातीयता मेरे कारण से आ कहां गई ? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जातियता के आधार पर न कभी विचार करता, न मैं कभी धर्म के आधार पर विचार करता, मैं राजस्थान के हित में क्या चीज होगी, उस आधार पर चिन्ता करता हूं। आपने बड़े-बड़े पुलिस आफिसर्स का नाम लिया और नाम लेकर के कहा कि ये सब जातियता में बंटे हुए हैं। अगर दो ब्राह्मण डी. जी. बन जाये तो क्या यह ब्राह्मणवाद आ गया ? 2–3 आई. जी. अगर दूसरी कौम के बन जाय तो क्या जातियता आ गयी ? कोई किसी भी जाति का बन जाय मैं कम से कम आप से एक विनती करना चाहूंगा कि आप जो कहने लगे कि इसके कारण से पुलिस में बहुत बड़ा असन्तोष है, आप चाहे कितनी ही बार कह दें लेकिन पुलिस में किसी भी प्रकार का असन्तोष नहीं है और न जातियता के आधार पर असन्तोष पनपेगा। भगवान के लिये आप इस प्रकार का असन्तोष इस बेड़े में पैदा करने की कोशिश नहीं करें। आप गंगानगर सूती मिल या जो भी मिल है, उसमें असन्तोष पैदा कर सकते हैं बाकी की और मिले, में असंतोष पैदा कर सकते हैं, लेकिन पुलिस में असन्तोष पैदा करने की कोशिश मत करो। इसका नतीजा भुगता बंगाल में, बंगाल की सरकार आज भुगत रही है। उस प्रकार की स्थिति आप राजस्थान के ऊपर तो मेहरबानी रखो कि राजस्थान में किसी प्रकार का जातियता के आधार पर यह सुरक्षा बलों में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हो।

मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता। बहुत कुछ बातें कही गई, बिजली और पानी के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य जो नदबई से आते हैं बोले हैं। मैं कल उनको जो उन्होंने प्रश्न उठाये हैं उन सारी बातों का उत्तर दूंगा। भादराजून से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें कहीं, मैं समझता हूं कि बड़ी गम्भीर बातें हैं और कन्स्ट्रक्टिव हैं। उन बातों पर भी राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं आपको इतना ही आश्वासन दे सकता हूं।

माननीय सदस्य ने कई जो बातें कहीं हैं, जिनका मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी पाइन्ट उन्होंने रेज किये हैं वह सारे पाइन्ट्स का जवाब उनको समय पर मिल जाएगा और उससे उनको तसल्ली नहीं हो तो मेरे से मिल सकते हैं। पी. एच. ई. डी. का मामला है तो भंवरलाल जी से मिल सकते हैं या और किसी सम्बन्ध में किसी प्रकार का मामला हो तो उनसे मिल सकते हैं लेकिन इस सदन को इस बात के लिए कि राजस्थान में बहुत-बड़ी लॉ एण्ड ऑर्डर की सिच्यूएशन हो गयी राजस्थान में पानी का बहुत संकट हो गया है, मैं ऐसा समझता हूं जिस समय मैं मुख्यमन्त्री बना था उस समय सबसे भयंकर संकट पानी का था। मुझे वह चिन्ता हो रही थी कि अगर पानी का प्रबन्ध नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो पॉपुलेशन को पानी के लिए माइग्रेट करना पड़े। पानी हम नहीं पहुंचा पायें और पॉपुलेशन को माइग्रेट करना पड़े तो इस प्रकार की स्थिति वहां पैदा हो गयी थी। मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने हमारे पी. एच. ई. डी. के मन्त्रीजी ने रात-दिन मेहनत करके उस स्थिति का मुकाबला किया और पानी की जहां भी व्यवस्था कर सकते थे हमने व्यवस्था की, उसका नतीजा निकला।

लेकिन एक समस्या को ध्यान जो कई माननीय सदस्यों ने उठाया, बार-बार, जगह-जगह तालाब टूट गये, बांध टूट गये और एनिकट टूट गये। मेरी आज भी मान्यता है यदि चन्दनमलजी बैद चाहें तो वह इसका चार्ज ले लें। जो इन्जीनियर्स इनके पास चाहिए। वह इन्जीनियर्स मैं लगाऊंगा, लेकिन एक बार जितने भी डेम्स बने, जितने भी एनिकट्स बने, एक बार जो छोटे-छोटे बांध बने हैं, तकनीकी दृष्टि से इनका उपयोग कितना हैं ? किस आधार के ऊपर यह बनें ? अभी आपने कहा कि नदी के एण्ड के ऊपर, जहां नदी समुद्र में जाती है उस जगह बांध बनाया जाये तो ठीक है। लेकिन नदियों के ऊपर बनास जहां से आरम्भ हुई है उस समय से जहां चम्बल के अन्दर वह प्रवेश करती है, आपको ध्यान होगा कि कितने बांध बन बन गये और जहां बांध बन गये, नीचे के हिस्से में कुओं के अन्दर पानी सूख गया, किसान तबाह हो गये। यह एक नदी का सवाल नहीं है सारी नदियों के ऊपर लाभ की दृष्टि से नहीं लेकिन राजनीतिक लाभ की दृष्टि से जो एनिकट्स और जो डेम्स बनाये गये, उन डेम्स में, जा टूट गये, तो मैं तो यह सोचूंगा की राजनीतिक लाभ उससे मिले या नहीं मिले इस डेम के दोबारा बनाने के कारण से जो खर्चा होगा उस खर्चे का पैसे-पैसे का उपयोग होता है, इस आधार पर चिन्तन करना पड़ेगा। टूट गये। आज जयपुर में समस्या आ रही है। जयपुर में रामगढ़ बंधे में पानी खूब हुआ। रामगढ़ के केचमेंट एरिया में पानी हुआ लेकिन उसके बाद में भी बंधा नहीं भरा। 28 फुट पानी आया। अब इसका कारण, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा सही गिनती तो यह बतायेंगे लेकिन लगभग 31 एनीकट इसके केचमेंण्ट एरिया में बना दिये। अब 31 एनीकट केचमेंट एरिया में बन जाए तो जमवारामगढ़ का बन्धा नहीं भरेगा और जमवारामगढ़ का बंधा नहीं भरेगा तो जयपुर में पीने के पानी की व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। अब मेरे सामने दो सवाल हैं। आप कहें तो मैं उन एनीकट्स को तुड़वाऊं और तुड़वाऊंगा तो जनता विरोध करेगी। यदि रामगढ़ के बंधे में पानी नहीं गया तो जयपुर की जनता रोज जुलूस निकालेगी। इस हालत में जहां सरकार ने आपको छोड़ा है, आपने सरकार को छोड़ा है, उस सरकार के सामने समस्याएं जरूर हैं। उन समस्याओं का हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे दिमाग में न किसी प्रकार की राजनीति है, न राजनीति के आधार से हम कोई विकास करना चाहते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ...

श्री चन्दनमल बैद : आप तो साधु हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल साधु हूं। इस दृष्टि से साधु हूं। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि मंडावा से जाने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि मन्त्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के काम करा लिये मैं तो क्या कहा था ?

(श्री चन्दनमल बैद)

डॉ. चन्द्रभान : क्योंकि हम ऊंची आवाज में इसलिए बोलते हैं कि जनता से हम यह वायदा करके आये हैं कि हम आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। विकास का जहां तक सवाल है, विकास के लिए जो साधन नहीं हैं। हमारी तो बात छोड़ो मंत्रीलोग अपने क्षेत्र में विकास का काम तो करा लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह बात ठीक है लेकिन आप यह कह गये। मैं एक ही बता देऊं। मैं अपने लिए नहीं कहता। मैं राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्यों के लिए कहना चाहता हूं कि एक बार निर्वाचित होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र को तो आप देखो। लेकिन निर्वाचित होने के बाद में आपकी नजर में अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं पूरा राजस्थान आना चाहिए। और जब राजस्थान पूरा आएगा तो कौन-से काम से हम अधिक-से-अधिक जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं उसकी हम बात करेंगे और यदि हमने केवल अपने क्षेत्र को ही देखा तो न तो कभी आपको संतोष होगा और न क्षेत्र के लोगों को संतोष होगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां चुनने के बाद दृष्टिकोण राजस्थान के विकास का होना चाहिए, छोटी-छोटी पॉकेट्स के विकास करने की बात आती हो तो उसके ऊपर, मैं समझता हूं हमारा दृष्टिकोण उदारवादी नहीं होगा, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल संकुचित होगा। इसी आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। मैं उनका स्वागत करता हूं। कइयों ने आलोचना की है। उस आलोचना करने के पहले यदि बातों को ठोस आधार निकाल लेते तो ज्यादा उचित रहता। मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी

प्रस्ताव करेंगे पारण के लिए।

विधेयक का पारण

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1991, पारित किया गया।)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ केवल इतना कहना चाहता हूं मैंने वह रिपोर्ट पढ़ ली जो इनकी आई है मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

यह पानी से सी जुड़ा हुआ मामला है ...

श्री रामकिशन : ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ऐसा + + + स्पीकर भी हमने कभी नहीं देखा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 19-9-91 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तद्नन्तर विधान सभा की बैठक रात्रि 2.38 बजे, दिनांक 19.9.91 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या—120 का प्रपत्र

पंचायत समिति लूनी में विद्युतिकृत गांवों के नाम जिनमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं एवं उनमें बकाया आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	विद्युतिकृत की तिथि	आवेदनों की श्रेणी वार संख्या	लम्बित आवेदनों की तारीख
1.	कामनाडा	13/4/132	31/3/87	37 घरेलू	20/4/87
2.	डोली कांकाणी	13/4/158	31/12/88	8 घरेलू	28/2/89
3.	मोडी जोशीया	13/4/188	31/1/90	68 घरेलू	22/2/90
4.	पिसाबास	13/4/180	31/1/90	28 घरेलू	24/8/90
5.	सनाई	13/4/130	31/1/90	75 घरेलू	11/6/90
6.	लूणावास खुर्द	13/4/125	31/3/91	—	—

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पुलिस विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति

121. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) एवं **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग की विभिन्न रेंजों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति उसी रेंज में होने के आदेश हैं जिस रेंज में वह 31-8-1982 को कार्यरत था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत वरिष्ठता भी उसी रेंज में तय होगी ?

(3) कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति देकर वर्ष 1974 में बिकानेर रेंज में किस-किस व्यवित को पदस्थापित किया गया और ये व्यक्ति 31-8-1982 को किस रेंज कार्यरत थे।

(4) प्रश्न के भाग 3 में वर्णित पदोन्नति के मामलों में प्रश्न के भाग 1 में वर्णित आदेश का उल्लंघन किस-किस मामले में किन कारणों से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार आदेश के उल्लंघन में किये गये पदोन्नत व्यक्तियों को पदावनत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(6) क्या सरकार आदेश के उल्लंघन में हुई पदोन्नति के स्थान पर आदेश के अनुसार पदोन्नति के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार उक्त आदेश की पालना में श्री रामावतार शर्मा को बीकानेर रेंज में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1984 में सर्वश्री निरंकार सिंह, ब्रजरतन, देवकृष्ण, कनिष्ठ लिपिक को उप-महानिरीक्षक, पुलिस, बीकानेर रेंज द्वारा पदोन्नति दी जाकर वरिष्ठ लिपिक पद पर पदस्थापित किया गया था। ये सभी व्यक्ति दिनांक 31-8-82 को बीकानेर रेंज में ही कार्यरत थे।

(4) प्रश्न के भाग 1 वर्णित आदेश का उल्लंघन किसी भी मामले में नहीं किया गया।

(5) आदेश का उल्लंघन ही नहीं किया गया तो किसी को पदावनत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) आदेश के उल्लंघन में कोई पदोन्नति नहीं दी गई अतः प्रश्न नहीं उठता।

(7) वर्तमान में श्री रामावतार शर्मा बीकानेर रेंज में ही कार्यरत हैं।

संख्या एफ 2(23) गृह/ग्रुप-1/86

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-1) विभाग

प्रेषित : जयपुर, दिनांक 4-3-89

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय—स्थायी क. लि. की वरिष्ठता निर्धारण करने एवं वरिष्ठता सूची प्रकाशित कराने बाबत ।

संदर्भ—आपका अ. शा. पत्र सं.—12(3) पु. फो./सीनि./सैल/86 322 दिनांक 17-9-88

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि राज0 अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय नियम, 1957 के नियम 27 "बी" के साथ नया नियम 27 (सी.सी.) की क्रियान्विति पुलिस विभाग में दिनांक 31-8-82 से करने की सहमति कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है ।

अधिसूचना जारी होने के दिनांक 31-8-82 को जो व्यक्ति एक रेंज से दूसरी रेंज में स्थानान्तरण होकर या रेंज परिवर्तन के कारण परिवर्तित रेंज के व्यक्तियों की वरिष्ठता में अपना स्थान बनाकर वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है या उच्च पद पर तदर्थ/नियमित पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं या उनके मामले सभी उद्देश्य से नियमित हो चुके हों उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन दिनांक 31-8-82 के पश्चात अर्थात अधिसूचना जारी होने के पश्चात मन्त्रालिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुए हो तो उनकी वरिष्ठता या पदोन्नति के मामले इस प्रावधान के तहत की क्रियान्वित किये जावेंगे अर्थात 31-8-82 के पश्चात संबंधित व्यक्ति की वरिष्ठता मूल रेंज यानि पैतृक रेंज में होगी । रेंजों के पुर्नगठन के कारण एक जिले का दूसरे जिले में समावेश होने पर वरिष्ठता के मामले में नियम 27 (सी.सी.) का प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते । क्योंकि जिले में कार्यरत व्यक्तियों जिले के साथ ही दूसरी रेंज में स्थानान्तरण हो जाता है । अगर उनकी वरिष्ठता पैतृक रेंज में रखी जाती है तो वहां पद नहीं होने के कारण व्यक्ति पदों की संख्या से अधिक हो जायेंगे । ऐसी स्थिति में रेंज का पुर्नगठन या एक जिले का दूसरे रेंज में

आमेलन होने की स्थिति में सामान्यतः व्यक्तियों की वरिष्ठता नवगठित रेंज या समायोजित जिले के साथ-साथ नई रेंज में ही रहेगी।

भवदीय
हस्ता./—
शासन उप सचिव

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राज., जयपुर

क्रमांक सं. 12(3) पुलिस फोर्स/सीनि. सैल/86/110 जयपुर, दिनांक 16 मई, 1989

प्रतिलिपि समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राज. को इस कार्यालय के एन्डोसमेन्ट सं 12(3) पुलिस फोर्स/सीनि. सैल/86/71-77 दिनांक 12-5-87 के संदर्भ में भेजकर निवेदन है कि आपकी रेंज के कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 के नियम 27 "बी" के साथ नया नियम 27 (सी.सी.) की क्रियान्विति पुलिस विभाग में दिनांक 31-8-82 से करने की सहमति कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर आप अपने स्तर पर कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित कराने हेतु एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

ह./—
उप महानिरीक्षक पुलिस
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

झुन्झुनू जिले में सड़क निर्माण

122. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1991–92 में राज्य में कुल कितनी किलोमीटर नई सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया है ? झुन्झुनू जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग इस वर्ष कुल कितनी किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करेगा और उन पर कितना धन व्यय किया जावेगा ?

(2) राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, जो अभी तक सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं ? झुन्झुनू जिले में उनकी संख्या क्या है तथा जिनमें से अलसीसर व झुन्झुनू पंचायत समिति क्षेत्र में कितने हैं ?

(3) क्या इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने हेतु राज्य सरकार के पास कोई वृहद् कार्य योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) सन् 1991–92 में राज्य में 1100 किमी. पक्की सड़कें तथा 445 किमी. ग्रेवल्ड सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया है।

झुन्झुनू जिले में वर्ष 91–92 में 70 किमी. डामर तथा 52 किमी. गिट्टी एवं ग्रेवल सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिए 160.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

(2) राज्य में कुल 1634 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की सड़कों से 31-3-91 तक नहीं जोड़े जा सके हैं।

झुन्झुनू जिले में 53 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी प्रकार की सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं।

अलसीसर व झुन्झुनू पंचायत समिति क्षेत्र में सड़क से नहीं जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की संख्या क्रमश: 6 व 4 है।

(3) जी हां। राज्य में सड़कों से बिना जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से वर्ष 91–92 में एक किमी. दूरी तक के 90 ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने हेतु 286.75 लाख रुपए की स्वीकृति दिनांक 17-5-1991 को जारी की गई है।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी करीब 35 ग्राम पंचायत मुख्यालय वर्ष 91-92 और जोड़ दिए जाने की संभावना है। इस प्रकार कुल 125 ग्राम पंचायत मुख्यालय वर्ष 91-92 में सड़कों से जोड़ दिए जाने जाने की सम्भावना है। शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों को आगामी वर्षों में योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार सड़कों से जोड़ा जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला मुख्यालयों पर परिवहन निगम के डिपो

123. **श्री रामस्वरूप** (रायसिंह नगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश के कितने जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो स्थापित नहीं हैं? क्या सरकार चूरू जिला मुख्यालय में बस डिपो खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(2) चूरू में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टेण्ड बनाने के लिये कितनी राशि खर्च करने का सरकार विचार रखती है तथा बस स्टेण्ड निर्माण में कुल कितनी राशि कब तक खर्च कर दी जायेगी?

(3) क्या सरकार चूरू-खण्डवा, चूरू-धांधू चूरू-सरदारशहर वाया जसरासर ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) 6 जिला मुख्यालयों पर आगार नहीं है। इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु निगम के 3 अधिकारियों की एक समिति इस सम्बन्ध में गठित की जाकर सिफारिशें मांगी गई हैं, जिन पर विचार किया जाकर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(2) 11.91 लाख। इस राशि में से 8 लाख चालू वित्तीय वर्ष में व शेष अगले वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायेगा।

(3) इन मांगों पर क्रमशः दिनांक 4-9-91, 14-9-91 एवं 30-8-91 से बस संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मुकदमें

124. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जन-जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 लागू होने के बाद इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमें दर्ज किये गये? कितनों में चालान पेश हुए? कितने झूठे पाये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ऐसी क्या कार्यवाही करने जा रही है कि इस अधिनियम का सदुपयोग हो सके?

उत्त

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जन-जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के बाद 1990 से 31-8-91 तक 2037 अभियोग दर्ज किये गये तथा इनमें से 699 अभियोगों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा 845 अभियोगों में एफ. आर. अदम वकू में दिया गया। 493 अभियोग जेर तफतीश है। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(368)

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराधों का जिलेवार विवरण वर्ष 1990 से 31.8.91 तक विवरण।

क्र.सं.	जिला	दर्ज अपराध	चालान	एफ.आर. अदम वकू	जेर तफतीश
1.	अजमेर	38	15	13	10
2.	भीलवाड़ा	6	3	1	2
3.	नागौर	64	20	30	14
4.	जयपुर नगर	10	3	4	3
5.	जयपुर ग्रामीण	59	32	17	10
6.	झुन्झुनू	27	10	11	6
7.	सीकर	47	20	16	11
8.	टोंक	261	110	78	73
9.	दौसा	4	2	1	1
10.	भरतपुर	86	15	45	26
11.	अलवर	273	90	122	61
12.	स. माधोपुर	168	46	90	32
13.	धौलपुर	96	21	47	23
14.	बीकानेर	53	20	23	10
15.	चूरू	49	13	21	15
16.	गंगानगर	7	3	2	2
17.	जोधपुर	35	10	15	0
18.	जालोर	122	39	57	26
19.	जैसलमेर	45	24	9	12
20.	बाड़मेर	58	18	29	11
21.	पाली	185	66	84	35
22.	सिरोही	64	44	8	12
23.	कोटा नगर	3	–	2	1
24.	कोटा ग्रामीण	4	2	1	1
25.	बूंदी	49	11	20	18
26.	झालावाड़	6	2	3	1
27.	बांरा	4	1	2	1
28.	उदयपुर	66	14	32	20

1	2	3	4	5	6
29.	बांसवाड़ा	67	24	25	18
30.	चित्तौड़गढ़	51	10	23	18
31.	डूंगरपुर	18	6	8	4
32.	राजसमन्द	12	5	6	1
33.	जी.आर पी.	–	–	–	–
	योग :	2037	699	845	493

जोधपुर लिफ्ट केनाल द्वारा जल आपूर्ति

125. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर लिफ्ट केनाल द्वारा जोधपुर को पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? नहर के पानी की लिफ्ट करने हेतु कितने पम्प स्टेशन लगेंगे ? क्या पम्पसैट की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पम्प हाउस की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? टेण्डर कब तक आमंत्रित किये जावेंगे।

(2) लिफ्ट केनाल में कुल कितना एवं किस आकार का पाइप लगेगा ? पाइपों की कुल लागत क्या होगी व पाइप हेतु किस कम्पनी को कब तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है ?

(3) 10 आर. डी. से 47 आर. डी. तक के निर्माण कार्य में अब क्या बाधा आ रही है और 47 से 100 आर. डी. तक एवं 100 से 140, 160, 180 तथा 200 आर, डी, तक मिट्टी रोक कटिंग व टाइल्स तथा लाईनिंग कार्य में 1984 से 1991 तक हुए कार्य एवं व्यय का क्रमशः विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर को पेयजल के लिए जोधपुर लिफ्ट कैनाल के मार्च, 1989 से मार्च, 1991 तक के कार्य प्रगति एवं व्यय राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(5) विद्युत् लाइन एवं विद्युत् उपकरण किस-किस क्षमता के कब तक लग जायेंगे ? पम्पसेट कितने हार्स पवार व कितनी क्षमता के होंगे व इसके आदेश किस कम्पनी को कब तक दे दिए जायेंगे ?

(6) लिफ्ट केनाल के निर्माण के अन्तर्गत किसानों की जो भूमि आ रही है उस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ? सदन को अवगत करायें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर लिफ्ट केनाल द्वारा जोधपुर को वान्छित धनराशि उपलब्ध होने पर सितम्बर, 1993 तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

योजना में 8 पम्पगृहों के निर्माण का प्रावधान है। पम्प सैट क्रय किये जाने का, स्वीकृत योजना में प्रावधान है। चार पम्प गृहों के निर्माण के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष चार पम्पगृहों के पैकेजज की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् निविदा सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

(2) लिफ्ट कैनाल में 1600, 1700, 1800 मिलीमीटर-व्यास का कुल 31.2 किलोमीटर पाइप लगाने का प्रस्ताव है, जिस हेतु 13.28 करोड़ रुपये का स्वीकृत योजना में प्रावधान है। पाइप क्रय करने हेतु अभी तक आदेश नहीं दिये गये हैं।

(3) आर. डी. 47 तक निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परन्तु 200 मीटर लम्बाई में सख्त चट्टानें आने के कारण कार्य की गति धीमी है। कार्य एवं व्यय का वांछित विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(4) वांछित विवरण प्रपत्र "ख" पर संलग्न है।

(5) विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य एवं पम्प सैटों की क्षमता का विवरण प्रपत्र "ग" पर संलग्न है। चार पम्प गृहों हेतु कुल 16 पम्पसैटों की निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है। क्रयादेशों से सम्बन्धित फर्मों के नाम एवं समय का अनुमान, निविदाओं के निस्तारण के पश्चात् ही सम्भव होगा।

(6) कैनाल के अधीन कुल 42 ग्रामों की भूमि अधिगृहीत की जानी है। इसमें से 30 ग्रामों की भूमि के मुआवजे का अवार्ड जारी किया जाकर भुगतान की कार्यवाही प्रगति में है। शेष 12 ग्रामों की भूमि के मुआवजे के अवार्ड तैयार किए जा रहे हैं।

प्रपत्र 'क'

जोधपुर लिफ्ट केनाल के अन्तर्गत विभिन्न लम्बाइयों में हुए
कार्य का भौतिक एवं वित्तीय विवरण

आर.डी. (क्षेत्र) (कि.मी. में)	कार्य विवरण	1984-91 की अवधि से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय विवरण	
		कार्य प्रगति (कि. मी.)	व्यय (लाख रु०)
0 से 47	(अ) मिट्टी एवं रॉक कटिंग	46.80	309.00
	(ब) टाइल्स निर्माण एवं लाइनिंग	45.20	634.85
47 से 99	(अ) मिट्टी एवं रोक कटिंग	15.00	129.70
	(ब) टाइल्स निर्माण एवं लाइनिंग	13.42	109 44
99 से 130	(अ) मिट्टी एवं रोक कटिंग	28.25	91.17
	(ब) टाइल्स निर्माण एवं लाइनिंग	25.00	225.50
130 से 165	(अ) मिट्टी एवं रोक कटिंग	6 00	2.67
	(ब) टाइल्स एवं लाइनिंग	2.50	17.98
165 से 202	(अ) मिट्टी एवं रोक कटिंग	17.00	231.28
	(ब) टाइल्स निर्माण एवं लाइनिंग	4.13	129.33
कुल योग :	(अ) मिट्टी एवं रोक कटिंग	113 05	763.82
	(ब) टाइल्स निर्माण एवं लाइनिंग	90.25	1117.10

(372)

प्रपत्र 'ख'

जोधपुर लिफ्ट केनाल योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय एवं भौतिक प्रगति

"क" भौतिक प्रगति

आलोच्य वर्षों अर्थात् 1989-1991 की अवधि में कुल 60 कि. मीटर लम्बाई में नहर की खुदाई व 90.25 कि. मी. लम्बाई में नहर लाइनिंग का कार्य पूर्ण हुआ। केनाल इनसेट का कार्य, बी. आर. बी., क्रास ड्रेनेज वर्क्स, एन्सीलरी कार्य किये गये, विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर रहा।

"ख" वित्तीय व्यय

आलोच्य वर्षों अर्थात 1989-1991 की अवधि में परियोजना पर कुल 22.641 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

प्रपत्र 'ग'

जोधपुर लिफ्ट केनाल पर लगने वाली विद्युत लाइनें एवं विद्युत उपकरणों का विवरण :

कार्य राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा

पम्प गृह संख्या	विद्युत लाइन का प्रकार एवं कहां से आ रही है	33/6.6 के. वी. ट्रांसफार्मर की संख्या व क्षमता	33/0.4 के. वी. ट्रांसफार्मर की क्षमता
1.	132 के. वी. प. स्टे. 2 से	2×5 एम. वी. ए.	250 के. वी. ए.
2.	132 के. वी., प. स्टे. 3 से	2×3.15 एम. वी. ए.	—"—
3.	132 के. वी., प. स्टे. 4 से	2×5 एम. वी. ए.	—"—

1	2	3	4
4.	132 के. वी., प. स्टे. 5 से	2×3. 15 एम. वी. ए.	250 के.वी.ए.
5.	132 के. वी , देचू से	2×6. 3 एम. वी. ए.	—"—
6	132 के. वी., प. स्टे. 5 से	2×5. एम. वी. ए.	—"—
7.	132 के. वी., तिवंरी से	2×3. 15 एम. वी. ए.	—"—
8.	132 के. वी., जोधपुर से	2×3. 15 एम. वी. ए.	—"—

वर्तमान में आर. एस. ई. बी. ने देचू से पम्पिंग स्टेशन 5, 4, एवं 3 तक विद्युत लाइन लगा दी गई है। पम्पिंग स्टेशन नं. 2,1 एवं 6 हेतु कार्य प्रगति पर है। पम्पिंग स्टेशन नं 5 पर 132 के. वी. जी. एस. एस. का कार्य प्रगति पर है। पम्पिंग स्टेशन मं. 7 एवं 8 हेतु कार्य शुरू होना बाकी है।

जोधपुर लिफ्ट केनाल पर पम्पसेट की हार्स पावर एवं क्षमता का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

पम्प गृह संख्या	पम्पिंग सेट्स का विवरण	
	संख्या	हार्स पावर (प्रत्येक पम्पिंग सेट)
1.	4	720
2.	4	585
3.	4	720
4.	4	475
5.	8	1185
6.	4	1185
7.	4	475
8.	4	680

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 11 सितम्बर, 1991)

भूमिगत पाइप लाइनों का लीकेज

28. **श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली), श्री गोविन्दसिंह गुजर (नसीराबाद) : एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) क्या यह सही है कि भूमिगत पाइप लाइनों में होने वाले लीकेज का पता लगाने व भूमिगत पाइप लाइनों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा पश्चिमी, जर्मनी, ब्रिटेन, और अमेरिका, की तीन कम्पनियों से वर्ष 1989 में उपकरण मंगवाने हेतु आदेश दिये गये और जून, 1989 में उपकरण जयपुर पहुंचे।

(2) क्या यह भी सही है कि जिस आतुरता से 14 लाख में उपकरण खरीदे गये उनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि जिन अभियन्ताओं को 3 लाख रुपये के खर्च पर प्रशिक्षण दिया गया वे इन उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहते।

(3) क्या सरकार सारे प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन एवं दिल्ली की एक फर्म को माह मार्च/अप्रेल, 1987 में क्रय आदेश दिये गये। वर्ष 1989 में इन उपकरणों की आपूर्ति हुई।

(2) जी नहीं। उपकरणों का उपयोग साधारणतया किया गया है।

(3) कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

राज्य के तदर्थ चिकित्सकों की सेवावृद्धि

126. **श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण):—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(1) कितने तदर्थ चिकित्सक सेवावृद्धि आदेश की प्रतीक्षा में कहां-कहां कार्यरत हैं।

(2) किन-किन चिकित्सकों को राज्य सरकार के आदेशों के अभाव में कितने दिनों से वेतन उपलब्ध नहीं कराया गया ? यह वेतन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तदर्थ चिकित्सकों को भविष्य में समय पर वेतन बराबर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत 368 चिकित्सा सेवा वृद्धि के आदेश की प्रतीक्षा में है। सूची सदन की मेज पर दी गयी है।

(2) वेतन सम्बन्धित सूचना प्रश्न के भाग एक के उत्तर में अंकित है। तदर्थ/

(चिकित्सा मंत्री)

अस्थाई चिकित्सकों को वेतन शीघ्र दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मंडियों के चुनाव

127. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों के चुनाव शीघ्र कराने की घोषणा विधान सभा में की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और उक्त समितियों के चुनाव कब तक कराने का राज्य सरकार का विचार है?

उत्तर

जी हां। पंचायत राज संस्थाओं व क्रय-विक्रय समितियों के चुनाव होने के बाद कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराये जायेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 128

(स्थगित)

जैसलमेर में भेड़ नस्ल सुधार योजना

129. **डा. जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या भेड़ ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले से कुल 4 लाख 68 हजार भेड़ें हैं?

(2) क्या यह सही है कि भेड़ पालकों को ऊन के विक्रय में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार फैडरेशन के द्वारा ऊन विक्रय योजनाओं की क्रियान्वित कब तक कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले के भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए कोई योजना तैयार की गई है?

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि किस-किस मद पर खर्च की जाएगी?

(5) उक्त योजना से कितनी भेड़ों की नस्ल में सुधार होगा तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1988 की पशु-गणना के अनुसार जैसलमेर जिले में भेड़ों की संख्या 4.84 लाख है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का पुनर्गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसका निर्णय होने पर ऊन क्रय-विक्रय की योजना को हाथ में लेना सम्भव होगा।

(3) जी हां, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं विभागीय कार्यक्रम के माध्यम से जैसलमेर जिले में चयनित प्रजनन से नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है।

(4) जैसलमेर जिले में इस योजना के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (सिंचित क्षेत्रीय विकास) एवं विभाग के द्वारा वर्ष 1991-92 में जैसलमेर जिले में मदवार निम्न प्रकार राशि रखी गई है:—

(भेड़ ऊन राज्य मंत्री)

सिंचित क्षेत्र का विकास:

1. चयनित जैसलमेरी भेड़ों की खरीद 1.50 लाख
2. मेमनों को दाना उपलब्ध कराने बाबत 0.80 लाख
3. स्वास्थ्य रक्षा (दवाइयां/टीका) 0.75 लाख
4. जानवर/ऊन का विपणन 0.30 लाख
5. पेड़ उगाने के लिए 1.00 लाख
6. भेड़ पालकों को प्रशिक्षण 0.10 लाख

कुल योग:—4.45 लाख

विभागीय मदवार राशि:—

क्र. सं.	मद	आयो. भिन्न	योजना	योग
1.	001 निर्देशन प्रशासन	3.08	—	3.080
2.	104 (प्रसार एवं एन कटाई केन्द्र	16 433	0.737	17.170
3.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	—	0 40	0.400
4.	लघु तथा सीमावर्ती किसान और कृषि मजदूर योजना (50 प्रतिशत केन्द्र प्रवृतित योजना)		1.70	1.700
	योग:—	19.513	2.837	22 350

5. सिंचित क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त योजना से करीब 10,000/—भेड़ों में नस्ल सुधार होगा व 150 से 200 भेड़पालक योजना से लाभान्वित होंगे।

शेष जिलों की भेड़ों व भेड़पालकों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा।

जयपुर जिला वृत के विद्युत उपभोक्ताओं में बकाया

130. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिला वृत में किन-किन उपभोक्ताओं पर 5 हजार या उससे अधिक की राशि कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन समय पर सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ? जबकि सामान्य उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन एक दो माह की बकाया पर ही काट दिया जाता है।

(3) क्या विभाग अब भी सक्षम तरीके से वसूली हेतु प्रयास करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिला वृत में जिन-जिन उपभोक्ताओं पर 5 हजार या उससे अधिक राशि बकाया है उनकी उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मण्डल द्वारा बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के नियमानुसार सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में कनेक्शन विच्छेद नहीं किये जा सके हैं उनमें अधिकांश मामलों में न्यायालय द्वारा स्टे-आर्डर दिये हुये हैं।

(3) विभाग सक्षम तरीके से वसूली हेतु प्रयास करता रहा है। इस कार्य में तेजी व प्रभावकारी ढंग से वसूली का कार्य करने हेतु प्रत्येक वृत में एक अधिशाषी अभियन्ता (वसूली) अलग से नियुक्त किया गया है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूज) रिकवरी एक्ट के अधीन तत्परता से वसूली करने के लिये प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों की मुस्तैदी से पैरवी करके स्टे-आर्डर वैकेट करवाने के प्रयास किये जाते हैं ताकि बकाया वसूल की जा सके। जयपुर जिला वृत्त के अधिशासी अभियन्ता (वसूली) ने करीब 5 माह की अल्प समयावधि में ही लगभग एक करोड़ रुपये की पुरानी बकाया राशि वसूल करली है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस विभागमें अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग

131. **श्री हेमराज** (किशनगंज):-क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर ने अपने आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलाग को केरीफारवड करने वाले नियम को हटा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इससे पूर्व आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को आयु एवं भौतिक मूल्यांकन में छूट थी ?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में एस. सी./एस. टी. के 108 निरीक्षकों के रिक्त पदों में से केवल 9 ही एस. सी., एस. टी. के अभ्यर्थियों को लिया गया है ?

(श्री हेमराज)

(4) क्या यह भी सही है कि रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनुसूचित जनजाति के 36 अभ्यर्थियों को चयन किया जाना था ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलांग को कैरी फारवर्ड करने वाले नियम को हटा दिया है।

(2) राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1974 जो वर्तमान में प्रभावशील राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 से पूर्व लागू थे में सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आयु में 5 वर्ष की छूट उपलब्ध थी और नये नियमों में भी आयु सम्बन्धी यह छूट उपलब्ध है।

भौतिक मूल्यांकन शब्द अस्पष्ट है। यदि इसका अर्थ राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में वर्णित फिजिकल फिटनेस से है तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1974 जो वर्तमान में प्रभावशील राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 से पूर्व लागू थे में सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊंचाई एवं सीने के निर्धारित माप में 5 सेन्टीमीटर छूट उपलब्ध थी और नये नियमों में भी यह छूट उपलब्ध है। यदि इसका अर्थ पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा, प्रेक्टिकल, परेड एवं आउटडोर टैस्ट से है तो पूर्व में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.3.80 के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिये योगात्मक परीक्षा (लिखित परीक्षा, परेड एवं अन्य आउटडोर टैस्ट) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई गई थी।

(3) गत 2 वर्षों में अर्थात् 1989-90 एवं 1990-91 में पुलिस निरीक्षकों के कुल 112 पदों हेतु आयोजित क्वालिफाइंग परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से वर्षवार चयनित किया गया है:–

वर्ष 1989–90	वर्ष 1990–91
रिक्त पदों की संख्या 47	रिक्त पदों की सख्या 65
चयनित निरीक्षक अनु. जाति 6	चयनित निरीक्षक अनु. जाति 6
चयनित निरीक्षक अनु. जनजाति 3	चयनित निरीक्षक अनु जन जाति 5
योग 9	योग 11

(4) 1990-91 में पुलिस निरीक्षक के कुल 65 रिक्त स्थानों के विरुद्ध 98 (नियमानुसार डेढ़ गुना) अभ्यर्थियों की चयन सूची में वर्ष 1989-90 के बैकलांग सहित 21 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को चयनित किया जाना था, परन्तु बोर्ड द्वारा 98 पुलिस निरीक्षकों की बजायकेवल 70 सफल अभ्यर्थियों की ही चयन सूची तैयार की गई। ऐसी परिस्थिति में अनु. जनजाति के बैकलांग सहित 18 अभ्यार्थियों का चयन किया जाना था। योग्य उम्मीदवारों के अभाव में केवल 5 ही अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी चयनित हो पाए।

छोटी सादड़ी तहसील में आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे कार्य

132. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार छोटी सादड़ी तहसील के कारूण्डा चौराहे से कारूण्डा ग्राम तक की संपर्क सड़क का आर. एल. ई. जी. पी. के तहत हुआ अधूरा कार्य पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार छोटी सादड़ी तहसील के बंगोरी जलोदा सड़क का निर्माण विभाग द्वारा किया गया अधूरा कार्य पूर्ण करवाने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में करूण्डा ग्राम की 3 कि.मी. की बकाया मेटल रोड आर. एल. ई. जी. पी. के तहत बनवाई गई थी। इसका डामरीकरण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 1992–93 में लिया जावेगा।

(2) बम्बोरी जालोदा सड़क की 5 कि. मी. लम्बी मेटल सड़क जो कि अकाल राहत के अन्तर्गत बनवाई गई थी का डामरीकरण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संभव हो सकेगा।

मोहिन्द्रा बाडी बिल्डर्स द्वारा तैयार बस बाडी-प्रकरण

133. **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोहिन्द्रा बॉडी बिल्डर्स द्वारा तैयार की गई 2 बसों की बॉडी तत्कालीन एम. डी. श्री आर.एन. मीणा के समय खुलवा दी गई थी ?

(2) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन एम. डी. ने दोषी अधिकारियों को निलम्बित करने के आदेश कर दिये थे और चेयरमैन ने उन आदेशों की पुष्टि कर दी थी ? यदि हां तो किन कारणों से चार माह बाद चेयरमैन ने अपने आदेश वापिस ले लिये।

उत्तर

(1) एक बस की बॉड़ी खुलवाई गई थी।

(2) उक्त बस निर्माण में अनियमितता के प्रकरण में श्री आर. एस. नवल, संभाग यांत्रिक अभियन्ता एवं श्री बसन्त सिंह, सहायक यांत्रिक अभियन्ता प्रारम्भिक दोषी पाये जाने पर उन पर क्रमांक 1721 दिनांक 2.4.91 एवं क्रमांक 1722 दिनांक 2.4.91 के द्वारा दोषारोपण-पत्र जारी किया गया।

(यातायात मंत्री)

प्रकरण में दोषी अधिकारी द्वारा चाहे गये डाक्यूमेन्ट्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, निलम्बन के कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये।

कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा के अतिरिक्त सचिव का अवकाश प्रकरण

134. **श्री मदन दिलावर** (अटरू)– क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा दिनांक 8-2-1991 से 28-2-1991 तक तथा 14-3-1991 से 31-3-1991 तक बिना छुट्टी के अपने कार्यालय फल एवं सब्जी मण्डी यार्ड से अनुपस्थित रहे? यदि हां, तो उनको उक्त अवधि के वेतन का भुगतान क्यों किया गया?

(2) यदि उन्होंने इस अवधि का वेतन उठा लिया है तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त अवधि का वेतन उपस्थिति के अनुसार उठाया गया है इसलिये इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 135 (स्थगित)।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही की फ्लोराइड युक्त एवं खारे पानी की समस्या

136. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही)–क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में फ्लोराइड युक्त एवं खारे पानी की समस्या है? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही हैं कि उक्त गांवों में खारे एवं फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कुबड़ापन क्षय रोग इत्यादि बिमारियां फैल रही हैं?

(3) क्या जवाई बांध से शिवगंज नगर एवं तहसील को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक लागू करने का विचार है?

(4) जिन गांवों में फ्लोराइड युक्त व खारे पानी की समस्या है उनमें खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के संयत्र लगाने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र के 74 एवं 6 ग्रामों की सूची प्रपत्र "क", "ख" में संलग्न है जहां क्रमशः फ्लोराइड तथा क्लोराइड मापदण्डों से अधिक है।

(2) अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से कुबडापन होने की

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जानकारी है। खारे पानी से कुबडापन अथवा क्षयरोग होने की जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। शिवगंज नगर हेतु संभावित स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

(4) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में पांच ग्रामों में एक-एक हैण्ड पम्प पर डिफ्लोरिडेशन संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है। फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार संभावित स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में मापदण्डों से अधिक फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांव

क्र.सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	4
1.	सिरोही	सिदरथ	33
2,	,,	बराडा	1
3.	,,	सतापुरा	2
4.	,,	मनोरा	3
5.	,,	भूतगांव	4
6.	,,	जामोतरा	5
7.	,,	पाडीव	10
8.	,,	बरलूट	13
9.	,,	मंडवारिया	14
10.	,,	देलदर	15
11.	,,	बावली	16
12.	,,	वाडेली	56
13.	,,	मामावली	34
14.	,,	उड	11
15.	,,	पीपलकी	26
16.	,,	मांडवा	28
17.	,,	मण्डवाडा	12
18.	,,	रामपुरा	25
19.	,,	बेलांगरी	55
20.	शिवगंज	सखमावास छोटा	15

1	2	3	4
21.	शिवगंज	बुडेरी	7
22.	,,	रोवाडा	3
23.	,,	लोटीवाडा बडा	22
24.	,,	माडानी	27
25.	,,	ओडा	28
26.	,,	सवली	25
27.	,,	बागसीन	59
28.	,,	मोरली	62
29.	,,	सरदारपुरा	61
30.	,,	बारेवेडा	60
31.	,,	जोयला	13
32.	,,	पालडी (एम)	65
33.	,,	कैलाशनगर	19
34.	,,	बादला	46
35.	,,	अखापुरा खारल	26
36.	,,	रानियाखेडा	29
37.	,,	सेऊडा	24
38.	,,	वान	18
39.	,,	राडबर	55
40.	,,	कोलर	63
41.	,,	वेरावीलपुर	64
42.	,,	केसरपुरा	39
43.	,,	गोला	8
44.	,,	अल्पा	9
45.	,,	अन्दोर	30
46.	,,	सगालिया	31
47.	,,	भेव	32
48.	,,	उम्मेदगढ़	21
49.	सिरोही	मोहब्बतनगर	19
50.	,,	गुडा	18
51.	,,	नवारा	17
52.	,,	फुंगनी	42

1	4	3	4
53.	सिरोही	नून	43
54.	,,	डोडुम्रा	21
55.	,,	वराल	36
56.	,,	घान्ता	58
57.	,,	मांकरोडा	59
58.	,,	फाचरिया	39
59.	,,	चडुम्राल	40
60.	,,	तवरी	41
61.	,,	फलवदी	52
62.	,,	सियाकरा	6
63.	,,	राजपुरा	130
64.	,,	मीरपुर	63
65.	,,	दरबारीखेडा	60
66.	,,	तेलपीखेडा	84
67.	,,	गोल	7
68.	,,	पादुरुखेडा	67
69.	,,	राजपुराखेडा	57
70.	,,	वाडाखेडा	9
71.	,,	पालडी	24
72.	,,	वेरापुरा	32
73.	,,	खांबल	23
74.	,,	कालन्दी	20

सिरोही विधानसभा क्षेत्र में मापदण्डों से अधिक क्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों की सूची

क्र.सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	शिवगंज	अखापुरा खारल	26
2.	,,	लोटीवाडा बडा	22
3.	,,	जोगापुरा	12
4.	,,	बुडेरी	7
5.	,,	गोला	5
6.	सिरोही	वाडाखेडा	9

तहसील सपोटरा एवं उप तहसील मडरायल के ग्रामों का विद्युतिकरण

137. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सपोटरा व उप तहसील मडरायल में किन-किन ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दोनों तहसीलों के विद्युतिकृत ग्रामों में से कौन-कौन से ऐसे ग्राम हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है ?

(3) क्या सरकार जिन ग्रामों को विद्युतिकरण किया गया है उनमें विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सपोटरा तहसील व मंडरायल उप तहसील के कुल 205 ग्रामों में से 103 ग्रामों का विद्युतिकरण मार्च, 1991 के अन्त तक किया जा चुका है। विद्युतिकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सपोटरा तहसील व उप तहसील मण्डरायल में निम्न 6 ग्राम ऐसे हैं जो विद्युतिकृत घोषित है परन्तु वहां पर लाइन का कार्य पूर्ण नहीं किया हुआ है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील
1.	सिमर	7/8/60	सपोटरा
2.	दरगवा	7/7/239	उप तहसील
3.	घटली	220	उप तहसील
4.	गोपालपुरा	237	मडरायल
5.	जाखोदा		,,
6.	दरगवा		,,

(3) जी हां। विद्युतिकृत ग्रामों में विद्युत संबंध हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राथमिकतानुसार विद्युत सम्बन्ध दिये जायेंगे। कृषि कनेक्शन पंचायत समिति में लम्बित प्रार्थना पत्र के अनुपात में वार्षिक योजना मद में उपलब्ध धन राशि व आवंटित लक्ष्य के अनुरूप दिये जाते हैं। अतः कनेक्शन देने की निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

तहसील सपोटरा जिला सवाई माधोपुर के विद्युतिकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	खेड़ला	7/8/1
2.	एदलपुरा	2
3.	मांढा	3
4.	नीमोदा	4
5.	बड़ोदा	5
6.	जीरोता	6
7.	नारोली	7
8.	मसावता	8
9.	बैरूण्डा	9
10.	हरिसिंहपुरा	10
11.	खिदरपुर	11
12.	भरतुन	12
13.	खिड़खिड़ा	13

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
14.	बालोती	14	41.	रानेटा	46
15.	जटवाड़ी	15	42.	जोड़ली	47
16.	सलेमपुर	16	43.	अड़दा	48
17.	रामपुर पालान	17	44.	गांवदा	49
18.	महमदपुर	18	45.	एकट	50
19.	गोकलपुरा	19	46.	रूपपुरा	51
20.	रूड़ी	20	47.	पदमपुरा	52
21.	कुरगांव	21	48.	गढ़ी-का-गांव	53
22.	मंडावरा	22	49.	हाड़ोती	54
23.	बाढ़ साग्यिा	23	50.	फतेहपुर	55
24.	हंजापुर	29	51.	सेंमरदा	56
25.	थमा	30	52.	किरोड़ी	57
26.	डिकोली खुर्द	31	53.	बगीदा	59
27.	खेड़ा	32	54.	सिमर	60
28.	लेन्दिया	33	55.	निसाना	63
29.	कुरावदा	34	56.	बकना	64
30.	डिकोली कलां	35	57.	खानपुर	65
31.	कचरोदा	36	58.	चोड़ा गांव	66
32.	शेखपुरा	37	59.	धलवास	67
33.	डावरा	38	60.	खांवदा	68
34.	सादपुरा	39	61.	गज्जपुरा	69
35.	सिंगपुरा	40	62.	जोड़ी	70
36.	खिड़खिड़ी	41	63.	तुरसंगपुरा	71
37.	लुलोज	42	64.	गोपीपुरा	72
38.	इनायती	43	65.	कौरतपुरा	77
39.	जाखोदा	44	66.	रतनापुरा	74
40.	ओड़च	45	67.	काली डूंगरी	75

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
68.	बलुग्रापुरा	76
69.	गोठड़ा	77
70.	वापोती	78
71.	सपोटरा	79
72.	मिझौरा	80
73.	बाजना	81
74.	रामपुरा	82
75.	बुढ़ा बाजना	83
76.	ग्रमरवाड़	84
77.	अमरगढ़	86

मंडरायल उप तहसील जिला सवाई माधोपुर के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	गढ़ी का गांव	7/7/185
2.	लागंरा	198
3.	बुगडार	199
4.	चन्देली	203
5	रोधई	204
6.	नीदर	207
7.	जयगढ़पुरा	208
8.	खिरकन	206
9.	मांगेपुरा	210
10.	गढ़वार	212
11.	नया गांव	213
12.	मकनपुर	214
13.	भट्टपुरा	215
14.	भोजपुर	216
15.	मण्डरायल	217
16.	फिरोजपुरा	218
17.	झारीला	219
18.	घटली	220
19.	जाखौदा	222
20.	घोरेटा	235
21.	गोपालपुरा	237
22.	पांचोली	238
23.	दगांवा	239
24.	तुसलमपुर	242
25.	रानीपुरा	243
26.	बरेड़	244

जिला सवाई माधोपुर में चोरी, डकैती एवं बलात्कार के प्रकरण

138. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1990-91 में जिला सवाईमाधोपुर में चोरी, डकैती एवं बलात्कार के कुल कितने मामले दर्ज हुए। सूची सदन की मेज पर मय थानावार रखें।

उत्तर

वर्ष 1990 में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर जिला सवाई माधोपुर में चोरी के 654 मुकदमें डकैती के 11 मुकदमें व बलात्कार के 38 मुकदमें दर्ज हुए थे। वर्ष 1991 में 1 जनवरी से अगस्त तक जिला सवाई माधोपुर में चोरी के 426 मुकदमें, डकैती के 9 मुकदमें व बलात्कार के 32 मुकदमें दर्ज हुए है। जिनकी थानावार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं।

वर्ष 1990 में तथा 31 अगस्त, 1991 तक जिला सवाई माधोपुर में चोरी, डकैती व बलात्कार के दर्ज मुकदमात की थाने वाइज सूची

क्र.सं.	नाम थाना	चोरी		डकैती		बलात्कार	
		वर्ष 1990	अगस्त, 91 तक	वर्ष 1990	अगस्त, 91 तक	वर्ष 1990	अगस्त 91 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सवाई माधोपुर	61	31	–	–	1	2
2.	मान टाऊन	33	36	–	–	5	1
3.	चौथ का बरवाडा	6	6	–	–	1	–
4.	खण्डार	16	19	–	–	2	5
5.	बोली	13	6	–	–	3	–
6.	खाजूना डूंगर	17	10	–	–	–	–
7.	मलारना डूंगर	16	20	–	–	6	1
8.	गंगापुर सिटी	81	44	–	–	4	2
9.	बजीरपुर	13	8	–	1	–	–
10.	गढ़मोरा	10	4	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	नादोता	18	17	–	–	–	2
12.	बामनवास	13	10	–	–	1	–
13.	करौली	71	50	–	–	2	5
14.	कैला देवी	14	5	2	–	2	1
15.	मासलपुर	25	13	–	2	–	3
16.	मण्ड्रायल	9	3	–	–	2	–
17.	सपोटरा	16	11	1	–	–	2
18.	हिण्डौन सिटी	65	43	2	–	2	2
19.	श्री महावीर जी	17	7	–	–	1	1
20.	सुरोठ	42	23	2	–	1	1
21.	सलेमपुर	23	8	1	1	3	1
22.	टोडाभीम	32	19	–	–	1	1
23.	महुवा	24	16	2	4	–	1
24.	मण्डावर	19	17	1	–	–	–
कुल योग :		654	426	11	9	38	32

नगरपालिका अधिकारियों की पदोन्नति

139. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिकारियों की पदोन्नति उनकी 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद भी नहीं की गई ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार इनकी पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारियों के वेतनमान उनके नियन्त्रण में कार्य करने वाले अधिकारियों से कम है ?

(4) क्या राज्य सरकार इनके वेतनमानों को संशोधित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनका न्यूनतम वेतन राजस्थान सेवा स्तर के किस अधिकारी के समतुल्य किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सेवा के कई अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नतियां दी गई हैं।

(2) नियमित पदोन्नति के लिए पदोन्नति मण्डल की बैठकें आयोजित की जा रही है। पूर्ण होते ही नियमित पदोन्नति की जावेगी।

(3) कुछ पदों का वेतनमान उनके नियन्त्रण में कार्य करने वाले अधिकारियों से कम है।

(4) जी हां। वेतनमान संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। रिपोर्ट आने पर न्यूनतम वेतन के विषय में विचार किया जावेगा।

पलसाना (दातारामगढ़) में फलदार पौधे अनुसंधान केन्द्र

140. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पलसाना, तहसील दातारामगढ़ में सरकारी जमीन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा फलदार पौधे अनुसंधान केन्द्र खोलने की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, हो तो फिर इसको अब बीकानेर जिले में स्थानान्तरित क्यों किया रहा है ?

(2) क्या सरकार इसको अविलम्ब ग्राम पलसाना, जिला सीकर में खोलने की स्वीकृति प्रदान करवाकर जिले के किसानों को राहत देगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) अभी योजना नहीं है।

बीकानेर, चूरू, गंगानगर जिलों में कृषि कूप निर्माण

141. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर, चूरू, गंगानगर जिलों में कृषि हेतु बहुत से कुओं का निर्माण हो चुका है परन्तु काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन देने के लिए कोई प्रायोरिटी या मानदंड रखा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1991-92 में कनेक्शन नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार जीवन धारा योजना के अन्तर्गत निर्मित कृषि कूप को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर जिलों में काश्तकारों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन निर्धारित नीति के अनुसार दिये जा रहे हैं। इन तीन जिलों में दिनांक 31-3-91 तक क्रमशः 94,1038 एवं 7360 कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके थे। वर्ष 1991-92 में इन जिलों में कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन देने के लक्ष्य क्रमशः 10, 145 तथा 375 है।

(2) कृषि कुओं को वर्ष 1991-92 में विद्युत कनेक्शन देने के लिये नीति आदेश दिनांक 26-4-91 द्वारा जारी की गई है जिसकी एक प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। इस नीति में परिवर्तन का अभी कोई विचार नहीं है।

(3) वर्ष 1991-92 की नीति के अनुसार जीवन धारा के अन्तर्गत कृषि कुओं को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
(वाणिज्यिक कार्यविधि विभाग)

क्रमांक : रा.रा.वि.मं./डी सी.ओ./पत्रा. 4(68)/91/टैरीफ/प्रे. 11159
जयपुर, दिनांक 26 अप्रेल, 1991

आदेश

विषय—कृषि कनेक्शन देने सम्बन्धी वर्ष 1991–92 की नीति-मार्गदर्शिका

इस आदेश से पूर्व इस विषय पर प्रसारित सभी आदेश/सूचनायें को निष्प्रभावित कर, मण्डल की 405वीं बैठक जो 26 अप्रेल, 1991 को सम्पन्न हुई, में लिये गये निर्णयों के अनुसार कृषि श्रेणी में वर्ष 1991–92 नये कनेक्शन दिये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शिका स्वीकार की जाती है —

1. नये मांग पत्र मद संख्या 7 के क्रम में मण्डल के अग्रिम आदेश तक प्रसारित नहीं किये जायें।

2. ऐसे आवेदकों को जिन्होंने 31 मार्च, 1991 तक जारी मांग पत्रों की राशि जमा कर दी है या निर्धारित अवधि में जमा करा देंगे को कनेक्शन दिया जायेगा।

3. ऐसे विद्युतीकृत गांव जिनमें, विद्युत कनेक्शन नहीं है, में लम्बित प्रार्थना पत्रों में से दो कनेक्शन दिए जायेंगे।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए इस वर्ष के समग्र लक्ष्य 25,000 कुओं का 20 प्रतिशत लक्ष्य रहेगा। जिलावार लक्ष्यों का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ग्रा. वि.) रा. रा. वि. म. जयपुर करेंगे।

5. डी. आर. डी. ए. द्वारा मान्य सामुदायिक और सहकारिता के आधार पर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए लम्बित आवेदनों को कनेक्शन दिये जायेंगे।

6. जलधारा योजना में समस्त लंबित आवेदनों पर कनेक्शन देने हेतु विचार किया जायेगा बशर्ते यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991–92 में भी जारी रहे।

7. शेष लक्ष्यों (मद संख्या 2 से 6 उपरोक्त में वर्णित को छोड़कर) का मुख्य अभियन्ता (ग्रा. वि.) विभिन्न जिलों में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या के अनुपात में निर्धारण करेंगे। ये कनेक्शन ऐसे सभी आवेदकों को जो समस्त औपचारिकतायें पूरी कर देंगे - को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिये जायेंगे भले ही आवेदन पत्र किसी भी वर्ष में पंजीकृत हुए हो।

8 पूर्व लंबित आवेदकों से 1/2 वर्ष के लिए रुपये 1000/- व रुपये 2000/- अग्रिम राशि स्वीकार कर दोहरी प्राथमिकता योजना को 15 जनवरी, 1991 के पश्चात समाप्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मण्डल के आदेश संख्या रा. रा. वि. मं /स(प्र. एवं वि)/प्र —789 दिनांक 12-1-1990 के द्वारा सूचित किया जा चुका है और पुनः रा. रा. वि. म./मु. अ. (वा.) सी./पत्रा-4 (73) एल./प्र -13151 दिनांक 22-12-1990 के द्वारा इसे दोहराया गया है।

9. अविद्युतीकृत गांवों में तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने की योजना समाप्त की जाती है।

10. राज्य सरकार के निर्देश (डाइरेक्टिव) संख्या पत्रा.-21/190 ऊर्जा/88 दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 11 के. वी./एल. टी. लाइन हेतु सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को रुपये 4000/- का अनुदान एक पोल प्रति हार्स-पॉवर सम्बद्ध भार की दर से देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कनेक्शन 10 पोल तक होगी।

11. कृषि उपभोक्ता को मीटर या फ्लैट रेट से आपूर्ति का विकल्प देना होगा।

12. कुएं के शुष्क हो जाने अथवा प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप कुएं के नष्ट हो जाने पर कृषि उपभोक्ता का सम्बन्ध विच्छेद होने की स्थिति में कनेक्शन विच्छेद की अवधि का न्यूनतम शुल्क विद्यमान मार्गदर्शिका जो मण्डल के आवेदन संख्या रा. रा. वि. मं./डी. पी. ओ./सी. - 1/पत्रा. नागौर-81/74/प्र.-6531 दिनांक 10-11-1989 के द्वारा प्रसारित की गई है, नहीं लिया जायेगा।

13. सामान्य श्रेणी के आवेदकों से रुपये 1000/- जो आवेदन पत्र के साथ अग्रिम लिये जाते थे, को 1 जून, 1991 से घटाकर 250/- रुपये कर दिया है। यह राशि मांग पत्रों की राशि में समायोजित कर दी जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में अग्रिम जमा राशि नहीं

ली जायेगी। सभी आवेदनकर्त्ताओं से आवेदन पत्र शुल्क प्रति आवेदन 25 रुपये यथावत रूप से लिया जाता रहेगा।

14. प्रसारण एवं वितरण हानि को स्थिर/प्रतिबन्धित रखने की दृष्टि से कृषि श्रेणी के समस्त नये कनेक्शन अब यह सुनिश्चित करने के बाद ही किये जायें कि उप-प्रसारण और वितरण तंत्र भावी उपभोक्ता की मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता रखता है।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

(आर. एस. धारीवाल)
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

संगरिया गोलीकाण्ड में हुए घायलों को मुआवजा

142. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) :—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले के संगरिया तहसील के ढोल नगर गांव के पास आतंकवादियों को गोली से बस पर सवार काफी यात्री घायल हुये उनमें से एक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और दूसरा गम्भीर रूप से घायल एस. एम. एस अस्पताल, जयपुर, में उपचारत् है ? राज्य सरकार ने इनके परिवारों को कितना मुआवजा दिया ?

(2) क्या यह सही है कि इन नौजवान लड़कियों को 15 दिन पहले शादी हुई थी, ये दोनों लड़कियां राजस्थान के गांवों की थी, और शादी भी राजस्थान के गांवों में हुई थी जबकि पुलिस ने इनको पंजाब का बताया है ?

(3) क्या यह सही है कि केवल दस हजार रुपया ही मुआवजा दिया गया और संगरिया की अन्य वारदातों में यह मुआवजा एक लाख रुपये कर दिया गया था ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश द्वारा मृतक दर्शनपाल कौर के पति श्री रणधीरसिंह को 10,000/–रु. व घायल श्रीमती गौमती के पति को 1000/–रु. एक्स ग्रेसिया सहायता मंजूर की गई।

(2) मृतका श्रीमती दर्शनपाल कौर निवासी ढाणी अयालकी जिला श्री गंगानगर का विवाह घटना तिथि से 22 रोज पूर्व ग्राम वजीतपुर पंजाब में हुआ था, श्रीमती गौमती, जिला गंगानगर की रहने वाली है, जिसका विवाह घटना से काफी समय पूर्व दिनांक 5.6.85 को ग्राम शेरे का थाना टीबी, जिला गंगानगर में हुआ था।

(3) यह सही है कि केवल दस हजार रुपये की एक्स ग्रेसिया सहायता दी गई न कि मुआवजा। अन्य वारदातों के संबंध में प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अवधि की व किस प्रकार की वारदात से इसका सम्बन्ध है।

नगरपालिकाओं की नगर परिषदों में क्रमोन्नति

143. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचापदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किसी भी नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के लिये कितनी जनसंख्या होना जरूरी है और क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में भीलवाड़ा को नगर परिषद् में क्रमोन्नत करने हेतु आसपास के गांवों की जनसंख्या जोड़ी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि बालोतरा से जसोल-जेरला-बीटूजा-मांजीवासा इत्यादि गांव बिल्कुल जुड़ चुके हैं और इनकी आबादी मिलाने से यह जनसंख्या नगर परिषद् के लिए पर्याप्त होगी ?

(श्री चम्पालाल बाठिया)

(4) क्या यह भी सही है कि वित्तीय एवं अन्य दृष्टि से बालोतरा नगरपालिका परिषद् बनने लायक है ?

(4) यदि हां, तो अब कब तक बालोतरा नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किसी नगरपालिका को नगरपरिषद में क्रमोन्नत करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानानुसार जनसंख्या एक लाख से अधिक परन्तु पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) जी हां। उन गांवों को नगरपरिषद क्षेत्र में सम्मिलित कर उनकी जनसंख्या जोड़ी गई थी।

(3) बालोतरा कस्बे की सीमा में जसोल, जैरला-बीटूजा, मांजीवाला, आदि गांव यदि सम्मिलित कर लिए जावें तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार करीब 61,300 जनसंख्या होती हैं, किन्तु जब भी वह नगरपरिषद बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(4) नगरपालिका, बालोतरा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। परन्तु जनसंख्या के अनुसार नगर परिषद बनने लायक नहीं है।

(5) नगरपालिका की जनसंख्या एक लाख से अधिक होने पर नगरपालिका को क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

जिला कोटा एवं बारां के ग्रामों का विद्युतिकरण

144. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में वर्ष 1990-91 में गांवों के विद्युतिकरण हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये ? कोटा एवं बारां जिले हेतु समय-समय पर जारी किये गये कार्यक्रमों को सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बार-बार ग्रामीण विद्युतिकरण के फेज प्रोग्राम बदलने का क्या कारण है ?

(3) कोटा एवं बारां जिले में वर्ष 1990-91 में किन-किन गांवों का विद्युतिकरण किया जाना था तथा किन-किन गांवों का विद्युतिकरण कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा एवं बारां जिले में वर्ष 1990-91 में कितने गांवों एवं कुओं का विद्युतीकरण किया जाना है। सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 में दिनांक 9-7-1990, 25-7-1990, 29 जनवरी, 1991, 27 फरवरी 1991, 25 मार्च, 1991 तथा 30 मार्च, 1991 को प्रान्त में क्रमशः 402, 662, 205, 66, 1 एवं 19 ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु आदेश प्रसारित किये गये। कोटा एवं बारां जिलों में उक्त आदेशों द्वारा वर्ष 1990-91 में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बार-बार ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु कोई भी फेज प्रोग्राम नहीं बदला गया, अपितु उक्त आदेशों द्वारा अतिरिक्त ग्रामों

(ऊर्जा मंत्री)
को भिन्न-भिन्न चरणों में विद्युतिकरण करने के आदेश दिये गये।

(3) कोटा एवं बांरा जिलों में वर्ष 1990–91 में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची एवं विद्युतिकृत ग्रामों की सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वर्ष 1991-92 में कोटा जिले में 12 ग्रामों का विद्युतिकरण एवं 515 कुओं का ऊर्जीकरण तथा बारां जिले में 39 ग्रामों का विद्युतिकरण एवं 345 कुओं का ऊर्जीकरण करना प्रस्तावित है। सूची "स" व "द" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जवाहर रोजगार योजना में लेबर एवं मैटेरियल अनुपात

145. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में लेबर और मेटेरियल के अनुपात का नियमों/निर्देशों में क्या प्रावधान है ?

(2) क्या राज्य सरकार अपना गांव, अपना काम योजना के नियमों में परिवर्तन कर 70 प्रतिशत सरकार एवं 30 प्रतिशत जन सहयोग के नियमों को समाप्त करना चाहती है ?

(3) क्या सरकार द्वारा जारी किये गये जवाहर रोजगार योजना के निर्माण कार्यों में लेबर एवं मैटेरियल के प्रावधानों में संशोधन करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में लेबर और मैटेरियल का अनुपात क्रमशः 60 : 40 है। यह प्रावधान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

भ्रमणशील इकाई द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर

146. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) :—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रमणशील इकाई ने गत दो वर्षों में कहां-कहां, कितने-कितने दिन के लिये चिकित्सा शिविर लगाये ?

(2) जब से भ्रमणशील इकाई बनी है क्या कभी थानागाजी क्षेत्र में शिविर लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया है (परिशिष्ट क एवं ख)

(2) इस इकाई की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। वर्ष 1985-86 में थानागाजी (अलवर) में एक नेत्र एवं दन्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें 345 आंखों के मरीजों का एवं 90 दन्त रोगियों का बहिरंग चिकित्सा परामर्श देकर उनमें से 80 के आंखों के एवं 41 के दांतों के आपरेशन किये गये। इसके अतिरिक्त थानागाजी क्षेत्र में प्रतापगढ़ (अलवर) में भी वर्ष 1983-84 में एक नेत्र एवं दन्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था।

परिशिष्ट ख

aan, Jaipur, From Sept., 90 To April, 1991

or	Eye opd	opr	Dental opd	opr	F. W. opr	Pad. opd	Cans. opd	Medicine opd	Total opd.	Total opr
	729	216	78	49	—	—	—	—	807	265
	403	153	—	—	—	—	—	—	403	153
	1105	304	71	53	—	22	—	984	3127	581
-	570	139	120	58	—	—	—	—	690	197
	909	200	233	217	—	—	01	956	2857	628
-	323	172	128	13	—	—	07	—	495	215
	795	207	166	165	—	65	—	996	2781	651
	719	418	159	142	—	—	—	1284	3256	888
	752	137	152	160	—	79	03	1142	3475	531
	573	1.0	110	46	—	73	—	743	1907	230
-	359	168	100	65	—	—	—	—	459	233
	802	183	191	149	—	127	—	648	2481	487
-	685	151	138	71	-	—	5	—	922	222
	985	153	198	167	—	155	—	1125	3553	496
-	753	177	138	80	—	—	5	—	917	257

(398)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Nokha (Bikaner)	16-4-91	Gen.	84	93	171	18	247
17.	City Hospital			—	—	—	—	—
18.	Dity Dispensary			—	—	—	—	—
			Total	2983	1255	1241	136	220

1. Blood 15, (2) X-Ray 2064, (3) T. B. Patient 1816 (4) B. C. G, -
Total Outdoor Patients—53027, Total Operations—7031

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की पेयजल योजनाएं

147. **श्री शान्तिलाल** (राजसमंद)–क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में कांकरोली, बडारडा, बनेडिया बिनोल भाणा एवं चौकड़ी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हेतु राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

( ) यदि हां तो उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त योजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाओं में असामान्य लम्बी अवधि व्यतीत हुई है ?

(4) यदि हां, तो इस विलंब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) शहरी पेयजल योजना कांकरोली के प्रथम चरण की, तथा बडारडा ग्रामीण पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं। ग्राम बनेड़िया, बिनौल तथा भाणा योजनाएं विचाराधीन हैं। ग्राम चौकड़ी हेतु अभी तक योजना नहीं बनाई गई है।

(2) विचाराधीन योजनाओं के तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं है।

नारलाई (पाली) में कृषि विद्युत कनेक्शन

148. **श्री अचलाराम** (देसूरी):–क्या ऊर्जा मन्त्री मह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री मांगीलाल पुत्र श्री चूनाजी चौधरी निवासी नारलाई तहसील देसूरी (पाली) ने दिनांक 3-8-1979 को प्राथमिकता सं. 37 कृषि भूमि खसरा नं. 362 पर कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए रु. 1520/- (एक हजार पांच सौ बीस रुपये) दिनांक 28-3-1990 रसीद नं. 595239/7 द्वारा सहायक अभियन्ता, रा. रा. वि. मण्डल देसूरी (पाली) में जमा करा दिये थे ?

(2) यदि हां, हो तो प्रार्थी के कुए पर अब तक कनेक्शन क्यों नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि किसी अन्य किसान के कुए पर कनेक्शन हुआ है जिसने बाद में पैसे जमा कराये थे ? यदि हां तो किसके और यदि यह अनियमितता है तो सम्बन्धित ए. इ एन. व. जे. इ. एन. के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? समस्त जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मांगीलाल पुत्र चुनाजी चौधरी द्वारा, 3-8-79 की प्राथमिकता संख्या 37 कृषि भूमि खसरा नं. 362 पर कृषि कनेक्शन, जो कि वरियता रजिस्टर में मांगी लाल पुत्र सूनाजी के नाम से इन्द्राज है, पैसे भरे गये थे।

(2) मांगी लाल पुत्र चुनाजी के द्वारा डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा कराने के

(ঊ)

(ऊर्जा मंत्री)

बावजूद भी उसे विद्युत कनेक्शन अभी तक इसलिएनहीं दिया गया हैं कि वास्तव में कनेक्शन मांगी लाल पुत्र सूजाजी की जमीन पर दे दिया गया है और इस विषय में मांगी लाल पुत्र चूनाजी के द्वारा शिकायत करने पर विद्युत मण्डल के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर यह निर्णय लिया जाएगा कि विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा मांगीलाल पुत्र सूजाजी की जमीन पर सही दिया गया या गलत दिया गया है। जांच में अगर मांगीलाल पुत्र सूजाजी के नाम से गलत कनेक्शन दिया हुआ पाया गया तो उस कनेक्शन का सम्बन्ध विच्छेद किया जाकर सही व्यक्ति को कनेक्शन दिया जाएगा।

(3) अभी अब स्टेज पर यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस सम्बन्ध में जो कनेक्शन दिया गया है वह किसी सही व्यक्ति को दिया गया है या गलत व्यक्ति को क्योंकि अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। जांच पूर्ण होने के बाद ही दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

डूंगरपुर जिले की इन्दिरा आवास योजना

149. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष डूंगरपुर जिले में इन्दिरा आवास के कितने भवन स्वीकृत हुये थे। पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इन भवनों का पेमेन्ट पूरा कर दिया गया है ?

(2) इस वर्ष डूंगरपुर जिले में कितने नये पुराने कुए स्वीकृत हुए ? इन कुओं के पेमेन्ट की क्या स्थिति है ? कितने कुओं के पेमेन्ट पूरे हो गये हैं तथा कितनों के बाकी हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वर्ष डूंगरपुर जिले में बंजर भूमि विकास के अन्तर्गत कितनी भूमि में कितनी पंचायतों में हवाई बीज छिड़काव किया गया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) इस हवाई बीज छिड़काव में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं ?

(5) गत वर्ष हवाई बीज छिड़काव में होने वाले हवाई बीज छिड़काव, हवाई जहाज का, बीज खरीद, बीज कहां से खरीदा, बीज खरीद के टेण्डर, वाहन खर्च, अधिकारियों का यात्रा भत्ता, आदि जो भी खर्च हुआ उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस वर्ष इन्दिरा आवास के कोई भवन स्वीकृत नहीं हुये।

(2) इस वर्ष कोई नये पुराने कुये स्वीकृत नहीं हुये।

(3) गत वर्ष डूंगरपुर जिले में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2510 हैक्टर भूमि तथा सात पंचायतों में हवाई बीज छिड़काव किया गया।

(4) हवाई बीज छिड़काव में मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट अनुसार अनुमानित

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

44.12 प्रतिशत पौधे प्रति हैक्टर जीवित हैं।

(5) गत वर्ष हवाई बीज छिड़काव पर 6.51 लाख रुपए का व्यय हुआ, आईटमवाइज विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) हवाई जहाज पर–1.38 लाख रु.

(2) बीज खरीदने पर 4.30 लाख रु.

(3) बीज निम्न फर्मों से क्रय समिति गठित कर क्रय किया गया जो निम्न हैं:—

(अ) बेहु ट्रेडर्स, इन्दौर

(ब) अरावली बीज विनिमय कम्पनी ब्यावर (राज.)

(स) आर. आर. सीडस, इन्दौर

(द) राजसंघ, उदयपुर

(य) पीडो माडा

परिवहन पैकिंग चार्ज, बिक्री कर आदि का खर्च 0.21 लाख वाहन, अधिकारियों के भत्तों आकस्मिक एवं अन्य व्यवस्था पर 0.62 लाख रु. इस प्रकार कुल 6.51 लाख रु. का व्यय हुआ है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेरवाड़ा का भवन

150. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा):–क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेरवाड़ा का भवन राज्य सरकार ने बनवाया है ? यदि हां, तो कब और कहां ?

(2) क्या यह भी तो सही है कि वर्तमान में वह भवन खाली पड़ा है और उसकी टूट-फूट हो रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उसकी देख-रेख के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, इसका निर्माण वर्ष 1986 में पूरा हुआ तथा यह गांव से दूर पहाड़ी पर बनाया गया है।

(2) जी हां, इसकी देखरेख के लिये विभाग ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा रखा है।

तारांकित प्रश्न संख्या 151

(स्थगित)

अरनोदा (बांसवाड़ा) सड़क का निर्माण कार्य

152. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल):–क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा नगर से पंचायत समिति अरनोदा जिला चित्तौड़गढ़ वाया माही डेम घन्टाली गांव सुरपुर तलाइयां, गोतमेश्वर तक पक्की सड़क नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त सड़क का सर्वे कराकर पक्की सड़क बनवाने का

(५०२)

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बांसवाड़ा नगर (किमी. 0/0) से केलामेला पंचायत मुख्यालय (किमी. 26/0) तक पक्की (डामर) सड़क बनी हुई है । केलामेला (किमी. 26/0) से घन्टाली पंचायत मुख्यालय (किमी. 36/0) तक एक किमी. की लम्बाई ग्रेवल टुकड़े को छोड़कर (मेटल) सड़क बनी हुई है । घन्टाली पंचायत मुख्यालय (किमी. 36/0) से पिपलिया (किमी. 58/0) तक कच्ची सड़क व पिपलिया से गोतमेश्वर (किमी. 60/0) तक ग्रेवल सड़क बनी हुई है ।

(2) उक्त सड़क के शेष भाग को पक्का (डामर सड़क) बनवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निकट भविष्य में सम्भव नहीं होगा ।

सहायक नगर नियोजकों की नियुक्ति

153. **श्री बिरधाराम** (मकराना) : नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, अगस्त, 1989 में चार छात्रों को सहायक नगर नियोजक पद के लिये चयनित कर 5 वर्षों की सेवा के लिये बौण्ड भरवाकर सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग के लिये भेजा था ?

(2) यदि हां, तो इनको ट्रेण्ड होकर आने के बाद भी 8 महीने तक नियुक्ति नहीं दी गई सरकार कब तक इनको नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री सत्यनारायण सिंह आई. ए. एस. के पुत्र श्री रिपुंजय सिंह को अप्रेल, 1991 में नियमों के विरुद्ध (निजी खर्चे पर ट्रेण्ड) सहायक नगर नियोजक पद पर नियुक्ति दे दी गई है, यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन चारों छात्रों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है ।

(3) आयोजना (जनशक्ति विभाग में पंजीकृत श्री रिपुन्जयसिंह की नियुक्ति विभाग में उपलब्ध सहायक नगर नियोजक (प्लानीग एण्ड रिसर्च) के रिक्त पद पर निर्धारित योग्यता धारित होने व मात्र एक पंजीकृत प्रत्याशी की सूची प्राप्त होने के कारण सीधी भर्ती के कोटे में राज्य सरकार के द्वारा की गई है । यह प्रकरण उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों से भिन्न है ।

(नगरीय विकास मंत्री)

(4) जी हां। नियुक्ति दे दी गयी है।

प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति

154. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1965 सिड्यूल-आई के ग्रुप-ए-II हैल्थ साइड -3 (सी) के अनुसार स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति 100 प्रतिशत सीधी भर्ती निर्धारित योग्यताधारियों में से की जाती है।

स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं पर निर्णय के उपरान्त ही संभव हो पायेगी।

फालना व सुमेरपुर (पाली) में आवास आवंटन

155. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में फालना व सुमेरपुर में आवासन मण्डल द्वारा जनता की आवश्यकता को देखते हुए आवास गृह आवंटन के लिये विज्ञप्ति निकाली थी ? यदि हां, तो क्या काफी संख्या में लोगों ने फार्म भरकर प्राथमिकता राशि के रुपये 1,000/- प्रति फार्म जमा कराये थे ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने राशि किस वर्ष में जमा करवाई तथा कब तक भवन बनाकर उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

(2) क्या भवन निर्माण हेतु आवासन मण्डल ने भूमि की व्यवस्था कर ली है। यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं।

(3) क्या पूर्व में भी इस सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये।

(4) क्या आवासन मण्डल द्वारा इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी कर जनता से मात्र फण्ड इकटठा करने का ही विचार था ?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले के फालना कस्बे में वर्ष 1989 में एवं सुमेरपुर में वर्ष 1982, 1985, 1989 में पंजीकरण हेतु विज्ञप्तियां निकाली गयी थी, जिसके तहत आय वर्गानुसार आवेदकों की संख्या और उनके द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण वर्षवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इनमें से सुमेरपुर में 134 मकानों का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) ।

निर्माण कर 87 का कब्जा दिया जा चुका है। शेष आवेदकों के लिए भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में समझौता वार्ता चल रही है, सफल नहीं होने पर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(2) सुमेरपुर में 162 भूखण्ड नगर परिषद से खरीदे जा चुके हैं तथा फालना में भूमि की व्यवस्था करने हेतु किसानों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। इसके बाद श्री पोपट लाल से 45 बीघा भूमि आपसी समझौते से क्रय करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड प्रथम, जोधपुर

वर्ष 1982			वर्ष 1985		वर्ष 1989	
आय वर्ग	आवेदकों की संख्या	राशि	आवेदकों की संख्या	राशि	आवेदको की संख्या	राशि
आ. द. क.	15	7,500	—	—	83	64,500
अल्प आय वर्ग	44	79,200	—	—	454	8,33,000
म. आ. वर्ग "अ"	40	1,20,000	5	15,000	—	—
म. आ. वर्ग "ब"	50	2,30,000	—	—	—	—
उच्च आय वर्ग	3	30,000	1	10,000	—	—
	152	4,66,700	6	25,000	537	8,97,500

कुल आवेदकों की संख्या— 695 (कुल पंजीकरण राशि— 13,89,200/–)

शहर का नाम :— फालना— वर्ष 1989

आ. द. क.	71	28,500
अल्प आय. वर्ग	367	10,500
कुल आवेदक	438	3,39,000

चिकित्सा विभाग में नियुक्तियां

156. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चिकित्सा विभाग में माह सितम्बर, 1989 से जून, 1991 तक कितने कर्मचारियों को किस-किस अधिकारी द्वारा कहां-कहां नियुक्ति दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियुक्तियां देने से पहले इन रिक्तियों का विज्ञापन किसी समाचार पत्र में दिया गया था ? यदि हां, तो किसमें और यदि नहीं, तो कौन-कौन अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा माह सितम्बर, 1989 से जून, 1991 तक कुल 3347 विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को निदेशालय तथा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारियों एवं संयुक्त निदेशक जोन द्वारा नियुक्ति दी गई हैं।

जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। स्टाफ नर्सेज, प्रसाविकाएं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता तथा मेल नर्स ग्रेड–2 को नियुक्तियां प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त दी गई हैं। शेष पदों पर रोजगार कार्यालयों में दर्ज शुदा व्यक्तियों के नाम मंगवाकर उनके आधार पर नियुक्तियां दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के नियमानुसार मृतकों के आश्रितों को भी नियुक्तियां दी गई हैं।

सितम्बर, 89 से जून, 91 तक कर्मचारियों को दी गई नियुक्ति का जिलेवार ब्यौरा :—

जिले का नाम	कुल योग
1. अजमेर	28
2. अलवर	64
3. बांसवाडा	96
4. बाडमेर	194
5. भरतपुर	87
6 भीलवाडा	76
7. बीकानेर	66
8. बून्दी	25
9· चित्तौड़गढ	71
10. चूरु	76
11. डूंगरपुर	27
12: धोलपुर	36
13. गंगानगर	50
14. जयपुर एंव दौसा	487
15. जैसलमेर	65

1	2	3	1	2	3
16.	झालावाड़	91	23.	सवाई माधोपुर	32
17.	जालौर	262	24.	सीकर	182
18.	झुन्झुनू	210	25:	सिरोही	99
19.	जोधपुर	204	26.	टोंक	42
20.	कोटा एवं बारा	30	27.	उदयपुर एवं राजसमन्द	348
21.	नागौर	114		निदेशालय	100
22.	पाली	101			

५०८

परिशिष्ट —3

अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूचना

Statement showing the penalty deduction from the Body builders 1988—89 to 1990—91

S.No.	Name of body builders	1988—89	1989—90	1990—91
1	2	3	4	5
1.	M/s. Rajasthan Coach Builders Indore	4,82,000/-	—	—
2.	M/s. Kamal Auto Industries Coach Works, Kota	88,500/-	4,500/-	—
3.	M/s Rajasthan Body Builders, Jaipur	1,80,800/-	1,27,500/-	—
4.	A. P. Commerce Ltd., Lucknow	77,800/-	—	—
5.	M/s. Haryana Coach builders Rohtak	61,900/-	90,000/-	2,250/-
6.	Capital Body builders	5,24,000/-	—	—
7.	Shubhdhar Engg. Pvt. Ltd., Goa	14,900/-	—	—
8.	M/s. Auto Body Centre, Jaipur	6,62,000/-	2,43 000/-	3,37,500/-
9.	Bajarang Coach Builders	3,23,200/-	—	—

1	2	3	4	5
10.	M/s. Azad Body builders, Jaipur	65,400/-	—	—
11.	M/s. Gulab Chand Jagdish Narain, Jaipur	1,78,400/-	—	—
12.	M/s. Asia Body builders, Jaipur	1,17,800/-	45,000/-	77,250
13.	M/s. Harinarain & Sons, Jaipur	23,30,400/-	4,99,500/-	1,59,750/-
14.	M/s. Mohindra Auto Body Builders, Jaipur	12,54,500/-	22,500/-	—
15.	M/s. Harish Industries	—	27,00/-	—
16.	Delhi Automobiles	—	1,06,500/-	—
17.	Tramco Coach, Jamshedpur	—	—	1,50,000/-
18.	Venus Industries	—	—	41,250/-
19.	Fabricon, Hyderabad	—	—	3,18,750/-
20.	Doaba Coach, Jalandhur	—	—	3,63,750/-
21.	Amar Coach	—	—	12,750/-

1	2	3	4	5
22.	Bharat Engg., Pathankot		—	63,000/-
23.	Bharat Engg., Jamshedpur	—	—	7,98,7:0/-
24.	Hariyana Roadways	—	—	21.07,5000
25.	Raj. Coach, Jaipur	1,92,900/-	—	—
26.	Haryana Coach, Rohtak	21,800/-	—	—
27.	Ram Body builder	1,51,900/-	—	—
28.	Gulab Cd Jagdish Narain	90,100/-	—	—

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की प्रतियां

Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur

No. Traffic/I/(ORD) 75 Dated : 11-2-75

OFFICE ORDER

Consequent on the promulgation of the Rajasthan State Road Transport Service (prevention of Ticketless Travel) Ordinance 1975 in the State of Rajasthan with effect from 22-1-75, the Rajasthan State Road Transport Corporation has approved, vide Resolution No. 13/75 adopted in its meating held on 30.1.75, to delegate powers and functions under various provisions of the ordinance as follows—

Section of the ordinance (1)	Text requiring delegation of authority (2)	Functionaries to whom authority is delegated (3)
2 (1) (i)	any person authorised by the Corporation for the purpose of supplying ticket for travelling by a motor vehicle	Adda Conductor, Booking clerk, Booking Agent or any other person working as Booking Clerk.
5.	any other servant of the Corporation authorised in this behalf,	Adda Conductior, Assistent Traffic Inspector Station incharge, Traffic Inspector, Assistance Dopot Manager, Depot Manager, Assistance Regional Manager, Assistance General Manager, Dy. General Manager,

412

1	2	3
		Sub-Inspector (Security), Security Officer, Vigilance Officer, General Manager.
6. (3)	any servant of the Corporation appointed by it in this behalf.	-ditto-
7. (2)	by any other servent of the Corporation authorised to do so in this behalf.	All servants of the Corporation of whatever status.
8.	any other person authoried by the corporation whose duty it is to supply a ticket to a person who travels or intends to travel in a motor vehicle on payment of fare by him.	Adda Conductor, Booking Clerk, Booking agent or any other person working as Clerk.
9.	any servant of the Corporation authhrised in this behalf.	Conducter, Adda Condnctor, Booking Clerk, Booking Agent, Asstt. Traffic Inspector, Station Incharge Traffic Inspector, Asstt, Depot Manager, Depot Manager Asstt. Regional Manager, Regional Manager, Asstt. General Manager, Dy. General Manager, Sub Inspector (Security). Security Officer, Vigilance Officer, General Manager.

14.	The Corporation may, by general or special order, direct that all or any of its powers- under this ordinance shall also be exercised by such person and subject to such restrications or conditions, as may be speeified in the order.	The chairman, or in his absence from the headquarter the General Manager, is aurhorised by generl order to exercise such power with the proviso that a raport about the exercise of scuh power shall be made by the General Manager to the Corporation at its next meeting for information/confirmation, as deemed appropriate.

All persons to whom powers have been delegated in the above manner are required to exercise these powers under the Ordinance strictly in the discharge of their duties.

Sd/-

General Manager

No. Traffic/1 (ORD) 75

Dated 11-2-1975

Copy forwarded to the following for information and necessary action—

1. P. S. to Chairman/P. A. to General Manager, R. S. R.T.C., Jaipur.
2. CAO/CME/DY. G. M. (A)/ (C)/ (T)/ (Trg.)/ (M)/ (Acctts) (P & D), R. S. R. T. C. Jaipur
3. DIG (Security)/Vigilance Officer/Security Officer/Sub Inspector (Security), R.S.R.T,C., Jaipur
4. W. M. (O)/(P), R. S. R. T. C., Jaipur/Ajmer

(414)

5. XEN (Civil) AEN (Civil)/AGM (S)/PO)PRO/Statistician/Training Coordinators/LWO/LAS, RSRTC, Jaipur.

6. All Accounts Officer.

7. All R.Ms/R.M.Es.

8. All ARMs/AMEs.

9. All DMs/ADMs/S. F./J. F./All Asstt. A/cs Officers

10. All TIs/ATIs/Station Incharges/Booking Clerks/Booking Agents.

11. All Conductors/Adda Conductors.

12. Guard File.

Sd/-
General Manag[illegible]

(415)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

क्रमांक मुख्या./याता./निरी /78/453 जयपुर, दिनांक 31 मई, 1978

कार्यालय आदेश

मैं, वी. एस. मिन्हास, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा निवारण) नियम 1975 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निगम द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 13/75 दिनांक 30-1-75 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नियम की धारा 5 एवं 6(3) के प्रयोग हेतु राजस्थान विधान सभा के समस्त सदस्यों को अधिकृत करता हूं।

ये आदेश 1 जून, 1978 से प्रभावी होंगे।

ह./
अध्यक्ष

क्रमांक : मुख्या./याता./निरी./78/453 दिनांक 31 मई, 78

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. गृह आयुक्त राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, यातायात मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय यातायात मन्त्री के सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, रा रा. प. प. निगम, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त शक्तियों के तहत निरीक्षण हेतु निधारित निरीक्षण प्रतिवेदन मुद्रण हेतु गई है प्राप्त होते ही समस्त सदस्यों के उपयोग हेतु भेज दी जावेगी।
5. संभाग प्रबन्धक/संभाग यांत्रिक अभियन्ता/सहायक प्रधान प्रबन्धक, रा. रा. प. प. निगम

6. आगार प्रबन्धक/सहायक आगार प्रबन्धक/प्रभारी आगार, रा. रा. प. प. निगम········

7. जन सम्पर्क अधिकारी, रा. रा. प. प. निगम, जयपुर।

8. न्यायिक दण्डनायक/सुरक्षा अधिकारी, रा. रा. प. प. निगम ·······

9. निजी प्रति माननीय विधान सभा सदस्य श्री ········· ····

10. निजी सहायक अध्यक्ष महोदय/महा प्रबन्धक, रा. रा. प. प. निगम, जयपुर को वास्ते अध्यक्ष महोदय एवं महा प्रबन्धक महोदय को सूचनार्थ।

11. आदेश पत्रावली।

ह0/—
अतिरिक्त महा प्रबन्धक

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 206 की प्रति

राजस्थान सरकार

गृह (परिवहन) विभाग

क्रमांक : प. 13 (14) परिवहन/90 जयपुर, दिनांक 28–5–90

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 108 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है कि निम्नलिखित अधिकारियों से सम्बन्धित राजकीय वाहनों के सम्मुख भाग में लालबत्ती प्रयोग में लाई जा सकती है।

1— महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।

2 मुख्य मन्त्री/समस्त मन्त्रीगण/राज्य मन्त्रीगण एवं उप मन्त्रीगण राजस्थान।

3— मुख्य सचिव, राजस्थान।

4— अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।

5—मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान।

6— गृह आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।

7— महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

8 — सम्भागीय आयुक्त एवं उप महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज।

9 — समस्त जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक।

राज्य सरकार यह भी आदेश प्रदान करती है कि पुलिस एवं परिवहन विभाग के वे वाहन जिन्हें गश्ती ड्यूटी (पैट्रोलिंग वाहन व फ्लाइंग स्क्वेड) पर लगाया गया हो, वाहनों के सम्मुख नीली बत्ती का प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त निर्देशित वाहनों के अलावा किसी भी वाहन के सम्मुख भाग में लाल या नीली बत्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(एन0 सी0 जैन)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित है–

1— समस्त आयुक्त/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

2— सचिव, राज्यपाल/मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।

3—निजी सचिव, मन्त्री/राज्य मन्त्री/उप मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।

4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

5— सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

(419)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची

स्वीकृत नये राजस्व ग्रामों की योजनाओं की सूची

क्रम संख्या	योजना का नाम	तहसील
1.	पनघट योजना आनजी की ढाणी	मारवाड़ जंक्शन
2.	,, काजू	,,
3	,, भवोण	,,
4	,, जीनजारडी	,,
5.	,, गुडा रघुनाथ सिंह	,,
6.	,, जोडलिया	,,
7.	,, विस्तार थल	,,
8	,, गोपलापुरा	रामपुरा
9.	,, लिलरियां	जैतारण
10.	पनघट योजना चौधरियों की	मारवाड़ जंक्शन
11.	विस्तार योजना गुडा दुर्गा	,,
12.	,, कोलपुर	,,
13.	पनघट योजना गुडाभीकम सिंह	,,
14.	विस्तार योजना कावलिया खुर्द	,,
15.	पनघट योजना जटिया की ढाणी	,,
16.	,, सारियों की ढाणी	,,
17.	,, नीवों की खेजडी	,,
18.	विस्तार योजना बसी	जैतारण
19.	हैण्ड पम्प योजना भीमगढ़	,,
20.	,, वारडी	मारवाड़ जंक्शन
21.	पनघट योजना धोलीछोड़	जैतारण
22.	विस्तार योजना नाहरपुरा	,,

(520)

1	2	3
23.	क्षेत्रीय योजना नाहरपुरा प्रतापपुरा	जैतारण
24.	पनघट झालामण्ड	,,
25.	,, कोलपुरा	,,
26.	विस्तार योजना रामगढ़	,,
27.	,, खेड़ा मामावास	,,
28.	,, नाहरपुरा	,,
29.	,, खेड़ा रामगढ़	,,
30.	पनघट योजना रूपनगर	जैतारण
31.	विस्तार योजना रामपुरा	पाली
32.	,, गिरवर	,,
33.	,, गजनगढ़	,,
34.	,, बल्दों की ढाणी	,,
35.	,, गुलाबपुरा	,,
36.	,, पीपलिया की ढाणी	,,
37.	,, सजनपुरा	,,
38.	,, काला पीपल की ढाणी	,,
	स्वीकृत ढाणियों की योजनाओं की सूची	
39.	विस्तार योजना नई पेडा	पाली
40.	विस्तार योजना विश्नोईयों की ढाणी	,,
41.	हैण्डपम्प योजना मीणों का बास	,,
42.	हैण्डपम्प योजना काकेलाव	,,
43.	हैण्डपम्प योजना रायकों की ढाणी	,,
44.	हैण्डपम्प योजना खेणार खेत (कानुजा)	रायपुर
45.	हैण्डपम्प योजना रायकों का बास	देसुरी
46.	हैण्डपम्प योजना गोयडा (दीपावास)	रायपुर
47.	हैण्डपम्प योजना उपरला मालीखा (कानुज)	,,
48.	हैण्डपम्प योजना बलपुरा (लवाचा)	,,

1	2	3
49.	हैण्डपम्प योजना श्यामपुरा (नानना)	रायपुर
50.	हैण्डपम्प योजना हैटलाधर (कोट किराना)	,,
51.	हैण्डपम्प योजना थौला दांता (कालव कलां)	,,
52.	हैण्डपम्प योजना उपला बाड़ीया (पवासपुरा)	,,
53.	विस्तार योजना हुँगजी की ढाणी (सिनला)	जैतारण
54.	विस्तार योजना राइकों की ढाणी (निम्बोल)	,,
55.	विस्तार योजना भाटों की ढाणी (निम्वोल)	,,
56.	विस्तार योजना भाटों की ढ़ाणी (दुरसानी)	,,
57.	विस्तार योजना भागजी व मणजी की ढाणी (बगडी)	,,
58.	विस्तार योजना बावरियों व जेपाबाबा की ढाणी (सुरायता)	,,
59.	विस्तार योजना भाटी की ढाणी (शिवपुरा)	,,
60.	विस्तार योजना भाटी की ढाणी (राजोला)	,,
61.	विस्तार योजना बावरियों की ढाणी (शिवपुरा)	,,

(423)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 209 की सूची

विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में योजनाओं का विवरण—

1. स्वीकृत योजनाएं जो पूर्ण की जाकर संधारण में है—

क्रम संख्या योजना का नाम

तहसील रायसिंह नगर	तहसील पदमपुर
1. क्षेत्रीय = 16	क्षेत्रीय = 22
2. पनघट = 21	पनघट = 06
3. डिग्गी = 9	डिग्गी =
4. विस्तार = 9	विस्तार =
5. पाइप्ड = —	पाइप्ड = 3
6. हैण्डपम्प = 209	हैण्डपम्प = 49
योग— 264	80

2. स्वीकृत योजनाएं जिन पर कार्य प्रगति पर है—

क्रम सं.	तहसील का नाम	योजना का नाम
1.	रायसिंह नगर	पनघट भोमपुरा
2.	,, ,,	,, डण्डी
3.	पदमपुर	विस्तार 4 पी पी
4.	,,	,, 31 एस एन पी
5.	,,	,, 33 एल एन पी
6.	,,	,, 38 एल एन पी

3. स्वीकृत योजनाएं जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है —

क्रम सं.	तहसील	योजना का नाम
1.	पदमपुर	विस्तार 46 एल. एल. डब्लू.
2.	,,	विस्तार 337 एल. एन. पी.
3.	,,	विस्तार 36 एल. एन. पी.
4.	,,	,, 41 एल. एन. पी.
5.	,,	,, 61 एल. एन. पी.
6.	,,	,, 59 एन. एन. पी. II
7.	,,	,, 41 एल. एन. पी.
8.	,,	,, 40 एल. एन. पी.

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 212 का विवरण

नगर परिषद, पाली की सीमा में बगैर इजाजत निर्माण के मामलों की सूची

क्रम सं. 1	विवरण 2	कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति 3
1.	श्रीमती चन्द्रकंवर/राधाकिशन, रामदेव रोड़, पाली	1. मकान का पुनः निर्माण किया जिसको हटाने की कार्यवाही की।
2.	श्री हेमन्त कुमार सिन्धी, महावीर नगर, पाली	2. मकान निर्माण रुकवाया एवं जमादार का पाबन्द किया।
3.	श्री मोहम्मद सरीफ अब्दुल रहमान, छीपों का निचला बास, पाली	3. दिनांक 22-1-90 को नोटिस जारी किया मौका रिपोर्ट दें।
4.	श्री ओमप्रकाश रामप्रकाश तिवाड़ी, रामदेव रोड़, पाली	4. नोटिस दिनांक 5-2-90 को जारी किया।
5.	श्री जईनुदीन मइनुदीन पिंजारा, 119, जंगीवाड़ा पाली	5. दिनांक 20-2-90 को नोटिस जारी किया।
6.	श्री रसीद अहमद फकीर मो., इन्द्रा कालोनी, पाली	6. दिनांक 12-2-90 को नोटिस जारी किया।
7.	श्री कनिष्ठ अभियन्ता, नहर, जलदाय विभाग, पाली	7. शिकायत की जांच कर प्रति उत्तर भेजा गया।
8.	श्री इब्राहीम हुसेन जी छीपा, छीपों की ढाल, 84 पाली	8. निर्माण कार्य रुकवाया, प्रार्थी ने इजाजत लेकर निर्माण किया।
9.	श्री श्यामलाल मांगीलाल, पलीवालों का बास, पाली	9. मुन्सिफ न्यायालय में विचाराधीन।

1	2	3
10.	श्री भीकाराम गुलाबचन्द सरदार पटेल नगर, पाली	10 दिनांक 24-2-90 को नोटिस जारी किया। पैरोकार को भेजने।
11.	श्री शंकरलाल/लक्ष्मण जी खटीक 32, जंगीवाड़ा, पाली	11. दिनांक 20-2-90 को नोटिस जारी भेजा व निर्माण रुकवाया।
12.	श्री मीठालाल भूरालाल, 14 महावीर नगर, पाली	12. निर्माण रुकवाया, मुन्सिफ कोर्ट में विचाराधीन।
13.	श्री कालूराम/शंकरलाल, मीलगेट के पास, पाली	13. निर्माण रुकवाया एवं जमादार को पाबन्द किया।
14.	श्री किशनचन्द लालचन्द, बस स्टेण्ड, पाली	14. निर्माण रोक, समझौतानुसार इजाजत दी गई।
15.	श्री शेषकरण पूंनारामजी, 139, नवोदय नगर, पाली	15. दिनांक 12-2-90 को नोटिस दिया एवं निर्माण रुकवाया।
16.	श्री दलाराम/बंशी हरीजन, सर्वोदय नगर, पाली	16. अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही जारी।
17.	श्री अब्दुल रसीद पुत्र अल्लाबक्ष, पेकेज कालोनी, पाली	17. निर्माण रुकवाया कोर्ट में केस विचाराधीन
18.	श्री नरेन्द्र बोहरा, हाऊसिंग बोर्ड, पाली	18. दिनांक 2-5-90 को नोटिस जारी किया।
19.	श्री रामा/प्रताप, भटवाड़ा स्टेशन, पाली	19. निर्माण रुकवाया
20.	श्री जुगराज/टीकमदास शर्मा, 9, धानमण्डी, पाली	20. दिनांक 21-5-90 को नोटिस जारी किया। निर्माण रुकवाया।
21.	श्री धीसूसिंह, वीरदुर्गादास नगर, पाली	21. न्यायालय में विचाराधीन।

1	2	2
22.	श्री पेमाराम दाऊजी जटिया सूरजपोल जटिया का बास, पाली	22. दिनांक 8-5-90 को नोटिस जारी किया। अवैध निर्माण हटवाया।
23.	श्री मोहम्मद कसाई, महावीर नगर, कच्ची बस्ती, पाली	23. दिनांक 10-5-90 को नोटिस जारी, निर्माण रुकवाया।
24.	श्री गुलाब रसूल मो. शरीफ, कचहरी रोड़, पाली।	24. दिनांक 24-5-90 को नोटिस अवैध निर्माण हटवाया।
25.	श्री बंशीलाल हीमताराम, महावीर नगर, पाली	25. अवैध निर्माण हटवाया नोटिस दिनांक 21-6-90 को जारी
26.	श्री बुधाराम नायक, सुभाष नगर, पाली	26. निर्माण रुकवाया, न्यायालय में विचाराधीन।
27.	भंवरी देवी/चुन्नीलालजी, खतरीयों का बास, पाली	27. निर्माण रुकवाकर खारिज की।
28.	श्री तेजसिंह पाबुदानसिंह, 5, 6, महाराणा प्रताप नगर, पाली	28. नोटिस दिनांक 1-9-90 को जारी किया।
29.	श्री बंशीलाल व टीकमचन्द, महावीर नगर, पाली	29. दिनांक 21-7-90 को नोटिस जारी किया। हटाने की कार्यवाही
30.	श्री बरकत अली करीमबक्ष, 29, सिपाहियों का बास, पाली	30. कोर्ट में विचाराधीन।
31.	श्री मदनमोहन सिंह/सुरेन्द्र भल्ला, सिन्धी कालोनी पाली	31. कोर्ट में विचाराधीन
32.	श्री असगर अली चुड़गर, 186 जंगीवाडा, पाली	32. दिनांक 17-12-90 को नोटिस जारी किया निर्माण रोका।

पाली नगर परिषद सीमा में वर्ष 1990 में दर्ज अवैध बालकोनियों की सूची

क्रम संख्या विवरण	कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति
1. श्री गुलाबचन्द/जसराज, 40, सोजतिया बास, पाली	धारा 203 के तहत दिनांक 12-2-90 को नोटिस जारी हटाने की कार्यवाही विचाराधीन।
2. श्री बरकतअली/करीमबक्ष, 29, सिपाहियों का बास	न्यायालय में विचाराधीन
3. श्री भेराराम मोतीजी घांची, सूरजपोल रोड, पाली	न्यायालय में विचाराधीन
3. श्री किशनलाल लालचन्द, बस स्टेशन, पाली	कार्यवाही विचाराधीन
5. श्री रामलाल मेघवाल, रेलवे चुंगी नाका के पीछे	नोटिस दिनांक 17-12-90 को जारी किया।

(428)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची

क. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लं.	लागत लाखों में	स्थिति
	विधान सभा क्षेत्र नगर : –	(कि. मी.)		
1.	नगर नदबई रोड़ से सारंगपुर	1.00	2.00	कार्य आदेश 12.6.91 अभी जारी किया गया है।
2.	नगर सिकरी रोड़ से बलगाका बिरमपुर निमखेड़ी बाधा का कुकटेन	3·00	6·00	कार्य आदेश 6/91 में जारी किया है।
3.	डीग नगर रोड़ से दुदावल सुजतपुर वाटका	3.0	6.00	मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।
4.	नगर अलवर रोड़ से जगडका चिरावल गुजर	1.5	3.00	,, ,, ,,
5.	नगर सीकरी रोड़ से कुम्हार हेडी, नगला श्याम का	2.00	4.00	निविदा स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
6.	सम्पर्क सड़क नगर सिकरी रोड़ से रनियाला	2.00	4.00	डब्लू बी. एम. तीन लेयर में कुटाई हो चुकी है।
7·	नगर अलवर रोड़ से मान्नाता खुर्द	2.00	4.00	,, ,, ,,

क्र. संख्या	सड़क का नाम	स्वीकृत संख्या	लागत लाखों में	स्थिति
8.	नगर अलवर रोड़ से खखावली ग्राम से बरखेड़ा फोजदार	2.00	4.00	डब्लू वी. एम. तीन लेयर में कुटाई हो चुकी है।
9.	नगर खेडली रोड़ से जाटव मोहल्ला	0.5	1.00	,, ,, ,,
10.	सिकरी नाका चुंगी से गोबिन्दगढ़ रोड़ तक	1.00	2.00	,, ,, ,,
विधान सभा क्षेत्र डीग : –				
1.	खोह से खोह का नगला	1.5	3.00	वित्तीय स्वीकृति हेतु मंडी समिति डीग का प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशालय में विचाराधीन है।
2.	पारंता से नारायणा	1.5	3.00	,, ,, ,,
3.	नांगला चाहर से उभरा	1.5	3.00	,, ,, ,,
4.	डीग से नगला मोती	3.00	9.00	,, ,, ,,
5.	डीग से बद्रीपुर	3.00	9.00	,, ,, ,,
6.	डीग से मिलमका	7.00	21.00	,, ,, ,,
7.	डीग से इकलेरा	3.00	9.00	,, ,, ,,
विधान सभा क्षेत्र बयाना :—				
1.	सम्पर्क सड़क मैनपुरा से गोगेरा	1.00	2.00	अर्थवर्क का कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत संख्या	लागत लाखों में	स्थिति
2.	सम्पर्क सड़क रूपवास से सिरसादा	1 00	2.00	3 डब्लू बी. एम. का कार्य पूर्ण है।
3.	सम्पर्क सड़क रोनिवा से दिल्ली	2.00	4.00	राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई है।
4.	सम्पर्क सड़क बनखेड़ी से लालपुट	2.00	4.00	,, ,, ,,
5.	सम्पर्क सड़क माडापुरा से कन्जोली	3.75	7.50	ठेकेदार ने कार्य अभी शुरू नहीं किया है।
6.	सम्पर्क सड़क रूदावल से खेड़ा ठाकुर	2.00	3.75	कार्यवाही की जा रही है। नियमानुसार।
	विधान सभा क्षेत्र नदबई :—			
1.	नदबई हलना रोड़ से गुदावली	1.00	3.00	कार्य आदेश 7/91 को जारी किया है।
2	चोर पिपली से खेडाव नाम	4.00	12.00	निविदायें स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
3.	रानीबा से केलोरी	1.00	2.00	अर्थवर्क प्रगति पर है।
4.	नगर खेडली रोड़ से भारोल	0.7	1.40	डब्लू बी. एम. का कार्य प्रगति पर है।
5.	पहरसल पुलिया से टोहला गांव	2.8	5.60	डब्लू बी. एम. का कार्य पूर्ण हो चुका है।
6.	बेलारा से खेडी देवीसिंह	1.5	3.00	,, ,, ,,
7.	लिंबु रोड करई से लुबई	2.2	4.40	डब्लू बी. एम. का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट –10

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

कुचामनसिटी के अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची

क. सं.	गांवों के नाम	क सं	गांवों के नाम
1.	बिदियाद	32.	ललाणाकला
2.	गांगवा	33.	चितांई
3.	अडाणी	34.	चितावा
4.	मगलाना	35.	दूदिया
5.	देवलीखुर्द	36.	ललाणाखुर्द
6.	दिलढाणी	37.	नरमा
7.	चारणवास	38.	बड़ू
8.	चौकलिया	39.	पीपलाद
9.	खोखर	40.	अरठ
10.	श्यामपुरा	41.	मेहगांव
11.	लूणीजा	42.	परबतसर ग्रामीण
12.	गिगौली	43.	भरसिया
13.	रोहिण्डी	44.	कालेटडा
14.	मालासगुसाई	45.	मण्डोवरी
15.	मावसिया	46.	चारणवास
16.	मकरीमोलास	47.	खुडियास
17.	शीलमकरी	48.	जावला
18.	रावडियाद	49.	खेडीखवसी
19.	कबलाद	50.	टीवली
20.	मुण्डोता	51.	टापरवाडा
21.	घोलिया	52	निम्बोला
22.	बागोट	53.	मोडीखुर्द
23.	बरेब	54.	रिड
24.	हथेली	55.	कुलियाना
25.	कोटिया	56.	नेतियास
26.	ढाढीखेडा	57.	सिटावट
27.	झालरा	58.	खोखरिया
28.	लखियास खानपुर	59.	रोजास
29.	साचौर	60.	जालमपुरा
30.	जेजीला	61.	कुण्डरी
31.	नैनीया		

क्र सं	गांवों के नाम	क्र. सं.	गांवों के नाम
62.	बाडाहेडा	95.	मारवा
63.	मिडकिया	96.	अजाबा
64.	मानपुरा	97.	बिसास
65.	कुराडा	98.	भूतास
66.	पीह	99.	चीवली
67.	रूघनाथपुरा	100.	रानीगांव
68.	पवालिया	101.	उचेरिया चारणा
69.	गुलर	102.	मांगलवा
70.	बरनेल	103.	सिणया
71.	बिठवालिया	104.	खारडिया
72.	आतरोली	105.	मुडाखेडी
73.	मेरासी	106	छपारा
74.	बांसेड	107.	झलामलिया
75.	सिडयास	108.	रामसिया
76.	बरसी	109.	गोरावा
77.	मायापूर	110.	मताणी
78.	बेवाल	111.	इन्दोखा
79.	बरूण	112.	विणजारी
80.	हरनावापट्टी	113.	नावद
81.	मादवा	114.	गोठडी
82.	हुलढाणी	115.	सरनावडा
83.	किनसरिया	116.	नोसरिया
84.	खिदरपुर	117.	मूदडा
85.	नडवा	118.	डोवडीकला
86.	माडण	119.	डोवडीखुर्द
87.	बाजवास	120.	डीवडी सावलदास
88.	पालडकढवा	121.	डीवडीनद
89.	भानीगांव	122.	जसवंतपुरा
90.	भैंरवास	123.	खेडीलीला
91.	पीलवा	124.	डोवरिया
92.	मालासवारणा	125.	गच्छीपूरा उर्फ इटावा
93.	ककडियास	126.	इटावा खींचिया
94.	ढाढौता	127.	दम्मोईखुर्द

क्र. सं	गांवों के नाम
128.	
129.	भूतावा
130.	पालडीराजा
131.	पालडी महेशा
132.	इटावालाखा
133.	गीगालीया
134.	मानेवा
135.	चक मादास
136.	मैयाकला
137.	मैयाखुर्द
138.	दम्माइकला
139.	बाजोली
140.	मिव्याव
141.	खेडीशिला
142.	राजास
143.	गुडखेडी
144.	कुवीपला
145.	जूसरी
146.	भीण्डकिया
147.	नकरवाढाणी
148.	मरलाई
149.	वरवाली
150.	वरवाला
151.	सफेडवडी
152.	कचोलिया
153.	देवरी
154.	नगखाडाकला
155.	नावाडाखुर्द
156.	उचेरियां
157.	बूडसू
158.	मनाणा
159.	गेढाकला
160.	गेढाखुर्द

क्र. सं.	गांवों के नाम
161.	मोडीमिखा
1 2.	हुडिया
163.	मोडीचारणा
164.	सिवराशि
165.	नान्दोली
166.	चांदावता
167.	गैलासर
168.	कुकडोर
169.	रामपुरा
170.	घानणवा
171.	राथलिया
172.	रासरवा
173.	जीवादिया
174.	कालवा
175.	कालवा छोटावास
176.	बेसरोली
177.	सिरसता
178.	दावडिया
179.	नान्दोली मेडतिया
180.	घाघोली
181.	बीलू
182.	मोरेड
183.	निम्बडी
184.	सिरसू
185.	लाडोली
186.	सवलपुर
187.	कोलाडूंगरी
188.	मामडोली
189.	ढ़ाणी
190.	वोरवड
191.	जाखली
192.	चावण्डिया
193.	डोडावाडी

क्र. सं.	गांवों के नाम	क्र. सं.	गांवों के नाम
194.	जुगरिया	227.	छापरी
195.	मीचावा	228.	प्रेमपुरा
196.	हरनावातोषणा	229.	काकोट
197.	कजाना	230.	चारणवास
198.	लोरोली	231.	सबलपुरा
199.	चाण्डी	232.	मंगलपुरा
200.	चण्डालिया	233.	जिलिया
201.	देवली	234.	आ[illegible]रा
202.	सूथेली	235.	आनन्दपुरा
203.	लाडपुर	236.	उगरपुरा
204.	परेवडी	237.	रसाल
205.	करकेडी	238.	राणासर
206.	राजपुरा	239.	रूपपूराटोरडा
207.	चावण्डिया	240.	रावा
208.	कालोली	241.	जखराना
209.	अडकसर	242.	पनवाडी
210	टोडास	243.	सरगोठ
211.	नालोट	244.	तिरसिंगया
212.	हुडील	245.	मागलोदी
213.	चारणावास	246.	ठठाणा
214.	लालास	247.	हीराणी
215.	खोएण्डी	248.	खारिया
216.	घाटवा	249.	लखजीकावास
217.	चितावा	250.	सांवता
218.	नगवाडा	251.	हरिपुरा
219.	लाम्बा	252.	केरपुरा
220.	मोतीपुरा	253.	पांचवा
221.	गुगडवार	254.	कुकनवाली
222.	जीजोट	255.	राजलिया
223.	खोण्डा	256.	रूपनाथपुरा
224.	भीलाल	257.	देवपुर
225.	कोटडा	258.	पुरोतोकावास
226.	शिव	259.	भुवाना

क. सं.	गांवों के नाम	क.सं.	गांवों के नाम
260.	इन्दोली	287.	वाटलिया
261.	रेवासा दलेलपूरा.	288.	वरजन
262.	इन्दोखा मय काकोमूया	289.	काटिया
263.	भूणी	290.	गोविन्दी
264.	गोगोर	291.	मानणा
265.	लीचाणा	292.	डावमी
266.	मीठडी	293.	जारदीनगर
267.	पाचोता	294.	ठीकरिया
268.	खुशिया	295	घेतों की ढाणी
269.	गवारिया	296	नरसिंहपुरा
270.	भगवानपुरा	297	वाजवा
271.	माराजपुरा	298	अभयपुरा
272.	आभास	299	खारडिया
273.	अजीतपुरा	300.	कारोडा
274.	बीजापुर	301.	उलाणा
275.	राजास	302.	ववलीगुढा
276.	मारोठ	303.	मण्डावरा
277.	श्यामगढ़	304.	पालडी
278.	जीणवार	305.	हरियाजून
279.	सांवतगढ मय	306.	वसारी
280.	फोमला का वारा	307.	सवाईपुरा
281.	डाराकावास	308.	गुढासाल्ट
282.	सोलाया	309.	पलाडा
283.	शिम्भूपुरा	310.	सिडवास
284.	नोलासिया	311.	नारायणपुरा
385.	घरवानो	312.	खाखडदी
286.	वायडी	313.	गुनुपुरा

436

क्र.सं.	गांवों के नाम
314.	चासेला
315.	लोहराना
316	कूणी
317	मूण्डवासाई
318.	सिपराली
319.	सिरसी
320.	लूणवा
321.	देवली
322.	देवला
323.	माथासुखा

क्र.सं.	गांवों के नाम
324.	मीण्डा
325.	ठीकरिया
326.	बायांधना

कस्बों के नाम

1.	नावा
2	कुचामन
3.	मकराना
4.	परबतसर

परिशिष्ट-11

तारांकित प्रश्न संख्या 255 की सूची

परिशिष्ट 'क'

राज्य/जिला सैनिक बोर्डों में बिना लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये गये कनिष्ट लिपिकों की सूची।

क्रमांक	नाम	नियुक्ति आदेश तिथि
1.	श्री सुनिल गोस्वामी	5-4-91
2.	श्री विनोद शर्मा	4-5-91
3.	श्री गौरीशंकर शर्मा	18-5-91
4.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	18-5-91
5.	श्री राजन शर्मा	18-5-91
6.	कुमारी संगीता रानी	1-7-91
7.	कुमारी गीता	6-7-91
8.	श्री मुजफर अली	6-7-91

परिशिष्ट "ख"

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/चौकीदार के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/चौकीदार के पद पर नियुक्त कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति आदेश की तिथि	पद
1.	श्री छाजूलाल शर्मा	30-6-90	चौकीदार
2.	श्री पूरणमल शर्मा	30-6-90	चौकीदार
3.	श्री किशनसिंह	30-6-90	च. श्रे. कर्मचारी
4.	श्री मोहम्मद याकूब	29-4-91	चौकीदार
5.	श्री रणवीर सिंह	21-5-91	च. श्रे. कर्मचारी
6.	श्री मुराद अली	1-7-91	च. श्रे. कर्मचारी

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 227 का विवरण

माडा योजना के अन्तर्गत निर्मित विकास कार्य पं. स सुल्तानपुर

वर्ष	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कार्य की संख्या	कुल व्यय
1979-80	कूप निर्माण	निमोदाऊजाड़	1	11,900/-
	—"—	पीपल्दा समेल	1	2,000/-
	—"—	रामपुरिया	1	42,300/-
1980-81	—"—	खेड़ली सहरान	1	28,000/-
1980-81	स्कूल भवन	पीपल्दा समेल	1	31,500/-
	—"—	निमोदा ऊजाड़	1	31,600/-
	—"—	कोटड़ापुरा	1	
	—"—	लाखसनीजा	1	54 980/-
1984-85	—"—	रामपुरिया	1	28,200/-

1	2	3	4	5
1979-80	हैण्ड पम्प	खेड़ली सहरान	1	24,000/-
	—"—	निमोदा	3	72,000/-
	—"—	एबरा	2	48,000/-
	—"—	कोटड़ापुरा	2	48,000/-
	—"—	खेड़ली खरन	2	48,000/-
	—"—	पीपल्दा समेल	1	24,000/-
1986-87	—"—	पीपल्दा समेल	1	24,000/-
1989-90	—"—	रामपुरिया	1	33,100/-
	—"—	बम्बूलया रेनवाल	1	31,429/-
	—"—	खेड़ली सहरान	1	24,374/-
1986-87	एनीकट	लाख सनीजा	1	1,50,000/-
		कुल योग		7,90,383/-

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची

चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले वर्ष (1990) में विभिन्न अपराधों में दर्ज मुकदमात का विवरण

क्र.सं.	नाम	योग
1.	डकैती	शून्य
2.	लूट	47
3.	कत्ल	52
4.	बलवा	886
5.	नकबजनी	649
6.	चोरी	765
7.	बलात्कार	46
8.	अन्य	3566
	कुल योग :	5911

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1990 में पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में चाही सूचना का विवरण

क.सं.	नाम थाना	विभिन्न अपराधों के पंजीबद्ध अभियुक्त	गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की सं.	चोरी के पंजी. अभियोग	बरामद की गई सम्पत्ति	अभियुक्तों की संख्या जिनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया।	अन्वेषणाधिन अभियोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चित्तौड़गढ़	550	481	93	670739	481	2
2.	गंगरार	234	383	17	1900	383	1
3.	विजयपुर	111	136	26	11400	136	–
4.	चन्देरिया	234	333	43	104675	333	1
5.	शंभूपुरा	138	244	11	13700	244	–
6.	कपासन	400	456	59	50550	456	–
7.	रासमी	293	429	34	35575	429	–
8.	आकोला	178	216	23	69200	216	–
9.	बेगू	369	447	59	140928	447	–
10.	पारसोली	134	216	14	9115	216	1
11.	रावतभाटा	224	316	25	19685	316	3

(५५१)

(५५२)

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	भैसरोड़गढ़	115	147	11	13615	147	–
13.	छोटी सादड़ी	281	518	38	38950	518	–
14.	बड़ी सादड़ी	204	401	24	29650	401	–
15.	निकम	133	300	7	2350	300	–
16.	घोलापानी	62	184	5	4000	184	–
17.	निम्बाहेड़ा	570	602	98	195605	602	2
18.	भदेसर	235	340	24	19210	340	–
19.	भादसोड़ी	147	330	27	505260	330	–
20.	ढूमला	178	270	32	21918	270	–
21.	कनेरा	48	76	2	15750	76	–
22.	प्रतापगढ़	250	361	34	181300	361	1
23.	अरनोद	196	340	28	11800	340	–
24.	सालमगढ़	144	338	11	6750	338	–

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	सुहागपुरी	97	225	3	6000	225	—
26.	धमोतर	86	191	3	300	191	—
29.	रठाजना	103	173	7	7400	173	—
30.	जाखम	97	224	8	17050	224	—
	योग :—	5911	8650 – 8 (169 जा.फौ. के अन्तर्गत रिहाई) 8642	765	2204375	8650	14

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 239 का विवरण एवं सूची

बोरिंग द्वारा गहरे किये गये कुओं की सूचना
प्रारम्भ से अगस्त, 91 तक

क्र. सं.	जिला	बोरिंग द्वारा गहरे किये गये कुओं की संख्या
1.	जयपुर	404
2.	सवाई माधोपुर	164
3.	टोंक	305
4.	झुन्झुनू	154
5.	कोटा	26
6.	सीकर	44
7.	अलवर	182
8.	धौलपुर	245
9.	झालावाड़	37
10.	अजमेर	3
11.	भरतपुर	4
12.	बूंदी	1
13.	चित्तौड़गढ़	1
	योग :	1570

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान जल संसाधन विकास निगम द्वारा निर्मित सिंचाई के नलकूपों की संख्या (जिलेवार)

क्र. सं.	जिला	प्रारम्भ से अगस्त, 91 तक निर्मित नलकूपों की संख्या
1.	अलवर	50
2.	टोंक	19

2	2	3
3.	सवाई माधोपुर	15
4.	कोटा	10
5.	जयपुर	10
6.	झालावाड़	6
7.	अजमेर	3
8.	चित्तौड़गढ़	1
9.	जोधपुर	1
10.	भरतपुर	3
11.	सीकर	1
12.	धौलपुर	3
		योग : 122

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
AGRICULTURE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F-18 (12) Agri/6/89 Jaipur, dated 22 Sept., 1989.

Executive Director,
Raj. Water Resource Dev. Corpn. Ltd.,
16–Devi Bhawan, Parivahan Marg,
C-Scheme, JAIPUR.

Sub : Execution of Community Tubewell Irrigation Scheme.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor for the execution of Community Tubewell Irrigation Scheme subject to the fulfilment of following conditions :—

1. This scheme will operate on pilot basis in the white/grey areas of Jaipur, Alwar, Bharatpur, Sawaimadhopur, Sikar, aud Jhunjhunu districts in the first instance.

2. The Community well comprise minimum five cultivators out of which three will be small/marginal farmers who will be treated on preferential basis for providing irrigation facilities. Where this is not possible due to low yield of tubewells, a group of three farmers should comprise minimum two Small/marginal farmers.

3. The Rajasthan water Resource Development Corporation, Jaipur will execute this scheme in collaboration with DRDAs and Panchayat Samities and construct tubewells, arrange installation of submersible pumpsets of suitable capacity and electric connections and commission the tubewells on turnkey basis.

4. The tubewells will be commissioned and handed over to the community on proper documentation for their operation and maintenance by the community.

5. The beneficiaries under this scheme will be entitled to subsidy limited to 50% of the cost of Irrigation apportinnable to their lands in the anicut. Tha remaining amount will be borne by the cultivators either from their own funds or through bank loans.

6. The RWRDC will select suitable sites for tubewells and Submit proposals to banks for arranging loan coponent for the community.

7. Subsidy will be sanctioned by the RWKDC to the beneficiaries as per norms from their own funds and later on will be reimpersed by the Govt. from the following Budget Head by supplimentary demands.

Corporation will submit application with utilisation certificate for the funds utilised for reimbursement, of subsidy to the Finance Department through Admn. Deptt. and will maintain separate accounts for this purpose. Additional funds may be obtained by the department through supplementary grant, from the following Budget head :—

2702 – Minor Irrigation

02—Under ground water

80—General

800—Other expenditure

(ix)—Community tubewell irrigation Scheme.

1—Grant in aid to RWRDC (Plain)

This issues with the concurrance of Finance Deparment Budget vide I. D. No. 1596 dated 11-8-1989.

Yours faithfully,

Sd/-

(S. N. AGARWAL)

I Y. SECRETARY TO THE GOVT.

Copy forwarded to the :—

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Finance (EXP-I) Department, Raj. Jaipur.
3. Finance (Budget) Department, Raj., Jaipur.
4. Chief Engineer, Ground Water Department, Jodhpur.
5. Guard file.

Sd/-
Accounts Officer

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 245 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्रामवार लम्बित घरेलु आवेदन पत्र जिनकी मांग पत्र जिनकी मांग पत्र की राशि प्राप्त हो गई है की सूची :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कनेक्शन जिनकी सिक्योरिटी राशि जमा हैं।	तकमीने के तहत् लम्बित आवेदन पत्र	क्रियाशील
1	2	3	4	5
1.	जैतारण	77	52	12
2.	पाटस	5	4	4
3.	तालकिया	10	7	4
4.	ठाकरवास	–	5	–
5.	करोलिया	–	3	–
6.	बीरोल	3	7	–
7.	मालपुरिया	–	3	–
8.	रामावास कलां	8	–	–
9.	रामावास खुर्द	4	17	3
10.	बर्जाकुरी	6	36	–
11.	बालेन्दा	88	66	47
12.	खाचा	3	3	–
13.	कावलो कलां	–	9	–
14.	खारची	9	18	9
15.	लाम्बिया	23	13	6
16.	ए.पी.कलां	95	70	60
17.	दिगराना	–	45	–
18.	फालका	2	7	–
19.	पिपारा	–	20	–
20.	खारचीया	2	10	–

(५१०)

1	2	3	4	5
21.	आकोडिया	–	3	–
22.	टीबरी	–	–	–
23.	बांकावास	1	–	–
24.	कुर्की	50	55	17
25.	केकीन्द्रा	–	21	–
26.	कानावास	10	20	–
27.	रालरियावास	15	30	–
28.	प्रतापपुरा	–	3	–
29.	बालुपुरा	–	3	–
30.	गोदरावार	–	2	–
31.	बालड़ा	35	12	17
32.	मूण्डा	–	–	–
33.	अमपुरा	–	34	–
34.	ब्याल	25	3	25
35.	ओड़ावास	–	–	–
36.	धनेरिया	7	41	–
37.	दामला	3	13	3
38.	निम्बाज	25	89	–
39.	कौहानकर	–	5	–
40.	फूलमल	7	1	–
41.	जूजोन्दा	–	–	–
42.	भाकरवास	–	2	–
43.	सांगरवास	1	3	–
44.	मोहरी	–	15	–
45.	लामोखी	–	13	–
46.	जामासरी	–	–	–

1	2	3	4	5
47.	के. एम. पुरा	–	–	–
48.	श्रीमपुरी	–	1	–
49.	रास	2	85	–
50.	असारली	–	35	–
51.	निम्बरा खुर्द	17	–	7
52.	बास चैनपुरा	–	–	–
53.	वालियावास	–	–	–
54.	सेवरिया	4	7	–
55.	कोटारिया	2	2	–
56.	पृथ्वीपुरा	2	3	–
57.	गरनियां	9	5	–
58.	बडकलां	5	49	–
59.	निम्बोल	20	22	–
60.	लोटोटी	9	30	–
61.	पटवा	75	88	40
62.	जांजावास	2	5	–
63.	देवरिया	11	6	–
64.	राजाडेरा	14	6	–
65.	रानीवाल	30	5	12
66.	लिटारिया	25	2	25
67.	डूनावास कलां	23	6	–
68.	डूनावास खुर्द	19	9	–
69.	बोगासारी	–	–	–
70.	बिकारली	–	9	–
71.	जोधावास	6	–	–
72.	सिन्ला	–	24	–

1	2	3	4	5
73.	लिढनी	—	2	—
74.	देवा	10	15	—
75.	चोरालिया	5	10	—
76.	नोख	—	2	—
77.	वसेसीकनवई	7	5	—
78.	सिंगला	10	4	—
79.	अकोली	—	3	—
80.	पिपलियां खुर्द	4	9	—
81.	तुकाला	5	12	—
82.	खातीखेरा	—	—	—
83.	कटोमरदयालपुरा	—	—	—
84.	लिखामारिया	—	—	—
85.	सामोवास	—	—	—
86.	गांगलिया	—	3	—
87.	तिजारा	—	—	—
88.	केखरा मोलावास	—	—	—
89.	खेण्डावास	20	—	20

(453)

प्रपत्र "ब"

सहायक अभियन्ता (परि. एवं संधा) रा. रा. वि मं., जैतारण के अन्तर्गत लगे हुये व खराब ट्रांसफरों की ग्रामवार सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कुल ट्रांसफार्मर	चालू ट्रांसफार्मर	खराब ट्रांसफार्मर
1.	जैतारण	18	17	1
2.	पातुस	3	3	–
3.	तालकिया	3	3	–
4.	धाकरवास	4	4	–
5.	कसिया	3	3	–
6.	बिरोल	4	4	–
7.	मालपुरिया	3	3	–
8.	रामावासकलां	4	4	–
9.	रामावास खुर्द	3	3	–
10.	बंजापुरी	5	4	1
11.	बलूंटा	8	7	1
12.	प्रतापपुरा	1	1	–
13.	राबडियावास	15	15	–
14.	बालूपुरा	5	5	–
15.	कबालिया कलां	2	1	1
16.	कबालिया खुर्द	–	–	–
17.	लांबिया	2	1	1
18.	खाचरिया	2	2	–
19.	बंकावास	1	1	–
20.	पृथ्वीपुरा	7	7	–
21.	बदकलां	19	16	3
22.	लीलोटा	20	20	–
23.	नीम्बोल	37	36	1

454

1	2	3	4	5
24.	बुगातनी	3	2	1
25.	बीकार लाई	5	5	—
26.	सिल्ला	8	8	—
27.	तितरिया	7	6	1
28.	कनेवा	3	3	—
29.	खरादी	7	7	—
30.	डिगारन्स	4	4	—
31.	घरनिया	10	10	—
32.	रानीवाल	7	7	—
33.	राजाडंड	4	4	—
34.	पटवा	15	15	—
35.	जाजनवास	8	8	—
36.	लखासनी	1	1	—
37.	हुनावास कलां	2	2	—
38.	हुनावास खुर्द	2	2	—
39.	अगेवा	16	15	1
40.	जोधावास	2	2	—
41.	देवरिया	12	12	—
42.	चावंडिया	8	8	—
43.	बासनी कवियान	4	4	—
44.	नोख	3	3	3
45.	सिंघ	5	5	—
46.	अकोडिया	1	1	—
47.	टिबड़ी	2	2	
48.	पीपाडा	8	8	—
49.	फालकां	25	22	3
50.	कुड़ी	16	16	—

1	2	3	4	5
51.	काकिद्रा	3	3	–
52.	गोरावर	1	1	–
53.	बलादा	2	1	–
54.	निम्बाज	67	63	4
55.	खिलावरी	9	9	–
56.	अकाली	6	6	–
57.	ब्रह्मपुरी	3	3	–
58.	डगला	3	3	–
59.	निम्बोरा खुर्द	3	3	–
60.	मोहरी	7	7	–
61.	बाकरवास	4	4	–
62.	आसरलाई	4	4	–
63.	सांगावास	7	7	–
64.	जनासनी	5	5	–
65.	झुण्डा	1	1	–
66.	के. एम. पुरा	6	6	–
67.	फूलमल	4	4	–
68.	सामोखी	4	4	–
69.	पालियावास	1	1	–
70.	बस्सी चैनपुरा	3	3	–
71.	सावरिया	5	5	–
7 .	रास	8	8	–
73.	भूम्बलिया	2	2	–
74.	हिंगोनिया	1	1	–
75.	कानावास	1	1	–
76.	मूण्डावा	1	1	–
77.	पाल्यावास	1	1	–

(456)

1	2	3	4	5
78.	अमरपुरा	2	2	–
79.	कोटडिया	1	–	1
80.	पीपलिया खुर्द	2	2	–
81.	ओढावास	2	2	–
82.	म्यास	2	2	–
83.	धनेरिया	1	1	–
84.	टुकरा	2	2	–
85.	ए. पी. कालु	10	9	1
86.	लासनी	1	1	–
87.	सोमावास	1	1	–
88.	खातीखेरा	1	1	–
89.	गांगलिया	1	1	–
90.	लिखामुनिया	1	1	–
91.	कदमार दयालपुरा	2	1	1
92.	बढ़ खुर्द	1	1	–

(४५७)

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची

ग्राम रायपुरा उर्फ रामसरा में दिये गये घरेलु कनेक्शनों के उपभोक्ताओं की सूची

क. सं.	उपभोक्ता का नाम	क. सं.	उपभोक्ता का नाम
1.	श्री काशीराम/प्रहलाद	27.	,, निवान सिंह/बियूसिंह
2.	,, राधाकिशन/हेतराम	28.	,, आशाराम/बगाराम
3.	,, नानुराम/डुंगरराम	29.	,, दौलतराम/टीकूराम
4.	,, राजकुमार/नानुराम	30.	,, मदनलाल/श्योचन्द
5.	,, अमीचंद/हनुमानप्रसाद	31.	,, साहबराम/पीथाराम
6.	,, भीमाराम/नत्थुराम	32.	,, चिरन्जीलाल/मंगलाराम
7.	,, पन्नाराम/हनुमानप्रसाद	33.	,, तेजासिंह/पूर्णसिंह
8.	,, आशाराम/हुकमाराम	34.	,, भंवरसिंह/रामधन
9.	,, हेतराम/नारायणराम	35.	,, भगवानसिंह/दलीपसिंह
10.	,, रामलाल/हरिराम	36.	,, प्यारेलाल/चिमनलाल
11.	,, रामकुमार/हरिराम	37.	,, चुन्नीराम/बस्तीराम
12.	,, दोलतराम/सुरजाराम	38.	,, चेतराम/जेठाराम
13.	,, पुरखाराम/पेमाराम	39.	,, बिरलाराम/सुरजाराम
14.	,, नोरंगराम/मुलाराम	40.	,, पन्नाराम/भीखाराम
15.	,, चुनीराम/तुलसीराम	41.	,, दुनीराम/पतराम
16.	,, किशनलाल/नंदराम	42.	,, धनपतराम/लेखराम
17.	,, बगराम/	43.	,, ख्यालीराम/जेठाराम
18.	,, बिरबलराम/पूर्णराम	44.	,, दयाराम/लेखराम
16.	,, भुराराम/नन्दराल	45.	,, रामप्रताप/मनीराम
20.	,, सोहनलाल/चुन्नीराम	46.	,, किशनाराम/पूर्णराम
21.	,, जगदीश/जीवनराम	47.	श्री सुरजाराम/भजनाराम
22.	,, चेतराम/ठाकर	48.	,, रामचन्द/भजनदास
23.	,, श्योलाल/तोताराम	49.	,, धर्मपाल/लेखराम
24.	,, बृजलाल/ख्यालीराम	50.	,, साहबराम/नौरंगराम
25.	,, चाननराम/बद्रीप्रसाद	51.	,, आत्माराम/हरिराम
26.	,, सहीराम/बीरुराम	52.	,, धन्नाराम/रामताराम

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	क्र सं.	उपभोक्ता का नाम
53.	श्री जगराम/सहिराम	85.	श्री कृष्ण कुमार/रामजीलाल
54.	,, गुरबचनसिंह/प्रतापसिंह	86.	,, राजाराम/लेखराम
55.	,, दानाराम/मूलाराम	87.	,, दानोसिंह/दलीपसिंह
56.	,, भादराराम/नन्दराम	88.	,, राजाराम/लेखराम
57.	,, मालाराम/मूलाराम	89.	,, तेकीराम/चिरन्जीलाल
58.	,, मुन्शीराम/हरजीराम	90.	,, सुधाराम/जेठाराम
59.	,, रामचन्द/दानाराम	91.	,, जीराम/नत्थूराम
60.	,, लक्ष्मणराम/ख्यालीराम	92.	,, मोमनराल/टीकूराम
61.	,, भादरराम/टीकूराम	93.	श्री मुन्शीराम/गोपालराम
62.	,, त्रिलोकचन्द/हिमताराम	94.	,, राजाराम/मुन्शीराम
63.	,, महेन्द्रकुमार/बाजूराम	95.	,, चेतराम/जेठाराम
64.	,, अमरसिंह/सुरजाराम	96.	,, मनफूल/जेठाराम
65.	,, रामकुमार/आहुराम	97.	,, कुम्भाराम/हुकमाराम
66	,, मोहनलाल/सुरजाराम	98.	,, बृजलाल/हेतराम
67.	,, गोपीराम/रामेश्वर	99.	,, सुरजाराम/मेहरचन्द
68.	,, मनफूलराम/सुखदेवराम	100.	,, रामेश्वर/नाथूराम
69.	,, सुभाषचन्द/सुन्दरसिंह	101.	,, दलीपसिंह/त्रिलोकराम
70.	,, दौलतराम/ख्यालीराम	102.	,, हजारीराम/लाधुराम
71.	,, रामराम/रामचन्द	103.	,, राधेश्याम/पेमाराम
72.	,, महावीर प्रसाद/सुलतानराम	104.	,, अर्जुनसिंह/शेराराम
73.	,, सन्तालाल/लुणाराम	105.	,, सहीराम/शेराराम
74.	,, फूलराम/किशनलाल	106.	,, उमाराम/गिरधारीलाल
75.	,, देवीलाल/कुम्भाराम	107.	,, रामचन्द/मूलाराम
76.	,, लालचन्द/तेजाराम	108.	,, नोरंगराम/लाधुराम
77.	,, बिरबलराम/रामचन्द	109.	,, लालूराम/लाधुराम
78.	,, नत्थूराम/तुलसाराम	110.	,, बृजलाल/अमीराम
79.	,, रामकुमार/इन्द्रराज	111.	,, मोतीराम/अमीराम
80.	,, हुकमसिंह/तोतासिंह	112.	,, हरीराम/शेराराम
81.	,, भगवानाराम/मूलाराम	113.	,, बुधराम/लाधुराम
82.	,, भादराम/साधुराम	114.	,, हजारीराम/जीवनराम
83.	,, हरिसिंह/साधुराम	115.	,, इन्द्रराज/जीवनराम
84.	,, रामजान/गोदुराम	116.	,, गोविन्दराम/गिरधारीलाल

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम
117.	श्री चन्द्रप्रकाश/बन्शीधर	142.	श्री महेन्द्रकुमार/चुनीराम
118.	,, धुनीराम/बुधराम	143.	,, रामेश्बरलाल/लालूराम
119.	,, मोहनलाल/सुखाराम	144.	,, सुभाष/ग्रादराम
120.	,, मनीराम/सुल्तानराम	145.	,, नौरंगराम/रामदास
121.	,, राधाकिशन/हेतराम	146.	,, पूर्णराम/लेखराम
122.	,, कालुराम/नत्थूराम	147.	,, रामेश्वर/सियाराम
123.	,, रावताराम/जालुराम	148.	,, भगवानराम/काशीराम
124.	,, हेतराम/मनीराम	149.	,, मनीराम/पूर्णदास
125.	,, राम प्रताप/बेगाराम	150.	,, मदनलाल/चुनीलाल
126.	,, साहबराम/साधुराम	151.	,, जोताराम/रामधन
127.	,, त्रिलोकराम/पीराराम	152.	,, बृजलाल/मनीराम
128.	,, हरीराम/लच्छीराम	153.	,, दुर्गाराम/गिरधारीलाल
129.	,, ख्यालीराम/बीरबलराम	154.	,, कृमाल/लाधुराम
130.	,, सोहनलाल/रामूराम	155.	,, मनीराम/त्रिलोकराम
131.	,, राम करण/बीरबलराम	156.	,, दौलतराम/त्रिलोकाराम
132.	,, गंगाराम/श्रीचन्द	157.	,, रामप्रताप/मनीराम
133.	,, मोमराम/तोताराम	158.	,, सुखदेवसिंह/जंजीरसिंह
134.	,, लखीचन्द सिंह/सरदार सिंह	159.	,, निघत्तरसिंह/भगवानसिंह
135.	,, ख्यालीराम/बगुराम	160.	,, कृष्णसिंह/चुन्नीलाल
136.	,, कुम्भाराम/भोभाराम	161.	,, रामचन्द्र/रतीराम
137.	,, शीशमाल/खेतमाल	162.	,, नंदकिशोर/मोहनदास
138.	,, सुन्दरसिंह/अतरसिंह	163.	,, सुभाष/ग्रादराम
139.	,, दयाकृष्ण/तेजाराम	164.	,, रामसिंह
140.	,, बृजलाल/रामचन्द्र	165.	,, ओमप्रकाश/नन्दराम
141.	,, भजनराम/चुनीराम	167.	,, रामसिंह/हजारासिंह

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 248 की सूचियां

संस्था का नाम	मेलनर्स-I कार्यरत कर्मचारी का नाम	तिथि जब से कार्यरत है।	रिक्त पद	मेलनर्स-II, कार्यरत कर्मचारी का नाम	तिथि जब से कार्यरत है।	रिक्त पद	कार्यरत फिमेल-नर्स का नाम	तिथि जब से कार्यरत है।
1. बी. डी. एम अस्पताल, कोटपूतली	1. श्री शंकरलाल बैरागी	9/78	4,	1. श्री बालूराम जाट	7/55	4	1. मिस लिल्ली	12/78
	2. श्री कालीराम तोमर	7/82		2. श्री शिवचरण गुप्ता	7/81		2. श्रीमती ए. सोलोमन	12/74
	3. श्री किशनाराम शर्मा	3/90		3. श्री घनश्याम चतुर्वेदी	1/82		3. श्रीमती मेरी सोजान	2/91
	4. श्री नाथूराम आर्य	9/89		4. श्री सूरजीतसिंह यादव	8/88			
	5. श्री नाथूराम सिंघल	9/89		5. श्री बंशीलाल यादव	9/85		फिमेल नर्स के 8 पद रिक्त हैं।	
	6. श्री कपूरचन्द गुप्ता	8/89		6. श्री बंशीधर	10/84			
	7. श्री प्रेमचन्द जैन	11/90		7. श्री कैलाश धनकड़	10/89			
				8. श्री सोहनवीर सिंह	8/83			
				9. श्री कमलकुमार शर्मा	8/88			
				10. श्री जगतप्रसाद यादव	8/89			
				11. श्री श्यामसुन्दर यादव	8/88			
				12. श्री सुभाष छीपी	8/91			
				13. श्री पूरनमल यादव	8/91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. जनाना चिकित्सालय, कोटपूतली	—	—	4	1. श्री वेदप्रकाश	10/88		1. सुश्रीसुशीला देवी	9/82
3. प्रा. स्वा. के., नारहेड़ा	—	—		1. श्री मदनसिंह	7/86			
				2. श्री राजसिंह मीणा				
4. प्रा. स्वा. के., कल्याणपुर कलां		—		1. श्री सुरज्ञानीराम शर्मा	3/89			
5. प्रा. स्वा. के., देवता		—		1. श्री राजेन्द्रसिंह यादव	3/90			
				2. श्री धर्मवीरसिंह यादव	7/90			
6. प्रा. स्वा. केन्द्र, दतिल		—		1. श्री दुर्गाप्रसाद मीणा	1/87			
7. प्रा. स्वा. के., भोनावास		—		2. श्री सुरेशचन्द पारीक	4/91			
8. प्रा. स्वा. केन्द्र, शुक्लावास		—		1. श्री दयानन्द यादव	1/91			
				2. श्री रामकुमार यादव	9/91			
9. प्रा. स्वा. केन्द्र, बनेठी		—		1. श्री जगदीशचन्द मीणा	1/88	—	—	—
10. प्रा. स्वा. के., गोनेडा		—		1. श्री नरेन्द्रकुमार यादल	90			
				2. श्री दिलीपसिंह यादव	8/90			
11. राज. चिकित्सालय, रघनाथपुरा		—		1. श्री गोकुलदास यादव	5/86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. एडपोस्ट, पवाना		—	4	1. श्री हरीराम यादव	2/90	4		
13. एडपोस्ट, चतुर्भुजपुरा		—		1. श्री जयपाल शर्मा	8/90			
14. राज. चिकि., राजनोता		—		1. श्री कैलाशचन्द शर्मा	:/989			
15. राज. चिकि., पुरुषोत्तमपुरा		—		1. श्री रमेशचन्द शर्मा	12/89			
16. राज. चिकि., बिलान्दरपुर		—		1. श्री गोविन्दनारायण	8/91			
17. राज. चिकि., व प्रभारी		—		1. श्री बाबूलाल शर्मा	7/87			
18. एडपोस्ट, चिमनपुरा		—		1. श्री रामनिवास यादव	9/86			

परिशिष्ट "ख"

माह मार्च 90 से अब तक लगाए गए मेलनर्स–I एवं मेलनर्स II की सूचना

संस्था का नाम नाम	मेलनर्स श्रेणी प्रथम का नाम	तिथि जब से लगाया गया	मेलनर्स श्रेणी–II का नाम	तिथि जब से लगाया गया
कोटपूतली	1. श्री किशनलाल शर्मा	3/90	1. श्री सुभाष छीपा	8/91
	2. श्री प्रेमचन्द जैन	11/90	2. श्री पूरणमल यादव	8/91
	3. श्री कपूरचन्द गुप्ता	10/90	3. श्री लालचन्द यादव	4/91
			4. श्री सुरेन्द्रकुमार जांगिड	8/91
			5. श्री महेन्द्रसिंह यादव	8/91
			6. श्री सुरेन्द्रसिंह यादव	8/91
			7. श्री निरन्जनलाल आर्य	9/91
प्रा. स्वा. के., देवता	—	—	1. श्री राजेन्द्रसिंह यादव	3/90
			2. श्री धर्मवीर सिंह यादव	7/90
प्रा. स्वा. के., भोनावास	—	—	1. श्री स्वरूपचन्द पारीक	4/91

463

1	2	3	4	5
प्रा. स्वा. के., शुक्लावास	—	—	1. श्री दयानन्द यादव	1/91
			2. श्री रामकुमार यादव	9/91
प्रा. स्वा. के., गोनेडा	—	—	1. श्री नरेन्द्र कुमार यादव	3/90
			2. श्री दिलीप सिंह यादव	8/90
एडपोस्ट, चतुर्भुजपुरा	—	—	1. श्री जयपाल शर्मा	3 90
एडपोस्ट, बिलान्दरपुर	—	—	1. श्री गोविन्दनारायण	1/91

(465)

परिशिष्ट 18

समयाभाव के कारण सदन में न पढ़े जा सके प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

माननीय सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय:-नियम 295 के तहत सूचना। कोटा, जोधपुर नगर परिषद क्षेत्रों में कब्रिस्तान के नाम से भूमि हड़पने वाला बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है जिससे कब्रिस्तानों की भूमि हड़पने का अभियान चलाया हुआ है जिससे कब्रिस्तान छोटे होते जा रहे हैं जिससे अल्प संख्यकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय शहर काजी की मिलिभगत से कब्रिस्तान की जगह रोकी जा रही है कोटा शहर में सोफिया स्कूल के पास कब्रिस्तान की भूमि पर पत्थर के पन्द्रह स्टॉक हैं इन स्टॉकों के अधिकतर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है इसी प्रकार चम्बल गार्डन के सामने वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर 26 दुकान बनाकर अवैध निर्माण किया है जो कि सरासर गलत है तथा ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड भी जान-बूझ कर कब्रिस्तानों की जमीनों को व्यवसाय में काम में ले रहा है अतः जिन लोगों ने दुकान बनाने की अनुमति दी है या बनाने में सहयोग किया है उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करें तथा उनके नाम बताये जावें। माननीय अध्यक्ष महोदय नयापुरा के कालपुरा स्थित कब्रिस्तान में भी मकानों का अवैध निर्माण कर बेशी कीमती जीवन को कब्रिस्तान के नाम पर हड़प कर वहां के दूसरे समुदाय का मजाक बनाया जा रहा है इसी प्रकार नगरपरिषद, जोधपुर क्षेत्र में भी मेहती सिलावटों के कब्रिस्तान में जाकिर हुसेन कॉलोनी, नागौरी गेट सिलावटों के कब्रिस्तान में साकिया कॉलोनी तथा चाँदशाह तकिया, सोजती गेट के पास कब्रिस्तान में व्यावसायिक दुकान बनाकर कब्रिस्तान के नाम पर अरबों रुपये हड़पने का षड्यंत्र हैं जो कि असहनीय है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार अगर कब्रिस्तान की जमीन पर व्यवसायिक व आवासीय दृष्टि से अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण होता रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि कब्रिस्तान में आवास व्यवसाय की दुकानें होंगी व जहां हिन्दू अभी निवास करते हैं वहां पर कब्रिस्तान के होंगे। इस प्रकार के कृत्य को रोककर कब्रिस्तानों के आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण को तुरन्त हटाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाए तथा मैं यह भी चाहूंगा कि कब तक ऐसे अतिक्रमणों को हटा दिया जावेगा। निश्चित अवधि बताएं तथा इस प्रकार से बढ़ते हुए कब्रिस्तान पर रोक लगायी जावें।

ह./-
(मदन दिलावर)
वि. स. 104

सेवा में,

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय:—राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम, 295 के अन्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में बिजली की समस्या के अन्तर्गत नये कनेक्शन देना व ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करने के बारे में।

महोदय,

जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है जिन कुओं और ट्यूबवैलों में पानी है तो उनका जलस्तर बहुत नीचे चला गया है जिसके कारण डीजल से चलने वाले पम्प सफल नहीं हो रहे हैं और किसान चलाता भी है तो उससे इतना खर्चा आता है कि पैदावार करने का कोई लाभ नहीं है इस क्षेत्र में बिजली की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर रखा है बेचारा किसान जिस पर इस प्रकार से इतना बोझा डाल दिया है कि जो बिजली का खम्भा उसे फ्री मिलता था उसकी 32/-कीमत कर दी गई है 1200/-जमा कराने पर प्राइटी बनती है पर पैसा जमा कराये हुए एक वर्ष हो जाने पर आज तक डिमाण्ड नोटिस नहीं निकले इसी प्रकार कुछ ग्रामों को आपने इलेक्ट्रीफाई घोषित कर दिया है पर आज तक उनमें बिजली नहीं लगी है जैसे टोडाभीम वि. क्षेत्र के मोहनपुरा, सुजानपुरा, झोटवाड़ा आदि ग्रामों में आज तक बिजली नहीं मिली है न उनमें ट्रांसफार्मर लगे हैं टोडाभीम में एक 3 के. एम. वी. का ट्रांसफारमर स्वीकृत हुए वर्षों हो गए पर आज तक नहीं लगा जिसके कारण रात्रि को किसानों को मिलती है अतः ट्रांसफार्मर दिलाया जावे और जो जल जाते हैं उसके स्थान पर नये महीनों तक नहीं दिए जाते हैं और किसान की फसल सूख जाती है। अतः मेरा यह सुझाव है कि ट्रांसफार्मर को खरीदने की पावर किसानों को दे दी जावे और उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जावे ताकि सरकार को भी घाटा न हो। जो लाइनें बिछाई गई है उनके टूटने के कारण या खराब होने के कारण आदमी एवं जानवर मर जाते हैं।

अतः मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कि इस ओर अवश्य शीघ्र ध्यान दें।

भवदीय
ह./--
(रामस्वरूप मीना)
वि. सं. 147

सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा
जयपुर।

विषय: --नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

महोदय,

राजस्थान स्टेट टंगस्टन डवलपमेंट कार्पोरेशन लि. डेगाना, जिला नागौर के नोटिस क्रमांक 841 दिनांक 1 जून, 1991 के द्वारा टंगस्टन विकास योजना निगम डेगाना में कार्यरत 118 महिला श्रमिकों को नौकरी से निकाल कर बेरोजगार कर दिया है यह सभी महिलाएं अनु. जाति व जन जाति की है उत्पादन देने वाली महिला श्रमिकों के साथ दो हरिजन महिलाओं को नौकरी से निकाला गया है। नोटिस की शर्त के अनुसार इनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है।

इन महिलाओं की नौकरी दिनांक 4-6-91 को महाप्रबन्धक के नोटिस द्वारा समाप्त की गई है। इस नोटिस के ऐवज में इन महिला श्रमिकों को एक माह का वेतन व अवकाश के ऐवज में राशि व मुआवजा भी दिया गया है। इन महिला श्रमिकों को पेंशन ग्रेच्युटी व सी. पी. एफ की राशि के भुगतान का भी नोटिस में आवेदन प्रस्तुत करने का जिक्र किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इन महिला श्रमिकों की नौकरी काफी पुरानी है नियमानुसार इनको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है अतः यह गैर कानूनी अन्याय किया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इससे इन महिलाओं में भारी असंतोष व आक्रोश है। यह लोक महत्व का गम्भीर मामला है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिए माननीय खनन मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इन महिला श्रमिकों को पुनः नौकरी पर लिया जावें।

भवदीय
ह./--
(रिछपाल सिंह मिर्धा)
वि. सं: 152

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर

विषय:— प्रक्रिया तथा संचालन संबन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत पाली जिले में राज्य सरकार द्वारा चूने के पत्थर की लीजेज देने एवं 1986 की खुली अवहेलना कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने बाबत।

श्रीमान्

यह कि अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 के नियम 11 एवं 1986 के नियम 11 के अनुसार कोई भी पट्टाधारी 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ही रख सकता है।

(468)

श्री केशर सिंह शिवजी सिंह ग्राम अटबडा तहसील सोजत को 1-9-62 से 10 वर्ग मील का क्षेत्र 5 वर्ष के लिये स्वीकृत हुआ। इस पट्टे में दिनांक 31-3-67 ने परिवर्तन किया जाकर 1-4-67 से श्री केशरसिंह भागीदारी से हट गये व श्री गोविन्द सिंह इसमें भागीदार बनाये गये। दिनांक 1-9-69 से इसमें प्रकाश सिंह व राजेन्द्र सिंह भागीदार बन गये। व श्री गोविन्द सिंह दिनांक 30-9-71 से इस भागीदार से अलग हो गये। इस तरह इस पट्टे में श्री शिवजी सिंह, प्रकाश सिंह, राजेन्द्र सिंह भागीदार 22-10-83 से तक रहे। दिनांक 22-10-83 को श्री शिवजी सिंह का देवावसन हो जाने से 25-9-85 तक राजेन्द्र सिंह व प्रकाश सिंह ही इसके भागीदार रहे। यह लीज 15 वर्ग किलोमीटर की होने से दिनांक 1-9-69 से राजेन्द्र सिंह के पास पौने चार वर्ग कि. मी. व 22-10-83 से 25-9-75 तक साढ़े सात वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बतौर लीज रहता है।

राज्य सरकार ने दिनांक 1-3-74 से ग्राम मण्डला तहसील सोजत में 10 वर्ष के लिये 10 वर्गमील का पटा श्री राजेन्द्र सिंह की ओर स्वीकृत किया व 1977 से 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रहा। उक्त पट्टे का 1-3-84 से 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण भी दिनांक 16-1-86 को स्वीकृत किया। इस तरह राज्य सरकार ने श्री राजेन्द्र सिंह को अप्रधान खनिज रियायती नियम के नियम 11 की खुली अवहेलना की एवं राजेन्द्र सिंह को गैर कानूनी संरक्षण दिया।

नवीनीकरण के स्वीकृत आदेश की प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर अन्दर संविदा की निष्पादन की औपचारिकताएं पूरी कर देनी चाहिए औपचारिकताएँ की पूर्ति न करने की हालत में स्वीकृत आदेश रिवोक किया हुआ समझा जाता है, लेकिन राजेन्द्र सिंह ने मंटला क्षेत्र के संविदा के निष्पादन हेतु स्टाम्पस दिसम्बर, 86 की समाप्ति तक न तो स्टाम्प जमा कराये और न राज्य सरकार से समयावधि बढ़ाने की मांग ही की। फिर भी राजेन्द्र सिंह के मण्डला क्षेत्र में आज भी खनन कार्य चालू है। और और खनन पट्टे का नवीनीकरण रिवोक नहीं किया गया है।

निदेशक खान व भू विज्ञान विभाग, उदयपुर ने नवीनीकरण न करने की सिफारिश की फिर भी निदेशक की सिफारिस को रद्द करते हुये नवीनीकरण स्वीकृत किया।

श्री राजेन्द्र सिंह का मण्डला में खनन कार्य पी. डब्लू. डी. रोड़ की सीमा के अन्दर चल रहा है जबकि संविदा की शर्तों के अनुसार सड़क सीमा से 45 मीटर की सीमा को छोड़कर ही काम करना चाहिये। जिसके कारण सड़क पर कई बार दुर्घटनाएं होती है और कई बार मौतें भी होती है।

श्री राजेन्द्र सिंह मण्डला क्षेत्र में जिसका नवीनीकरण 16-1-86 को हुआ उसके संविधान निष्पादन हेतु 31-12-86 तक स्टाम्पस जमा नहीं कराये और राज्य

सरकार के पास गलत व झूठी दरखास्त किस नम्बर की पेश की कि उसने निष्पादन की औपचारिकता पूरी कर दी है जिसमें स्टाम्प एवं राष्ट्रीय बचत पत्र शामिल है, जो जमा नहीं कराये गये राज्य सरकार द्वारा यह पूछे जाने पर यह रिपोर्ट की कि श्री राजेन्द्र सिंह ने स्टाम्प जमा करा दिये हैं जबकि उक्त स्टाम्प राज्य सरकार द्वारा सहायक अभियन्ता, सोजत को पूछे गये पत्र के बाद खरीदे गये हैं यह तथ्य स्टाम्पस पर तिथि तारीख से स्पष्ट है।

यह कि सोजत क्षेत्र में तीसरा व चूने के पत्थर का खनन क्षेत्र श्री केवलचन्द मांडोत के नाम काखारिया व दुन्दीया गांव में हैं। यह क्षेत्र भी पिछले काफी अर्से से सोजत लाइम कम्पनी ने गैर कानूनी तरीके से खरीद रखा है। उसमें भी खनन का कार्य चालू है। श्री केवलचन्द माण्डोल के पट्टे की अवधि 15-12-85 को ही समाप्त हो चुकी से उक्त पट्टे की नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र श्री चेनराज ने प्रस्तुत किया है जो सोजत लाइन कम्पनी का मैनेजर था।

राज्य सरकार ने अधिक लोगों को खनन पट्टे के क्षेत्र देने की मंशा से अप्रधान खनिज रियायती नियमों में प्रविर्तन किया एवं एक वर्ग कि. मी. के क्षेत्र के पट्टे देने की नीति अपनाई दिनांक 15-2-84 से 300 × 300 मीटर क्षेत्र के पट्टे देने की नीति अपनाई लेकिन नियमों में प्रावधान होने के बावजूद भी नवीनीकरण के उक्त सोजत लाइम कम्पनी की अटबड़ा राजेन्द्र सिंह की मण्डला केवलचन्द माण्डोत की खारीया व रूदिया खनन क्षेत्र की सीमा कर नहीं है।

जहां राज्य सरकार 300 × 300 मीटर के खनन क्षेत्र के 45000 रु. वार्षिक स्तर भाटे के रूप में वसूल करती है वहां इन तीनों पदों से सिर्फ 4–4 लाख रुपये भी वसूल नहीं किये जाते हैं। राज्य सरकार केवल एक ही परिवार का एकाधिपत्य पाली जिले में इस व्यवसाय पर बनाये रखा है वहां राज्य सरकार को केवल एक खनन क्षेत्र से अगर 300 × 300 मीटर के पट्टे दिये जाये तो करीब 150 आदमियों को धन्धा मिलता है व राज्य सरकार की आय भी करीब 1 पट्टे के बने प्लाटों से 60–70 लाख रुपयों की आय होती है।

इन पार्टियों द्वारा समय पर डेठ रेंट जमा नहीं कराया जाता लेकिन खनिज अभियन्ता उन पर न तो जुर्माना और ना ब्याज ही वसूल करते हैं।

तत्कालीन राज्य हित को ताक में रख कर केवल इन पदाधिकारियों के हित में 10 वर्ष के नवीनीकरण का मयाद 1977 में श्रीमान् जोशी जी मुख्य मन्त्री थे बढाई। जबकि खनन क्षेत्र का स्तर भारक 5 वर्ष की अवधि के बाद बदलता है अगर नवीनीकरण भी स्तर भाटक के साथ व समय का होता तो सरकार को संविदा के निष्पादन की स्टाम्प की व पंजिका की आय होती है।

यह है कि सोजत लइाम कम्पनी, राजेन्द्र सिंह कच्छवाह व केवलचन्द मांडोत के तीनों ही खनन क्षेत्र जो परोक्ष रूप से एक ही परिवार के हाथ में हैं के द्वारा बिना

खनन क्षेत्र से माल की निकासी को शिकायतों व सबूत के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करने, नियमों की पालना न करने संविदा की शर्तों की अवहेलना करते हुए Accidet की सूचना खान विभाग को न देने समय पर रोयल्टी व भूमि कर की अदायगी न करने के बावजूद भी नवीनीकरण किया जाता रहा है। सरकार अपनी घोषित नीति को ताक में रखकर बिना किसी कारण के उनकी Monopoly कायम रहती जा रही है सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें व भविष्य में नवीनीकरण उन्हीं हालत में पट्टों का नवीनीकरण किया जावे जो सब तरह से संविदा की पालना करते रहे।

यह मामला लोक महत्व का है अतः निवेदन है कि इस पर खनिज मन्त्री अपना वक्तव्य देकर प्रकरण सम्बन्धि जानकारी से अवगत करावें।

भवदीय
ह./
(राजेन्द्र सिंह)
169

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

नियम 295 के तहत लोक महत्व का प्रस्ताव

विषय : केशवरायपाटन (बून्दी) कृषि उपज मण्डी समिति में भारी अनियमितता एवं असुविधा बावत।

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन बून्दी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा भारी अनियमितायें बरती जाकर कृषकों को जान बूझकर अहित किया जा रहा है।

उदाहरणार्थ :

1. पिछले समय से इस मण्डी की गोण यार्ड कापरेन जिससे प्रतिवर्ष 6—7 लाख रुपयों का राजस्व मण्डी द्वारा वसूला जा रहा है में कृषक वर्ग को कोई राहत नहीं दी जा रही है। मण्डी यार्ड में अधिकांशतः अनाज बैलगाड़ियों द्वारा ही लाया जाता है। कृषकों को बैल बांधने, पानी पिलाने, छाया में बैठने आदि की कोई व्यवस्था लगातार पांच-छः वर्षों से मांग करने पर भी नहीं हो पा रही है।

2. कापरेन में कृषकों को अनाज मण्डी क्षेत्र में जो हाट बाजार में लगती है वहां पर नहीं तुलवाया जाकर व्यापारी अपने निजी स्टोरों एवं मकानों पर

(477)

तोल कर कृषकों के प्रति बोरी 2 से 5 किलो अनाज ज्यादा तोल लेते हैं अनाज जान बूझकर बिखेरा जाता है जिससे किससे किसानों का बहुत नुकसान किया जा रहा है।

3. कापरेन मण्डी यार्ड का उदघाटन सिलान्यास तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद जी द्वारा वर्ष 88 – 89 में किया गया था फिर भी लाखों रुपयों की स्वीकृत राशि कोटा में बैठे अधिकारियों द्वारा जान बूझकर नहीं लगायी जाकर यार्ड निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इस विषय में कई बार यहां सदन में मामला उठाया गया। कोटा एवं बून्दी में अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिला भी फिर भी न मालूम क्योंकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

4. कृषि उपज मण्डी में सुधार हो इस हेतु माननीय कृषि मंत्री महोदय ने जन प्रतिनिधियों के सहयोग से कृषकों एवं व्यापारियों की एक सलाहकार कमेटी का गठन किया था माह अप्रेल, 1991 से प्रभावी ये कमेटियां हैं परन्तु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक 5 महिनों में एक बार भी बैठक नहीं बुलायी गयी। इस हेतु कृषि मण्डी अधिकारी जी जिला स्तर पर जिला कलक्टर महोदय एवं प्रशासक महोदय से भी मिला परन्तु जानबूझकर बैठक नहीं बुलायी जा रही है।

5. कापरेन एवं झाली जी का बराना गोण यार्ड से नियम विरुद्ध अनाज के एन्ट्री न कर ऊपर ही ऊपर टैक्स वसूला जाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो जांच का विषय है।

6. मेरे क्षेत्र से 90 प्रतिशत अनाज कोटा मण्डी में जाता है इसका टेक्स प्रतिवर्ष 40 से 50 लाख रुपया होता है इस राशि का सम्पूर्ण उपयोग मण्डी समिति के गांव में होता आ रहा है। अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब यह राशि सम्बन्धित क्षेत्र में ही व्यय की जायेगी जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। आज तक इस क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा एक रुपया भी कृषकों के हित में व्यय नहीं किया गया है जो दुख एवं अफसोस का विषय है।

अतः मेरी इस लोक महत्व के प्रस्ताव से मांग है कि तुरन्त प्रभाव से कापरेन मण्डी यार्ड का स्वीकृत कार्य शुरू कराया जाय मण्डी समिति की बैठक बुलाई जाये। साथ ही करोड़ों रुपयों का टैक्स चुकाने वाले क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपया स्वीकृत कर सड़कें प्राथमिकता से बनायी जाकर जनहित में सहयोग प्रदान करावें।

दिनांक 16-9-91

ह./–
(मांगीलाल मेघवाल)

(472)

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय : राजस्थान विधान सभा एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार बाबत।

महोदय,

राजस्थान में इस समय हर रोज समाचार पत्रों में राजस्थान के कौने-कौने में महिलाओं पर अत्याचार के समाचार छपते रहते हैं। जिनमें बलात्कार व जलाकर मार डालने जैसी घटनायें मुख्य रूप से होती हैं। इन घटनाओं पर सख्ती नहीं करने एवं मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करने से ज्यादा अपराध होते हैं। जैसे अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाने में मु. नं. 19189 धारा 366, 376 आई. पी. सी. दर्ज किया गया यह मुकदमा राजू साटिया ने रूपनगढ़ थाने में दर्ज कराकर निवेदन किया था कि मुस्तगीस की पत्नी चन्दरी, पुत्री व पुत्रवधू मुकरड़ी व अन्तर को मुल्जीमान से भंवरलाल राजपुरोहित बोरोवड़, मदनलाल सोनी बोरावड़ अन्य मुल्जिमान से मिलकर तीनों महिलाओं का अपहरण किया व बलात्कार किया। यह मामला सन् 89 में विधान सभा में भी तत्कालीन सदस्य श्री जगजीत सिंह जी, सदस्य सुश्री पुष्पा जैन विपक्षी नेता माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने उठाया था एवं मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की मांग करने व माननीय उपाध्यक्ष श्रीकिशन मोटवानी के निर्देश पर महिलाओं के बयान लिये गये थे जिसमें महिलाओं ने बलात्कार होना बयान किये थे। यह बात माननीय मुख्यमन्त्री जी, माननीय सुश्री पुष्पाजी, अकाल राहत मन्त्री को मालूम है। लेकिन अनुसूचित जाति के इस साटिया परिवार की महिलाओं के अपहरण कर्त्ताओं एवं बलात्कारियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इनको गिरफ्तार करने व चालान करने की राजू ने पुलिस अधिकारियों को निवेदन करने के लिए दर-दर भटकना पड़ा है। यह अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अपहरण व बलात्कार का मामला है। जिससे मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से महिला समाज व अनुसूचित जाति में भारी रोष है। इसकी अविलम्ब तफतीश की जावे यदि तफतीश लम्बित नहीं है तो पुनः तफतीश करावे।

अतः मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाकर चालान करवाया जावे।

भवदीय
ह0/
(विरधाराम चौधरी)
वि. सं. 92

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय:—प्रक्रिया व कार्यसंचालन नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व का प्रश्न।

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्यसंचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जनहित व लोकमहत्व के प्रश्नों को उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में सिंचाई हेतु बना हुआ मेजा प्रोजेक्ट तथा कोठारी प्रोजेक्ट के केचमेन्ट एरिया में नदी के ऊपरी भाग पर जगह-जगह विभिन्न एजेन्सियों द्वारा तथा सिंचाई विभाग द्वारा बन्धे बनाते हुए एनीकट बना दिये गये के परिणाम स्वरूप सिंचाई के मेजर प्रोजेक्ट व कोठारी प्रोजेक्ट साबित हो रहे है।

जगह-जगह पर दोनों प्रोजेक्टों पर बंधे हुए व एनीकट बनाने से इन प्रोजेक्टों में पानी की आवक कम होकर जितना पानी 10–15 पूर्व आता था वह अब भी आता। वह खाली पड़ा रहता है और इससे कमाण्ड के सिंचाई क्षेत्र में कृषक को खेती हेतु दो पान पानी भी मिलना सम्भव न होने से कृषक वर्ग बरबादी कगार पर पहुंच गये हैं। पूर्व सरकार ने विभिन्न ऐजेन्सियों तथा सिंचाई विभाग द्वारा यह उक्त बन्धे व एनीकट बनाए हैं दयनीय स्थिति जो पहले यह है कि पिछली सरकार के आदेश पर इस वर्ष व इस वर्ष मेजा प्रोजेक्ट के ऊपरी भाग पर रायपुर निकटतम नदी पर बने हुए लडकी बांध की वेस्ट वेयर तथा बांध की मुख्य दीवार को साढे चार फीट ऊंची कराने का निर्माण कार्य पर्ण करवाये जाने के कारण मेजा प्रोजेक्ट में पानी की आवक ओर आब और कम हो गई है। इसका असर सिंचाई के लिए दिये जाने वाले पानी पर पड़ेगा। और किसानों को कमाण्ड ऐरिया में सिंचाई हेतु पानी मिलना असम्भव हो गया है। इसी तरह बीसलपुर प्रोजेक्ट के केचमेंट एरिया में भी बांध बनाये जाने से जो लक्ष्य बीसलपुर प्रोजेक्ट के माने गये उसीके नतीजेभी सही नहीं आने वाले।

इस तरह से बड़े सिंचाई के प्रोजेक्टों पर जगह-जगह कैचमेंट एरिया में बंधे व एनीकट बनाये जाने से किसी गहरी साजिश के तहत अधिकारियों ने कैचमेंट एरिया में नियमों के विपरीत प्रोजेक्ट को बेकार किया है जिसकी समीक्षा व जांच करनी चाहिए बिना समीक्षा व जांच के दोषी पाये जाने वाले दो दंडित न करने पर इस क्रम को रोक पाना असंभव है। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि बडे प्रोजेक्टों के ऊपरी भाग के कैचमेंन्ट एरिया में किसी भी प्रकार के बंधे या एनिकट भविष्य में बनने से सख्ती से रोके जाकर जिन्होंने बड़े प्रोजेक्ट पर कैच-मेंट एरिया पर बंधे व एनीकट बनवाये हैं उन्हें दोषी पाये जाने पर दंडित किया जावे ताकि प्रोजेक्टों को बेकार करने वाली साजिश का क्रम बन्द हो सके।

दिनांक 16.9.91

भवदीय
ह./--
(बंशीलाल पटवा)
वि. सं 388

सेवा में,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा
जयपुर।

विषय:—विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत तहसील क्षेत्र टोडारायसिंह व देवली की शिक्षा विभाग की शाखाओं में अव्यवस्था के बारे में।

मान्यवर,

मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह की तहसील देवली व टोडारायसिंह में शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही उ. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शाखाओं में अध्यापकों के काफी स्थान खाली पड़े हुए हैं। यहां तक कि मेरे गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक शाला छात्रा पँवालिया में करीब 350 छात्र छात्राएं हैं लेकिन शैसन के तीन माह समाप्त होने तक मात्र एक अध्यापिका ही कार्यरत है। अकेली अध्यापिका इतने विद्यार्थियों की हाजिरी भी नहीं कर पाती पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। इसी तरह तहसील देवली तथा टोडारायसिंह की अधिकतर राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के स्थान खाली पड़े हुए हैं। शिक्षकों के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उनका कोर्स कब तक पूरा हो जायेगा तथा अगले दो माह में अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं होगी अब छात्र छात्राएं बिना पढ़ाई कैसे परीक्षाएं देंगे? इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में भी कई अध्यापकों के स्थान खाली पड़े हुए हैं इस सन्दर्भ में मैंने माननीय मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत मिलकर कई दफा निवेदन किया लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि विभिन्न शालाओं में अध्यापक, अध्यापिकाओं के पद रिक्त कब तक भर दिए जावेंगे। कृपया अपने जवाब में निश्चित तिथि बताने की कृपा करें तथा मेरा विशेष अनुग्रह है कि मेरे क्षेत्र के शिक्षा विभाग की शाखाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरकर छात्र-छात्राओं पर कृपा करेंगे।

भवदीय
ह./
(चौपड़ा घासीलाल)
वि. सं. 38
विधायक टोडारायसिंह

दिनांक 16.9.91

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषयः—विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 अन्तर्गत श्रीमती ज्ञान कंवर की दिनांक 11.8.91 में हुई हत्या बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 11.8.91 की रात को श्रीमती ज्ञान कंवर की जिस निर्मम ढंग से हत्या हुई और यह सरकारी नौकरी यानी स्कूल की चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थी पुलिस में धारा 302 का मुकदमा दर्ज तो किया गया परन्तु अभी तक पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है जिससे आम जनता में भारी रोष है और पूरा शहर रामसीण ने तुरन्त अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु कई दफा उच्च अधिकारियों को सम्पर्क कर मांग भी की ।

अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिस निर्दोष महिला चपरासन का जिन लोगों ने हत्या की हैं परन्तु गिरफ्तार कर सजा दिलवाई जाये तथा उनके मृतक महिला के नन्हे मुन्ने जो अनाथ तीन-चार बच्चे हैं उनको सहायता प्रदान करावें ।

भवदीय
ह./–
(रतनाराम चोधरी)
विधायक रानीवाड़ा
जिला जालोर
वि. संख्या–127

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषयः—विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में कार्यरत स्नातक अभियन्ताओं के भविष्य के खिलवाड़ के सम्बन्ध में विशेष चर्चा की अनुमति हेतु ।

महोदय,

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में वर्ष 1981–1991 तक की सहायक अभियन्ता पदों की कुल रिक्तियों पर नियमों को पूर्ण रूप से अवहेलना कर विभाग

(476)

में कार्यरत उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातक अभियन्ताओं की उपेक्षा कर कम शिक्षा प्राप्त कर डिप्लोमा अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के अधिक पद उपलब्ध कराने की साजिश की जा रही है अगर विभाग अपनी इस कार्यवाही में सफल हो जाता है तो यह न केवल अभियान्त्रिकी की उच्च शिक्षा का अपमान होगा बल्कि राजस्थान में स्नातक अभियन्ताओं का अकाल सा पड़ जायेगा और महत्वपूर्ण राज्य सेवा पर इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा।

(2) अतः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कनिष्ठ (डिप्लोमा) को 30% से अधिक पदों पर दी गई कार्यवाहक पदोन्नति को रद्द किया जाये एवं उसकी जगह कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) को सहायक अभियन्ता के पदों पर नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियमानुसार सहायक अभियन्ता के 70% पद स्नातक अभियन्ताओं को और बाकी 30 प्रतिशत पद डिप्लोमा अभियन्ताओं से भरे जाने चाहिए। स्नातक अभियन्ताओं के लिए अलग से यह नियम है कि 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से बाकी 20 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। राजस्थान इंजीनियरिंग सेवा नियम के अनुसार सीधी भर्ती की व्यवस्था न होने पर पात्रता रखने वाले अभियन्ताओं से खाली पद भरे जा सकते हैं। सीधी भर्ती की पात्रता केवल स्नातक उत्तीर्ण अभियन्ता रखते हैं।

(4) क्या कनिष्ठ अभियन्ताओं की हाल ही में जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार उन कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर वर्षों पूर्व पदोन्नत किया जा चुका है जिन्हें यह वरिष्ठता सूची इस पद पर बैठने की इजाजत नहीं देती। यदि हां तो क्यों क्या मुख्य सचिव के आदेशानुसार कार्यवाही व्यवस्था में कोई भी पदोन्नति न किये जाने के बावजूद विभाग के मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को इसी व्यवस्था के तहत पदोन्नत कर दिया गया है। यदि हां तो क्यों नहीं विभाग में पिछले 1 वर्ष से रिक्त पड़े सहायक अभियन्ताओं के पदों पर इसी व्यवस्था के अन्तर्गत पदोन्नति की गयी।

(5) क्या विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्री) व कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) के पदों के लिए एक ही कैडर एक ही वेतनमान व एक ही कार्य निर्धारित किया हुआ है यदि हां तो क्यों नहीं इन अभियन्ताओं का कैडर, वेतनमान व कार्य अलग-अलग किया जा सकता जिससे उच्च शिक्षा का गौरव कायम रह सके।

सधन्यवाद,

सद्भावी
ह/-
(लक्ष्मी लाल (156))

सेवा में,

श्रीमान् सचिव
राजस्थान विधान सभा
जयपुर ।

विषयः—नियम 295 के तहत प्रस्ताव ।

महोदय,

श्री डूंगरगढ़ शहर एवं गांवों में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है श्री डूंगरगढ़ में एक लाइन 33 के. वी. बीकानेर से आती है । दूसरी लाइन श्री डूंगरगढ़ में 33 के. वी. रतनगढ़ से आती है । दोनों लाइनों की दूरी लगभग 70 किलोमीटर श्री डूंगरगढ़ से है श्री डूंगरगढ़ में अनेकों इण्डस्ट्रीज संचालित है । जलप्रदाय के भी काफी साधन चालू हैं । श्री डूंगरगढ़ तहसील के ग्राम मोमासर, आडसर, सूरजनसर, जैसलसेर में एग्रीकल्चर के काफी सोर्स चालू हैं । विद्युत के वोल्टेज की कमी रैने से एग्रीकल्चर सोर्स (कुए) बन्द रहते हैं । 132 के. वी. की लाइन श्री डूंगरगढ़ में से होकर निकलती है । विद्युत की अनेकों समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है कि यहां 132 के. वी. का बिजली घर प्राथमिकता से खाली जाए तथा बिजली घर बनाने हेतु आवश्यकता अनुसार जमीन जिलाधीश से आपकी स्वीकृति के बाद अलोट कराने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी ।

ह./-
(किशनाराम नाई)
वि. स. 119

दिनांक 16.9.91

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर ।

विषयः—कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत प्रस्ताव ।

महोदय,

कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत में सदन का ध्यान माउन्ट आबू में एक स्कूली छात्रा द्वारा नक्की झील में डूबकर की गई आत्महत्या के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अभी हाल ही में माउन्ट आबू की सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय की एक छात्रा जो कि नवीं कक्षा में पढ़ती थी द्वारा आत्महत्या की गई है । यह छात्रा मरने से पूर्व अपने परिवारजनों के नाम एक चिट्ठी छोड़कर गई है, उस चिट्ठी के अनुसार उसने अपने ही विद्यालय के तीन अध्यापकों द्वारा उस पर ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर कुकृत्य करने के लिए बाध्य किया तथा अश्लील हरकतें की । इस हरकत को वह बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकी और नक्की झील में डूबकर अपनी

(478)

जीवनलीला समाप्त कर ली। यह एक होनहार छात्रा थी और इसके 8 वीं कक्षा में 76 प्रतिशत नम्बर रहे हैं। जब इस छात्रा ने उक्त विद्यालय की 9 वीं कक्षा से प्रवेश लिया तो इस पर योगेन्द्र सिंह व 2 अन्य अध्यापकों द्वारा यह दबाव डाला गया कि तू हमसे ट्यूशन कर नहीं तो हम मुझे फेल कर देंगे।

इन्हीं अध्यापकों के ग्रुप द्वारा एक अन्य छात्रा पर भी ट्यूशन के लिए दबाव डाला और तीसरे मामले में इन्होंने फिर एक लड़की पर ट्यूशन के लिए दबाव डालते हुए उसके साथ गलत हरकतें की हैं। यह अध्यापकों का ग्रुप अभी भी स्कूल में मौजूद है।

इन अध्यापकों की यह कार्यवाही निश्चित रूप से शिक्षा जगत् को बदनाम करने वाली है। उक्त घटना का ब्यौरा माउन्ट आबू की आम जनता ने अनुसूचित जाति कल्याण समिति के दौरे के दौरान दिनांक 29–8–91 को दी जिस पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने क्षोभ व्यक्त किया लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही करने असमर्थता जाहिर की।

अतः मेरी सदन से मांग है कि उक्त घटना की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवाई जाय तथा उक्त अध्यापकों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जावे और अब तक कार्यवाही नहीं करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी को निलम्बित किया।

ह./-
(प्रकाश चन्द बैरवा)
वि. सं. 1901

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

नियम : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया द्वारा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की समक्ष के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय और चिन्ता जनक है सरकारी अनुदान दिए जाने के बावजूद प्रबन्धकों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। कोर्ट में कोई सुनवाई कानून के अभाव में नहीं होती लेकिन प्रबन्धकों को कानूनी अधिकार है कि वे सरकारी आदेशों को चुनौती दें। अनुदानित संस्थाओं में भी (अन्डर पेमेन्ट) की प्रवृत्ति है ऐसी संस्थाओं का दण्ड स्वरूप अनुदान बन्द किया जावे तो कर्मचारियों का ही नुकसान है प्रबंधकों को कोई दण्ड नहीं। सरकार अनुदान नियम "4 बी" के रहते हुए भी केवल मूल वेतन और महंगाई

भत्ते पर ही अनुदान देती है। मकान किराया, चिकित्सा नगरी आवास, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर अनुदान दिया ही नहीं जाता। जनहित याचिका के अन्तर्गत हाई कोर्ट एवं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार के मामले में केस नम्बर 443 तथा 2027 एवं 5735 में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। 6 मई को राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई। 9 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भला यह कैसी सरकार है जो राम-रोटी और समानता की चुनावी 'नारा' लगाती है किन्तु कर्मचारियों के समानता के अधिकार छीनकर राम-रोटी से मोहताज कर रही है।

वैधानिक अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे शिक्षा कर्मियों पर शिक्षा दिवस इस सरकार ने लाठियां बरसाई। अश्रु गैस के 'गोले' छोड़े। उस दिन तो यदि इनके सुरक्षाकर्मियों के पास 'स्टेनगन' होती तो सैंकड़ों लोग 'भून' दिये जाते। राम मंदिर निर्माण के लिए बलिदान की 'कसमें' खाने के राम विहीन हो चुके हैं। शिक्षक दिवस पर जिस बर्बरता का जंगा नाच शासन सचिवालय के सामने हुआ, उसने तो अंग्रेजों को दमनात्मक कारनामों को भी लांघ दिया। इस शर्मनाक घटना पर न तो अभी तक मुख्यमंत्री और न ही गृहमन्त्री ने माफी मांगी और न ही खेद प्रकट किया।

9 सितम्बर को अनुदानित शिक्षाकर्मियों की संघर्ष समिति से मांगों के बारे में जो वायदे किये उसका कोई लिखित प्रभाव नहीं। मुख्यमन्त्रीजी सदन को बतावें कि शिक्षकों के साथ 9 सितम्बर को हुई वार्ता के निर्णय क्या है ? कब तक उन निर्णयों को लागू करने का विचार रखते हैं। वरना उनका 9 सितम्बर का सारा घटनाक्रम नाटक था। यहां यह भी उल्लेखित कर रहा हूं कि विपक्ष के लेखों के रूप में मुख्यमन्त्रीजी ने बहुत से वायदे किये थे। ये कहते थे हम होते तो कभी इनकी मांगें मान लेते। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में महंगा वकील कर केस लड़ा और हारे फिर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध एक अपील की कांग्रेस ने शिक्षा विधेयक पारित कराया जिसमें शिक्षकों के शोषण को रोकने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने उन्हें पूरा वेतन देने आदि के प्रावधान किये गये। ये उसे अटकले हुए हैं क्योंकि इनको डर है कि उनकी समर्थक 'भारतीय शिक्षा समिति' द्वारा संचालित सैंकड़ों स्कूल कर्मचारी प्रबन्धकों के कब्जे से निकल जावेंगे इसलिए ये उनको सुरक्षा नहीं देना चाहते। जन कल्याण 'गाय की खाल' को ओढ़ लेने से नहीं होता उसके राम को अपने अन्दर जागृत करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय जी, अब तक का किया भी शिक्षक माफ कर सकते हैं यदि सरकार के मुखिया शिक्षक विधेयक लागू कर दें 9 सितम्बर के फैसले के प्रमुख निर्णयों से भी मुझे व सदन को अवगत करावें।

सदर !

भवदीय
ह./–
(बी. डी. कल्ला)
विधायक, 93

सचिव,
राजस्थान विधान सभा
जयपुर।

विषय : प्रक्रिया के नियम 275 के अन्तर्गत।

महोदय,

टोंक जिला मुख्यालय पर राजस्थान पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड पर भारी असुविधाएं हैं जिनको देखते हुए लगता है कि निगम जिन नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थगित किया गया था वह ही समाप्त होना लगा है।

यहां नागरिक सुविधा के नाम पर न केवल यात्रियों को बैठने अथवा खड़े रहने की जगह है। अपितु बसें भी ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है। यहां खुले आम सूअर, अवारा कुत्ते, गायें घूमती रहती है जो यात्रियों के सामान में मुंह देना, उठा ले जाना एवं यात्रियों को जख्मी कर देना जैसी घटनाएं होती रहती है।

साथ ही यहां शौचालय एवं पेशाब घर का अभाव है टोंक में मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण परदानसीन औरतों को बड़ी परशानी होती है।

महोदय, इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहां कभी भी साम्प्रदायिक झगड़ा अथवा बड़ी दुर्घटना हो सकती है अतः आप से अनुरोध है कि कृषि मण्डी टोंक के पास पड़े कृषि भूखण्ड को अधिग्रहण कर वहां पर अथवा यहां पर राज्य सरकार को जनसुविधाओं के लिए उपयुक्त भूखण्ड मिलें वहां पर बस स्टेण्ड नवनिर्माण कर जनता को राहत पहुंचायें।

सधन्यवाद !

भवनिष्ठ
ह./--
(महावीर प्रसाद जैन)
वि. सं-110
सदस्य रा. वि. सभा
जयपुर

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के जरिये अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, सलूम्बर समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

महोदय,

सलूम्बर स्थित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय मिडिल स्कूल शिक्षा जिला परिषदों के देने के कारण समाप्त कर अन्यत्र स्थानान्तरित कर

दिया गया था। अब राज्य सरकार ने वापस उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा, शिक्षा विभाग को दे दी गई है अतः मैं चाहूंगा कि उक्त कार्यालय पुनः नियमानुसार वापस खोल दिया जाना चाहिये था लेकिन अब तक वापस नहीं खोला है। इस कार्यालय के अभाव में आदिवासी क्षेत्रों के बालकों का भविष्य जुड़ा हुआ है क्योंकि दूरदराज के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक अपने क्लेम एवं सी. एस. (काउण्टर हस्ताक्षर) हेतु सराड़ा उप जिला अधिकारी के वहां जाना रहता उसमें बसों एवं आवागमन साधनों के अभाव में दो तीन दिन तक भटकते रहते हैं। इससे बालक एवं शिक्षा का संबंध अवरुद्ध होता है वैसे भी कई पाठशालाओं में तो एक दो अध्यापकों से स्कूल चल रहे हैं ऐसी स्थिति में बालक क्या होगा आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। सराड़ा उप जिला शिक्षा अधिकारी के पास तीन तहसीलों के कार्य क्षेत्र हो जाने से अतिरिक्त कार्य भार अत्यधिक बढ़ गया है। अध्यापकों में भी भयंकर असंतोष है क्योंकि अतिरिक्त कार्यभार बढ़ने से दो तीन माह से वेतन नहीं मिल पाता है। जिससे अध्यापक का मानसिक सन्तुलन भी ठीक नहीं रहने से बालक के विकास एवं शिक्षा पर प्रश्न वाचक खड़ा होता है ?

इसलिए मैं चाहूंगा कि निश्चित तिथि बतावे कि कब तक यह कार्यालय आरम्भ कर दिया जायेगा। इस कार्यालय का भवन भी कायम है। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती क्योंकि केवल एक अधिकारी दो तीन लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही संस्थापित करना है।

भवदीय
ह./–
(फूलचन्द मीणा)
वि. स. (87)

सेवामें,

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—विधान सभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत 200 काश्तकारों की जमीन लक्ष्मीनारायण जी नामक मन्दिर के नाम से दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

महोदय,

मेरे विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा के गांव बिरोटी व डैयावाडा की जमीन जो कि करीब 200 काश्तकारों की हैं। वहां स्थित लक्ष्मीनारायणजी मन्दिर के नाम दर्ज कर दी गई है। उन 200 काश्तकारों में से करीब 185 काश्तकार आदिवासी और शेष 15 काश्तकार ब्राह्मण हैं उन 15 ब्राह्मण काश्तकारों की भूमि मन्दिर के

नाम खाते होना तो ठीक है क्योंकि वे ही उस मन्दिर के पुजारी भी है और मन्दिर की आय भी खाते हैं लेकिन 185 आदिवासी काश्तकारों का उस मन्दिर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि न तो वे उस मन्दिर की पूजा करते हैं और न ही उसकी आय खाते हैं और न ही उस मन्दिर के देवता में किसी प्रकार की आस्था ही रखते हैं।

इसलिए आदिवासी काश्तकारों की जमीन लक्ष्मीनारायण जी के नाम पर हो जाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि उनको काश्तकारों का हक नहीं होकर सह काश्तकार का ही दर्जा मिला हुआ है। जिससे वे न तो ऋण ले सकते हैं और न ही बेच सकते हैं। इस कारण उन सभी आदिवासी काश्तकारों में रोष हैं जिनकी जमीन मन्दिर के नाम पर हैं और उनके मन में यह भी बात जमी हुई है कि ब्राह्मणों ने जान बूझकर हमारी जमीन मन्दिर के नाम पर दर्ज करवा दी है। इस कारण निकट भविष्य में जातीय झगड़े होने की पूरी सम्भावना है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि गांव विरोटी व डैया-वाडा के जिन आदिवासी काश्तकारों की भूमि लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर के नाम पर दर्ज हो गई है उसको खारिज कर **काबिज काश्तकारों को खातेदारी हक दिलाने की कार्यवाही की जाए।**

भवदीय
ह./–
(दयाराम परमार)
वि. सं. 63

सेवा में,

श्रीमान सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :— राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत, गत वर्ष अतिवृष्टि से पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा में करीब 5 बांध टूट गए थे परन्तु अभी तक पुनः निर्माण नहीं कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम सांथरू, वरवाड़ा, दांतवाड़ा, जासेरा खुर्द वगैरा तथा पंचायत समिति जसवंतपुरा में

पुरण बगेरा के कई बांध क्षतिग्रस्त हो गए थे और कई काश्तकारों के कुंए खेत नष्ट हो गए थे परन्तु बड़े दु ख के साथ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि करीब एक साल बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक उपरोक्त बांधों का निर्माण नहीं किया गया है जिससे काश्तकारों में सरकार के प्रति काफी रोष है।

गत सत्र में भी श्रीमान सिंचाई मंत्री महोदय ने हमको और सदन को आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र ही उपरोक्त तमाम बाधों का पुनः निर्माण करवा दिया जायेगा।

अतः कृपया कर निश्चित तारीख एवं कब तक पुनः निर्माण करवा दिया जावेगा। कृपया सदन को अवगत करावें जिससे आम जनता को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

भवदीय
ह./–
(रतनाराम चौधरी)
वि. सं. 127
विधायक रानीवाड़ा जि. जालौर

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय :—नियम संख्या 295 के तहत झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे के राममंदिर में दि. 12 सितम्बर की रात्रि को चोरी हुई, बरामद नहीं होने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि झालावाड़ जिले पचपहाड़ कस्बे के राम मन्दिर में दिनांक 12.9.91 की रात्रि को एक बजे के करीब चोरी हुई और वहां सोये हुये श्री बद्रीलाल पाटीदार को चोरों ने भारी पत्थर सिर पर मारकर घायल कर दिया। अभी भी होश नहीं आया और सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है। जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। चोरी में 5 किलो चांदी के जेवरात 4 तोला सोना के जेवर भगवान को पहिना रखे थे पुलिस की निषक्रियता से अभी तक चोरी बरामद नहीं होने से भवानी मंडी और पचपहाड़ बंद रहा। और धार्मिक जनता में भारी आक्रोश है। इस गम्भीर मसले पर पूर्ण ध्यान देकर चोरों को गिरफ्तार किया जावे और चोरी में गये भगवान के जेवरात तुरन्त प्रभाव से बरामद किया जावे। यह गृह मंत्री जी से सम्बन्ध रखता है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रस्ताव है।

भवदीय
ह.
(बालचन्द्र आर्यवीर)
वि. सं. 91

शुद्धि-पत्र

क. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	85	1	कृष	कृषि
2.	129	1	सनाड्य	सनाढ्य
3.	251	फोलियो	सि म र	सितम्बर
4.	253	फोलियो	ोक	लोक
5.	265	22	धयनाकर्षण	ध्यानाकर्षण
6.	278	22	श्री गोवन्दिसिंह गुर्जर	श्री गोविन्दसिंह गुर्जर
7.	392	फोलियो	व क्त्य	वक्तव्य
8.	745	1	परिशिष्ट–/	परिशिष्ट–7
9.	845	24	जतपुर	जयपुर